रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2567] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 2, 2015/अग्रहायण 11, 1937
No. 2567] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 2, 2015/AGRAHAYANA 11, 1937

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2015

का.आ.3248 (अ).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 53 की उप-धारा (2) के अनुसरण में 30 जून, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट तथा उक्त बैंक के लेखापरीक्षित खातों को एतद्वारा आम सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

[फा.सं. 14/09/2014-बीओ.II]

डॉ. शशांक सक्सेना, आर्थिक सलाहकार (एसएस)

अनुबंध

भारतीय रिज़र्व बैंक

वार्षिक रिपोर्ट 2014-15

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 53(2) के अनुसार 30 जून 2015 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्य के संबंध में केंद्र सरकार को प्रस्तुत केंद्रीय निदेशक मंडल की रिपोर्ट

एएवाई	- अंत्योदय अन्न योजना
एबीसीआई	- भारत की व्यापार संचार असोसिएशन
एसीबी	- बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति
एडी	- प्राधिकृत डीलर
एडीएफ़	- आस्ति विकास निधि
एडीएफ़	- स्वचालित/कम्प्यूटरीकृत आंकड़ों की उपलब्धता/प्रवाह
एडीआर	- अमरीकी निक्षेपागार रसीद
एई	- उन्नत अर्थव्यवस्थाएं
एएफ़ए	- अधिप्रमाणन का अतिरिक्त कारक
एएफ़सी	- आस्ति वित्त कंपनी
एआईएफ़आई	- अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान
एएमएस	- लेखापरीक्षा प्रबंधन प्रणाली
एएनबीसी	- समायोजित निवल बैंक ऋण
एपीएल	- गरीबी रेखा से ऊपर
एपीएमसी	- कृषि उपज विपणन समिति
एपीएमएस	- आस्ति मूल्य निगरानी प्रणाली
एआरसी	- आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी
एआरएमएस	- लेखा-परीक्षा और जोखिम प्रबंधन उप-समिति
एटीबी	- नीलामी खज़ाना बिल
एटीएम	- स्वचालित टेलर मशीन
बीए	- व्यापार क्षेत्र
बीबीपीसीयू	- भारत बिल भुगतान केन्द्रीय इकाई
बीबीपीओयू	- भारत बिल भुगतान परिचालन इकाई
बीबीपीएस	- भारत बिल भुगतान प्रणाली
बीसी	- बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंट्स/ व्यवसाय प्रतिनिधि
बीसीबीएस	- बैंकिंग पर्यवेक्षण संबंधी बासेल समिति
बीसीएम	- मुद्रा प्रबंधन के लिए बैंक
बीसीएम	- कारोबार निरंतरता प्रबंधन
बीसीएसबीआई	- भारतीय बैंक संहिता और मानक बोर्ड
बीई	- बजट अनुमान
बीएफ़एस	- वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड
बीआईएस	- अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक
बीएलआरसी	- दिवाला कानून सुधार समिति
बीओ	- बैंकिंग लोकपाल
बीओजे	- बैंक ऑफ जापान
बीओपी	- भुगतान संतुलन
बीपीएल	- गरीबी रेखा से नीचे
बीपीएलआर	- बेंचमार्क मूल उधार दर
बीपीआर	- व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्विन्यास
बीपीएस	- आधार अंक
बीपीएसएस	- भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड
बीआरबीएनएमपीएल	- भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लि.
बीआरआईसीएस	- ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका
बीएसबीडी	- साधारण बचत बैंक जमा
बीएसबीडीए	- साधारण बचत बैंक जमा खाता
बीएसआर	- मूलभूत सांख्यिकी विवरणी
सीएबी	- कृषि बैंकिंग महाविद्यालय
सीएडी	- चालू खाता घाटा
कैफरल	- उच्च स्तरीय वित्तीय अनुसंधान और अध्ययन केंद्र
कैमेल्स	- पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, प्रबंधन, अर्जन, चलनिधि प्रणाली एवं नियंत्रण
सीएपी	- सुधारात्मक कार्रवाई योजना
सीएआरजी	- संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर
सीबीएलओ	- संपार्श्वीकृत ऋण लेने और ऋण देने संबंधी बाध्यता
सीबीएस	- कोर बैंकिंग सुविधा
सीबीएसई	- केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

सीबीएसएल	- श्रीलंका का केंद्रीय बैंक
सीसीबी	- केंद्रीय बोर्ड की समिति
सीसीसी	- केंद्रीय शिकायत समिति
सीसीसीबी	- प्रतिचक्रीय पूंजीगत बफर
सीसीआईएल	- भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड
सीसीपी	- केंद्रीय प्रतिपक्षकार
सीसीएस	- ऋण स्थिति पर्यवेक्षण
सीसीएसओ	- मुख्य ग्राहक सेवा अधिकारी
सीडी	- जमा प्रमाणपत्र
सीडी	- ऋण जमाराशि
सीडीआर	- कॉर्पोरेट ऋण पुनर्रचना
सीडीएस	- ऋण चूक स्वैप
सीईओबीई	- तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर के समतुल्य ऋण
सीईपीडी	- ग्राहक शिक्षण और संरक्षण विभाग
सीईआरएसएआई	- प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और भारत की सुरक्षा के हित की केन्द्रीय रजिस्ट्री
सीईएस	- उपभोक्ता व्यय सर्वे
सीएफ़एस	- पूंजी निधि
सीजीएफएस	- वैश्विक वित्तीय प्रणाली की समिति
सीजीआरए	- मुद्रा एवं स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता
सीजीटीएमएसई	- सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी न्यास
सीएचआरएस	- व्यापक मानव संसाधन प्रणाली
सीआईसी	- साख सूचना कंपनियां
सीआईसी	- मूल निवेश कंपनियां
सीआईएल	- कोल इंडिया लिमिटेड
सीआईएस	- सामूहिक निवेश योजनाएँ
सीआईएसओ	- मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी
सीआईटी	- पारगमन में नकदी
सीएलएसएस	- क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना
सीएमबी	- नकदी प्रबंधन बिल
सीएमडी	- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सीओडी	- केन्द्रीय कार्यालय के विभाग
सीपी	- वाणिज्यिक पत्र
सीपीसी	- नकदी संसाधन केंद्र
सीपीसी	- चेक संसाधन केंद्र
सीपीआई	- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
सीपीआई-एएल	- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक- कृषि श्रमिकों के लिए
सीपीआई-सी	- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक- संयुक्त
सीपीआईएस	- समन्वय पोर्टफोलिओ निवेश सर्वे
सीपीएमआई	- भुगतान और बाज़ार बुनियादी सुविधाओं पर समिति
सीआरए	- आकस्मिक रिज़र्व व्यवस्था
सीआरएआर	- जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूँजी अनुपात
सीआरआईएलसी	- बड़े ऋणों के संबंध में केन्द्रीय सूचना कोष
सीआरआर	- आरक्षित नकदी निधि अनुपात
सीएस	- मुद्रा स्वैप
सीएसबीडी	- कॉर्पोरेट कार्यनीति और बजट विभाग
सीएसएफ़	- समेकित ऋण शोधन निधि
सीएसओ	- केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय
सीटीएस	- चेक ट्रंकेशन प्रणाली
सीवीए	- ऋण मूल्यांकन समायोजन
सीवीएम	- सिक्का वेंडिंग मशीन
डीबीआईई	- भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस
डीबीआर	- बैंकिंग विनियमन विभाग
डीबीएस	- बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग
डीबीटी	- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
डीसीबीआर	- सहकारी बैंक विनियमन विभाग
डीसीबीएस	- सहकारी बैंक पर्यवेक्षण विभाग
डीसीसी	- गतिशील मुद्रा रूपान्तरण

डीसीसीबी	- जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक
डीसीसीओ	- वाणिज्यिक परिचालनों के प्रारंभ की तिथि
डीसीएम	- मुद्रा प्रबंध विभाग
डीसी	- डाटा केंद्र
डीसीएस	- कॉर्पोरेट सेवा विभाग
डीईए	- जमाकर्ता साक्षरता और जागरूकता
डीईआईओ	- बाह्य निवेश और परिचालन विभाग
डीईपीआर	- आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग
डीजीबीए	- सरकारी और बैंक लेखा विभाग
डीजीसीआईएस	- वाणिज्यिक आसूचना और अंक संकलन महानिदेशालय
डीआईसीजीसी	- निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
डीआईएफ़	- जमा बीमा कोष
डीआईएमयू	- आंकड़ा और सूचना प्रबंधन इकाई
डीआईटी	- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
डीएनबीआर	- गैर बैंकिंग विनियमन विभाग
डीएनबीएस	- गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग
डीओसी	- संस्थापना की तारीख
डीओसी	- संचार विभाग
डीओएलएस	- गतिक सामान्य लघुतम वर्ग
डीपीएसएस	- भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग
डीआरजी	- विकास अनुसंधान समूह
डीआरएचपी	- प्रारंभिक विवरणिका का प्रारूप (सार्वजनिक प्रस्ताव के संदर्भ में)
डीआरटीएस	- ऋण वसूली न्यायाधिकरण
डी-एसआईबी	- देशी- प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण बैंक
डीएसआईएम	- सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग
ईबीटी	- इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण
ईसीए	- आवश्यक वस्तु अधिनियम
ईसीबी	- यूरोपीय केंद्रीय बैंक
ईसीबी	- बाह्य वाणिज्यिक उधार
ईसीसीएस	- द्रुतगामी चेक समाशोधन प्रणाली
ईसीएफ़	- आर्थिक पूंजी ढांचा
ईसीआर	- निर्यात ऋण पुनर्वित
ईसीएस	- इलेक्ट्रानिक समाशोधन सेवा
ईडीएमएस	- इलेक्ट्रानिक डाटा प्रबंधन प्रणाली
ईडीपीएमएस	- निर्यात डाटा प्रसंस्करण और निगरानी प्रणाली
ईकेपी	- उद्यम ज्ञान पोर्टल
ईमेल	- इलेक्ट्रानिक मेल
ईएमडीई	- उभरती बाज़ार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं
ईएमई	- उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्था
ईएमयू	- यूरोपे, मास्टर कार्ड और वीज़ा
ईओआई	- अभिरुचि प्रस्ताव
ईपीसी	- अभियांत्रिकी, सरकारी खरीद और निर्माण
ईआरई	- विनिमय दर लोच
ईआरएम	- उद्यम व्यापी जोखिम प्रबंधन
ईटीसीडी	- विनिमय व्यापारित मुद्रा व्युत्पन्नी
ईयू	- यूरोपीय संघ
ईडब्ल्यूएस	- पूर्व चेतावनी प्रणाली
एक्जिम बैंक	- भारतीय निर्यात आयात बैंक
एफ़एओ	- खाद्य और कृषि संगठन
एफ़एक्यू	- अक्सर पूछे जानेवाले प्रश्न
एफ़बीआईएल	- वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्रा.लि.
एफ़सीए	- विदेशी मुद्रा आस्तियां
एफ़सीसीबी	- विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्ड
एफ़सीआई	- भारतीय खाद्य निगम
एफ़सीएनआर(बी)	- विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) लेखा
एफसीआरए	- विदेशी मुद्रा पुनर्मूल्यन खाता
एफ़सीएस	- वित्तीय कंपनियों के संगठन
एफसीवीए	- विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यांकन खाता

एफ़सीवाई - विदेशी मुद्रा
एफडीआई - प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
एफडीआईसी - फेडरल जमा बीमा निगम
एफ़ईडी - विदेशी मुद्रा विभाग
एफ़ईडीएआई (फेडाई) - भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ
एफ़ईएमए (फेमा) - विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम
एफ़आई - वित्तीय संस्थान
एफ़आईएसी - वित्तीय समावेशन सलाहाकार समिति
एफआईसीएन - जाली भारतीय करेंसी नोट
एफ़आईडीडी - वित्तीय समावेशन और विकास विभाग
एफ़आईआई - विदेशी संस्थागत निवेशक
एफआईएमएमडीए - निश्चित आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्नी संघ
एफआईपी - वित्तीय समावेशन योजना
एफआईपीबी - विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड
एफआईटी - लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्य
एफएलसी - वित्तीय साक्षरता केंद्र
एफएमसीजी - तेज़ी से बिकनेवाली ग्राहक वस्तुएं
एफएमडी - वित्तीय बाज़ार विभाग
एफएमआई - वित्तीय बाज़ार मूलभूत व्यवस्थाएं
एफएमओडी - वित्तीय बाज़ार परिचालन विभाग
एफएमआरडी - वित्तीय बाज़ार विनिमय विभाग
फोरेक्स - विदेशी मुद्रा
एफपीएएस - पूर्वानुमान और नीति विश्लेषण प्रणाली
एफपीआई - विदेशी संविभाग निवेश
एफपीओ - अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव
एफआरए - वित्तीय संकल्प प्राधिकरण
एफआरए - वायदा दर करार
एफआरबीएम एक्ट - राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम
एफएसएपी - वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम
एफएसबी - वित्तीय स्थिरता बोर्ड
एफएसडीसी - वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद
एफएसएलआरसी - वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग
एफएसआर - वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट
एफएसयू - वित्तीय स्थिरता इकाई
एफएसडब्ल्यूएम - वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ और सुव्यवस्थित
एफटीपी - विदेशी व्यापार नीति
एफवीसीआई - विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक
एफडब्ल्यूजी - रूपरेखा कार्यकारी दल
एफएक्स - विदेशी मुद्रा
जीबीपी - ग्रेट ब्रिटेन पाउण्ड
जीसीसी - सामान्य क्रेडिट कार्ड
जीडीपी - सकल घरेलू उत्पाद
जीडीआर - वैश्विक निक्षेपागार रसीद
जीएफसीई - सकल अंतिम खपत व्यय
जीएफसीएफ - सकल स्थिर पूंजी निर्माण
जीएफडी - सकल राजकोषीय घाटा
जीआईएफटी - गुजरात अंतरराष्ट्रीय वित्त प्रोद्योगिकी-शहर
जीजेआरएचआरएस - स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास पुर्नवित्त योजना
जीएमएम - सांख्यिकी मॉडल में पैरामीटरों के आकलन की सामान्य विधि
जीएनडीआई - सकल राष्ट्रीय अप्रयोज्य आय
जीओआई - भारत सरकार
जीआरए - स्वर्ण पुनर्मूल्यन लेखा
जीआरएफ - गारंटी उन्मोचन निधि
जीआरक्यू - कोटा की सामान्य समीक्षा
जीएसडीपी - सकल राज्य देशी उत्पाद
जी-एसईसीएस - सरकारी प्रतिभूतियां
जीएसआइबी - वैश्विक स्तर पर प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक

जी एसआईआई	- वैश्विक स्तर पर प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ता
जीएसटी	- माल और सेवा कर
जीवीए	- योजित सकल मूल्य
जीवीसी	- वैश्विक मूल्य श्रृखंला
एचएफ़ए	- सभी के लिए आवास
एचएफ़सी	- आवास वित्त कंपनियां
एचपीआई	- आवास मूल्य सूचकांक
एचक्यूएलए	- उच्च गुणवत्तावाली चल आस्तियां
एचआरएमडी	- मानव संसाधन प्रबंध विभाग
एचटीएम	- परिपक्वता तक धारित
एचयूएफ़	- हिन्दू अविभक्त परिवार
आईएडीआई	- जमा बीमाकर्ताओं का अंतर्राष्ट्रीय संघ
आईएईआरएम	- आंतरिक लेखापरीक्षा और उद्यम जोखिम प्रभाग
आईबीए	- भारतीय बैंक संघ
आईबीएल	- अंतर-बैंक देयताएं
आईबीएस	- अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी
आईबीयू	- आईएफएससी बैंकिंग इकाई
आईसीबीए	- अंतर-केंद्रीय बैंक करार
आईसीडीआर	- पूंजी निगम और प्रकटीकरण अपेक्षाएं
आईसीएसडी	- अंतरराष्ट्रीय केंद्रीय सुरक्षा जमाकर्ता
आईसीटी	- सूचना और संचार प्रोद्योगिकी
आईडीएफसी	- वित्तीय कंपनियों की बुनियादी संरचना
आईडीएमडी	- आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग
आईडीपीएमएस	- आयात डाटा प्रसंस्करण तथा निगरानी प्रणाली
आईईएसएच	- परिवारों का मुद्रास्फीति प्रत्याशा संबंधी सर्वेक्षण
आईएफसी	- भारतीय वित्तीय कोड
आईएफसी	- बुनियादी संरचनावाली वित्तीय कंपनियां
आईएफआरएस	- अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक
आईएफएससी	- अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र
आईजीआईडीआर	- इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान
आईआईबीएम	- भारतीय बैंक प्रबंध संस्थान
आईआईएफसी	- भारतीय इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनी
आईआईपी	- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक
आईआईडब्ल्यूजी	- निवेश और बुनियादी संरचनावाले कार्यकारी दल
आईएलओ	- अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन
आईएमडी	- भारतीय मौसम विभाग
आईएमएफ	- अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक निधि
आईएमपीएस	- तत्काल भुगतान सेवा
आईएनआर	- भारतीय रुपया
आईएनवीआईटीएस	- बुनियादी संरचनावाले निवेश न्यास
आईओडी	- हिंद महासागर द्विध्रुव
आईओआरडब्ल्यूजी	- अंतरराष्ट्रीय परिचालन जोखिम कार्यकारी दल
आईओएस	- औद्योगिक दृष्टिकोण सर्वे
आईओएससीओ	- अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन
आईपी	- इंटरनेट प्रोटोकोल
आईपीओ	- प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव
आईपीवी6	- इंटरनेट प्रोटोकोल वर्शन 6
आईआरए	- निवेश पुनर्मूल्यन खाता
आईआरडीए	- बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
आईआरएफ	- आंतर विनियामक फोरम
आईआरएफ	- ब्याज दर फ्यूचर्स
आईआरएस	- ब्याज दर स्वैप
आईआरएस	- घटना रिपोर्टिंग प्रणाली
आईआरटीजी	- अंतर-विनियामक तकनीकी समूह
आईएस	- सूचना प्रणाली
आईएसएचयूपी	- शहरी गरीबों की रिहाइश हेतु ब्याज- सब्सिडी
आईएसओसी	- सूचना सुरक्षा परिचालन केंद्र

आईएसएस	- समन्वित सुरक्षा प्रणाली
आईटी	- मुद्रास्फीति का लक्ष्यीकरण
आईटी	- सूचना प्रौद्योगिकी
आईटी-बीपीओ	- सूचना प्रौद्योगिकी - कारोबार प्रक्रिया की आउटसोर्सिंग
आईटीबीएस	- मध्यवर्ती खजाना बिल
आईटीएफ	- कार्यान्वयन कार्य बल
आईटी-पैन	- आय कर- स्थायी खाता संख्या
आईटीएससी	- सूचना प्रौद्योगिकी उप समिति
जेएलएफ	- संयुक्त उधारदाता फोरम
जेएलजी	- संयुक्त देयताएं समूह
जेवी	- संयुक्त उद्यम
केसीसी	- किसान क्रेडिट कार्ड
केआरए	- प्रमुख निष्पादन क्षेत्र
केवाईसी	- अपने ग्राहक को जानिए
एलएबी	- स्थानीय क्षेत्र बैंक
एलएएफ	- चलनिधि समायोजन सुविधा
एलबीएमए	- लंदन बुलियन मार्केट असोसिएशन
एलसीआर	- चलनिधि कवरेज अनुपात
एलई	- व्यापक एक्सपोजर
एलईआई	- विधिक संस्था पहचानकर्ता
एलएलपीएस	- देयता भागीदार कंपनियां
एलओबीएम	- बही और बाज़ार मूल्यों में से निम्नतर
एलओएलआर	- अंतिम ऋणदाता
एलओयू	- स्थानीय परिचालन इकाई
एलपीए	- दीर्घावधि औसत
एलपीजी	- तरलीकृत पेट्रोलियम गैस
एलआर	- लिवरेज अनुपात
एलआरएस	- उदारीकृत विप्रेषण योजना
एलएसई	- लंदन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स
एलटीवी	- मूल्य की तुलना में कर्ज
एम3	- मुद्रा आपूर्ति
एमएटी	- न्यूनतम वैकल्पिक कर
एमसीए	- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
एमडी	- प्रबंध निदेशक
एमडीआर	- व्यापार बट्टा दर
एमईआईएस	- भारतीय स्कीम से वणिक निर्यात
एमईपी	- न्यूनतम निर्यात कीमत
एमएफआई	- सूक्ष्म वित्त संस्थान
एमजीएनआरईजीए	- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
एमआई	- बाजार आसूचना
एमआईबीओआर	- मुंबई अंतर-बैंक प्रस्तावित दर
एमआईसीआर	- चुंबकीय स्याही चिह्न पहचान, माइकर
एमआईएस	- प्रबंध सूचना प्रणाली
एमएमएलआर	- अंतिम बाज़ार निर्माता
एमएमआरपी	- आशोधित मिश्रित संदर्भ अवधि
एमएमएस	- मेल मेसेजिंग प्रणाली
एमएनओ	- मोबाईल नेटवर्क परिचालक
एमओएसपीआई	- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
एमओयू	- समझौता ज्ञापन
एमपीसी	- मौद्रिक नीति समिति
एमपीडी	- मौद्रिक नीति विभाग
एमपीआर	- मौद्रिक नीति रिपोर्ट
एमएसईएस	- सूक्ष्म और लघु उद्यम
एमएसएफ	- सीमांत स्थायी सुविधा
एमएसएमएमईसी	- सूक्ष्म.लघु और मध्यम उद्यम
एमएसपी	- न्यूनतम समर्थन कीमत
एमटी	- मिलियन टन
एमटी	- मेट्रिक टन

एमटीएम	- बाज़ार भाव पर दर्शाना
एमटीएसएस	- धन अंतरण सेवा योजना
एमयूडीआरए	- सूक्ष्म इकाई विकास पुनर्वित्त एजेंसी
एमडब्ल्यू	- मेगा वैट
एनएबी	- उधार की नई व्यवस्था
एनएबीएआरडी	- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
एनएसीएच	- राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह
एनएवी	- निवल आस्ति मूल्य
एनबीएफसी	- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी
एनबीएफसी-एमएफ आई	- एनबीएफसी-लघु वित्तीय संस्थान
एनबीएफसी-डी	- जमाराशि लेनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान
एनबीएफसी-एनडी	- जमाराशि न लेनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान
एनबीएफसी-एनडी-एसआई	- प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी-जमाराशि न लेने वाली
एनबीवी	- निवल बही मूल्य
एनसीबी	- असहयोगी उधारकर्ता
एनसीडीसी	- अपरिवर्तनीय डिबेंचर
एनसीईआरटी	- राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
एनसीएलटी	- राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायधिकरण
एनसीएम	- अल्पसंख्यक राष्ट्रीय आयोग
एनडीए	- निवल देशी आस्ति
एनडीएस-ओएम	- तयशुदा लेनदेन प्रणाली-आदेश मिलान
एनडीटीएल	- निवल मांग और मीयादी देयताएं
एनईसीएस	- राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक समाशोधन सेवा
एनईएफटी	- राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण
एनईएम	- पूर्वोत्तर मानसून
एनएफए	- निवल विदेशी आस्तियां
एनएफएस	- राष्ट्रीय वित्तीय स्वीच
एनएचएआई	- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
एनएचबी	- राष्ट्रीय आवास बैंक
एनआईबीएम	- राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान
एनआईसी	- संचलन में नोट
एनआईआईएफ	- राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी निधि
एनआईआईपी	- निवल अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति
एनआईएम	- निवल ब्याज मार्जिन
एनएम3	- नये कुल मौद्रिक
एनओएफ	- निवल स्वाधिकृत निधि
एनओएनजी	- तेल से इतर स्वर्ण से इतर
एनपीए	- अनर्जक आस्ति
एनपीसीआई	- भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
एनपीआईएसएच	- गृहस्थ सेवा प्रदाता अलाभ संस्थाएं
एनआरआई	- अनिवासी भारतीय
एनआरएलएम	- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
एनएसडीएल	- नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड
एनएसडीपी	- निवल राज्य घरेलू उत्पाद
एनएसएफआर	- निवल स्थिर निधीयन अनुपात
एनएसएसओ	- राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय
एनयूएलएम	- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
एनयूयूपी	- राष्ट्रीय एकीकृत यूएसएसडी प्लेटफार्म
ओबीसी	- अन्य पिछड़े वर्ग
ओबीएस	- तुलनपत्रोत्तर
ओडी	- ओवरड्राफ्ट
ओडीआई	- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश
ओईसीडी	- आर्थिक सहयोग और विकास संगठन
ओआईएस	- एक दिवसीय सूचकांक स्वैप
ओएमओ	- खुला बाज़ार परिचालन
ओपीईसी	- पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन
ओआरएम	- परिचालन जोखिम प्रबंधक

ओएसएमओएस	- परोक्ष निगरानी और चौकसी प्रणाली
ओएसएस	- परोक्ष चौकसी
ओटीसी	- काउंटर पर
ओवीडी	- आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेज
पीए	- अनंतिम खाता
पीएएन	- स्थायी खाता संख्या
पीसीए	- त्वरीत सुधारात्मक कार्रवाई
पीडीएमए	- लोक ऋण प्रबंधन एजेंसी
पीडी	- प्राथमिक व्यापारी
पीडीएस	- सार्वजनिक वितरण प्रणाली
पीएफसीई	- निजी अंतिम खपत व्यय
पीएफसीवीए	- वायदा संविदा मूल्यांकन खाते का प्रावधान
पीएफएमआई	- वित्तीय बाज़ार मूलभूत सुविधा सिद्धांत
पीएफएमएस	- सरकारी वित्त प्रबंधन प्रणाली
पीआईडी	- जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा
पीएलएफ	- प्लांट लोड फैक्टर पीएमजी
	- परियोजना निगरानी समूह
पीएमआई	- क्रेता प्रबंधकों का सूचकांक
पीएमजेडीवाई	- प्रधान मंत्री जन धन योजना
पीएमएस	- कार्यनिष्पादन प्रबंधन प्रणाली
पीओएल	- पेट्रोलियम,तेल और चिकनाई के पदार्थ
पीओएस	- बिक्री केंद्र
पीपीआई	- पूर्वदत्त भुगतान लिखत पीपीपी
	- सरकारी निजी सहभागिता
पीएसबीएस	- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
पीएसएल	- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार
पीएसएलसी	- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रमाणपत्र
पीएसएस एक्ट	- भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम
पीएसयू	- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
पीवीपी	- भुगतान बनाम भुगतान
क्यूई	- मात्रात्मक सहजता क्यूएफआई
	- अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशक
क्यूआईबी	- अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेता
क्यूआईपी	- अर्हताप्राप्त संस्थागत प्लेसमेंट
आर एन्ड डी	- अनुसंधान और विकास
आरएएफ	- जोखिम लेने की क्षमता ढांचा
आरबीआई	- भारतीय रिज़र्व बैंक
आरबीआईए	- जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा
आरबीआईक्यू	- भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रश्नोत्तरी
आरबीआईडब्ल्यूपीएस	- आरबीआई वर्किंग पेपर श्रृंखला
आरबीएस	- जोखिम आधारित पर्यवेक्षण
आरबीएससी	- भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय
आरसीजी	- एशिया के लिए क्षेत्रीय परामर्शी समूह
आरसी	- पुनर्निर्माण कंपनी
आरडी	- राजस्व घाटा
आरडीए	- रुपया आहरण व्यवस्था
आरईसीएस	- क्षेत्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा
आरईआईटी	- भू-संपदा निवेश न्यास
आरएफसीए	- वायदा संविदा खाते का पुनर्मूल्यन
आरएफपीआई	- पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक
आरजीएस	- जोखिम अभिशासन संरचना
आरएचएफ	- ग्रामीण आवास निधि
आरआईडीएफ	- ग्रामीण बुनियादी संरचना विकास निधि
आरएमडी	- जोखिम निगरानी विभाग
आरओए	- आस्तियों पर प्रतिलाभ
आरओसी	- विनियामक निगरानी समिति
आरओई	- इक्विटी पर प्रतिलाभ
आरओ	- क्षेत्रीय कार्यालय
आरआरबी	- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आरटीजीएस	- तत्काल सकल निपटान प्रणाली

आरटीआई एक्ट	- सूचना का अधिकार अधिनियम
आरडब्ल्यूए	- जोखिम भारित आस्तियां
एसएए	- स्वैप परिशोधन खाता
एसएएआरसी (सार्क)	- दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन
एसएआरएफईएसआई	- वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्संरचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन
एसबीआईजी	- आभासी बैंकिंग कार्यान्वयन समूह
एसबीपी	- स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान
एससी	- प्रतिभूतिकरण कंपनी
एससीएवी	- प्रभावशालिता के मूल्यांकन से संबंधित स्थायी समिति
एससीबी	- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
एससी	- अनुसूचित जाति
एसडीएफ	- विशेष आहरण सुविधा
एसडीएल	- राज्य विकास ऋण
एसडीआर	- विशेष आहरण अधिकार
एसडीआर	- रणनीतिपरक ऋण पुनर्रचना
एसडीएस	- छोटे आकार की सहयोगी संस्था
एसईबीआई	- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
एसईआईएस	- भारतीय स्कीम से सेवाओं का निर्यात
एसईपी	- स्व रोजगार कार्यक्रम
एसईजेड़	- विशेष आर्थिक क्षेत्र
एसएफ	- सार्कफाइनैंस
एसएफटी	- प्रतिभूति वित्तपोषण संव्यवहार
एसजीएल	- सहायक सामान्य खाता बही
एसएचजी	- स्वयं सहायता समूह
एसआईए	- औद्योगिक सहायता के लिए सचिवालय
एसआईबीएस	- प्रणालीगत आयात बैंक
एसआईसीए	- रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम
एसआईडीबीआई	- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
एसआईओएस	- सेवाएं और बुनियादी सेवा आउटलुक सर्वे
एसजेएसआरवाइ	- स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना
एसएलबीसी	- राज्य स्तरीय बैंकर समिति
एसएलसीसी	- राज्य स्तरीय समन्वय समिति
एसएलआर	- सांविधिक चलनिधि अनुपात
एसएमए	- विशेष उल्लेख खाते
एसएमसी	- वरिष्ठ प्रबंधन समिति
एसएमएस	- संक्षिप्त संदेश सेवा
एसएनबी	- स्विस नेशनल बैंक
एसपीएमसीआईएल	- सिक्यूरिटी प्रिंटिंग एंड मिटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
एसआरसी	- पर्यवेक्षण और विनियामक सहयोग पर स्थायी समिति
एसआरएस	- सुरक्षा प्राप्तियां
एसटीसीबी	- राज्य सहकारी बैंक
एसटीओ	- राज्य कोषागार कार्यालय
एसटीपी	- स्ट्रेट -थ्रू- प्रोसेसिंग
एसटी	- अनुसूचित जनजाति
एसडब्ल्यूएम	- दक्षिण-पश्चिम मानसून
एसडब्ल्यूएमए	- विशेष अर्थोपाय अग्रिम
टीएसी	- तकनीकी सलाहाकार समिति
टीएसीएस	- सर्वेक्षण पर तकनीकी परामर्शदात्री समिति
टीएजी	- तकनीकी सलाहाकार समूह
टीसी	- तकनीकी समिति
टीएलएसी	- कुल हानि-वहन क्षमता
टीओएलआईसी	- शहर राजभाषा कार्यान्वयन समिति
टीआर	- व्यापारिक रिपोजिटरी
टीआरईडीएस	- व्यापार प्राप्य राशि कटौती प्रणाली
यूबीडी	- शहरी बैंक विभाग
यूसीबी	- शहरी सहकारी बैंक

यूके	- यूनाइटेड किंगडम
यूएमपी	- अपारंपरिक मौद्रिक नीतियां
यूएस	- संयुक्त राष्ट्र अमरीका
यूएसडी	- अमेरिकी डॉलर
यूएसएसडी	- असंगठित अनुपूरक सेवा डेटा
यूटी	- संघशासित क्षेत्र
वीएपीटी	- प्रभावशालिता मूल्यांकन और व्यापन परीक्षण
वीएआर	- वेक्टर आटो रिग्रेशन
वीसी	- वीडिओ कान्फ्रेंसिंग
वीईसी	- वेक्टर त्रुटि सुधार
वीआईएफ	- भिन्न मुद्रास्फीति कारक
डब्ल्यूएसीआर	- भारित औसत मांग मुद्रा दर
डब्ल्यूएडीआर	- भारित औसत बट्टा दर
डब्ल्यूएडीटीडीआर	- भारित औसत देशी मीयादी जमा दर
डब्ल्यूएईआईआर	- भारित औसत प्रभावी ब्याज दर
डब्ल्यूएएलआर	- भारित औसत उधार दर
डब्ल्यूएलए	- व्हाइट लेबल एटीएम
डब्ल्यूएमए	- अर्थोपाय अग्रिम
डब्ल्यूओएस	- पूर्णता: स्वाधिकृत सहायक कंपनी
डब्ल्यूपीआई	- थोक मूल्य सूचकांक
डब्ल्यूएसएस	- साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक
एक्सबीआरएल	- एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज
जेडटीसी	- आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र

गवर्नर की नज़र में : वार्षिक रिपोर्ट, 2014-15

1. भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से भारत के जनसामान्य को यह सूचित किया जाता है कि पिछले वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक से कौन से कार्य करने की अपेक्षा की गई थी और कितने कार्य वास्तव में किए गए। इस रिपोर्ट में, भारतीय रिज़र्व बैंक आगामी वर्ष के लिए प्रस्तावों को भी प्रस्तुत करता है। हमारी कार्रवाई वर्तमान समष्टि-आर्थिक वातावरण तथा वित्तीय क्षेत्र के विकास के लिए हमारे बृहत मध्यावधि ढांचे से प्रभाव ग्रहण करते हुए की जाती है।

वर्तमान समष्टि-आर्थिक वातावरण की चुनौतियां

2. हाल के वर्षों में सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में समष्टि-आर्थिक स्थिरता कायम रखने के लिए भरसक प्रयास करने के बावजूद रिज़र्व बैंक के दृष्टिकोण से अभी भी तीन क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें ''कार्य प्रगति पर है'' की स्थिति बनी हुई है। पहला, आर्थिक विकास अभी भी उस स्तर से नीचे बना हुआ है जिसे प्राप्त करने की राष्ट्र में क्षमता है। दूसरा, जनवरी 2016 (अगस्त 2015 के प्रारंभ के अनुसार) के मुद्रास्फीति के अनुमान अभी भी भारतीय रिज़र्व बैंक के मुद्रास्फीति प्रयोजन-सीमा से अधिक बने हुए हैं। तीसरा, आधार दर में कटौती करने की बैंकों की इच्छा जिसके लिए उन्हें नये कारोबार आकर्षित करने हेतु मौजूदा उधारकर्ता से होने वाली आय को छोड़ना पड़ता है - यह स्थिति खामोश बनी हुई है, न केवल कमज़ोर कार्पोरेट निवेश से नये लाभदायक ऋणों की मात्रा घट गई है, बल्कि कुछ बैंकों की पूंजी की स्थिति एनपीए के कारण कमज़ोर पड़ गई है, जिसकी वजह से वे मुक्त रूप में उधार नहीं दे पाएंगे।

3. इसलिए रिज़र्व बैंक की अल्पकालिक समष्टि-आर्थिक प्राथमिकताएं बहुत ही स्पष्ट हैं: प्रस्तावित ग्लाइड-पथ के अनुरू प मुद्रास्फीति की दर को नीचे लाने पर फोकस करना, सरकार और बैंकों के साथ मिलकर दबावग्रस्त परियोजनाओं के समाधान कार्य में तेजी लाना तथा बैंक के तुलनपत्र को साफ-सुथरा बनाना, यह सुनिश्चित करना कि बैंकों के पास पूंजी उपलब्ध हो ताकि वे प्रावधान कर सकें, नई उधारी को समर्थन प्रदान कर सकें और इस प्रकार भविष्य में दरों में संभावित कटौती से आसानी से गुज़र सकें।

मुद्रास्फीति का उद्देश्य

4. भारतीय रिज़र्व बैंक ने सरकार के साथ एक ऐतिहासिक करार पर हस्ताक्षर किया है, जिसमें मध्यावधि में लचीली मुद्रास्फीति के उद्देश्य के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिदेश का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इस वर्ष में वित्त मंत्री ने भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श के बाद मौद्रिक नीति समिति की संरचना तैयार करने का प्रस्ताव किया है जिसे औपचारिक और कानूनी तौर पर नीतिगत निर्णय लेने का दायित्व सौंपा जा सकता है। यह एक ऐसी संस्था बनाने का स्वागत योग्य कदम है जिसकी हमें पारदर्शी तथा स्वतंत्र मौद्रिक नीति के लिए आवश्यकता है।

5. चलनिधि प्रबंधन की ओर देखें तो पाएंगे कि भारतीय रिज़र्व बैंक काफी हद तक विंडो व्यवस्था जहां से बैंक नियत मूल्य पर चलनिधि प्राप्त कर सकते हैं, से बाज़ार में चलनिधि की नीलामी करने की व्यवस्था तक आ गया है। इसका मकसद यह है कि इस प्रकार के पर्याप्त परिचालन किए जाएं ताकि भारित औसत मांग मुद्रा दर (सहकारी बैंकों द्वारा किए जानेवाले बाज़ार से इतर लेनदेन से उत्पन्न) को नीतिगत दर के निकट बनाए रखा जा सके। चलनिधि की आवश्यकता में तालमेल बनाए रखने के लिए अल्पकालिक लिखतों (जैसे - ओवरनाइट रेपो और रिवर्स रेपो) तथा दीर्घकालिक लिखतों जैसे - खुला बाजार परिचालन (ओएमओ) के बीच चयन करते समय बैंक इस बात का आकलन करता है कि वह अपनी ''स्थायी'' परिसंपत्तियों को किस गति से बढ़ाना चाहता है, जो विदेशी मुद्रा भंडार और सरकारी बांडों के योग पर निर्भर करता है और उसके अनुसार बैंक निर्णय लेता है।

दबावग्रस्त परिसंपत्तियां और तात्कालिक समाधान

6. बैंक की दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के बारे में कार्रवाई करते समय, भारतीय रिज़र्व बैंक का फोकस इस बात पर होता है कि महत्वपूर्ण वास्तविक परियोजनाओं को किस प्रकार से वापस क्रियाशील किया जाए। इसमें कई प्रकार की बाधाएं हैं। पहली, ''अनर्जक'' बन जाने का दाग लगना तथा ऋण से जुड़े प्रावधान (और लाभप्रदता में गिरावट), बैंक को इस दाग से बचने के लिए उकसाते हैं। कुछ मामलों में, वे इस हकीकत को नज़रअंदाज कर देते हैं कि मौजूदा ऋण को अवलिखित (रिटेन डाउन) करना ही पड़ेगा क्योंकि जब उन्हें मंजूर किया गया था तब से अब तक परिस्थितियां बदल चुकी हैं (जिनमें शामिल हैं - अत्यधिक विलंब, अत्यधिक लागत, मांग का अतिआशावादी अनुमान)। रेगुलेटरी सहिष्णुता के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों के लिए यह समझना आसान बना दिया है कि 'प्रदान करना और प्रदान करने का दिखावा करना' कोई समाधान नहीं है। चूंकि कोई अन्य हितधारक

- जैसे प्रवर्तक, शुल्क-दर प्राधिकारी और कर प्राधिकारी आदि का इसमें कोई योगदान नहीं है, इसलिए वास्तविक परियोजना ढीली पड़ जाती है और धीरे-धीरे अलाभकारी बन जाती है। इस बीच, विश्लेषक बैंक के तुलनपत्र और ''पुनः संरचित'' परिसंपत्तियों की बढ़ती हुई मात्रा के प्रति काफी शंकालु बन जाते हैं। दूसरी बाधा यह है कि कुछ बड़े प्रवर्तक बैंक के इस भय का कि कहीं परिसंपत्ति अनर्जक न बन जाए, फायदा उठाने लगते हैं और अनपेक्षित रियायतें हासिल करते हैं, जबकि वे अपनी शेयरधारिता के मूल्य में से कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते। अनेक उधारदाता सहायक विधेयक जैसे सरफेसी अधिनियम के बावजूद न्यायिक प्रक्रिया, पहुंच रखने वाले प्रवर्तकों से उधारदाताओं द्वारा अपने जायज़ बकायों को वसूलने की क्षमता के प्रति और भी बाधा बनी हुई है।

7. इस लकवाग्रस्त व्यवस्था तथा हानियों के अनुचित वितरण दोनों के उपचार के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने कई प्रकार की कार्रवाई की है। पहली, इसने ₹ 50 मिलियन से अधिक के ऋणों का डाटाबेस तैयार किया है (सीआरआइएलसी डाटाबेस) और बैंकों तथा एनबीएफसी को सूचित किया है कि वे ऋणों की स्थिति की सूचना नियमित रूप से देते रहें। दबावग्रस्त परियोजनाओं की समय रहते पहचान हो जाने से अच्छा मौका रहता है कि उन्हें दुबारा पटरी पर लाया जा सके। अतः यदि किसी ऋण का 60 दिन से अधिक अवधि तक अतिदेय पाया जाता है तो उस उधारकर्ता को उधार देने वाले सभी उधारदाता एक संयुक्त उधार मंच (जेएलएफ) में एकत्रित हों और इस बात पर विचार करें कि इससे जुड़ी समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए। जेएलएफ को समय का सख्ती से पालन करना होगा, अन्यथा परियोजन के ऋण की वर्गीकरण स्थिति को नीचे गिराना पड़ेगा। दूसरी ओर, यदि समय की पाबंदी की जाती है तो ऋण वर्गीकरण के ग्रेड को कम करना रोका जा सकता है। इसके अलावा, सभी ऋणदाताओं को एक मंच पर लाकर भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रवर्तकों तथा ऋणदाताओं के लिए आसानी पैदा कर दी है कि वे उनमें इस संबंध में की जाने वाली कार्रवाई के बारे में परस्पर सहमति बने, इससे यह काम भी मुश्किल हो जाएगा कि प्रवर्तक एक-दूसरे ऋणदाता के प्रति कोई खेल सके।

8. कुछ अन्य रेगुलेटरी कार्रवाइयां भी ध्यान देने योग्य हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने पुनःसंरचित ऋण के प्रति सहिष्णुता दृष्टिकोण समाप्त कर दिया है। अब पुनःसंरचित ऋण को अनर्जक ऋण के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। किंतु, खराब तरह की ऋण संरचना जैसी वास्तविक समस्या से निपटने के लिए बैंकरों को यह अनुमति दी गई है कि वे आधारभूत सुविधा तथा प्रमुख क्षेत्र को दिए गए अर्जक ऋणों के चुकौती प्रोफाइल को थोड़ा लंबा खींचें (जिसे ''5/25'' नियम कहा जाता है), बशर्ते वह परियोजना कमर्शियल प्रयोजनों के लिए तैयार हो, जिसका कमर्शियल-जीवन वास्तव में सुदीर्घ हो और ऋण का निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) का मूल्य बनाए रखा जा सके। भारतीय रिज़र्व बैंक ''5/25'' चुनिंदा सौदों में से कुछेक की आवधिक जांच करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे वास्तविक समायोजन के लिए ही सुविधा दे रहे हैं या फिर मूलधन के भुगतान को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर देने हेतु पिछले दरवाजे के माध्यम बन रहे हैं। ऋण पुनर्रचना के मामले में, भारतीय रिज़र्व बैंक और सेबी ने बैंकों को यह अनुमति दी है कि यदि दुबारा वह परियोजना दबावग्रस्त हो जाए तो ऐसे ऋणों को इक्विटी में बदलने के संबंध में उन खण्डों (क्लाजेज) का उल्लेख करें जो इस बात की अनुमति देते हैं। ऋण-पुनर्रचना की इस प्रकार की रणनीति से न केवल ऋणदाता का हाथ थोड़ा ऊपर रहेगा, बल्कि इससे परियोजना के कर्ज में भी कमी आएगी, इससे उनको वह नियंत्रण हासिल होगा जिससे वे परिसंपत्ति का पुनः नियोजन (जैसे-किसी अधिक प्रभावी प्रवर्तक के पास) भी कर सकेंगे।

9. इसके अलावा, इस प्रकार की समस्याओं के समाधान में तेजी लाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को इस संबंध में किए गए विभिन्न उपायों की क्षमता पर निगरानी करना है और जहां आवश्यक है वहां निवारात्मक कार्रवाई करनी है। बैंकों को पुनः पूंजी प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा धन दिए जाने का प्रस्ताव स्वागतयोग्य है, क्योंकि जैसाकि इसमें प्रस्ताव है कि धन का आबंटन तुलनपत्रों को साफ-सुथरा बनाने में हुई प्रगति पर निर्भर करेगा और स्वस्थ संवृद्धि का विकास किया जाएगा। भारतीय रिज़र्व बैंक आगामी वर्ष में होने वाली प्रगति का स्वागत करेगा अर्थात् उक्त के समाधान के लिए आवश्यक संस्थाओं का सृजन जैसे - नई बैंकरप्सी संहिता और कंपनी विधि न्यायाधिकरण जो इसको नियंत्रित करेंगे और वित्तीय समाधान प्राधिकरण (वित्तीय संस्था की दबाव समस्या के समाधान हेतु) की स्थापना करना।

मध्यावधि चुनौतियां

10. एक रेगुलेटरी दृष्टिकोण जो पूर्व में काफी प्रचलित रहा है, वह यह कि रेगुलेटरी सुधार की गति को हमारे बैंकों, खासतौर से हमारे सरकारी क्षेत्र के बैंकों की क्षमता को देखते हुए सीमित रखा जाए। बैंकिंग प्रणाली में वर्तमान दबाव से पता चलता है कि वास्तविक अर्थव्यवस्था बैंकिंग प्रणाली का इंतज़ार नहीं करेगी और सुधार की धीमी गति बैंकिंग प्रणाली में मौजूद जोखिम को

कम करने के बजाय और बढ़ा देगी। वित्तीय क्षेत्र में कई मोर्चों पर सुधार करने की आवश्यकता है।

11. भारत जैसे बड़े और घनी आबादी वाले देश में सुधारों को अंधेरे में नहीं दागा जा सकता, इससे तो अर्थव्यवस्था में और अधिक अनिश्चितता और जोखिम पैदा हो जाएगा। जहां भी संभव है, हमें निरंतर और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना है ताकि सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहे जबकि उनसे उत्पन्न होने वाले जोखिमों को सदैव सीमित रखा जाए। इस संदर्भ में एक चीनी कहावत सटीक है - ''पैरों के नीचे पत्थरों को महसूस करते हुए नदी पार करना''। यह हमारी स्वयं की सुधार-प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने के लिए बहुत उपयुक्त मिसाल है।

12. वित्तीय क्षेत्र में हमें और अधिक प्रवेश एवं प्रतिस्पर्धा के माध्यम से क्षमता बढ़ाने की ज़रूरत है। जब प्रतिस्पर्धात्मक रण-भूमि एक स्तर पर पंहुच जाएगी तब सबसे उपयुक्त संस्थाएं टिकी रह जाएंगी, इसके लिए हमें जहां संभव हो रेगुलेटरी विशेषाधिकार और रुकावटों को हटाना होगा, खासतौर से कुछ रूप में स्वामित्व को लेकर या कुछ खास प्रकार की संस्था के स्वरूप को लेकर जहां पक्षपात हो। हमें अपने वित्तीय बाज़ारों में सहभागिता को और बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि उनके आकार, उनकी गहराई और चलनिधि में वृद्धि हो सके। आर्थिक सहायता या सब्सिडी के माध्यम से सहभागिता बढ़ाना उत्तम नहीं है बल्कि सहायक संरचना का निर्माण करके जो पारदर्शिता को बेहतर बनाए, संविदागत प्रवर्तन, और अनुचित प्रथाओं के विरुद्ध बाज़ार सहभागियों को संरक्षण प्रदान करके। सहायक संरचना की लागत को कम करने में प्रौद्योगिकी बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है, और अभी भी जो आबादी वंचित है उसे वित्तीय दायरे में लाया जा सकता है। मैं बहुत ही स्पष्ट रूप में कहना चाहता हूँ कि यही वो चिंतन हैं जो हमारे मध्यावधि सुधार का मार्गदर्शन करेंगे।

बैंकिंग और अन्य वित्तीय संस्थाएं

13. बैंकिंग प्रणाली पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों का वर्चस्व है। जहां अनेक असाधारण अधिकारियों ने लंबे समय से सरकारी क्षेत्र के बैंकों को आगे बढ़ाया है, वहीं हाल में बैंकों के निष्पादन में कमी से यह पता चलता है कि उसमें सुधार करने की गुंजाइश है। नायक समिति रिपोर्ट के अनुसरण में सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इन बैंकों में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद अलग-अलग कर दिए जाएं, जिससे इन पदों में से कई पदों पर निजी क्षेत्र के उम्मीदवारों पर भी विचार करने के लिए दरवाज़े खुल जाएंगे, और उपयुक्त अनुभव के पेशेवर बोर्ड सदस्यों को लेते हुए इन बैंकों के बोर्डों को पेशेवराना बना दिया जाएगा। इसके अलावा, सरकार का बैंक बोर्ड ब्यूरो (बीबीबी) स्थापित करने का इरादा है, जिसमें उच्च प्रतिष्ठावाले प्रसिद्ध व्यक्ति शामिल होंगे जिन्हें डोमेन का अनुभव होगा, जो नियुक्ति प्रक्रिया का कार्य संभालेंगे।

14. भारतीय रिज़र्व बैंक ने रेगुलेशन के माध्यम से सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्डों के छोटे-छोटे कार्यों के नियंत्राण से स्वयं को हटा लिया है और बोर्डों को इस बात की अनुमति दे दी है कि वे स्वयं यह निर्धारण करें कि कार्यनीति-योजना, जोखिम प्रबंधन, लेखांकन आदि के अपने दायित्वों को वे किस प्रकार निभाएंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक ने निजी क्षेत्र के बैंक बोर्ड सदस्यों को मिलने वाले मुआवजे को भी उदार बना दिया है, हालांकि थोड़ी सी निगरानी रखी है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बोर्ड के सदस्यों को उचित रूप से प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

15. चूंकि सरकारी क्षेत्र के बैंक प्रतिभाएं हासिल करने के लिए उसी बाज़ार में स्पर्धा कर रहे हैं जहां से निजी क्षेत्र के बैंक और विदेशी बैंक कर रहे हैं और चूंकि गत वर्षों में प्रतिभाएं लेने का कार्य ठप्प कर दिया गया था इसलिए मध्य-प्रबंधन के स्तर पर कौशल-अंतराल बढ़ रहा है, यदि उन्होंने मध्य-प्रबंधन और वरिष्ठ प्रबंधकों तथा बोर्ड के सदस्यों को उपयुक्त मुआवजा देने के लिए ध्यान नहीं दिया तो उन्हें इसका अनावश्यक रूप से खमियाज़ा भुगतना पड़ेगा। निःसंदेह, अधिक वेतन के साथ बेहतर निष्पादन की जवाबदेही तो जुड़ ही जाती है। यह देखते हुए कि एक जैसा कार्य करने के लिए निजी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में अनेक सरकारी क्षेत्र के बैंकों की लागतें अधिक है, इसलिए इस बात की थोड़ी गुंजाइश है कि मुआवज़े के पैटर्न को बेहतर बनाने के साथ-साथ लागत को भी युक्तिसंगत बनाया जाए। वहीं पर, हमें यह मानना होगा कि सरकारी क्षेत्र के बैंक ऐसी लोकहित की गतिविधियों को भी अंजाम देते हैं (जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खातों का रोलआउट) जिसका पूरा मुआवज़ा नहीं दिया जाता है। सरकार को चाहिए कि वह स्पर्धा में खेल का स्तर समान बनाए रखे और वह लोकहित के जिन कार्यों को करवाना चाहती है उसका बैंक को पूरा-पूरा मुआवज़ा दे।

16. भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री आर. गांधी के तत्वावधान में गठित समिति ने शहरी सहकारी बैंकों में मालेगाम समिति की रिपोर्ट को कार्यान्वित करते हुए गवर्नेंस को बेहतर बनाने के तरीके बताए हैं। समिति की सिफारिशों के मूल्यांकन एवं कार्यान्वयन के बाद नये शहरी सहकारी बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने पर विचार किया जाएगा। समिति ने ऐसे तौर-तरीकों का भी प्रस्ताव किया है जिसके माध्यम से बहु-प्रदेशीय सहकारी बैंकों सहित अच्छी तरह से कार्य कर रहे सहकारी बैंकों को संयुक्त स्टॉक कंपनियों में बदला जा सकता है।

17. बैंकिंग क्षेत्र स्पर्धा के मामले में काफी परिवर्तन का एहसास करेंगे क्योंकि दो नये युनिवर्सल बैंकों का परिचालन प्रारंभ हो रहा है और कई भुगतान बैंकों तथा छोटे वित्त बैंकों को इस साल के अंत में लाइसेंस के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। भुगतान बैंक देश के कोने-कोने में बैंक खाता प्रदान करेंगे तथा नई प्रौद्योगिकी एवं नये भौतिक-एक्सेस-बिंदु के माध्यम से भुगतान तथा नकदी अंतरण को सहज बनाएंगे। छोटे वित्त बैंकों से अपेक्षा है कि वे छोटे खिलाड़ियों को ऋणों का आबंटन करेंगे और वित्तीय सेवाएं प्रदान करेंगे। मुद्रा लिमिटेड भी अनिगमित ऋण-दाताओं को पुनर्वित्त तथा प्रतिभूतिकरण की सेवाएं प्रदान करके उपर्युक्त प्रयासों में सहायता प्रदान करेगा। लाइसेंस प्रदान करने के प्रथम चक्र से प्राप्त अनुभवों की समीक्षा करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक का इरादा यह है कि लाइसेंसीकरण प्रक्रिया को ''आवश्यकता आधार'' बना दिया जाएगा और जब भी लाइसेंस हेतु आवेदन प्राप्त होंगे उनपर इसी आधार पर विचार किया जाएगा।

18. गैर-बैंकिंग वित्ती कंपनियां (एनबीएफसी) हमारे वित्तीय परिदृश्य का अभिन्न एवं महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने समस्त एनबीएफसी के लिए रेगुलेशन को व्यवस्थित करने का प्रयास किया है और यदि कोई एनबीएफसी सिस्टम के अनुसार नहीं है, जिसके पास खुदरा ग्राहक नहीं है या फिर जनता से धन नहीं जुटाती है, उनके मामले में रेगुलेटरी दबाव को कम कर दिया गया है। रिज़र्व बैंक ने विभिन्न प्रकार की एनबीएफसी तथा एनबीएफसी के बीच एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं के लिए एनपीए, पूंजी की आवश्यकता तथा प्रावधानीकरण की अपेक्षाओं आदि से संबंधित रेगुलेशंस को सुसंगत बना दिया है।

अन्य विनियामकीय (रेगुलेटरी) परिवर्तन

19. रेगुलेशन से संबंधित नये बासेल मानदंडों को कार्यान्वित किया जाना है। रिज़र्व बैंक ने लीवरेज अनुपात, प्रतिचक्रीय पूंजी बफर, घरेलू स्तर पर प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों के लिए पूंजी, बड़े एक्सपोजर की अपेक्षित सीमा, और विभिन्न चलनिधि अनुपात के संबंध में ढांचे तैयार किये हैं। जहां रिज़र्व बैंक अंतरराष्ट्रीय मान्यताओं में घरेलू-स्थितियों के अनुरूप काट-छांट करेगा वहीं इसका इरादा अंतरराष्ट्रीय वचनबद्धताओं को समय पर पूरा करना है।

20. रेगुलेशंस में तेजी से होते हुए परिवर्तनों को देखते हुए हमें समय-समय पर पीछे देखने और समस्त रेगुलेटरी पुस्तिका को बदलने की ज़रूरत है। इसे ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक की योजना है कि 1 जनवरी, 2016 तक अच्छी तरह से संशोधित मास्टर दस्तावेज लाया जाए जिसमें विभिन्न रेगुलेटरी मामले शामिल रहेंगे। प्रत्येक मास्टर-दस्तावेज एक विषय पर लागू विनियमों के बारे में यूजर-फ्रेंडली कंपेंडियम होगा। प्रत्येक को वास्तविक समय पर अद्यतन किया जाएगा, और यह कोशिश होगी कि जहां संभव हो रेगुलेशंस को व्यवस्थित और आसान बनाया जाए।

पर्यवेक्षीय परिवर्तन

21. जैसे-जैसे हमारे विनियमों में परिवर्तन होता है, उसी प्रकार पर्यवेक्षण में भी होना चाहिए। हम सूचनाओं को एकत्रित करने तथा उन्हें प्रसारित करने की अपनी प्रणाली, अपने निरीक्षण तथा विश्लेषण के तरीके और अपने स्टाफ की क्षमताओं को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। हम निरंतर आधार पर रेगुलेशंस को युक्तिसंगत बनाते रहेंगे लेकिन अनुपालन न करने की स्थिति में अत्यधिक कड़ाई की जाएगी।

22. बड़े ऋणों के बारे में सीआरआइएलसी डाटाबेस के माध्यम से; नई धोखाधड़ी रजिस्ट्री जिसमें धोखाधड़ी को पकड़ने तथा बैंकिंग धोखाधड़ी से रुबरू होने का विस्तृत ढांचा जुड़ा हुआ है, के माध्यम से; तथा बैंक के दबावग्रस्त होने के बारे में पहले से ही चेतावनी देने वाली नई प्रणाली के माध्यम से और अधिक जानकारी एकत्रित एवं प्रसारित की जा रही है। इसके अलावा, हमारी योजना है कि हमारे समस्त पर्यवेक्षी डाटा को बाधारहित डाटाबेस से जोड़ दिया जाए।

23. भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2013 में हमारे कुछ बड़े बैंकों का जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण करना प्रारंभ किया है। इस संबंध में हुए अनुभवों का हम मूल्यांकन कर रहे हैं तथा बहुपक्षीय एजेंसियों की सहायता से उन्हें संगत बनाते हुए अपनी पद्धतियों

को परिष्कृत कर रहे हैं। हम अपनी वित्तीय स्थिरता इकाई के माध्यम से प्रणालीगत जोखिम का भी मूल्यांकन कर रहे हैं।

24. प्रौद्योगिकी में होने वाले परिवर्तनों को देखते हुए बैंक और प्रणाली दोनों स्तरों पर साइबर-सुरक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक अपने निरीक्षकों की सक्षमताओं को उन्नत बनाने के बारे में भी कार्य कर रहा है ताकि वे बैंक-प्रणाली की लेखा-परीक्षा कर सकें और उनमें निहित प्रभावित करने वाली खामियों का पता लगा सकें। भारतीय रिज़र्व बैंक एक आईटी सहयोगी संस्था स्थापित करने की प्रक्रिया में है जो उद्योग से सीधे ही भर्ती कर सकेगी और जो रिज़र्व बैंक को बेहतर नियंत्रण योग्यता प्रदान करेगी तथा प्रौद्योगिकी पर निगरानी रखेगी।

25. अंततः, भारतीय रिज़र्व बैंक राज्यस्तरीय समन्वय समिति (एसएलसीसी) को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सहायता प्रदान करेगा ताकि वे लोगों के विश्वास का दुरुपयोग करने से पहले ही अनधिकृत वित्तीय परिचालकों का पता लगा सकें। एसएलसीसी की उप-समिति इस संबंध में रेगुलेटरों तथा कानून-प्रवर्तन प्राधिकारियों से निरंतर संपर्क बनाए रखेगी। भारतीय रिज़र्व बैंक, एसएलसीसी को वेबसाइट विकसित करने में सहायता प्रदान करेगा, जहां से जनसाधारण सूचना प्राप्त कर सकेंगे और सूचना दे सकेंगे कि गैर-बैंक परिचालकों द्वारा दी जा रही सेवाएं कितनी वैध हैं।

ऋण प्रबंधन और बाज़ार

26. भारतीय रिज़र्व बैंक केंद्र सरकार और राज्य सरकार के ऋण निर्गमों के प्रबंधन का कार्य करता रहा है ताकि जोखिम कम हो और साथ ही लेनदेन तथा वित्त पोषण की लागतें न्यूनतम रखी जा सकें। इसका अर्थ यह है कि अन्य बातों के साथ-साथ मध्यावधि के लिए एक स्पष्ट ऋण नीति तैयार करना, निर्गमों की परिपक्वता अवधियां अलग-अलग रखना ताकि प्रतिभूतियों का समूहन न किया जा सके तथा कुछ परिपक्व निर्गमों की स्विचिंग या पुनर्खरीद न की जा सके। इसका यह भी आशय है कि चलनिधि की स्थिति को बेहतर बनाना, लंबे समय के खिलाड़ियों जैसे - पेंशन निधि और बीमा कंपनियों की भूमिका को बढ़ाते हुए सरकारी प्रतिभूतियों हेतु बाज़ार में समुत्थान-शक्ति एवं गहनता पैदा करना, विदेशी पोर्टफोलियों निवेशकों के लिए और अधिक गुंजाइश पैदा करने जो भविष्य-सूचक हो और घरेलू फुटकर निवेशकों के लिए आसानी पैदा करना ताकि वे 'डीमैट' खातों के माध्यम से सहभागिता कर सकें।

27. सरकार की ओर से ऋण जारी करने के अलावा भारतीय रिज़र्व बैंक सरकारी इलेक्ट्रानिक भुगतान एवं प्राप्तियों तथा उसके लेखांकन कार्य को सहज बनाने के बारें में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के साथ निकटता से कार्य करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक अपने ई-कुबेर प्लेटफार्म के माध्यम से इसके कुछ कार्य स्वतः करता रहा है ताकि लागत को कम किया जा सके।

28. सरकार ने ऋण प्रबंध के लिए एक अलग एजेंसी पीडीएमए बनाने की घोषणा की है। इस पर सार्वजनिक चर्चा में कभी यह सुझाव दिया गया था कि एक स्वतंत्र पीडीएमए की स्थापना, जिसमें हितों का कोई संघर्ष नहीं होगा, सरकारी बांडों के प्रतिफल में भारी कमी आ जाएगी, ऐसा मुख्यता इसलिए होगा क्योंकि इस प्रकार की एजेंसी बंधे हुए सरकारी-स्वामित्व वाली या सरकार द्वारा रेगुलेटेड संस्थाओं को ऋण बेचने में असमर्थ रहेगी और इस प्रकार से सरकार को अपना राजकोषीय घाटा कम करने के लिए बाध्य करेगी। सरकार की राजकोषीय समेकन के पथ में आगे बढ़ते रहने की मंशा को देखते हुए इस प्रकार की व्यवस्था का फायदा बहुत ही छोटा होगा। जो भी हो, भारतीय रिज़र्व बैंक किसी भी कीमत पर पीडीएमए की स्थापना के लिए सरकार के साथ निकट से मिलकर कार्य कर रहा है।

29. भारतीय रिज़र्व बैंक की यह मान्यता है कि बैंकिंग प्रणाली के पूरक के रूप में और प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए एक गतिमान वित्तीय बाज़ार की अहम भूमिका है जो जोखिमों को संवितरित कर देता है और समाहित कर लेता है। हमारा फोकस इस बात पर है कि अनेक प्रकार के उत्पाद लाए जाएं और सहभागी बढ़ाए जाएं तथा लेनदेन की लागत को भी कम किया जाए, साथ ही यह भी ध्यान रखा जाए कि वित्तीय स्थिरता बनी रहे।

30. कार्पोरेट ऋण बाज़ार में गतिविधियों को बढ़ाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को ऐसे दीर्घकालिक बांड जारी करने की अनुमति दी है जो रेगुलेटरी परिकल्पना से मुक्त होंगे। रिज़र्व बैंक ने अंतरराष्ट्रीय रुपया बाज़ार बनाने को प्रोत्साहित किया है और बहुपक्षीय संस्थाओं को विदेश में रुपये बांड जारी करने की अनुमति प्रदान की है और भारतीय कार्पोरेट्स को भी इसी प्रकार की अनुमति प्रदान की जाएगी। इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि साख-सुविधाओं के माध्यम से बैंक किस प्रकार से कार्पोरेट बांड के साख-निर्धारण को बढ़ा सकते हैं। अंततः, हालांकि कार्पोरेट बांड बाज़ार को वास्तव में उभारने के लिए एक तीव्र बैंकरप्सी प्रणाली की आवश्यकता होगी । सरकार ने यह

निर्देश दिया है कि वह इसे शीघ्रता से लागू करेगी ।

31. भारतीय रिज़र्व बैंक ने नये लिखतों जैसे एक्सचेंज में व्यापारयोग्य ब्याज दर फ्यूचर्स के विकास को प्रोत्साहित किया है। बैंक की यह योजना है कि ब्याज दर आप्शंस, अनेक प्रकार के स्वैप्स (स्वैप निष्पादन सुविधा सहित), तथा एक से दूसरी करेंसी में फ्यूचर्स तथा आप्शंस के लिए मार्ग खोले जाएं। जहां संभव होगा, भारतीय रिज़र्व बैंक लिखत प्रारंभ करते समय अनेक डिज़ाइन के लिखतों को लाने और सहभागिता की अनुमति देने में अधिक उदारता बरतेगा, और एक बार इस कारोबार के गति पकड़ लेने के बाद उसके स्थिरता संबंधी मुद्दों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा।

करेंसी और भुगतान

32. हमारा देश अभी भी बहुत से लेनदेन के लिए प्रत्यक्ष करेंसी पर निर्भर है। भारतीय रिज़र्व बैंक जारी किए जा रहे बैंक नोटों की गुणवत्ता बढ़ाने पर लगातार ज़ोर दे रहा है, साथ ही यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि नोटों को हर उस स्थान पर उपलब्ध करवाया जाए जहां उसकी आवश्यकता है। बैंक नोटों की एक नई श्रृंखला शीघ्र ही जारी की जाएगी और हम प्लास्टिक/पालिमार से बनी नोट जारी करने के लिए एक प्रारंभिक परियोजना की शुरुआत करना चाहते हैं। हमने करेंसी के वितरण के लिए संभार-तंत्र की व्यवस्था का भी परीक्षण किया है तथा हम अपने वर्तमान मॉडल में भारी परिवर्तन करना चाहते हैं, जिसमें इस बात पर अधिक ज़ोर दिया जाएगा कि बैंक करेंसी को भंडारित करने एवं उसके वितरण का कार्य लेने के लिए प्रोत्साहित हों। इसके अलावा, हमारा ज़ोर इस बात पर भी होगा कि सिक्कों (सिक्का मशीनों में तथा सिक्का एकत्रीकरण कार्यक्रमों के माध्यम से) तथा नोटों (ऐसे एटीएम के माध्यम से जो नकदी नोटों को स्वीकार करे और उन्हें पुनः परिचालित करे) को वापस लेने का कार्य विकेंद्रीकृत कर दिया जाए।

33. यह एक सच्चाई है कि कुछ समय बाद नकदी का इस्तेमाल कम होता जाएगा और लेनदेन की कीमतें कम हो जाएंगी तथा काले धन की भूमिका घट जाएगी। भारतीय रिज़र्व बैंक सरकार के साथ मिलकर इलेक्ट्रानिक भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य कर रहा है। नई संस्थाएं जैसे भारत बिल भुगतान प्रणाली, और नई प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से मोबाइल के माध्यम से भुगतान जैसी प्रणाली स्थापित होंगी जिनसे इस प्रकार के भुगतान आसानी से किए जा सकेंगे।जहां भारतीय रिज़र्व बैंक का यह मानना है कि इसके लिए रेगुलेटरी व्यवस्था अपनाई जाए और उसे प्राप्त करने के लिए वह हितधारकों के साथ मिलकर कार्य करेगा, वहीं यह बात सहन नहीं की जाएगी कि कोई उपयोगकर्ता केवल इस आधार पर उनका उल्लंघन करे कि वर्तमान रेगुलेशन पुराने हो गए हैं। उदाहरण के लिए, किसी परिचालक से छोटे मूल्य के भुगतानों के संबंध में नियमों का उल्लंघन करना बंद करने के लिए कहने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने किसी जारीकर्ता को यह अनुमति दे दी है कि वह छोटे मूल्य के भुगतानों के लिए दो - व्यक्तियों द्वारा प्रमाणन प्रक्रिया को त्याग दे, बशर्ते उसके लिए कुछ सुरक्षा व्यवस्था मौजूद हो। भारतीय रिज़र्व बैंक का विश्वास है कि समय बीतने के साथ-साथ मोबाइल और इंटरनेट-आधारित भुगतान व्यवस्था में विस्फोट पैदा होगा और वह वित्तीय क्षेत्र के साथ मिलकर उसे सहज बनाने के लिए कार्य कर रहा है।

वित्तीय समावेशन

34. प्रधानमंत्री की जन धन योजना ने बड़ी आबादी के लिए खातों का आधार बना दिया है। सरकार ने अगले कदम के रूप में इन खातों से अनेक वित्तीय सेवाएं जैसे दुर्घटना और जीवन बीमा और प्रत्यक्ष लाभ भेजना जैसे-छात्रवृत्ति, पेंशन तथा सब्सिडी जमा करना जोड़ दिया है। हमें कारोबार प्रतिनिधि, भुगतान बैंक, प्वाइंट ऑफ सेल मशीनों के माध्यम से बैंक खातों तक पहुंच को आसान बनाना होगा ताकि उनका बार-बार उपयोग हो। गृहस्थों के लिए वित्तीय समावेशन की दिशा में हमारा अगला उद्देश्य होगा भुगतान को आसान बनाना, नकदी जमा करने तथा नकदी निकालने की सुविधाओं तक पहुंच, तथा बड़े पैमाने पर सुरक्षित बचत लिखतों की उपलब्धता की व्यवस्था करना।

35. हमें छोटे उत्पादनकर्ताओं के लिए उधार लेना आसान बनाना होगा, चाहे वे किसान हों, स्वयं सहायता समूह हो या कारोबार हों। इसके लिए हमें बड़ी शिद्दत से ऋण-सूचना ब्यूरो, संपार्श्विक रजिस्ट्रीज तथा ऋण वसूली न्यायाधिकरणों की संरचना तथा कार्य-प्रणाली में सुधार करना होगा, ऋण का प्रवाह तब आसानी से होता है जब उधारदाता को यह यक़ीन दिलाया जाए कि उसका पैसा वापस मिल जाएगा, इसलिए यदि ऋण मिलना आसान होता है तो ऋण चुकाने में चूक को रोकने की प्रणाली भी होनी चाहिए। शायद संपार्श्विक मूल्य का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत भूमि है। हमें पूरे देश में भूमिकी डिजिटल पैमाइश तथा भूमि-स्वामित्व का एक अच्छा रिकॉर्ड चाहिए ताकि भूमि का संपार्श्विक के रूप में प्रभावी इस्तेमाल हो सके।

36. नई संस्थाएं जैसे- व्यापार प्राप्य मितिकाटा प्रणाली (जहां छोटी फर्में बड़ी फर्मों से प्राप्यों को विक्रय हेतु पोस्ट कर सकती है) और लघु वित्त बैंक की स्थापना की जा रही है ताकि छोटी फर्मों को ऋण आसानी से मिल सके। मुद्रा लिमिटेड से भी छोटे-छोटे उत्पादकों को ऋण प्रदान करने के नवोन्मेषी नये चैनल शुरू किए जाएंगे।

37. भारत में प्राथमिकता क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जिसमें संभाव्यता बहुत हैं और विश्वसनीय है, लेकिन किसी विशेष व्यवस्था के अभाव में उन्हें समय पर और पर्याप्त ऋण नहीं मिल पाता है। खासतौर से ये छोटी-छोटी राशि के ऋण होते हैं जैसे किसानों के लिए कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों के लिए, सूक्ष्म और लघु उद्योगों, गरीब लोगों को आवास के लिए, विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए तथा अन्य अल्प आय वाले समूहों एवं कमज़ोर वर्गों को ऋण की आवश्यकता होती है। भारत के संदर्भ में, ऐसे क्षेत्र पूरे भारत में पाए जाते हैं, खासतौर से पहाड़ी और तटीय क्षेत्रों में विद्यमान हैं।

38. प्राथमिकता क्षेत्र की गतिविधियों को बैंकों को अपने सामान्य कारोबार-परिचालन के रूप में करते रहना है, इसलिए बैंकों से यह उम्मीद की जाती है कि वे इसे कारपोरेट सामाजिक दायित्व के रूप में न देखें। जहां तक रिज़र्व बैंक की बात है, इस संबंध एक महत्वपूर्ण सुविधा यह दी गई है कि ऐसे समस्त ऋण के मूल्य-निर्धारण को स्वतंत्र बना दिया गया है, बशर्ते मूल्य-निर्धारण दोहन स्वरूप के न हों। प्राथमिकता क्षेत्र में किए जा रहे प्रयास तब तक सफल नहीं होंगे जबतक बाज़ार के खिलाड़ी उसकी संरचना, उत्पादों तथा प्रक्रियाओं में नवीनता लाने का जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं होंगे।

39. भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र से संबंधित दिशानिर्देशों को पुनः तैयार किया है ताकि बदलती हुई अर्थव्यवस्था में वंचित या राष्ट्रीय स्तर की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को दिए जाने वाले उधार पर ज़ोर दिया जा सके। विशेष रूप से इसमें छोटे और सीमांत किसानों के लिए 8 प्रतिशत का समायोजित निवल बैंक ऋण का नया लक्ष्य रखा गया है तथा सूक्ष्म उद्यमों के लिए 7.5 प्रतिशत का लक्ष्य है, वही मध्यम आकार की फर्मों को सामाजिक रूप से बुनियादी सुविधाओं जैसे प्रसाधन और ऊर्जा के नवीकरण हेतु निवेश को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण माना जाएगा।

40. वित्तीय समावेशन का यह भी आशय है कि इसमें शामिल किए गए नये और विशेष तरह के अपरिष्कृत ग्राहकों को अधिक संरक्षण प्रदान किया जाए, एक आसानी से पहुंच बनाने तथा तेजी से शिकायत निवारण की प्रक्रिया हो, और वित्तीय साक्षरता के लिए और भी विस्तारित प्रयास हो। जनता से परामर्श करके भारतीय रिज़र्व बैंक ने उपभोक्ता अधिकार चार्टर विकसित किया है। बैंकों के बोर्डों से कहा गया है कि वे इस प्रकार की संरचना लागू करें जिससे उन अधिकारों की रक्षा हो सके। इस संरचना को कार्यान्वित कर दिए जाने के कुछ समय बाद भारतीय रिज़र्व बैंक उनमें से सर्वोत्तम प्रथाओं तथा आवश्यक रेगुलेशन, यदि आवश्यक हुआ तो, बनाए जाने पर विचार करेगा। तब तक भारतीय रिज़र्व बैंक फील्ड विजिट (दौरा) करेगा और गलत प्रकार से किए जा रहे विक्रय तथा बैंक की बुनियादी सुविधाओं जैसे शाखाओं तथा एटीएम की जांच करेगा और इस कार्य को और भी विस्तारित किया जाएगा।

41. भारतीय रिज़र्व बैंक अपनी बैंकिंग लोकपाल प्रणाली की समीक्षा कर रहा है ताकि यह देखा जा सके कि इस प्रणाली को किस प्रकार से गैर-बैंक क्षेत्र के लिए भी लागू किया जा सकता है तथा इसे किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। प्रत्येक बैंक से यह भी कहा गया है कि वे आंतरिक रूप से लोकपाल प्रणाली स्थापित करें जो बैंक के शिकायती मामलों की जांच करेगी और यह देखेगी कि उस शिकायत को भारतीय रिज़र्व बैंक की लोकपाल प्रणाली को भेजने से पहले क्या उसका समाधान संभव है।

42. वित्तीय साक्षरता, चाहे वह स्कूलों में पाठ्यक्रमों के माध्यम से दी जाए, बैंकों तथा रिज़र्व बैंक द्वारा साक्षरता कैंपों के माध्यम से, या समाचारपत्र अथवा सोशल मीडिया अभियान द्वारा दी जाए, अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अफसोस की बात है कि धोखेबाज़ आपरेटरों ने पाया है कि लालच शिक्षा पर भारी पड़ती है। पढ़े-लिखे लोग भी इस उक्ति 'यदि कोई बात इतनी अच्छी हो कि सत्य से भी परे लगे तो शायद वह सच ही होगी' के अनुसार आचरण नहीं कर पाते हैं। जो भी हो, यह हमारा कर्तव्य है कि हम कोशिश करें और अपने लोगों को बताने का प्रयास करें और हम उन शातिर तथा नई प्रौद्योगिकी, जन एवं सामाजिक मीडिया का इस्तेमाल करने वालों से कहीं बेहतर तरीके से लोगों तक अपनी पहुंच बना सकेंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक इस प्रकार की मुहिम को बढ़ावा देगा और उनपर अधिक फोकस करेगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक में संगठनात्मक परिवर्तन और मानव संसाधन विकास

43. रिज़र्व बैंक ने इसकी बदलती हुई जिम्मेदारियों, खासतौर से अधिक विशेषज्ञता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए

कुछ नये विभाग बनाए है, कुछ को दूसरे में मिला दिया है और इस प्रकार स्वयं को 5 नये क्लस्टर में पुनः संगठित किया है : मौद्रिक नीति और अनुसंधान; 2) विनियम और जोखिम प्रबंधन; 3) पर्यवेक्षण और समावेशन; 4) वित्तीय बाज़ार और बुनियादी सुविधा; तथा 5) मानव संसाधन और परिचालन। यह पुनर्रचना इसी वर्ष की गई है।

44. इसके बाद से, अधिकांश अधिकारियों की भर्ती उन्नत सामान्य प्रवेश परीक्षा (2015 से प्रारंभ) के माध्यम से की जाएगी, जिन्हें प्रारंभिक प्रशिक्षण के दौरान बैंक के बारे में समग्र रूप से बताया जाएगा, और उसके बाद उनके प्रारंभिक वर्षों में कुछेक क्लस्टर के बारे में स्वयं को विशेषज्ञता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। विशेषज्ञता (स्पेशलाइजेशन) को प्रोत्साहित करने के लिए बैंक विशेष रूप से कुछ सुयोग्य कर्मचारियों को उसी स्थान पर पदोन्नति देने पर विचार कर सकता है। किंतु अधिकांश कर्मचारियों के मामले में, जैसे-जैसे वे वरिष्ठ होते जाएंगे, कौशल-निर्माण की प्रक्रिया में बदलाव आएगा और तकनीकी-कौशल प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रबंधकीय-कौशल प्राप्त करने में बदल जाएगी। इन अधिकारियों को जब वे अत्यधिक वरिष्ठ स्तर के हो जाएंगे, क्लस्टर के बीच पुनः मुक्त रूप से तैनात किया जाएगा।

45. बैंक अपनी आवश्यकता तथा स्टाफ-सदस्यों की विशेषज्ञता रुचि को ध्यान में रखकर और भी तैनातियां कर सकता है। इसका आशय यह भी है कि हम स्टाफ को मूल्यांकन केंद्र के माध्यम से उनकी अपनी मनोवृत्ति (एप्टीट्यूड) का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करेंगे और इस प्रकार और भी विभेदीकृत निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली के माध्यम से उन्हें उनकी शक्तियों और कमज़ोरियों को जानने में मदद मिलेगी। हमें सावधानीपूर्वक जॉब-प्रोफाइलिंग करके विभिन्न प्रकार के कार्यों की आवश्यकता का भी पता लगाना होगा। स्टाफ-सदस्यों को प्रशिक्षण देना होगा, साथ ही छात्रवृत्ति प्रदान करनी होगी ताकि उनमें आवश्यक कौशल पैदा हो तथा पाई गई खामियों को दूर करने का उपाय करना होगा। हमारी भारतीय रिज़र्व बैंक अकादमी बनाने की योजना है ताकि भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ और बैंक अधिकारियों को उच्च स्तरीय कौशल प्रदान किया जा सके। और जो स्टाफ-सदस्य लगातार अच्छे कार्य कर रहे हैं उन्हें और भी चुनौतीपूर्ण कार्य सौंपते हुए पुरस्कृत किया जाए। इन सबके लिए मानव संसाधन विकास की दिशा में अत्यधिक प्रयास करने की ज़रूरत है जो अत्यंत आवश्यक है।

समापन

46. भारतीय रिज़र्व बैंक एक कुशल संगठन है जिसने 1981 से लेकर अब तक अपने कर्मचारियों की संख्या को 35,500 से धीरे-धीरे घटाते हुए 16,700 कर लिया है, जबकि कार्य पहले से कहीं अधिक मात्रा में किए जा रहे हैं। इस वर्ष इसने अपने कार्यकलापों से ₹ 659 बिलियन का अधिशेष कमाया है जिसे पूर्ण रूप से सरकार को दे दिया गया है। हालांकि, इसे बढ़ाए जाने की संभावनाएं सदैव बनी रहेंगी। उदाहरण के लिए जनता के प्रति अपनी वचनबद्धता को सुनिश्चित करने के लिए हमने अपनी वेबसाइट पर समय-सीमा बता रखी है जिसके भीतर जनसाधारण भारतीय रिज़र्व बैंक को किए गए आवेदन का उत्तर प्राप्त कर सकेंगे। हम दी गई समय-सीमा पर नज़र रखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे स्टाफ उस वचन को पूरा करें।

47. भारतीय रिज़र्व बैंक की सफलता का प्रमुख कारक उसके स्टाफ-सदस्यों की संतुष्टि है। बीते समय में, रिज़र्व बैंक को कनिष्ठ अधिकारियों को आकर्षित करने तथा केवल कुछ ऐसे अधिकारियों से वंचित हो जाने जिन्होंने आईएएस परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, में कोई समस्या नहीं होती थी। आज हम इतने अधिक ऐसे अधिकारियों को खो रहे हैं जिनके बिना हम सहज नहीं हैं। यही कारण है कि हम अपने स्टाफ को जिस प्रकार के पेशेवराना चुनौतियों के प्रति बदलाव लाने का प्रस्ताव दे रहे है, वस्तुतः उसकी अत्यधिक आवश्यकता है और मुझे उम्मीद है कि हमने जिस प्रकार के परिवर्तनों की रूपरेखा पूर्व में प्रस्तुत की है वह हमें और अधिक आकर्षक नियोक्ता बनाने में सहायक सिद्ध होगी। इस संबंध में, मुआवजे के बारे में हमारी समीक्षा, अरसे से लंबित हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन में सुधार का मामला अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।

48. मैं अपनी बात अपने सभी 16,700 सहकर्मियों को पिछले वर्षों में उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए धन्यवाद देते हुए समाप्त करना चाहूंगा और इस महान संस्था के 81वें वर्ष के अवसर पर और भी बेहतर निष्पादन की चुनौतियां प्रस्तुत करता हूँ ताकि भारतीय रिज़र्व बैंक आने वाले अनेक वर्षों तक राष्ट्र की समृद्धता तथा सभी के लिए आर्थिक अवसर पैदा करने में सतत रूप से सेवा प्रदान करना जारी रख सके।

1 जुलाई 2014 से 30 जून 2015 तक*

भाग एक : अर्थव्यवस्था - समीक्षा और संभावनाएं

I मूल्यांकन और संभावनाएं

I.1 बीते वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में समुत्थानशील अर्थव्यवस्था के रूप में बनी रही थी और इसका समष्टि-आर्थिक जोखिम कम हो गया था किंतु वित्तीय स्थिरता का खतरा बढ़ गया था। जहां उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में साधारण सुधार की अस्थायी स्थिति अपने पैर जमा रही है, वहीं उभरती अर्थव्यवस्थाओं की बड़ी कतार ऐसी है जिनमें गतिविधियां मंद पड़ गई हैं क्योंकि वस्तुओं की कीमतें गिर गई हैं, वित्त मिलने की स्थिति कठोर बन गई है और संरचनागत बाधाएं बढ़ती जा रही हैं। इस संबंध में भारत उल्लेखनीय रूप से अपवाद है। पूरे विश्व में वित्तीय जोखिम बढ़ गया था क्योंकि निवेशक प्रतिफल की तलाश में पहुंच रहे थे और यह उम्मीद कर रहे थे कि अमरीका में मौद्रिक नीति और भी धीमी गति से सामान्य होगी। वित्तीय स्थिरता के प्रति जो प्रारंभिक खतरा था वह उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं दोनों में कार्पोरेट के बढ़ते कर्ज, कुछ क्षेत्रों में परिसंपत्ति के विस्तारित मूल्यांकन से, विनिमय-दर की अस्थिरता में स्पष्ट वृद्धि तथा ग्रीस में वर्ष 2014-15 के समाप्त होते महीने में उत्पन्न कर्ज के संकट से जाहिर होने लगा था। इन बाहरी आघातों से जो प्रभाव फैला उसने भारत के वित्तीय बाज़ार के कई हिस्सों को प्रभावित किया है, परिसंपत्तियों के मूल्यों और पूंजी प्रवाह को भी प्रभावित किया था हालांकि पूंजी प्रवाह की स्थिति कमोबेश तीव्र बनी रही।

I.2 यहां तक कि जब घरेलू स्तर पर बैंकिंग क्षेत्र का जोखिम बढ़ा हुआ था, तब भी भारतीय अर्थव्यवस्था के समष्टि-आर्थिक सिद्धांतों में पूरे वर्ष के दौरान धीरे-धीरे सुधार पैदा हुआ है, और यह स्थिति मुद्रास्फीति को कुछ हद तक सहज रखकर और राजकोषीय समेकन को जारी रखते हुए हासिल की गई है। अन्य बातों के साथ-साथ बाहरी बाज़ारों की कमज़ोर हालत के कारण निर्यात-निष्पादन में आई गिरावट के बावजूद वर्ष 2014-15 का चालू खाता घाटा पिछले वर्ष के इसके स्तर से कम था क्योंकि व्यापार की शर्तों तथा आयात की कमज़ोर मांग से फायदा हुआ था। चूंकि राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया पूरी मुस्तैदी से जारी है और कारोबार की स्थिति अत्यधिक आशाजनक बनी हुई है, इसलिए अर्थव्यवस्था का मंच बंधे हुए निवेश की बेड़ियां तोड़ देने तथा नए पूंजीगत व्यय के लिए तैयार है ताकि विकास की गति को आगे बढ़ाया जा सके। वर्ष 2014-15 से अनुभव ग्रहण करते हुए अब समय आ गया है कि ऐसी कार्यसूची को कार्यान्वित किया जाए जो अर्थव्यवस्था को 2015-16 में एवं मध्यावधि में वृद्धि की और ऊंचाइयों तक ले जाए। साथ ही, मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने का हाल में जो लाभ मिला है उसे बनाए रखने की आवश्यकता है ताकि उच्च वृद्धि के साथ-साथ अपस्फीति की स्थिति बनी रहे। सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि ऐसी दृढ़ कार्रवाई की ज़रूरत है जिससे वित्तीय परिसंपत्तियों का दबाव कम हो सके, कर्ज के बोझ को कम / समाप्त करे ताकि जहां संभाव्य हो असहाय परिसंपत्तियों को वापस तेज़ी से काम पर लगाया जा सके और पूंजीगत बफर बनाया जाए ताकि वित्तीय मध्यस्थ उत्पादक क्षेत्रों को पर्याप्त ऋण उपलब्ध करा सकें।

मूल्यांकन : 2014-15

I.3 जहां वर्ष 2014-15 में बाज़ार मूल्य पर जीडीपी वृद्धि में आई गति को काफी हद तक निजी उपभोग के माध्यम से बनाए रखा गया था, वहीं 2013-14 तक लगातार दो वर्ष बचत दर तथा

* चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक का लेखांकन वर्ष जुलाई-जून है, इसलिए, कई चरों के डाटा अप्रैल-मार्च तक के वित्तीय वर्ष के आधार पर उपलब्ध हो पाए हैं, इसलिए डाटा का विश्लेषण वित्तीय वर्ष के आधार पर किया गया है। उपलब्धता के आधार पर डाटा को मार्च 2015 से आगे की अवधि के लिए भी अद्यतन किया गया है। विश्लेषण करने तथा नीतियों के बारे में उचित परिदृश्य प्रदान करने के उद्देश्य से इस रिपोर्ट में पिछले वर्षों एवं आगामी अवधि के संदर्भ, जहां कहीं आवश्यक थे, दिए गए हैं।

मीयादी निवेश में हुई कमी चिंता का विषय बन गई है। गृहस्थों की वित्तीय बचत में आया सुधार तथा 2014-15 में प्रत्याशित सरकारी निर्बचत में गिरावट निवेश के मार्ग में आने वाली वित्तीय बाधाओं को दूर करने के काम आना चाहिए, विशेष रूप से तब जब 2014-15 की बाद की छमाही में इसके साथ पूंजीगत माल के उत्पादन में भी वृद्धि की जानी हो।

I.4 उत्पादन पक्ष की ओर, मौसम पर आधारित कृषि क्षेत्र की मंदी ने ग्रामीण क्षेत्र की मांग को प्रभावित किया और खाद्य-पदार्थों के मूल्यों के दबाव को नियंत्रित करने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप भी आवश्यक हो गया था। औद्योगिक क्षेत्र में, वर्ष की बाद की छमाही में विनिर्माण क्षेत्र में जो तेजी पैदा हुई थी उसकी खास वजह यह थी कि कारोबारी रुझान आशावादी था, कुछ रुकी हुई परियोजनाएं प्रारंभ हो गई थीं और बिजली उत्पादन तथा समापन महीने में कोयले के उत्पादन में ज़बरदस्त वृद्धि हुई थी। नये पूंजीगत व्यय में टिकाऊ पन रहने, क्षमता का पूरा उपयोग करने तथा नया ऑर्डर मिलना घरेलू तथा विदेश दोनों स्तरों पर औद्योगिक गतिविधियों के सतत पुनरुत्थान के लिए महत्वपूर्ण था। सेवा क्षेत्र में केवल कुछ उप-क्षेत्रों जैसे-वित्त, भू-संपदा और निर्माण क्षेत्र ने तेजी से विकास किया।

I.5 जून 2014 से मुद्रास्फीति में जिस तेजी से गिरावट हुई, वह प्रारंभ में की गई उम्मीद से कहीं तेज थी। इस संबंध में कई एक अनुकूल कारक जैसे - अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं की कीमतों में गिरावट, विशेष रूप से कच्चे तेल की कीमतों में, और कमज़ोर होती मांग एवं पूर्व-सक्रिय आपूर्ति प्रबंधन तथा प्रमुख ईंधन कीमतों के अविनियमन के कारण कारपोरेट्स में मूल्य-निर्धारित करने की शक्ति में हुई कमी ने सितंबर 2013 में मौद्रिक नीति द्वारा निश्चित अपस्फीतिकारी रुझान के अनुरूप कार्य किया है। तदनुसार, सितंबर 2009 के बाद पहली बार मुद्रास्फीति की प्रत्याशा एक अंक में पहुंच गई और मज़दूरी का दबाव कम हो गया था।

I.6 वर्ष 2014-15 के दौरान मौद्रिक स्थिति के विकास को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक भारी मात्रा में पूंजी का आना रहा है, जिससे यह आवश्यक हो गया था कि चलनिधि के प्रबंधन का कार्य सक्रिय एवं कुशल तरीके से किया जाए ताकि मौद्रिक नीति के रुझान के अनुसार भारी मात्रा में आने वाले पूंजी-प्रवाह के प्रभाव को बेअसर किया जा सके। अभी भी मांग की स्थिति कमज़ोर बनी हुई है, मुद्रास्फीति कम हो रही है तथा वित्तीय परिसंपत्तियां दबाव में होने से जोखिम उठाने से बचा जा रहा है जिसने बैंक ऋण को रोक रखा है तथा इस स्थिति ने इस बात के लिए प्रोत्साहित किया है कि मूल्यों में प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाने के लिए बैंक उधार के एवजी का इस्तेमाल करें।

I.7 सितंबर 2014 में प्रारंभ की गई संशोधित प्रबंधन संरचना, और खास तौर से दिन के भीतर परिचालनों को एकदम दुरूस्त करने की प्रक्रिया से मुद्रा बाजार की दरों को नीतिगत रेपो दर के अनुरूप बनाने में काफी सुधार हुआ है। उल्लेखनीय है कि, कर के अग्रिम भुगतान से दरों में जो भारी तेजी आ जाती है वह नहीं आई है तथा तुलनपत्र समापन में यह स्थिति नहीं दी गई है। श्रेष्ठ प्रतिभूतियों में प्रतिफल घट गया है, जिससे यह पता चलता है समष्टिगत-सिद्धांतों में सुधार हुआ है। विदेशी मुद्रा बाज़ार में दुतरफ उतार-चढ़ाव की स्थिति कम अस्थिरता की वजह से है। शेयर बाज़ार में पूरे वर्ष ज़बरदस्त स्पर्धा की स्थिति थी क्योंकि विदेशी एवं घरेलू दोनों निवेशक अत्यधिक आशान्वित रहे हैं, और वर्ष के समापन महीने में थोड़े-बहुत फेर-बदल के पहले उन्होंने मूल्यांकन को काफी आगे तक खींच दिया था।

I.8 जहां लगातार तीसरे वर्ष भी केंद्र सरकार ने राजकोषीय समेकन की वचनबद्धता निभाई है, राजस्व संग्रहण में कमी-विशेष रूप से विनिवेश के माध्यम से - यह आवश्यक कर दिया कि वर्ष के अंत में उत्पादक पूंजीगत व्यय में कटौती की जाए। इससे यह पता चलता है कि राजस्व लक्ष्य तथा व्यय-आबंटन का मूल्यांकन और भी वास्तविक दृष्टिकोण से करने की आवश्यकता है। राज्य के वित्त घट गए हैं और राष्ट्रीय राजकोषीय तसवीर को कमज़ोर कर दिया है जो, राज्यों द्वारा राजकोषीय समेकन के प्रति अधिक वचनबद्धता की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

I.9 दिसंबर 2014 से वणिक निर्यात में गिरावट आना चिंता का विषय है, इससे सकल मांग कमज़ोर हो गई है और बाह्य गतिविधियों से प्रभावित होना बढ़ गया है, भले ही व्यापार की शर्तों से लाभ मिला हो और पीओएल आयात से हुई भारी बचत ने चालू खाता घाटे को नियंत्रित रखने में मदद की हो। बाहरी वित्त की आवश्यकता से कहीं ज़्यादा पूंजीगत अंतर्वाह से वर्ष के अंत तक अब तक का सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय भंडार जमा हो गया है।

संभावनाएं : 2015-16

I.10 वर्ष 2015-16 को देखें तो पाते हैं कि 2015 की पहली तिमाही में उत्तरी अमरीका में उत्पादन में गिरावट आ जाने से विश्व अर्थव्यवस्था का परिदृश्य बुरी तरह प्रभावित हो गया था। इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में दूसरी और तीसरी तिमाहियों में मांग में तेजी आ रही है, लेकिन उभरती अर्थव्यवस्थाओं में लगातार मंदी की स्थिति ने पूरे विश्व के सुधार को रोक लिया है। वहीं पर, बाण्डों के प्रतिफल और जोखिम प्रक्रिया में ठहराव पैदा हो जाने से उभरती अर्थव्यवस्थाओं को करेंसी मूल्यों में उतार-चढ़ाव तथा पूंजी प्रवाहों में अस्थिरता का सामना करना पड़ रहा है। आगे चलकर यही कारक विश्व में सुधार के प्रति जोखिम बनकर खड़े हो सकते हैं। तदनुसार, अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष ने 2015 में विश्व की संवृद्धि के बारे में अपने पूर्वानुमान को जुलाई में अद्यतन करते हुए कम करके 3.3 प्रतिशत कर दिया है, जो वर्ष 2014 से थोड़ा सा कम है।

I.11 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए संवृद्धि के परिदृश्य में धीरे-धीरे सुधार आ रहा है। कारोबारी भरोसे में तेजी क़ायम है, और जैसाकि यूनियन बजट में आधारभूत सुविधाओं में निवेश को तेज करने के लिए की जाने वाली पहल की घोषणा की गई थी, उनमें निजी निवेश की भरमार हो जाएगी तथा उपभोक्ता की भावना बहाल होगी, खासतौर से मुद्रास्फीति के मंद होते ही। जहां मानसून की प्रगति ने प्रारंभ में जमीन में नमी के अभाव के भय को समाप्त कर दिया वहीं मानसून कहां पर कितना रहेगा इस बात की अनिश्चितता से संवृद्धि और मुद्रास्फीति दोनों की संभावनाओं के प्रति जोखिम बना हुआ है। इनसे फैलने वाले प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए एक व्यापक और सक्रिय खाद्यान्न प्रबंधन रणनीति लागू करने की आवश्यकता है। वर्ष 2015-16 के पहले चार महीने में वास्तविक गतिविधियों के संकेतकों से पता चलता है कि रिज़र्व बैंक द्वारा पूरे वर्ष के लिए 7.6 प्रतिशत की उत्पादन वृद्धि का बेसलाइन पूर्वानुमान काफी हद तक सही है, जो 2014-15 के 7.2 प्रतिशत की वृद्धि से थोड़ा अधिक ही है।

I.12 मानसून की संभावनाओं सहित और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों के मद्देनजर प्रारंभिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक ने अप्रैल 2015 की मौद्रिक नीति रिपोर्ट में 2015-16 के लिए मुद्रास्फीति हेतु एक बेसलाइन मार्ग बताया है जिसे अगस्त तक आधारगत-प्रभाव द्वारा उसके वर्तमान स्तर से नीचे की और लाया जाएगा किंतु उसके बाद वह बढ़ना शुरू होगा और जनवरी 2016 तक लगभग 6.0 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। अभी तक मुद्रास्फीति के परिणाम इन अनुमानों के आसपास रहे हैं। इस पथ के प्रति जोखिम को संतुलित किया गया है क्योंकि मौसम संबंधी अनिश्चितता को कच्चे तेल की गिरती कीमतों के साथ समायोजित कर लिया गया है। समग्र अवस्फीति रणनीति के तहत मुद्रास्फीति की प्रगति पर कड़ी और सतत निगाह रखनी होगी ताकि मुद्रास्फीति को जनवरी 2017 तक 5 प्रतिशत तक लाया जा सके।

I.13 जहां तक राजकोषीय नीति का संबंध है, सरकार का राजकोषीय समेकन के लिए किया गया संकल्प इस प्रयास को आगे बढ़ाएगा ताकि वर्ष 2015-16 में जीडीपी के 3.9 प्रतिशत तक के सकल राजकोषीय घाटा के लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। वर्ष के शुरुआती महीनों में, परोक्ष कर की वसूली ज़बरदस्त हुई है और लगभग बजट में किए गए अनुमान को प्राप्त कर लेगी, हालांकि ये विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के सुधार पर अवलंबित है। इसके अलावा विनिवेश की योजना को तत्काल प्रारंभ किया जाना चाहिए ताकि समर्थनकारी बाज़ार की स्थितियों का फायदा उठाया जा सके, और पूंजीगत व्यय को कम करने की व्यवस्था पहले से ही कर ली जाए ताकि घाटा के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इस प्रकार की कटौती के लिए राजकोषीय समेकन की गुणवत्ता के साथ समझौता करना पड़ेगा। राज्यों को चाहिए कि वे भारी अंतरण से उत्पन्न अत्यधिक राजकोषीय स्वायत्ता का लाभ उठाएं और पूंजीगत तथा विकासात्मक व्यय को प्राथमिकता दें ताकि उप-राष्ट्रीय राजकोषीय सुधार की गुणवत्ता को क़ायम रखा जा सके।

I.14 बाह्य क्षेत्र में, वर्ष 2015-16 की पहली तिमाही में वणिक निर्यात घटता गया है, जिसने अर्थव्यवस्था को बाहरी आघातों के प्रति असुरक्षित बना दिया है। आयात की स्थिति भी धीमी रही, जिसकी वजह हाल में कच्चे तेल और स्वर्ण की कीमतों में नरमी पैदा होना तथा घरेलू स्तर पर स्वर्ण की मांग में थोड़ी गिरावट आना रहा है। तेल से इतर तथा स्वर्ण से इतर आयात भी धीमें रहे क्योंकि घरेलू गतिविधियां शांत बनी रहीं। वर्ष की शेष अवधि में, पीओएल तथा बुलियन आयात के कारण कुछ बचत पैदा हो सकती है; वहीं दूसरी ओर, वर्ष की बाकी अवधि में गतिविधियों

को धीरे-धीरे गति पकड़ने से तेल से इतर तथा स्वर्ण से इतर आयात की मांग पुनः बहाल हो सकती है। विदेश में कार्यतर भारतीयों से भेजे गए विप्रेषणों ने विश्व में संवृद्धि को अपक्षीण बना दिया है और भुगतान संतुलन के प्रति उसकी मदद बनी रहनी चाहिए। विगत की तरह सेवाओं में व्यापार से होने वाले प्रत्याशित अधिशेष सहित, साफ्टवेयर निर्यात तथा यात्रा से उत्पन्न आय के अधिशेष की सहायता से वर्ष के चालू खाता घाटा को जीडीपी के 1.5 प्रतिशत के नीचे रखा जाना चाहिए। पूंजी प्रवाह आते रहने की संभावना अत्यधिक अनिश्चित है, यह भी प्रत्याशा है कि वर्ष 2015 के बाद में अमरीकी मौद्रिक नीति व्यापक रूप से सामान्य होगी जिससे उभरते बाजारों से पूंजी का प्रवाह बाहर की ओर हो जाएगा और वित्तीय स्थिति भी कठोर बन जाएगी क्योंकि बॉण्डों पर प्रतिफल बढ़ जाएगा। इस संदर्भ में, 350 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक का भंडार और जो लगभग नौ महीने के आयात के बराबर है, बफर के रूप में कार्य करेगा तथा वर्ष के दौरान सामान्य आयात एवं कर्ज चुकाने की ज़रूरत को सहज बनाएगा।

I.15 इन उम्मीदों के पूरा होने की चाबी यह है कि निवेश में टिकाऊ गति पैदा हो, साथ ही आपूर्ति संबंधी बाधाओं को दूर करने के सतत प्रयास होने चाहिए। 2015-16 तक विश्व स्तरीय व्यापक बैंकरप्सी संहिता को प्रारंभ करने के प्रस्ताव तथा निवर्तमान रेगुलेटरी प्रणाली द्वारा निवेश हेतु वर्तमान बहुस्तरीय पूर्वानुमति प्रक्रिया को बदल देने से यह उम्मीद की जाती है कि भारत में कारोबारी वातावरण में सुधार पैदा होगा। विनिर्माण क्षेत्र को व्यापक रूप से विकसित करने के संबंध में सबसे बड़ी बाधा जो बताई गई है वह है कारोबार करने में आसानी पैदा न करने की। इसके लिए जिन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने की आवश्यकता है वे इस प्रकार हैं : विधिक और विनियामक वातावरण, श्रमिक बाज़ार का सुधार, कर-प्रणाली और प्रशासनिक वातावरण।

I.16 वितरण नेटवर्क के बीच के अंतराल तथा वितरण कंपनियों की घटती हुई वित्तीय शक्तियों का शीघ्रता से समाधान करने की आवश्यकता है ताकि आपूर्ति संबंधी बाधाओं को निरंतर सहज बनाते हुए उसे मांग की बढ़ती हुई मात्रा के अनुरूप रखा जा सके। ऊर्जा के नवीकरण योग्य और परिमार्जित स्रोतों पर फोकस करने के साथ-साथ ऊर्जा के संरक्षण के लिए मध्यावधि कार्यनीति भी अपनाने की आवश्यकता है।

I.17 जनांकिकी की लाभपूर्ण संरचना का प्रयोग करने के प्रयत्नों के लिए लाभप्रद रोज़गार के अवसरों को विस्तार दिया जाना अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है । इसके लिए ज़रूरत है कौशल संबंधी अंतर को सावधानी से पहचानने की, व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना तथा नये कौशल का निर्माण करना। इस संदर्भ में राष्ट्रीय कौशल विकास अभियान, जिसका उद्देश्य विभिन्न मंत्रालयों में कौशल-निर्माण के संबंध में की जा रही पहल को समेकित करना प्रासंगिक है। स्वरोजगार, रोजगार अवसरों का सबसे बड़ा साधन है, इसलिए कारोबार शुरू करने के सभी पहलुओं तथा अन्य स्वरोजगार गतिविधियों को संबल प्रदान करने के लिए सेतु (एसईटीयू) (स्वरोजगार और प्रतिभा उपयोग) की पहल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अन्य पहल जैसे डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया से भी रोजगार बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

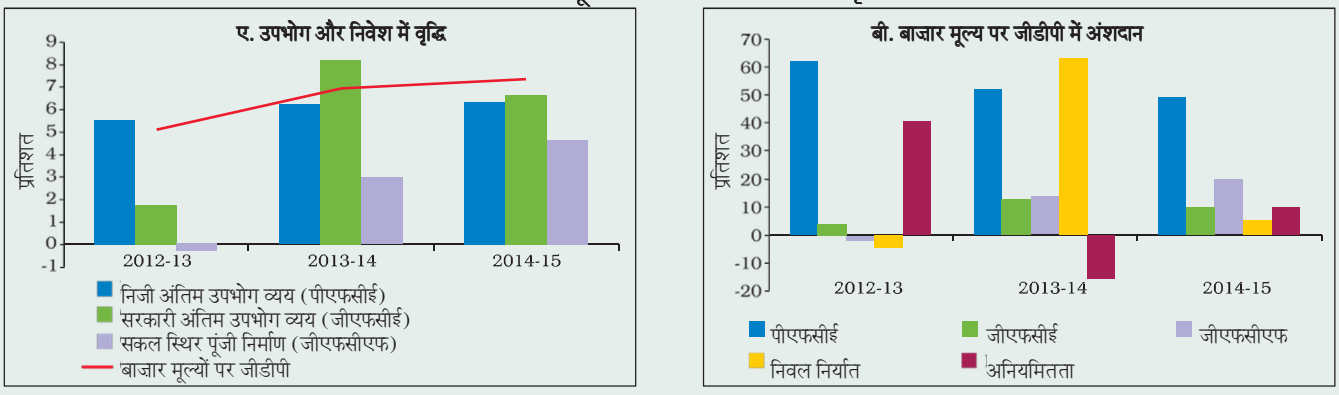
II आर्थिक समीक्षा

वर्ष 2014-15 में समष्टिगत आर्थिक परिदृश्य कुछ इस प्रकार का था कि आंतरिक और बाह्य स्थिरता को सशक्त बनाने के प्रयास के बीच आर्थिक गतिविधियों में सामान्य तेजी ही पैदा हो सकी थी, बावजूद इसके कि विश्व में विभिन्न क्षेत्रों में सुधार की गति धीमी और भिन्न-भिन्न थी। इसके अलावा, अर्थव्यवस्था को अपनी क्षमता साकार करने तथा विकास की प्रक्रिया को कायम रखने के मार्ग में अत्यधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। महत्वपूर्ण यह है कि विकास के मार्ग में संरचनागत बाधाओं तथा परिसंपत्तियों की गुणवत्ता संबंधी चिंताओं का समाधान अतिशीघ्र करने की आवश्यकता है।

II.1 वास्तविक अर्थव्यवस्था

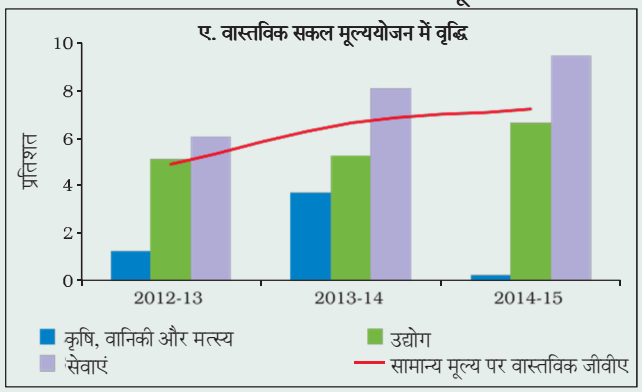
II.1.1 केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ने जनवरी 2015 में भारत के राष्ट्रीय लेखों की एक नई श्रृंखला जारी की थी। इस नई श्रृंखला की खास विशेषताएं इस प्रकार थीं: (i) आधार वर्ष को अद्यतन बनाते हुए 2004-05 से बदलकर 2011-12 किया जाना; (ii) कार्पोरेट गतिविधियों का बेहतर कवरेज (ए) जिसके लिए कंपनी कार्य-मंत्रालय के एमसीए 21 डाटाबेस[1] का इस्तेमाल करना, (बी) मूल्य-आधारित संकेतकों जैसे बिक्री कर की वसूली का इस्तेमाल मात्रा-आधारित संकेतक जैसे औद्योगिक उत्पादन के साथ करना तथा (सी) असंगठित क्षेत्रों की गतिविधियों सहित नवीनतम सर्वेक्षण के परिणामों का उपयोग; और (iii) प्रणालीगत परिवर्तन जैसे खनन और विनिर्माण में मूल्य-योजन के आकलन के लिए 'संस्था' के स्थान पर 'उद्यम' दृष्टिकोण अपनाना। अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप, अब बाज़ार मूल्यों के आधार पर जीडीपी, उत्पादन के लिए प्रमुख पैमाना होगा। आपूर्ति पक्ष की गतिविधियों को कारक लागत पर जीडीपी के बजाय सामान्य मूल्य (बेसिक प्राइस) पर सकल मूल्य योजन (जीवीए) द्वारा मापा जाएगा। इस नई श्रृंखला के अनुसार वास्तविक गतिविधियों (बाज़ार मूल्य पर) ने 2014-15 में गति पकड़ी है, जो वर्ष 2013-14 की 6.9 प्रतिशत की वृद्धि से बढ़कर 7.3 प्रतिशत हो गई (चार्ट II.1)। वर्ष 2014-15 में वृद्धि का अडिग बने रहना मुख्यतया निजी उपभोग द्वारा संचालित था और उसे स्थिर निवेश से सहायता मिली, हालांकि सरकारी उपभोग और निवल निर्यात काफी मंद पड़ गया था।

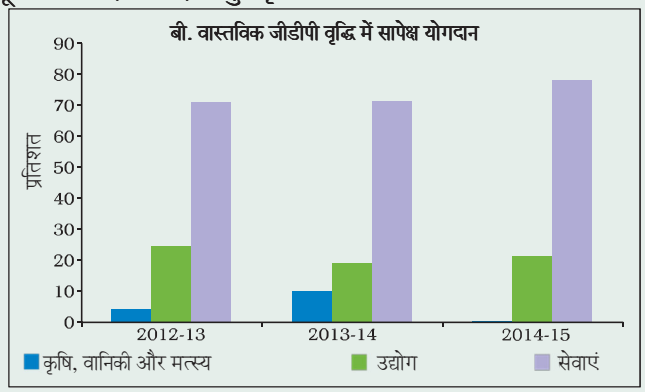
चार्ट II.1: बाज़ार मूल्य पर वास्तविक जीडीपी में वृद्धि



[1] एमसीए 21 डाटाबेस, कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा पंजीकृत कंपनियों के लिए कंपनी अधिनियम के अंतर्गत की गई ई-गवर्नेंस पहल है ताकि वे अपने वार्षिक लेखा इलेक्ट्रानिक तौर पर दो वेब प्लेटफार्म के द्वारा प्रस्तुत कर सकें अर्थात् (i) फार्म 23 एसी/एसीए और (ii) एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्सबीआरएल)। वर्तमान में बैंकिंग कंपनियां, विद्युत कंपनियां, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां तथा बीमा कंपनियों का एक्सबीआरएल फार्म भरने की अनिवार्यता से छूट प्राप्त है। नई श्रृंखला के लिए (आधार : 2011-12), सीएसओ ने 2011-12 व 2012-13 के लिए 5 लाख कंपनियों के लेखा, और 2013-14 के लिए लगभग 3 लाख लेखा को शामिल किया है। इस डाटाबेस में एलएलपी अधिनियम 2008 के अंतर्गत एमसीए में पंजीकृत, सीमित देयता (भागीदार) कंपनियों (एलएलपी) को भी कवर किया गया है।

चार्ट II.2: सामान्य मूल्य पर वास्तविक सकल मूल्य योजन (जीवीए) में हुई वृद्धि





II.1.2 आपूर्ति पक्ष से देखें तो पता चलता है कि 2014-15 में गतिविधियों में जो तेजी आई थी वह काफी हद तक उद्योग और सेवा की वजह से थी (चार्ट II.2)। उद्योग के भीतर, विनिर्माण और विद्युत उत्पादन में उच्च वृद्धि पाई गई थी। विनिर्माण के हिस्से में बढ़ोतरी उनकी ग्राहक संस्थाओं की व्यापारिक गतिविधियों से हुई थी जो पुरानी श्रृंखला में सेवाओं का हिस्सा हुआ करती थीं। सेवा क्षेत्र में वित्तीय, भू-संपदा, और पेशेवराना सेवाएं तथा निर्माण इसे आगे ले जाने के प्रमुख संचालक थे। दूसरी ओर, कृषि क्षेत्र ने अपनी गति खो दी थी, दक्षिण-पश्चिम मानसून (एसडब्लूएम) क्षीण होने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा जिससे खरीफ की बुवाई प्रभावित हुई और रबी की फसल के समय बेमौसम बरसात होने तथा ओले की आंधी आने से विपरीत प्रभाव पड़ा।

II.1.3 इस प्रकार, नई श्रृंखला के अनुसार भारत विश्व में सबसे तेज विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, बावजूद इसके कि विश्व की अर्थव्यवस्था अभी भी धीमी बनी हुई है जिसने 2014-15 में वृद्धि में निवल निर्यात के योगदान से जो गति पैदा हुई थी उसी पीछे खींच लिया है।

बचत और निवेश

II.1.4 वर्ष 2013-14 में सकल घरेलू बचत दर में लगातार दूसरे वर्ष भी गिरावट पैदा हुई है और यह गिरावट सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय (जीएनडीआई) (सारणी II.1) का 30 प्रतिशत थी। इससे काफी हद तक यह पता चलता है कि गृहस्थों की बचत दर में कमी आने का कारण भौतिक रूप में उनकी परिसंपत्तियों और

सारणी II.1: सकल बचत (जीएनडीआई के अनुपात के रूप में)

(प्रतिशत)

मद		2011-12	2012-13	2013-14
1		2	3	4
1	**सकलबचत**	**33.0**	**31.1**	**30.0**
1.1	**गैर-वित्तीय निगम**	**9.7**	**9.6**	**10.3**
1.1.1	सरकारी गैर-वित्तीय निगम	1.4	1.2	1.0
1.1.2	निजी गैर-वित्तीय निगम	8.3	8.4	9.3
1.2	**वित्तीय निगम**	**2.9**	**3.1**	**2.8**
1.2.1	सरकारी वित्तीय निगम	1.8	1.7	1.5
1.2.2	निजी वित्तीय निगम	1.1	1.4	1.3
1.3	**सामान्य सरकारी**	**-1.8**	**-1.3**	**-1.0**
1.4	**गृहस्थ क्षेत्र**	**22.2**	**19.7**	**17.8**
1.4.1	निवल वित्तीय बचत	7.1	6.8*	7.1*
1.4.2	भौतिक परिसंपत्तियों में बचत	14.8	12.6	10.4
1.4.3	मूल्यवान वस्तुओं के रूप में बचत	0.4	0.4	0.3

स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय

* भारिबैं. के ताजा अनुमान के अनुसार गृहस्थों की वित्तीय बचत वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए जीएनडीआई का क्रमशः 7.0 और 7.30 प्रतिशत थी।

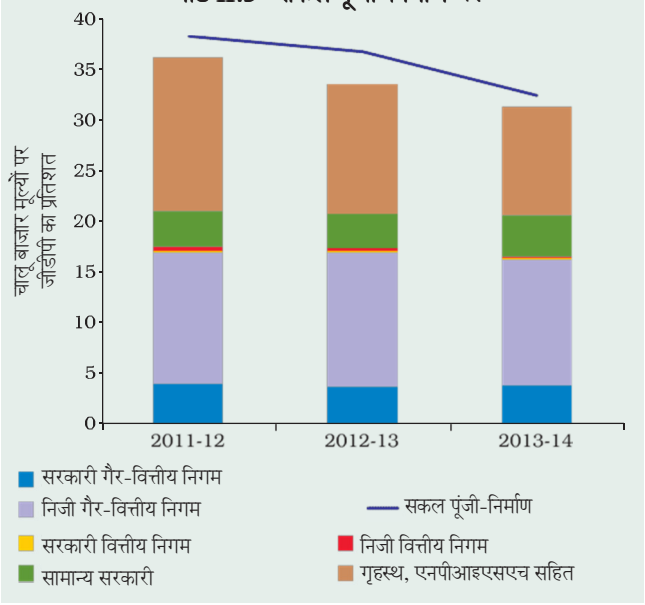
मूल्यवान वस्तुओं में कमी होना रहा है। दूसरी ओर, गृहस्थों की वित्तीय बचत को फायदा पहुंचा है क्योंकि महंगाई के कम होने तथा आर्थिक गतिविधियों के गति पकड़ने से प्रतिफल आकर्षक हो गए हैं। वर्ष 2014-15 के लिए सीएसओ ने अभी तक सकल बचत के संबंध में अनुमान जारी नहीं किए हैं। लेकिन रिज़र्व बैंक के प्रारंभिक अनुमान के अनुसार 2014-15 में गृहस्थों की वित्तीय बचत दर जीएनडीआई का 7.5 प्रतिशत आंकी गई है जो 2013-14 के 7.3 प्रतिशत से अधिक है।

II.1.5 जहां तक निजी कार्पोरेट क्षेत्र की बचत दर का संबंध है, गैर-वित्तीय निगमों ने वर्ष 2011-12 से लगभग समान रूप से सुधार दर्ज किया है अर्थात् जबसे नई श्रृंखला उपलब्ध है लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इस वृद्धि को 2014-15 में कायम रखना मुश्किल है। वहीं दूसरी ओर निजी वित्तीय निगमों की बचत दर में 2013-14 में थोड़ा क्षरण हुआ है, जिसका आंशिक कारण यह था कि निजी क्षेत्र के बैंकों के परिचालनगत लाभ की वृद्धि में कमी आ गई थी। उपलब्ध संकेतकों से पता चलता है कि इस कमी को 2014-15 में पूरा कर लिया गया है।

II.1.6 सामान्य सरकारी 'निर्बचत' में सतत रूप से गिरावट होने से 2013-14 में सकल राष्ट्रीय बचत दर को तीव्रता हासिल हुई है। राजकोषीय समेकन को बनाए रखते हुए, विशेष रूप से केंद्र द्वारा बनाए रखने से यह संभावना है कि 2014-15 में भी सरकारी क्षेत्र की निर्बचत प्रवृत्ति में गिरावट बनी रहेगी। लेकिन, सरकारी वित्तीय (सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित) और गैर-वित्तीय निगमों की बचत दर में 2013-14 में गिरावट हुई है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मामले में 2014-15 में कर के बाद लाभ में गिरावट आई है।

II.1.7 वर्ष 2012-13 और 2013-14 में निवेश दर (वर्तमान बाज़ार मूल्य पर जीडीपी के समानुपात में सकल पूंजी-निर्माण) घटी थी, जिससे काफी हद तक यह पता चलता है कि गैर-वित्तीय निगमों की निवेश दर धीमी हुई है क्योंकि घरेलू और बाह्य मांग कमज़ोर थी और अन्य संरचनागत कारण भी रहे हैं जैसे भूमि अधिग्रहण में विलंब तथा पर्यावरण संबंधी स्वीकृति, कमज़ोर कारोबारी भरोसा तथा नीतिगत अनिश्चितताएं। गृहस्थ क्षेत्र की निवेश-दर भी 2012-13 और 2013-14 में घटी है। 2013-14 में सामान्य सरकारी निवेश में अवश्य सुधार हुआ जिसने उक्त कमियों की कुछ भरपाई की थी (चार्ट II.3)।

चार्ट II.3: सकल पूंजी-निर्माण दर



II.1.8 निवेश गतिविधियों जैसे- संस्थापित परियोजनाओं, पूंजीगत माल का आयात/उत्पादन तथा किए गए अधिकतम व्यय के अन्य संकेतकों के साथ देखने से पता चलता है कि निजी क्षेत्र के निवेश इरादों में जो कमी 2014-15 में आई है वह पिछले वर्ष से कहीं ज़्यादा है। नई परियोजनाओं के संबंध में रिज़र्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं द्वारा इन्हें स्वीकृत वित्तीय सहायता अथवा बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी)/ विदेशी परिवर्तनीय बांड (एफसीसीबी)/ घरेलू पूंजी बाज़ार निर्गम से ली गई निधि से इन परियोजनाओं पर कुल निवेश इरादे पिछले वर्ष कुल ₹2,081 की बिलियन की तुलना में वर्ष 2014-15 में ₹ 1,459 बिलियन थे। अतः, निवेश मांगचक्र में जो घुमाव है वह अर्थव्यवस्था को सतत उच्च विकास के पथ पर ले जाने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हाल के अनुभव यह बताते हैं कि सरकारी निवेश के अत्यधिक बढ़ाए जाने की ज़रूरत है ताकि निष्क्रियता टूटे जो निजी निवेश के प्रति बाधा बनी हुई है और उसकी बहुत भीड़ को भी रोके, बशर्ते कि कारोबारी भावना उत्साहवर्धक हो। इस प्रयास की प्रमुख बात यह होगी कि संस्थापित परियोजनाओं में धनाभाव हेतु निवेश किया जाए जिससे वह परियोजनाएं पुनः कार्य करने लगें और साथ ही प्रमुख इनपुट जैसे बिजली, भूमि (विशेष रूप से सड़क के लिए) और कुशल श्रमिकों की उपलब्धता हो। संरचनागत सुधार का दृढ़ कार्यान्वयन किया जाए जैसे वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) को कार्यान्वित करके उत्पादन तथा प्रतिस्पर्धा को तीव्र बनाया जाए।

कृषि

II.1.9 वर्ष 2014-15 के दौरान मानसून की लहर का खेल पूरी तरह से चलता रहा। प्रारंभ में एल-नीनो की उभरने की संभावना बहुत अधिक थी किंतु अंततः वैसा नहीं हुआ। जो भी हो, दक्षिण-पश्चिम मानसून (एसडब्लूएम) के मौसम के दौरान वर्षा का विलंब से कम तथा असमान रूप से होने के कारण अधिकांश खरीफ फसलों का उत्पादन कम हो गया। दक्षिण-पश्चिम मानसून कम होने से मिट्टी में नमी पर्याप्त रूप से नहीं आने पाई थी और इसके अतिरिक्त उत्तर-पूर्व मानसून (एनईएम) भी कम रहा। किए गए अनुमान की तुलना में अधिकांश रबी फसल उससे कम रही और प्रारंभ में यह जो उम्मीद की गई थी कि रबी की अच्छी फसल से खरीफ की फसल में हुए नुकसान की भरपाई हो जाएगी, गलत सिद्ध हुआ। मौसम के अंत तक, दक्षिण-पश्चिम मानसून दीर्घकालिक औसत (एलपीए) से 12 प्रतिशत कम था और उत्तर-पूर्व मानसून एलपीए से 33 प्रतिशम कम रहा था। इसके अतिरिक्त, जलाशयों में पानी की कम-पूर्ति तथा बीच-बीच में सूखे जैसी हालत से रबी की फसल को भारी नुकसान पहुंचा, विशेष रूप से गेहूँ की फसल को, क्योंकि फरवरी के अंत में तथा मार्च 2015 के प्रारंभ में बेमौसम बारिश हुई और ओले की आंधी चली थी। कृषि मंत्रालय द्वारा 17 अगस्त 2015 को जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन में 4.6 प्रतिशत की गिरावट आई है। इसी प्रकार, तिलहन और कपास के उत्पादन में क्रमशः 18.5 प्रतिशत और 1.2 प्रतिशत की गिरावट हुई है हालांकि गन्ने के उत्पादन में 2.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष के 265.0 मिलियन टन के खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में इस वर्ष 252.7 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है और मात्रा में इस गिरावट के प्रभाव को उपलब्ध खाद्यान्न के 55.6 मिलियन टन बफर (जुलाई 2015 अंत में) से समाप्त कर लिया जाएगा, क्योंकि उपलब्ध बफर की मात्रा बफर मानदंड अर्थात 21.0 से 41.1 मिलियन टन से कहीं अधिक है।

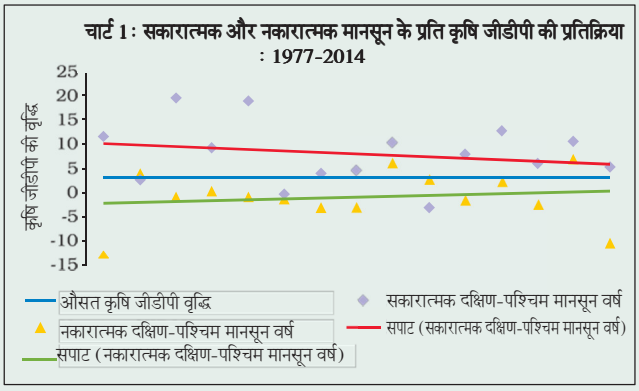
II.1.10 भारतीय मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की थी कि वर्ष 2015 में दक्षिण-पश्चिम मानसून जून 2015 में एलपीए के 88 प्रतिशत तक रह सकता है, और यही पूर्वानुमान अगस्त 2015 में भी था, और मौसम[2] के दौरान एल-नीनो का प्रभाव तीव्र होने की संभावना है। हालांकि मानूसन विलंब से आया, लेकिन जून के दौरान अंतिम सप्ताह को छोड़कर काफी बारिश हुई।उसके बाद मौसम सूखा बना रहा है जुलाई के मध्य तक वही स्थिति रही, जिसने मौसम की अब तक (19 अगस्त 2015), हुई वर्षा को एलपीए के नीचे 9 प्रतिशत तक सीमित कर रखा है। खरीफ फसलों की बुवाई पिछले वर्ष की बुवाई की तुलना में अधिक हुई है। जिस प्रकार से प्रगति हो रही है उससे खरीफ 2015 की फसल बेहतर होने की उम्मीद की जा सकती है, बावजूद इसके कि आपूर्ति की कमी का जोखिम और मौसम के शेष भाग के बारे में दक्षिण-पश्चिम मानसून के लिए कोई पूर्वानुमान न दे पाने के कारण अधिक महंगाई का दबाव भी बना हुआ है, साथ ही मानसून की लहर आने के संदर्भ में इस बात का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है कि भारतीय कृषि का मौसम से निष्प्रभावी होने की मात्रा कितनी है (बॉक्स II.1)।

बॉक्स II.1
भारतीय कृषि कितनी मानसून-प्रूफ है ?

ऐतिहासिक रूप से, भारत में कृषि-उत्पादन की असफलता को प्रायः दक्षिण-पश्चिम मानसून की कमी से जोड़ा जाता रहा है। भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून से कुल वर्षा का 75-80 प्रतिशत प्राप्त हो जाता है, और इसी दौरान खरीफ की बुवाई भी होती है, इससे जमीन के नीचे पानी, मिट्टी की नमी तथा जलाशयों की पूर्ति होती है और इस प्रकार से यह वर्षा रबी की खेती के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। कृषि की विकास दर की प्रवृत्ति को प्रत्यक्ष रूप से देखने से ज्ञात होता है कि कभी-कभी खराब मौसम में भी इसमें उससे जूझने की क्षमता है (चार्ट 1)।

दक्षिण-पश्चिम मानसून के सकारात्मक और नकारात्मक आघातों के अनुभवों का विश्लेषण करने से पता चलता है कि 1988-2012 की अवधि के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून की घट-बढ़ का प्रभाव सांख्यिकी दृष्टिसे कृषि के उत्पादन पर अत्यधिक था, किंतु यह प्रभाव निवल बुवाई वाले क्षेत्र में घट-बढ़

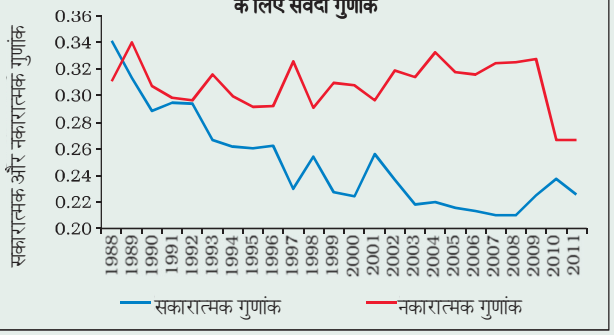
चार्ट 1: सकारात्मक और नकारात्मक मानसून के प्रति कृषि जीडीपी की प्रतिक्रिया : 1977-2014



[2] जुलाई 2015 में मौसम की निगरानी और कृषि-जोखिम के समाधान की कंपनी स्काईमेट ने मार्च 2015 में की गई भविष्यवाणी को संशोधित किया है जिसके अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा एलपीए के 102 प्रतिशत (+/-4% की त्रुटि मार्जिन सहित) के बजाय एलपीए के 98 प्रतिशत (+/-4% की त्रुटि मार्जिन सहित) रहेगी।

से काफी कम था (चार्ट 2)। वर्षा और बुवाई क्षेत्र के बीच विभिन्न प्रकार की समानता के अभाव को परीक्षण भिन्नता मुद्रास्फीति कारक (वीआईएफ) द्वारा संगत बनाया गया है।

चार्ट 2: दक्षिण-पश्चिम मानसून से वर्षा में घट/बढ़ के लिए संवेदी गुणांक



स्पष्ट है कि भारतीय कृषि अभी भी पूरी तरह मौसम पर निर्भर-रहित नहीं बन पाई है और मानसून के आघातों से फसलों के उत्पादन को बचाने के लिए सरकारी नीति का दखल अनिवार्य होता है। भूमि के उपयोग में संतृप्ति बिंदु तक पहुंच जाने तथा बड़े पैमाने की किफायत के समाप्त हो जाने को बहु-उद्देश्यीय रणनीति द्वारा रोका जा सकता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऋण, पूंजी तथा मशीनरी, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और विकास, बेहतर और संकर बीज का उपयोग, सिंचाई और जल प्रबंधन, तथा सूखे एवं अर्ध-सूखे क्षेत्रों सहित भूमि उद्धार किया जाना शामिल है तथा पूर्वी क्षेत्र में हरित क्रांति योजना को लागू करने हेतु कड़ाई से अनुवर्तन करना। कृषि के विकास के लिए विविध प्रकार के दृष्टिकोण अपनाए जाएं जिनमें मवेशियों, मत्स्य, वानिकी और कट्टे लगाए जाना, दक्षिण-पश्चिम मानसून में घट-बढ़ से कृषि-उत्पादन पर पड़ने वाल प्रभाव की स्थिति में बफर के रूप में कार्य करेगा, बशर्ते इसका पालन खाद्यान्न और आहार सुरक्षा के समग्र संदर्भ में किया जाए।

2009-10 में दक्षिण-पश्चिम मानसून में 22 प्रतिशत की कमी को देखते हुए आकस्मिकता योजनाएं लागू की गई थीं जिसपर सावधानीपूर्वक विचार करते हुए पुनः लागू करने की ज़रूरत है। गुणवत्तापूर्ण तथा अल्प अवधि वाले बीज, कृषि-इनपुट, आगामी फसली-मौसम के लिए सक्रिय रबी फसल की मुहिम तथा कार्ययोजना, मीडिया से प्रसार एवं जागरूकता अभियान, केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के अंतर्गत धान की बढ़ी हुई उपलब्धता और सिंचाई के लिए अतिरिक्त डीज़ल सब्सिडी के प्रावधान ने अच्छी तरह कार्य किया है, जिससे देश में यह बात उभरकर आई है कि यदि पहले से ही नीतिगत उपाय सक्रिय हों तो प्रतिकूल मानसून आघात के प्रभाव को सुधारा जा सकता है।

संदर्भ :

पी.के. अग्रवाल एवं अन्य (2009),'मौसम परिवर्तन का भारतीय कृषि पर प्रभाव : वर्तमान जानकारी की स्थिति।

भा.रि.बैंक बुलेटिन (2015), मानसून और भारतीय कृषि - संयुक्त या पृथक? मई।

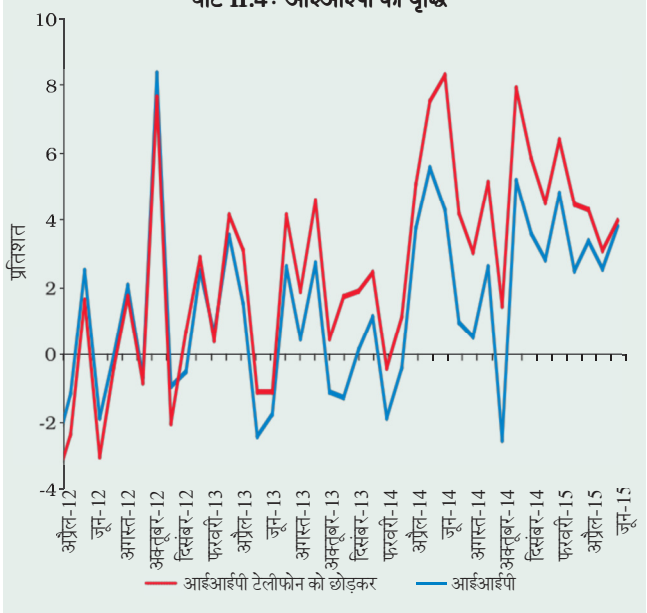
उद्योग

II.1.11 औद्योगिक उत्पादन वर्ष 2013-14 में घट गया था जिसमें बहाली पैदा हुई और 2014-15 के दौरान उसमें 2.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। उपभोक्ताओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली टिकाऊ वस्तुओं का उत्पादन पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी घटता रहा है, विशेष रूप से मोबाइल फोन सहित टेलीफोन उपकरण जिसका कारण था कि नवंबर 2014 में चेन्नै में स्थित नोकिया की निर्माण इकाई यकायक बन्द हो गई थी। यदि इस श्रेणी को हटा दिया जाए तो औद्योगिक उत्पादन वर्ष 2014-15 में 5.3 प्रतिशत तक बढ़ गया होता (चार्ट II.4)।

II.1.12 सामान्य धातुओं, बिजली और महत्वपूर्ण वस्तुओं के उच्च उत्पादन ने 2014-15 के दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) वृद्धि को आगे बढ़ाया है। उपयोग आधारित वर्गीकरण के अनुसार सामान्य एवं महत्वपूर्ण वस्तुओं के उत्पादन में तेजी आई है जबकि मध्यम वस्तुओं का उत्पादन कम हुआ है और उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन घट गए हैं (सारणी II.2)।

II.1.13 खनन गतिविधियों में तीन वर्ष तक चरम-मंदी की स्थिति में रहने के बाद 2014-15 में बहाली पैदा हुई और कोयले

चार्ट II.4: आईआईपी की वृद्धि



सारणी II.2: औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक

(प्रतिशत)

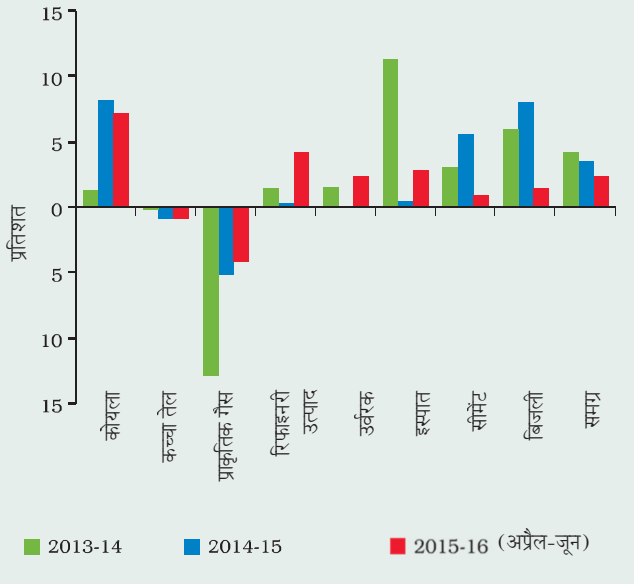
उद्योग समूह	आईआईपी में भार	वृद्धि दर				
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	अप्रैल-जून 2015-16अ
1	2	3	4	5	6	7
समग्र आईआईपी	**100.0**	**2.9**	**1.1**	**-0.1**	**2.8**	**3.2**
खनन	14.2	-2.0	-2.3	-0.6	1.5	0.7
विनिर्माण	75.5	3.0	1.3	-0.8	2.3	3.6
विद्युत	10.3	8.2	4.0	6.1	8.4	2.3
उपयोग-आधारित						
सामान्य वस्तुएं	45.7	5.5	2.5	2.1	7.0	4.7
पूंजीगत वस्तुएं	8.8	-4.0	-6.0	-3.6	6.4	1.5
मध्यस्थ वस्तुएं	15.7	-0.6	1.6	3.1	1.7	1.6
उपभोक्ता वस्तुएं	29.8	4.4	2.4	-2.8	-3.4	2.4
उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	8.5	2.6	2.0	-12.2	-12.6	3.7
उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुएं	21.3	5.9	2.8	4.8	2.8	1.6

अ - अनंतिम
स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय

के उत्पादन में वृद्धि से उसमें तेजी आई (चार्ट II.5)। खनन क्षेत्र के भीतर अन्य मदों में कच्चे तेल के उत्पादन में गिरावट आ गई क्योंकि तेल का सोता पुराना हो गया था और नये तेल के सोत की परियोजनाओं के निष्पादन में विलंब हुआ था। केजी-डी6 ब्लॉक से प्राकृतिक गैस के उत्पादन में हुई पिछले तीन वर्ष की भांति कमी ने भी वर्ष 2014-15 में प्राकृतिक गैस उत्पादन को प्रभावित किया। बिजली का उत्पादन पिछले दो दशक में 2014-15 के दौरान सबसे अधिक हुआ था, क्योंकि कोयले की आपूर्ति बेहतर थी तथा 22566 मेगावाट (17830 मेगावाट के लक्ष्य के स्थान पर) की अतिरिक्त क्षमता जुड़ गई थी, जो किसी एक वर्ष में अब तक का सबसे अधिक उत्पादन रहा है। क्षमता बढ़ाने, तथा अधिक बिजली पैदा होने एवं बेहतरण वितरण क्षमता से पिछले दो दशक में 7 से 11 प्रतिशत की बिजली की कमी काफी हद तक घटकर 2014-15 में सबसे कम केवल 3.6 प्रतिशत तक रह गई। 2014-15 में तापीय विद्युत क्षेत्र में संयंत्र प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) को काफी हद क़ायम रखा जा सका। हालांकि, 2015-16 की पहली तिमाही में थोड़ी सी कमी दर्ज हुई हैं।

II.1.14 उपभोक्ता के कमजोर खर्च, धीमी निवेश गतिविधियों तथा खराब बाह्य मांग ने 2014-15 में विनिर्माण गतिविधियों को पीछे धकेल दिया था। विनिर्माण क्षेत्र के भीतर निर्यात करने वाले उद्योग जैसे - सूतीवस्त्र, परिधान तथा परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद कम हो गए थे। दूसरी ओर पूंजीगत वस्तुओं के उद्योग जैसे - मशीनरी तथा उपकरण और विद्युत मशीनरी में अच्छी वृद्धि दर्ज की गई। पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में तीन साल तक

चार्ट II.5: आठ प्रमुख उद्योगों में सूचकांक में वृद्धि



कमी होने के बाद बहाली से इसमें आगे चलकर निवश-मांग की बेहतर संभावना के संकेत मिल रहे हैं। किंतु, अप्रैल-जून 2015 के दौरान आईआईपी की वृद्धि में जो गिरावट आई है वह मुख्य रूप से पूंजीगत वस्तुओं, विद्युत और खाद्यान्न उत्पादों के मंद उत्पादन के कारण थी।

सेवाएं

II.1.15 अनुमान है कि वर्ष 2014-15 में सेवा क्षेत्र 9.4 प्रतिशत की दर से बढ़ा है जो मुख्य रूप से 'वित्तीय, भू-संपदा तथा पेशेवर सेवाओं' तथा निर्माण क्षेत्र द्वारा संचालित हुआ है। जहां तक 2015-16 का संबंध है, कमर्शियल/यात्री वाहन बिक्री, वायुयान यात्री ट्रैफिक बंदरगाह और अंतरराष्ट्रीय हवाई कार्गो सहित सेवा क्षेत्र के प्रमुख संकेतकों के बारे में उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष सुधार हुआ है। लेकिन, रेल भाड़ा यातायात, घरेलू हवाई कार्गो पर्यटकों का आगमन, सीमेंट उत्पादन और स्टील की खपत - जो निर्माण गतिविधियों के बारे में अग्रणी संकेत प्रदान करते हैं - में धीमापन दिखाई दिया है। वर्ष 2014-15 के दौरान सेवा क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) मई 2014 से लेकर अब तक विस्तारित अवस्था में था हालांकि आगामी महीनों में विस्तार की दर थोड़ी धीमी थी। लेकिन, मई-जून 2015 में पीएमआई सेवाओं में गिरावट आ गई, क्योंकि उत्पादन और नये आर्डर दोनों में कमी हो गई थी हालांकि जुलाई 2015 में इसमें विस्तार हुआ। कुल खर्च को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे राजकोषीय समेकन से पीछे की ओर जो खिंचाव बन रहा है उसे देखते हुए आगे चलकर 'सरकारी प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं' वृद्धि की टिकाऊ संचालक नहीं बन पाएंगी।

रोजगार पैदा करना

II.1.16 श्रम ब्यूरो द्वारा चुनिंदा निर्यात-उन्मुख क्षेत्रों में किए गए तिमाही रोजगार सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि इन क्षेत्रों में 2012 में अत्यधिक गिरावट आने के बाद वर्ष 2013 और 2014 में इनमें रोजगार पैदा होने की दर बढ़ी है। हालांकि, रोजगार पैदा करने का जो स्तर 2010 के पहले था उस स्तर को अभी तक नहीं पाया जा सका है। सूचना प्रौद्योगिकी- कारोबार उन्मुख प्रक्रिया आउटसोर्सिंग (आईटी-बीपीओ) और सूतीवस्त्र क्षेत्र 2009 से लेकर 2014 तक बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने के प्रमुख निर्यात-उन्मुख क्षेत्र रहे हैं।

आधारभूत सुविधाएं (इन्फ्रास्ट्रक्चर)

II.1.17 प्रमुख उद्योगों (कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और विद्युत) में उत्पादन की वृद्धि 2014-15 में धीमी थी (चार्ट II.5) और अप्रैल-जून 2015 में भी मंद बनी रही। संरचनागत बाधाओं के कारण प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल और उर्वरक के उत्पादन में लगातार गिरावट रही है। इस्पात उद्योग की वृद्धि विश्व में इस्पात के मूल्यों में गिरावट से प्रभावित हुई है और फलस्वरूप इस्पात का आयात बढ़ गया है। दूसरी ओर, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अनेक क्षमता-वर्धन उपायों जैसे - भारी मात्रा में उत्पादन करने वाली प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल, कोयला-स्रोतों से उसके अंतिम उपयोग के बीच लिंकेज को युक्तिपरक बनाकर, रेलवे से समन्वयन करके कोयले को तेजी से खाली करना तथा उसे ज़मीन के भीतर खान में रखना, की सहायता से कोयला क्षेत्र को 2014-15 में फायदा पहुंचा और कोयला क्षेत्र के निष्पादन में वृद्धि काफी आकर्षक रही।

II.1.18 अगस्त 2015 के मध्य तक सरकार के परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) को 675 मेगा परियोजना (10 बिलियन रुपए और उससे अधिक या आधारभूत सुविधा, विनिर्माण, विद्युत आदि क्षेत्रों की किसी अन्य परियोजना) का प्रस्ताव उसके विचारार्थ प्राप्त हुआ है जिसकी अनुपातिक लागत 28.8 ट्रिलियन रुपए है। इनमें से, 9.9 ट्रिलियन रुपए की 291 परियोजनाओं को पीएमजी ने अनुमति दे दी है जिनमें प्रमुख रूप से विद्युत क्षेत्र, उसके बाद कोयला, सड़क और पेट्रोलियम क्षेत्र की परियोजनाएं हैं। हालांकि, अभी भी सरकार द्वारा केंद्रीय आधारभूत सुविधा क्षेत्र के पुनरुत्थान की परियोजनाओं (1.5 बिलियन रुपये एवं उससे अधिक के संबंध में) की गई पहल का प्रभाव अभी भी महसूस नहीं हुआ है जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा निगरानीकृत केंद्रीय

सारणी II.3: परियोजनाओं की स्थिति

केंद्रीय क्षेत्र आधारभूत सुविधा परियोजनाएं

अवधि	कुल परियोजनाओं की संख्या	विलंबित परियोजनाओं की संख्या	विलंबित परियोजनाओं का मूल्य (बिलियन रु.)	डीओसी के परियोजनाओं की संख्या	डीओसी के बिना परियोजनाओं का मूल्य (बिलियन रु.)
1	2	3	4	5	6
मार्च - 15	766	237	4,826	371	2,470
मार्च - 15	751	328	5,752	264	1,531
दिसंबर - 14	738	315	4,961	266	1,475
सितंबर - 14	750	312	5,504	302	1,730
जून - 14	729	290	4,975	300	1,805

स्रोत: इन्फ्रास्ट्रक्चर और परियोजना निगरानी प्रभाग, एमओएसपीआई, भारत सरकार।
डीओसी: संस्थापना की तारीख

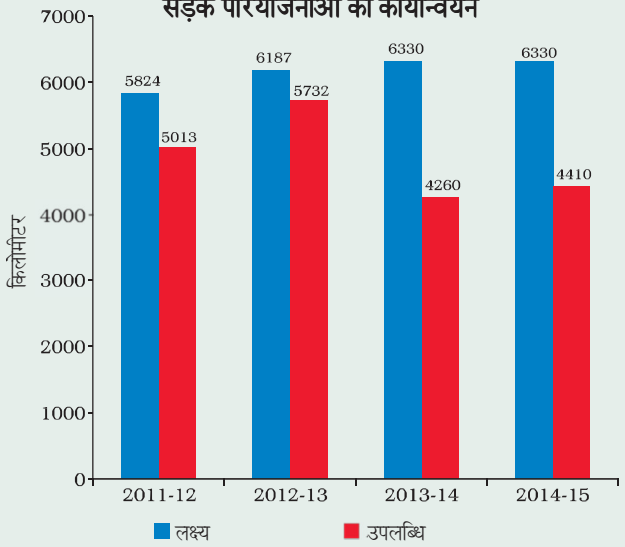
क्षेत्र आधारभूत सुविधा परियोजना (1.5 बिलियन रुपये और उससे अधिक) के पुनरुद्धार के संदर्भ में है (सारणी II.3)।

II.1.19 विश्व बैंक के डाटाबेस[3] के अनुसार 2008-2012 के दौरान भारत में सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से किया गया निवेश सबसे अधिक था, उसके बाद वहीं सड़क एवं बंदरगाह जैसी प्रमुख आधारभूत सुविधा की परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की सहभागिता में तेजी से गिरावट आ गई थी। सरकार द्वारा महामार्गों के निर्माण पर फोकस करने तथा इंजीनियरिंग, उगाही तथा निर्माण (ईपीसी) के सार्वजनिक निधीयन से सड़क निर्माण गतिविधियों में 2013-14 की तुलना में 2014-15 में थोड़ा-सा सुधार दिखाई दिया है (चार्ट II.6)।

II.1.20 मार्च 2015 में स्पेक्ट्रम नीलामी में सभी चारों बैंडों (1800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, और 800 मेगाहर्ट्ज) के लिए अत्यधिक गतिमान तरीके से बोलियां लगाई गई थीं। पहली बार ऐसा हुआ था कि स्पेक्ट्रम के चारों बैंडों के लिए एक-साथ प्रस्ताव पेश किए गए थे (सारणी II.4)।

II.1.21 सरकार ने आधारभूत सुविधा के क्षेत्र में तेजी लाने के लिए हाल के दिनों में कई संरचनागत सुधार की पहल की है : कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 पारित करना, कोयले की खानों की नीलामी, लोहा और इस्पात के शुल्क में वृद्धि, बृहद विद्युत परियोजनाओं के लिए प्लग-एंड-प्ले तरीके से निष्पादन वाली परियोजनाओं को अपनाना, रेलवे में आधारभूत सुविधा में

चार्ट II.6: भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण द्वारा सड़क परियोजनाओं का कार्यान्वयन



स्रोत: भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, भारत सरकार।

100 प्रतिशत तक के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति, राष्ट्रीय निवेश और आधारभूत सुविधा निधि का प्रस्ताव, रेल, सड़क तथा सिंचाई क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए कर-मुक्त इंफ्रास्ट्रक्चर बाण्ड और सड़क तथा रेलवे के लिए बढ़ी हुई परियोजना परिव्यय।

II.1.22 सरकार ने आधारभूत सुविधा क्षेत्र में निवेश को सीधे-सीधे बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं और इस क्षेत्र में सरकारी व्यय को तेजी प्रदान करने के लिए वर्ष 2015-16 में 700 बिलियन रुपए का व्यय रखा है। इस प्रयास से इस क्षेत्र में निजी सहभागिता की भीड़ भी बढ़ेगी। इसके अलावा, सरकार के इस निर्णय से कि अपेक्षित अनुमति एवं लिंकेज प्राप्त कर लेने के बाद ही नई परियोजनाओं का कार्य सौंपा जाएगा, आगे चलकर आधारभूत सुविधाओं की परियोजना को शीघ्रता से पूरा करने के प्रति उत्प्रेरणा का कार्य करेगा।

सारणी II.4: स्पेक्ट्रम नीलामी

वर्ष	राजस्व वसूली (बिलियन रु.)
1	2
2010	1062.62
2012	94.07
2013	36.39
2014	611.61
2015	1098.75

स्रोत: सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार।

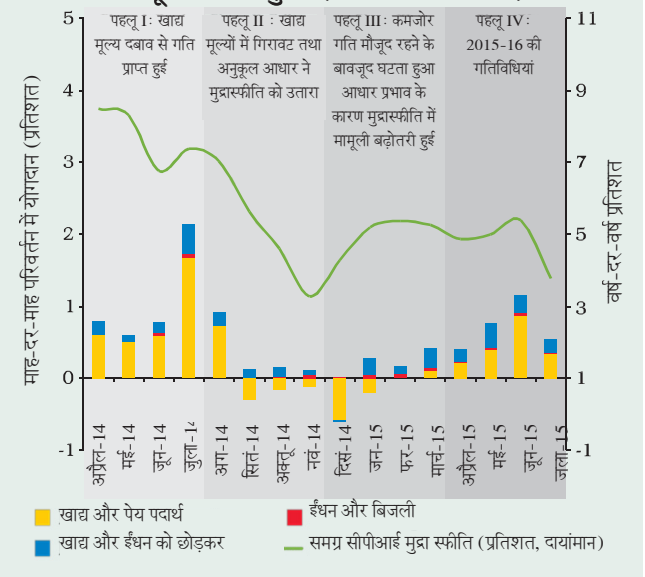
[3]'आधारभूत सुविधा में पीपीपी परियोजनाएं' से संबंधित अनुदेश-पुस्तिका, योजना आयोग, भारत सरकार, मार्च 2014

II.2 मूल्य की स्थिति

II.2.1 वर्ष 2014-15 भारत में मूल्य-लागत गतिकी (डाइनामिक्स) के उद्भव में नया मोड़ था। जनवरी 2014 में मौद्रिक नीति का रुझान अवस्फीति के पथ पर था जो मुद्रास्फीति (अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) या सीपीआई-सी, आधार 2010=100 वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तनों के अनुसार मापा हुआ) को जनवरी 2015 तक नीचे की ओर 8.6 प्रतिशत से 8 प्रतिशत से कम तथा जनवरी 2016 तक 6 प्रतिशत से कम की ओर ले जाएगी। इस रुझान को सितंबर 2013, अक्तूबर 2013 और जनवरी 2014 में प्रत्येक में 25 आधार अंकों के नीतिगत दर वृद्धि द्वारा समर्थन प्राप्त हुआ। हालांकि, उत्तर-भारत में मौसम संबंधी परिवहन बाधाओं के कारण बेमौसम खाद्य-मूल्य में तीव्र वृद्धि ने जुलाई 2014 तक मुद्रास्फीति को अड़ियल ढंग से ऊँचा रखा, जबकि मुद्रास्फीति-विरोधी मौद्रिक नीति के साथ निरंतर दृढ़ता के कारण 2013-14 की दूसरी छमाही में हुई मूल्य वृद्धि अर्थव्यवस्था में डाली गई। विभिन्न प्रकार की आपूर्ति प्रबंधन कार्य नीतियों की सहायता से तथा सितंबर 2014 और फरवरी 2015 के बीच अंतरराष्ट्रीय पण्य मूल्यों[1] में प्रभावशाली तरीके से 28 प्रतिशत की छलांग से मुद्रास्फीति दृढ़ता (निरंतर छह वर्ष के लिए दो अंकों के करीब सीपीआई मुद्रास्फीति) अंततः टूट गई तथा हेडलाइन मुद्रास्फीति अगस्त 2014 से नरम होने लगी। जुलाई और नवंबर 2014 के बीच मुद्रास्फीति की गिरावट में खाद्य मूल्य दबाव में 76 प्रतिशत की कमी का योगदान रहा। अप्रैल 2015 तक यह 4.9 प्रतिशत तक घट गया जो नए सीपीआई सीरीज़ (आधार 2012=100) द्वारा मापी गई। अतः जून 2015 में 5.4 प्रतिशत का इज़ाफा होने के बावजूद यह पुष्टि की गई कि अवस्फीति मजबूत हो रही थी जो मुख्यतः ईंधन मूल्य समायोजन और अल्पावधि खाद्य-मूल्य दबाव को दर्शाता है, जुलाई 2015 में मुद्रास्फीति काफी कम होकर 3.8 प्रतिशत हो गई। मुख्यतः खाद्य और ईंधन को छोड़कर मुद्रास्फीति मई 2014 में 8.3 प्रतिशत रही जो लगभग आधा घटकर मार्च 2015 में 4.2 प्रतिशत हो गई जिससे अवस्फीति प्रक्रिया को टिकाऊ गति प्राप्त हुई। तथापि, यह जुलाई 2015 में 4.5 प्रतिशत तक गिरने से पहले जून 2015 में उल्लेखनीय ढंग से 5.0 प्रतिशत तक बढ़ गयी। दिसंबर 2014 तक पारिवारिक मुद्रास्फीति प्रत्याशाएं (आगे के तीन माह और आगे का एक वर्ष) जो सितंबर 2009 से लगातार दो अंकों में मौजूद थीं वह धीरे से एक अंक में आ गई।

II.2.2 2014-15 के दौरान औसत मुद्रास्फीति 5.9 प्रतिशत थी जोकि एक वर्ष पूर्व 9.5 प्रतिशत की मुद्रास्फीति से बहुत कम पाई गई (चार्ट II.7)। तथापि, 2014-15 के दौरान मुद्रास्फीति में अंतर-वर्ष उतार-चढ़ाव में तीन विशिष्ट पहलू प्रकट हुए - पहला, अगस्त तक मौसम संबंधी सब्जियों के मूल्यों में दबाब; दूसरा खाद्य मूल्यों में उत्तरवर्ती गिरावट तथा गिरते हुए वैश्विक पण्य मूल्यों का खाद्य, ईंधन और सेवा मूल्यों में अंतरण जिससे मुद्रास्फीति पथ में प्रमुख बदलाव आया जिसने मुद्रास्फीति को नवंबर 2014 में 3.3 प्रतिशत अंतः वर्ष तक नीचे ले गया; और अंत में अनुकूल आधार प्रभावों में उलट-फेर जिससे मार्च 2015

चार्ट II.7 : मुद्रास्फीति में प्रवृत्ति : उपभोक्ता मूल्य सूचकांक - संयुक्त (आधार 2012=100)



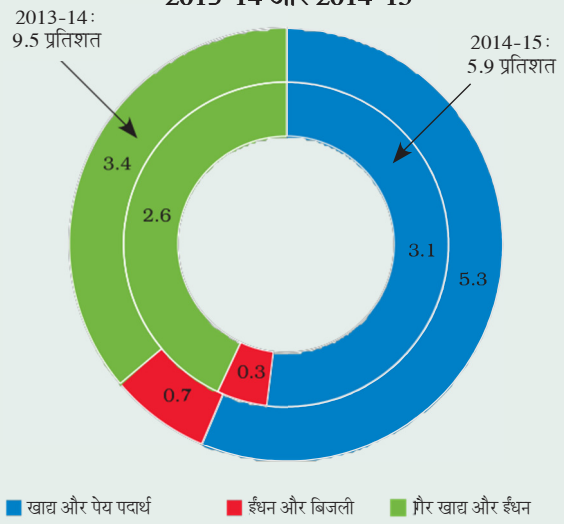
[1] आईएमएफ के प्राथमिक पण्य मूल्य सूचकांक द्वारा मापा गया।

में मुद्रास्फीति 5.3 प्रतिशत तक बढ़ गई। उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2014 - फरवरी 2015 के दौरान मुद्रास्फीति बढ़ती रहने के बावजूद माह-दर-माह मूल्यों में वृद्धि कम या नकारात्मक रही जो मुद्रास्फीति जोखिमों की निरंतर कमी को प्रमाणित करता है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति के ड्राइवर्स

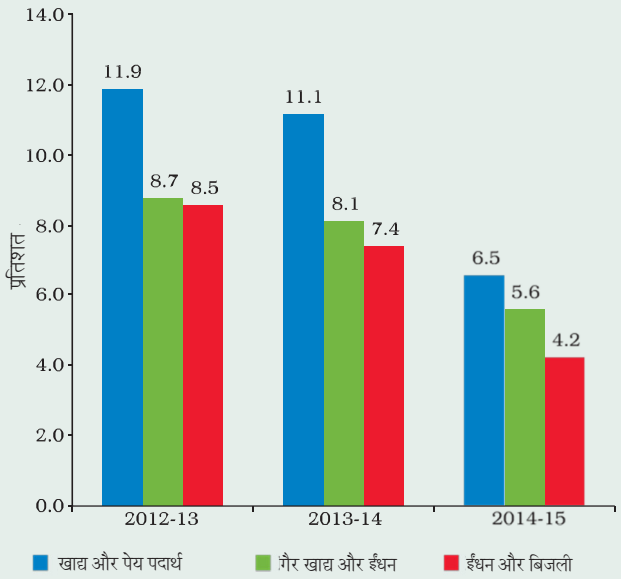
II.2.3 सीपीआई मुद्रास्फीति के सभी तीन प्रमुख मूल समूह- खाद्य, ईंधन और खाद्य तथा ईंधन को छोड़कर वर्गों का हेडलाइन मुद्रास्फीति की गिरावट में योगदान रहा। इससे आपूर्ति स्थितियों में सुधार तथा मुद्रास्फीति गति में ह्रास का पता चलता है (चार्ट II.8) जिसका सबसे अधिक प्रभाव खाद्य घटकों से प्रकट हुआ। मुद्रास्फीति में ईंधन समूह का योगदान अत्यलप रहा जो गैर-परिवहन ईंधन वस्तुओं की प्रशासित मूल्यों में बदलाव की गिरती बारंबारता तथा अपेक्षाकृत निम्न भार दर्शाता है। खाद्य और ईंधन को छोड़कर मुद्रास्फीति में गिरावट मुद्रास्फीति विरोधी मौद्रिक नीति रुझान के कारण आई चूंकि उनके लगभग सभी उप-घटकों की मुद्रास्फीति में मामूली गिरावट आई थी।

चार्ट II.8: सीपीआई मुद्रास्फीति के अंशदाता: 2013-14 और 2014-15



टिप्पणी: चार्ट के भीतर आंकड़े प्रतिशतता पाइंट में योगदान दर्शाता है।

चार्ट II.9: प्रमुख समूहों में सीपीआई मुद्रास्फीति



खाद्य मुद्रास्फीति

II.2.4 2014-15 के दौरान खाद्य और गैर-खाद्य समूहों के बीच वेड्ज काफी संकुचित हो गया (चार्ट II.9)। दो प्रमुख समूहों - अनाज और सब्जियां दोनों को मिलाकर वर्ष के दौरान औसत खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति में लगभग 80 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। अनाज की मुद्रास्फीति में गिरावट, 2014-15 में न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी) में आशोधन के न्यून क्रम (सारणी II.5) तथा गेहूँ का खुला बाज़ार बिक्री सहित जनता वितरण

सारणी II.5: खाद्यान्न हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (· प्रति क्विंटल)

पण्य	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1	2	3	4	5
धान (सामान्य)	1,250	1,310	1,360	1,410
गेहूँ	1,350	1,400	1,450	-
दाल	3,000	3,100	3,175	-
अरहर (तुवर)	3,850	4,300	4,350	4,425
मूंग	4,400	4,500	4,600	4,650
उड़द	4,300	4,300	4,350	4,425

स्रोत: डीएसी, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय।

प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत सक्रिय आपूर्ति प्रबंधन के कारण हुई। सब्जियों के मूल्य ने 2014-15 की पहली छमाही में मौसम संबंधी उतार-चढ़ाव पर ध्यान नहीं दिया तथा 2014-15 की दूसरी छमाही में स्टॉक एकत्र करना प्रोत्साहित न करने तथा सब्जियों को आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए) के अंतर्गत ले आने के कारण उसमें अपेक्षाकृत तेजी से गिरावट दर्ज की गई। वैश्विक मूल्यों के साथ-साथ चीनी के मूल्यों में कमी आई लेकिन प्रोटीन-युक्त वस्तुओं (अंडे, मछली, मांस, दूध और दालें) ने मुद्रास्फीति में नीचे की ओर सख्ती का प्रदर्शन किया जो मांग और आपूर्ति के बीच संरचनात्मक बेमेल दर्शाता है।

II.2.5 आपूर्ति श्रृंखला और फसल के बाद उपज प्रबंधन, दोनों को सुधारने के लिए कई नीतिगत उपक्रम शुरू किए गए। इनमें राज्यों को परामर्श जारी करना ताकि वे कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) अधिनियम से फल और सब्जियों को सूची से हटाकर उनकी मुक्त आवजाही करवा सके; ईसीए की परीधि के अंतर्गत प्याज और आलू ले आना शामिल है जिसके फलस्वरूप राज्य सरकारें स्टॉक सीमाएं लगा सकें ताकि व्यवसायी समूहन तथा जमाखोरी को संभाल जा सके और स्टॉक सीमाओं के उल्लंघन को गैर-जमानती अपराध बनाया जा सके। 26 जून 2014 से लागू आलू के लिए प्रति मेट्रिक टन (एमटी) 450 अमरीकी डॉलर तथा 21 अगस्त 2014 से लागू प्याज के लिए प्रति मेट्रिक टन (एमटी) 300 अमरीकी डॉलर न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) लगाने से भी इन खराब हो जानेवाली वस्तुओं की घरेलू आपूर्ति को बनाए रखने में सहायता प्राप्त हुई।

ईंधन समूह की मुद्रास्फीति

II.2.6 अगस्त 2014 से कच्चे तेल में 50 प्रतिशत से ज्यादा गिरावट दर्ज की गई लेकिन इस गिरावट का संपूर्ण अंतरण (पास-थ्रू) तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) की सुस्त वसूली के कारण बाधित रहा (सारणी II.6) साथही, सरकार ने नवंबर 2014 में संचयी रूप से ₹ 7.75 प्रति लीटर पेट्रोल के लिए तथा ₹ 6.50 प्रति लीटर डीज़ल के लिए उत्पाद शुल्क बढ़ाया जिससे मूल्यों में समग्र गिरावट की कमी आंशिक रूप से पूरी हो गई। कोयला के संबंध में भारतीय मूल्य, वैश्विक मूल्यों की तुलना में ऐतिहासिक रूप से काफी हद तक कम रहे। अतः 2014-15 के दौरान वैश्विक कोयला मूल्यों का परिणाम यह रहा कि घरेलू मूल्यों में कमी के बजाय वैश्विक और घरेलू मूल्यों के बीच के अंतर को भरा गया। परिवहन और संप्रेषण उप-समूह सीपीआई, जिसमें पेट्रोल और डीज़ल के खुदरा मूल्य शामिल हैं, अंतरराष्ट्रीय तेल मूल्यों में हुए उतार-चढ़ाव के अनुकूल रहा। चूंकि सीपीआई ईंधन समूह में कई वस्तुएं शामिल हैं जैसे बिजली और केरोसिन जिसके मूल्य प्रशासित हैं, अतः इस वर्ग में मूल्य अस्थिर रहे (चार्ट II.10)

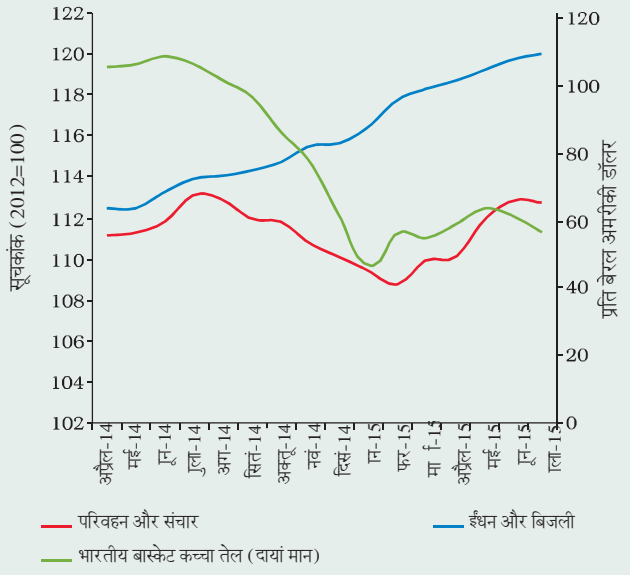
सारणी II.6: तेल विपणन कंपनियों की कम-वसूली

(₹ बिलियन)

उत्पाद	2013-14	2014-15
1	2	3
डीज़ल	628	109
पीडीएस मिट्टी का तेल	306	248
घरेलू एलपीजी	465	366
जोड़	**1,399**	**723**

स्रोत: पीपीएसी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय।

चार्ट II.10: वैश्विक और घरेलू ईंधन मूल्य में उतार-चढ़ाव



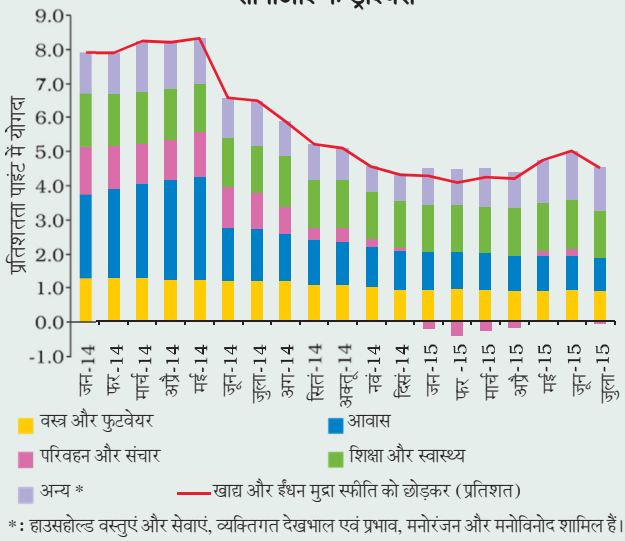
खाद्य और ईंधन को छोड़कर मुद्रास्फीति

II.2.7 वैश्विक कच्चे तेल के मूल्यों में नरमी के चलते परिवहन और संप्रेषण के उप-समूहों से संबंधित मूल्यों में गिरावट दर्ज की गई। वर्ष के अंत तक, परिवहन और संप्रेषण वर्ग का मुद्रास्फीति के प्रति नकारात्मक योगदान रहा (सारणी II.11)। साथही, आवासीय मुद्रास्फीति ने आंशिक रूप से प्रणाली संबंधी सुधार जिसमें पुरानी सीरीज़ में 6,684 किराये वाले मकानों से किराया डाटा संग्रहित करने हेतु नमूना माप को दुगुना करके संशोधित सीरीज़ में 13,368 करना शामिल है, के फलस्वरूप नई सीरीज (आधार 2012=100) के अंतर्गत और अधिक उल्लेखनीय कमी दर्शाई गई। सेवा घटकों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षण और पारिवारिक इकाइयों की आवश्यक वस्तुओं में मुद्रास्फीति में गिरावट दर्ज की गई जो मजदूरी संवृद्धि में मंदी दर्शाता है।

ग्रामीण मज़दूरी में वृद्धि मंद हुई

II.2.8 वर्ष 2014-15 के दौरान ईंधन, खेती की निविष्टियों के कारण इनपुट लागत बढ़ जाने का दबाव था तथा ग्रामीण क्षेत्र की मज़दूरी-वृद्धि में अत्यधिक ह्रास हुआ था। ग्रामीण मजदूरी में 2007-08 और 2012-13 में अप्रत्याशित रूप से अत्यधिक बढ़ोतरी के बाद हाल की अवधि में उसमें कमी आना अकादमिक

चार्ट II.11: खाद्य और ईंधन मुद्रास्फीति को छोड़कर सीपीआई के ड्राइवर्स



*: हाउसहोल्ड वस्तुएं और सेवाएं, व्यक्तिगत देखभाल एवं प्रभाव, मनोरंजन और मनोविनोद शामिल हैं।

और नीतिगत दिलचस्पी का विषय बन गया है। नई मज़दूरी श्रृंखला के अनुसार, वार्षिक मज़दूरी वृद्धि नवंबर 2014 से मई 2015 तक क्रमशः कृषि क्षेत्र के लिए 3.9 प्रतिशत पर तथा कृषि से इतर व्यवसायों के लिए 5.7 प्रतिशत पर बनी रही। यह वृद्धि दर 2007 से 2013 तक छह वर्ष की अवधि के दौरान कृषि क्षेत्र व्यवसाय के लिए 16 प्रतिशत की तथा कृषि से इतर क्षेत्र के व्यवसाय के लिए 14 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर से अत्यधिक कम थी। तथापि, इस बात का मूल्याकंन करते समय कि मज़दूरी में वृद्धि के परिवर्तनों का मुद्रास्फीति पर प्रभाव कितने समय तक रहता है, उसमें उत्पादकता की भूमिका का परीक्षण भी सावधानी से किया जाना चाहिए। (बॉक्स II.2)

थोक मूल्य मुद्रास्फीति

II.2.9 थोक मूल्य सूचकांक (डब्लूपीआई) द्वारा मापी गई मुद्रास्फीति 2014-15 में अत्यधिक घट गई थी। नवंबर, 2014 से थोक मूल्यों में और भी गिरावट आई [जुलाई 2015 में (-) 4.1 प्रतिशत, वर्ष-दर-वर्ष] (चार्ट II.12)। विनिर्मित खाद्येतर उत्पादों के मूल्य भी जुलाई 2015 में (-) 1.4 प्रतिशत घट गए, वर्ष-दर-वर्ष, जो अर्थव्यवस्था में मंदी की सीमा तथा लागत के दबावों में आई हुई गिरावट को दर्शाता है।

विश्व में वस्तुओं के मूल्य और आपूर्ति की स्थिति

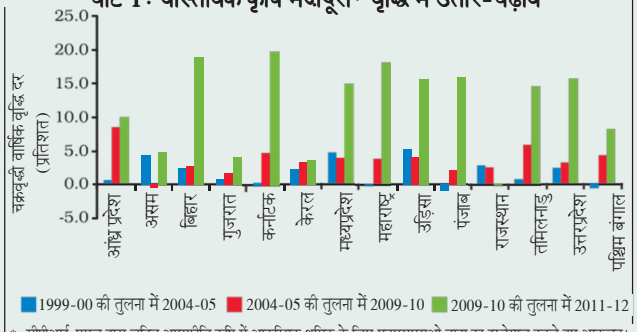
II.2.10 वर्ष 2014-15 में विश्व में वस्तुओं के मूल्य तेजी से गिरे हैं जबकि वस्तुओं की आपूर्ति बेहतर हुई है, भारी मात्रा में बेशी वस्तुओं की क्षमता थी और मांग की स्थिति कमज़ोर थी (चार्ट II.13)। वर्ष के प्रारंभ में, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई थीं क्योंकि लीबिया, नाइजीरिया और सीरिया में विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। अगस्त 2014 से कच्चे तेल की कीमतें काफी घट गईं, इसका कारण था कि उत्तरी अमरीकी शेल आयल से प्रचुर आपूर्ति थी तथा पेट्रोलियम निर्यातक राष्ट्रों के संगठन (ओपेक) ने नवंबर 2014 की बैठक में यह निर्णय लिया था कि तेल के उत्पादन में कटौती न की जाए। विश्व में कच्चे तेल की कीमतें 47 अमरीकी डालर प्रति बैरल (भारतीय बासकेट) के निचले स्तर तक पहुंच गई, जो जून 2014 से लेकर जनवरी 2015 के बीच 57 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है। चूंकि विश्व में आर्थिक सुधार की गति धीमी थी जिसने

बॉक्स II.2
मज़दूरी वृद्धि और ग्रामीण मुद्रास्फीति - क्या उनमें संबंध है?

ग्रामीण मज़दूरी में वृद्धि मूल्य को प्रभावित कर सकती है, मांग में वृद्धि तथा उत्पादन की लागत में बढ़ोतरी दोनों तरीके से। दूसरी ओर, मज़दूरी में वृद्धि की स्वतः प्रतिक्रिया कीमतों में वृद्धि हो जाने की होती है, खासतौर से खाद्यान्न की कीमतों में। मज़दूरी-मुद्रास्फीति का अंतर्संबंध भी उत्पादकता के माध्यम से कार्य करता है - श्रमिक की उत्पादकता बढ़ते ही मज़दूरी बढ़ जाती है। श्रमिक की उत्पादकता में वृद्धि से प्रति इकाई श्रम लागत घट जाती है, जो प्रति इकाई उत्पादन की औसत श्रम लागत होती है (सामान्यतया इसकी गणना कुल श्रम लागत की तुलना में वास्तविक उत्पादन के अनुपात के रूप में की जाती है) और इसलिए यह संभव है कि अंतिम उत्पाद की कीमत बढ़ाए बिना ही मज़दूरी बढ़ाकर अदा की जाए। दूसरी ओर, यदि मज़दूरी में हुई वृद्धि का मामला उत्पादकता में हुई वृद्धि से नहीं जुड़ा है, तो प्रति इकाई श्रम लागत में वृद्धि से उत्पाद की कीमतें और बढ़ जाएंगीं और इस प्रकार मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा हो जाएगी। यह डायनामिक्स क्षेत्रीय परिदृश्य में और भी जटिल होता है जहां उत्पाद और श्रमिक बाज़ारों में अत्यधिक विषमता होती है।

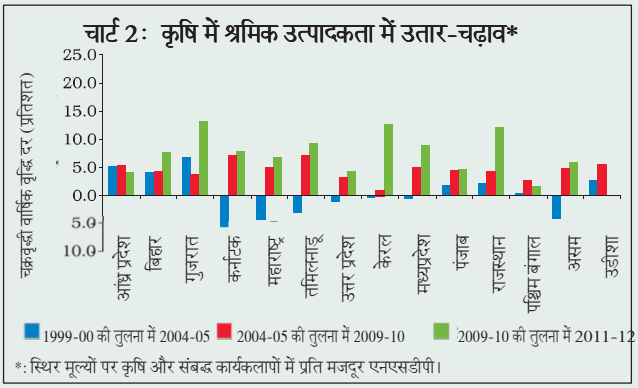
अखिल भारतीय स्तर पर तथा प्रमुख राज्यों के लिए कृषि श्रमिक उत्पादकता तथा कृषि-मज़दूरी के बीच तुलना इस विषय में और अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। वास्तविक मज़दूरी वृद्धि में, अर्थात् कृषि-मज़दूरी सीपीआई-ए-एल मुद्रास्फीति हेतु समायोजित, 1999-00 से 2004-05 की अवधि के दौरान गिरावट रही थी। बाद में, 2004-05 से 2011-12 के दौरान इसमें तीव्र वृद्धि हुई (चार्ट 1)। यह प्रवृत्ति बड़े स्तर पर थी और कृषि उत्पाद वाले कई प्रमुख राज्यों जैसे - आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में पाई

चार्ट 1: वास्तविक कृषि मज़दूरी* वृद्धि में उतार-चढ़ाव



*: सीपीआई-एएल द्वारा जनित अपस्फीति कृषि में आकस्मिक श्रमिक के लिए एनएसएसओ डाटा का इस्तेमाल करते हुए आकलन।

चार्ट 2: कृषि में श्रमिक उत्पादकता में उतार-चढ़ाव*



*: स्थिर मूल्यों पर कृषि और संबद्ध कार्यकलापों में प्रति मज़दूर एनएसडीपी।

गई। कृषि श्रमिक उत्पादकता में 1999-00 की तुलना में 2004-05 में गिरावट आ गई थी, किंतु बाद में 2009-10 से 2011-12 में अखिल भारतीय स्तर पर तथा प्रमुख राज्यों में बढ़ गई (चार्ट 2)। उत्पादकता में यह जो सुधार हुआ था उसका आंशिक कारण श्रमिक बल का कृषि क्षेत्र से कृषि से इतर क्षेत्र के व्यवसाय की ओर जाना रहा है, जिससे कृषि क्षेत्र में काम कर रहे श्रमिक बल की कुल संख्या 2004-05 की तुलना में 2011-12 में घट गई। इस प्रकार, वास्तविक मज़दूरी में तीव्र वृद्धि को आंशिक रूप से उत्पादकता में वृद्धि करके समायोजित किया गया था। ग्रामीण मज़दूरी में वृद्धि का प्रभाव ग्रामीण खाद्यान्न पर बहुत अधिक नहीं था क्योंकि उत्पादकता में समानुपतिक वृद्धि हो रही थी (गोयल और बायकर 2014)। 2013 के बाद कुछ राज्यों जैसे - मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु को छोड़कर भारत में वास्तविक मज़दूरी - वृद्धि में गिरावट हुई है। वास्तविक मज़दूरी - वृद्धि में इस प्रकार की गिरावट मुख्यतया सांकेतिक मज़दूरी-वृद्धि में कमी आने से हुई है।

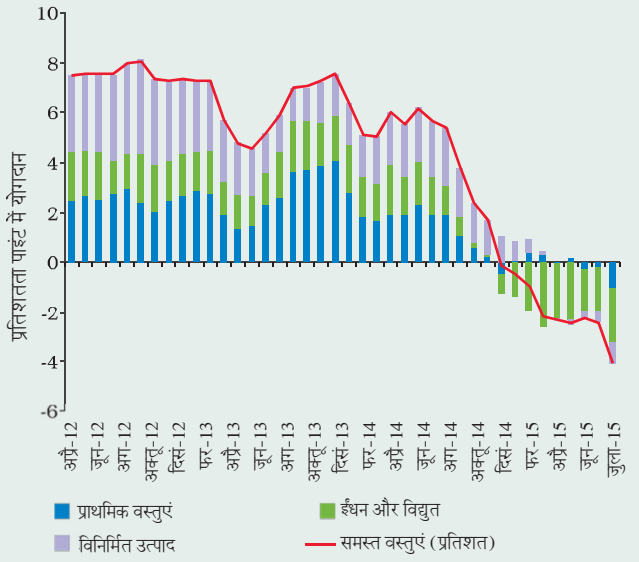
संदर्भ :

आर.एच. ढोलकिया, एम.बी. पंडया और पतेरिया (2014), 'प्रमुख राज्यों में ग्रामीण आय भिन्नता: संरचनागत कारकों का योगदान', वर्किंग पेपर सं.7, आईआईएम, अहमदाबाद।

ए - गोयल और ए.के. बायकर (2014), मनोविज्ञान, चक्रियता अथवा प्रोग्राम्स : भारत में ग्रामीण मज़दूरी और मुद्रास्फीति डायनामिक्सट, वर्किंग पेपर, आईजीआईडीआर, मुंबई।

मांग की संभावनाओं को कमज़ोर बनाए रखा था, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का अनुमान है कि जून और दिसंबर 2014 के बीच मूल्य में जो गिरावट हुई थी उसमें कम मांग का हिस्सा केवल 20 से 35 प्रतिशत तक ही था।

चार्ट II.12: डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति में समूह-वार योगदान



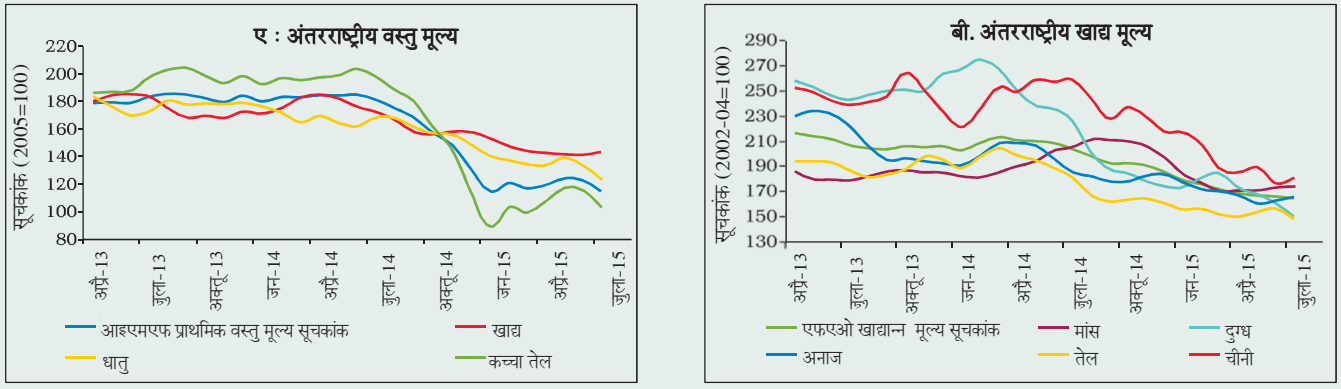
II.2.11 जनवरी 2015 से कई कारणों से जैसे अमरीका में तेल के भाव में गिरावट, उनके स्टाक में कमी तथा मध्य-पूर्व में बढ़ते भू-राजनैतिक तनाव से तेल की कीमतों पर ऊपर का दबाव पुनः बढ़ रहा है। मई 2015 में भारतीय बासकेट मूल्य 63.8 अमरीकी डालर प्रति बैरल पर बने हुए थे किंतु बाद में अगस्त 2015 के मध्य तक घटकर 49 अमरीकी डालर प्रति बैरल हो गए क्योंकि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के साथ ईरान का परमाणु सौदा हो जाने से तेल की आपूर्ति की संभावनाएं बेहतर हो गईं। धातुओं के मूल्य 2014 में गिर गए थे क्योंकि उनकी आपूर्ति अधिक थी और उभरते बाज़ारों, खासतौर से चीन से उनकी मांग कम होती जा रही थी।

II.2.12 वर्ष 2014 में खाद्यान्न की कीमतों में 3.8 प्रतिशत तक की गिरावट आ गई थी क्योंकि संचित भंडार काफी था जिसने विश्व में वस्तुओं जैसे - अनाज, तेल और चीनी की कीमतों को नीचे खींच दिया। खाद्यान्न और कृषि संगठन (एफएओ) ने जुलाई 2015 में अद्यतन स्थिति प्रस्तुत करते हुए संशोधित अनुपात यह दिया है कि अनाज का उत्पादन और अधिक हुआ है और उसका मुख्य कारण यह था कि अनाज का उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों में गेहूं का भारी मात्रा में उत्पादन हुआ है। लेकिन, एफएओ ने यह भविष्यवाणी की है कि 2015 में विश्व में अनाज का उत्पादन 1.1 प्रतिशत तक घट सकता है किंतु अनाज का अत्यधिक भंडार उत्पादन की इस कमी को पूरा कर लेगा। वर्ष 2015 में अब तक, लगभग खाने की सभी वस्तुओं की कीमतें- घटती जा रही हैं, उनकी आपूर्ति अधिक है और कारोबारी गतिविधियां धीमी हैं, क्योंकि खरीददार यह उम्मीद कर रहे हैं कि आगामी महीनों में वस्तुओं की कीमतों में और अधिक गिरावट आएगी।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के आधार-वर्ष में संशोधन

II.2.13 केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ने गृहस्थों की बदलती उपभोग-प्रवृत्ति को शामिल करने की दृष्टि से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अपने आधार-वर्ष 2010 को बदलकर 2012 कर दिया है, जिसमें राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ)

चार्ट II.13 : विश्व में वस्तुओं की कीमतों की प्रवृत्ति



सारणी II.7 : भार डाईग्राम की तुलना - पूर्व और संशोधित सीपीआई श्रृंखला

(प्रतिशत)

उप-वर्ग	आधार वर्ष : 2010			आधार वर्ष: 2012		
	ग्रामीण	शहरी	संयुक्त	ग्रामीण	शहरी	संयुक्त
1	2	3	4	5	6	7
खाद्यान्न और पेय-पदार्थ	56.59	35.81	47.58	54.18	36.29	45.86
पान, तंबाकू और नशीले पदार्थ	2.72	1.34	2.13	3.26	1.36	2.38
वस्त्र और जूते-चप्पल	5.36	3.91	4.73	7.36	5.57	6.53
आवास	--	22.54	9.77	--	21.67	10.07
ईंधन और बिजली	10.42	8.40	9.49	7.94	5.58	6.84
विविध	24.91	28.00	26.31	27.26	29.53	28.32
कुल	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

'--': आवास के लिए सीपीआई (ग्रामीण) का समेकन नहीं किया गया है।

स्रोत: सीपीआई आधार वर्ष संशोधन से संबंधित प्रेस विज्ञप्ति, एमओएसपीआई, भारत सरकार।

के नवीनतम उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण (सीईएस), 2011-12 के भारित पैटर्न का उपयोग किया गया है। विभिन्न वर्षों में उपभोक्ताओं के बदलते व्यय पैटर्न को नयी सीपीआई श्रृंखला के लिए गणना किए गए उप-श्रेणीवार- भार के रूप में दिखाया गया है (सारणी II.7)

II.2.14 पद्धति के अनुसार, नई श्रृंखला में कई सुधार किए गए हैं : भार का पैटर्न जो आशोधित मिश्रित संदर्भ अवधि पर आधारित है (एमएमआरपी); अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत 'उद्देश्य के अनुसार व्यक्ति के उपभोग का वर्गीकरण' उसमें उपयुक्त विचलन सहित; और प्रारंभिक / मद के स्तर पर सूचकांक की गणना के लिए रेखागणितीय मध्यमान का उपयोग करना। गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी के अंतर्गत मदों के मूल्यों के साथ-साथ, अंत्योदय अन्य योजना (एएवाई) के अंतर्गत आने वाली मदों को भी नई श्रृंखला में शामिल किया गया है। इस संशोधन से कई प्रकार के नीतिगत प्रभाव पड़ेंगे : खाद्यान्न मूल्यों के आघात के प्रति समग्र सूचकांक की न्यूनतर संवेदनशीलता तथा विशिष्ट तरीके से मूल्यों में उतार-चढ़ाव एवं मद स्तर पर मुद्रास्फीति के स्रोतों का पता लगाने में स्पष्टता।

मुद्रास्फीति के संबंध में प्रगति : 2015-16 में अब तक

II.2.15 सीपीआई मुद्रास्फीति अप्रैल 2015 में 5 प्रतिशत से नीचे गिरने के बाद जून 2015 में बढ़कर 5.4 प्रतिशत हो गई जिसकी वजह खाद्यान्न समूह था जिसके अंतर्गत दाल के उत्पादन में 2014-15 के दौरान गिरावट आ गई थी और सब्जियों की कीमतों पर थोड़े समय के लिए दबाव बन गया था। किंतु, जुलाई में मुद्रास्फीति काफी घटकर 3.8 प्रतिशत पर पहुंच गई क्योंकि आधारगत प्रभाव अनुकूल था और खाद्यान्न की कीमतों का दबाव कम था। खाद्यान्न और ईंधन को छोड़कर, मुद्रास्फीति मार्च 2015 में 4.2 प्रतिशत से काफी बढ़कर जून 2015 में 5.0 प्रतिशत हो गई जिसका कारण सेवा खंड अर्थात स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र में बड़े आधार पर महंगाई बढ़ गई थी तथा परिवहन और संचार उप-समूह के अंतर्गत फुटकर ईंधन मूल्य भी बढ़ गए थे। लेकिन, मुद्रास्फीति जुलाई 2015 में कम होकर 4.5 प्रतिशत हो गई जो हाल में ईंधन के मूल्यों में हुई गिरावट के साथ-साथ परिवहन लागत कम रहने से हुई। उल्लेखनीय है कि गृहस्थों की प्रत्याशा मुद्रास्फीति जून 2015 तिमाही में वापस दो अंकों तक पहुंच गई।

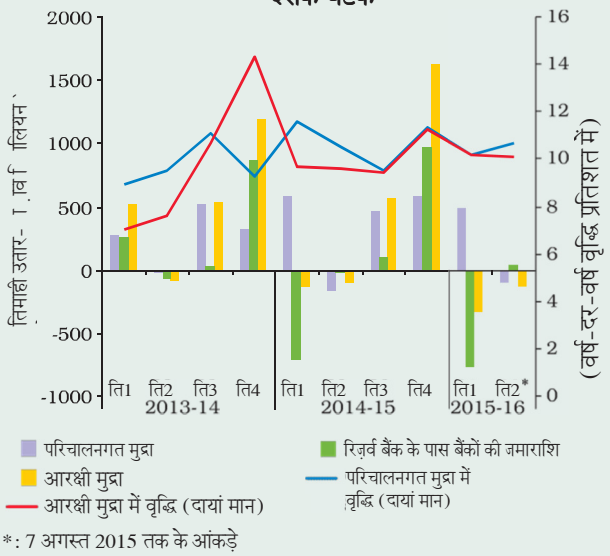
II.3 मुद्रा एवं ऋण

II.3.1 प्रमुख मौद्रिक और समग्र बैंकिंग में हुई धीमी संवृद्धि से पता चलता है कि 2014-15 के दौरान मुद्रा एवं ऋण की स्थितियां कमजोर बनी रहीं जैसा कि पूंजी अंतर्वाह से रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी विनिमय आस्तियों में जो उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई थी उसे सक्रिय चलनिधि प्रबंधन परिचालनों ने काफी हद तक निष्प्रभावी कर दिया। परिणामस्वरूप, आरक्षी मुद्रा में मंथर गति से बढ़ोतरी हुई जो आर्थिक गतिविधि की धीमी गति के साथ-ही साथ रिज़र्व बैंक के अप-स्फीतिकारी मौद्रिक नीतिगत उपायों को दर्शाता है। पिछले वर्ष की तुलना में मुद्रा आपूर्ति(एम$_3$) में हुई वृद्धि भी धीमी रही जो विभिन्न घटकों की आपस में अन्योन्याश्रियता दर्शाती है। सर्वप्रथम, ऋण मांग दबी रही जो कि अर्थव्यवस्था में मंदी दर्शाती है। दूसरे, गैर-निष्पादन आस्तियों (पुनः संरचित आस्तियों सहित) के बढ़ते स्तर से संपूर्ण बैंकिंग क्षेत्र में जोखिम से बचने की भावना उत्पन्न हो गई। इसने ऋण आपूर्ति में कमी ला दी विशेष रूप से दबावग्रस्त क्षेत्रों में जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जबकि वैयक्तिक ऋणों तथा खुदरा ऋणों के पोर्टफोलिओ के पक्ष में मार्जिन हो गया क्योंकि इसमें गैर-निष्पादन आस्तियों (एनपीए) की भी घटनाएं उल्लेखनीय रूप से कम थीं। तदनुसार, जमा राशियों तक पहुंच बनाने में बैंकों की स्थिति में कमी आई क्योंकि कारपोरेट परिवारों और निकायों की प्रतिस्पर्द्धी वित्तीय आस्तियों के संदर्भ में जमा राशियों पर अपर्याप्त वास्तविक प्रतिफल प्राप्त हुए थे।

आरक्षी मुद्रा

II.3.2 2014-15 के दौरान आरक्षी मुद्रा में 11.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो कि पिछले वर्ष की 14.4 प्रतिशत की वृद्धि से कम है। घटकों की ओर देखें तो, परिचालन में मुद्रा, जो कि आरक्षी मुद्रा का लगभग 75 प्रतिशत बैठती है, में 11.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। मुद्रा की मांग में एक वर्ष पूर्व के 9.2 प्रतिशत के स्तर से आई बढ़ोतरी कई घटकों की अन्योन्याश्रियता को प्रदर्शित करती है- चुनावों से प्रेरित मुद्रा के लिए मांग और बढ़ी हुई खाद्य सब्सिडी (चार्ट-II.14)। दूसरी ओर, रिज़र्व बैंक के पास बैंकों की जमाराशियों की वृद्धि में कमी हुई और यह 8.3 प्रतिशत रही, जो

चार्ट II.14: आरक्षी मुद्रा में उतार-चढ़ाव और इसके घटक



*: 7 अगस्त 2015 तक के आंकड़े

मुख्यतः जमाराशि की संवृद्धि में कमी दर्शाता है। सितंबर 2013 से न्यूनतम दैनिक सीआरआर शेष को 95 प्रतिशत निर्धारित करने के बाद संपूर्ण 2014-15 में आरक्षियों का रखरखाव एक समान बना रहा। 2013-14 में बैंकिंग क्षेत्र का औसत दैनिक आरक्षी होल्डिंग अधिशेष 3 प्रतिशत था जो 2014-15 में कम होकर 2 प्रतिशत रह गया, जो सितंबर 2014 में लागू किए गए नए चलनिधि प्रबंधन फ्रेमवर्क के तहत कुछ कुशलता लाभ होना दर्शाता है। आवश्यकता पड़ने पर चलनिधि की उपलब्धता रहने के आश्वासन के चलते प्रणालीगत स्तर पर चलनिधि प्रवाह में कुछ सुविधा नज़र आती है।

II.3.3 यदि स्रोत की ओर देखें तो, निवल घरेलू आस्तियों (एनडीए)और निवल विदेशी आस्तियों (एनएफए) के रूप में 2014-15 में आरक्षी मुद्रा के घटकों में परिवर्तन हुआ है। विदेशी पूंजी के लिए भारत के तरजीही गन्तव्य बन कर उभरने से, विदेशी मुद्रा बाजार में अनपेक्षित उतार-चढ़ाव को कम करने के लिए रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा संबंधी परिचालनों के परिणामस्वरूप एनएफए में काफी वृद्धि हुई, लगभग ₹ 3.2 ट्रिलियन की प्राथमिक चलनिधि (आरक्षी मुद्रा) वित्तीय प्रणाली में आई। इसके साथ ही, एनडीए (निवल गैर-मौद्रिक देयताओं के लिए समायोजित) में लगभग ₹ 1.9 ट्रिलियन की कमी आई ताकि आरक्षी मुद्रा के विस्तार के कारण

रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालनों के प्रभाव को आंशिक रूप से समाप्त किया जा सके।

II.3.4 जी3 अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीति संबंधी लिए गए निर्णयों में विविधताओं के चलते उत्पन्न विक्षोभ से वैश्विक वित्तीय बाजारों भी उत्तेजित बने रहे। 2014-15 के दौरान, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच भी मौद्रिक नीति संबंधी निर्णयों में उल्लेखनीय परिवर्तन देखे गए ताकि वे अपनी वित्तीय प्रणालियों पर जी3 की मौद्रिक नीतियों के पड़ने वाले प्रभाव का प्रबंधन कर सकें। ये प्रभाव पूंजी प्रवाहों और आस्ति मूल्यों के रूप में अंतरित हुए और इसके साथ ही उन्हें घरेलू भुरभुरेपन का भी सामना करना पड़ा जिसने संवृद्धि को बाधित किया और उन्हें वित्तीय आघातों के प्रति कमजोर बना दिया। 2014-15 में गैर-परंपरागत मौद्रिक नीतियों को लागू करने से जुड़ी हुई सीमा-पार बाह्य गतिविधियां उन्नत और उभरती हुई दोनों अर्थव्यवस्थाओं में एक समान रूप से केंद्र में रहीं (बॉक्स II.3)।

II.3.5 घरेलू चलनिधि स्थितियों को प्रभावित करने वाले इन वैश्विक कारकों के प्रत्युत्तर में रिज़र्व बैंक विस्तारवादी प्रभावों को नियंत्रित करता रहा ताकि अपस्फीति को ग्लाइड-पथ पर बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर सके। अतः, रिज़र्व बैंक ने समुचित रूप से रेपो नीलामियों को और खुला बाजार परिचालनों

बॉक्स II.3
स्पिलओवर और स्पिलबैक

अपरंपरागत मौद्रिक-नीति के बाद लिखे गए (यूएमपी) साहित्य में 'स्पिलओवर' का प्रयोग सामान्यतया किसी एक देश की आर्थिक नीतियों से अन्य देशों पर पड़ने वाले लाभकारी और आघाती प्रभावों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। हाल की अवधि में, फेड की मात्रात्मक सहजता (क्यूई) और उसके सामान्य होने की व्यापक प्रत्याशा के साथ जुड़े हुए नकारात्मक बाहरी प्रभाव पर फोकस रहा है, विशेष रूप से फेड की इस संबंध में की जाने वाली भविष्यवाणियाँ आंकड़ों पर निर्भर रही हैं और परिणामस्वरूप, सामने आने वाले प्रत्येक आंकड़े ने इसके संभावित समय को लेकर बाजार में तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न की है। ऐसी स्थिति में, यूएमपी के माध्यम से प्रतिफलों की अंधाधुंध तलाश ने बड़ी मात्रा में पूंजी प्रवाह उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं की ओर कर दिया है, जबकि इस स्थिति से बाहर निकलने में बड़ी मात्रा में पूंजी के बाहर जाने का जोखिम बढ़ जाता है, इस पर 2013 की गर्मियों में उत्पन्न टेपरिंग-भय ने इसकी भयावह तस्वीर पेश की है। ऐतिहासिक साक्ष्य दर्शाते हैं कि यूएमपी अपनाने से परिपक्वता रूपांतरणों से मिलने वाले प्रोत्साहन सुदृढ़ हो जाते है और इससे ईएमई में पूंजी प्रवाहों तथा लीवरेज की गति अत्यधिक हो जाती है जिससे मूल सिद्धांतों के साथ तारतम्य बिगड़ने लगता है और इसका समष्टि-आर्थिक और वित्तीय स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है(फ्राट्ज़शेर एवं अन्यः 2013; मूर एवं अन्यः 2013)। स्वाभाविक ही है कि यूएमपी से पड़ने वाले प्रभाव (स्पिलओवर) प्रचंड असंगतता की विषयवस्तु बनते जा रहे हैं (टेलर 2013)। ईएमईज़ की ढांचागत विशेषताओं में विविधता को देखते हुए इन निष्कर्षों पर बारीकी से ध्यान देने और उन पर देश-विशिष्ट अनुभवों के आधार पर विचार करना आवश्यक है।

भारत के संदर्भ में, विभिन्न प्रकार की पद्धतियों- जैसे कि घटना अध्ययन ढांचा, महत्वपूर्ण क्षणों की सामान्य पद्धति और वेक्टर आटो-रीग्रेशन (वीएआर) का संयुक्त रूप से उपयोग करते हुए फेड द्वारा की गई क्यूई से उत्पन्न स्पिलओवर के प्रभाव का विश्लेषण यह दर्शाता है कि सबसे विशाल सकारात्मक प्रभाव क्यूई1 से प्राप्त हुआ जिसने भारत में पूंजी का अंतर्वाह किया, जिससे बढ़ते हुए चालू खाता घाटे का वित्तपोषण करने में मदद मिली। क्यूई1 के विपरीत, क्यूई2 में भारत से पूंजी का बहिर्वाह हुआ। ये स्पिलओवर मुख्यतः पोर्टफोलिओ पुनः संतुलन के जरिए और बाद में चलनिधि के माध्यम से अंतरित हुए(पात्रा एवं अन्यः2014)।

इस प्रचुर साहित्य में 'स्पिलबैक' शब्द का नया प्रवेश हुआ है। वैश्विक परिदृश्य में देखें तो एक दूसरे पर निर्भर संसार में ऐसे दुश्चक्र में फंसे हुए प्रभावित देश अप्रत्याशित तरीके से उस स्रोत देश को प्रतिकूल रूप में प्रभावित करते है जिसने सर्वप्रथम स्पिलओवर उत्पन्न किया था। ईएमईज़, द्वारा वैश्विक रूप में निभाई जा रही बड़ी भूमिकाओं का अर्थ यह है कि उनकी संवृद्धि में होने वाले उतार-चढ़ाव, जो कि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में पैदा होने वाले आघातों का परिणाम होते हैं, से जन्म लेने वाले स्पिलबैक को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। वीएआर का पैमाना यह दर्शाता है कि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के आउटपुट में होने वाले उतार-चढ़ावों में से लगभग 50 प्रतिशत ने ईएमईज़ को स्पिलओवर के माध्यम से प्रभावित किया जिसमें से एक तिहाई ने स्पिल बैक के रूप में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं को वापस प्रभावित किया (आईएमएफ 2014)(सारणी-1)।

स्पिलबैक प्रभाव जापान और यूरो क्षेत्र में ज्यादा मुखर हुए हैं इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम पर कम प्रभाव डाला है क्योंकि उनके पास मजबूत व्यापारी सहसंबद्धताएं थी (यूएस और यूके में तुलनात्मक रूप से व्यापारिक खुलापन कम है)।

समग्र रूप से, स्पिलबैक प्रभाव साधारण प्रतीत होते हैं परंतु दबाव के समय वे कहीं वृहद भी हो सकते हैं, जो मौद्रिक नीति के निर्धारण पर विपरीत प्रभाव भी डाल सकते हैं। नीति-निर्माताओं के बीच सहकारिता के साथ ही सावधानी

सारणी 1 : अनुमानित स्पिलओवर और स्पिलबैक (प्रतिशत)

	यूएस	यूरो क्षेत्र	जापान	यूके	औसत
1	2	3	4	5	6
अनु. स्पिलओवर	58.3*	59.2*	25.4*	56.3*	52.8
अनु. स्पिलबैक	12.4	29.8*	12.7*	7.2	17.4
अनु. स्पिलबैक/ अनु; स्पिलओवर	21.3	50.4	51.1	12.8	34.4

स्रोतः आईएमएफ स्टॉफ गणना।
*: 10 प्रतिशत के स्तर पर होने पर महत्वपूर्ण। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में संवृद्धि में 1 प्रतिशत बिंदु की वृद्धि होने से स्पिलओवर और स्पिलबैक का अनुमान (प्रभाव के बाद आठ तिमाहियां)

(जारी....)

पूर्ण किए गए अंशशोधन और स्पष्ट संप्रेषण से स्पिलबैक और स्पिलओवर का प्रबंधन करने में सहायता प्राप्त होगी।

संदर्भः

फ्राट्ज़शेर, मार्केल, मार्को लो डूका और रोनाल्ड स्ट्राउब(2013), 'ऑन दि इंटरनेशनल स्पिलओवर ऑफ यूएस क्वान्टिटिव ईजिंग', वर्किंग पेपर सीरीज़ सं. 1557, जून।

इंटरनेशनल मॉनीटरी फंड (2014), स्पिलओवर रिपोर्ट 2014।

मूर जे., एस.नैम, एम. सुह और ए.टेप्पर (2013), 'एस्टीमेटिंग दि इंपैक्ट ऑफ यूएस एलएसएपीज़ ऑन ईमर्जिंग मार्केट ईकोनॉमीज़ लोकल करेंसी बांड मार्केट्स', स्टॉफ रिपोर्ट, फेडरल रिज़र्व ऑफ न्यूयॉर्क 595।

पात्रा एम;डी, जे.के. खुंद्रकपम, एस. गंगाधरन, राजेश कावेदिया और जेसिका ऑन्थनी (2014), 'रेस्पॉन्डिग टु क्यूई टेपर फ्राम दि रिसीविंग एंड', एमआईएमईओ, आरबीआई।

टेलर जॉन बी. (2013), 'इंटरनेशनल मॉनीटरी पॉलिसी कोआर्डिनेशनः पास्ट, प्रेजेन्ट एंड फ्यूचर', ये आलेख 21 जून को ल्यूज़र्न, स्विट्ज़रलैंड में 'नैवीगेटिंग दि ग्रेट रीसेशनः व्हाट रोल फॉर मॉनीटरी पॉलिसी' विषय पर आयोजित 12वें बीआईएस वार्षिक सम्मेलन में प्रस्तुत करने के लिए लिखा गया था।

से संबंधित बिक्री को पूर्णतः तथा तयशुदा लेन-देन प्रणाली-आर्डर मिलान(एनडीएस-ओएम) के प्लैटफार्म पर नियंत्रित रखा ताकि निवल घरेलू आस्तियों में कमी लाई जा सके और निवल विदेशी आस्तियों में बड़े स्तर पर हुई वृद्धि को समायोजित किया जा सके (चार्ट-II.15)।

II.3.6 2014-15 में आरक्षी मुद्रा में तिमाही संचरण, चलनिधि के बदलते हुए कारकों के अनुरूप ही हुआ और इसके परिणामस्वरूप ही रिज़र्व बैंक के तुलन पत्र में तदनुसार, परिवर्तन परिलक्षित हुए। घटकों की ओर देखें तो ति2 में मौसमी कमी के अलावा, पूरे वर्ष के दौरान परिचालन के लिए उपलब्ध मुद्रा और रिज़र्व बैंक कि पास बैंकों की जमाराशियों में वृद्धि ही हुई। स्रोतों की ओर देखें तो 2014-15 की पहली तीन तिमाहियों के दौरान एनएफए में हुई वृद्धि को काफी हद तक एनडीए में हुई गिरावट ने समायोजित कर दिया। तथापि, ति4 में वर्ष के अंत में होने वाले तुलन पत्र समायोजनों और अग्रिम कर भुगतानों ने चलनिधि स्थितियों को तंग बना दिया, जिससे प्राथमिक चलनिधि मुहैया कराने की आवश्यकता उत्पन्न हुई और जिसे अभी तक वापस नहीं लिया गया है। परिणामस्वरूप, 2014-15 की अंतिम तिमाही में आरक्षी मुद्रा की संवृद्धि में बढ़ोतरी हुई।

चार्ट II.15: आरक्षी मुद्रा के स्रोतों में परिवर्तन



*: 7 अगस्त 2015 तक के आंकड़े

II.3.7 2014-15 के दौरान एनडीए के घटकों में भी परिवर्तन हुआ जो रिज़र्व बैंक की लेखा नीतियों में हुए संशोधनों के अनुसरण में है। इनकी सिफारिश रिज़र्व बैंक के तुलन-पत्र तथा हानि-लाभ खाते के प्रारूप की समीक्षा करने के लिए गठित तकनीकी समिति (अध्यक्षः श्री वाई.एच. मालेगाम) ने की थी। विशेषरूप से, निवल रीपो परिचालनों को अब बैंकों तथा वाणिज्यिक क्षेत्र को रिज़र्व बैंक के क्रेडिट के रूप में निरूपित किया जाता है जबकि पूर्व में इसे सरकार के सामान्य खाते में क्रेडिट के रूप में रिकार्ड किया जाता था। इन लेखा परिवर्तनों के कारण रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को दिए गए निवल क्रेडिट में कमी परिलक्षित होती है और इसी के अनुरूप 2014-15 में बैंकों पर निवल दावे में वृद्धि नज़र आती है, हालांकि एनडीए के संपूर्ण आकार पर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

II.3.8 आरक्षी मुद्रा में होने वाले संचरण, मुद्रा गुणक (मनी मल्टीप्लायर) के जरिए, मुद्रा आपूर्ति के संबंध में किए गए व्यापक उपायों को प्रभावित करते हैं। आकार के रूप में, मुद्रा गुणक मार्च 2015 में 5.5 पर था, जो पिछले वर्ष के स्तर पर अपरिवर्तनीय था। वर्ष के दौरान नगद जमा अनुपात और नकद आरक्षी अनुपात दोनों अपरिवर्तित रहे, जिन्होंने मुद्रा गुणक को स्थिरता प्रदान की।

मुद्रा आपूर्ति

II.3.9 2014-15 में मुद्रा आपूर्ति की संवृद्धि दर धीमी हुई (सारणी-II-8), जो मुख्यतः मुद्रास्फीति की सहजता दर्शाती है जिससे मुद्रा की मांग में कमी आई। 2013-14 की तुलना में, सामान्यतः मुद्रा आपूर्ति में और विशेषतया जमाराशियों में आए धीमेपन को सितंबर-नवंबर 2013 के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित एफसीएनआर(बी) जमा राशि सुविधा के लिए दी गई स्वैप सुविधा द्वारा उत्पन्न आधारभूत प्रभावों के परिप्रेक्ष्य में भी देखना होगा, जिसके कारण 2013-14 में काफी बड़ी मात्रा में इस प्रकार की जमा राशियां जुटाई गई थीं। पिछले वर्ष की तुलना में, 2014-15 में निवल एफसीएनआर (बी) जमाराशियों के तहत मुद्रा आपूर्ति में मामूली कमी आई। तथापि, वर्ष की दूसरी छमाही (सितंबर 2014 की तुलना में मार्च 2015) में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति में सुधार आया जो क्रेडिट में संवृद्धि के अनुरूप रहा। इसी अनुक्रम में, पिछले वर्ष की तुलना में, समग्र चलनिधि एल1 ['नवीन मौद्रिक समग्र, (एम3) और डाक जमाराशियों का जोड़'] में संवृद्धि मामूली रूप से कम रही।

II.3.10 समग्र जमाराशियां जो कि मुद्रा आपूर्ति का एक प्रमुख घटक होती हैं, की संवृद्धि में कुछ वर्षों से सामान्य रूप में गिरावट देखी जा रही है जो कि अर्थव्यवस्था की वित्तीय बचत दर में हुई कमी के अनुरूप है। इसके अलावा, ऋण संवृद्धि में धीमेपन से बैंकों द्वारा जमाराशियों का संग्रहण भी कम रहा। समग्र जमाराशियों में संवृद्धि एक वर्ष पूर्व के 14.1 प्रतिशत से कम होकर 2014-15 में 10.6 प्रतिशत हो गई। स्रोतों की ओर देखें तो, इस का एक मुख्य कारण वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंकों द्वारा दिए जाने वाले क्रेडिट में कमी आना है। स्रोतों का एक और अन्य मुख्य घटक यह है कि वर्ष के दौरान सरकार को दिए गए निवल बैंक क्रेडिट में कमी आई और इसका मुख्य कारण रिज़र्व बैंक के पास उपलब्ध सरकारी प्रतिभूतियों(जी-सेक) में कमी आना है। दूसरी ओर, वर्ष के दौरान वाणिज्यिक बैंकों ने क्रेडिट में आए धीमेपन के कारण जी-सेक में अपना निवेश बढ़ा दिया।

II.3.11 मुद्रा का संवेग (चार्ट II.16), जिसमें पिछले 6 दशकों से गिरावट का रुख रहा है वो 1.25 के करीब बना रहा, जो कि संकट के बाद के वर्षों में वित्तीय प्रणाली की स्थिरता का द्योतक है।

सारणी II.8: मौद्रिक कुल राशियां

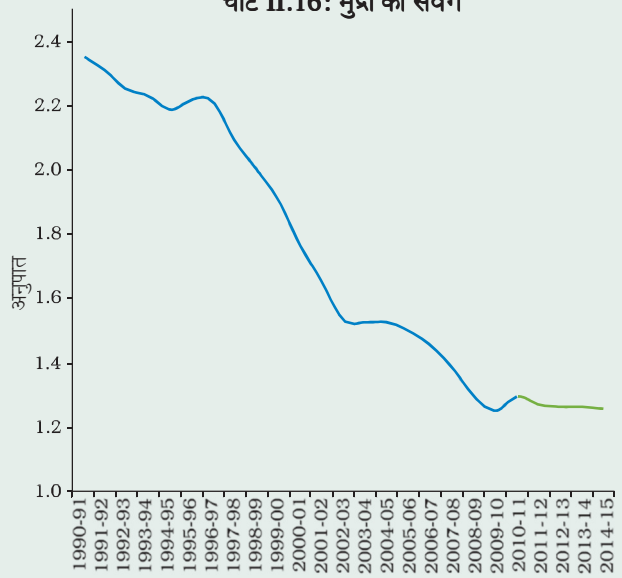
मद	की स्थिति के अनुसार बकाया (₹ बिलियन)		वर्ष-दर-वर्ष संवृद्धि दर (प्रतिशत में)			संवृद्धि दर (प्रतिशत में)		
	मार्च 31, 2015	अगस्त 7, 2015	2013-14	2014-15	2015-16 (7 अगस्त की स्थिति)	वि.व 15: छ1	वि.व 15: छ 2	वि.व16: छ 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. आरक्षी मुद्रा	19,285	18,815	14.4	11.3	10.1	-1.4	12.9	-2.4
II. स्थूल मुद्रा ($एम_3$)	105,455	109,830	13.4	10.8	10.9	4.4	6.2	4.1
III. कुल चलनिधि (एल1)	106,759	110,722#	11.2	10.7	11.6#	4.0	6.5	3.7#
IV. $एम_3$ के प्रमुख घटक								
IV.1. जनता के पास मुद्रा	13,863	14,251	9.2	11.3	9.5	3.4	7.6	2.8
IV.2. कुल जमा राशियां	91,446	95,567	14.1	10.6	11.2	4.4	5.9	4.5
V. मुद्रा भंडार के प्रमुख स्रोत ($एम_3$)								
V.1. सरकार को निवल बैंक ऋण	30,062	33,781	12.4	-1.3	10.6	-0.5	-0.8	12.4
V.2. वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	70,396	71,627	13.7	9.2	9.0	2.3	6.8	1.7
V.3. बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्ति	22,506	23,664	17.6	17.0	16.0	3.9	12.6	5.1
$एम_3$ एफसीएनआर(बी) का निवल	102,782	107,009	11.5	11.0	11.1	4.4	6.3	4.1
$एम_3$ मल्टीप्लायर	5.5	5.8						
$एम_3$ संवेग	1.25	-						

-:अनुपलब्ध #: आंकड़े जुलाई 2015 से संबंधित हैं।

टिप्पणी: 1. आंकड़े अनंतिम हैं।

2. वित्त वर्ष 15: छ1: मार्च 2014 की तुलना में सितंबर 2014 की संवृद्धि दर, वित्त वर्ष 15: छ2: मार्च 2015 की तुलना में सितंबर 2014 की संवृद्धि दर और वित्त वर्ष 16: छ1: 31 मार्च 2015 की तुलना में 7 अगस्त 2015 की संवृद्धि दर।

चार्ट II.16: मुद्रा का संवेग



वित्तीय गहराई को अक्सर संदर्भित करने वाला एक और संकेतक है- जीडीपी अनुपात की तुलना में एम3- जो कि संवेग का अन्योन्य है, ये 80 के आसपास रहा।

ऋण

2014-15 में ऋण संवृद्धि मंद रही

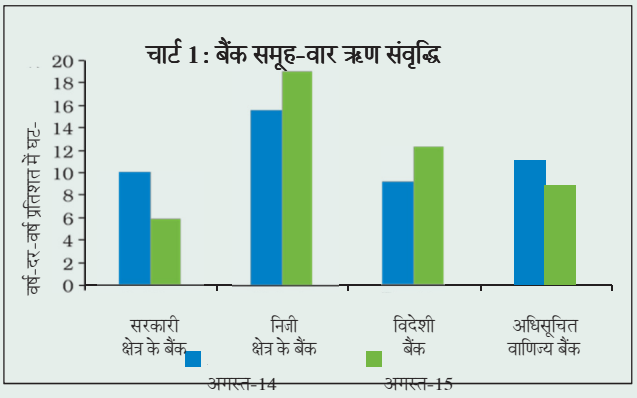
II.3.12 2014-15 में गैर-खाद्य ऋण संवृद्धि में तेजी से कमी आई जो 9.3प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष)रही,गैर-खाद्य ऋण में क्रमशः कमी आई और यह पिछले वर्ष के ₹ 7.3 ट्रिलियन से कम होकर ₹ 5.5 ट्रिलियन हो गया। ऋण-उठान पर कई कारकों ने अपना प्रभाव डाला, जिसमें कमजोर उपभोग खर्च और कारपोरेट बिक्री; मुद्रास्फीति में कमी आना; गैर-निष्पादन आस्तियों के बढ़ने से बैंकों द्वारा जोखिम से बचना; और ऋण की रिकवरी में लगने वाला प्रक्रियागत विलंब

बॉक्स II.4
हाल की ऋण मंदी के अंतर्निहित कारकः ऐतिहासिक अन्वेषण

आर्थिक विकास में ऋण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेष रूप से बैंक-आधारित प्रणाली में। जिन देशों ने 2000 से उच्च संवृद्धि अनुभूत की है उन्होंने निजी ऋण में भी हिलोरें महसूस की हैं (क्लाएसेंस और अन्य, 2011)। एक ऐतिहासिक विश्लेषण यह भी दर्शाता है कि जमा राशियों में होने वाली वृद्धि, जीडीपी संवृद्धि, सरल वैश्विक चलनिधि स्थितियां और विनिमय दर में गिरावट भी ऋण संवृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव डालती है, जबकि मुद्रास्फीति वास्तविक ऋण संवृद्धि को निरुत्साहित करती है (स्टेपॉन्यान 2011)। भारत में बैंक आधारित वित्तीय प्रणाली में संवृद्धि के समग्र स्वरूप में ऋण एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है।

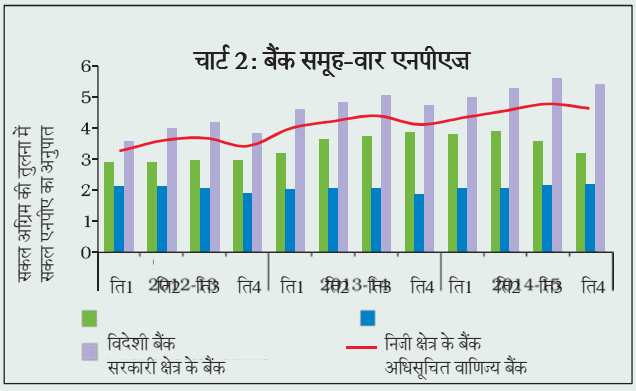
आस्ति गुणवत्ता संबंधी चिंताओं से जोखिम से बचने के भावना को वर्तमान ऋण मंदी का प्रमुख अंतर्निहित कारक माना जा रहा है। सरकारी क्षेत्र के बैंक, जिन्होंने काफी अधिक एनपीए अनुपात रिकार्ड किया, वे भी ऋण संवृद्धि में तीव्र गिरावट का अनुभव कर रहे हैं। दूसरी ओर, निजी क्षेत्र के बैंक, जिन्होंने निम्नतर एनपीए अनुपात की तुलना में कुछ सुधार दर्शाया, उच्चतर ऋण संवृद्धि दर्ज की (चार्ट 1 और 2)। समग्ररूप से देखें तो, एनपीए अनुपात और ऋण संवृद्धि ने सांख्यिकीय रूप से उल्लेखनीय नकारात्मक सहसंबद्धता (-) 0.8 दर्शाई, जो कि 2010-11 से उपलब्ध तिमाही आंकड़ों पर आधारित है।

चार्ट 1: बैंक समूह-वार ऋण संवृद्धि



टिप्पणी: आरआरबी को छोड़कर एससीबी

चार्ट 2: बैंक समूह-वार एनपीएज



स्रोत: बैंकों द्वारा रिपोर्ट किए गए ऑफ-साइट विवरणियां, घरेलू परिचालन

(जारी....)

जीयो और स्टेपॉन्यान (2011) के सिद्धांत को जून 1997 से सितंबर 2014 तक की अवधि के भारतीय तिमाही आंकड़ों पर लागू करने पर यह पता चला कि गैर-खाद्य ऋण, पिछड़ी हुई वास्तविक गैर-कृषि जीडीपी संवृद्धि से सकारात्मक और सांख्यकीय रूप से उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित थी। ऋण लागत को ओवरनाइट कॉल दर से प्रॉक्सी करने पर, जैसा कि संभावना थी, ऋण संवृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पडा। ब्याज दरों का प्रभाव दो अंतरणों तक मजबूत दिखाई पडा जो कि संचरण अंतराल दर्शाता है। सिद्धांत के अनुरूप ही, सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) के गुणांक में एक ऋणात्मक संकेत था, जो बैंक ऋण के लिए बाजार में राजकोषीय घाटे के ह्रासकारी प्रभाव की ओर इशारा करता है। अंत में, बकाया वाणिज्यिक दस्तावेजों (सीपी) में हुआ परिवर्तन, जो निधि के वैकल्पिक स्रोतों के लिए एक प्राक्सी है का गुणांक ऋणात्मक परंतु महत्वपूर्ण है।

$$BC = 7.2 + 0.6\ GDP(-2) - 0.3\ WCMR(-2) - 0.2\ GFD - 0.04\ CP^{\$}\ Out + \square$$
$$(2.4)^{*} \qquad (3\tilde{o}2.3)^{*} \qquad (3\tilde{o}2.4)^{*} \qquad (3\tilde{o}2.3)^{*}$$

समायोजित R2=0.30; *: 5 प्रतिशत पर महत्वपूर्ण, परावर्तन में एनपीए को शामिल नहीं किया गया था क्योंकि श्रृंखला में कई संरचनागत अंतराल थे।

टिप्पणियां: 1. बीसी= तिमाही-दर-तिमाही बैंक ऋण में मौसमी समायोजित संवृद्धि है; डब्ल्यूसीएमआर=तिमाही रूप से भारित औसत कॉल दर; जीडीपी= तिमाही-दर आधार पर जीडीपी में मौसमी समायोजित संवृद्धि; जीएफडी: वर्तमान बाजार मूल्यों पर जीडीपी के प्रतिशत के रूप में तिमाही जीएफडी (केंद्र); सीपी-आउट: तिमाही-दर-तिमाही सीपी बकाया में मौसमी समायोजित संवृद्धि।

2. परिणाम, सुदृढ़ता की मानक जांच के अनुरूप ही हैं।

इस प्रकार, आर्थिक गतिविधि, ऋण लागत, राजकोषीय स्थिति और प्रतिस्पर्द्धी वैकल्पिक निधि स्रोत भारत में ऋण व्यवहार को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक सामने आते हैं।

संदर्भः

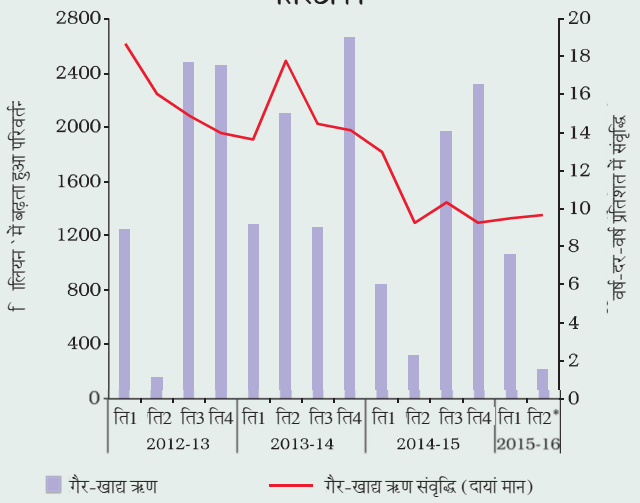
क्लॉएसेंस. एस., एम.ए. कोजेंड, एम.ई. टेरोन्स (2011). 'हाऊ डू बिजनेस एंड फाइनेंशयल साकिल्स इंटरैक्ट?', आईएमएफ वर्किंग पेपर, यं. डब्ल्यूपी/11/88.

जीयो के. और वी. स्टेपॉन्यान (2011), 'डेटरीमिनैन्ट्स् आफ बैंक क्रेडिट इन एमर्जिंग मार्केट ईकोनॉमीज़', आईएमएफ वर्किंग पेपर, यं. डब्ल्यूपी/11/51.

शामिल है (बॉक्स II.4)। इसके अलावा, वैकल्पिक स्रोतों, घरेलू और विदेशी दोनों, की उपलब्धता होने से कारपोरेट्स ने वित्तपोषण की कुछ मांग गैर-बैंक स्रोतों से पूरी कर ली। 2014-15 के दौरान बैंकों द्वारा काफी बड़ी मात्रा (▪ 317 बिलियन) में गैर-निष्पादन आस्तियों की बिक्री, आस्ति पुनः निर्माण कंपनियों (एआरसी) को करने से भी बैंकों के बकाया ऋणों में कमी आई। बढ़ी हुई खाद्य सब्सिडी, जिसमें 2014-15 में 28 प्रतिशत की संवृद्धि रही, के कारण वर्ष के दौरान, खरीद में कुछ तेजी आने के बावजूद खाद्य ऋण में 4.1 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई।

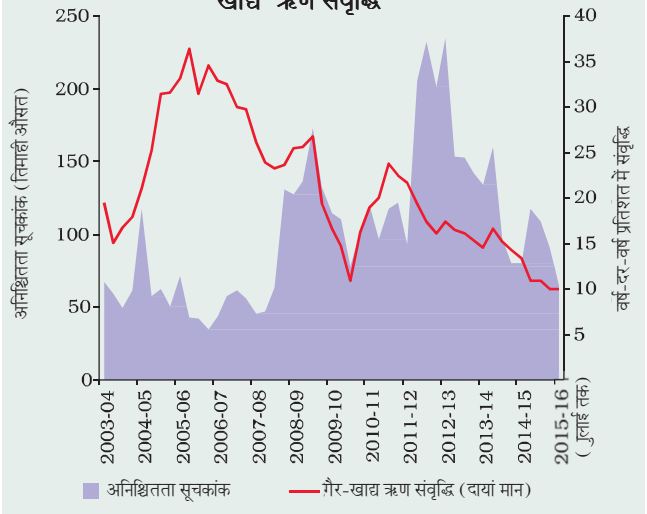
II.3.13 वर्ष-दर-वर्ष आधार पर गैर-खाद्य ऋण संवृद्धि में कमी आने से 2014-15 के दौरान क्रमिक ऋण उठान का लगभग 80 प्रतिशत वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान हुआ, जो कि आर्थिक परिदृश्य में सुधार प्रदर्शित करता है(चार्ट II.17 और II.18)। गैर-खाद्य ऋण संवृद्धि 2014-15 की पहली छमाही के 2.0 प्रतिशत

चार्ट II.17: 2014-15 की छ2 में ऋण के उठान में तिरछापन



*: 7 अगस्त 2015 तक के आंकड़े

चार्ट II.18: अनिश्चितता सूचकांक और गैर-खाद्य ऋण संवृद्धि



स्रोतः आर्थिक नीति की अनिश्चितता (http://www.policyuncertainty.com/india_monthly.html).

से बढ़कर 2014-15 की दूसरी छमाही में 7.1 प्रतिशत हो गई; जो एक वर्ष पूर्व में हुई 0.6 प्रतिशत बिंदु की बढ़ोतरी की तुलना में 2014-15 की दूसरी छमाही में पाँच प्रतिशत बिंदुओं की वृद्धि दर्शाती है।

II.3.14 अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों तक ऋण उपलब्ध कराने के लिए बैंकों को और स्थान मुहैया कराने के लिए सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) को 2014-15 के दौरान निवल मांग और समय देयताओं (एनडीटीएल) के प्रतिशत के रूप में तीन चरणों में कम करते हुए इसे 23 से 21.5 प्रतिशत कर दिया गया। तथापि, बैंक निरंतर एनडीटीएल के प्रतिशत के रूप में लगभग 28 प्रतिशत का एसएलआर निवेश बनाए हुए हैं। यह बफर उन्हें थोक वित्त बाजार एवं रिज़र्व बैंक से संपाश्र्वीकृत उधार तक पहुंच बनाता है। अतिरिक्त एसएलआर ने बैंकों को अर्थव्यवस्था के मौजूदा धीमें चरण में अपने तुलन पत्रों और आय पर प्रभाव डालने में भी सहायता प्रदान की।

II.3.15 क्षेत्रवार ऋण देने से संबंधित आंकड़े, जो कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए कुल बैंक ऋण का लगभग 95 प्रतिशत बैठता है, यह दर्शाते हैं कि, 2014-15 में उद्योग और सेवा क्षेत्र में ऋण उठान में आई कमी काफी मुखर थी, जो दोनों मिलाकर कुल गैर-खाद्य ऋण का लगभग 68 प्रतिशत बैठता है। सेवा क्षेत्र में ऋण संवृद्धि में गिरावट इसके मुख्य कारकों, व्यापार तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के चलते हुई जो कि सेवा क्षेत्र को दिए जाने वाले कुल ऋण का लगभग 48 प्रतिशत बैठता है। विनिर्माण को छोड़कर, उद्योगों में सभी क्षेत्रों में संवृद्धि में कमी आई, विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत धातुएं और खाद्य प्रसंस्करण। जिन क्षेत्रों में एनपीए की घटनाएं न्यूनतम थीं, जैसे कि वैयक्तिक ऋण, वहां वर्ष के दौरान उच्चतर संवृद्धि देखने को मिली।

II.3.16 उद्योग क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण में लगभग एक तिहाई हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है। इसके मुख्य घटक ऊर्जा और सड़क हैं, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को दिए जाने वाले ऋण में क्रमशः 60 और 18 प्रतिशत की भागीदारी रखते हैं। यद्यपि ऊर्जा क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण में कमी साधारण रही लेकिन 2014-15 में सड़कों के संदर्भ में यह मंदी तीखी थी (सारणी-II.9)।

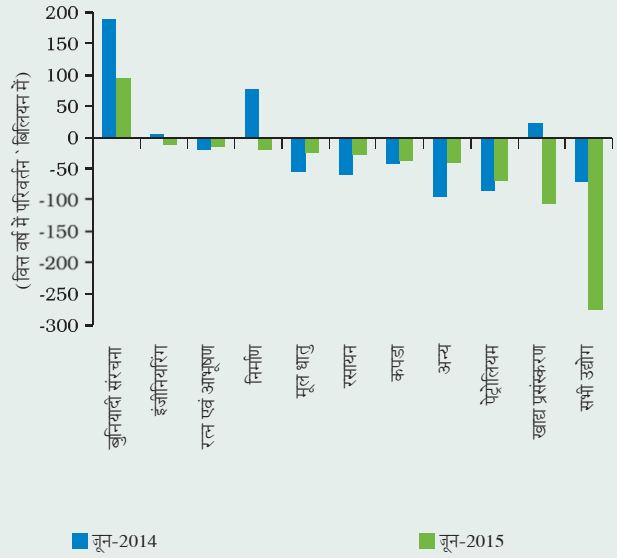
सारणी II.9: चुनिंदा क्षेत्रों में ऋण देने का रुझान

(परिवर्तन प्रतिशत में)

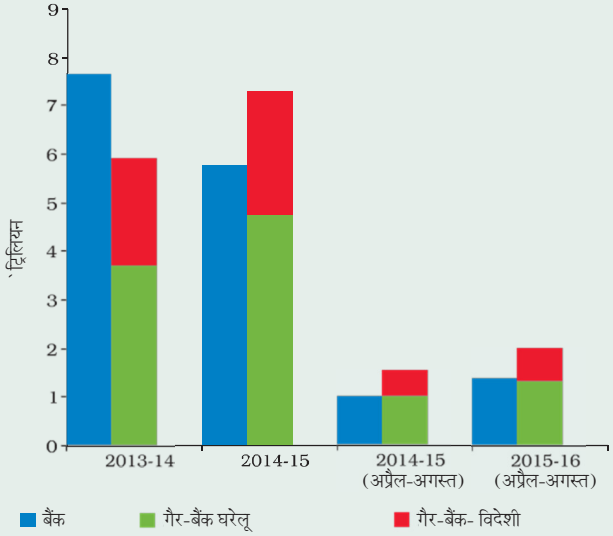
	20 मार्च 2015 के अंत में बकाया (₹ बिलियन)	2013-14			2014-15		2015-16	
		छ1	छ2	वर्ष	छ1	छ2	वर्ष	छ1
1	2	3	4	5	6	7	8	9
गैर-खाद्य ऋण (1 से 4)	**60,030**	**6.8**	**6.3**	**13.6**	**2.2**	**6.2**	**8.6**	**1.1**
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियां	**7,659**	**3.4**	**9.2**	**12.9**	**8.8**	**5.7**	**15.0**	**3.8**
2.उद्योग	**26,576**	**6.3**	**6.1**	**12.8**	**-0.1**	**5.7**	**5.6**	**-1.0**
जिसमें से:	9,245	8.8	5.3	14.6	4.3	6.0	10.5	1.0
(i) बुनियादी संरचना								
जिसमें से: (क) ऊर्जा	5,576	10.7	5.8	17.1	6.6	7.5	14.5	2.8
(ख) दूरसंचार	919	-0.6	1.1	0.5	-3.6	8.0	4.2	-2.9
(ग) सड़क	1,687	9.2	10.1	20.2	3.5	3.3	6.9	-0.7
(ii) मूल धातु और धातु उत्पाद	3,854	7.2	7.1	14.9	-0.4	7.2	6.8	-0.6
(iii) खाद्य प्रसंस्करण	1,715	3.5	20.4	24.6	-2.6	20.4	17.3	-6.2
3. सेवाएं	**14,131**	**9.0**	**6.5**	**16.1**	**-1.2**	**6.9**	**5.7**	**1.4**
4. वैयक्तिक ऋण	**11,663**	**7.5**	**4.6**	**12.5**	**8.0**	**6.9**	**15.5**	**4.0**

टिप्पणी: 2015-16 की छ1 के लिए अद्यतन उपलब्ध आंकड़े जून 2015 तक के हैं।

चार्ट II.19: प्रमुख उद्योगों के संबंध में ऋण उठान का रुझान



चार्ट II.20: वाणिज्य क्षेत्र को स्रोतों का प्रवाह



टिप्पणी: 7 अगस्त 2015 तक के आंकड़े

II.3.17 2015-16 के दौरान अब तक (7 अगस्त तक), ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ऋण उठान में तेजी आई है जो के आर्थिक और नीतिगत वातावरण में सुधार दर्शाता है, फिर भी किसी निर्णयात्मक साक्ष्य तक पहुंचना अभी जल्दबाजी होगी। क्रमिक रूप से बढ़ता हुआ खाद्येतर ऋण लगभग ₹ 1282 बिलियन रहा जबकि पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान यह ₹ 963 बिलियन था। क्षेत्रगत संवितरण के आंकड़े (जून 2015 तक) सेवाओं में उल्लेखनीय प्रगति दर्शाते हैं जिन्हें मुख्य रूप से व्यापारी और प्रोफेशनल सेवाओं से संबल प्राप्त हुआ, जबकि उद्योगों में कमी नजर आती है। उद्योगों के तहत, यद्यपि इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण में कुछ बढ़त नजर आई है, लेकिन सड़कों के संबंध में यह कमजोर बनी हुई है (चार्ट-II.19)।

गैर-बैंक वित्तपोषण

II.3.18 निधियों के लिए गैर-बैंक स्रोतों की अधिक उपयोग करने के बावजूद ऋण संवृद्धि में आई मंदी ने 2014-15 में वाणिज्यिक क्षेत्र में वित्तीय संसाधनों के समग्र प्रवाह को बाधित किया (चार्ट-II.20)। घरेलू गैर-बैंक स्रोतों के बीच, वर्ष के दौरान वाणिज्यिक दस्तावेजों (सीपी) के निवल निर्गम में चार गुनी वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण बैंकों की ऋण दरों की तुलना में बोले जाने वाले प्रतिस्पर्द्धी मूल्य रहे। इसके अलावा, एफडीआई का अंतर्वाह मजबूत बना रहा और वह वाणिज्यिक क्षेत्र को दिए जाने वाले गैर-बैंक विदेशी स्रोतों का मुख्य हिस्सा बना। 2015-16 के दौरान (7 अगस्त तक) गैर-बैंक स्रोतों पर भरोसा बना रहा, हालांकि चलनिधि की स्थितियां सहज थीं और दरें प्रतिस्पर्द्धी रहीं।

II.3.19 कमान बदलने से मौद्रिक नीति में हुए संचरण ने 2014-15 में मौद्रिक और ऋण स्थितियों को स्वरूप प्रदान किया। मुद्रा आपूर्ति और अन्य प्रमुख मौद्रिक समग्रों में कमी आई जो कि अंतर्निहित समष्टि-आर्थिक गतिविधि के अनुरूप था। समग्र रूप से देखा जाए तो 2014-15 के दौरान विभिन्न कारकों, जैसे कि मंदी, बढ़ते हुए एनपीए के कारण बैंकों द्वारा जोखिम उठाने से बचना और गैर-बैंक वित्त के रूप में वैकल्पिक एवं सस्ते स्रोतों की उपलब्धता के कारण ऋण संवृद्धि मंद रही, यद्यपि, कुछ साक्ष्य ऐसे हैं कि जो इस बात की ओर संकेत दे रहे हैं कि वर्ष की दूसरी छमाही में स्थितियां बदल सकती हैं।

II.4 वित्तीय बाजार

वैश्विक वित्तीय बाजार

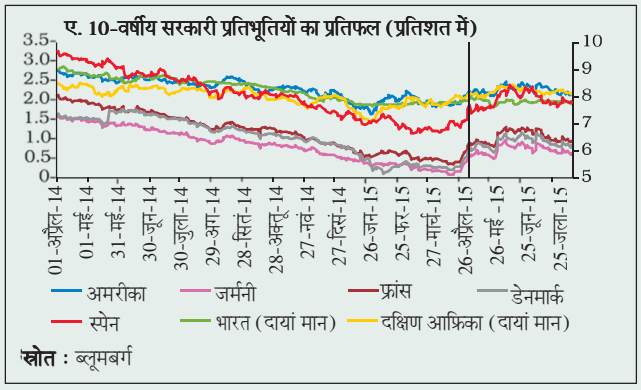
II.4.1 2014-15 के दौरान अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में आशावादिता बनी रही।अमरीकी फैडरल रिज़र्व द्वारा मौद्रिक नीति को सामान्य बनाए रखने के सहज दृष्टिकोण की संभावनाओं, यूरोप के केंद्रीय बैंक (ईसीबी) तथा बैंक ऑफ जापान (बीओजे) द्वारा मौद्रिक सुगमता लाने और कच्चे तेल की कीमत में कमी आने से इसमें सहायता मिली। अधिकांश देशों के सरकारी बांड के प्रतिफल ऐतिहासिकरूप से निम्न स्तर पर रहे। कुछ यूरोपीय देशों में तो प्रतिफल ऋणात्मक भी देखे गए (चार्ट II.21ए)। अमरीकी मौद्रिक नीतिगत दरों की वृद्धि होने संबंधी आशंका में कमी होने तथा ईसीबी एवं बीओजे द्वारा अपनी आस्तियों की खरीद में वृद्धि करने के कारण 2014-15 के दौरान बहुत से शेयर बाजारों में ऐतिहासिक वृद्धि भी देखी गई। हालांकि, वैश्विक स्तर पर परिस्थियां बहाल होने संबंधी अनिश्चितताओं, अमरीका तथा यूरो क्षेत्र से कमजोरी दर्शाने वाले बहुत से आंकड़े प्राप्त होने और मध्य-पूर्व में भू-राजनैतिक तनावों के जारी रहने के कारण बाजारों में अक्तूबर 2014 के मध्यम में कुछ घटबढ़ देखी गई। दिसंबर 2014 के उत्तरार्द्ध में यूक्रेन संकट तथा उसके बाद रूस के मुद्रा संकट और वेनेजुएला और अर्जेंटीना में विनिमय दरों में बहुत अधिक गिरावट होने के कारण बाजारों पर पुनःप्रभाव पड़ा (चार्ट II.21बी)।

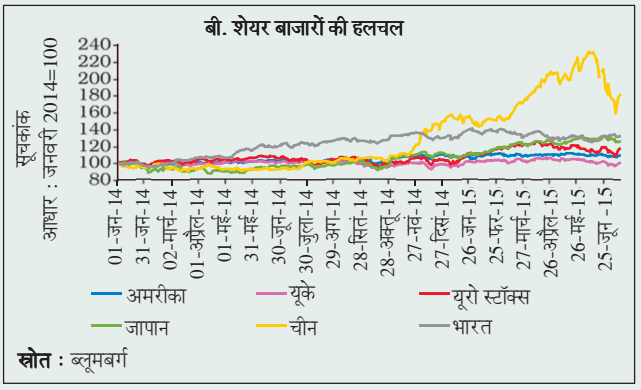
II.4.2 अन्य प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर में होने वाले परिवर्तनों की माप करने वाले अमरीकी डॉलर सूचकांक में 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई और मार्च 2015 के अंत में बढ़कर यह 98.4 हो गया। मार्च 2014 के अंत में यह 80.1 के स्तर पर था। जहां इस वृद्धि का प्राथमिक कारण अमरीका की मजबूती से आर्थिक बहाली होना रहा, वहीं यूरो जोन तथा जापान में वर्ष के दौरान आर्थिक बहाली कमजोर होने के कारण अमरीकी डॉलर की तुलना में यूरो एवं जापानी येन के मूल्यों में गिरावट आई। जनवरी 2015 में ईसीबी द्वारा मात्रात्मक सुगमता की घोषणा की तैयारी करने के कारण स्विटजरलैंड के राष्ट्रीय बैंक (एसएनबी) द्वारा स्विस फ्रैंक/यूरो विनिमय दर की बंदिशों को मुक्त कर दिया जिसके फलस्वरूप विनिमय दर की घटबढ़ में तीव्रता आई। बहुत से उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) ने आर्थिक वृद्धि को सहारा प्रदान करने के लिए 2014-15 की चौथी तिमाही (क्यू 4) के दौरान अपनी नीतिगत दरों में कमी की। विदेशी मुद्रा बाजारों में मूल्य में गिरावट के दबाव से निपटने के लिए हस्तक्षेप में भी तेजी आई।

II.4.3 मई 2015 में वैश्विक स्तर पर बांडों की बिक्री से बाजारों में आश्चर्य का माहौल था जिसकी शुरुआत जर्मनी से हुई थी क्योंकि 7 मई को 10-वर्षीय जर्मन बांड का इन्ट्रा-डे हाई प्रतिलाभ बढ़कर 0.77 प्रतिशत हो गया, जो 17 अप्रैल 2015 को 0.05 प्रतिशत था। यूनान पर कर्ज संबंधी चिंताओं, कच्चे तेल के मूल्यों में लगातार वृद्धि होने तथा प्रॉफिट बुकिंग का असर अमरीकी ट्रेजरी बिलों के साथ ही साथ उभरते बाजारों वाली अर्थव्यवस्थाओं पर भी पड़ा।

II.4.4 जून 2015 के दौरान, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों की गतिविधियों पर यूनानी कर्ज संबंधी बातचीत तथा चीनी शेयर बाजार में गिरावट के परिणामों से संबंधित अनिश्चितताओं का बहुत अधिक असर रहा। हालांकि, यूनान और यूरो जोन के सदस्यों के बीच बेलआउट डील की घोषणा होने तथा ईरान और प्रमुख विकसित

चार्ट II.21 : अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजार





देशों के बीच नाभिकीय सौदे पर हस्ताक्षर होने से जुलाई में वित्तीय बाजार को सहारा मिला। अगस्त में, चीन के अपनी मुद्रा का लगभग 2 प्रतिशत अवमूल्यन करने के निर्णय के कारण वैश्विक वित्तीय बाजारों में अफरातफरी मची हुई थी।

भारतीय वित्तीय बाजार

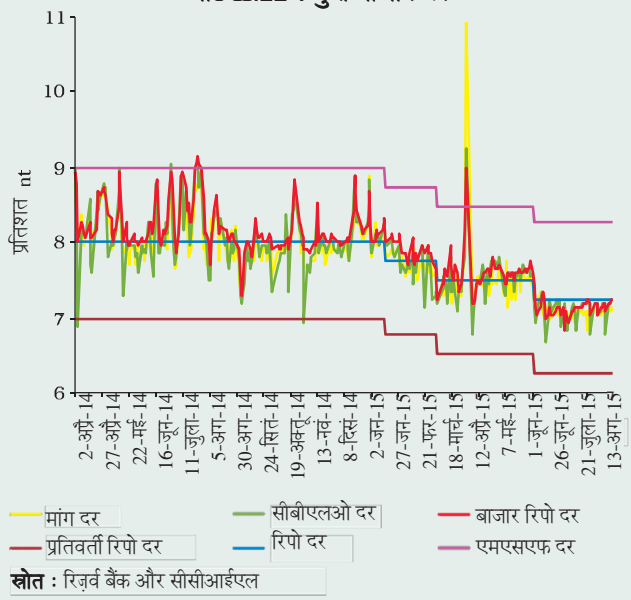
II.4.5 2014-15 के दौरान उत्साह से भरे भारतीय वित्तीय बाजारों में घरेलू और वैश्विक-दोनों संकेतों का असर दिखाई दे रहा था। मुद्रा बाजारों में स्थिरता थी और बाजार चलनिधि युक्त भी थे। मांग मुद्रा (कॉल मनी) दर मजबूती से नीतिगत रिपो दरों के आसपास बनी रही। सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) के प्रतिलाभ में धीरे-धीरे गिरावट आई और कॉर्पोरेट बांड बाजार की गतिविधियों में वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण प्राथमिक निर्गमन रहा।

मुद्रा बाजार

II.4.6 संशोधित चलनिधि प्रबंध ढांचे के तहत सक्रिय चलनिधि प्रबंध क्रियाओं, वर्ष के अंत में दिखावे के लिए किए जाने वाले समायोजनों को छोड़कर, के कारण एक दिवसीय मांग मुद्रा दरें नीतिगत रिपो दरों के आसपास बनी रहीं। नीतिगत दरों में कमी किए जाने के अनुरूप चौथी तिमाही (क्यू 4) में मुद्रा बाजार दरों में गिरावट आई (चार्ट II.22)। वर्ष के दौरान जमाराशि में वृद्धि के ऋण में वृद्धि की तुलना में सामान्यरूप से अधिक होने के कारण संरचनागत चलनिधि की पर्याप्तता बनी रही। 02 जून 2015 को नीतिगत दर में कमी किए जाने के बाद मांग मुद्रा दरों में गिरावट होने के साथ ही 2015-16 में अभी तक, मांग मुद्रा दरें नीतिगत रिपो दर के अनुरूप बनी हुई हैं।

II.4.7 2014-15 के दौरान नीतिगत दर की तुलना में, दैनिक भारित औसत मांग दर (शनिवारों को छोड़कर) के दायरे में काफी कमी आई और सितंबर 2014 में संशोधित चलनिधि प्रबंध ढांचे को अपनाए जाने के बाद यह 30 आधारभूत अंकों (बीपीएस) से घटकर 18 बीपीएस रह गया। 2015-16 (14 अगस्त तक) के दौरान इस दायरे में और कमी आई तथा घटकर 16 बीपीएस रह गया। इस अवधि में संपार्श्वीकृत दरों (सीबीएलओ एवं बाजार दर) के दायरे में कमी आई जिससे इसके एक दिवसीय मुद्रा बाजार

चार्ट II.22 : मुद्रा बाजार दरें



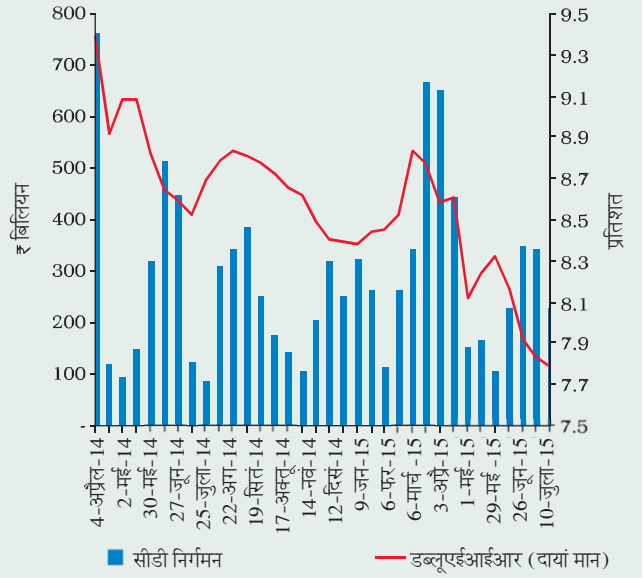
स्रोत : रिज़र्व बैंक और सीसीआईएल

की दरों के समक्रमिक (सिंक्रोनाइज्ड) होने का पता चलता है। एक दिवसीय बाजार की कुल बिक्री (टर्नओवर) में संपार्श्वीकृत हिस्से की प्रमुखता जारी रही जिसमें असंपार्श्वीकृत (मांग मुद्रा) हिस्सा अपेक्षाकृत बहुत कम रहा, जिसके कारण इसमें घटबढ़ की बारी आने के प्रति अतिसंवेदनशीलता बनी रही। रिज़र्व बैंक की चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत सुनिश्चित चलनिधि सहायता का विशाल हिस्सा परिवर्तनशील दर वाले मीयादी रिपो के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं, जिनका एक प्रमुख उद्देश्य मीयादी मुद्रा बाजार को विकसित करना होता है। ये कदम उठाए जाने के बावजूद मुद्रा बाजार में कुल बिक्री साधारण रही।

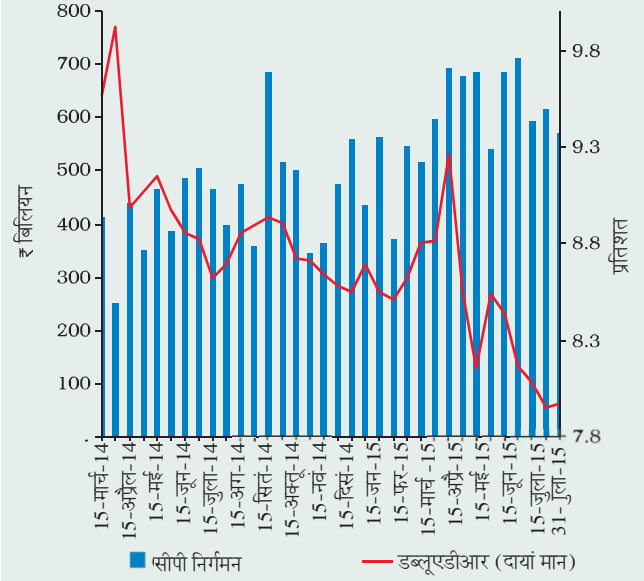
जमा प्रमाणपत्रों (सीडी) तथा वाणिज्यिक पत्रों (सीपी) का निर्गमन

II.4.8 2014-15 में जमा प्रमाणपत्रों के औसत पाक्षिक निर्गमन में गिरावट आई और यह घटकर ₹ 297 बिलियन रह गया जबकि पिछले वर्ष ₹ 306 बिलियन का निर्गमन हुआ था (चार्ट II.23)। ऋण लिए जाने में कमी की पृष्ठभूमि के बाद नीतिगत दरों में कमी और बैंकों द्वारा अपेक्षाकृत कम जमा प्रमाणपत्र जारी किए जाने के साथ चलनिधि की स्थिति के सहज होने के कारण जमा प्रमाणपत्रों की भारित औसत प्रभावी ब्याज दर (डब्लूएईआईआर) में कमी आई और मार्च 2015 के अंत में घटकर यह 8.58 प्रतिशत रह गई

चार्ट II.23: जमा प्रमाणपत्र (सीडी) निर्गमन एवं डब्लूएईआईआर



चार्ट II.24: वाणिज्यिक पत्र (सीपी) निर्गमन एवं डब्लूएडीआर



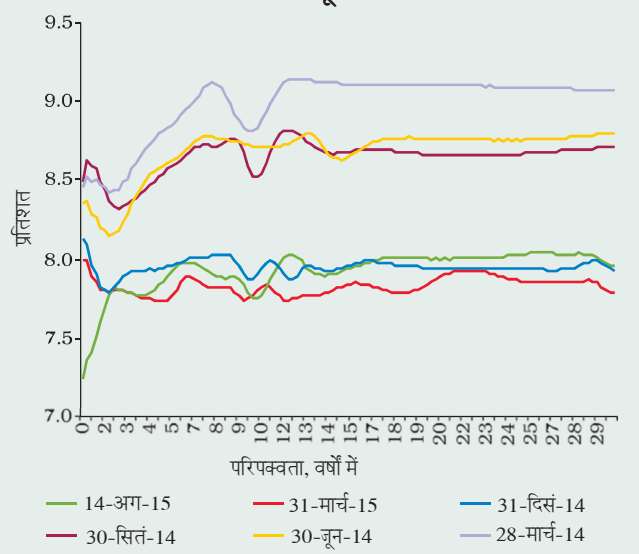
जो मार्च 2014 के अंत में 9.74 प्रतिशत थी। 10 जुलाई, 2015 तक डब्लूएईआईआर में 7.79 प्रतिशत तक गिरावट होने के साथ 2015-16 में अब तक सुगमता की प्रवृत्ति जारी है।

II.4.9 2014-15 में वाणिज्यिक पत्रों का औसत पाक्षिक निर्गमन 58 प्रतिशत बढ़कर ₹ 479 बिलियन हो गया। कॉर्पोरेट बांडों के प्रतिफल के काफी सुगम होने के बाद, निधि की उगाही के लिए वाणिज्यिक पत्रों की लागत कम होने के कारण बाजार आधारित निधीयन ने अल्पावधि बैंक ऋण को प्रतिस्थापित कर दिया चार्ट II.24)। परिणामस्वरूप, मार्च 2015 के अंत में वाणिज्यिक पत्रों की बकाया राशि ₹ 1,933 बिलियन हो गई जो मार्च 2014 के अंत में ₹ 1,066 बिलियन थी। मार्च 2015 के अंत में वाणिज्यिक पत्रों से संबंधित भारित औसत छूट दर (डब्लूएडीआर) घटकर 9.26 प्रतिशत रह गई जो मार्च 2014 के अंत में 9.92 प्रतिशत थी। इससे वर्ष के दौरान चलनिधि की स्थिति सहज होने और वर्ष के दौरान ब्याज दर के चक्र में समग्ररूप से अधोगामी परिवर्तन का पता चलता है। जुलाई 2015 के अंत में डब्लूएडीआर के 7.97 प्रतिशत के स्तर पर रहने के साथ 2015-16 में अब तक गिरावट की प्रवृत्ति जारी है।

सरकारी प्रतिभूति बाजार का प्रतिफल

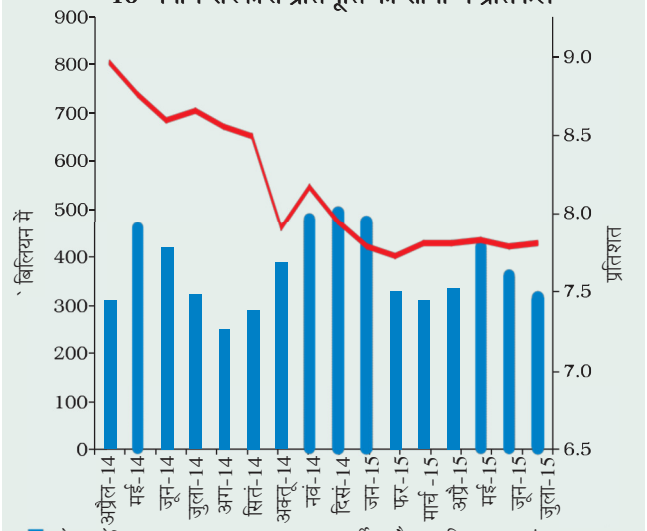
II.4.10 2014-15 के दौरान सरकारी-प्रतिभूतियों के प्रतिफल में सामान्यतः नरमी आई जिससे अमरीकी ट्रेजरी बिलों पर प्रतिफल में सुगमता, विदेशी संविभाग निवेशकों (एफपीआई) द्वारा खरीद में सक्रिय रूचि, मुद्रास्फीति में तेजी से गिरावट, राजकोषीय स्थिति में सुधार, आम चुनाव के बाद सकारात्मक मनोभावों, तेल के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में तेजी से गिरावट आने तथा रिज़र्व बैंक द्वारा नीतिगत दरों में कमी किए जाने का असर दिखाई देता है। मध्य-पूर्व में भू-राजनैतिक तनावों तथा 2014-15 के केंद्रीय बजट में बाजार से लिए जाने वाले निवल उधार में वृद्धि की घोषणा किए जाने के कारण भी जून एवं जुलाई 2014 में प्रतिफलों में थोड़ा सुधार हुआ। भू-राजनैतिक तनावों तथा रूसी मुद्रा-संकट के कारण दिसंबर 2014 के उत्तरार्द्ध में प्रतिफलों में पुनः कमी आई। हालांकि, विदेशी संविभाग निवेशकों द्वारा खरीद में वृद्धि होने के बाद चौथी तिमाही में प्रतिफलों में नरमी आई। विदेशी संविभाग निवेशकों को ट्रेजरी बिलों की खरीद से मनाही एवं सिर्फ कम से कम तीन वर्षों की अवशिष्ट परिपक्वता वाली सरकारी प्रतिभूतियों में ही उत्तरोत्तर निवेश की अनुमति प्रदान किए जाने जैसी विशिष्ट शर्तों के बावजूद विदेशी संविभाग निवेशकों द्वारा सरकारी कर्ज की खरीद में निरंतर रूचि का पता चला क्योंकि उनकी उनकी सीमाओं का लगभग पूर्ण इस्तेमाल हुआ। ध्यान देने योग्य है कि, सरकारी प्रतिभूति बाजार में अक्तूबर 2014 में फैडरल रिज़र्व के आस्ति खरीद कार्यक्रम से पूर्णतः बाहर रहने का असर नहीं पड़ा और आशावादी निवेश वर्ग के होने के बाद भी प्रतिफलों में नरमी का रूझान जारी रहा (चार्ट II.25)।

चार्ट II.25: सरकारी प्रतिभूति पर प्रतिफल का वक्र



स्रोत : फिम्डा

चार्ट II.26: औसत दैनिक मात्रा एवं 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति का सामान्य प्रतिफल



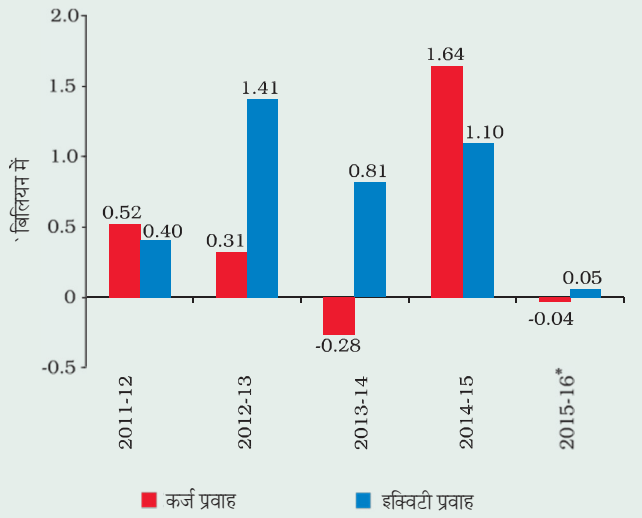
स्रोत :एफआईएमएमडीए और सीसीआईएल

II.4.11 सरकारी प्रतिभूति बाजार में फरवरी 2015 में विविध कारणों से तेजड़िया रूझान बना रहा। इन कारणों में, 2015-16 के लिए सरकार के बाजार से उधार लेने के कार्यक्रम के आकार के सामान्यतः अपरिवर्तित रहने एवं 2015-16 के संघीय बजट में की गई घोषणा के अनुसार एक और वर्ष के लिए राजकोषीय समेकन योजना को पुनर्निर्धारित करना शामिल है किंतु अन्य कारणों का भी इस पर असर रहा है। हालांकि, नीतिगत दरों में 15 जनवरी 2015 तथा 4 मार्च 2015 को हुई 25 आधारभूत अंकों की अनुवर्ती कटौती तथा अमरीकी ट्रेजरी प्रतिलाभों में तीव्र कमी होने के कारण बाजार के रूझान आशावादी हो गए जिसके कारण 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति प्रतिलाभों में नरमी आई। 7 अप्रैल 2015 को द्विमासिक मौद्रिक नीति में नीतिगत दरों को यथास्थिति रखने की घोषणा होने के कारण रूझानों में होने वाला सुधार अल्पकालिक ही रहा। वृद्धि तथा मुद्रास्फीति की संभावनाओं में सुधार होने एवं तेल मूल्यों के कम होने के बाद अधिकांश विकसित अर्थव्यवस्थाओं के दीर्घावधि बांडों के प्रतिलाभ में कमी को देखते हुए मई 2015 के पूर्वार्द्ध में 10-वर्षीय भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिलाभ का 11 मई 2015 को बढ़कर 8.09 प्रतिशत के उच्च स्तर पर पहुंचना अधिक प्रासंगिक बात रही। हालांकि, नई 10-वर्षीय बेंचमार्क प्रतिभूति के प्रारंभ किए जाने, नीतिगत दर में कटौती करने एवं मुद्रास्फीति में महत्वपूर्ण कमी आने के साथ प्रतिलाभ में नरमी आई। 14 अगस्त, 2015 को 10-वर्षीय प्रतिलाभ 7.75 प्रतिशत रहा। सितंबर से नवंबर 2014 की अवधि को छोड़कर, औसत मात्रा में 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिलाभ में होने वाले परिवर्तनों के विपरीत असर देखा गया (सारणी II.26)। 2014-15 में सरकारी प्रतिभूतियों की कुल बिक्री का अनुपात बढ़कर 1.95 प्रतिशत हो गया जो पिछले वर्ष 1.87 प्रतिशत था।

भारत में विदेशी संविभाग निवेश (एफपीआई) का प्रवाह

II.4.12 2014-15 के दौरान भारती के इक्विटी और कर्ज बाजारों में एफपीआई का पुनरूज्जीवन हुआ। जहां, 30 बिलियन अमरीकी डॉलर की समग्र सीमा के अंतर्गत एफपीआई की उप-सीमा को 5 बिलियन अमरीकी डॉलर बढ़ाए जाने के कारण कर्ज बाजार में एफपीआई से होने वाला अंतर्वाह बढ़कर ₹ 1.6 ट्रिलियन हो गया, वहीं इक्विटी बाजारों में एफपीआई से होने वाला निवेश भी 2013-14 की तुलना में अधिक रहा (चार्ट II.27)। वर्तमान में, एफपीआई निवेशकों को कम से कम तीन वर्षों की अवशिष्ट परिपक्वता वाले बांडों में ही निवेश करने की अनुमति है ताकि दीर्घावधि प्रतिभूतियों को प्रोत्साहित किया जा सके और अपेक्षाकृत कम अवधि वाली प्रतिभूतियों की ब्याज दर को नियंत्रित रखा जा सके। 5 फरवरी 2015 से एफपीआई को सरकारी प्रतिभूतियों के कूपन में निवेश करने की अनुमति देकर प्रभावी एफपीआई सीमा को बढ़ाया गया। यूरोपीय बांड बाजारों में 7 मई 2015 को प्रारंभ हुई वैश्विक बांड बिक्री, चौथी तिमाही के लिए अब तक रिपोर्ट की गई तिमाही कमाई के कम रहने के कारण उत्पन्न चिंताओं एवं न्यूनतम वैकल्पिक कर

चार्ट II.27 : कर्ज एवं इक्विटी बाजारों में एफपीआई प्रवाह



*: 13 अगस्त 2015 तक के आंकड़े।

स्रोत : राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल)

(एमएटी) की अनिश्चितताओं तथा वैश्विक वित्तीय बाजारों में बढ़ी हुई अनिश्चितता के बाद 2015-16 के दौरान कर्ज एवं इक्विटी बाजारों में एफपीआई प्रवाहों (निवेश) में अब तक (13 अगस्त 2015 तक) क्रमशः ₹ (-)43.2 बिलियन तथा ₹ 47.4बिलियन की कमी आई।

कॉर्पोरेट बांड बाजार

II.4.13 कॉर्पोरेट बांड बाजार में 2014-15 के दौरान 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह बढ़कर ₹ 10,913 बिलियन हो गया (चार्ट II.28ए)। दूसरी तरफ, कच्चे तेल के वैश्विक मूल्यों में गिरावट आने, विनिमय बाजार में स्थिरता और मूडीज़ द्वारा संभावनाओं में सुधार दर्शाए जाने के बाद समरूप परिपक्वता अवधि की सरकारी प्रतिभूतियों की तुलना में एएए रेटिंग वाले 5-वर्षीय कॉर्पोरेट बांडों के प्रतिलाभों में नवंबर 2014 के मध्य तक कमी आई। हालांकि, इसके बाद करों के अग्रिम भुगतान किए जाने और 2014 की दूसरी तिमाही में लिए चालू खाता घाटे में वृद्धि होने संबंधी चिंताओं के कारण चलनिधि पर प्रतिरोधात्मक दबाव पड़ने के कारण जनवरी 2015 के मध्य तक प्रतिलाभ में वृद्धि हुई। नीतिगत रिपो दर में कटौती किए जाने और चलनिधि की स्थिति में सुधार होने के बाद 2014-15 की चौथी तिमाही में प्रतिलाभ में कमी आई (चार्ट II.28बी)। 2015-16 में अब तक प्रतिलाभ दायराबद्ध रहा है जिससे सुगम चलनिधि परिस्थितियां होने का संकेत मिलता है।

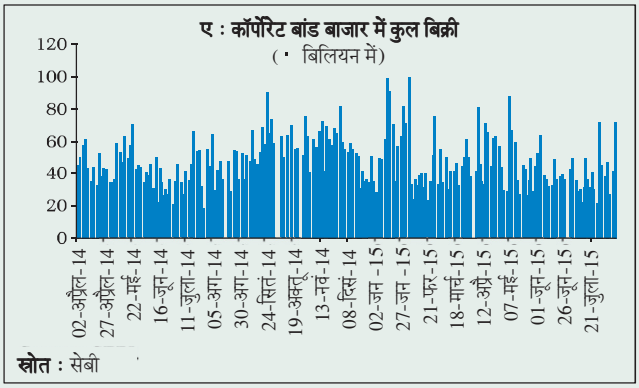
द्वितीयक इक्विटी बाजार

II.4.14 इक्विटी बाजार में 2014-15 में अधिक गतिविधियां देखी गईं और 29 जनवरी 2015 को बाजार सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया (चार्ट II.29ए)। 2013-14 में 19 प्रतिशत की वृद्धि होने के बाद भी बीएसई सूचकांक में वर्ष के दौरान 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इक्विटी बाजार के रूझानों को राजनैतिक स्थिरता, निरंतर एफपीआई प्रवाहों, कच्चे तेल के अपेक्षाकृत कम अंतरराष्ट्रीय मूल्यों एवं नीतिगत दरों में नरमी, से बल मिला।

II.4.15 इक्विटी बाजार को वैश्विक चलनिधि परिस्थितियों एवं प्रतिलाभ की तलाश का भी लाभ हुआ जिसके अंतर्गत ब्याज दरों को कम रखने की अमरीकी फैडरल रिज़र्व की वचनबद्धता, ईसीबी, बैंक ऑफ जापान तथा पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना द्वारा अत्यधिक समायोजनकारी मौद्रिक नीति को अपनाए जाने से भी सहायता मिली। अमरीकी डॉलर के रूप में, सेंसेक्स में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह विश्व के सर्वश्रेष्ठ निष्पादन करने वाले बाजारों में से एक बन गया (चार्ट II.29बी)। 2014-15 में, देशी इक्विटी बाजार में भी विदेशों के इक्विटी बाजारों की तुलना में कम घटबढ़ देखी गई।

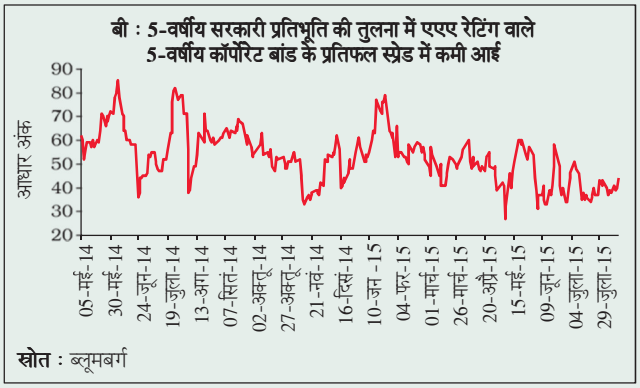
चार्ट II.28 : कॉर्पोरेट बांड बाजार

ए : कॉर्पोरेट बांड बाजार में कुल बिक्री



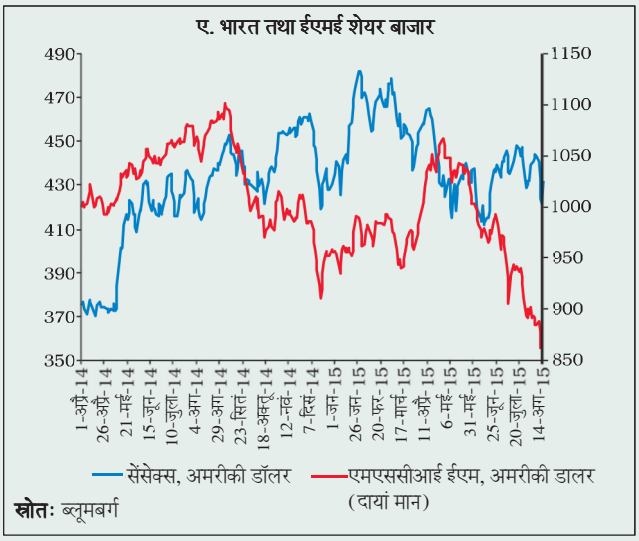
स्रोत : सेबी

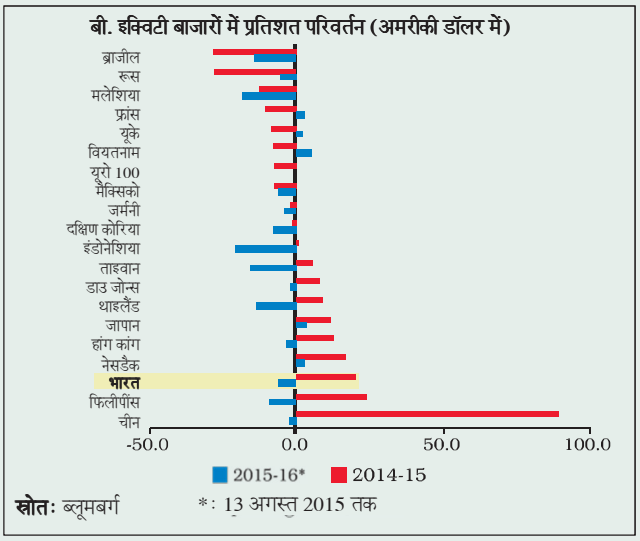
बी : 5-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति की तुलना में एएए रेटिंग वाले 5-वर्षीय कॉर्पोरेट बांड के प्रतिफल स्प्रेड में कमी आई



स्रोत : ब्लूमबर्ग

चार्ट II.29 : अन्य प्रमुख बाजारों की तुलना में भारतीय इक्विटियों का निष्पादन





II.4.16 एमएटी के बारे में एफपीआई की चिंताओं, चौथी तिमाही में कॉर्पोरेट कमाई कमजोर रहने एवं मानसून के सामान्य से कम रहने के पूर्वानुमानों के कारण 2015-16 के दौरान इक्विटी बाजारों की कमजोर शुरूआत हुई। हालांकि, जून में सामान्य से अधिक बारिश होने के कारण बेंचमार्क सूचकांकों में सुधार हुआ। यूनान एवं ईरान नाभिकीय सौदा से संबंधित गतिविधियों में सकारात्मक परिवर्तनों से घरेलू बाजारों को भी बल मिला। अगस्त 2015 में शेयर बाजार दायराबद्धर बने रहे, जिसमें अन्य बातों के अलावा 2015-16 की पहली तिमाही में मिलीजुली कमाई होने तथा चीन की मुद्रा के अवमूल्यन होने जैसी वैश्विक गतिविधियों का प्रभाव रहा।

प्राथमिक इक्विटी बाजार

II.4.17 2014-15 के दौरान, अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) सहित इक्विटी निर्गमन के माध्यम से संसाधन जुटाने में 44 प्रतिशत की पर्याप्त वृद्धि हुई (सारणी II.10)। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) में ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस (डीआरएचपी) फाइल करने वाली कंपनियों की संख्या में वृद्धि के साथ प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों (आईपीओ) में रूचि के पुनर्जीवित होने के संकेत दिखाई दिए। इसके आगे, यदि द्वितीयक बाजार में सकारात्मक रूझान जारी रहता है तो प्राथमिक बाजार के माध्यम से अधिक संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी।

कॉर्पोरेट बांडों का निजी स्थानन (प्राइवेट प्लेसमेंट)

II.4.18 2014-15 में ₹ 4,041 बिलियन के कॉर्पोरेट बांडों के निजी स्थानन के माध्यम से संसाधन जुटाए गए जिसमें 46 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जबकि अपरिवर्तनीय डिबेंचरों का ₹ 97 बिलियन का निर्गमन हुआ जो बहुत ही कम था। 2015-16 के संघीय बजट में आधारभूत संरचना का कर-मुक्त बांडों के माध्यम से निधीयन करने के संबंध में प्रस्ताव किए जाने के साथ ही 2015-16 में बांडों के सार्वजनिक निर्गमन के माध्यम से संसाधन जुटाए जाने में वृद्धि होना अवश्यंभावी है।

II.4.19 केंद्र सरकार ने 2015-16 में ₹ 695 बिलियन की प्राप्ति विनिवेश के माध्यम से करने का बजट प्रावधान किया है जिसमें से ₹ 285 बिलियन रणनीतिक विनिवेश के माध्यम से जुटाए जाने हैं। ई-पीआईओ में शर्तें लगाए जाने एवं स्थावर संपदा निवेश ट्रस्ट (आरईआईटी) प्रारंभ करने के लिए फर्मों को अनुमति प्रदान करने तथा आधारभूत संरचना निवेश ट्रस्ट (आईएनवीआईटी) जैसे उपाय करने के साथ ही सरकार के विनिवेश संबंधी कदमों से पूंजी बाजारों को आगे बढ़ने में गति मिलने की संभावना है।

मकान मूल्य सूचकांक (एचपीआई)

II.4.20 मांग कम होने के प्रमुख कारण से 2013-14 की पहली तिमाही में मकान मूल्य सूचकांक की तिमाही वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष)

सारणी II.10 : प्राथमिक पूंजी बाजार से मोबिलाइजेशन

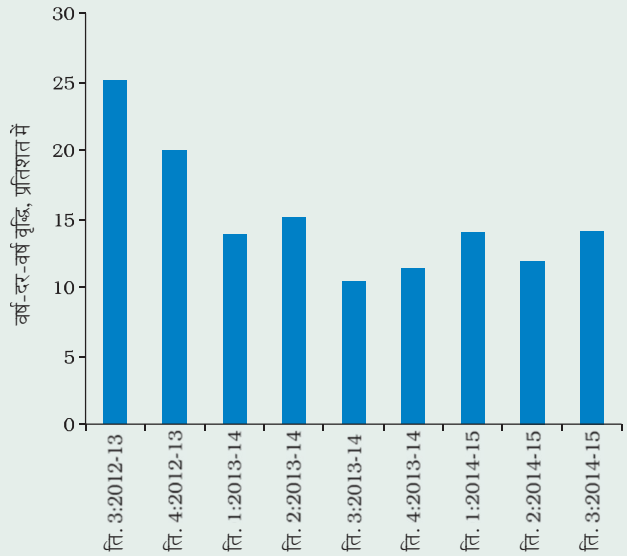
(₹ बिलियन)

श्रेणी	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (P)
1	2	3	4	5
ए. सार्वजनिक निर्गम (i)+(ii)	**460.9**	**219.2**	**510.8**	**127.5**
(i) सार्वजनिक निर्गम (इक्विटी) जिसमें से	104.8	49.4	87.0	30.4
आईपीओ	59.0	49.4	12.4	30.4
एफपीओ	45.8	0.0	74.6	0.0
(ii) सार्वजनिक निर्गम (कर्ज)	356.1	169.8	423.8	97.1
बी. अधिकारों का निर्गम	23.7	89.4	45.8	67.5
कुल जारी इक्विटी (आई+बी)	**128.6**	**138.8**	**132.7**	**97.9**
सी. यूरो निर्गम (एडीआर+जीडीआर)	27.1	10.4	1.2	95.9
डी. म्यूचुअल फंड जुटाना (निवल)	-220.2	765.4	537.8	1032.9
1. निजी क्षेत्र	-154.5	637.9	488.4	1037.0
2. सरकारी क्षेत्र	-65.8	127.5	49.4	-4.1
ई. कॉर्पोरेट कर्ज बाजार में निजी स्थानन	2612.8	3614.6	2760.5	4041.4
एफ. क्यूआईपी	21.6	160.0	136.6	291.0

टिप्पणी : पी : अस्थायी आईपीओ : प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव एफपीओ : अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव एडीआर : अमरीकी निक्षेपागार रसीद जीडीआर : वैश्विक निक्षेपागार रसीद क्यूआईपी : अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन
स्रोत : सेबी और प्राइम डाटाबेस

16 प्रतिशत से नीचे चली गई। हालांकि 2014-15 की प्रथम तीन तिमाहियों में इसमें सुधार हुआ जिससे विशेषरूप से दिल्ली एवं कोलकाता जैसे शहरों में मकान मूल्यों में थोड़ी वृद्धि प्रारंभ होने का पता चलता है (चार्ट II.30)। हाल के समय में रिहायशी मकानों की मांग में काफी कमी आई है और साथ ही साथ बिक्री नहीं हुए रिहायशी मकानों के स्टॉक में काफी वृद्धि हुई है। मूल्य अधिक होने के कारण यथार्थ में मकान खरीदने वाले लोग आवास बाजार से बाहर निकल गए और अर्थव्यवस्था के कमजोर होने के कारण निवेशक भी इस बाजार से दूर रहे। आर्थिक वृद्धि की शुरूआत होने से समग्ररूप से खरीददारों के रूझान में सुधार होने की संभावना है। मकान निर्माताओं (डिवेलपरों) को ऐसा होने की संभावना है और इसलिए वे मूल्यों को स्थिर बनाए हुए हैं।

चार्ट II.30 : मकान मूल्य सूचकांक में घटबढ़



स्रोत : रिज़र्व बैंक

II.4.21 2014-15 में भारत के वित्तीय बाजारों का कार्यनिष्पादन अच्छा रहा। मुद्रा बाजार दरें नीतिगत रिपो दरों के बहुत अनुरूप रहीं। ऋण वृद्धि के मंद होने तथा संरचनागत चलनिधि परिस्थिति के अपेक्षाकृत सुखद होने और रिज़र्व बैंक द्वारा नीतिगत दरों में कमी किए जाने के बाद वाणिज्यिक पत्रों तथा जमा प्रमाणपत्रों की दरों में वर्ष के दौरान गिरावट आई। सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल में 2014-15 में सामान्यरूप से नरमी आई जो मुद्रास्फीति में कमी तथा एफपीआई द्वारा खरीद में रूचि जारी रहने के अनुरूप रही। इक्विटी बाजारों, प्राथमिक के साथ ही द्वितीयक बाजारों में भी पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया।

II.5 सरकारी वित्त

II.5.1 सरकारी वित्त में केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर उत्तरोत्तर सुधार हो रहा है। ईमानदारी की प्रेरणा वैश्विक संकट के बाद की अवधि में मुख्यतः राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के समुचित पथ के लिए पुनःप्रतिबद्धता से उत्पन्न हुई है। प्रारंभ में मात्रा-प्रेरित के रूप में, इन प्रयासों को चयनित पथों पर राजकोषीय सुदृढ़ीकरण को स्थिर करने के लिए अनिवार्यताओं द्वारा संचालित किया गया और उसके बाद व्यय की प्राथमिकता को सब्सिडी से निवेश में बदलने, कर उछाल में बढ़ोतरी करने, गैर उन्नतशील व्यय और रिसावों को प्रासंगिक बनाने और सरकार के सभी स्तरों के लिए सरकारी ऋण को वहनीय स्तर पर रखने के प्रयास किए गएं। वर्ष 2012-13 से सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) से संबंधित निर्धारित वार्षिक लक्ष्य पूरा कर लेने के बाद राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की गुणवत्ता पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। अनंतिम खातों के अनुसार केंद्र सरकार के प्रमुख घाटा संकेतक एक वर्ष पूर्व की तुलना में 2014-15 में कम थे। राजस्व घाटा (आरडी) और जीएफडी निरपेक्ष रूप से और जीडीपी के प्रतिशत के रूप में दोनों स्तर पर निर्धारित लक्ष्यों से कम रहा था।

केंद्रः प्राप्तियां और व्यय

II.5.2 2014-15 में (अनंतिम खाता), गैर-ऋण प्राप्तियां सुस्त रहीं, जो घरेलू गतिविधियों में कम उत्साह होने को दर्शाती हैं। जहां, सकल कर संग्रह में बजट अनुमान (बीई) से 8.8 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई, वहीं अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियों में कमी होने के कारण निवल कर अंतर्वाह बजट अनुमान की तुलना में कम अर्थात 7.7 प्रतिशत रहा। गैर-कर राजस्व भी सामान्य, आर्थिक, राजकोषीय और सामाजिक सेवाओं से कम संग्रह प्राप्त होने के कारण बजट अनुमान की तुलना में कम रहा। गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां निर्धारित लक्ष्य की तुलना में काफी कम रहीं, जो विनिवेश से प्राप्त होने वाली आय में भारी कमी को दर्शाती हैं।

II.5.3 गैर-ऋण प्राप्तियों में हुई कमी के चलते राजस्व और पूंजी दोनों खातों में घाटे के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु योजनागत व्यय में 20 प्रतिशत से अधिक की तीव्र कटौती की गई है। बजट अनुमान की तुलना में गैर-योजनागत व्यय में की गई मामूली कटौती को भी पूंजीगत व्यय और ब्याज भुगतान में कटौती करके लागू किया गया।

II.5.4 समग्र रूप से पूंजीगत व्यय और पूंजीगत परिव्यय दोनों ही निर्धारित लक्ष्य से कम थे और पिछले वर्ष के स्तर की तुलना में भी कम थे। संभवतः मध्यावधि में इसका वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

2015-16 में राजकोषीय सुदृढ़ीकरण पथ पर पुनः विचार करना

II.5.5 केंद्र सरकार के बजट 2015-16 में सभी प्रमुख घाटा संकेतक कम रहने के अनुमान के साथ राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया को जारी रखा गया (सारणी II.11)। जीएफडी में लक्ष्यित

सारणी 11.11: केंद्र सरकार का राजकोषीय निष्पादन

(जीडीपी का प्रतिशत)

चर	2004-08 (औसत)	2008-10 (औसत)	2010-14 (औसत)	2013-14	2014-15(आरई)	2014-15 (पीए)	2015-16 (बीई)
1	2	3	4	5	6	7	8
गैर ऋण प्राप्तियां	**10.4**	**9.5**	**9.5**	**9.3**	**9.3**	**9.1**	**8.7**
कर राजस्व	7.8	7.5	7.3	7.2	7.2	7.2	6.5
गैर कर राजस्व	2.1	1.8	1.8	1.8	1.7	1.6	1.6
गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.6
कुल व्यय	**14.2**	**15.8**	**14.5**	**13.7**	**13.4**	**13.1**	**12.6**
राजस्व व्यय	11.9	14.1	12.7	12.1	11.9	11.6	10.9
पूंजीगत व्यय	2.3	1.7	1.8	1.7	1.5	1.5	1.7
योजनागत व्यय	4.0	4.8	4.4	4.0	3.7	3.6	3.3
गैर-योजनागत व्यय	10.2	11.0	10.1	9.7	9.7	9.5	9.3
राजस्व घाटा	**2.0**	**4.9**	**3.6**	**3.1**	**2.9**	**2.9**	**2.8**
सकल राजकोषीय घाटा	**3.4**	**6.2**	**5.0**	**4.4**	**4.1**	**4.0**	**3.9**

टिप्पणी: 1. आरई : संशोधित अनुमान; पीएः अनंतिम खाते; बीईः बजट अनुमान
2. जीडीपी 2014-15 सीएसओ के अंनतिम अनुमानों के अनुसार है।

कटौती को गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों में बढ़ोतरी और राजस्व व्यय में कमी करके प्राप्त करने का प्रावधान किया है। एफआरबीएम अधिनियम/नियमों के तहत 3.0 प्रतिशत के जीएफडी-जीडीपी लक्ष्य को प्राप्त करने की नियत समय-सीमा को एक वर्ष बढ़ाकर 2017-18 कर दिया गया है, ऐसा इसलिए किया गया ताकि वृद्धि में सहयोग करने के लिए अधिक सरकारी निवेश प्राप्त किया जा सके और 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों का पालन करते हुए राज्यों को अधिक राशि अंतरित की जा सके और वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) को लागू करने से जुड़ी अनिश्चितताओं और 7वें वेतन आयोग के अधिनिर्णय के संभावित बोझ को ध्यान में रखा जा सके।

अप्रत्यक्ष कर और विनिवेश से प्राप्त आय का अंतरण

II.5.6 सकल कर राजस्व में 16.4 प्रतिशत की संभावित वृद्धि होने के कारण जीडीपी में सकल कर राजस्व का अनुपात 2015-16 में 0.4 प्रतिशत अंकों की वृद्धि के साथ 10.3 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है। तथापि, 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों का पालन करते हुए राज्यों को अधिक राशि अंतरित करने के कारण केंद्र को प्राप्त होने वाले निवल कर राजस्व को 2014-15 (पीए) में 7.2 प्रतिशत से काफी घटाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया गया है। सकल कर राजस्व के लिए अंतर्निहित कर उछाल में पिछले दो वर्षों से हो रहे 1 से कम के उछाल की तुलना में काफी अधिक उछाल आया है (सारणी II.12)। इसके अतिरिक्त, अप्रत्यक्ष करों में 2014-15 (पीए) में हुई 9.8 प्रतिशत बढ़ोतरी की तुलना में 18.9 प्रतिशत की प्रस्तावित बढ़ोतरी को सेवा कर की दर (शिक्षा उपकर सहित) में की गई 1.64 प्रतिशत बढ़ोतरी, सेवा कर के तहत नकारात्मक सूची की छंटनी और कर-आधार को विस्तार देने के लिए कतिपय अन्य रियायतें समाप्त होने से सेवा करों में लगभग 2 प्रतिशत से अधिक का उछाल आ सकता है। उत्पाद शुल्क संग्रह के संबंध में 1.73 की संभावित उछाल को मुख्यतः 2014-15 में पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में की गई तदर्थ बढ़ोतरी, मोबाइल हैंडसेट और सिगरेट जैसे चुनिंदा उत्पादों पर उत्पाद शुल्क में की गई बढ़ोतरी, मावा और मूंगफली का मक्खन जैसे कर के दायरे में न आने वाले उत्पादों पर उत्पाद शुल्क लगाने से और उत्पाद शुल्क में सामान्य वृद्धि करके अर्थात मौजूदा 12.36 प्रतिशत को बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत करने का सहयोग मिला है। जहां इस प्रकार के प्रयासों से 2015-16 के दौरान अप्रत्यक्ष कर संग्रह के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहूलियत मिलेगी, वहीं मध्यवाधि में कर राजस्व में दीर्घकालिक बढ़ोतरी हेतु जीएसटी की शुरुआत के लिए समयसीमा का अनुपालन करना भी जरुरी है।

II.5.7 2015-16 के दौरान गैर कर राजस्व, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (पीएसयू), रिज़र्व बैंक, सरकारी बैंक और स्पेक्ट्रम प्रभारों से प्राप्त लाभांश शामिल है, में 12.6 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। रणनीतिगत विनिवेश से ₹285 बिलियन का अतिरिक्त बहिर्वाह होने के चलते विनिवेश से प्राप्त होने वाली आय को बढ़ाकर ₹410 बिलियन कर दिया गया है। वास्तविक आय के संबंध में पिछले कार्यनिष्पादन की स्थिति प्रतिकूल होने के बावजूद विनिवेश प्राप्तियों में लगभग 179 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि ने 2015-16 के लिए कुल निर्धारित लक्ष्यों के संबंध में जोखिम पैदा कर सकता है।

सारणी 11.12: कर संग्रह में कर उछाल और वृद्धि दर *

कर वर्ग	कर उछाल			वृद्धि दर (प्रतिशत)		
	2013-14	2014-15 (पीए)	2015-16 (बीई)	2013-14	2014-15 (पीए)	2015-16 (बीई)
1	2	3	4	5	6	7
सकल कर राजस्व	0.73	0.89	1.31	9.9	9.3	16.4
निगम कर	0.79	0.82	0.78	10.8	8.7	9.7
आय कर	1.55	0.82	1.93	21.0	8.6	24.2
सीमा शुल्क	0.30	0.88	0.86	4.1	9.3	10.8
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	-0.24	1.05	1.73	-3.2	11.1	21.6
सेवा कर	1.23	0.81	1.99	16.7	8.5	24.9

*: उछाल की गणना समग्र जीडीपी वृद्धि दर के संबंध में की गई है।

व्यय का स्वरुप

II.5.8 2015-16 (बीई) में केंद्र के कुल व्यय में जीडीपी के समानुपात के रूप में राजस्व व्यय कम होने के कारण 8.1 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। पूंजीगत व्यय में की गई तीव्र वृद्धि गैर-रक्षा पूंजी परिव्यय में अनुमानित उच्च वृद्धि को दर्शाती है।

II.5.9 2015-16 के दौरान योजनागत व्यय में मामूली वृद्धि होने की संभावना है जो उच्च पूंजीगत व्यय को दर्शाती है। गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत सब्सिडी में कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में आई गिरावट और 2014 में डीजल की फुटकर बिक्री पर विनियमन हटाने के बाद पेट्रोलियम सब्सिडी में 48 प्रतिशत की कमी की गई है। जहां, खाद्य सब्सिडी में धीमी गति से वृद्धि होने की संभावना है, वहीं उवर्रक सब्सिडी कम होने की संभावना है।

2015-16 में राजकोषीय समायोजन की गुणवत्ता

II.5.10 समग्र रूप से, सब्सिडी के बजाए निवेश के पक्ष में सरकारी व्यय का पुनर्विन्यास करके 2015-16 में राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की सरकार की योजना राजकोषीय समायोजन (बॉक्स II.5) की गुणवत्ता को सुधारने के लिए एक स्वागतयोग्य उपाय है। इसे प्राप्त करने के लिए, जहां एक ओर निर्धारित राजस्व को प्राप्त करना जरुरी होगा, वहीं दूसरी ओर सब्सिडी पर निर्धारित व्यय का अनुपालन सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण होगा (चार्ट II.31)।

बॉक्स II.5
राजकोषीय समायोजन की गुणवत्ता

वैश्विक वित्तीय संकट के बाद संपूर्ण विश्व में सरकारी वित्त में भारी गिरावट देखी गई, इसीलिए वृद्धि प्रक्रिया को फिर से पटरी पर लाने और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में विश्वव्यापी तेजी लाने के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन संबंधी उपाय शुरू किए गए। उन्नत और विकासशील दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में 2010 से राजकोषीय सुदृढ़ीकरण शुरू किया गया, यद्यपि, सुदृढ़ीकरण की मात्रा और तेजी देश-सापेक्ष रही है। भारत में, राजकोषीय सुदृढ़ीकरण 2012-13 की दूसरी छमाही से आंरभ हुआ जिसके चलते केंद्र का सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) 2011-12 के जीडीपी के 5.8 प्रतिशत से घटकर 2014-15 (पीए) में जीडीपी का 4.0 प्रतिशत रह गया। इस प्रकार के सुधार के बावजूद राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की गुणवत्ता अभी भी चिंता का विषय बना हुई है।

आदर्श स्थिति के रूप में, राजकोषीय सुदृढ़ीकरण रणनीति व्यय और राजस्व का मिश्रण होना चाहिए ताकि सुदृढ़ीकरण के हित बोझ को सभी समाज में समुचित रूप से बांटा जा सके। सरकारी खपत और सब्सिडी इत्यादि अनुत्पादक व्ययों को कम करने जैसे उपाय करने के बावजूद सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया में उच्च सरकारी निवेश और/अथवा गरीबों को अंतरण के जरिए अधिक सामाजिक व्यय में मुक्त स्रोतों को लगाना चाहिए। इससे मध्यावधि में वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे आने वाले समय में उत्पादन में होने वाली कमी को पूरा किया जा सकता है। समायोजन आवश्यक रूप से उत्पादकता बढ़ाने के संरचनागत उपायों और एक विश्वनीय राजकोषीय सुदृढ़ीकरण योजना, जो बाजार प्रत्याशाओं को स्थिर बनाएगी, के साथ किए जाने चाहिए (तप्सोबा 2013)।

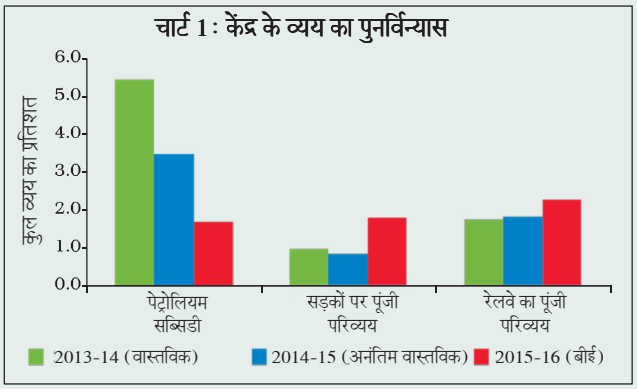
भारत में राजकोषीय सुदृढ़ीकरण मुख्यतः निर्धारित गैर-ऋण प्राप्तियों की प्राप्ति न होने के कारण राजस्व और पूंजी दोनों खातों में व्यय में संयुक्त रुप से कटौती करके किया गया है। जिसके परिणाम स्वरुप, राजकोषीय सुदृढ़ीकरण का भार गैर अनुपातिक रूप से व्यय को कम करने पर पड़ा। इस प्रक्रिया में, केंद्रीय योजना के तहत कतिपय उत्पादक व्यय में 2012-13 से 2014-15 (बीई) के दौरान बजट अनुमान की तुलना में 20 प्रतिशत की अतिरिक्त कटौती करनी पड़ी। इसमें सिंचाई, खाद्य नियंत्रण, संचार, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा शहरी विकास शामिल हैं। इस अवधि के दौरान योजनागत व्यय को औसतन 14.4 प्रतिशत की कमी का सामना करना पड़ा। पूंजीगत व्यय में कटौती आधारित राजकोषीय ईमानदारी का दीर्घकालिक वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि पूंजीगत व्यय के गुणक का प्रभाव बहुत व्यापक होता है और राजस्व व्यय की तुलना में बहुत अधिक समय तक रहता है (जैन और कुमार, 2013)1।

केंद्र सरकार के बजट 2015-16 में व्यय में 29.1 प्रतिशत की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय का पुनर्विन्यास किया गया है, जबकि प्रमुख सब्सिडी पर व्यय में तेजी से कमी होने का अनुमान किया गया है (चार्ट 1)। इस अध्याय के भाग II.1 में उल्लिखित अन्य उपायों के साथ-साथ सरकारी व्यय की इस पुनः प्राथमिकता से अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ने की संभावना है। जहां, यह व्यय की गुणवत्ता में सुधार का संकेत है, वहीं यह भी जरूरी है कि निर्धारित लक्ष्यों को वास्तविकता में बदला जाए। पिछले तीन वर्षों में, सरकार ने निर्धारित स्तर की

(जारी....)

[1] जैन और कुमार (2013) द्वारा किए गए अनुमान के अनुसार, केंद्र सरकार के लिए गैर-रक्षा पूंजी परिव्यय, राजस्व व्यय और कुल व्यय के प्रभाव गुणक क्रमशः 2.09,0.19 और 0.4 हैं।

चार्ट 1 : केंद्र के व्यय का पुनर्विन्यास



तुलना में वास्तविक पूंजीगत परिव्यय में लगभग 19 प्रतिशत की कमी की है। एक व्यापक राजकोषीय सुदृढ़ीकरण रणनीति सरकारी राजस्व में दीर्घकालिक सुधार के लिए भी आवश्यक होगी है।

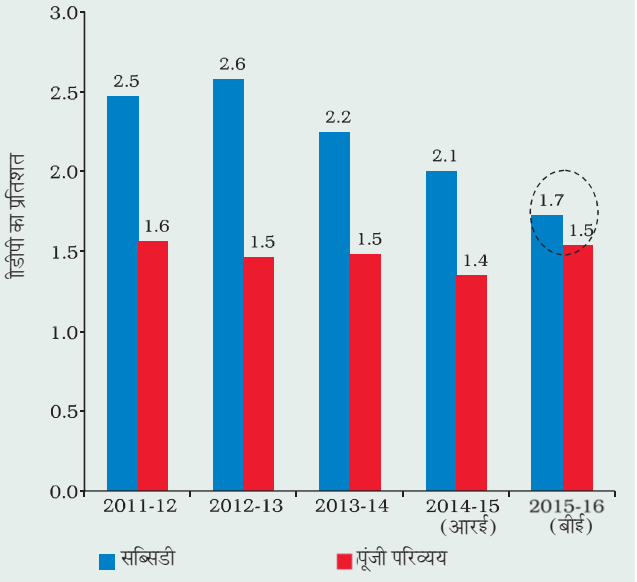
संदर्भ:

जैन, आर, और पी. कुमार (2013) भारत में सरकारी व्यय गुणक का आकार: एक संरचनागत वीएआर विश्लेषण, आरबीआई वर्किंग पेपर सं. 07

तप्सोबा, एस.जे. (2013), भारत में राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के लिए राय और रणनीतियां, आईएमएफ वर्किंग पेपर सं. 127

II.5.11 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तावित विस्तार के बावजूद 2015-16 में खाद्य सब्सिडी में थोड़ी वृद्धि की गई। खाद्य सब्सिडी को लक्ष्यित स्तर के भीतर रखने के लिए बहु-शाखा रणनीति अपनानी होगी जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संपूर्ण कंप्यूटरीकरण, खाद्यान्नों की खरीद और वितरण का विकेंद्रीकरण और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की परिचालनगत कुशलता में सुधार करना शामिल है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिए खरीद, वितरण और खाद्यान्नों का भंडार करने से जुड़ी लागत कम करके खाद्य सब्सिडी व्यय को कम किया जा सकता है। हाल ही में, सरकार द्वारा घोषित यूरिया नीति, जिसमें यूरिया उत्पादन करने वाली इकाइयों में ऊर्जा क्षमता बढ़ाने और अधिक से अधिक उत्पादन देश में करने को प्रोत्साहित किया गया है ताकि आयात पर निर्भरता और हाईड्रोकार्बन निवेश में क्रमशः कमी आए, से अगले चार वर्षों के दौरान कम ऊर्जा खपत और कम आयात सब्स्टिट्यूशन होने के कारण क्रमशः लगभग ₹ 26.2 बिलियन की उर्वरक सब्सिडी की प्रत्यक्ष बचत और लगभग ₹ 22.1 बिलियन की अप्रत्यक्ष बचत होने की संभावना है।

चार्ट II.31 : सब्सिडी और पूंजी परिव्यय



II.5.12 नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अपने बजट अनुमान (बीई) के प्रतिशत के रूप में केंद्र सरकार के प्रमुख घाटा संकेतक अर्थात जीएफडी और आरडी पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में अप्रैल-जून 2015 के दौरान कम रहे। कुल व्यय अधिक होने के बावजूद, इस अवधि के दौरान उच्च गैर-ऋण प्राप्तियों के कारण जीएफडी कम रहा। अप्रत्यक्ष करों के सभी वर्गों के अंतर्गत उच्च संग्रह और उच्च गैर-कर राजस्व प्राप्त होने से केंद्र सरकार की प्राप्तियां में बढ़ोतरी हुई। जहां प्रमुख सब्सिडियों में व्यय कम रहा, वहीं पूंजीगत व्यय योजनागत पूंजीगत व्यय में अधिक वृद्धि होने के कारण अधिक रहा। 31 जुलाई 2015 की स्थिति के अनुसार सरकार ने 2015-16 के लिए अनुपूरक मांग अनुदान के पहले बैच के जरिए ₹ 255 बिलियन राशि का अतिरिक्त प्रावधान का अनुमोदन प्रदान किया ताकि सरकारी क्षेत्र के बैंकों, सामाजिक क्षेत्र और ग्रामीण विकास के लिए सहयोग, मेट्रो रेले परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त सहयोग, ऊर्जा क्षेत्र, खाद्य क्षेत्र, नागरिक विमानन, सांस्कृतिक और पर्यटक और गृह मामलें जैसी प्राथमिकताओं को पूरा किया जा सके।

2015-16 में राज्यों की राजकोषीय स्थिति[2]

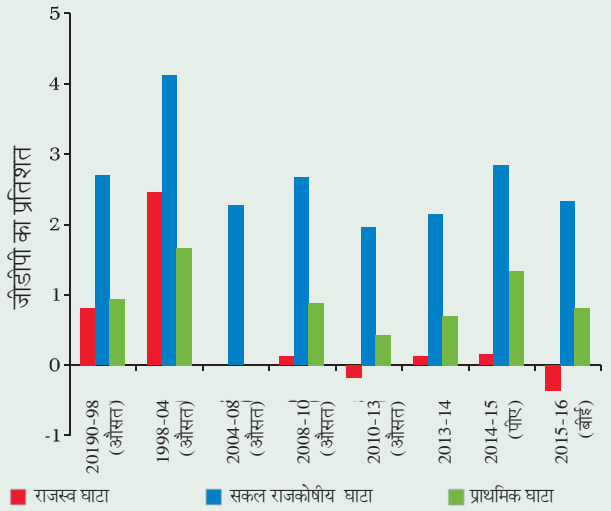
II.5.13 राज्य वित्त[3] की समेकित स्थिति से पता चलता है कि जीएफडी की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) अनुपात 2013-14 के 2.2 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 (आरई) में 2.9 प्रतिशत हो गया है, यह बढ़ोतरी मुख्यतः कुल व्यय, जिसे राजस्व प्राप्तियों में हुई बढ़ोतरी से पूरा किया गया, में हुई वृद्धि के कारण हुई थी। पूंजीगत परिव्यय अनुपात में पिछले वर्ष की तुलना में 2014-15 में 0.7 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई। राजस्व शेष जीएसडीपी का 0.1 प्रतिशत के साथ घाटे पर बना रहा।

II.5.14 2015-16 के बीई में जीएफडी की तुलना में जीएसडीपी अनुपात कम अर्थात 2.3 प्रतिशत रहने और घाटे वाले राजस्व खाते को बेशी वाले खाते में परिवर्तित होने का अनुमान है जो राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाने में राज्यों से प्राप्त सहयोग को दर्शाता है (चार्ट II.32)। राजकोषीय स्थिति में सुधार कर-राजस्व में उछाल और व्यय में कटौती के जरिए करने का प्रावधान है। तथापि, राज्यों का व्यय-स्वरूप प्रतिबद्धता और गैर विकास-व्यय में गतिहीनता और विकास व्यय में हुई कम को दर्शाता है।

2014-15 में संयुक्त राजकोषीय परिणाम

II.5.15 2014-15 (आरई) में सरकार के सामान्य व्यय की संयुक्त राजकोषीय स्थिति में गिरावट आई। संयुक्त राजकोषीय घाटा 2013-14 के 6.6 प्रतिशत की तुलना में जीडीपी का 6.9 प्रतिशत रहा। 0.7 प्रतिशत अंकों की केंद्र सरकार की जीएफडी में हुई गिरावट को राज्य सरकारों के जीएफडी में हुई 0.7 प्रतिशत अंकों की वृद्धि से पूरा किया गया। तथापि, 2015-16 (बीई) में सरकार के सामान्य व्यय की राजकोषीय स्थिति को गैर-ऋण प्राप्तियों की तुलना में व्यय में अपेक्षाकृत धीमी वृद्धि करके 6.3 प्रतिशत कर

चार्ट II.32: राज्य सरकारों के प्रमुख घाटा संकेतक



टिप्पणी: 2013-14 से 2015-16 तक के आंकड़े 25 राज्यों से संबंधित हैं।

दिया गया है।

II.5.16 केंद्र सरकार के बजट 2015-16 को संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने और निवेश में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के दोहरे उद्देश्य के साथ तैयार किया गया है। तदनुसार, 2015-16 के दौरान राजकोषीय रणनीति का जोर केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा निवेश में तीव्र बढ़ोतरी और अपने स्रोत के मिश्रण और राज्यों को स्रोत अंतरण में अधिक वृद्धि करके बुनियादी संरचनागत ढांचा पर व्यय बढ़ाने पर दिया गया है। जहां, राज्यों को अंतरित राशि में बढ़ोतरी से केंद्र सरकार का वित्त कम होगा, वहीं ये राज्यों को अपनी आवश्यकता के अनुसार कार्यक्रमों को बनाने, लागू करने और वित्त प्रदान करने में मदद करेगा। तथापि, राज्यों की राजकोषीय स्वायत्तता में बढ़ोतरी होने के कारण उनके लिए यह जरुरी है कि वे अपने स्रोतों का प्रभावी ढंग से निवेश करें।

[2] 25 राज्यों से संबंधित आंकड़े

[3] एक सामूहिक विश्लेषण राजकोषीय स्थिति और नीतियों के संबंध में राज्यों में व्याप्त भारी असमानता को दर्शाता है। इस संबंध में, रिज़र्व बैंक का वार्षिक प्रकाशन शीर्षक 'राज्य वित्त: 2014-15 के बजट का एक अध्ययन' भिन्न-भिन्न स्तर पर राज्य वित्त का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

II.6 बाह्य क्षेत्र

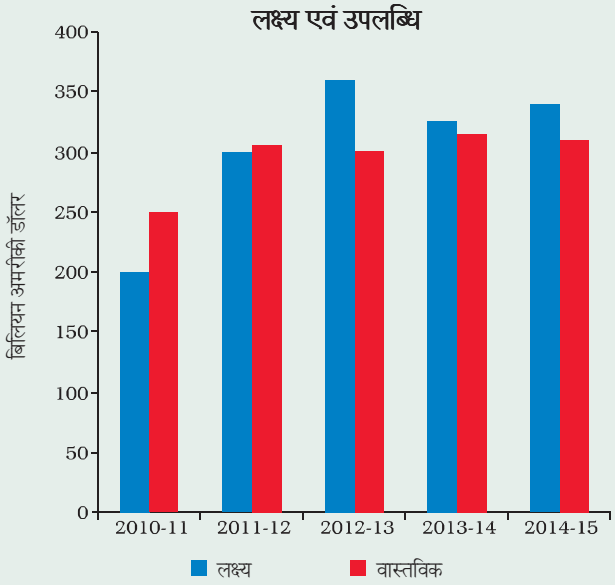
II.6.1 2014-15 में वैश्विक गतिविधियों का भारत के बाह्य क्षेत्र पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा। अंतरराष्ट्रीय पण्य कीमतों, विशेष रूप से कच्चे तेल, में गिरावट के परिणामस्वरूप आयात में बचत करने के कई उपाय किए गए। पण्य की कीमत में भारी गिरावट के प्रति निर्यात निष्पादन ने लचीला रुख अपनाया और वर्ष में अधिकांश समय जी3 विनिमय दरों में बड़े उतार-चढ़ाव देखे गए। तथापि, निर्यात वर्ष के अंतिम चार माहों में, कमजोर वैश्विक मांग, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का पेट्रोलियम उत्पादों (पीओएल) के निर्यातों में असर पड़ना एवं रुपए की मौजूदा वास्तविक मूल्यवृद्धि जो अंततः और ऊंचाई पर पहुंचा, के फलस्वरूप संकुचित हुआ। आयात की कीमतों में निर्यात की कीमतों की अपेक्षा तेजी से गिरावट आने के कारण आयात-निर्यात मूल्य स्थिति में आशातीत लाभ हुआ। स्वर्ण आयात तब तक कम रहा जब तक प्रतिबंधों में उदारता के परिणामस्वरूप वर्ष के अंतिम भाग में उसकी मात्राओं में तेजी से वृद्धि हुई। इन कारकों ने मिलकर चालू खाता घाटे को वहनीय सीमाओं में रखा।

II.6.2 2013 की गर्मियों से बड़े समष्टिआर्थिक समायोजनों के परिणामस्वरूप और साथ ही रीजनीतिक बदलाव के संबंध में अत्यधिक आशावादिता तथा संरचनात्मक सुधार संबंधी प्रत्याशाओं, विदेशी निवेशों-प्रत्यक्ष एवं पोर्टफोलियो, दोनों-की बदौलत पर्याप्त मात्रा में अंतर्वाह दर्ज किया गया। इसके परिणामस्वरूप, बाह्य वित्तपोषण संबंधी आवश्यकताओं की बड़ी सरलता से पूर्ति की गई एवं आरक्षित निधियों में भारी इजाफा हुआ। वर्ष के अंत में या 2016 में अमरीकी फेड की नीतिगत दरों में वृद्धि किए जाने के आलोक में बाह्य स्थिरता संकेतक भारतीय अर्थव्यवस्था की रक्षा करेगा।

पण्य-निर्यात निष्पादन

II.6.3 भारत का पण्य-निर्यात सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य से लगातार तीसरे वर्ष नीचे गिरा (चार्ट II.33); मात्राओं में हुई अल्प वृद्धि, यूनिट मूल्य की प्राप्तियों में गिरावट के कारण घटी। चौथी तिमाही में तेजी से गिरावट आने के कारण पीओएल एवं गैर-पीओएल निर्यात, दोनों की मात्राओं में 2014-15 में मात्र अल्प वृद्धि हुई। पण्य-निर्यात की अमरीकी डॉलर में वृद्धि 2014-15 की पहली

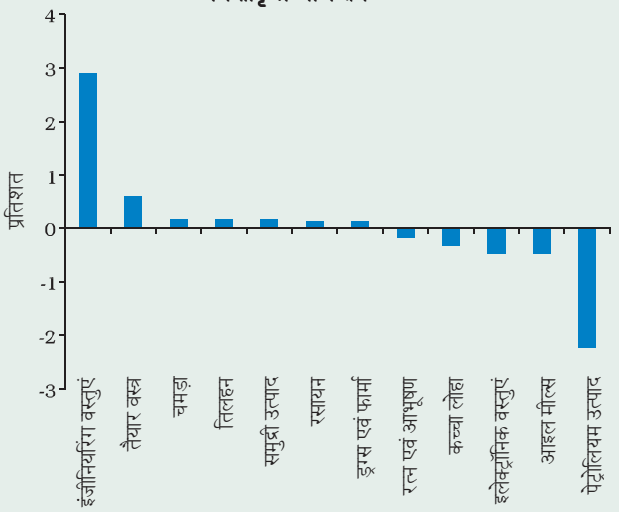
चार्ट II.33 : पण्य निर्यात - लक्ष्य एवं उपलब्धि



तिमाही में बेहतर रही, किंतु दूसरी और तीसरी तिमाही में क्रमिक रूप से गति धीमी पड़ी तथा चौथी तिमाही में लगभग 16 प्रतिशत की गिरावट आई, जो चरम वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान 2009-10 की दूसरी तिमाही से तेजी से संकुचित हुई। 2015-16 की पहली तिमाही में निर्यात और तेजी से संकुचित हुआ, यद्यपि, इसमें जुलाई 2015 में कम झुकाव देखा गया।

II.6.4 प्रमुख क्षेत्रों में, पेट्रोलियम उत्पाद, तिलहन, इलेक्ट्रानिक वस्तुएं, कच्चा लोहा और रत्न एवं आभूषण के कारण 2014-15 में संपूर्ण निर्यात निष्पादन में गिरावट आई (चार्ट II.34)। पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यातों में आई गिरावट, 2014-15 की अंतिम तीन तिमाहियों में अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में आई कमी को दर्शाता है लेकिन अन्य पण्य वर्गों की मांग में कमी से बुनियादी संरचना एवं अन्य निवेश संबंधी घरेलू आपूर्ति में बाधा पड़ने के कारण गैर-तेल के निर्यात में घाटा हुआ। गंतव्यस्थान-वार चीन, यूरोपीय संघ, सिंगापुर, जापान एवं सऊदी अरब को किये गये निर्यात में 2014-15 में भारी गिरावट आई। अधिक से अधिक व्यापार एकीकरण को देखते हुए प्रतीत होता है कि भारत का व्यापार, वैश्विक आर्थिक और वित्तीय स्थितियों के अधिक अनुकूल बन गया है (बॉक्स II.6)।

चार्ट II.34: 2014-15 में निर्यात वृद्धि में अपेक्षाकृत योगदान



पण्य-आयात

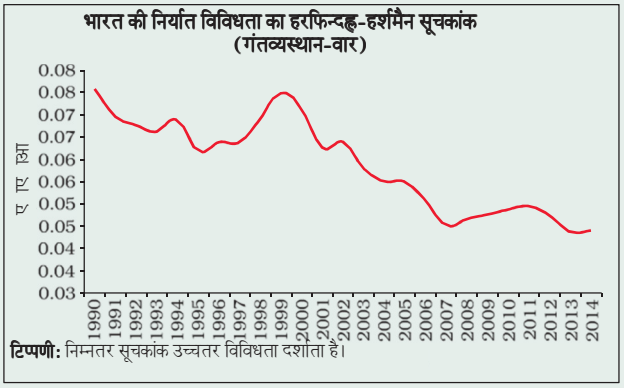
II.6.5 जून 2014 एवं मार्च 2015 के बीच कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में लगभग 50 प्रतिशत की भारी गिरावट की बदौलत भारत के पीओएल आयात बिल में 16 प्रतिशत की गिरावट के साथ इस खाते में एक वर्ष पूर्व के व्यय की तुलना में 26.5 बिलियन अमरीकी डॉलर की बचत हुई। वैश्विक कच्चे तेल की कीमत 2015-16 की पहली तिमाही में सामन्य रही (चार्ट II.35)। तथापि, 2014-15 की दूसरी छमाही में मांग में भारी उछाल की वजह से, स्वर्ण आयातों में, मूल्य (20 प्रतिशत) एवं मात्रा (38 प्रतिशत) दोनों के संदर्भ में वृद्धि दर्ज की गई। 2014-15 के बाद वाले हिस्से में स्वर्ण आयातों में वृद्धि हुई, जो प्रमुख रूप से त्यौहार संबंधी मांग, ट्रेडिंग हाउस को घरेलू उपभोग के लिए स्वर्ण आयात की अनुमति प्रदान करने के

बॉक्स II.6
व्यापार संबद्धता एवं लचीलापन

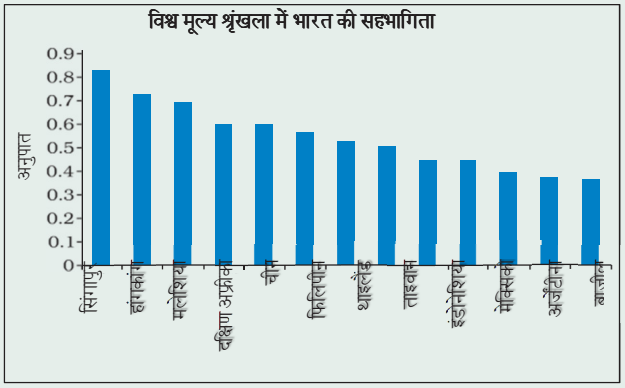
भारत की सीमा-पार व्यापार संबद्धता समय के साथ मजबूत हुई। भारत ने न केवल गंतव्य-स्थान के संदर्भ में अपने निर्यातों में विवधता लाई अपितु भारत की विश्व मूल्य श्रृंखला (जीवीसी) भी पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी, हालांकि अन्य समान अर्थव्यवस्थाओं की अपेक्षा निम्न स्तर पर (चार्ट 1), विशेष रूप से रसायन एवं इलेक्ट्रिकल उपकरण में (ओईसीडी 2014)। जीवीसी में सहभागिता से घरेलू फर्म एक श्रृंखला के भीतर आला मध्यवर्ती गतिविधियों में विशेषज्ञता प्राप्त कर बाजार में प्रवेश कर पाता है और साथ ही आपूर्तिकर्ता उत्पादन को उनके उद्योगों के उच्चतर-मूल्य वर्गों में अपग्रेड करने के योग्य बन पाता है। इससे अर्थव्यवस्थाओं में तुलनात्मक लाभ, उत्पादकता वृद्धि एवं विकास का स्तर बेहतर होता है।

जीवीसी के जरिए बृहद् सीमा-पार संबद्धता बाह्य व्यवसाय चक्र संबंधी हानियों के प्रति व्यापार की संवेदनशीलता को बढ़ाता है (गेंजनिसेट अल. 2014)। चूंकि विश्व धीरे-धीरे एक ऐसे पड़ाव की ओर बढ़ रहा है जिसमें जीवीसी व्यापार पहले की अपेक्षा अधिक महत्त्व रखता है, इसलिए विश्व की आर्थिक गतिविधि के संबंध में वैश्विक व्यापार के लचीलेपन में अन्ततोगत्वा वृद्धि होने की संभावना है (एसकैथेट अल. 2010)। इस संदर्भ में, देश-विशिष्ट व्यापारगत लचीलेपन का आकलन महत्त्व रखता है, विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय परिवेश में, जिसमें निर्यात प्रतियोगितात्मकता में प्रतिस्पर्धात्मक मौद्रिक नीति रुख एवं विनिमय दर प्रभाव निहित हैं।

चार्ट 1: भारत की सीमा-पार व्यापार संबद्धता



टिप्पणी: निम्नतर सूचकांक उच्चतर विविधता दर्शाता है।



(जारी...)

भारत के मामले में, वास्तविक गैर-तेल निर्यातों के वास्तविक विनिमय दर लचीलेपन का आकार एक वर्ष से कम के अंतराल के साथ अनुमानतः 0.7 से 0.9 के दायरे में है, जबकि वास्तविक गैर-तेल निर्यातों का आय लचीलापन 2.1 से 2.7 है (जैन और तिवारी, 2014)। इसी प्रकार, आयात मात्रा प्रधान रूप से घरेलू मांग से प्रभावित पाई गई जबकि वास्तविक विनिमय दर के संबंध में उसका लचीलापन मोटे तौर पर 0.3 से 0.5 के दायरे में है। आय एवं विनिमय दर लचीलापन का अनुमान मोटे तौर पर भारत के संबंध में किए गए अन्य अध्ययनों के अनुसार है (सारणी 1)। समग्र रूप से कहें तो मार्शल-लेरनर स्थिति का समर्थन प्रतीत होता है, जो व्यापार शेष को वांछित स्तर तक ले जाने में विनिमय दर घट-बढ़ की दक्षता सूचित करती है।

पूरे विश्व के साथ व्यापार संबद्धताओं को बेहतर करने के लिए जीवीसी में भारत की सहभागिता में अवश्य सुधार होना चाहिए। नीतिगत फैसले एमएसएमई की बड़ी मौजूदगी वाले अमुक क्षेत्रों में समूह के विकास पर केंद्रित होना चाहिए जिससे वे वैश्विक उत्पादन नेटवर्क में प्रभावी ढंग से जुड़ सके। घरेलू फर्म जीवीसी के साथ एक दूसरे रास्ते के जरिए भी जुड़ सकते हैं, वह है संयुक्त उद्यम या कार्यनीतिपरक साझेदारी और इसके माध्यम से वे समन्वित लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सीमा-पार विदेशी निवेशों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आवक एफडीआई से घरेलू फर्मों को पूंजी, प्रौद्योगिकी अंतरण एवं आर एंड डी क्षमताओं का लाभ मिलता है तथा जावक एफडीआई दुर्लभ कच्चा माल, दक्ष श्रम-शक्ति मुहैया कराने के जरिए एवं उत्पादन नेटवर्क में विस्तार कर उनकी लाभप्रदता को बढ़ाता है। फर्मों को चाहिए कि वे लाजिस्टिक्स, डिजाइन, असेंबली एवं आर एंड डी में विशेषज्ञता प्राप्त करे। इसलिए, आंतरिक अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) को बढ़ावा देने के लिए नीतियों में और अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है ताकि घरेलू फर्म गुणवत्तापूर्ण मानकों को प्राप्त कर सके एवं उच्च मूल्यवर्धित क्रियाकलापों में विशेषज्ञता प्राप्त कर सके। सेवाओं (जैसे, बुनियादी संरचना एवं वायु परिवहन) की गुणवत्ता एवं दक्षता में सुधार की पर्याप्त गुंजाइश है जिससे भारत जीवीसी में अपना हिस्सा बढ़ा सकेगा।

सारणी: 1 भारत के संबंध में किए गए प्रमुख अध्ययन

लेखकों को	निष्कर्ष
हसिंग (2010)	मार्शल-लेरनर स्थिति रहती है
अजीज एवं चिनॉय (2012)	निर्यात के लिए आईई (4.0) एवं ईआरई (0.6)
यूएनसीटीएडी (2013)	निर्यात के लिए आईई (1.9) एवं ईआरई (0.54)
पाण्डेय (2013)	मार्शल-लेरनर स्थिति रहती है
मोहन एवं कपूर (2014)	एक्स के लिए ईआरई (0.21 से 0.65) एवं एम के लिए (0.19 से 0.42)
रायस्सी एवं टुलीन (2015)	आईई (>1.5)

टिप्पणी एक्सः निर्यात; एमः आयात; ईआरईः विनिमय दर लचीलापन; आईईः आय लचीलापन।

जीवीसी में अधिक से अधिक भागीदारी देश के व्यापार को वैश्विक आर्थिक एवं वित्तीय स्थितियों (अर्थात् मांग/आपूर्ति की स्थिति एवं विनिमय दर परिवर्तन) के प्रति अतिसंवेदनशील भी करता है। भारत की आय स्थितियों की तुलना में व्यापार की संवेदनशीलता एवं विनिमय दर परिवर्तनों को देखते हुए, नीतिनिर्माताओं को बाह्य झटकों विशेष रूप से पूंजी प्रवाहों; घरेलू मुद्रास्फीति और लाभप्रदता के स्तरों से परिचित होना चाहिए क्योंकि उनका वास्तविक प्रभावी विनिमय दर उतार-चढ़ावों पर महत्त्वपूर्ण निहितार्थ हो सकता है जिसका अंततः भारत के व्यापार शेष पर प्रभाव पड़ेगा।

संदर्भ:

अजीज, जहांगीर और साज्जिद चिनोय (2012), 'इंडिया: मोर ओपन दैन यू थिंक', आर्थिक अनुसंधान, जे.पी.मार्गन।

एस्कैथ, हुबर्ट, नेन्नेटि लिंदनबर्ग, एवं सेबैस्टीन निरौडॉट (2010), 'इंटरनैशनल सपलाई चैन्स एंड ट्रेड इलास्टीसिटी इन टाइम्स आफ ग्लोबल क्राइसिस', आर्थिक अनुसंधान एवं सांख्यिकी प्रभाग स्टाफ वर्किंग पेपर 2010-08, विश्व व्यापार संगठन, जेनेवा।

गेन्जेस, बयरॉन एस., अलइसन सी. मा एंड अरी वैन एस्की (2014), 'ग्लोबल वेल्यू चैन्स एंड ट्रेड इलास्टीसिटीस', यूएचईआरओ वर्किंग पेपर सं. 2.

हसिंग, वाई. (2010), 'टेस्ट आफ दी मार्शल-लेरनर कंडीशन फार एईट सेलेक्टेड एशियन कंट्रीस एंड पालिसी इम्प्लीकेशन्स', ग्लोबल इकोनामिक रिव्यू, 39(1): 91-99.

जैन, राजीव और सौमश्री तेवारी, 'एस्टिमेशन आफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट क्कशन्स फार इंडिया', फोर्थकमिंग, आरबीआई वर्किंग पेपर।

कपूर, मुनीश एंड राकेश मोहन (2014), 'इंडियास रीसेंट मेक्रोइकोनामिक परफार्मेन्स: एन एसेसमेन्ट एंड वे फार्वड', आईएमएफ वर्किंग पेपर सं. 14/68.

पाण्डेय, रीतेश (2013), 'ट्रेड इलास्टीसिटीस एंड दी मार्शल लेरनर कंडीशन फार इंडिया', ग्लोबल जर्नल आफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस स्टडीज़, 3(4): 423-28.

रायस्सी, मेहदी एंड वोलोदिमिर टुलिन (2015), 'प्राइस एंड इनकम इलास्टीसिटी आफ इंडियन एक्सपोर्ट्स - दी रोल आफ सपलाई - साइड बॉटलनेक्स', आईएमएफ वर्किंग पेपर सं. 15/161.

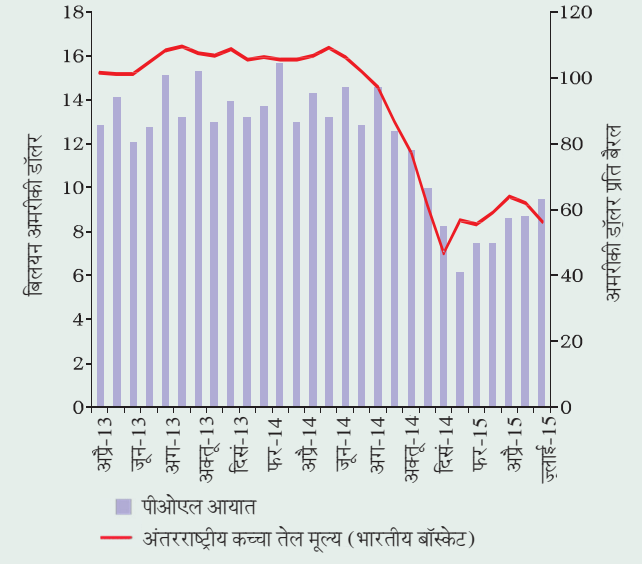
ओईसीडी (2014), इंडिया पालिसी ब्रीफ, नवंबर।

यूएनसीटीएडी (2013), इम्पेक्ट आफ दी ग्लोबल स्लोडाउन आन इंडियास एक्सपोर्ट्स् एंड एम्पलायमेंट। संयुक्त राष्ट्र, न्यू यार्क एवं जेनेवा।

साथ-साथ 20:80 योजना को वापस लेने एवं स्वर्ण आयात संबंधी अन्य प्रतिबंधों को हटाने के कारण हो सकती है।[1] साथ ही, मार्च और अप्रैल 2015 में स्वर्ण आयातों में भारी वृद्धि, 2015-16 के केंद्रीय बजट में सीमा-शुल्क में कटौती की प्रत्याशा में पूर्व के माहों की दमित

[1] 1 13 मई 2013 को रिज़र्व बैंक ने बैंकों के परेषण आधारित स्वर्ण आयातों पर रोक लगाया ताकि स्वर्ण आभूषण के निर्यातकों की वास्तविक जरूरतों को पूरा किया जा सके, साथ ही 22 जुलाई 2013 को 20:80 योजना के अंतर्गत सभी नामित बैंकों/एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि प्रत्येक स्वर्ण आयात समूह का कम-से-कम पांचवा भाग निर्यात के लिए उपलब्ध हो। 21 मई 2014 की तारीख से नामित बैंकों/एजेंसियों/प्रमुख या प्रसिद्ध ट्रेडिंग हाउस/विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाइयों/ निर्यात-उन्मुख इकाइयों को 20:80 योजना के अंतर्गत स्वर्ण आयात करने की अनुमति प्रदान की गई थी। स्वर्ण धातु ऋण योजना को मई 2014 से वापस लागू करने के साथ 20:80 योजना को नवंबर 2014 से रोक दिया गया। इसके अतिरिक्त, परेषण आधार पर आयात वापस लागू किया गया।

चार्ट II.35: अंतरराष्ट्रीय कच्चा तेल मूल्य एवं पीओएल आयात

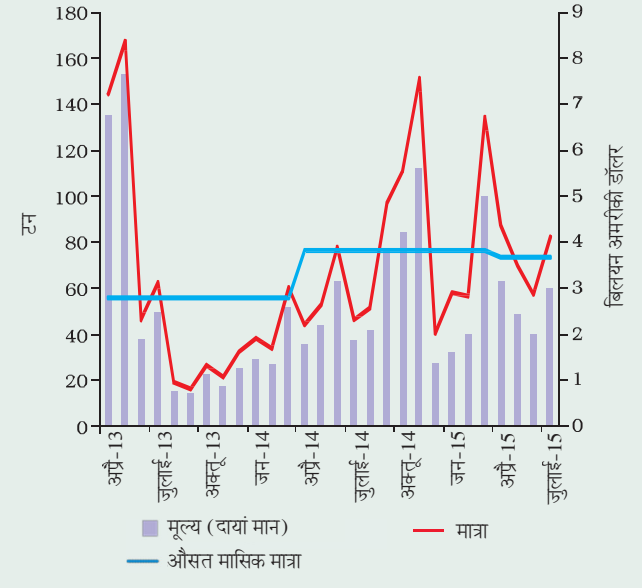


मांग एवं अक्षय तृतीय के कारण मांग में भारी उछाल को भी दर्शाती है। स्वर्ण आयातों में प्रारंभ में कमी आने के बाद, जुलाई 2015 में फिर तेजी आई, क्योंकि गत चार वर्षों में स्वर्ण की कीमत गिरकर निम्नतम स्तर पर पहुंची, जिससे घरेलू खपत संबंधी मांग बढ़ी (चार्ट II.36)।

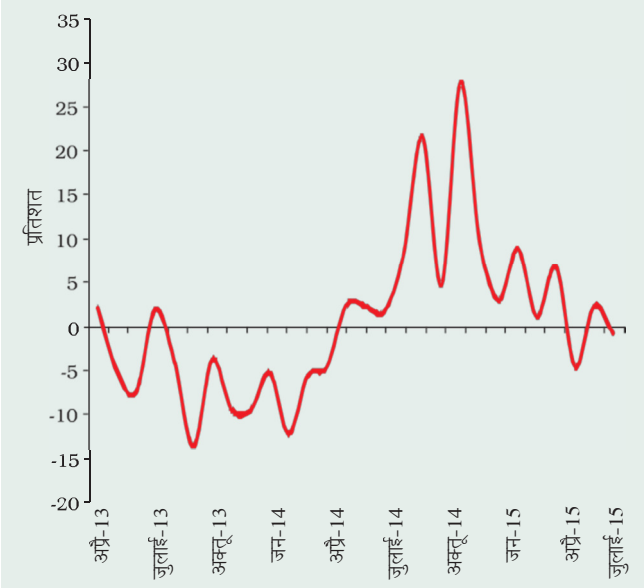
II.6.6 2014-15 में गैर-तेल गैर-स्वर्ण आयातों में सामान्य वृद्धि हुई जो प्रमुख रूप से उद्योग की घरेलू आवश्यकताओं की बदौलत है (चार्ट II.37)। कतिपय क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन में कमी आने के कारण भी लोहा एवं इस्पात, कच्चा लोहा, कोयला, नॉन-फेर्रस धातु, रसायन एवं मशीनरी के आयातों में वृद्धि हुई। विशेष रूप से, कोयला के आयातों में वृद्धि, ऊर्जा कंपनियों की उच्चतर आवश्यकताओं को दर्शाता है क्योंकि उसमें ऊर्जा की बढ़ती घरेलू मांग को पूरा करने की क्षमता है। वनस्पति तेल के आयातों में घरेलू उत्पादन में कमी आने के कारण इजाफा हुआ। जुलाई 2015 तक चालू वित्तीय वर्ष में गैर-तेल गैर-स्वर्ण आयातों में वृद्धि हुई, यद्यपि मंद गति से।

II.6.7 निर्यात में आयात से अधिक गिरावट आने के कारण पण्यों का व्यापार घाटा 2014-15 में 2013-14 के स्तर से सीमांत रूप से बढ़ा। तेल की कीमतों के गिरने से भारत का पीओएल व्यापार घाटा कम हुआ जबकि गैर-पीओएल व्यापार घाटा 2013-14 के 34.2 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 2014-15 में 53.9 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया (सारणी II.13)। तथापि, 2015-16 के प्रथम चार माहों (अप्रैल-जुलाई) में व्यापार घाटा 45.0 बिलियन अमरीकी डॉलर था, जो 2014-15 की समान अवधि की अपेक्षा कम था।

चार्ट II.36: स्वर्ण आयात



चार्ट II.37: गैर-तेल गैर-स्वर्ण आयात



सारणी II.13: पण्य व्यापार घाटा

(बिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	**2014-15** (अ)		**2013-14** (स)	
	मूल्य	वृद्धि	मूल्य	वृद्धि
1	2	3	4	5
निर्यात	**310.5**	**-1.2**	**314.4**	**4.7**
जिसमें से:				
पीओएल	57.0	-9.7	63.2	3.8
गैर-तेल	253.5	0.9	251.2	4.9
आयात	**447.5**	**-0.6**	**450.2**	**-8.3**
जिसमें से:				
पीओएल	138.3	-16.1	164.8	0.4
स्वर्ण	34.4	19.9	28.7	-46.7
गैर-तेल गैर-स्वर्ण	274.8	7.0	256.7	-5.9
व्यापार घाटा	**-137.0**		**-135.8**	
जिसमें से:				
पीओएल	-81.3		-101.6	
गैर-पीओएल	-55.7		-34.2	
मेमो मद:				
व्यापार घाटा जीडीपी के % के रूप में	-6.7		-7.2	

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस
टिप्पणी: पी: अनंतिम, आर: संशोधित, पीओएल: पेट्रोलियम, तेल, लूब्रिकेंट्स।
एनओएन ी : गैर-तेल गैर-स्वर्ण

चालू खाता घाटा

II.6.8 सेवाओं के निवल निर्यात में वृद्धि पण्यों के व्यापार घाटे (बीओपी आधारित) की भरपाई कर देती है। अमरीका में बेहतर वृद्धि, प्रौद्योगिकी को अधिक से अधिक अपनाए जाने एवं रुपए की तुलना में अमरीकी डॉलर की मजबूत स्थिति के कारण भारत का सॉफ्टवेयर निर्यात लाभान्वित प्रतीत होता है, यद्यपि यूरो की तुलना में रुपए की मूल्यवृद्धि और कमजोर मांग से यूरो क्षेत्र को किए गए सॉफ्टवेयर निर्यात में गिरावट आई होगी। यात्रा संबंधी सेवाओं के निवल निर्यात में गिरावट आई जो प्रमुख रूप से शिक्षा, चिकित्सा कारण एवं अवकाश के लिए प्राप्त व्यक्तिगत सेवाओं के संबंध में किए गए उच्चतर भुगतान के कारण है। अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में गिरावट आने के बावजूद, विप्रेषणों के प्रवाह में स्थिरता बनी रही।

II.6.9 भारत का चालू खाता घाटा (सीएडी) गत वर्ष के 1.7 प्रतिशत से घटकर 2014-15 में जीडीपी का 1.3 प्रतिशत रह गया। आगे चलकर सीएडी को वहनीय स्तर पर बनाए रखना, पण्य-निर्यात में प्रतिवर्तन पर निर्भर करेगा। इसमें बुनियादी संरचना एवं अन्य महत्त्वपूर्ण इनपुट्स के संदर्भ में घरेलू आपूर्ति-पक्ष की बाधाओं को दूर करने को प्राथमिकता देना भी शामिल होगा, जिसमें सक्रिय नीतिगत मध्यक्षेपों के जरिए अग्रणी क्षेत्रों के व्यापक समूह में लाभप्रदता एवं प्रतियोगितात्मकता को बहाल करना शामिल है (बॉक्स II.7)।

चालू खाता घाटे का वित्तपोषण

II.6.10 2014-15 के दौरान, भारत निजी पूंजी प्रवाहों का पसंदीदा गंतव्य-स्थान बना, जो बुनियादी धारणाओं, केंद्र में दृढ़ सरकार बनने

बॉक्स II.7
भारत की नव विदेश व्यापार नीति 2015-2020

1 अप्रैल 2015 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा भारत को 2020 तक विश्व व्यापार में एक महत्त्वपूर्ण सहभागी बनाने और देश को अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रकटीकरण में एक नेतृत्व का स्थान दिलाने की दृष्टि से विदेश व्यापार नीति 2015-2020 (एफटीपी) की घोषणा की गई। एफटीपी भारत में 'व्यापार क्रिया को और सरल' करने की दृष्टि से निर्यात और आयात संबंधी नियमों, प्रक्रियाओं एवं प्रोत्साहनों को अन्य पहलों (उदाहरण के लिए, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्किल्स इंडिया) के साथ जोड़ता है। एफटीपी की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- भारत के पण्य एवं सेवा निर्यात को 2013-14 के 465.9 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़ाकर 2019-20 में 900 बिलियन अमरीकी डॉलर करना और उसी अवधि के दौरान विश्व निर्यात में भारत के हिस्से को 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 3.5 प्रतिशत करना।
- प्रोत्साहन स्वरूप को सरल करने के उद्देश्य से बहु योजनाओं के स्थान पर एक नई योजना, अर्थात, भारत से पण्य निर्यात योजना (एमईआईएस), का शुभारंभ करना।
- व्यापक दायरे वाली एक नई योजना, अर्थात, भारत से सेवा निर्यात (एसईआईएस) शुरु करना जो न केवल 'भारतीय सेवा प्रदाताओं' को अपितु ञ्भारत में कार्यरत सभी सेवा प्रदाताओंट को लाभान्वित करेगा।
- एमईआईएस एवं एसईआईएस के अंतर्गत निर्यातकों को प्राप्त होने वाले ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के प्रयोग के संबंध में अंतरणीयता एवं अत्यधिक लचीलापन के लिए अनुमति प्रदान करना।
- कुल वृद्धि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जहां निर्यात में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि करने की जरूरत है वहां घरेलू विनिर्माण क्षमताओं एवं संभाव्य

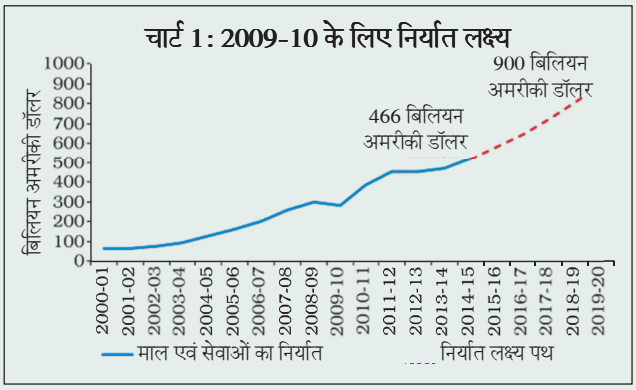
(जारी...)

मांग वाले क्षेत्रों (उदाहरण के लिए, ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स एवं इलेक्ट्रॉनिक्स) को प्राथमिकता देना।

- अन्य क्षेत्र जहां निर्यात की अधिक संभावना पाई गई, वह है - इंजीनियरिंग, चमड़ा, कपड़ा, चिकित्सा संबंधी उपकरण, प्राकृतिक संसाधन आधारित मदें, रत्न एवं आभूषण, कृषि उत्पाद और रक्षा उपकरण।
- विश्व आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की सहभागिता को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर देना। राज्य सरकारों/अन्य विभागों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए एक महत्त्वपूर्ण उपाय के रूप में 'संपूर्ण सरकार' दृष्टिकोण अपनाया जाना।
- तीन वर्षों के लिए चिन्हित क्षेत्रों से निर्यात के लिए ब्याज अनुदान योजना के पुनःप्रवर्तन का संकेत, यद्यपि क्षेत्रवार कवरेज एवं ब्याज दर अनुदान के बारे में सूचित नहीं किया है।
- भारत में आसानी से व्यापार करने हेतु रात-दिन सात-दिन माहौल में कागजरहित कार्य की दिशा में विचार करना।

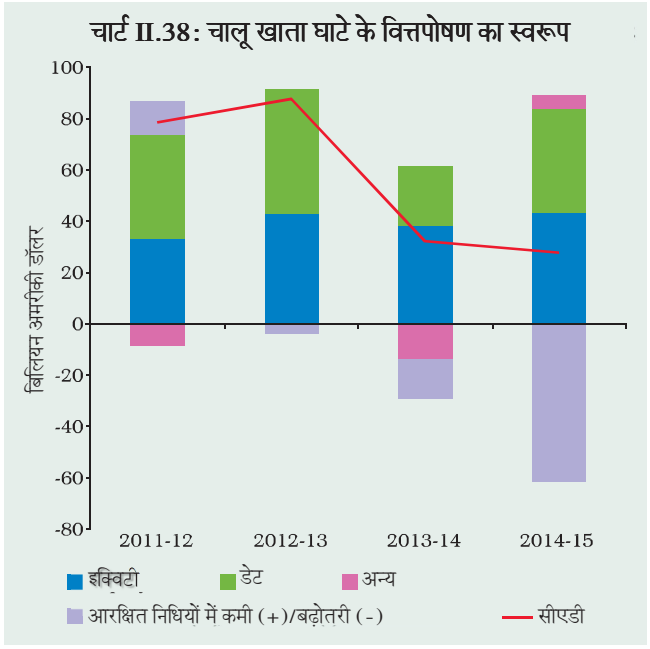
नई एफटीपी के अंतर्गत, सरकार ने नई योजनाओं के दायरे में विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) को शामिल किया है। यद्यपि, 2019-20 हेतु माल एवं सेवाओं के निर्यात के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा, लेकिन प्रमुख व्यापार भागीदार अर्थव्यवस्थाओं में मांग स्थितियां अनुकूल होनी चाहिएं और घरेलू बाधाओं (बुनियादी संरचना एनं नीति, दोनों के संदर्भ में) को पर्याप्त रूप से कम किए जाने की आवश्यकता है। यदि विश्व की अर्थव्यवस्था आईएमफ (2015) द्वारा जताई गई संभावनाओं के अनुसार 2009-14 अवधि की अपेक्षा 2015-19 के दौरान तेजी से वृद्धि करती है, तो भारत का निर्यात गत वर्ष की तुलना में बेहतर होगा। फिर भी, निर्यात को 2019-20 तक 900 बिलियन अमरीकी डॉलर के स्तर तक ले जाने के लिए एफटीपी अवधि (2015-16 से 2019-20) के दौरान लगभग 14 प्रतिशत उच्चतर काम्पाउंड वार्षिक वृद्धि दर (सीएआरजी) की आवश्यकता है, जो चुनौतीपूर्ण हो सकता है (चार्ट 1)।

चार्ट 1: 2009-10 के लिए निर्यात लक्ष्य

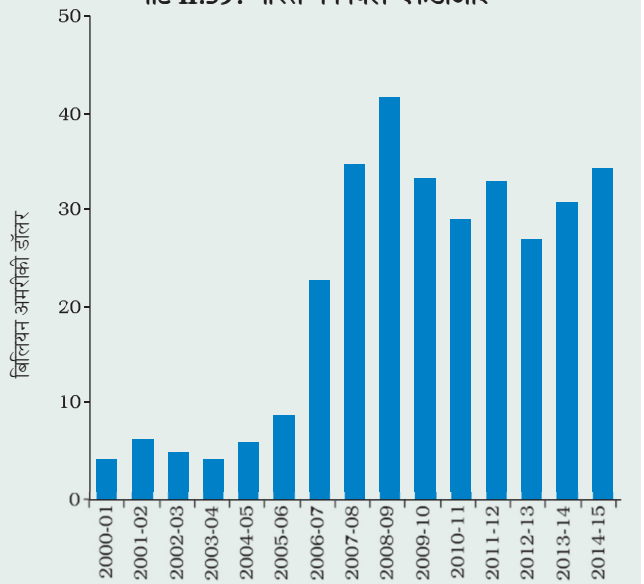


के कारण उत्पन्न आशावादिता एवं अनुकूल माहौल में विदेशी और घरेलू दोनों निवेशकों की व्यापार संबंधी भावनाओं में पुनरुत्थान की बदौलत प्रत्याशाओं में सुधार के कारण संभव हो पाया। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में अपरंपरागत मौद्रिक नीतियों की वजह से चलनिधि की प्रचुरता, लाभ के लिए अनवरत खोज की दिशा में एक प्रेरणादायी कारक के रूप में भी उभरी। मात्र गैर-ऋण आधारित पूंजी प्रवाह प्रवाह द्वारा वित्तपोषण संबंधी आवश्यकताओं की आसानी से पूर्ती की गई (चार्ट II.38)। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय इक्विटी एवं डेट बाजार में लगभग 41 बिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश किया जिसकी वजह से भारत उभरते बाजारों में सबसे आकर्षक गंतव्य-स्थान बना। इसके अतिरिक्त, नीतिगत निश्चितता की बदौलत बेहतर बिजनेस माहौल निर्माण करने की दिशा में की गई पहलों की वजह से निवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह तेजी से बढ़ा। विशेष रूप से, कतिपय क्षेत्रों में एफडीआई संबंधी मानदंड़ों में शिथिलता बरतना, प्राकृतिक संसाधनों का आबंटन, सब्सिडी व्यवस्था, वित्तीय समावेशन, युवाओं के लिए नौकरी एवं रोजगार निर्माण और बेहतर एवं गैर-प्रतिकूल कर प्रशासन को ध्यान में रखते हुए नीति संबंधी उपाय किए गए। भारत में एफडीआई का प्रवाह, विनिवेशों को छोड़कर, 2008-09 के बाद

चार्ट II.38: चालू खाता घाटे के वित्तपोषण का स्वरूप



चार्ट II.39: भारत में निवल एफडीआई



सर्वाधिक था (चार्ट II.39)। सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल के साथ-साथ वित्तीय सेवाओं, खुदरा एवं थोक व्यापार की वजह से एफडीआई प्रवाह, मुख्य रूप से, विनिर्माण क्षेत्र में हुआ। विनिर्माण क्षेत्र में, परिवहन उपकरण एवं रसायन क्षेत्र प्रमुख प्राप्तकर्ता थे और 2014-15 में कुल एफडीआई लगभग 50 प्रतिशत था। गत वर्ष की अपेक्षा 2014-15 के दौरान एनआरआई जमाराशियों में अंतर्वाह एवं बाह्य वाणिज्यिक उधार के रूप में अंतर्वाह सामान्य रहा, जो पूर्व की नीति प्रेरित अंतर्वाह को दर्शाता है। निवल पूंजी प्रवाह का सीएड से ख़ासा बढ़ने के कारण आरक्षित निधि में बीओपी आधार पर 61.4 बिलियन अमरीकी डॉलर के बराबर की शुद्ध अभिवृद्धि हुई (अर्थात् मूल्यांकन प्रभाव को छोड़कर)।

बाह्य स्थिरता

II.6.11 बाह्य डेट स्टॉक में निम्नतर अभिवृद्धि एवं विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों का निर्माण, इन दोनों की वजह से बाह्य संवेदनशीलता संकेतकों में 2014-15 में काफी सुधार हुआ। बाह्य दायित्वों के निर्वाह में महत्त्वपूर्ण डेट एवं आरक्षित निधि संबंधित बाह्य संवेदनशीलता संकेतकों की योग्यता में सुधार हुआ। मार्च 2015 के अंत में आयात कवर अनुपात बढ़कर 8.9 माह हो गया जबकि उसी अवधि के दौरान आरक्षित निधियों की तुलना में अल्पावधि डेट (वास्तविक एवं अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा) का अनुपात एवं आरक्षित निधियों की तुलना में कुल बाह्य डेट अनुपात घटा (सारणी II.14)।

सारणी II.14: भारत के बाह्य क्षेत्र संवेदनशीलता संकेतक

(प्रतिशत जब तक अन्यथा नहीं दर्शाया गया)

संकेतक/ अनुपात	मार्च 2011 के अंत में	मार्च 2012 के अंत में	मार्च 2013 के अंत में	मार्च 2014 के अंत में	मार्च 2015 के अंत में
1	2	3	4	5	6
1 जीडीपी की तुलना में बाह्य ऋण का अनुपात	18.2	20.9	22.3	23.6	23.8
2 कुल ऋण (वास्तविक परिपक्वता) की तुलना में अल्पावधि ऋण	20.4	21.7	23.6	20.5	17.8
3 कुल ऋण (अवशिष्ट परिपक्वता) की तुलना में अल्पावधि ऋण #	40.6	40.9	42.1	39.6	38.9
4 कुल ऋण की तुलना में रियायती ऋण	14.9	13.3	11.1	10.4	8.8
5 कुल ऋण की तुलना में आरक्षित निधियां	95.9	81.6	71.3	68.2	71.8
6 आरक्षित निधियों की तुलना में अल्पावधि ऋण	21.3	26.6	33.1	30.1	24.8
7 आरक्षित निधियों की तुलना में अल्पावधि ऋण (अवशिष्ट परिपक्वता) #	42.3	50.1	59.0	57.4	54.2
8 आयात संबंधी आरक्षित निधि कवर (माहों में)	9.5	7.1	7.0	7.8	8.9
9 ऋण-चुकता अनुपात	4.4	6.0	5.9	5.9	7.5
10 बाह्य ऋण (बिलियन अमरीकी डॉलर)	317.9	360.8	409.4	446.3	475.8
11 निवल अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति (एनआईआईपी) (बिलियन अमरीकी डॉलर)	-207.0	-264.7	-326.7	-336.8	-363.0
12 एनआईआईपी/ जीडीपी अनुपात *	-12.1	-14.4	-17.8	-17.8	-18.1
13 सीएडी/ जीडीपी अनुपात	2.8	4.2	4.8	1.7	1.3

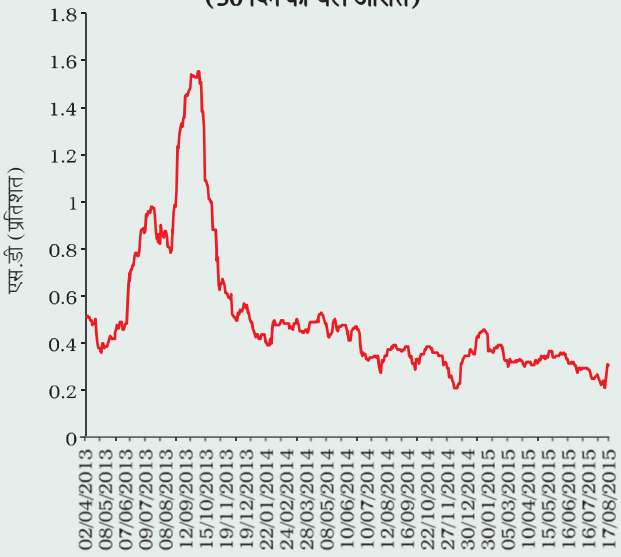
टिप्पणी: #: आरबीआई अनुमान, *: अमरीकी डॉलर पर आधारित

विनिमय दर में घट-बढ़

II.6.12 वर्ष के दौरान अमरीकी डॉलर अधिकांश अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं की तुलना में काफी मजबूत हुआ। तथापि, भारतीय रुपए का मूल्य अमरीकी डॉलर की तुलना में मामूली रूप से घटा लेकिन उसी तरह अन्य प्रमुख मुद्राओं, यथा, यूरो, जीबीपी एवं जापानी येन, की तुलना में उसका मूल्य काफी बढ़ा, जो इन अर्थव्यवस्थाओं की कमजोर आर्थिक संभावना एवं इनकी अति-उदार मौद्रिक नीतियों को दर्शाता है। भारत के प्रमुख व्यापार साझेदारों की तुलना में सांकेतिक संदर्भ में विद्यमान मुद्रास्फीति अंतर एवं रुपए का अधिमूल्यन, 2014-15 के दौरान रुपए की वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में, औसतन 6 एवं 36 मुद्रा समूहों के लिए क्रमशः 6.1 प्रतिशत एवं 5.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। रुपए की विनिमय दर में पूर्व की अवधि की अपेक्षा 2014-15 एवं 2015-16 में अब तक कम अस्थिरता भी पाई गई (चार्ट II.40)।

II.6.13 इसके अलावा, बाह्य क्षेत्र स्थिरता पर बारीकी से निगरानी रखने की जरूरत है, विशेष रूप से वित्तीय बाजारों में उच्च अस्थिरता, प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं की मौद्रिक नीतियों की समकालिकता और विशेषकर व्यापक रूप से प्रत्याशित अमरीकी ब्याज दर के हटने एवं वर्तमान उच्च भू-राजनीतिक जोखिमों की विशेषता युक्त वैश्विक परिवेश में। अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत 2015-16 की पहली तिमाही में सामान्य स्तर पर रही एवं अति आपूर्ति और कमजोर मांग के कारण अगस्त 2015 में यह तेजी से गिरी, फिर भी वर्ष के शेष भाग में अनुकूल परिस्थितियों के जारी रहने में अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है।

चार्ट II.40: भारतीय रुपए में दैनिक घट-बढ़ में अस्थिरता (30 दिन का चल औसत)



II.6.14 भारत के मामले में देखें तो, अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत में प्रत्येक 1 अमरीकी डॉलर वृद्धि से निवल पीओएल बिल में 1 बिलियन अमरीकी डॉलर की वृद्धि होती है। दूसरा, स्वर्ण आयात संबंधी उपायों को हटाए जाने से स्वर्ण आयात की मांग बढ़ती प्रतीत होती है। 2014-15 में 38.5 प्रतिशत एवं अप्रैल-मई 2015 में 34.3 प्रतिशत की वृद्धि (मात्रा के संदर्भ में) इसका प्रमाण है। तीसरा, इस पृष्ठभूमि में बाह्य क्षेत्र की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए महत्त्वपूर्ण है कि उत्पाद एवं बाजार, दोनों के संदर्भ में निर्यात पर नए सिरे से जोर दिया जाए। निर्यात विविधता ने सुस्त वैश्विक आर्थिक हालातों का सामना करने के लिए इन्सुलेशन का साधन उपलब्ध कराया है और इसका कड़ाई से अनुसरण किया जाना चाहिए ताकि लचीलेपन को सुदृढ़ किया जा सके एवं बाह्य झटकों के स्पिलओवर को कम किया जा सके।

भाग दो - भारतीय रिज़र्व बैंक की
कार्य प्रणाली और परिचालन

III मौद्रिक नीति परिचालन

भारत में मौद्रिक नीति का परिचालन परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और यह लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण (एफआईटी) ढांचे में परिवर्तित हो रहा है। वर्ष 2014-15 के दौरान, मौद्रिक नीति ढांचे के संबंध में रिज़र्व बैंक और भारत सरकार के बीच हुए समझौते के आधार पर एफआईटी की औपचारिक संरचना तैयार की गई। परिवर्ती दर टर्म रेपो/रिवर्स रेपो नीलामी पर आधारित सक्रिय चलनिधि परिचालनों को लागू करने के लिए चलनिधि प्रबंध ढांचे में संशोधन किया गया जिससे भारित औसत कॉल दर के साथ तारतम्य बनाया जा सके अर्थात परिचालनगत लक्ष्य नीतिगत दरों के आसपास रखें जा सके। मुद्रास्फीतिकारक दबावों में हो रही कमी, मुद्रास्फीति परिदृश्य में कम हो रहे जोखिम तथा विवेकपूर्ण वित्तीय व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए जनवरी-अगस्त 2015 के दौरान रिज़र्व बैंक ने नीतिगत रेपो दर में कुल 75 आधार अंकों की कटौती करते हुए अपने मौद्रिक नीति रुख में नरमी लाया।

III.1 2013-14 में अवस्फीति में हुई शुरुआत को बनाए रखने और मूल्य स्थिरता को प्रमुखता प्रदान करते हुए एक मजबूत और पारदर्शी संस्थागत ढांचा गठित करने के जरिए 2014-15 में रिज़र्व बैंक ने मौद्रिक नीति तैयार करने और उसे संचालित करने में स्वयं के निर्धारित लक्ष्यों से बड़े (अधिभावी) लक्ष्यों को स्थापित किया। ये सब उच्चतर आर्थिक संवृद्धि प्राप्त करने की आवश्यक पूर्वापेक्षा के रूप में स्थायी आधार पर मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के उसके मध्यावधि विज़न की पहली नींव हैं।

मौद्रिक नीति की संस्थागत संरचना में परिवर्तन

III.2 वर्ष 2014-15 में मौद्रिक नीति के परिचालन में मूलभूत परिवर्तन हुए। मौद्रिक नीति ढांचे को संशोधित करने और मजबूत बनाने के लिए विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर पिछले वर्ष इसमें अनेक संस्थागत और परिचालनगत नवोन्मेष किए गए ताकि इसमें व्यवस्थागत परिवर्तन किया जा सके। इसमें द्विमासिक नीति समीक्षाओं के माध्यम से बेहतर संवाद; चलनिधि तक पहुंच की कमी को दूर करने के लिए चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन एक दिवसीय नियत दर रेपो के माध्यम से मियादी रेपो की शुरुआत करना; और मौद्रिक नीति के संचालन के लिए सांकेतिक स्थिरक के तौर पर हेडलाइन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) को अपनाया जाना शामिल है। इस पृष्ठभूमि में, 2014 -15 में लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण (एफआईटी) ढांचे की ओर बढ़ने का निर्बाध रूप से प्रबंधन एक प्रमुख चुनौती बन गया है। जनवरी 2014 में घोषित दिशा के अनुरूप अवस्फीति को सुनिश्चित करने के लिए तब तक मुद्रास्फीति-निवारक मौद्रिक नीति रुख बनाये रखना आवश्यक है जब तक मुद्रास्फीति दृष्टिकोण में ऊर्ध्वगामी जोखिमों को नियंत्रित न कर लिया जाए। मौद्रिक नीति में अत्यधिक पारदर्शिता ने मौद्रिक नीति रिपोर्ट (एमपीआर) को प्रकाशित करना आवश्यक बना दिया। मौद्रिक नीति के संचरण को और अधिक प्रभावशाली बनाने की परिस्थितियां तैयार करने के लिए क्षेत्र विशेष पुनर्वित्त सुविधाएं शुरू की गईं। नीलामी के माध्यम से बाजार-आधारित चलनिधि परिचालनों को सुनिश्चित करने के लिए एक नए चलनिधि प्रबंधन ढांचे का निर्माण करना होगा, साथ ही मौद्रिक नीति के रुख के साथ चलनिधि की उपलब्धता को भी सुनिश्चित करना पड़ेगा। प्रगामी सर्वेक्षणों के अलावा, पूर्वानुमानों और नीति विश्लेषण मॉडलों के माध्यम से तकनीकी अनुसंधान को मजबूत

बनाने की आवश्यकता ने महत्ता पायी है ताकि अनिश्चितता के माहौल में निर्णय लेने में आसानी हो।

2014-15 की कार्यसूची : कार्यान्वयन की स्थिति

निर्धारित दिशा के अनुरूप अवस्फीति

III.3 रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2014-15 में मौद्रिक नीति परिचालन को दिशा देने के लिए औपचारिक ढांचा तैयार किया है। सबसे पहले, जनवरी 2014 में अवस्फीतिकारक मार्ग की घोषणा की गई ताकि जनवरी 2015 तक सीपीआई मुद्रास्फीति को 8 प्रतिशत से नीचे तथा जनवरी 2016 तक 6 प्रतिशत से नीचे लाया जा सके। दूसरे, रिज़र्व बैंक ने सितंबर 2014 में संशोधित चलनिधि प्रबंधन ढांचे को लागू किया जिसके कारण चलनिधि प्रबंधन परिचालनों में लचीलापन और पारदर्शिता आयी, साथ ही रेपो दर या इसके बहुत नजदीक भारित औसत कॉल दर (डब्ल्यूएसीआर) को स्थिर करते हुए मुद्रा बाजार में मजबूत संचरण को भी ध्यान में रखा गया। तीसरे, भारत सरकार और रिज़र्व बैंक के बीच फरवरी 2015 में एक महत्वपूर्ण समझौता पर हस्ताक्षर किए गए जो एफआईटी और संबंधित संस्थाओं के अनुरूप मौद्रिक नीति परिचालनों को संचालित करने तथा जवाबदेह प्रक्रियाओं के लिए एक औपचारिक संरचना उपलब्ध कराता है।

III.4 खाद्य की कीमतों पर सामान्य से कम बारिश और अभी भी अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की बनी हुई ऊंची कीमतों के कारण मुद्रास्फीति के समक्ष आ रही बढ़ते जोखिमों से बचाव के लिए वर्ष 2014-15 की पहली तिमाही में नीतिगत दरें अपरिवर्तित रखी गईं। सितंबर 2013-जनवरी 2014 के दौरान बढ़ाई गई दरों के अवस्फीतिकारक प्रभाव अर्थव्यवस्था में संचरित हुए जिससे मुद्रास्फीति पर दबाव कम हुआ। सुस्त आर्थिक गतिविधि संबंधी चिंताओं के कारण सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) में क्रमिक रूप से कटौती किया जाना आवश्यक हो गया ताकि उत्पादक क्षेत्रों को अधिक ऋण प्रदान करने में बैंकों को और स्वतंत्रता प्राप्त हो सके।

III.5 दूसरी तिमाही तक मुद्रास्फीति-निवारक नीतिगत रुख पर कायम रहने के फलस्वरूप मुद्रास्फीति में नरमी आयी और अन्य कारक भी इस नरमी के लिए जिम्मेदार रहे। इस नरमी के परिणामस्वरूप मौद्रिक नीति के रुख में सहजता लाने का मौका मिला। अस्थायी आधारभूत प्रभावों के कारण हेडलाइन मुद्रास्फीति में कमी आने के अलावा पण्य की कीमतों, विशेषकर कच्चे तेल (भारतीय बास्केट) की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में जून 2014 और जनवरी 2015 के बीच लगभग 57 प्रतिशत की तेज गिरावट आयी जिसके कारण अवस्फीति में वृद्धि हुई। इसके अलावा, परिवहन, संचार और घरेलू आवश्यक वस्तुओं के कारण हेडलाइन मुद्रास्फीति में स्थायी गिरावट के संकेत मिले थे जो यह दर्शाते हैं कि गैर-व्यावसायिक वस्तुओं की कीमतें नीतिगत प्रयोजनों के अनुकूल हैं। जोखिमों के संतुलन और अवस्फीति की स्थिति बने रहने पर स्पष्ट आकलन की अपेक्षा में दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान नीतिगत दरें अपरिवर्तित रखी गईं।

III.6 जनवरी 2015 के लिए मुद्रास्फीति 8 फीसदी के लक्ष्य से लगभग 300 आधार अंक नीचे रही। इसके अलावा, जनवरी 2015 तक मजबूत अवस्फीतिकारक प्रक्रिया के जोर पकड़ने के अच्छे संकेत आ रहे थे। उदाहरण के लिए, सितम्बर 2009 के बाद पहली बार अगले तीन महीने और एक वर्ष की घरेलू मुद्रास्फीति की प्रत्याशाएं घटकर एकल अंक में रह गई। 15 जनवरी 2015 को नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती करते हुए 7.75 प्रतिशत कर दिया गया। इसके अलावा, निरंतर बनी हुई अवस्फीति और उच्च गुणवत्ता वाले राजकोषीय समेकन को देखते हुए मौद्रिक नीति से संबंधित कार्रवाई की गई।

III.7 नये सीपीआई की आधार-अवधि को 2012 कर दिया गया, जिसे 12 फरवरी 2015 को जारी किया गया और यह अर्थव्यवस्था में प्रबल अवस्फीति प्रभाव की पुष्टि करता है। मुद्रास्फीति में गिरावट आने के साथ कम अंतराल में ही मौद्रिक नीति के रूख में परिवर्तन को प्रभावी करने की पूर्वशर्त को कार्यान्वित किया गया और 2015-16 का केंद्रीय बजट राजकोषीय सादगी के बारे में एक नए सिरे से मध्यम अवधि की प्रतिबद्धता के साथ 2014-15 के लिए राजकोषीय समेकन पर प्रगति पर एक यर्थाथपरक समय सीमा का संकेत देता है। मार्गदर्शन के अनुरूप ही भारतीय रिजर्व बैंक ने सामान्य नीति समीक्षा अवधि से बाहर मार्च 2015 में रेपो दर में कटौती कर इसे 7.50 प्रतिशत करने की घोषणा की। क्षमता का कम उपयोग और उत्पादन और ऋण उठाव में निरंतर कमजोरी को देखते हुए मौद्रिक

निभाव के लिए उपलब्ध अवसर का उपयोग के लिए पहले से लागू नीतिगत कदमों को जारी रखने का फैसला किया गया।

III.8 7 अप्रैल 2015 को घोषित वर्ष 2015-16 के नीति संबंधी पहले द्विमासिक वक्तव्य में टिप्पणी की गई थी कि आगे से मौद्रिक नीति एक क्रमिक और टिकाऊ अवस्फीति पर केंद्रित होगी और हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति को जनवरी 2016 तक 6 प्रतिशत और 2017-18 के अंत तक 4 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। चिन्हित बढ़ते जोखिमों में सामान्य से कम बारिश की संभावना, सब्जी और फलों की मौसमी कीमतों में बहुत अधिक अंतर, प्रशासित मूल्य में अपेक्षा से बहुत अधिक संशोधन, भू-राजनैतिक जोखिम के कारण पण्य की वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी, और विनिमय दर और परिसंपत्ति मूल्य के माध्यम से बाहरी प्रभाव-विस्तार शामिल हैं। नकारात्मक अपस्फीतिकारी/अवस्फीतिकारी प्रवृत्तियों से पण्यों की वैश्विक कीमतों में नरमी और घरेलू अर्थव्यवस्था में सुस्ती के कारण उर्ध्वाधर जोखिम बेतर होता है। तदनुसार, प्रमुख नीति दरें अपरिवर्तित रखी गईं और पूर्व में नीति दरों में की गई कटौती का असर बैंकों की उधार दरों में कटौती के तौर पर दिखायी दिया जाना बाकी है।

III.9 2 जून, 2015 की दूसरी द्विमासिक नीति वक्तव्य यह पुष्टि करता है कि अनुमानित मार्ग पर ही हेडलाइन मुद्रास्फीति आगे बढ़ा जबकि आर्थिक गतिविधियों में कमजोरी बनी रही। अतः मध्यावधि अवस्फीति लक्ष्यों को पूरा करने में जोखिम पर अधिक स्पष्टता के लिए अतिरिक्त आंकड़ों का इंतजार करते हुए नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती करते हुए इसे 7.25 प्रतिशत कर दिया गया।

III.10 2015-16 की अब तक की गतिविधियों और जोखिम संतुलन के साथ-साथ जून की फ्रंट-लोडड नीति संबंधी कार्यों को ध्यान में रखते हुए 04 अगस्त 2015 की तीसरी द्विमासिक नीति में मौद्रिक नीति के उदार रुख को बनाए रखते हुए नीतिगत दर को अपरिवर्तित रखा गया। विवरण के अनुसार अल्पावधि वास्तविक जोखिम मुक्त दरों को आवास और ऑटोमोबाइल जैसे ब्याज दर संवेदनशील उपभोक्ता वर्गों की उधारी का सहयोग प्राप्त हुआ और चूंकि फ्रंट लोडेड पूर्व कार्यों का व्यापक अंतरण लंबित था, इसलिए अधिक उदारता हेतु उभरती संभावनाओं के लिए गतिविधियों की निगरानी की जाएगी।

मुद्रा बाजार में बेहतर संचरण

III.11 मौद्रिक नीति की परिचालन रूपरेखा यह स्पष्टता प्रदान करती है कि नीति आवेग दर अर्थात रेपो दर में परिवर्तन होने पर मौद्रिक नीति के उद्देश्य कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। मुद्रास्फीति के लक्ष्यों के साथ नीतिगत दर से जोड़ने के लिए आवश्यक है कि एक व्यवस्थित और स्थिर संचरण मार्ग हो, जिसमें नीति दर, परिचालन लक्ष्य, मध्यवर्ती लक्ष्य आपस में श्रृंखलाबद्ध हों और दैनिक आधार पर चलनिधि और मौद्रिक परिचालनों को दिशा प्रदान करने के लिए पारदर्शी नियम हों (अप्रैल 2015 के एमपीआर में बॉक्स IV.I देखें)। नीति दर के साथ मौद्रिक नीति के परिचालन लक्ष्य को संरेखित करने के लिए चलनिधि प्रबंधन महत्वपूर्ण है और इसलिए यह मौद्रिक संचरण के पहले चरण के लिए अत्यावश्यक है।

III.12 भारत में, फिलहाल भारित औसत मांग मुद्रा दर (डब्ल्यूएसीआर) मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य है। मौद्रिक नीति के संचरण में लंबी और परिवर्ती अवधि को देखते हुए मुद्रास्फीति पूर्वानुमान - अनुमानित बेसलाइन मुद्रास्फीति मार्ग - को मध्यवर्ती लक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह मौद्रिक नीति को सक्रिय और प्रगतिशील बनाता है।

III.13 विशेषज्ञ समिति की सिफ़ारिशों के अनुरूप 2014-15 की तीसरी तिमाही में संशोधित चलनिधि प्रबंधन ढांचे को लागू किया गया जिसका उद्देश्य चलनिधि प्रबंधन परिचालनों को लचीला, पारदर्शी और पूर्वानुमेय बनाना है। संशोधित चलनिधि प्रबंधन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं: (i) अतिरिक्त एसएलआर प्रतिभूतियों की उपलब्धता के अधीन, बैंक की निवल मांग और मियादी देयताओं (एनडीटीएल) के 1 प्रतिशत तक केंद्रीय बैंक चलनिधि का एक्सेस कराना, जहां 0.25 प्रतिशत प्रतिदिन संचालित एक दिवसीय स्थिर दर रेपो नीलामी के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी और 0.75 प्रतिशत प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को संचालित 14 दिवसीय

परिवर्ती दर मीयादी रेपो नीलामी के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी; (ii) एक दिवसीय से लेकर 28 दिनों की परिपक्वता वाली परिवर्ती दर रेपो/ प्रतिवर्ती रेपो नीलामी के माध्यम से परिचालनों को दुरुस्त करना; (iii) स्थायी चलनिधि असंतुलन के प्रबंधन के लिए तुरंत खुले बाजार परिचालन करना; और (iv) बैंक विशेष के अतिरिक्त एसएलआर और एसएलआर सीमा से 2 प्रतिशत कम की राशि तक एक दिवसीय सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) उपलब्ध कराना।

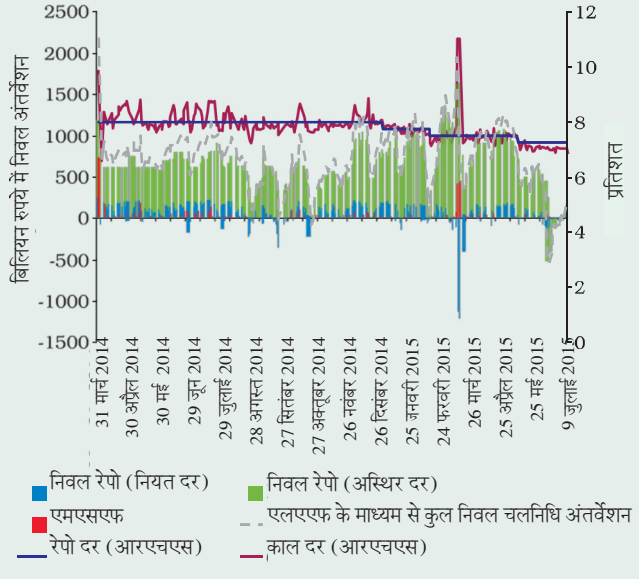
III.14 संशोधित ढाँचे से यह अनिवार्य हो गया कि रिजर्व बैंक चलनिधि प्रबंधन के लिए अधिक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाये, अर्थात, दैनिक/अंतर्दिवसीय आधार पर प्रणालीगत स्तर के चलनिधि के असंतुलन का आकलन करना, चलनिधि आयोजना में सुस्पष्टता लाने के लिए बाजार को और अधिक सूचना उपलब्ध कराना और प्रतिरोधत्मक और संरचनागत चलनिधि असंतुलन में सक्रियता के साथ कमी लाना था।

III.15 संशोधित ढांचे को लागू करने के बाद से, डब्ल्यूएसीआर रेपो दर के आस-पास रही, जो मौद्रिक नीति संचालन के सटीकता की ओर संकेत करता है। बैंकों की ओर से तिमाही में अग्रिम कर भुगतान में बढ़ोतरी और किए जाने वाले विंडो ड्रेसिंग तुलनात्मक तौर पर समाप्त ही हो गए हैं और इनके आस-पास बढ़ोतरी के हमारे पिछले अनुभवों में बहुत अधिक बदलाव आए हैं (चार्ट III.1)।

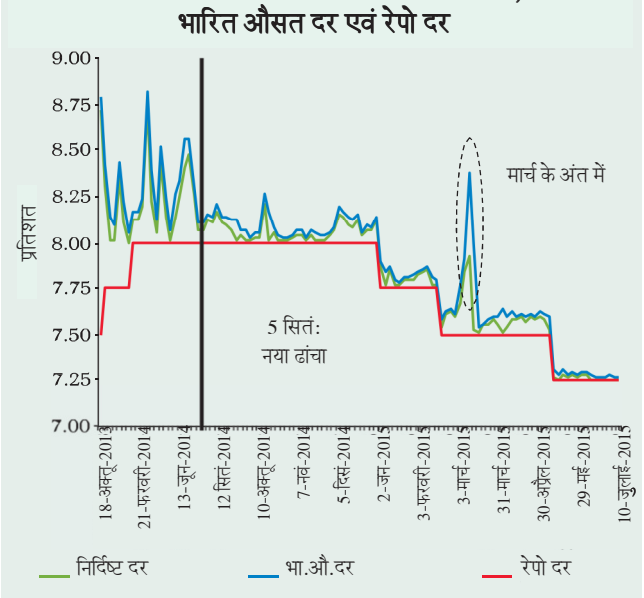
III.16 विशेषज्ञ समिति ने माना है कि भारत में बाजार-आधारित बेंचमार्क विकसित करने से जमाराशियों और ऋण की कीमतें नीति रिपो दर में परिवर्तन के प्रति संवेदनशील हो सकती हैं और जिससे मौद्रिक संचरण में यह मददगार होगी। 14-दिन मीयादी रेपो (सप्ताह में दो बार) का नियमित रूप से नीलामी बाजार सहभागियों को लंबे समय के लिए प्राथमिक चलनिधि का उपयोग करने के लिए अनुमति देते हैं। इस लचीलेपन का उद्देश्य बाजार आधारित मीयादी मुद्रा बेंचमार्क को आगे लाने में मदद करना है।

III.17 संशोधित चलनिधि प्रबंधन ढांचा प्रारंभ करने के बाद वर्षांत में हुए अंतर को छोड़कर 14-दिवसीय मीयादी रेपो दर और एक दिवसीय रेपो दर के बीच स्प्रैड में उल्लेखनीय कमी आयी है (चार्ट III.2)। सीमांत लागत मूल्यन सिद्धांत पर आधारित पारदर्शी बाह्य बेंचमार्क को स्थापित करके इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाना अभीष्ट है (पैरा III.31 देखें)।

चार्ट III.1: चलनिधि की स्थिति



चार्ट III.2: 14-दिवसीय मीयादी रेपो निर्दिष्ट दर, भारित औसत दर एवं रेपो दर



III.18 बैंकिंग परिचालनों के सुचारु संचालन के लिए रिज़र्व बैंक ने 21 फरवरी 2015 से शनिवार को एमएसएफ और रिवर्स रेपो विंडो तक पहुंच की अनुमति दी है। इसे जानते हुए कि नियत रेपो दर पर क्षेत्र विशेष को पुनर्वित्त सुविधाएं संचरण प्रक्रिया को बाधित कर सकती हैं, वर्ष के दौरान निर्यात ऋण पुनर्वित्त (ईसीआर) सुविधा को क्रमशः समाप्त किया गया और इसके स्थान पर 7 फरवरी 2015 से प्रणाली स्तरीय चलनिधि का प्रावधान किया गया।

III.19 मार्च 2015 में चलनिधि ढांचे की परीक्षा हुई क्योंकि वित्तीय वर्ष के अंत में तुलनपत्र में बढ़ोतरी और वर्षांत प्रतिफलों के कारण रिज़र्व बैंक के पास सरकार और बैंकों के नकदी शेष में बढ़ोतरी हो गई, फलस्वरूप चलनिधि की मात्रा में कमी आयी। अप्रैल 2015 में, इन नकदी शेषों की स्थितियां उलट गयीं और नकदी शेष में अत्यधिक कमी आई और इससे अंतर बैंक बाजार में बड़ी मात्रा में चलनिधि उपलब्ध हो गई। रिज़र्व बैंक ने इन उतार-चढ़ावों का प्रबंधन किया लेकिन चलनिधि का संतुलन बनाये रखने के लिए 7 दिवसीय, 2/3 दिवसीय और एक दिवसीय रिवर्स रेपो नीलामी के माध्यम से बड़ी मात्रा में चलनिधि संचालन किया। मध्य अप्रैल से प्रणाली की चलनिधि की आवश्यकताएं एनडीटीएल की लगभग 1 प्रतिशत की सीमा में रहीं, जिसका प्रबंधन एक दिवसीय और मीयादी रेपो/ रिवर्स रेपो की अतिरिक्त परिवर्ती दर के माध्यम से किया गया। सरकार के व्यय में बढ़ोतरी के साथ जून और जुलाई में चलनिधि की स्थिति में काफी सुधार आया। रिज़र्व बैंक ने परिवर्ती शर्तों की परिवर्ती दर वाली रिवर्स रेपो नीलामियों के माध्यम से अतिरिक्त चलनिधि की मात्रा को कम किया। इसके अलावा, रिजर्व बैंक ने 14 जुलाई 2015 के ओएमओ बिक्री के जरिए लगभग ₹ 82.7 बिलियन की अतिरिक्त चलनिधि को प्रणाली से सोख भी लिया है ।

मौद्रिक नीति ढांचे से संबंधित समझौता

III.20 भारत सरकार और रिज़र्व बैंक ने 20 फरवरी 2015 को मौद्रिक नीति ढांचे से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। यह समझौता मूल्य स्थिरता को मौद्रिक नीति का प्रथम उद्देश्य बनाता है; मूल्य स्थिरता को अंकीय रूप में परिभाषित करता है - वर्ष 2015-16 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति के 6 प्रतिशत से कम (जनवरी 2016 तक प्राप्त किया जाना है) और आगामी वर्षों में 4 +/-2 प्रतिशत; लक्ष्य को प्राप्त करने में विफलता संबंधी कारणों का बताना; और विफलता की स्थिति में रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को भेजे जाने वाली रिपोर्ट में उल्लिखित किए जाने वाले निम्नलिखित तथ्य निर्दिष्ट करता है-(क) लगातार तीन तिमाहियों में लक्ष्य की तुलना में मुद्रास्फीति के विचलन का कारण (ख) सुधार के उपाय और (ग) मुद्रास्फीति को लक्ष्य तक वापस लाने के लिए अनुमानित समय सीमा।

III.21 यह समझौता भारत में मूलभूत संस्थागत सुधार को प्रदर्शित करता है क्योंकि यह रिज़र्व बैंक को पारदर्शिता, पूर्वानुमान और उत्तरदायित्व के साथ लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्य (एफआईटी) के लिए अधिदेश देता है। इस समझौता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता भी इस ढांचे की विश्वसनीयता को बढ़ाती है, राजकोषीय समेकन और आपूर्ति प्रबंधन की प्रक्रिया के प्रति विश्वास जगाती है और ये दोनों मूल्य स्थिरता को बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

मौद्रिक नीति रिपोर्ट और पारदर्शिता

III.22 विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, सितंबर 2014 में द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ-साथ मौद्रिक नीति रिपोर्ट (एमपीआर) का प्रथम अंक जारी किया गया, जिसमें मध्यावधि दृष्टिकोण और विभिन्न प्रकार के संभावित आघातों के बीच जोखिम संतुलन के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। मौद्रिक नीति रिपोर्ट के प्रकाशन से भारत उन देशों की पंक्ति में शामिल हो गया है, जो जनता की समझ के लिए और मौद्रिक नीति के निर्माण और उसके परिचालनों की जिम्मेदारी को सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शिता और बेहतर संवाद पर बल देते हैं (बॉक्स III.1)।

III.23 दिसंबर 2014 के पाँचवें द्विमासिक नीति वक्तव्य में दिए गए भावी मार्गदर्शन में यह संकेत दिया गया था कि अवस्फीति संबंधी प्रत्याशाओं में नरमी, राजकोषीय समेकन की गुणवत्ता और मात्रा, प्रमुख इनपुट की आपूर्ति बढ़ाने संबंधी कदम और अधिक व्यापक रूप में अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए रुके हुए निवेशों को अनलॉक करने के साथ यदि प्रत्याशित पथ पर ही अवस्फीति

बॉक्सः III.1
मौद्रिक नीति रिपोर्ट - मुद्रास्फीति लक्ष्य का प्रसार माध्यम

मुद्रास्फीति लक्ष्य (आईटी) ढांचे को इस प्रतिबद्धता के साथ बनाया गया है कि एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान मुद्रास्फीति के स्तर पर एक निश्चित और स्पष्ट रूप से संप्रेषित संख्यात्मक लक्ष्य लंबी अवधि में मुद्रास्फीति को स्थिर करने में सहायक होगा। इस ढांचे के सफल होने के लिए आवश्यक है कि लक्ष्य के नजदीक मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं को स्थिर रखकर इसके साख का निर्माण किया जाए। इसके लिए केंद्रीय बैंक और जनता के बीच एक प्रभावी संवाद रणनीति की आवश्यकता है। इस संवाद रणनीति का मूल तत्व मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान उपलब्ध कराना, इन पूर्वानुमान के लिए मजबूत विश्लेषण प्रदान करना और केंद्रीय बैंक द्वारा लिए गए नीति निर्णयों में निहित तर्क की जानकारी देना है। इसलिए ढांचे की विश्वसनीयता निर्माण और इसे अक्षुण्ण रखने में उच्च गुणवत्तायुक्त रिपोर्ट्स में अत्यधिक पारदर्शिता को आवश्यक तत्व माना गया है (सवेंशन 2002)। नतीजतन, जो केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को लक्ष्य बनाते हैं, वे मौद्रिक नीति को पारदर्शी, सुबोध और उम्मीद के मुताबिक बनाने के उद्देश्य से आमतौर पर मुद्रास्फीति या मौद्रिक नीति रिपोर्ट (एमपीआर) प्रकाशित करते हैं, और इसलिए जहां तक संभव है, इसे विश्वसनीय बनाते हैं(सारणी1)।

वास्तव में, विगत कुछ वर्षों से पारदर्शिता और संप्रेषण मौद्रिक नीति के प्रभावी और सफल संचालन की एक अपरिहार्य शर्त है; यहां तक कि मुद्रास्फीति को लक्ष्य नहीं बनाने वाले केंद्रीय बैंक जैसे फेडरल रिजर्व भी एमपीआर के माध्यम से संवाद करते हैं।

भारत में, मौद्रिक नीति के ढांचे को संशोधित और मजबूत करने संबंधी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर, अप्रैल 2014 से पहले द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य से मौद्रिक नीति ढांचा का अब लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्य (एफआईटी) में परिवर्तित होना प्रारंभ हो गया। इस परिवर्तन के साथ, सितंबर 2014 से छमाही मौद्रिक नीति रिपोर्ट लागू किया गया। एफआईटी ढांचे को औपचारिक रूप से अपनाने के बारे में फरवरी 2015 में भारत सरकार और रिज़र्व बैंक के बीच हस्ताक्षरित समझौते के फलस्वरूप अब रिज़र्व बैंक के लिए छमाही रिपोर्ट प्रकाशित करना अनिवार्य हो गया है जिसमें मुद्रास्फीति के स्रोत के बारे में व्याख्या करनी होगी और अगले छह महीने से लेकर अगले 18 महीने तक की मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान लगाना होगा। समझौते के तहत पहली रिपोर्ट अप्रैल 2015 में दूसरी मौद्रिक नीति रिपोर्ट के तौर पर प्रकाशित हुई। मुद्रास्फीति को लक्ष्य बनाने वाले अन्य देशों की तरह यह प्रयास है कि भारत में मौद्रिक नीति के संचालन में पारदर्शिता और विश्वसनीयता लाने के लिए मौद्रिक नीति रिपोर्ट को संवाद का एक मुख्य साधन बनाया जाए। यह मौद्रिक नीति रिपोर्ट रिज़र्व बैंक द्वारा भविष्य के लिए किए गए आकलन के आधार पर समष्टि-आर्थिक दृष्टिकोण का आकलन और बेसलाइन आकलनों और जोखिमों के संतुलन के साथ मॉडल आधारित पूर्वानुमान को सामने लाती है। यह रिपोर्ट आर्थिक और वित्तीय स्थितियों की विस्तृत मूल्यांकन भी करती है जो समग्र समष्टि- आर्थिक परिदृश्य के बारे में जानकारी प्रदान करती है।

संदर्भः

सवेंशन, एल.ई.ओ. (2002), 'मॉनिटरी पॉलिसी एंड रियल स्टैबलाइजेशन', 'रिथिंगकिंग स्टैबलाइजेशन पॉलिसी : ए सिंपोजियम बॉय द फेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ कान्सास सिटी।' एमओ : फेडरल रिज़र्व बैंक फॉर कान्सास सिटी'

भारतीय रिज़र्व बैंक (2014), *मौद्रिक नीति ढांचे को संशोधित और मजबूत करने के लिए विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट*, जनवरी।

सारणी 1: मुद्रास्फीति को लक्ष्य बनाने वाले देश और मौद्रिक नीति रिपोर्ट का लक्ष्य

देश	रिपोर्ट	मुख्य उद्देश्य	देश	रिपोर्ट	मुख्य उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
आर्मेनिया	आईआर	पारदर्शिता	**न्यूजीलैंड**	एमपीएस	संवाद
ऑस्ट्रेलिया	एसएमपी	पारदर्शिता	**नॉर्वे**	एमपीआर	संवाद
ब्राजील	आईआर	पारदर्शिता	**पेरू**	आईआर	संवाद
कनाडा	एमपीआर	पारदर्शी संवाद	**फिलीपींस**	आईआर	पारदर्शिता
चिली	एमपीआर	पारदर्शी संवाद	**पोलैंड**	आईआर	संवाद
कोलंबिया	आईआर	पारदर्शिता	**रोमानिया**	आईआर	पारदर्शिता
चेक गणराज्य	आईआर	पारदर्शी संवाद	**रूस**	एमपीआर	पारदर्शिता
घाना	एमपीआर	पारदर्शिता	**सर्बिया**	आईआर	संवाद
ग्वाटेमाला	एमपीआर	पारदर्शिता	**दक्षिण अफ्रिका**	एमपीआर	पारदर्शिता
हंगरी	आईआर	पारदर्शिता	**दक्षिण कोरिया**	एमपीआर	संवाद
आइसलैंड	मौद्रिक बुलेटिन	जवाबदेही	**स्वीडेन**	एमपीआर	संवाद
इंडोनेशिया	एमपीआर	पारदर्शिता और जवाबदेही	**थाईलैंड**	एमपीआर	संवाद
इसराइल	एमपीआर	पारदर्शिता	**तुर्की**	आईआर	संवाद
मैक्सिको	तिमाही रिपोर्ट	पारदर्शिता	**युगांडा**	एमपीआर	संवाद
मोल्डोवा	आईआर	पारदर्शिता	**युनाईटेड किंगडम**	आईआर	संवाद

स्रोतः केंद्रीय बैंकों की वेबसाइट और आईएमएफ।
टिप्पणीः एसएमपीः मौद्रिक नीति पर वक्तव्य; एमपीएसः मौद्रिक नीति वक्तव्य, आईआरः मुद्रास्फीति रिपोर्ट; एमपीआर= मौद्रिक नीति रिपोर्ट/समीक्षा

प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो वर्ष 2015 के पूर्व में सहज स्थिति प्रारंभ होना संभव है। जनवरी, मार्च और जून 2015 में नीति दरों में कटौती दिशानिर्देशों के ही सुसंगत थी।

उधार और जमा दर संबंधी मौद्रिक नीति संचारण

III.24 मौद्रिक नीति के संचारण को विशेष रूप से चलनिधि की स्थिति की जटिलता और/या विभिन्न चरणों में विभिन्न क्षेत्रों की दिशा के संदर्भ में नीति आवेगों के प्रति लंबे, परिवर्तनीय और अनिश्चित समयांतर वाले असंयमित बाजार के रूप में चित्रित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, नीतिगत दरों के संचरण से बैंकों की जमा और उधार दरों में परिवर्तन में समय लगता है और मुद्रा बाजार दरों की तुलना में कम पूरा है और ये ऋण बाजार (क्रेडिट मार्केट) की संरचनागत जड़ता को प्रदर्शित करती हैं (सारणी III.1)। अतः हाल की अवधि में दर में की गई कटौती कुछ हद तक उधार दरों में परिलक्षित होने के बावजूद भी मौद्रिक नीति आवेगों की पूरी क्षमता के साथ प्रभाव न डाल सकने के कारण यह अधूरा ही रह जाता है। रिज़र्व बैंक ने संचारण में सुधार लाने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष के दौरान विभिन्न नए उपायों की घोषणा की है। आशा है कि इस दिशा में हुई प्रगति भविष्य में दिखायी देगी।

III.25 चलनिधि प्रबंधन संबंधी संशोधित ढांचे को सितंबर 2014 में लागू किए जाने के बाद चलनिधि की स्थिति में सुधार हुआ जो बैंक की जमाराशि और उधार दरों में गिरावट के रूप में सामने आए। तथापि जमाराशि की दरों में गिरावट बैंकों की भारित औसत उधार

सारणी III.1: मौद्रिक नीति चक्र के विभिन्न चरणों में वित्तीय बाजारों के बीच संचरण में विषमता

मद	घट-बढ़ (प्रतिशत बिंदु)			
	कठोरता चरण (19 मार्च 2010 से 16 अप्रैल 2012)	सहजता चरण (17 अप्रैल 2012 से 15 जुलाई 2013)	कठोरता चरण (16 जुलाई 2013 से 14 जनवरी 2015)	सहजता चरण ** (15 जनवरी 2015 से)
1	2	3	4	5
नीति दर (रेपो दर)	3.75	-1.25	0.75	-0.75
सीआरआर	-1.00@	-0.75	0.00	0.00
मांग दर	4.98	-1.51	0.36	-0.21$
सीबीएलओ दर	5.43	-2.34	2.14	-0.96
बाजार रेपो दर	6.12	-1.49	0.61	-0.37
91- दिन राजकोष बिल	4.53	-1.29	0.83	-0.90
3-माह वाणिज्यिक पत्र दर	4.24	-2.17	0.43	-0.96
3-माह सीडी दर	4.36	-2.08	0.50	-0.98
5-वर्षीय कॉरपोरेट ऋण प्रतिफल	0.93	-0.71	-0.21	-0.16
10-वर्षीय कॉरपोरेट ऋण प्रतिफल	3.13	-1.02	-0.09	-0.43
2-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति प्रतिफल	1.87	-0.35	0.26	-0.13
3-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति प्रतिफल	1.34	-0.57	0.32	-0.10
5-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति प्रतिफल	1.05	-0.84	0.20	0.04
10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति प्रतिफल	0.64	-1.10	0.34	-0.05
मध्यावधि मीयादी जमा दर	**2.31**	**0.00**	**0.07**	**-0.39**
माध्यिका आधार दर *	**2.75**	**-0.35**	**0.25**	**-0.30**
डब्ल्यूएएलआर(बकाया ऋण)	**2.13**	**-0.44**	**-0.10**	**-0.17#**
डब्ल्यूएएलआर(नये रुपया ऋण)	-	-	**0.13**	**-0.51#**

स्रोत: ब्लूमबर्ग और भारतीय रिज़र्व बैंक

*: आधार दर प्रणाली 1 जुलाई 2010 से प्रारंभ की गई थी। **: आंकड़ें 14 अगस्त 2015 तक के हैं।

@: अगले सहजता चरण में रेपो दर में कटौती से पहले वांछित चलनिधि की स्थिति पैदा करने के लिए सीआरआर में कटौती की गई।

-: उपलब्ध नहीं। **#:** जून 2015 से संबंधित अंतिम बिंदु। डब्ल्यूएएलआर: भारित औसत उधार दर।

$: सहकारी बैंकों की बाजार से इतर लेनदेन शामिल हैं।

टिप्पणी: (i) नीति दर, जमा और आधार दरें माह के अंत की हैं, जबकि मुद्रा और बांड बाजार दरें मासिक औसत हैं।

(ii) डब्ल्यूएएलआर के आंकड़ें अनंतिम हैं।

सारणी III.2: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमा और उधार दरें (आरआरबी को छोड़कर)

(प्रतिशत)

माह के अंत में	रेपो दर	मीयादी जमा दरें		डब्ल्यूएएलआर	
		मध्यमान	डब्ल्यूएडी टीडीआर	बकाया रुपया ऋण	नये रुपया ऋण
1	2	3	4	5	6
मार्च-14	8.00	7.74	8.79	12.21	11.64
जून-14	8.00	7.74	8.73	12.21	11.68
सितंबर-14	8.00	7.72	8.70	12.12	11.59
दिसंबर-14	8.00	7.55	8.64	12.11	11.59
मार्च-15	7.50	7.50	8.57	12.06	11.25
जून-15	7.25	7.22	8.43	11.94	11.08
अगस्त-14, 15	7.25	7.14	-	-	-
घट-बढ़ (प्रतिशत बिंदु) (15 जनवरी 2015 से)	**-0.75**	**-0.39**	**-0.21**	**-0.17**	**-0.51**

-: उपलब्ध नहीं है।
डब्ल्यूएडीटीडीआर: भारित औसत घरेलू मीयादी जमा दर।
टिप्पणी: डब्ल्यूएडीटीडीआर और डब्ल्यूएएलआर के आंकड़ें अंनतिम हैं।

दर (डब्ल्यूएएलआर) में पूरी तरह से प्रदर्शित नहीं हुई, जो बढ़ते अनर्जक ऋणों (एनपीए) के बीच जोखिम विमुखता और उधार की कम माँग वाले वातावरण में निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) को बनाए रखने के बैंकों के प्रयासों को दर्शाते हैं। रेपो दर में कटौती के प्रथम चरण के बाद से बैंकों द्वारा मंजूर किए गए नए रुपया ऋणों पर भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएएलआर) 51 आधार अंकों की गिरावट के साथ 11.08 प्रतिशत हो गई (सारणी III.2)। तथापि, इसी अवधि के दौरान बकाया रुपया ऋणों पर भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएएलआर) में केवल 17 आधार अंकों (बीपीएस) की ही कमी आई क्योंकि पहले से वितरित ऋणों पर ब्याज दरों काफी समय बाद पुनर्निधारित की जाती है।

III.26 यद्यपि नीति दरों में 75 आधार अंकों की कटौती के प्रति वाणिज्यिक बैंकों की प्रतिक्रिया खुलकर सामने नहीं आयी हैं, विभिन्न क्षेत्रों में उधार दरों में उतार-चढ़ाव एकसमान नहीं है जो बैंकों का विभेदक जोखिम निर्धारण को प्रदर्शित करते हैं। (सारणी III.3)।

III.27 वर्ष 2010 में प्रारंभ की गई आधार दर प्रणाली बेंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) प्रणाली से बेहतर है जो सब-प्राइम दरों पर बड़े ऋणों की मंजूरी की अनुमति नहीं देता है। बैंक निधि की लागत के आधार पर अथवा अन्य कोई प्रासंगिक बाजार आधारित बेंचमार्क के आधार पर अपने उधार दरें तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की आधार दरों को 9.70-10.15 प्रतिशत की सीमित सीमा में हैं। तथापि, आधार दरों में बहुत अधिक कमी-बेशी नहीं होती है और मौद्रिक नीति के संचरण में कठिनाई सामने आ रही है।

सारणी III.3: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की भारित औसत उधार दर (आरआरबी को छोड़कर)* - चुनिंदा क्षेत्र

(वे दरें जिनपर 60 प्रतिशत या अधिक कारोबार की संविदा की जाती है)

(प्रतिशत)

माह का अंत	कृषि	उद्योग (बड़े)	एमएस एमई	बुनियादी ढांचा	वैयक्तिक ऋण			
					आवास	वाहन	शिक्षा	क्रेडिट कार्ड
1	2	3	4	5	6	7	8	9
मार्च-14	10.70	13.06	13.10	13.09	10.85	12.38	12.96	35.46
जून-14	10.79	13.05	13.04	13.05	10.61	12.09	12.91	36.70
सितं-14	10.79	13.01	13.09	13.02	10.52	11.97	12.90	38.23
दिसं-14	10.93	12.95	13.05	13.05	10.76	11.83	12.90	37.86
मार्च-15	10.96	12.80	12.91	12.89	10.99	11.62	12.87	37.88
जून-15	10.76	12.62	12.36	12.24	10.81	11.39	12.58	37.87
घट-बढ़ (प्रतिशत बिंदु) (जन 15 की तुलना में जून 15-15)	**-0.17**	**-0.33**	**-0.69**	**-0.81**	**0.05**	**-0.44**	**-0.32**	**0.01**

*: बकाया रुपया ऋण के आधार पर।
एमएसएमई: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

III.28 जैसाकि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में विशेष रूप दर्शाया गया है, ऋण बाजार में धीमे संचरण के अनेक कारण हैं। संचरण में कठिनाई के प्रमुख कारकों में सावधि जमाराशियों के पुनर्मूल्यन में जड़ता, सरकारी उधार की अधिक मात्रा, सरकारी प्रतिभूति के प्रतिफल से संबद्ध छोटी बचतों (लोक भविष्य निधि सहित) पर प्रशासित ब्याज दरों में वार्षिक आधार पर पुनर्निधारित करने की व्यवस्था, ब्याज दर अनुदान, अधिक मात्रा में अनर्जक आस्तियां और अनौपचारिक वित्त की उल्लेखनीय रूप से उपस्थिति शामिल हैं। वैकल्पिक वित्तीय आस्तियों के साथ-साथ भौतिक बचत के रूप में जमाराशियों के संभावित माइग्रेशन से भी जोखिम सामने आ सकता है क्योंकि इसमें वास्तविक उच्च प्रतिफल ज्यादा मिलने की आशा होती है। इसके अलावा, आधार दर की गणना में रेपो दर प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होती है और यह केवल थोक निधीयन की लागत के माध्यम से परिचालित होती है जो रेपो दर में परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है।

III.29 सहज परिस्थिति में, बैंक ऋणों का मूल्यन करते समय आधार दर में कमी-बेशी करने के बजाए आधार दर से ऊपर के स्प्रैड में कमी-बेशी करते हैं। यह एक अपारदर्शी कार्यप्रणाली है जो नए और पुराने उधारकर्ताओं में भेदभाव करता है। ऋण के मूल्यन पर गठित कार्यकारी समूह द्वारा भी इस मुद्दे को उठाया गया है और तदनुसार जनवरी 2015 में बैंकों को ऋण का मूल्यन करने में अधिक परिचालनगत लचीलापन प्रदान करने के साथ प्रत्येक तीन वर्षों में इससे संबंधित तौर-तरीके में संशोधन की स्वतंत्रता दी गई जो अवधि पहले पांच वर्ष थी।

III.30 इसके अतिरिक्त, स्प्रेड को मनमाने ढंग से तय करने संबंधी मुद्दे को सुलझाने के लिए बैंकों को सूचित किया गया है कि : (क) ग्राहक से लिए जाने वाले स्प्रेड संबंधी घटक की रूपरेखा के संबंध में बोर्ड-अनुमोदित नीति बनाई जाए; और (ख) यह सुनिश्चित किया जाए कि ग्राहक के ऋण जोखिम प्रोफाइल में गिरावट होने अथवा प्रीमियम के स्वरूप में परिवर्तन के अलावा वर्तमान उधारकर्ता से लिए गए स्प्रेड में (संघीय और बहु बैंकिंग व्यवस्थाओं को छोड़कर) वृद्धि नहीं की जानी चाहिए। आगे चलकर, इन उपायों से भारत के ऋण मूल्यन संबंधी ढांचे में पारदर्शिता और निष्पक्षता में सुधार आने की संभावना है।

III.31 दिनांक 7 अप्रैल 2015 को घोषित वर्ष 2015-16 के अपने पहले द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह कहा है कि निधियों की सीमांत लागत के आधार पर परिकलित आधार दरों को नीति दरों में हुए परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील होना चाहिए। मौद्रिक नीति के संचरण की क्षमता में सुधार लाने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक, बैंकों को सीमांत निधि लागत निर्धारण से अपने आधार दर तय करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। एक बार वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्रा.लि., जो एक स्वतंत्र बेंचमार्क प्रशासक है, बाजार की ब्याज दरों की विभिन्न सूचकांकों का प्रकाशन प्रारंभ कर देगा तब रिज़र्व बैंक बैंक को बैंकिंग उत्पादों के मूल्यन के लिए बाह्य बेंचमार्क के रूप में ऐसे सूचकांकों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। *संवृद्धि और मुद्रास्फीति के अनुमानित और वास्तविक पथ (ट्रेजेक्टरीज़)*

III.32 रिज़र्व बैंक की संवृद्धि और मुद्रास्फीति अनुमान अत्यधिक अनिश्चितता और जोखिमों के बदलते संतुलन में तैयार किए जाते हैं। जबकि बेसलाइन अनुमानित पथ को निर्मित करने हेतु सामान्य धारणाओं (मुद्रास्फीति और संवृद्धि के कतिपय प्रमुख निर्धारकों को शामिल करते हुए) का इस्तेमाल किया जाता है, ऊर्ध्वमुखी/अधोमुखी जोखिमों के परिणामस्वरूप बेसलाइन से संवृद्धि पथ और मुद्रास्फीति के संभावित विचलन को मौद्रिक नीति रिपोर्ट में जोखिम संतुलन के आकलन के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

III.33 अंतर्निहित परिस्थितियाँ जो व्यापक रूप से अप्रत्याशित थीं, में हो रहे बड़े परिवर्तन को ध्यान में रखकर 2014-15 की चौथी तिमाही के दौरान वास्तविक मुद्रास्फीति पथ सितंबर 2014 की मौद्रिक नीति रिपोर्ट (एमपीआर) में जो दर्शाया गया था उसकी तुलना में उल्लेखनीय ढंग से नीचे रहा। अन्य बातों के साथ-साथ दो प्रमुख घटकों के कारण यह संशोधन अनिवार्य हो गया। प्रथम, फरवरी 2015 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) - संयुक्त (सी) सीरीज आधार को 2010=100 से 2012=100 अद्यतन किया। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार, 2014 में नई सीरीज में मुद्रास्फीति औसतन 50 आधार अंक था जो कि पुरानी सीरीज में दर्ज किए गए आधार अंक से निम्न था। अलग-अलग महीनों में विचलन (+)0.04 से (-)1.11 प्रतिशत पाइंट भिन्न रहा। दूसरा, सितंबर 2014 से जनवरी 2015 के बीच कच्चे मूल्यों में तीव्र गिरावट दर्ज की गई तथा

औसतन कच्चा तेल मूल्य 36 प्रतिशत था जोकि सितंबर 2014 के मौद्रिक नीति रिपोर्ट (एमपीआर) में माने जानेवाले बेसलाइन अनुमान से कम था। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जनवरी 2015 में राष्ट्रीय खातों पर नई सीरज़ का विमोचन रिज़र्व बैंक के अनुमान के लिए एक और प्रमुख आघात था। 2014-15 के लिए संवृद्धि अनुमान को कायम रखा गया और वह जनवरी 2014 से 5.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहा, जब तक केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जनवरी /फरवरी 2015 में संशोधित राष्ट्रीय खाता संख्या जारी नहीं किए गए। पुराने आधार के अनुसार प्राप्त डेटा की तुलना में सीएसओ के डेटा (नया डेटा) में अपेक्षा से अधिक तेजी से संवृद्धि हुई जो सीएसओ के प्राक्कलन के अनुसार 2014-15 हेतु रिज़र्व बैंक की अनुमानित आउटपुट संवृद्धि में विचलन का प्रमुख कारक थी। रिज़र्व बैंक अपने विश्लेषण को संशोधित करने और आधुनिक बनाने तथा क्षमताओं का पूर्वानुमान लगाने में लगातार कार्यरत है ताकि सुनिश्चितता और स्थिरता में सुधार हो सके। मौलिक संशोधनों के चलते अनुमान निष्पादन में सुधार तथा आपूर्ति की बड़ी मात्रा / बाहरी आघातों के बावजूद ये प्रयास मौद्रिक नीति के आगामी संचालन के लिए एक प्रमुख चुनौती रहेगी।

मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं को नियंत्रित करना

III.34 रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति ढाँचे का उद्देश्य मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं को जितना संभव हो सके उतना लक्ष्य के समीप नियंत्रित करना है। 2014-15 के दौरान प्रत्याशाओं को नियंत्रित करना विशेषकर 2009-2013 के अनुभव से आई सख्ती को तोड़ना एक प्रमुख चुनौती रही।

III.35 अपस्फीति थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) मुद्रास्फीति के आधार पर एक अत्यधिक उदार मौद्रिक नीति रुझान की बढ़ती प्रत्याशाओं की पृष्ठभूमि के चलते मुद्रास्फीति लक्ष्य को निश्चित करने के लिए सरकार और रिज़र्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक -संयुक्त (सीपीआई-सी) मुद्रास्फीति को औपचारिक रूप से अपनाने की स्थिति में 2015 की पहली छमाही में थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति के बीच विचलन भी मौद्रिक नीति संचार के लिए एक प्रमुख चुनौती रही। विशेषज्ञ समिति ने सभी नीति संबंधी मामलों जिसमें थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) निहित है की जांच की थी। समिति ने मौद्रिक नीति संचालन के लिए अन्य उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में उचित मुद्रास्फीति माप की भी समीक्षा की। दो मूल्य सूचकांक - सीपीआई-सी और डब्ल्यूपीआई में मदों की कवरेज में भिन्नता है। खाद्य का वज़न सीपीआई-सी बास्केट में लगभग 46 प्रतिशत है जोकि डब्ल्यूपीआई के 24 प्रतिशत की तुलना में काफी अधिक है। लगभग सीपीआई-सी का चौथाई भाग सेवाओं का बना हुआ है जबकि यह घटक डब्ल्यूपीआई में शामिल नहीं है। अतः भारत में मूल्य सूचकांकों के उपलब्ध उपायों में सीपीआई-सी का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। डब्ल्यूपीआई में हाल की कमी वैश्विक पण्य मूल्यों जिसमें कच्चा पेट्रोलियम तथा धातु और रसायन जैसे औद्योगिक कच्चे माल शामिल है, में तीव्र गिरावट के कारण हुई। सामान्यतः विभिन्न मूल्य सूचियों के अनुसार भिन्न-भिन्न मुद्रास्फीति प्रवृत्तियां लंबे समय तक नहीं रहती है। भिन्नता बने रहने के बावजूद अर्थव्यवस्था में सभी एजेंटों की प्रत्याशाओं को सीपीआई-सी मुद्रास्फीति लक्ष्य के अनुसार नियंत्रित करना महत्वपूर्ण होगा, फिर भी विभिन्न प्रवृत्तियां जनसंख्या के विविध वर्गों पर अंतरीय कल्याणकारी प्रभाव डाल सकती है जो उनके अपने उपभोग बास्केट तथा उत्पादन प्रक्रियाओं में इस्तेमाल किए गए इनपुट के प्रकार पर निर्भर होगा।

अनिश्चित तथा अलग-अलग समय की मेक्रो-डायनामिक्स

III.36 आधुनिक मौद्रिक नीति परिचालित ढांचा, गतिशील चलनिधि और वित्तीय परिस्थितियों के अंतर्गत मूल्य स्थिरता पर ध्यान केन्द्रित करता है। तथापि, मैक्रो वित्तीय सहलग्नता उल्लेखनीय ढंग से परिवर्तित हो सकता है तथा मौद्रिक नीति के परिचालन को इसे पहचानना चाहिए और समयबद्ध रूप से प्रतिक्रिया दिखानी चाहिए। इस संदर्भ में वास्तविक ब्याज दर अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यह माना जाता है कि यह स्थिर नहीं है और यह समय-समय पर भिन्न हो सकती है। 2014-15 की चौथी तिमाही में भारत के लिए वास्तविक ब्याज दर का मॉडल-आधारित आकलन लगभग 50 आधार अंक की एक मानक त्रुटि +/- सहित 0.6 से 3.1 प्रतिशत की एक विस्तृत सीमा की जानकारी देता है । (बॉक्स III.2)

III.37 तथापि, ऐसी कतिपय चुनौतियां है जो 2014-15 के दौरान संपूर्ण रूप से पूरी नहीं हो पाईं। पहला, और अधिक प्रभावी

बॉक्स III.2
भारत में विभिन्न समयावधि में स्वाभाविक ब्याज दर

1990 से केन्द्रीय बैंकों की मौद्रिक नीति रुझान के मूल्यांकन में विशेषकर लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्य साधने (एफआईटी) की बढ़ती लोकप्रियता तथा टेलर के ब्याज दर नियमों के उपयोग के बाद विकसेल (1898) द्वारा प्रतिपादित स्वाभाविक ब्याज दर मानक संदर्भ संकल्पना बन गया है। जबकि आरंभ में संतुलनकारी वास्तविक दर के रूप में इसकी संकल्पना की गई थी जिस पर अपेक्षित बचत अपेक्षित निवेश के बराबर है, आधुनिक निर्माण में इसे वास्तविक ब्याज दर के साथ समीकृत किया जाता है जो एक शून्य आउटपुट अंतर के साथ अटल है तथा कारोबार चक्र में मुद्रास्फीति उनके लक्ष्य के आस-पास स्थिर है। किसी भी टेलर नियम प्रकार के मौद्रिक नीति रुझान मूल्याकंन में स्वाभाविक वास्तविक ब्याज दर को प्रायः स्थिर माना जाता है, भले ही वास्तव में समय के चलते यह आपूर्ति और मांग आघातों के जवाब में भिन्न-भिन्न हो और जिसकी बड़े और निरंतर होने की संभावना हो सकती है।

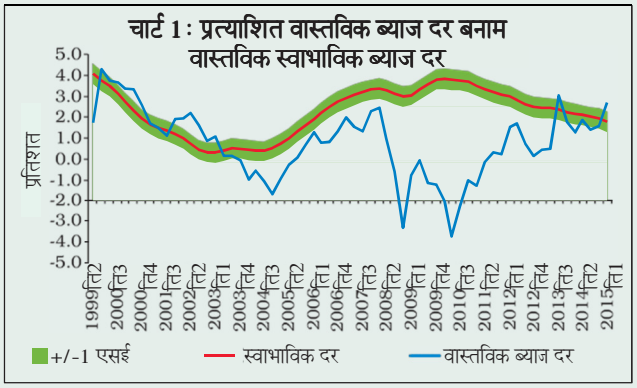
उत्पादन में प्रवृत्ति परिवर्तन, बढ़ती आबादी और अपने जीवन-चक्र में बचत निर्णयों तथा उपभोग के संदर्भ में हाउसहोल्ड की समय प्राथमिकता, स्वाभाविक वास्तविक ब्याज दर के व्यावहारिक निर्धारक हैं। वैश्विक बचत की प्रचुरता जो वैश्विक वित्तीय संकट के पूर्व थी ने वैश्विक स्वाभाविक वास्तविक ब्याज दरों को पहले ही महत्वपूर्ण अधोगामी दबाव प्रदान कर दिया था। वैश्विक संकट के बाद, निवेश मांग में पतन और तदोपरांत ऐसा लगता है कि निगमों और हाउसहोल्डों द्वारा अत्यधिक डीलीवरेजिंग ने विकसित अर्थव्यवस्थाओं (एई) में स्वाभाविक वास्तविक ब्याज दरों पर अधोगमी दबाव बढ़ा दिया है।

अमरीकी अर्थव्यवस्था के आकलन से यह पता चलता है कि स्वाभाविक वास्तविक ब्याज दर जो 1990 में 3.5 प्रतिशत था घटकर 2007 में लगभग 2 प्रतिशत हो गया और वह 2008 और 2009 के आर्थिक मंदी के वर्षों में तीव्रता से शून्य हो गया और तब से 2014 (विलियम्स 2015) तक पांच वर्षों के लिए शून्य के निकट रहा। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि मध्यम दौड़ में निरंतर अवरुद्ध के चलते स्वाभाविक वास्तविक ब्याज दर शून्य के निकट रहा।

भारत में वैश्विक संकट के बाद कुल फैक्टर उत्पादन में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई जो स्वाभाविक वास्तविक ब्याज दर को नीचे धकलने में प्रमुख संरचनागत कारक है। उच्च संवृद्धि की पूर्व-संकट अवधि के सापेक्ष में 2009-10 से 2014-15 के छह-वर्ष अवधि के दौरान सकल स्थिर पूंजी निर्माण में वार्षिक वृद्धि दर में तीव्र गिरावट, उद्यमियों की समय प्राथमिकता में बदलाव दर्शाता है अर्थात् अत्यधिक अनिश्चितता के बीच प्रतीक्षा करके नई निवेश परियोजनाओं में विलंब करना। इसके बजाय, रोजगार और आय संवृद्धि हेतु कमजोर हो रहे आउटलुक के बीच हाउसहोल्ड को निरंतर उच्च मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ा और स्वर्ण तथा स्थावर संपदा के रूप में मुद्रास्फीति बचाव के लिए उनकी प्राथमिकता से वित्तीय बचत में गिरावट दर्ज की गई। अनुकूल जन सांख्यिकी तथा उपभोग को सुचारू बनाने के लिए आजीवन बचत व्यवहार और ऋण हेतु मांग के पैटर्न संबंधी बदलाव (शिफ्ट) भी स्वाभाविक वास्तविक दर को बदल सकता था।

जब इतने सारे कारक स्वाभाविक वास्तविक दर को सशक्त रूप से बदल सकता है, तब भारत के लिए विभिन्न समयावधि में स्वाभाविक वास्तविक दर का कालमन फिलटर (लोबाच एंड विल्यम्स 2003) का प्रयोग करते हुए किया गया आकलन आगे के समय में 0.5 प्रतिशत से 4 प्रतिशत की सीमा में चला गया और यह प्रतीत होता है कि यह 2010 से धीरे-धीरे अब 2 प्रतिशत तक घट गया (चार्ट 1)। स्वाभाविक ब्याज दर का अनुमान अंतर्निहित मॉडेल, चर वस्तुओं के चयन, संभावित आउटपुट के अनुमान लगाने के लिए मान्यताओं, मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं का निरूपक मान और मुद्रास्फीति लक्ष्य (अर्थात् 6 प्रतिशत की तुलना में 4 प्रतिशत) पर भी अति संवेदनशील है। तदनुसार, जोखिम रहित स्वाभाविक वास्तविक ब्याज दर के वैकल्पिक अनुमान 2014-15 की चौथी तिमाही के लिए 0.6 से 3.1 प्रतिशत की सीमा दर्शाता है। स्वाभाविक दर के वास्तविक मूल्य की अनिश्चितता मौद्रिक नीति संचालन के लिए एक चुनौती है।

चार्ट 1 : प्रत्याशित वास्तविक ब्याज दर बनाम वास्तविक स्वाभाविक ब्याज दर



संदर्भः

विलियम्स, जॉन सी. (2015), दि डिक्लाइन इन दि नैचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट। फेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ सेन फ्रान्सिसको, मार्च 2.

लाबाच, थॉमस एडं जॉन सी. विलियम्स (2003), 'मेज़रिंग दि नैचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट', रिव्यू ऑफ इकोनोमिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स, 85 (4), नवंबर।

अनुकूल चलनिधि परिचालन को सहायता प्रदान करने के लिए चलनिधि स्थितियों का एक बेहतर मूल्यांकन, सरकारी नकदी शेष का पूर्वानुमान लगाने में शामिल अनिश्चितताओं के कारण बाधित रहा। दूसरा, घरेलू अर्थव्यवस्था पर बाह्य प्लवन प्रभाव (स्पिल ओवर) के असर का मूल्यांकन करने की क्षमता भी सीमित थी। इसका कारण था विभिन्न अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों को आकस्मिकता के साथ चित्रण करना और विशेषकर, विश्व भर में इन घटनाओं की अहमियत और समय का अस्पष्ट मूल्यांकन करना। तीसरा, जमाराशियों और उधार दरों में रेपो दर की कटौती का प्रेषण अधूरा रहा तथा मौद्रिक नीति के सुगम होते चक्र में क्रेडिट संवृद्धि मंद रही। उपर्युक्त विभिन्न कारकों

तथा रिज़र्व बैंक द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के बावजूद भारत में बैंकों के थोक निधियन के निम्न स्तर शेयर ने भी जमाराशि और उधार दरों के प्रति नितिगत दर के प्रभावी प्रेषण को आंशिक रूप से बाधित किया है। भारत में बैंक निधीयन में खुदरा जमाराशियों / बचत की प्रधानता है जो नीति दर की कटौती के जवाब में निधि की लागत में निरंतर मितव्ययता को रोकता है।

2015-16 की कार्यसूची

III.38 2014-15 के लिए निर्धारित एजेंडा के संदर्भ में अनुकूल पण्य मूल्यों की सहायता से सरकार के राजकोषीय उपायों तथा अनुकूल आपूर्ति प्रबंधन के होते हुए मौद्रिक नीति का रुझान दीर्घकालीन और सार्थक अवस्फीति को निर्धारित पथ से नीचे के स्तर तक ले जाने में मददगार रहा। रेपो दर संकेतक और दैनंदिन सामान्य और अनुकूल चलनिधि परिचालनों के जवाब में बाज़ार दबाव के माध्यम से इन दरों को निर्धारित करते हुए मुद्रा बाज़ार दरों की निम्न अस्थिरता में नये चलनिधि प्रबंधन ढाँचे का योगदान रहा। पूर्वानुमान लगाने और परिदृश्य विश्लेषण करने के लिए दो मेक्रो मॉडलों की स्थापना की गई तथा दो छमाही मौद्रिक नीति रिपोर्ट के प्रकाशन का आगामी नए मौद्रिक नीति ढाँचे के प्रमुख पहलुओं पर बढ़ती पारदर्शिता के साथ संचार को मजबूत बनाने में योगदान रहा।

III.39 इसके आगे, 2015-16 के दौरान रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति रुझान का ध्यान जनवरी 2016 तक 6 प्रतिशत से नीचे के लक्ष्य की ओर एक क्रमिक और टिकाऊ अवस्फीति प्रक्रिया कायम करने पर केन्द्रित होगा ताकि 2017-18 के अंत तक 4 प्रतिशत की केंद्रीकृत रूप से अनुमानित दर हासिल किया जा सके। साथ ही, मौद्रिक नीति प्रेषण तंत्र की क्षमता को सुधारने की आवश्यकता है क्योंकि बैंक उधार दर की तुलना में नीतिगत दर में हाल ही में हुई कटौती सबसे कम थी जिससे मौजूदा आधार दर प्रणाली के अंतर्गत प्रेषण में आ रही बाधाओं का पता चलता है। अंतरण में आ रही बाधाओं को पहचानना तथा वैकल्पिक पद्धति कार्यान्वित करना जैसे सीमांत लागत आधारित ऋण कीमत निर्धारण या बैंक उधार दर हेतु उचित बेंचमार्क पहचानना रिज़र्व बैंक के लिए प्राथमिकता रहेगी। इस संबंध में यह अनिवार्य होगा कि मुद्रा बाज़ार की अवधि खंड विकसित करके बाजार आधारित बेंचमार्क विकसित किया जाए। अतः रातोंरात निर्धारित दर चलनिधि सहायता पर निर्भरता कम करके दीर्घावधि रिपो की नियमित निलामी के माध्यम से क्रमिक रूप से चलनिधि सहायता प्रदान करनी होगी। ऐसा करते समय यह भी महत्वपूर्ण होगा कि सीमित सीमाओं में रेपो दर से अन्य मुद्रा बाज़ार दरों तथा भारित औसत मांग मुद्रा दर (डब्ल्यूएसीआर) विचलन को कम किए जाए। रिज़र्व बैंक, चलनिधि प्रबंधन के अपने लिखतों का पता लगाने तथा उसे बढ़ाने के प्रयास जारी रखेगा जिसमें खुला बाज़ार परिचालन के माध्यम से तथा विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार अतिरिक्त चलनिधि को सोखने के लिए एक जमाराशि सुविधा शामिल है।

IV ऋण प्रदान करना एवं वित्तीय समावेशन

रिज़र्व बैंक ने देश भर में व्यापक बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने और ऋण वितरण में सुधार लाने के अपने प्रयास जारी रखा। कृषि ऋण में वृद्धि को जोर दिया जाना जारी रखने के अलावा वर्ष के दौरान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को ऋण की उपलब्धता में सुधार लाने पर प्रमुखता से जोर दिया गया ताकि ये क्षेत्र अपनी पूर्ण क्षमता का प्रयोग कर सकें। रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तीय समावेशन एवं वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए उठाए जाने वाले विभिन्न कदमों को प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) प्रारंभ किए जाने से बहुत बल मिला।

IV.1 रिज़र्व बैंक ने पूर्ण सेवा प्रदाता केंद्रीय बैंक की विकासात्मक एवं विनियामकीय भूमिका के अंतर्गत संस्थानों की हिफाजत में वित्तीय उत्पादों का प्रावधान करने को हमेशा प्राथमिकता दी है ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को समुचित वित्तीयन सुनिश्चित किया जा सके। वर्षों के दौरान, समाज की विविध वित्तीयन सबंधी जरूरतों तक पहुंचने के लिए नवेन्मेषों के साथ ऋण प्रदान करने की प्रणाली का विकास एवं विस्तार हुआ है। हाल ही में, प्रयास यह रहा है कि अर्थव्यवस्थाओं के पैमाने एवं संभावनाओं तथा शहरी और अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में प्राप्त किए गए अनुभवों का विस्तार भौगोलिक क्षेत्रों एवं समाज के उन वर्गों तक किया जाए जिनको मूल्यन की क्षमता के अभाव के कारण विषम ऋण बाजारों द्वारा छोड़ दिए जाने की प्रवृत्ति होती है। 2014-15 में, सूक्ष्म, लघु एंव मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को ऋण की उपलब्धता में सुधार लाने, बेहतर समावेशन को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र से संबंधित दिशानिर्देशों में संशोधन करने तथा अधिक व्यापक रूप से कृषि क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह को बढ़ाने पर ध्यान दिया गया।

IV.2 इसके अनुरूप, वित्तीय समावेशन का नोडल विभाग होने के कारण वित्तीय समावेशन एवं विकास विभाग (एफआईडीडी) ने देश भर में व्यापक बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता तथा अर्थव्यवस्था के प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों के लिए समय पर आसानी से ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया ताकि दक्ष और समावेशी वित्तीय प्रणाली का विकास किया जा सके।

2014-15 की कार्ययोजना : कार्यान्वयन की स्थिति

IV.3 बेहतर समावेशिता को बढ़ावा देने के अपने प्रमुख उद्देश्य से प्रेरित रिज़र्व बैंक ने वर्ष के दौरान, सभी बैंक रहित गांवों तक बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार सुनिश्चित करने और ऋण प्रदान करने में सुधार लाने हेतु वित्तीय समावेशन को बैंकों के लिए एक सुकर प्रस्ताव बनाने के प्रयासों को जारी रखा। वित्तीय समावेशन के रोडमैप के वर्तमान चरण- II, जिसमें 2,000 से कम जनसंख्या वाले बैंक रहित सभी गांवों में बैंकिंग आउटलेट खोलने की परिकल्पना की गई है, के अंतर्गत कार्यनीति में बैंक रहित गांवों की पहचान करने और ऐसे गांवों को कवर करने के लिए बैंकों को आबंटित करना शामिल था। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करने संबंधी दिशानिर्देशों को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप बनाए जाने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए रिज़र्व बैंक ने एक आंतरिक कार्य दल का गठन किया है जो दिशानिर्देशों पर दुबारा विचार करेगा।

IV.4 रिज़र्व बैंक अपनी विकासात्मक भूमिका के अनुसार दक्ष एवं समग्र ऋण प्रदान करने, विशेष रूप से प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करने को प्राथमिकता देता है, जिसके अंतर्गत प्राथमिक रूप से कृषि, एमएसएमई क्षेत्र तथा समाज के कमजोर वर्ग को ऋण प्रदान करना समाहित है। वर्ष के दौरान प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र से संबंधित दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया ताकि क्षेत्र की संभावनाओं का विस्तार किया जा सके और ऋण प्रवाह में सुधार लाया जा सके। वित्तीय साक्षरता एवं वित्तीय समावेशन के लिए रिज़र्व बैंक के समकालिक प्रयासों के साथ प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) प्रारंभ होने से वित्तीय समावेशन के प्रयासों को बहुत प्रोत्साहन मिला। ऋण वितरण को सरल बनाने के लिए, सभी प्रकार के ऋणों में राशि

का ध्यान रखे बिना, स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) एवं संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) सहित व्यक्तिगत उधारकर्ताओं द्वारा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को 'बेबाकी प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करने की शर्त को समाप्त कर दिया गया। एमएसएमई को मजबूत बनाने के लिए प्रौद्योगिकी समर्थित व्यापार प्राप्तियां और बट्टा प्रणाली (टीआरईडीएस) के रूप में विलंबित भुगतान के मुद्दे से निपटने के लिए प्रणाली की शुरूआत करने, एमएसएमई से संबंधित मामलों में अनुसंधान करने, एमएसएमई प्रभागों के प्रभारी अधिकारियों एवं वाणिज्य बैंकों के प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने और उनका आयोजन करने जैसे नवोन्मेषी कदम उठाए गए। इनके अतिरिक्त, अपने संबंधित क्षेत्राधिकारों में इस क्षेत्र को ऋण प्रदान करने से संबंधित मामलों में ध्यान देने के लिए रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में एमएसएमई प्रभागों की स्थापना की गई।

ऋण प्रदान करना

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करना

IV.5 प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र से तात्पर्य अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों से है जिन्हें, व्यवहार्य एवं ऋण पात्रता होने के बावजूद विशेष प्रावधान किए बिना यथा समय पर्याप्त ऋण प्राप्त नहीं हो पाता। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र ऋण विशिष्ट रूप से, कृषि तथा संबद्ध गतिविधियों के लिए कृषकों, लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों, आवास के लिए गरीबों, शिक्षा के लिए विद्यार्थियों, अन्य निम्न आय वाले समूहों और कमजोर तबकों, को दिए जाने वाले कम मूल्य के ऋण होते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों का विस्तार देश भर में कोने-कोने तक है। पहाड़ी एवं तटवर्ती क्षेत्रों में इनका विशेष रूप से फैलाव है। बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण प्रदान किए जाने को उनके सामान्य कारोबारी

सारणी IV.1: प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करने के लक्ष्य प्राप्त करने के संबंध में निष्पादन

(राशि ▪ बिलियन में)

31 मार्च को बकाया	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	निजी बैंक	विदेशी बैंक
1	2	3	4
2014	16,190 (39.4)	4,645 (43.9)	907 (35.8)
2015	17,512 (37.3)	5,303 (42.8)	970 (35.9)

टिप्पणियां: 1. कोष्टकों में दर्शाई गई संख्याएं एएनबीसी या सीईओबीई की तुलना में प्रतिशत संबंधित समूहों में जो भी अधिक हैं, को प्रदर्शित करती हैं।
2. वर्ष 2015 से संबंधित आंकड़े अनंतिम हैं।

परिचालनों के हिस्से के रूप में अपनाए जाने की आवश्यकता है। इसे कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसे लक्षित करके, सभी ऋणों के मूल्यन को स्वतंत्र कर दिया गया है, हालांकि यह उम्मीद की जाती है कि बहुत अधिक मूल्यन नहीं किया जाना चाहिए। (सारणी IV.1)

IV.6 आंतरिक कार्य दल की अनुशंसाओं के आधार पर अप्रैल 2015 में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण देने के बारे में संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए। एमएसएमई क्षेत्र को जोर देने की मंशा से मध्यम उद्यमों को प्राथमिताप्राप्त क्षेत्र में शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त, सूक्ष्म उद्यमों को ऋण देने के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए। मध्यम उद्यमों के अलावा, दो नई श्रेणियां, नामतः सामाजिक आधारभूत संरचना एवं नवीकरणीय ऊर्जा, को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र में शामिल किया गया (बॉक्स IV.1)।

बॉक्स IV.1
प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करना - एक नई दृष्टि

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करने संबंधी संशोधित दिशानिर्देशों की प्रमुख विशेषताएं :

- लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए 8 प्रतिशत (कृषि के लिए निर्धारित 18 प्रतिशत के लक्ष्य के अंतर्गत) तथा सूक्ष्म उद्योगों के लिए 7.5 प्रतिशत लक्ष्य अलग से निर्धारित किए गए हैं जिनको 2017 तक चरणबद्ध ढंग से प्राप्त किया जाना है। 2017 में समीक्षा के उपरांत 2018 के बाद इन लक्ष्यों को 20 या अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंकों पर भी लागू किया जाएगा।
- मध्यम उद्यमों, सामाजिक आधारभूत संरचना एवं नवीकरणीय ऊर्जा को शामिल करने हेतु प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र का विस्तार किया गया है।
- प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करने के संबंध में 2016-17 से, संबंधित वर्ष के अंत में 'तिमाही' औसत के आधार पर निगरानी करना।
- प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करने संबंधी प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) को व्यापार के लिए उपयुक्त लिखत माना जाएगा। खरीदकर्ता (कमी पूरी करने वाला

(जारी...)

बैंक) विक्रेता बैंक (जिस बैंक ने पीएसएल की आवश्यकताओं से अधिक लक्ष्य प्राप्त कर लिया हो) को किसी विशिष्ट तारीख के लिए लागू निर्धारित राशि के पीएसएल दायित्व की खरीद के लिए 'मूल्य/शुल्कट अदा करेगा।

- ₹ 1 मिलियन तक के शिक्षा ऋणों (व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए ऋण सहित) को, स्वीकृत राशि को ध्यान में रखे बिना, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के लिए उपयुक्त ऋण माना जाए।
- 20 से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंकों के लिए समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) के 32 प्रतिशत तक निर्यात ऋण या बैलेंस शीट में दर्शाए गए निवेशों से इतर ऋण की समतुल्य राशि (सीईओबीई), जो अधिक हो, को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के हिस्से के रूप में उपयुक्त माना जाए। 20 या अधिक शाखाओं वाले देशी बैंकों तथा विदेशी बैंकों के लिए पूर्ववर्ती वर्ष की समान तारीख की तुलना में वृद्धिशील निर्यात ऋण को एएनबीसी या सीईओबीई के 2 प्रतिशत तक (जो अधिक हो) को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के रूप में शामिल किया जाएगा।
- 20 से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंकों से एएनबीसी या सीईओबीई के 40 प्रतिशत, जो अधिक हो, के कुल प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के लक्ष्य को 2020 तक चरणबद्ध ढंग से प्राप्त करने की अपेक्षा है।

कृषि के लिए ऋण का प्रवाह

IV.7 कृषि ऋण के लिए लक्ष्य प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी) की अगुआई में, हाल के वर्षों में कृषि क्षेत्र के लिए ऋण का वास्तविक प्रवाह लक्ष्य से अधिक रहा है। हालांकि, सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) 2013-14 तथा 2014-15 में अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाए (सारणी IV.2)।

कृषि में दबावग्रस्त आस्तियां

IV.8 कृषि क्षेत्र में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी) की अनर्जक आस्तियों (एनपीए) में 2010 से निरंतर वृद्धि हो रही है, जिससे अन्य बातों के अलावा कृषि ऋणों की वसूली में कमी का पता चलता है (सारणियां IV.3 एवं IV.4)।

IV.9 सरकार द्वारा कृषि ऋणों को ब्याज में आर्थिक सहायता की योजना (छूट) के माध्यम से पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित किए जाने के बावजूद आस्ति गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ। योजना को प्रभावोत्पादकता में सुधार लाने के लिए सरकार विभिन्न उपायों की जांच कर रही है। योजना को 2015-16 तक बढ़ा दिया गया है।

सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यमों (एमएसई) को ऋण प्रवाह

IV.10 एमएसई क्षेत्र को ऋण प्रवाह में वृद्धि करने के संबंध में सरकार तथा रिज़र्व बैंक के ध्यान केंद्रित किए जाने के असर निरूपित करते हुए इस क्षेत्र में ऋण में 13.6 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई देती है जबकि 2014-15 के दौरान समग्र रूप से बैंक ऋण में 9.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी IV.5)।

एमएसएमई क्षेत्र के लिए उठाए गए कदम

IV.11 एमएसएमई क्षेत्र में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए, रिज़र्व बैंक ने इस क्षेत्र में ऋण प्रवाह की बाधाओं से निपटने के लिए वर्ष के दौरान बहुत से कदम उठाया। एमएसएमई क्षेत्र को विलंबित भुगतान के मुद्दे के समाधान के लिए एमएसएमई के इनवाइसों/विनिमय बिलों को भुनाने की सुविधा प्रधान करने के लिए टीआरईडीएस की संकल्पना की गई है (विवरण के लिए अध्याय IX देखें)। टीआरईडीएस से प्राप्य राशि की उगाही में तेजी आएगी तथा इस क्षेत्र में रूग्णता की घटनाओं में कमी आने की संभावना है।

सारणी IV.2: कृषि ऋण के संबंध में लक्ष्य एवं उपलब्धियां

(₹ बिलियन)

मार्च अंत में	अनुसूचित वाणिज्य बैंक		सहकारी बैंक		आरआरबी		कुल	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2013-14	4,750	5,090	1,250	1,199	1,000	827	7,000	7,116
2014-15*	5,400	5,997	1,400	1,384	1,200	1,025	8,000	8,406

*: अनंतिम

सारणी IV.3: कृषि क्षेत्र में अनर्जक आस्तियां (एनपीए)

मार्च अंत में	बकाया कृषि ऋण (` बिलियन)	कृषि में सकल एनपीए * (` बिलियन)	बकाया कृषि ऋण की तुलना में सकल एनपीए (कृषि) का अनुपात (प्रतिशत)
1	2	3	4
2010	4,636	104	2.2
2011	5,072	167	3.3
2012	5,802	248	4.3
2013	6,428	302	4.7
2014	7,698	340	4.4
2015	8,295	391	4.7

* सिर्फ अनुसूचित वाणिज्य बैंक (एससीबी)

IV.12 रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों ने निम्नलिखित के लिए विशिष्ट एमएसएमई प्रभागों की स्थापना की है (i) ऋण प्रवाह तथा रूग्णता के बारे में क्षेत्र से आंकड़े क्रमवार व्यवस्थित करना तथा उनका विश्लेषण करना; (ii) क्षेत्र में एमएसएमई इकाईयों की देखभाल तथा पुनरूद्धार के लिए किए गए बैंकों के प्रयासों की निगरानी करना; (iii) चिह्नित एंव गैर-चिह्नित संकुलों में बैंकिंग गतिविधियों निगरानी करना तथा जहां कहीं आवश्यक हो, बैंकिंग गतिविधि को बढ़ाने के लिए कदम उठाना; (iv) एमएसएमई क्षेत्र को ऋण प्रदान करने वाले बैंक कार्यकर्ताओं के लिए क्षमता निर्माण की गतिविधियां आयोजित करना; तथा (v) एमएसएमई से संबंधित मामलों के संबंध में अनुसंधान करना, जैसे कि ऋण संबंधी मामले, संकुलों में बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता, रूग्णता तथा क्षमता निर्माण।

IV.13 रिज़र्व बैंक का कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी), पुणे बैंकों के एमएसएमई प्रभागों की क्षमता निर्माण करने तथा उद्यमिता-संवेदना का विकास करने के प्रयास के रूप में एमएसएमई प्रभाग के प्रभारी अधिकारियों तथा वाणिज्य बैंकों के प्रशिक्षकों के लिए

सारणी IV.4: प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की वसूली

वर्ष	कुल मांग (· बिलियन)	कुल वसूली (· बिलियन)	मांग की तुलना में वसूली का प्रतिशत
1	2	3	4
2012	1,917.7	1,428.9	74.5
2013	2,596.2	1,975.7	76.1
2014	2,814.9	2,066.0	73.4

सारणी IV.5: एमएसई में ऋण प्रवाह

वर्ष	खातों की संख्या (मिलियन में)	बकाया राशि (· बिलियन)	एएनबीसी के प्रतिशत के रूप में एमएसई ऋण
1	2	3	4
2014	12.6 (12.3)	8,510.9 (23.9)	15.7
2015	13.8 (10.1)	9,664.8 (13.6)	17.8

टिप्पणियां: 1. 2015 से संबंधित आंकड़े अनंतिम हैं।
2. कोष्टकों में दिए गए आंकड़े वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन को प्रतिशत में सूचित करते हैं।
स्रोत: अनुसूचित वाणिज्य बैंक।

प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया है। सीएबी, पुणे रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए भी पाठ्यक्रम तैयार किया है जो बाद में अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विशिष्ट एमएसएमई शाखाओं के शाखा प्रबंधकों की क्षमता निर्माण हेतु कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे।

वित्तीय समावेशन

2,000 से कम जनसंख्या वाले बैंक रहित गांवों में बैंकिंग सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए रोडमैप

IV.14 रिज़र्व बैंक ने सभी बैंक रहित गांवों तक बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करने के अपने प्रयासों को जारी रखा। इस कार्य हेतु 2,000 से कम जनसंख्या वाले लगभग 490,000 बैंक रहित गांवों को चिह्नित किया गया और रोडमैप के जारी चरण -II के अधीन उन गांवों को कवर करने के लिए बैंकों को आबंटित किया गया। राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2015 के अंत में, 390,387 गांवों को 14,207 शाखाओं, 357,856 कारोबारी प्रतिनिधियों (बीसी) तथा आटोमेटेड टेलर मशीनों (एटीएम) एवं मोबाइल वैनों इत्यादि जैसे अन्य 18,324 माध्यमों से कवर किया गया। वर्तमान में चालू पीएमजेडीवाई के कार्यान्वयन के कारण बैंकों को चरण II के तहत कवरेज को पूर्व निर्धारित 31 मार्च 2016 के स्थान पर 14 अगस्त 2015 तक पूरा करने को कहा गया।

प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)

IV.15 औपचारिक वित्तीय सेवाओं का उससे वंचित जनसंख्या तक विस्तार करने के लिए भारत सरकार ने 28 अगस्त 2014 को पीएमजेडीवाई प्रारंभ किया। योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं - (i) किसी बैंक की शाखा या कारोबारी प्रतिनिधि केंद्र में मूलभूत बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खाता खोलने की

सुविधा; (ii) दुर्घटना बीमा कवर (▪ 0.1 मिलियन) तथा जीवन बीमा कवर (▪ 30,000); तथा (iii) 6 महीनों तक खाते का संचालन संतोषप्रद होने पर खाते में जमा से अधिक राशि निकालने (ओवरड्राफ्ट) की सुविधा। योजना प्रारंभ किए जाने से 30 जून 2015 तक 165.7 मिलियन खाते खोले गए। भारत सरकार ने पीएमजेडीवाई के तहत खोले गए खातों सहित बीएसबीडी खाता धारकों के लिए अनुदान, भुगतान खाते में जमा करना प्रारंभ किया है तथा बीमा एवं पेंशन उत्पादों को भी खातों से संबद्ध करने की शुरूआत की है। इन खातों में गतिविधियां बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयासों में निम्नलिखित शामिल हैं -(i) केंद्र तथा राज्य सरकारों के सभी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रारंभ करना; (ii) सावधानी बरतते हुए समुचित ऋण उत्पाद (कृषि एवं गैर-कृषि क्षेत्र) उपलब्ध कराना; (iii) कारोबारी प्रतिनिधियों के नेटवर्क को मजबूत करना; तथा (iv) वित्तीय साक्षरता के लिए उठाए गए कदमों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाना।

IV.16 2 अप्रैल 2015 को मुंबई में आयोजित रिज़र्व बैंक की 80वीं वर्षगांठ के समारोह का मुख्य विषय वित्तीय समावेशन रखा गया था जिससे वित्तीय समावेशन के बारे में रिज़र्व बैंक के ध्यान केंद्रित किए जाने का पता चलता है (बॉक्स IV.2)।

वित्तीय समावेशन योजना (एफआईपी)

IV.17 रिज़र्व बैंक, बैंकों को बोर्ड द्वारा अनुमोदित वित्तीय समावेशन योजना (एफआईपी) के माध्यम से उच्चतम स्तर पर वचनबद्धता के साथ संरचित एवं योजनाबद्ध तरीके से वित्तीय समावेशन को अपनाए जाने के लिए प्रोत्साहित करता रहा है। 2014-15 में खोली गई कुल 3,445 ग्रामीण बैंक शाखाओं में से 2,230 शाखाएं बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों में खोली गईं। लगभग 155 मिलियन मूलभूत बचत बैंक जमा खाते (बीएसबीडीए) खोले गए जिससे कुल बीएसबीडीए की संख्या 398 मिलियन हो गई। पीएमजेडीवाई के तहत खोले गए 147 मिलियन खाते भी इसमें शामिल हैं। 2.6 मिलियन लघु कृषि क्षेत्र ऋणों (किसान क्रेडिट कार्ड -केसीसी) एवं 1.8 मिलियन लघु गैर-कृषि क्षेत्र ऋणों (सामान्य क्रेडिट कार्ड - जीसीसी) को जोड़कर ऐसे खातों की कुल संख्या बढ़कर क्रमशः लगभग 42.5 मिलियन एवं 9.2 मिलियन हो गई (सारणी IV.6)।

वित्तीय समावेशन में बाधाएं

IV.18 वित्तीय समावेशन के तहत उठाए गए नए कदमों के कारण वंचित वर्ग के लोगों के मूलभूत खाते बड़ी संख्या में खोले जाने के बावजूद इन खातों का परिचालनगत बना रहना सुनिश्चित करने के

बॉक्स IV.2
भारतीय रिज़र्व बैंक के 80 वर्ष : वित्तीय समावेशन सम्मेलन

रिज़र्व बैंक ने 02 अप्रैल 2015 को मुंबई में वित्तीय समावेशन सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। सम्मेलन में उपस्थित अन्य गण्यमान्य लोगों में बैंकिंग तथा वित्त जगत के विशेषज्ञों के अलावा महाराष्ट्र के राज्यपाल, भारत के वित्त मंत्री तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शामिल थे। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी ने भारतीय रिज़र्व बैंक का संक्षिप्त इतिहास : 1935-1981 का विमोचन किया।

प्रधानमंत्री जी ने रिज़र्व बैंक की स्थापना का शताब्दी वर्ष पूर्ण होने तक चरणबद्ध ढंग से लक्ष्य निर्धारित करते हुए वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रिज़र्व बैंक को प्रोत्साहित किया।

सम्मेलन के हिस्से के रूप में निम्नलिखित विषयों पर पैनल चर्चाएं आयोजित की गईं : (i) 'वित्तीय समावेशन-सभी प्रयत्नों का असर होने दें'; (ii) 'वित्तीय समावेशन के लिए कारोबारी मामला तैयार करना - क्या आगे की राह बीसी मॉडल है ?'; (iii) 'वित्तीय समावेशन - आगे की राह'; (iv) 'वित्तीय समावेशन, वित्तीय साक्षरता और उपभोक्ता संरक्षण के अंतर्संबंध'। विचार-विमर्श से उभर कर आई कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :

- वित्तीय समावेशन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार, रिज़र्व बैंक तथा बैंकों के मिलेजुले प्रयासों की आवश्यकता है। इस लक्ष्य को साकार करने के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण, नवोन्मेषी माध्यमों/ प्रौद्योगिकी तथा बीसी मॉडल का ईष्टतम प्रयोग करने के मिलेजुले रूपों का प्रयोग किया जाना होगा।
- बीसी मॉडल से संबद्ध जोखिमों को सुरक्षित प्रणाली की स्थापना, समुचित प्रौद्योगिकी का प्रयोग, प्रभावी पर्यवेक्षण, दक्ष नकदी प्रबंध सेवाएं तथा क्षमता निर्माण करके कम किया जा सकता है।
- ग्राहकों द्वारा प्रौद्योगिकी की स्वीकार्यता के स्तर को बढ़ाने के लिए बैंकरों की ओर से निरंतर वित्तीय साक्षरता के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता होगी।
- अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों के बारे में ग्राहकों की जागरुकता होना उपभोक्ता संरक्षण के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने का अभिन्न अंग है। इसके लिए बैंकों को मजबूत आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली का विकास करने की भी अनिवार्यता होगी।

सारणी IV.6: वित्तीय समायोजन योजना - आरआरबी सहित सभी बैंकों की प्रगति का सारांश

विवरण	मार्च 2010 को समाप्त वर्ष	मार्च 2014 को समाप्त वर्ष	मार्च 2015 को समाप्त वर्ष	अप्रैल 2014 से मार्च 2015 तक प्रगति
1	2	3	4	5
गांवों में बैंकिंग केंद्र - शाखाएं	33,378	46,126	49,571	3,445
गांवों में बैंकिंग केंद्र - शाखा रहित मोड	34,316	337,678	504,142	166,464
गांवों में बैंकिंग केंद्र - कुल	67,694	383,804	553,713	169,909
बीसी के माध्यम से कवर किए गए शहरी स्थान	447	60,730	96,847	36,117
शाखाओं के माध्यम से मूलभूत बचत बैंक जमा खाता (संख्या मिलियन में)	60.2	126.0	210.3	84.3
शाखाओं के माध्यम से मूलभूत बचत बैंक जमा खाता (राशि · बिलियन में)	44.3	273.3	365.0	91.7
बीसी के माध्यम से मूलभूत बचत बैंक जमा खाता (संख्या मिलियन में)	13.3	116.9	187.8	70.9
बीसी के माध्यम से मूलभूत बचत बैंक जमा खाता (राशि · बिलियन में)	10.7	39.0	74.6	35.6
कुल बीएसबीडीए (संख्या मिलियन में)	73.5	243.0	398.1	155.1
कुल बीएसबीडीए (राशि · बिलियन में)	55	312.3	439.5	127.3
बीएसबीडीए में ओडी सुविधा का लाभ लिया गया (संख्या मिलियन में)	0.2	5.9	7.6	1.7
बीएसबीडीए में ओडी सुविधा का लाभ लिया गया (राशि · बिलियन में)	0.1	16.0	19.9	3.9
केसीसी (संख्या मिलियन में)	24.3	39.9	42.5	2.6
केसीसी (राशि · बिलियन में)	1,240.1	3,684.5	4,382.3	697.8
जीसीसी (संख्या मिलियन में)	1.4	7.4	9.2	1.8
जीसीसी (राशि · बिलियन में)	35.1	1,096.9	1,301.6	204.7
आईसीटी खातों में बीसीटी लेनदेन (संख्या मिलियन में)*	26.5	328.6	477.0	477.0
आईसीटी खातों में बीसीटी लेनदेन (राशि · बिलियन में)*	6.9	524.4	859.8	859.8

*: वित्तीय वर्ष के दौरान।

लिए प्रयासों को जारी रखना होगा। सभी सरकारी भुगतान बैंकिंग के माध्यम से किए जाएं तो यह संभव है। इससे आगे बढ़ते हुए, ये लेनदेन बैंकिंग तंत्र के माध्यम से करने के लिए बैंकों को समुचित पारिश्रमिक प्रदान किया जा सकता है। इसके अलावा, सभी बैंकिंग सेवाएं अंततः, देश भर में तैयार किए गए बैंकिंग कारोबारियों के विशाल नेटवर्क के माध्यम से प्रदान किए जाने की अपेक्षा किए जाने के कारण यह आवश्यक है कि बैंकिंग कारोबारियों के परिचालनों पर बैंकों द्वारा समुचित नियंत्रण प्रणाली का होना सुनिश्चित किया जाए। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित बैंकिंग कारोबारी मॉडल की सफलता देश भर में समुचित नेटवर्क कनेक्टिविटी पर बहुत अधिक आश्रित है।

ऋण वितरण को सरल बनाना

IV.19 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को कहा गया है कि राशि को ध्यान में रखे बिना, सभी प्रकार के ऋणों के लिए व्यक्तिगत उधारकर्ताओं (एसएचजी एवं जेएलजी सहित) से बेबाकी प्रमाणपत्र लेना बंद करें। बैंकों को ऋण मूल्यांकन में सावधानी बरतने के वैकल्पिक ढांचे को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता रहा है, जिसमें निम्नलिखित में से एक या अधिक समाहित हो सकते हैं - (i) ऋण संबंधी सूचना देने वाली कंपनियों के माध्यम से ऋण के अतीत पर नजर रखना; (ii) स्वयं का घोषणापत्र या उधारकर्ता का घोषणापत्र; (iii) प्रतिभूतिकरण आस्ति पुनर्रचना एवं प्रतिभूत ब्याज (सीईआरएसएआई) का केंद्रीय पंजीयन; (iv) आपसी निगरानी; (v) ऋण प्रदानकर्ताओं के बीच सूचना साझा करना; तथा (vi) सूचना की तलाश (निर्धारित-अपनी समय-सीमा के बाद अन्य ऋण प्रदानकर्ताओं को लिखकर सूचित करना)।

वित्तीय साक्षरता

वित्तीय साक्षरता कैंप

IV.20 रिज़र्व बैंक वित्तीय साक्षरता का विस्तार करने के प्रयास अपने सीधे उपायों के अलावा बैंकों के माध्यम से भी किए जाते हैं। वर्तमान अनुदेशों के अनुसार वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) एवं बैंकों की ग्रामीण शाखाएं से कम से कम महीने में एक वित्तीय साक्षरता कैंप आयोजित करने की अपेक्षा होती है, जिनमें वित्तीय

सारणी IV.7: वित्तीय शिक्षा केंद्रों द्वारा की गई गतिविधियां

विवरण	2013-14 (अप्रैल-मार्च)	2014-15# (अप्रैल-मार्च)
1	2	3
कार्यशील एफएलसी की संख्या	942	1,181
संपन्न गतिविधियों की संख्या *	56,985	84,089
प्रतिभागियों की कुल संख्या*	3,826,068	5,238,358
कैंप में भाग लेने के बाद खाता खोलने वाले प्रतिभागियों की संख्या	उपलब्ध नहीं	1,442,546
कैंप में भाग लेने के समय पहले से खाता धारक प्रतिभागियों की संख्या	उपलब्ध नहीं	2,890,204

* आउटडोर तथा इनडोर -दोनों गतिविधियां शामिल हैं। हालांकि, अप्रैल 2014 से इनडोर गतिविधियां बंद कर दी गई हैं।
: अनंतिम

सारणी IV.8: ग्रामीण शाखाओं द्वारा की गई गतिविधियां

विवरण	2014-15*
1	2
ग्रामीण शाखाओं की संख्या	52,934
कैंप आयोजित करने वाली ग्रामीण शाखाओं की संख्या	32,509
आयोजित किए गए कैंपों की संख्या	306,188
प्रतिभागियों की कुल संख्या	14,826,647
कैंप में भाग लेने के बाद खाता खोलने वाले प्रतिभागियों की संख्या	5,657,092
कैंप में भाग लेने के समय पहले से खाताधारक प्रतिभागियों की संख्या	6,686,518

* : अनंतिम

रूप से वंचित लोगों पर ध्यान केंद्रित किया जाना होता है। इनके अतिरिक्त, बैंकों को ऐसे कैंपों का आयोजन बैंक रहित स्थानों पर करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मार्च 2015 के अंत में, देश में 1,181 एफएलसी कार्यरत हैं जबकि मार्च 2014 के अंत में इनकी संख्या 942 थी। अप्रैल 2014 से मार्च 2015 की अवधि में, बैंकों की 32,509 ग्रामीण शाखाओं द्वारा वित्तीय साक्षरता कैंपों का आयोजन किया गया और एफएलसी तथा बैंकों की ग्रामीण शाखाओं द्वारा आयोजित कैंपों में 5.7 मिलियन प्रतिभागियों के खाते खोले गए (सारणी IV.7 एवं IV.8)।

2015-16 के लिए कार्यसूची

IV.21 आगे चलकर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करने का प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) जारी करने की कार्यप्रणाली क्रियान्वित की जाएगी। इससे बैंकों को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र संबंधी लक्ष्य प्राप्त करने के उपकरण के रूप में मदद मिलेगी तथा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करने में उनके तुलनात्मक लाभों को लिवरेज करने की अनुमति/छूट मिलेगी। वित्तीय समावेशन के लिए मापनीय मध्यावधि (पांच वर्ष) कार्ययोजना तैयार करने के लिए रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन के संबंध में मध्यावधि मार्ग तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है (अध्यक्ष : श्री दीपक मोहंती)। लीड बैंक, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए ऋण गारंटी ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई), केसीसी, एसएचजी और बैंक संबंध तथा बीसी मॉडल जैसी वर्तमान योजनाओं के प्रभावों के मूल्यांकन के लिए अध्ययन किए जाएंगे।

IV.22 वर्ष के दौरान टीआरईडीएस को कार्यान्वित किया जाएगा, जिसकी संकल्पना एमएसएमई के इनवाइसों/विनिमय बिल भुनाने की सुविधा उपलब्ध कराने के प्राधिकृत इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के रूप में की गई है। एमएसएमई क्षेत्र के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण को मजबूत बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए एमएसएमई इकाइयों की देखरेख और पुनरूद्धार करने, इस प्रकार की इकाइयों में ऋण प्रवाह तथा रूग्णता के मिलान एवं विश्लेषण के लिए बैंकों के प्रयासों की निरंतर निगरानी की जाएगी। रिज़र्व बैंक ने 'उद्यमिता-संवेदना' का विकास करने एवं बैंकों की ओर से संपर्क करने वाले कार्यकर्ताओं के कौशल में सुधार लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का प्रस्ताव किया है। इससे, कार्यकर्ताओं को एमएसएमई उद्यमियों की ऋण संबंधी वास्तविक जरूरतों को समझने एवं यथासमय प्रतिक्रिया देने में मदद मिलने की अपेक्षा की जाती है।

V वित्तीय बाज़ारों का विनियमन और विदेशी मुद्रा प्रबंधन

वर्ष 2014-15 में रिज़र्व बैंक ने वित्तीय बाज़ारों में सुधार हेतु कई उपाय किए। इन प्रयासों का उद्देश्य सहभागिता को बढ़ाना, प्रक्रियाओं को सरल बनाना और बाज़ार को गहन, प्रभावी, ऐक्सेस-योग्य और स्थिर बनाना है। समुचित लिखतों और पर्याप्त सहभागिता को महत्व देकर मुद्रा बाज़ार का विकास करना। इसके अलावा, इनका उद्देश्य विदेशी मुद्रा बाज़ार को व्यापक व गहन बनाने में योगदान हेतु विदेशी मुद्रा विनियमों को परिष्कृत व औचित्यपूर्ण बनाना था। डेरिवेटिव बाज़ारों के मामले में 2014-15 के दौरान ओवर द काउंटर एवं एक्सचेंज ट्रेडेड मुद्रा डेरिवेटिवों दोनों में प्रलेखन संबंधी अपेक्षाओं को सरल बनाने और सहभागिता को बढ़ाने के उद्देश्य से उपाय किए गए।

V.1 वित्तीय बाज़ारों को व्यापक व गहन बनाना और उनके विनियमन हेतु समुचित संरचना तैयार करना रिज़र्व बैंक में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। 2014-15 के दौरान 2013-14 की मौद्रिक नीति की दूसरी तिमाही समीक्षा में बताए गए पांच स्तंभों वाले दृष्टिकोण से अपनी विकासात्मक व विनियामक नीतियों के संचालन हेतु रिज़र्व बैंक ने वित्तीय बाज़ार क्षेत्र के, खास तौर पर अस्थिर व अनिश्चित अंतरराष्ट्रीय परिवेश के परिप्रेक्ष्य में, विभिन्न खंडों की चलनिधि, कार्यकलाप और आघात-सहनीयता के स्तर में सुधार करने हेतु कई उपाय किए ताकि ये बाज़ार भारत की संवृद्धि के लिए वित्तपोषण करने में प्रभावी ढंग से मध्यस्थ की भूमिका अदा कर सकें। इन प्रयासों का उद्देश्य सहभागिता को बढ़ाना, प्रक्रियाओं को सरल बनाना तथा बाज़ारों को गहन, प्रभावी, ऐक्सेस-योग्य व स्थिर बनाना है।

V.2 मुद्रा बाज़ार के संदर्भ में मीयादी/रिपो बाज़ारों को और विकसित करने का प्रयास किया गया। जहां तक सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) बाज़ार का प्रश्न है पूर्व की भांति उद्देश्य यह रहा कि चलनिधि की स्थिति बेहतर करना और व्यापक सहभागिता, जिसके अंतर्गत विदेशी निवेशक और निवासी भारतीय शामिल हैं, को साकार करना। विदेशी मुद्रा बाज़ार के परिप्रेक्ष्य में चालू व पूंजी तथा आवक व जावक दोनों प्रकार के लेनदेनों के उदारीकरण पर जोर दिया गया। डेरिवेटिव खंड के संबंध में उद्देश्य यह था कि प्रक्रियाओं को सरल बनाकर सहभागिता को बढ़ाना। रिज़र्व बैंक के तीन विभागों को मुख्यतः वित्तीय बाज़ारों के विकास एवं विनियमन, वित्तीय बाज़ार परिचालनों और विदेशी मुद्रा प्रबंधन की भूमिकाएं सौंपी गई हैं।

वित्तीय बाज़ार विनियमन विभाग (एफएमआरडी)

V.3 वित्तीय बाज़ारों का विनियमन, विकास और निगरानी समेकित तरीके से करने के अधिदेश से 03 नवंबर 2014 को एफएमआरडी की स्थापना की गई। इस विभाग के प्रमुख कार्यकलापों के अंतर्गत मुद्रा, जी-सेक, विदेशी मुद्रा और संबंधित डेरिवेटिव बाज़ारों का विनियमन एवं विकास करना शामिल है। यह विभाग वित्तीय बेंचमार्क संबंधी समिति (अध्यक्ष : श्री. पी. विजय भास्कर) की सिफारिशों को लागू करने, वित्तीय बाज़ार के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने तथा बाज़ार निगरानी के लिए भी जिम्मेदार है। एफएमआरडी के एक अंश के रूप में बाज़ार आसूचना कक्ष की स्थापना करने का प्रस्ताव है। आगे यह विभाग (i) सभी सहभागियों के लिए बाज़ार ऐक्सेस संबंधी मानदंडों को आसान बनाने; (ii) उत्पादों के विकल्पों को बढ़ाने और सभी खंडों पर सहभागिता को बढ़ाने; (iii) वैश्विक मानकों के अनुरूप बाज़ार के बुनियादी ढांचे को मज़बूत बनाने; तथा (iv) नीतिगत निविष्टि के तौर पर बाज़ार विश्लेषण और निगरानी तंत्र का प्रयोग करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

2014-15 के लिए कार्यसूची : कार्यान्वयन की स्थिति

V.4 वर्ष 2014-15 के दौरान एफएमआरडी ने सहभागिता को बढ़ाने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा बाज़ारों को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कई उपाय किए। रिज़र्व बैंक को इस कार्य हेतु परामर्श प्रदान करने के लिए विभिन्न हितधारकों के प्रतिनिधित्व को शामिल करते हुए अप्रैल 2015 में मुद्रा, फोरेक्स और जी-सेक बाज़ार संबंधी तकनीकी परामर्शदात्री समिति (टीएसी) (अध्यक्ष : हारून आर. खान) का गठन किया गया।

V.5 वित्तीय बेंचमार्क संबंधी समिति की सिफारिशों को लागू करने के उद्देश्य से फरवरी 2015 में फाइनैन्शियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) नामक एक नई कंपनी, जिसका प्रवर्तन भारतीय नियत आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्नी संघ (फिम्डा), भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है, का कार्य-संचालन शुरू हुआ। पहले कदम के तौर पर 22 जुलाई 2015 को एफबीआईएल ओवरनाइट मुंबई अंतर-बैंक पेशकश दर (एफबीआईएल-ओवरनाइट माइबोर) की शुरुआत की गई।

V.6 प्रमुख अंतर-बैंक ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) विदेशी मुद्रा डेरिवेटिवों की कीमत व मात्रा की सूचना के प्रकटीकरण हेतु भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) में एक समुचित सार्वजनिक प्रसार प्रणाली की स्थापना की जानी थी। तदनुसार, सीसीआईएल ने 13 अप्रैल 2015 से अमेरिकी डॉलर-भारतीय रुपया वायदा और अमेरिकी डॉलर-भारतीय रुपया करेंसी ऑप्शनों से संबंधित आंकड़ों का प्रचार-प्रसार करना शुरू किया। इस प्रकार प्रसारित आंकड़े सकल आधारित थे, जिनमें टेनर-वार लेनदेन दर शुरुआती, उच्च, निम्न, अंतिम, भारित औसत दर (डब्ल्यूएआर), मात्रा और लेनदेनों की संख्या के रूप में अंतर्निहित अस्थिरता शामिल है (बॉक्स V.1)।

V.7 योजना के अनुसार शॉर्ट सेल के लिए सीमाओं को बढ़ाया गया है और ओटीसी बाज़ार में शॉर्ट सेल करने की अनुमति दी गई

बॉक्स V.1

जी20 की प्रतिबद्धताएं और भारत में ओटीसी डेरिवेटिव बाज़ार में सुधार

वर्ष 2007 के वैश्विक वित्तीय संकट के प्रतिक्रिया स्वरूप जी20 ने वित्तीय प्रणाली के विनियमन और निगरानी को सुदृढ बनाने की दृष्टि से कई सुधारमूलक कदम उठाए तथा वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) को इन कदमों के समन्वय का कार्य सौंपा। सुधारमूलक कदमों के अंतर्गत पारदर्शिता बढ़ाना और ओटीसी डेरिवेटिव बाज़ारों की आघात-सहनीयता को उन्नत बनाना शामिल है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की उप समिति के निदेशानुसार ओटीसी डेरिवेटिवों के लिए गठित एक कार्यान्वयन समूह (अध्यक्षः श्री आर. गांधी) ने इन सुधारमूलक कदमों के लिए रूपरेखा बनाई है।

मानकीकरण

- ऋण चूक स्वैपों (सीडीएस) में अंतर-बैंक व्यापारों और ओवरनाइट माइबोर पर आधारित रुपया ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप (ओआईएस) के मानकीकरण किए जाने के बाद अन्य बेंचमार्कों के लिए संदर्भित ब्याज दर स्वैपों (आईआरएस) को चरणबद्ध रूप से मानकीकृत किया जाएगा।
- विदेशी मुद्रा डेरिवेटिवों के मानकीकरण के संबंध में 2015 के अंत तक कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि वे अक्सर ज़बिल्कुल सादाट स्वरूप के होते हैं और करेंसी स्वैपों, विदेशी मुद्रा में आईआरएस (एफसीवाई) और ब्याज दर ऑप्शनों में बाज़ार चलनिधि कम रहती है।
- एक्सचेंज या इलेक्ट्रॉनिक प्लैटफार्म ट्रेडिंग जैसे-जैसे फोरेक्स ऑप्शनों, करेंसी स्वैपों (सीएस), एफसीवाई-आईआरएस और एफसीवाई व सीडीएस में ब्याज दर ऑप्शनों का विकास होगा वैसे-वैसे ट्रेडिंग प्लैटफार्म शुरू करने की संभावनाओं पर विचार किया जाएगा।

ट्रेड रिपोजिटरी (टीआर) को रिपोर्ट करना

- सभी ओटीसी फोरेक्स और ब्याज दर डेरिवेटिवों, रुपया आईआरएस/वायदा दर करार (एफआरए) और सीडीएस में ग्राहक के लेनदेनों के मामले में एफसीवाई ब्याज दर ऑप्शनों को तब रिपोर्टिंग ढांचे के अंतर्गत लाया जाएगा, जब चलनिधि में बढ़ोतरी होने लगेगी।
- अतः टीआर को ओटीसी डेरिवेटिवों की रिपोर्टिंग संबंधी जी20 प्रतिबद्धता के मामले में भारत पूर्णतः कंप्लाएंट बन गया है।

केंद्रीय समाशोधन

- 80 प्रतिशत से अधिक आईआरएस ट्रेडों को बिना किसी विनियामक अधिदेश के गैर-गारंटीकृत आधार पर केंद्रीय रूप से समाशोधित किया जाता रहा है। आईआरएस ट्रेडों के लिए समाशोधन आधारित केंद्रीय प्रतिपक्षकार (सीसीपी) उपलब्ध कराने हेतु सीसीआईएल को सिद्धांततः अनुमोदन दिया गया है, जिसका परिचालन शीघ्र ही शुरू होगा।
- फोरेक्स डेरिवेटिवों के मामले में फोरेक्स वायदों के सीसीपी समाशोधन को अनिवार्य बना दिया गया है। फोरेक्स ऑप्शनों के लिए सीसीपी समाशोधन, सीएस, आईआरएस और एफसीवाई में ब्याज दर ऑप्शनों तथा सीडीएस, जिनमें चलनिधि कम रहती है, की समीक्षा 2015 के अंत तक की जाएगी।

मार्जिन अपेक्षाएं

- ओटीसी डेरिवेटिवों, जिनके अंतर्गत सीडीएस भी शामिल है, के लिए विस्तृत तौर-तरीके मार्जिन अपेक्षाओं और अन्य अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों से संबंधित बासेल कार्य समूह की सिफारिशों पर विचार करने के बाद विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

गैर-केंद्रीकृत ओटीसी डेरिवेटिवों के लिए पूंजी अपेक्षाएं

- सीसीपी को दिए गए बैंकों के एक्सपोज़र के लिए पूंजी अपेक्षाओं संबंधी नियम 01 जनवरी 2014 से लागू हुए हैं, जिनके कारण केंद्रीकृत समाशोधित उत्पादों के लिए पूंजी अपेक्षाएं कम हुई हैं। इसके अलावा, गैर-केंद्रीकृत समाशोधित डेरिवेटिवों के लिए ऋण मूल्यांकन समायोजन (सीवीए) पूंजी प्रभार को भी लागू कराया गया है।

है। प्रतिवर्ती रिपो के अंतर्गत अर्जित की गई जी-सेक का री-रिपो करने की भी अनुमति दी गई है। जी-सेक में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की सहभागिता को सुसाध्य बनाना इस वर्ष का एक प्रमुख अधिदेश रहा। इस संबंध में एफपीआई को द्वितीयक बाज़ार में किसी प्रतिपक्षकार से सीधे जी-सेक अर्जित करने की अनुमति दी गई और इस प्रक्रिया में किसी दलाल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जी-सेक में सभी एफपीआई लेनदेनों का निपटान टी+2 आधार पर करने की अनुमति दी गई है। एफपीआई को अपने निवेश पर प्राप्त कूपनों का जी-सेक की मौजूदा सीमा के बाहर पुनर्निवेश करने की अनुमति दी गई तथा उन्हें ऐसी कर्ज प्रतिभूतियों पर कूपन रसीदों को हेज करने की भी अनुमति दी गई जो आगामी 12 माह में देय होने वाली हों।

V.8 नए उत्पादों की शुरुआत और बाज़ारों को व्यापक बनाने के उद्देश्य से एक्सचेंजों में भारत सरकार की ऐसी प्रतिभूतियों पर 6-वर्षीय और 13-वर्षीय नकद निपटान ब्याज दर फ्यूचर्स (आईआरएफ) के लेनदेन की अनुमति दी गई जिनकी अवशिष्ट परिपक्वता अवधि क्रमशः 4-8 वर्ष और 11-15 वर्ष हो। ब्याज दर ऑप्शन प्रारंभ करने हेतु एक कार्यसमूह (अध्यक्ष : प्रो. पी.जी. आप्टे) का गठन किया गया है।

V.9 फोरेक्स बाज़ारों में प्रलेखन कार्य को कम बोझिल बनाने की दृष्टि से हेजिंग संस्था के सांविधिक लेखापरीक्षकों से अपेक्षित प्रमाणीकरण के स्थान पर उस संस्था के पदनामित अधिकारियों से ओटीसी और एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव (ईटीसीडी) बाज़ार दोनों में वचन-पत्र लिया जाने लगा है। ओटीसी और ईटीसीडी बाज़ारों में आयातकर्ताओं के लिए हेजिंग की पात्र सीमाएं उनके पिछले कार्यनिष्पादन के आधार पर निर्यातकों के लिए निर्धारित सीमाओं के बराबर लाई गईं। बिना किसी अंतर्निहित एक्सपोज़र तैयार करने की अपेक्षा के एक्सचेंजों पर अनुमेय पोजीशन सीमाओं को बढ़ाकर अमेरिकी डॉलर-भारतीय रुपया के लिए 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर तथा अन्य सभी करेंसी-युग्मों के लिए 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर कर दिया गया है।

V.10 विदेशी संस्थाओं की ऑनशोर हेजिंग बाज़ारों तक पहुंच को बढ़ाने के उद्देश्य से बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) के ऋणदाताओं को अपने विदेशी बैंक के साथ स्वैप लेनदेन करने की अनुमति दी गई, जिससे भारत में स्थित श्रेणी-। के प्राधिकृत व्यापारी (एडी) बैंक के साथ ऋण समर्थित ऋण स्वैप लेनदेन किया जा सकेगा। ब्याज दर स्वैप्स (आईआरएस) में पारदर्शिता में सुधार लाने तथा भागीदारी को व्यापक बनाने के उद्देश्य से, आईआरएस करारों के लिए एक नामरहित इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्लेटफॉर्म 03 अगस्त, 2015 की सीसीआईएल द्वारा गारंटीशुदा निपटान के साथ प्रारंभ किया गया है जिसे एक दिनी माईबोर बेंचमार्क से संदर्भित किया गया है।

V.11 जहां तक कार्यान्वयन के लिए पहचाने गए कुछ क्षेत्रों का संबंध है हालांकि कार्रवाई शुरू की जा चुकी है फिर भी कार्यान्वयन पूरा नहीं हुआ है। तयशुदा लेनदेन प्रणाली ऑर्डर-मैचिंग (एनडीएस-ओएम) प्लैटफार्म के अपग्रडेशन के मामले में सीसीआईएल को आवश्यक अनुमोदन दे दिए गए हैं। इस उद्देश्य के लिए संरचना, मेसेजिंग ढांचे और प्रौद्योगिकी की बुनियादी संरचना को अंतिम रूप दे दिया गया है, वहीं सॉफ्टवेयर का विकास अंतिम चरण में है।

V.12 भारत सरकार की कर्ज प्रतिभूतियों के लिए अंतरराष्ट्रीय निपटानों की संभावनाओं का पता लगाना एक और योजनाबद्ध कार्रवाई रही। इस संबंध में भारत सरकार तथा यूरोक्लियर और क्लियरस्ट्रीम जैसी प्रमुख केंद्रीय सुरक्षा डिपाजिटरियों (आईसीएसडी) के साथ निरंतर विचार-विमर्श किया गया। सभी प्रकार की चिंताओं को दूर करने वाला एक व्यवहार्य तंत्र 2015-16 के दौरान शुरू होने की संभावना है।

वर्ष 2015-16 के लिए कार्यसूची

V.13 कर्ज प्रतिभूतियों में एफपीआई निवेश के लिए सीमा तय करने की पद्धति में पिछले कई वर्षों में बदलाव हुआ है। रिज़र्व बैंक भारत सरकार के साथ परामर्श करके ये सीमाएं तय करने की संरचित प्रक्रिया शुरू करने के साथ ही आवधिक समीक्षाओं का ढांचा तैयार करना चाहता है। जी-सेक में रिटेल सहभागिता को बढ़ाने पर रिज़र्व बैंक अपना ध्यान केंद्रित करता रहा है। सहायक सामान्य खाताबही (एसजीएल) के रूप से डीमैट रूप में तथा विलोमतः प्रतिभूतियों के निर्बाध अंतरण को साकार करने की दृष्टि से यह घोषणा की गई कि डीमैट खातेदारों को एनडीएस-ओएम पर लेनदेन करने का विकल्प

उपलब्ध कराया जाएगा। दिसंबर 2015 तक उपायों पर कार्रवाई करने हेतु सभी स्टेकहोल्डरों के प्रतिनिधियों को समाहित करते हुए एक कार्यान्वयन समूह का गठन किया गया है।

V.14 गहन व चलनिधि संपन्न कॉर्पोरेट बॉण्ड बाज़ार सदा ही भारत सरकार और वित्तीय विनियामकों के नीतिगत लक्ष्य का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। कॉर्पोरेट बॉण्डों में रिपो को मूर्त रूप देने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक प्लैटफार्म की शुरुआत किए जाने पर विचार किया जाएगा। ओटीसी फोरेक्स बाज़ार में ऑपशन्स खंड को चलनिधि उपलब्ध कराने तथा सर्वांगीण सहभागिता को बढ़ावा देने की दृष्टि से निर्यातकों और आयातकों को अपने संविदागत एक्सपोज़रों पर ऑप्शनों का रक्षित अधिलेख (राइट कवर) करने की अनुमति देने संबंधी अंतिम दिशानिर्देश सितंबर 2015 तक जारी किए जाएंगे। ब्याज दर ऑप्शनों संबंधी कार्य समूह की सिफारिशों के आधार पर अंतिम दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे। बाज़ार के सहभागियों के लिए बेंचमार्क सब्मिशन प्रथाओं के मूल्यांकन का ढांचा भी 2015-16 के दौरान निर्धारित किया जाएगा।

वित्तीय बाज़ार परिचालन विभाग (एफएमओडी)

V.15 संगठनात्मक पुनर्संरचना के एक भाग के रूप में निगरानी कार्य को अलग करने की दृष्टि से 3 नवंबर 2014 को पूर्ववर्ती वित्तीय बाज़ार विभाग (एफएमडी) से एफएमओडी की स्थापना की गई। इससे एफएमओडी प्रमुखतः परिचालनात्मक विभाग बन गया जो वित्तीय बाज़ार परिचालनों को दक्षतापूर्वक पूरा करने के लिए जिम्मेदार है। एफएमओडी की भूमिका तेजी से बढ़ती वास्तविक अर्थव्यवस्था को सहायता प्रदान करने हेतु सक्रिय, कारगर और स्थिर वित्तीय बाज़ारों को साकार करने की है।

वर्ष 2014-15 के लिए कार्यसूची : कार्यान्वयन की स्थिति

V.16 एफएमओडी को प्रमुख रूप से रिज़र्व बैंक की नीतियों के अनुसार बाज़ार परिचालन करने का कार्य सौंपा गया है। पिछले वर्षों की भांति वर्ष 2014-15 की कार्य-सूची में भी हाजिर और वायदा खंडों दोनों में अपने परिचालनों के माध्यम से फोरेक्स बाज़ार में सुव्यवस्थित परिस्थिति बनाए रखने को काफी महत्व दिया गया। चलनिधि प्रबंध परिचालनों के माध्यम से वित्तीय प्रणाली में चलनिधि को समुचित स्तर पर बनाए रखने की दिशा में भी प्रयास किए गए। इसके अंतर्गत चलनिधि समायोजन सुविधा (स्थिर/परिवर्ती दर रिपो/विभिन्न स्वरूप के प्रतिवर्ती रिपो) और ओवरनाइट सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ), अन्य स्थायी सुविधाएं तथा खुला बाज़ार परिचालन (ओएमओ) शामिल हैं ताकि मौद्रिक नीति संकेतों का संचरण अधिक कारगर तरीके से करने की दृष्टि से मुद्रा बाज़ार की दरों एवं नीति दरों के बीच सामंजस्य स्थापित किया जा सके। वित्तीय बाज़ारों और बाज़ार परिचालनों में हो रही गतिविधियों के संबंध में नियमित आधार पर विश्लेषण और अनुसंधान भी किए गए।

V.17 वर्ष 2014-15 के दौरान रुपया की विनिमय दर में स्थिरता दिखाई पड़ी, जबकि पिछले वर्ष जुलाई-अगस्त 2013 के दौरान रुपया में टैपर टेंट्रम की वजह से अत्यंत उतार-चढ़ाव हुआ। बेहतर चलनिधि प्रबंध के लिए सितंबर 2014 में चलनिधि समायोजन सुविधा में परिवर्तन किया गया जिसके साथ ही दुरुस्ती की दृष्टि से परिवर्ती दर रिपो/प्रतिवर्ती रिपो नीलामियों के उपयोग के अलावा अधिक बारंबार विविध अवधि की मीयादी रिपो नीलामियां आयोजित की गईं। इन कदमों ने मुद्रा बाज़ार में अस्थिरता को कम करने और मुद्रा बाज़ार की दरों को नीति दरों के बिलकुल करीब लाने में मदद की।

वर्ष 2015-16 के लिए कार्यसूची

V.18 इस विभाग का उद्देश्य चलनिधि प्रबंध परिचालनों को कारगर ढंग से पूरा करने, विदेशी मुद्रा परिचालन करने, जिसके अंतर्गत कारगर तरीके से मध्यक्षेप करना भी शामिल है, और वित्तीय बाज़ारों पर नीति-उन्मुख अनुसंधान करने के लिए प्रयास करते रहना है। इस विभाग का उद्देश्य सुचारु एवं अधिक लोचदार चलनिधि प्रबंध परिचालनों को साकार करने के लिए प्रौद्योगिकीय अपग्रडेशन करना भी है।

विदेशी मुद्रा विभाग (एफईडी)

V.19 बढ़ते वैश्वीकरण और उभरती कारोबार प्रथाओं और मॉडलों के मद्देनज़र विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए निवासी भारतीयों और अनिवासी भारतीयों की आवश्यकताओं के बीच तालमेल बिठाना ज़रूरी है। चूंकि अल्पावधि से मध्यम अवधि में भारत को पूंजी घाटे की

स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, अतः विनियामक व्यवस्था के अंतर्गत एक ऐसा ढांचा होना चाहिए जो सरल, व्यापक व सिद्धांतों पर आधारित हो ताकि विनियामक लागत में कमी की जा सके और कारोबार भी निर्बाध रूप से चलाया जा सके। इसका कार्यान्वयन पूंजी खाता उदारीकरण की दिशा में प्रगति हासिल करने के अतिमहत्वपूर्ण सिद्धांत के तहत रहते हुए तथा समष्टि-विवेकपूर्ण स्थिरता संबंधी अड़चनों की परिस्थिति में किया जाना चाहिए। रिज़र्व बैंक के अंतर्गत एफईडी इस प्रयोजन के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है।

वर्ष 2014-15 की कार्यसूची : कार्यान्वयन की स्थिति

V.20 बाह्य क्षेत्र में सामान्य स्थिति की बहाली को देखते हुए रिज़र्व बैंक ने 2013-14 में उठाए गए कई आपातकालीन कदमों को वापस लिया तथा चालू खाता घाटे के वित्तपोषण के लिए मज़बूत व स्थिर पूंजी प्रवाहों को सुनिश्चित करने और अर्थव्यवस्था की निवेश संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तपोषण में अनुपूरक बचतों पर ध्यान केंद्रित किया। वर्ष 2014-15 में विदेशी निवेश व्यवस्था को और सरल बनाने तथा देशी फर्मों व विदेशी निवेशकों दोनों के लिए उसे और अधिक प्रयोक्ता-अनुकूल बनाने की दिशा में प्रयास किए गए। ईसीबी के मौजूदा ढांचे की समीक्षा पर भी विचार किया गया।

एफडीआई में छूट और एफपीआई व्यवस्थाएं

V.21 किसी भारतीय कंपनी द्वारा अंशतः अदा किए गए इक्विटी शेयरों और वारंटों के संबंध में एफडीआई और एफपीआई के लिए पात्र लिखतों की नीति की समीक्षा करने के बाद यह अनुमति दी गई कि उन्हें एफडीआई और एफपीआई योजनाओं के प्रयोजन से पात्र लिखत के रूप में माना जाए। एफडीआई ढांचे में और अधिक स्वतंत्रता व लचीलापन लाने की दृष्टि से सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में शेयरों, जो विकल्प खंडों वाले अनिवार्यतः परिवर्तनीय अधिमान शेयर/डिबेंचर हों या जो बगैर विकल्प खंडों वाले (आश्वस्त प्रतिफल के बिना) हों, के निर्गम व अंतरण के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार तथा गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मूल्य-निर्धारण पद्धति के अनुसार स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर कीमत तय करने की अनुमति दी गई। इसके अलावा, भारतीय कंपनियों को उनके द्वारा देय ऐसी निधियों पर इक्विटी शेयर जारी करने की अनुमति दी गई, जिनके विप्रेषण के लिए फेमा, 1999 या अन्य नियमों/विनियमों या निदेशों के अंतर्गत सरकार या रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमति लेना अपेक्षित नहीं हो।

V.22 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के अनुकूल एफडीआई नीति के अनुसार श्रेणी-। के एडी बैंकों को अनिवासी भारतीय द्वारा निवेशक/निवेशकों द्वारा धारित किसी भारतीय कंपनी के इक्विटी शयरों की गिरवी रखे जाने हेतु अनुमति दी गई ताकि निवासी भारतीय निवेशिती कंपनी को दी गई ऋण सुविधाओं को प्रतिभूत किया जा सके। सरकार द्वारा एफडीआई नीति में घोषित परिवर्तनों के बाद (क) सरकारी अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत रक्षा क्षेत्र में 49 प्रतिशत तक; (ख) स्वचालित मार्ग के अंतर्गत रेलवे बुनियादी ढांचे और चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण में 100 प्रतिशत तक विदेशी निवेशों को सुसाध्य बनाने हेतु विनियमों में संशोधन किया गया। इसके अलावा, बीमा क्षेत्र में एफडीआई के 26 प्रतिशत के पूर्ववर्ती स्तर को बढ़ाकर 49 प्रतिशत कर दिया गया।

V.23 22 जनवरी 2015 को रिज़र्व बैंक ने नई निक्षेपागार रसीद योजना, 2014 अधिसूचित की जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति प्रतिभूतियों को निक्षेपागार रसीदों में अंतरित किए जाने के उद्देश्य से विदेशी निक्षेपागार को पात्र प्रतिभूतियां जारी या अंतरित करने के लिए पात्र बनता है।

ईसीबी के ढांचे की समीक्षा

V.24 ईसीबी के कार्य का दायरा बढ़ाया गया और मान्यता-प्राप्त अनिवासी भारतीय ऋणताओं को पात्र निवासी भारतीय उधारकर्ताओं को भारतीय रुपया में ऋण देने की अनुमति दी गई। यह सुविधा ईसीबी व्यवस्थाओं की संरचना तैयार करने का अवसर प्रदान करने के अलावा उधारकर्ताओं से ऋणदाताओं पर मुद्रा जोखिम अंतरित करती है। ईसीबी की प्राप्तियों के ड्रा-डाउन की व्यवस्था बेहतर ढंग से तैयार करने तथा अनुमत अंतिम प्रयोजनों के लिए उनके परवर्ती उपयोग को साकार करने की दृष्टि से पात्र ईसीबी उधारकर्ताओं को भारत में स्थित श्रेणी-। के एडी बैंकों में मीयादी जमा में ईसीबी प्राप्तियां उपयोग करने तक और अधिकतम छह माह की अवधि के लिए रखने की अनुमति दी गई। ईसीबी जुटाने के लिए पात्र प्रतिभूतियों के सेट को अपेक्षाकृत और व्यापक बनाया गया जिसके

अंतर्गत अचल आस्तियों के अलावा चल आस्तियों तथा वित्तीय प्रतिभूतियों को भी शामिल किया गया।

गैर-ट्रेड जावक विप्रेषणों और यात्रा-संबंधी लेनदेनों का सरलीकरण

V.25 विदेशी संयुक्त उपक्रमों (जेवी), पूर्णतः स्वाधिकृत अनुषंगी संस्थाओं (डब्ल्यूओएस) तथा उप अनुषंगी संस्थाओं के लिए निवासी भारतीयों को निधि आधारित और गैर-निधि आधारित सुविधाएं प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने की दृष्टि से प्रत्यक्ष ओवरसीज़ निवेश (ओडीआई) से संबंधित नीतियों को उधार बनाया गया। इसके अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ अपनी विदेशी एसडीएस के शेयरों का गिरवी रखा जाना और देशी/ विदेशी आस्तियों पर ऋण-भार का सृजन करना भी शामिल है।

V.26 हाल में पूंजी अंतर्वाह में आई तेजी को बनाए रखने तथा समष्टि विवेकपूर्ण प्रबंधन के अंश के रूप में उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत सीमा को 1,25,000 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति प्रति वित्तीय वर्ष के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 2,50,000 अमेरिकी डॉलर कर दिया गया। इसके अलावा, लेनदेनों को आसान बनाने की दृष्टि से विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाते के लेनदेन) नियमावली, 2000, समय-समय पर यथासंशोधित, की तीसरी अनुसूची के अंतर्गत निवासी भारतीयों को उपलब्ध चालू खाते के लिए एक्सचेंज/ विप्रेषणों को निर्मोचित करने की सभी सुविधाएं इस सीमा के अंतर्गत शामिल की गईं।

V.27 नेपाल और भूटान की यात्रा पर जाने वाले लागों को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने की दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति के लिए ₹ 25,000 के मूल्य तक उच्चतर मूल्य वर्ग के नोट ले जाने की अनुमति दी गई। इससे पहले, उक्त दो देशों की यात्रा पर जाने वाले लोगों को बिना किसी सीमा के केवल ₹ 100 तक के मूल्यवर्गों में भारतीय मुद्रा ले जाने की अनुमति दी गई थी।

निर्यात संबंधी आंकड़ा प्रसंस्करण और निगरानी प्रणाली (ईडीएमपीएस)

V.28 आंकड़ों की रिपोर्टिंग को प्रभावी व सरल बनाने के साथ ही निर्यात संबंधी लेनदेनों की अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी निगरानी को मूर्त रूप देने के लिए मार्च 2014 में ईडीपीएमएस शुरू की गई। निर्यात संबंधी सभी लेनदेनों के लिए ईडीपीएमएस में एक एकल मास्टर डेटाबेस है और इसका प्रयोग सर्वसंबंधितों द्वारा किया जाता है (यथा- भारतीय रिज़र्व बैंक, सीमा-शुल्क विभाग और बैंक)। ईडीपीएमएस ने निर्यात संबंधी ऐसे लेनदेनों में रहने वाली विसंगतियों के लंबे अरसे के मुद्दे को कारगर ढंग से दूर कर लिया जिनकी रिपोर्टिंग सीमा-शुल्क विभाग द्वारा की गई हो, लेकिन उनका पता बैंकिंग चैनल में नहीं चला हो।

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी)

V.29 आईएफएससी के कार्यसंचालन को सुसाध्य बनाने हेतु मार्च 2015 में विनियमावली तैयार की गई जिसके अंतर्गत किसी वित्तीय संस्था या वित्तीय संस्था की किसी शाखा को भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति के रूप में माना जाएगा तथा भारत के निवासी व्यक्ति के साथ किए जाने वाले उनके लेनदेनों को उस प्रकार से माना जाएगा जिस प्रकार एक अनिवासी और निवासी भारतीय के बीच होने वाले लेनदेनों को माना जाता हो तथा यह फेमा, 1999 के प्रावधानों के अधीन है।

रुपए में अंकित विदेशी बांड

V.30 कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को 2013 से विदेशी बाज़ारों में रुपया बॉण्ड जारी करने की अनुमति दी गई, जिस पर काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के साथ परामर्श करने के बाद अप्रैल 2015 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में यह निर्णय लिया था कि पात्र भारतीय कॉर्पोरेटों को रुपया मूल्यवर्ग बॉण्ड जारी करने हेतु ईसीबी जुटाने की अनुमति दी जाए। बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं और पात्र उधारकर्ताओं द्वारा रुपया संबद्ध बॉण्डों के विदेशी निर्गम संबंधी ढांचे का प्रारूप सार्वजनिक डोमेन पर रखा गया तथा इससे संबंधित नीति को शीघ्र ही अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।

वर्ष 2015-16 के लिए कार्यसूची

V.31 विदेशी मुद्रा प्रबंध की दिशा में देश द्वारा हासिल की गई प्रगति को ध्यान में रखते हुए तथा कारोबार संचालन को आसान बनाने की दृष्टि से उभरते कारोबार मॉडलों व प्रथाओं तथा फेमा, 1999 के अंतर्गत जारी किए गए विनियमों में तालमेल बिठाना ज़रूरी है। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने प्रस्ताव किया है कि (i) फेमा के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचनाओं, जिनकी शुरूआत पिछले वर्ष

की गई थी, को औचित्यपूर्ण एवं सरल बनाने का कार्य पूरा किया जाए; (ii) प्रश्नाधीन विषय से संबंधित सभी अनुदेशों को समाहित करने वाली मास्टर विनियमावली को और यूज़र फ्रेंडली तरीके से जारी किया जाए; तथा (iii) विदेशी मुद्रा के प्रयोक्ताओं पर पड़ने वाले विनियामक बोझ को कम करने हेतु उसमें प्रस्तुत विवरणियों को युक्तियुक्त बनाया जाए। ईसीबी दिशानिर्देशों को सरल बनाने का कार्य एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तथा रिज़र्व बैंक देशी व विदेशी पूंजी बाज़ारों तक पहुंच बनाने संबंधी ढांचे की समीक्षा करते समय इस समिति की सिफारिशों का ध्यान रखेगा (दूसरा चरण, भाग-।। : विदेशी मुद्रा उधार, रिपोर्ट; III अध्यक्ष : श्री एम.एस. साहू)। रिज़र्व बैंक ईडीपीएमएस के स्थायित्व से प्रोत्साहित होकर सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करके आयात संबंधी आंकड़ा प्रोसेसिंग तथा निगरानी प्रणाली (आईडीपीएमएस) की स्थापना हेतु कार्रवाई शुरू करेगा।

VI विनियमन, पर्यवेक्षण और वित्तीय स्थिरता

आर्थिक मंदी के बाद और क्षेत्र-विशेष से जुड़े कारकों की वजह से, बैंकिंग क्षेत्र आस्ति गुणवत्ता में गिरावट की समस्या से घिर गया है। प्रतिक्रियास्वरूप रिज़र्व बैंक ने प्रारंभिक स्तर पर ही दबाव की पहचान करने और त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए विनियामक और पर्यवेक्षी व्यवस्था को मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। इसके साथ, रिज़र्व बैंक ने निजी क्षेत्र के नए बैंकों और विशिष्ट श्रेणी के बैंकों को अनुमति देते हुए बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा लाने का कार्य किया। आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों को वसूली प्रबंधन के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। साथ ही साथ, गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों और शहरी सहकारी बैंकों के लिए विनियामक व्यवस्था को शेष बैंकिंग क्षेत्र के समरूप बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ग्राहक संरक्षण पर ध्यान देते हुए रिज़र्व बैंक ने ग्राहक अधिकारों का चार्टर जारी किया, जिसमें बैंक ग्राहकों के पांच मूलभूत अधिकारों का प्रतिपादन किया गया है।

VI.1 समीक्षाधीन वर्ष में वित्तीय स्थिरता के लिए वैश्विक स्तर पर जोखिम बढ़ा है - अमरीका की मौद्रिक नीति को सामान्य स्थिति में लाने का कार्य अनिश्चतता से घिरा था, और इसी दौरान वहां से आने वाले तथ्यों पर बाजार में होने वाली प्रतिक्रियाओं ने सेन्टीमेन्ट, आस्ति कीमतों और पूंजी प्रवाह के लिए रिस्क ऑन रिस्क ऑफ स्विच का काम किया; यूरो क्षेत्र और जापान में वित्तीय आस्ति मूल्यों में बड़े उतार-चढ़ाव के साथ अत्यधिक समायोजनशील मौद्रिक नीतियों; और उदीयमान बाजारों वाली अर्थव्यवस्था में वित्तीय संतुलन को फिर से लाने और घरेलू अतिसंवेदनशीलता के प्रबन्धन, अधिकाधिक कॉरपोरेट ऋण-ग्रस्तता और बाजार तथा चलनिधि जोखिमों के बढ़ते एक्सपोजर मौजूद थे। इस पृष्ठभूमि को देखते हुए वित्तीय प्रणाली के बैंकिंग और गैर-बैंकिंग दोनों घटकों पर ध्यान देने के लिए अच्छी तरह से डिजाइन किए गए समष्टिगत विवेकपूर्ण उपाय बहुत महत्वपूर्ण हो गए।

VI.2 वैश्विक और घरेलू गतिविधियों के संयोग से बैंकों की आस्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता पर दबाव को देखते हुए वर्ष 2014-15 के दौरान रिज़र्व बैंक का फोकस विनियामक और पर्यवेक्षी व्यवस्था को मजबूत करने पर था, जिसके लिए इन्हें बासेल-III मानदंडों और अन्य अन्तरराष्ट्रीय मानक निर्धारक निकायों द्वारा स्थापित मानदंडों के साथ समरूप किया गया।

VI.3 प्रौद्योगिकीय समुन्नयन और उधारकर्ताओं के क्रेडिट इतिहास को शेयर करने को बढ़ावा देते हुए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और शहरी सहकारी बैंकों की विनियामक और पर्यवेक्षी व्यवस्था को बैंकिंग प्रणाली के साथ संयोजित करके मजबूत बनाया गया। बैंकिंग संरचना, इसके विशिष्ट डोमेन सहित, में नए प्रतियोगियों यथा लघु वित्त और भुगतान बैंकों को प्रविष्ट करते हुए, और गैर-बैंक प्राधिकृत संस्थानों को अपने दायरे में लाकर भुगतान प्रणाली संरचना की पहुंच का विस्तार करते हुए बैंकिंग संरचना को मजबूत बनाने की कोशिश की गई। रिज़र्व बैंक ने विदेशों में परिचालन कर रहे भारतीय बैंकों और भारत में परिचालन कर रहे विदेशी बैंकों के बीच अधिकाधिक सहयोग को बढ़ाने और पर्यवेक्षी जानकारी को साझा करने के लिए अन्य देशों के पर्यवेक्षी समुदायों के साथ समझौता ज्ञापन/पत्रों के आदान-प्रदान/ सहयोग प्रतिज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।

VI.4 बैंकिंग क्षेत्र में बढ़ती हुई दबावग्रस्त आस्तियों पर प्राथमिकता के स्तर पर ध्यान देना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता थी। शुरुआती सुधारात्मक कार्रवाई के लिए मैकेनिज्म के अलावा, बहु-आयामी रणनीति अपनाई गई, जिसमें पुनर्रचित आस्तियों के लिए उच्चतर प्रावधान, आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों और देनदारी की अपेक्षित पुनर्संरचना करके वसूली प्रबंधन शामिल थे।

VI.5 इस दिशा में वित्तीय मध्यस्थों का विनियमन और पर्यवेक्षण और साथ ही ग्राहकों के हितों का ध्यान रखने वाले रिज़र्व बैंक के विभिन्न विभागों ने वर्ष 2014-15 में अपने लिए कार्य योजना

का कार्यक्रम बनाया। आगामी पैराग्राफों में उनके द्वारा किए गए क्रियाकलापों, निहित चुनौतियों और 2015-16 के आगे की योजना को दर्शाया गया है।

वित्तीय स्थिरता इकाई (एफएसयू)

VI.6 विश्वव्यापी वित्तीय संकट के बाद वित्तीय स्थिरता को बरकरार रखना केन्द्रीय बैंकों का प्रमुख दायित्व हो गया है। जुलाई 2009 में रिज़र्व बैंक की वित्तीय स्थिरता इकाई की स्थापना भारत में वित्तीय विन्यास को मजबूत बनाने, और साथ ही वित्तीय प्रणाली की प्रभावी समष्टि-विवेकपूर्ण निगरानी सुनिश्चित करने के प्रयोजन से की गई। सतत आधार पर समष्टि-विवेकपूर्ण निगरानी, प्रणालीगत दबाव परीक्षण करके और देश में वित्तीय स्थिरता हेतु वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) नामक संस्थागत व्यवस्था को सहायता देने के अलावा वित्तीय स्थिरता की स्थिति के बारे में प्रचार के माध्यम से इस कार्य को पूरा करना परिकल्पित है।

2014-15 की कार्यसूची - कार्यान्वयन की स्थिति

VI.7 2014-15 की योजना के अनुसार - वित्तीय स्थिरता संबंधी दो रिपोर्टों का प्रकाशन हुआ - एक दिसम्बर 2014 में और दूसरी जून 2015 में। यह रिज़र्व बैंक का सतत प्रयास है कि दबाव परीक्षण व्यवस्था में सुधार लाया जाए। तदनुसार समष्टि दबाव परीक्षण पद्धति में प्रयुक्त चरांकों (उदाहरण के लिए थोक मूल्य सूचकांक के स्थान पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग, और मांग दर के स्थान पर भारित औसत लेन्डिंग दर) को परिष्कृत किया गया। इसके अलावा, वित्तीय स्थिरता यूनिट को अन्तरराष्ट्रीय मुद्राकोष के साथ - जोखिम भारित आस्तियों के डायनामिक की मॉडलिंग, और कॉरपोरेट क्षेत्र का संकट और बैंकिंग क्षेत्र पर इसके प्रभाव की मॉडलिंग के क्षेत्रों में संयोजित किया गया ताकि दबाव परीक्षण व्यवस्था में और भी परिष्कार तथा नए प्रागाक्ति मॉडलों का विकास किया जा सके। दबाव ग्रस्त आस्तियों पर जोर देते हुए विद्युत, तथा इस्पात और स्टील उद्योग का विश्लेषण किया गया। इसके अलावा, बैंकिंग प्रणाली की सहनशक्ति का अनुमान लगाने के लिए बैंकिंग क्षेत्र पर इनके प्रभाव का आकलन किया गया।

VI.8 वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की उपसमिति के सचिवालय के रूप में वित्तीय स्थिरता इकाई ने 2014-15 के दौरान उप-समिति की तीन बैठकों का आयोजन किया। उप-समिति की इस सिफारिश पर विचार किया जा रहा है कि ग्राहकों की सभी वित्तीय आस्तियों को सिंगल विन्डो के माध्यम से देखने के लिए 'एकाउन्ट एग्रीगेशन' सुविधा का सृजन करने हेतु व्यवस्था की जाए। उप-समिति में विचार-विमर्श के आधार पर केन्द्रीय प्रतिभूतिकरण रजिस्ट्री, एसेट रीकन्स्ट्रक्शन एन्ड सेक्यूरिटी इन्टरेस्ट ऑफ इंडिया को अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) की केन्द्रीय रजिस्टरी का कार्य सौंपा गया ताकि केवाईसी के लिए दृष्टिकोण और साथ ही पूरे वित्तीय क्षेत्र में इसका अंतर-प्रयोग सुनिश्चित हो सके।

VI.9 राज्य स्तरीय समन्वयन समितियों को मज़बूत बनाने के लिए उप-समिति की सिफारिशों के आधार पर विभिन्न कदम उठाए गए ताकि जमाराशि स्वीकार करने वाली अप्राधिकृत स्कीमों के बारे में बाज़ार आसूचना का प्रभावी प्रचार-प्रसार किया जा सके। बहुत से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण अधिनियम तैयार किया गया।

VI.10 कॉरपोरेटों को बीमा कम्पनियों द्वारा उधार दिए जाने के बारे में सूचना हासिल करने के संबंध में उप-समिति के निर्देशों के आधार पर बीमा कम्पनियों को सूचित किया गया कि वे सेन्ट्रल रिपॉजिटरी ऑफ इन्फार्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट में अभिदाता बनें, जो कि रिज़र्व बैंक द्वारा स्थापित बड़े ऋण से संबंधित सूचना की एक रिपॉजिटरी है।

VI.11 इसके अलावा, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के एक उप-समूह के रूप में कार्य करने वाली वित्तीय स्थिरता इकाई द्वारा अंतर-विनियामक तकनीकी समूह (आईआरटीजी) के लिए सचिवालय का भी कार्य किया जाता है और 2014-15 के दौरान इसने चार बैठकों का आयोजन किया, जिसमें अन्य विषयों के अलावा, एलईआई, गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों का पूंजी बाजार में एक्सपोजर संबंधी रिपोर्टिंग, एकाउन्ट एग्रीगेशन और कॉमन

केवाईसी पर विचार किया गया। आईआरटीजी ने सभी विनियामकों को सूचित किया कि वे अपने क्षेत्राधिकार में चिन्हित संस्था द्वारा एलईआई का प्रयोग अनिवार्य करने पर रोड मैप तैयार करें।

2015-16 की कार्यसूची

VI.12 इसके बाद दिसम्बर 2015 और जून 2016 में एफएसआर के प्रकाशन और समष्टि-विवेकपूर्ण निगरानी करना परिकल्पित है, साथ ही एफएसडीसी की उप-समिति की बैठकों का आयोजन भी किया जाएगा। वित्तीय स्थिरता इकाई द्वारा महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों का विश्लेषण जारी रहेगा। इसके अलावा, यह भी प्रस्तावित है कि दबाव-परीक्षण करने के लिए प्रयुक्त उपायों और तकनीकों की समीक्षा के लिए अन्तरराष्ट्रीय एजेन्सियों / अन्य केन्द्रीय बैंकों के साथ सहकार्य किया जाए।

वित्तीय मध्यस्थों का विनियमन

वाणिज्यिक बैंक : बैंकिंग विनियमन विभाग (डीबीआर)

VI.13 बैंकिंग विनियमन के क्षेत्र में रिज़र्व बैंक का अथक प्रयास है कि प्रबल और सहनशील बैंकिंग प्रणाली सुनिश्चित की जाए जो कि सर्वोत्तम अन्तरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप हो और समाज के सभी वर्गों की वित्तीय और सहसम्बद्ध जरूरतों को दक्षता और प्रभावी ढंग से पूरा करने में सक्षम हो। तदनुसार, इस विभाग ने बैंकिंग संरचना को मजबूत बनाने के लिए 2014-15 में कई उपाय आरंभ किए।

2014-15 की कार्यसूची - कार्यान्वयन की स्थिति

बासेल ।।।- चलनिधि मानक

VI.14 2014-15 के दौरान बासेल ।।। के चलनिधि संबंधी दो अनुपातों को लागू करने में विशेष प्रगति हुई, यथा - चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) जिसे बैंकों के अल्पावधि चलनिधि जोखिम प्रोफाइल में सहनशीलता लाने हेतु निर्धारित किया गया है, और निवल स्थायी वित्तपोषण अनुपात (एनएसएफआर) जिसमें अल्पावधि होलसेल फंडिंग पर अतिनिर्भरता को सीमित करना अपेक्षित है। यद्यपि भारतीय बैंकों के लिए चलनिधि कवरेज अनुपात 1जनवरी 2015 से न्यूनतम 60 प्रतिशत की अपेक्षा के साथ लागू होना है, जबकि 1जनवरी 2018 से न्यूनतम 100 प्रतिशत अपेक्षा के साथ एनएसएफआर को लागू करना निर्धारित है।

बासेल ।।। लीवरेज अनुपात (एलआर)

VI.15 बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) के अनुसार ही रिज़र्व बैंक ने जनवरी 2015 में जोखिम आधरित पूंजी अपेक्षाओं के विश्वसनीय प्रतिपूरक के रूप में लीवरेज अनुपात की संशोधित रूपरेखा जारी की। यद्यपि भारतीय बैंकों के लिए अंतिम न्यूनतम लीवरेज अनुपात उन्हीं फाइनल नियमों के अनुरूप रखा जाएगा, जो बीसीबीएस द्वारा 2017 के अंत में निर्धारित किए जाएंगे, तब तक रिज़र्व बैंक समानांतर परिचालन के तौर पर 4.5 प्रतिशत के सांकेतिक लीवरेज अनुपात के अनुसार और बैंकों द्वारा टीयर1 लीवरेज अनुपात के सार्वजनिक प्रकटीकरण के प्रयोजन से अलग-अलग बैंकों की निगरानी करेगा।

प्रतिचक्रीय पूंजी बफर (सीसीसीबी) व्यवस्था

VI.16 भारत में प्रतिचक्रीय पूंजी बफर के कार्यान्वयन से सम्बंधित दिशानिर्देश जारी किए जा चुके हैं, जिनमें सीसीसीबी के घटकों, सीसीसीबी को क्रियाशील बनाने के निर्णयों के लिए मुख्य और अनुपूरक संकेतकों, और संकेतकों पर आधारित सीसीसीबी का अंशांकन शामिल है। इस बफर अपेक्षा के कार्यान्वयन की घोषणा पहले कर दी जाएगी और चार तिमाहियों का आरंभिक समय दिया जाएगा, ताकि सीसीसीबी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय मिले।

प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण स्वदेशी बैंकों (डी-एसआईबी) के साथ व्यवहार हेतु रूपरेखा

VI.17 प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण वैश्विक बैंकों के अभिनिर्धारण की विश्वव्यापी प्रथा के अनुसार ही रिज़र्व बैंक ने भी डीएसआईबीएस के साथ व्यवहार करने के लिए रूपरेखा जारी की है, जिसमें प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण स्वदेशी बैंकों के अभिनिर्धारण हेतु प्रविधि और प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण स्वदेशी बैंकों के लिए अतिरिक्त विनियामक/पर्यवेक्षी नीति पर विचार किया गया। प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण स्वदेशी बैंकों के रूप में वर्गीकृत बैंकों के नाम प्रतिवर्ष अगस्त माह में प्रकट किए जाएंगे, यह कार्य 2015 में शुरू होगा।

बृहद एक्सपोजर संरचना

VI.18. किसी एकल प्रतिपक्ष या सहसम्बद्ध प्रतिपक्षों के समूह के पास किसी बैंक की आस्तियों के संकेन्द्रण में प्रणालीगत जोखिम

रहता है। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने अन्तरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार संस्थागत व्यवस्था विकसित की है ताकि बड़े एक्सपोजरों से बचाव और सहज उपचारात्मक कार्रवाई को प्रोत्साहित किया जा सके।

कॉरपोरेट बॉन्डों पर आंशिक ऋण बढ़ोतरी

VI.19 वर्ष 2014-15 के दौरान उन तरीकों को तलाशा गया जिनसे अपनी दीर्घावधि संसाधन अपेक्षाओं के लिए कॉरपोरेटों को बैंकों से वित्त पर निर्भरता को कम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसके अनुक्रम में बैंकों को प्रारूपी-दिशानिर्देश जारी किए गए कि निगम-गत बॉण्डों के लिए आंशिक ऋण बढ़ोतरी की जाए। इस बारे में अंतिम दिशानिर्देश तैयार किए जा रहे हैं।

दबावग्रस्त आस्तियों की क्षमता बढ़ाना

VI.20 परियोजनागत वित्त संबंधी विवेकपूर्ण मानदंडों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ अधिकाधिक संरूपित करने की दिशा में बढ़ने हेतु बैंकों को अनुमति दी गई कि

बॉक्स VI.1

बृहद एक्सपोजर संरचना और बाज़ार प्रणाली के माध्यम से ऋण आपूर्ति में बढ़ोतरी से संबंधित चर्चा-पत्र

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संकेन्द्रण जोखिम पर ध्यान देने के लिए प्रतिपक्षों और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए एक्सपोजर संबंधी विनियामक और सांविधिक सीमाओं का निर्धारण किया गया है। सन 1989 से ही रिज़र्व बैंक द्वारा बैकों के एकल और सामूहिक उधारकर्ताओं से संबंधित एक्सपोजर के लिए विनियामक सीमाएं निर्धारित की जा रही है। वर्तमान में एक्सपोजर सीमाएँ पूँजी-निधियों के क्रमशः 15 और 40 प्रतिशत पर रखी गई हैं। अवसंरचनागत वित्तपोषण के लिए अतिरिक्त सीमाओं की अनुमति है। बैंक के बोर्ड के विशेष विवेकाधिकार के तहत एक्सपोजर की ये सीमाएँ पूँजी-निधियों के क्रमशः 25 प्रतिशत और 55 प्रतिशत तक रखी जा सकती हैं। इसके अलावा, प्रतिपक्ष, क्षेत्रगत और क्रियाकलाप आधारित कुछ अन्य एक्सपोजर सीमाएं भी हैं (सारणी 1)।

बृहद एक्सपोजरों के क्षेत्र में अन्तरराष्ट्रीय नियामक समरूपता लाने के उद्देश्य से बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) ने अप्रैल 2014 में 'सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क फॉर मेजरिंग एन्ड कन्ट्रोलिंग लार्ज एक्सपोजर्सट जारी किए जो कि 1 जनवरी 2019 से पूरी तरह से लागू हो जाएंगे। तदनुसार किसी एकल प्रतिपक्ष या सह-संबद्ध प्रतिपक्षों के किसी एक समूह के लिए किसी बैंक के सभी एक्सपोजर परिमाणों का योग हर समय संबंधित बैंक के उपलब्ध पात्र पूंजीगत आधार अर्थात बासेल-III कैपिटल फ्रेमवर्क में परिभाषित मानदंडों को पूरा करने वाली टीयर-I पूंजी की प्रभावी रकम के 25 प्रतिशत से उच्चतर नहीं होना चाहिए।

रिज़र्व बैंक का भी प्रयास है कि भारत में एक्सपोजर सीमाओं (एकल और समूह दोनों) को बीसीबीएस लार्ज एक्सपोजर्स फ्रेमवर्क के अनुरूप किया जाए। लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क के बारे में एक विमर्श-आलेख 27 मार्च 2015 को जारी किया गया था। जिसमें संबंधित पहलुओं के बारे में विचार मांगे गए, जैसे कि बड़े कॉरपोरेटों द्वारा बैंकों से लिए जाने वाले उधारों के अनुपात को प्रतिबंधित करना और उनसे दीर्घावधिक वित्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाजार-व्यवस्था (कॉरपोरेट बॉन्ड, कमर्शियल पेपर, और अन्य लिखतों) का प्रयोग करवाना।

सारणी 1 : प्रमुख एक्सपोजर सीमाएँ

विशिष्ट प्रतिपक्ष/क्षेत्र/क्रियाकलाप	विनियामक एक्सपोजर सीमाएँ
गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां जो मुख्य तौर पर स्वर्ण- आभूषणों के बदले ऋण देने में संलग्न हैं	सीएफ का 7.5 प्रतिशत; अवसंरचना कार्यों हेतु इसे सीएफ के 5 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है।
अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (एएफसी / आईएफसी को छोड़कर)	सीएफ का 10 प्रतिशत; अवसंरचना कार्यों हेतु इसे सीएफ के 5 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है।
पूँजी बाज़ार में प्रत्यक्ष एक्सपोजर	निवल मालियत का 20 प्रतिशत
पूँजी बाज़ार में समग्र एक्सपोजर	निवल मालियत का 40 प्रतिशत
मांग मुद्रा बाजार से उधार लेना	पाक्षिक औसत के आधार पर सीएफ का 100 प्रतिशत ; किसी भी दिन इसे सीएफ के 125 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है।
मांग मुद्रा बाजार को उधार देना	पाक्षिक औसत के आधार पर सीएफ का 25 प्रतिशत; किसी भी दिन इसे सीएफ के 50 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है।
अंतर-बैंक देयताएं	विगत वर्ष की 31 मार्च को निवल मालियत का 200 प्रतिशत ;न्यूनतम 11.25 प्रतिशत सीआरएआर वाले बैंकों के लिए निवल मालियत के 300 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है।
अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी लिखतों में निवेश और निर्गमकर्ता बैंकों/वित्तीय संस्थानों की पूँजी स्थिति के लिए पात्र ।	सीएफ का 10 प्रतिशत*
अन्य बैंक के इक्विटी शेयरों में निवेश	निवेशिती बैंक की इक्विटी पूंजी का 5 प्रतिशत*
लीजिंग, किराया खरीद और फैक्टरिंग सेवाएं	ऐसे प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए बैंक के कुल अग्रिमों का 10 प्रतिशत

*: किसी संविधि के प्रावधानों के तहत किसी अन्य बैंक में एक बैंक/वित्तीय संस्था की इक्विटी होल्डिंग निर्धारित सीमाओं के दायरे से बाहर रहेगी।
एएफसी-आस्ति वित्तपोषण कम्पनियां; आईएफसी-अवसंरचना वित्तपोषण कम्पनियां सीआरएआर: पूंजी और जोखिम भारित आस्तियों का अनुपात; एफआई: वित्तीय संस्थान

(जारी....)

भारत में लार्ज एक्सपोजर वह है जिसमें किसी बैंक को एक प्रतिपक्षी या सह-समबद्ध प्रतिपक्षों के समूह से एक्सपोजर के सभी परिमाणों का योग उस बैंक के पात्र पूंजीगत आधार के 10 प्रतिशत के बराबर या अधिक हो। केन्द्र सरकार, रिज़र्व बैंक, अंतर-दिवसीय एक्सपोजरों, अंतर-समूह एक्सपोजरों और अर्हता प्राप्त सेन्ट्रल काउन्टर पार्टियों के क्लीयरिंग एक्सपोजरों को लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क के तहत लार्ज एक्सपोजर सीमा में शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा, गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों और प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (एसआईबीएस), विश्वव्यापी और स्वदेशी दोनों (जीएसआईबी और डी-एसआईबी), के रूप में प्रतिपक्षों के लिए विभेदीकृत सीमाओं को लागू किया जाता है। एकल नाम वाले प्रतिपक्षों के मामले में बैंकों को उनकी वर्तमान एक्सपोजर सीमा सह-सम्बद्ध प्रतिपक्षों को रिज़र्व बैंक के वर्तमान मानदंडों के तहत केवल 'नियंत्रण' मानदंड के बदले में 'नियंत्रण' के साथ-साथ आर्थिक रूप से आपसी निर्भरता के आधार पर अभिनिर्धारित किया जाएगा। लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क के तहत एक्सपोजरों के आकलन की अनुमति जोखिम आधारित पूंजीगत फ्रेमवर्क तकनीकों के आधारपर क्रेडिट जोखिम लघुकरण (सीआरएम) समायोजन को हिसाब में लेने के बाद दी जाएगी। संरचनागत उत्पादों में अन्तर्निहित प्रतिपक्षों से एक्सपोजर का निर्धारण करने के लिए 'अनुसंधान परक दृष्टिकोण' पर विचार किया जाए।

सबसे बड़े 10 बैंक के सर्वोच्च 20 सामूहिक उधारकर्ताओं के एक्सपोजरों के अध्ययन से प्रकट होता है कि सह-सम्बद्ध प्रतिपक्षों के समूहों को औसत एक्सपोजर इन बैंकों के सीएफ का 10.6 प्रतिशत है, जबकि अनुमेय सीमा सीएफ का 40 प्रतिशत है। टीयर-। पूंजी की दृष्टि से वर्तमान औसत एक्सपोजर 14.75 प्रतिशत है जबकि प्रस्तावित लार्ज एक्सपोजर सीमा 25 प्रतिशत है। इसलिए, यह अनुमान है कि प्रस्तावित लार्ज एक्सपोजर सीमा का अनुपालन करते समय सामूहिक एक्सपोजरों के बारे में बैंकों को किसी महत्वपूर्ण कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा।

एक परियोजना के आरंभिक आर्थिक जीवन के 80 प्रतिशत अंशों तक संरचनागत दीर्घावधि परियोजना ऋण प्रदान करें, इसमें आस्ति-देयता के बीच बेमेलपन, एक सीमा तक निधियों की लागत में बढ़ोतरी से बचने के लिए आवधिक रूप से पुनः वित्तपोषण का और उधारकर्ता संस्था के स्वामित्व में परिवर्तन के परिणामस्वरूप वाणिज्यिक परिचालनों को आरंभ करने की तारीख को बढ़ाये जाने का विकल्प रहे। इन उपायों से आशा है कि परियोजनागत वित्त में जटिलताओं से निपटने में बैंकों की क्षमता में और मजबूती आएगी।

ऋण की युक्तिपूर्ण पुनर्संरचना (एसडीआर)

VI.21 पुनर्संरचना पैकेज के तहत परियोजना को सक्षम बनाने वाले लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल होने वाले खातों के स्वामित्व में परिवर्तन आरंभ करने के लिए बैंकों की क्षमताओं को बढ़ाने के प्रयोजन से रिज़र्व बैंक ने जून 2015 में एसडीआर योजना का सूत्रपात किया। एसडीआर के तहत संयुक्त उधारदाता मंच (जेएलआर) का संरक्षण प्राप्त लेनदार अपनी ऋण की बकाया को रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित कीमत-निर्धारण फार्मूले के अनुसार 'उचित कीमत' पर इक्विटी शेयरों में बदल सकते हैं, कतिपय शर्तों के अधीन इन शेयरों को सेबी के आईसीडीआर (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमावली 2009 से छूट प्राप्त है। इस संपरिवर्तन के बाद संयुक्त उधारदाता मंच में शामिल उधारदाता सामूहिक रूप से प्रमुख शेयरधारक बन जाते हैं। आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के प्रयोजन से एसडीआर को पुनर्संरचना नहीं माना जाएगा। कम्पनी के कार्यों को चलाने के लिए संयुक्त उधारदाता मंच द्वारा उचित व्यवसायी प्रबंधन वर्ग नियुक्त किया जा सकता है और इसमें अपनी होल्डिंग का यथाशीघ्र विनिवेश किया जाना चाहिए। इस बारे में यूनियन बजट 2015-16 में समेकित ऋणशोधन अक्षमता संहिता के प्रस्ताव से संभावित है कि पुनर्संरचना और वसूली प्रक्रिया में तेजी, स्पष्टता, अनुमानपरकता और निष्पक्षता आएगी (बाक्स VI.2)।

इरादतन चूककर्ताओं और असहयोगी उधारकर्ताओं के साथ व्यवहार

VI.22 किसी बैंक/वित्तीय संस्थान से कुल निधि-आधारित और गैर-निधि आधारित रुपए 50 मिलियन की सुविधाएँ लेने वाले इरादतन चूककर्ताओं और असहयोगी उधारकर्ताओं से व्यवहार का नियंत्रण करने वाले विनियमों को 2014-15 के दौरान मज़बूत किया गया और बैंकों/वित्तीय संस्थानों को आदेश दिया गया कि असहयोगी उधारकर्ताओं की शिनाख्त और रिपोर्टिंग के लिए पारदर्शी व्यवस्था तैयार करें।

बैंकिंग डोमेन में दो नए प्रतियोगी

VI.23 स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों में रिज़र्व बैंक ने फरवरी 2013 में निजी क्षेत्र में नए बैंकों को लाइसेंस देने के लिए रूपरेखा तैयार की है। तदनुसार अप्रैल 2014 में इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट फिनान्स कम्पनी लिमिटेड नामक गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी और बंधन फाइनान्शियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नामक गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी (सूक्ष्म वित्त संस्थान) को बैंक स्थापित करने के लिए सैद्धान्तिक अनुमोदन दिए गए। जून-जुलाई 2015 में

बॉक्स VI.2
भारत में बैंकरप्सी प्रक्रिया

सख्त बैंकरप्सी कानूनों से लेनदार-देनदार संबंधों में मजबूती आती हैं क्योंकि इनसे लेनदारों और देनदारों दोनों के अधिकारों का संरक्षण होता है, अनुमान-परकता बढ़ती है, उधार देने के साथ जुड़े हुए जोखिम स्पष्ट हो जाते हैं, और बैंकरप्सी प्रक्रियाओं के माध्यम से ऋण का कुशलतापूर्वक संग्रह सुनिश्चित हो जाता है। यूनियन बजट 2015-16 में बैंकरप्सी कानूनों में सुधारों का अभिनिर्धारण महत्वपूर्ण प्राथमिकता के रूप में किया गया और विश्वव्यापी मानकों के अनुरूप ही समेकित बैंकरप्सी संहिता का प्रस्ताव किया गया ताकि आवश्यक न्यायिक क्षमता का प्रावधान किया जा सके। इससे विधिक निश्चितता, गति और कारोबार में सहजता की बढ़ोतरी संभावित है।

इस समय भारत में कॉरपोरेट बैंकरप्सी के बारे में कोई समेकित नीति/कानून नहीं है। खस्ताहाल कम्पनियों के पुनरुत्थान और पुनर्स्थापन के लिए अपनी सुपरिचित कमियों के बावजूद रुग्ण औद्योगिक कम्पनियाँ (विशेष उपबंध) अधिनियम (एसआइसीए), 1985 अभी तक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कॉरपोरेट पुनर्संरचना कानून के रूप में विद्यमान है। भारत में कॉरपोरेट संरक्षा शासन को सुधारने के लिए अन्य विधायी प्रयासों को अभी तक परिचालन स्तर पर नहीं लाया गया है। उदाहरण के लिए, सभी कम्पनियों के लिए अनुमेय कम्पनी अधिनियम, 2013 के अध्याय-XIX में व्यापक और अधिक संतुलित निगम संरक्षा प्रक्रिया का प्रावधान है, लेकिन इसे अभी तक प्रर्वतन हेतु अधिसूचित नहीं किया गया है। इसी प्रकार रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों के संबंध में शक्तियों के प्रयोग हेतु कम्पनी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002 में राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण का प्रावधान है, जो अभी अधिसूचित किया जाना बाकी है।

विद्यमान कमियों को दूर करने की दृष्टि से अगस्त 2014 में बैंकरप्सी विधि सुधार समिति (बीएलआरसी) (अध्यक्षः श्री टी. के. विश्वनाथन) की स्थापना हुई वर्तमान विधिक संरचना के परीक्षण और तात्कालिक सुधारों का सुझाव देने, और व्यक्तिगत तथा कारोबारी दिवालियेपन के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए भारत हेतु 'दिवालिया संहिता' तैयार करने का कार्य सौंपा गया है अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार बैंकरप्सी विधि सुधार समिति द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं :

- यदि देनदार कम्पनी मांग का नोटिस प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर एकल निर्विवाद ऋण के निर्धारित मूल्य की चुकौती में विफल रहती है, या ऋण चुकाने की अक्षमता की संभावना के आधारों पर पूर्वापेक्षा के रूप में संरक्षित लेनदार द्वारा बचावकारी प्रक्रिया शुरु की जा सकती है।
- ऋण के 25 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करने वाले असंरक्षित लेनदार उस देनदार कम्पनी के खिलाफ बचावकारी प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।
- कम्पनी रुग्ण घोषित हो जाने पर मूल्य में 75 प्रतिशत संरक्षित लेनदार सीधे ही कम्पनी प्रशासक नियुक्त कर सकेंगे।
- कम्पनी अधिनियम 2013 में संशोधन ताकि पुनरुत्थान की योजना की स्वीकृति के समय एक ही वर्ग के लेनदारों से समान व्यवहार हो, और असहमत लेनदार उतना तो प्राप्त करें जितना लिक्विडेशन में प्राप्त करते।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम और विकास अधिनियम, 2006 में संशोधन कर प्रशासनिक व्यवस्था की जाए ताकि बैंकों द्वारा संकटग्रस्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों हेतु समितियों के माध्यम से सक्षम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के वित्तीय संकट का समाधान किया जा सके।
- यूएस और यूके की बैंकरप्सी संहिताओं में बैंकरप्सी घोषित करने के लिए दायर दावों के प्रवर्तन हेतु स्वतः/अंतरिम ऋण स्थगन का प्रावधान है। हालांकि एसआइसीए के तहत स्वतः ऋण स्थगन के साथ समस्याओं को देखते हुए प्रस्ताव है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के वर्तमान प्रावधानों को बरकरार रखा जाए, जबकि ऋण स्थगन देने या नहीं देने के बारे में एनसीएलटी द्वारा विवेक का प्रयोग करने के बारे में स्पष्ट सिद्धान्तों का निर्धारण किया जाए।

भारत में बैंकरप्सी प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने हेतु समेकित और तात्कालिक संरचना बैंकरप्सी विधि सुधार समिति को तैयार करनी होगी। इससे देश में क्रेडिट परिवेश में महत्त्वपूर्ण सुधार होगा।

सन्दर्भः

भारत सरकार (2015), ब्बैंकरप्सी विधि सुधार समिति की अंतरिम रिपोर्ट,ट वित्त मंत्रालय.

आइडीएफसी बैंक लिमिटेड और बंधन बैंक लि. को भारत में बैंकिग कारोबार करने के लिए लाइसेन्स प्रदान किया गया।

विशिष्ट कार्यसाधक बैंकों को लाइसेंस

VI.24 'भुगतान बैंकों' और 'लघु वित्त बैंकों' से संबंधित दिशानिर्देश 27 नवम्बर 2014 को जारी किए गए। ये बैंक 'वशिष्ट' या 'विशिष्ट कार्यसाधक' बैंक है और इनका सामान्य उद्देश्य है वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाना। रिज़र्व बैंक को लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों के लिए क्रमशः 72 और 41 आवेदन प्राप्त हुए हैं जो कि समीक्षाधीन है। अभी 11 आवेदकों को भुगतान बैंक स्थापित करने के लिए सिद्धांत: अनुमोदन प्रदान किया गया है।

अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा सुविधा केन्द्र (आइएफएससी) की सुविधा हेतु नवीन बैंकिंग संरचना

VI.25 गुजरात अन्तरराष्ट्रीय वित्त टेक-सिटी में आईएफएससी की स्थापना करने की भारत सरकार की घोषणा का अनुसरण करते हुए रिज़र्व बैंक ने आईएफएससी बैंकिंग इकाइयाँ स्थापित करने के लिए एक योजना बनाई है। इस योजना के अंतर्गत जीआईएफटी और सुदृढ़ विनियामक ढाँचे वाली अन्य भावी आईएफएससी की संस्थाओं को वित्तीय सेवाएँ प्रदान की जाएंगी। आईबीयू से अपेक्षा है कि वह अनिवासी और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) 1999 के प्रावधानों के अधीन आने वाले निवासियों को भी वित्तीय सेवाएं प्रदान करेगी।

कॉरपोरेट गवर्नेन्स

VI.26 रिज़र्व बैंक द्वारा स्थापित भारत में बैंकों के गवर्नेन्स बोर्डों की समीक्षा समिति (अध्यक्षः डॉ. पी. जे. नायक) की सिफारिशों के अनुसरण में बैंकों को दिशानिर्देश जारी किए गए कि - बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों के लिए अधिकतम आयु-सीमा निर्धारित की जाए; सात महत्वपूर्ण विषयों को समीक्षा कैलेन्डर के स्थान पर लिया जाए; और कार्यपालक से इतर निदेशकों को मुहावज़ा। इसके अलावा, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद को कार्यपालक प्रबंध निदेशक और गैर-कार्यपालक अध्यक्ष दो पदों में विभाजित कर दिया गया है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड में गैर-कार्यपालक अध्यक्ष की नियुक्ति की नवीकृत प्रक्रिया सरकार द्वारा आरंभ की जा चुकी है।

केवाईसी मानदंडों को सरल किया गया

VI.27 अप्रैल 2014 में केवाईसी दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया ताकि बैंक खातों को खोलने और उनके परिचालन में कठिनाइयों को सहज किया जा सके। तदनुसार केवाईसी को नवीकृत करते समय 'कम जोखिम' वर्ग वाले ग्राहक का व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। अपरिवर्तित स्थिति के मामले में 'कम जोखिम' वाले ग्राहकों हेतु नवीकरण करते समय पहचान और पते का नया प्रमाण जरूरी नहीं है। प्रमाण को स्वयं-प्रमाणित करने की अनुमति है और बैंक डाक/मेल से प्राप्त प्रमाणित प्रतिलिपि स्वीकार कर सकते हैं; और यदि कोई केवाईसी अनुपालन कर चुका ग्राहक उसी बैंक में दूसरा खाता खोलने का इच्छुक है तो नए कागजात की जरूरत नहीं है। खाता खोलते समय बैंक अब तृतीय पक्ष की यथोचित सतर्कता पर भरोसा कर सकते हैं, बशर्ते तृतीय पक्ष नियंत्रित और पर्यवेक्षित हो और ग्राहक के साथ यथोचित सतर्कता के अनुपालन हेतु पर्याप्त उपाय किए गए हों।

केवाईसी अनुपालन नहीं होने के मामले में खातों की आंशिक रूप से फ्रीजिंग

VI.28 बार-बार अनुस्मारकों के बावजूद केवाईसी अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं होने के मामले में बैंकों को चाहिए कि ऐसे खातों की चरणबद्ध तरीके से 'आंशिक रूप से फ्रीजिंग' करें ताकि धनशोधन और आंतकवादियों के लिए वित्त व्यवस्था के खतरे को कम किया जा सके। यदि 'आंशिक फ्रीजिंग' के छह माह के बाद भी खाते हेतु केवाईसी का अनुपालन नहीं होता तो बैंक ऐसे खाते को 'निष्क्रिय' कर सकते है। ऐसे खाते को केवाईसी कागज़ात प्रस्तुत करके पुनः संचालित किया जा सकता है।

जमाराशि प्रतिदेयता, विभेदक दरों हेतु एकमात्र मानदंड

VI.29 बैंकों को 16 अप्रैल 2015 से यह अनुमति दी गई है कि वे कतिपय शर्तों के अधीन ₹ 10 मिलियन से कम की जमाराशियों के लिए समयावधि और समयपूर्व-आहरण सुविधा के आधार पर और ₹ 10 मिलियन और इससे अधिक की जमाराशियों पर मात्रा, समयावधि और समयपूर्व-आहरण सुविधा के आधार पर सावधि जमाराशियों पर विभेदक ब्याज दर दे सकते हैं। हालांकि व्यक्तियों से संबद्ध ₹ 1.5 मिलियन और इससे कम की सभी सावधि जमाराशियों (एकल अथवा संयुक्त रूप से धारित) के लिए समयपूर्व-आहरण सुविधा अनिवार्यतया होनी चाहिए।

दंडात्मक प्रभारों को औचित्यपूर्ण बनाना

VI.30 1 अप्रैल 2015 से बैंकों से अपेक्षित है कि निष्क्रिय बचत खातों में न्यूनतम शेष नहीं रखने के लिए दंडात्मक प्रभार लगाने से पहले ग्राहक को एसएमएस/ईमेल/पत्र द्वारा सूचित करें। इसके अलावा, दंडात्मक प्रभारों को प्रत्यक्ष रूप से पाई गई कमी की सीमा

के समानुपात में होना चाहिए और ग्राहक को नोटिस देने की तारीख से एक माह के बाद लगाया जाना चाहिए।

बीमा उत्पादों का वितरण

VI.31 बीमा वितरण क्रियाकलापों का संचालन करने वाले बैंकों को ग्राहक संरक्षण हेतु विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए, उदाहरण के लिए - जब ग्राहक कोई उत्पाद खरीदने की इच्छा प्रकट करे केवल तभी बीमा उत्पाद बेचते समय ग्राहक की उपयुक्तता सुनिश्चित की जाए, कमीशन/प्रोत्साहन राशि का भुगतान सीधे ही स्टाफ को किए जाने पर निषेध, बीमाकर्ता से अर्जित ब्रोकरेज/शुल्क का प्रकटीकरण करने में पारदर्शिता, केवाईसी दिशानिर्देशों का अनुपालन और शिकायतों के निवारण की मज़बूत व्यवस्था की जरूरत।

2015-16 की कार्यसूची

VI.32 2014-15 में विनियामक क्रियाकलापों का मार्गदर्शन करने वाली स्थिति को जारी रखते हुए आगामी वर्ष बढ़े एक्सपोजर की पद्धति और एनएसएफआर हेतु फाइनल फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन प्रस्तावित है। इसके अलावा, प्रतिपक्ष से क्रेडिट जोखिम एक्सपोजरों, पिलर-3 प्रकटीकरणों और प्रतिभूतिकरण फ्रेमवर्क पर विचार विमर्श हेतु प्रारूपी दिशानिर्देश रिज़र्व बैंक जारी करेगा। ये विनियम अपने-अपने क्षेत्रों में संशोधित बीसीबीएस के मानदंडों को प्रकट करेंगे।

VI.33 अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक अंगीकार कर चुके बैंकों के लिए अनुमेय लेखांकन मानकों के समानुरूपण की दिशा में भी रिज़र्व बैंक उचित उपाय आरंभ करेगा। लघु वित्त बैंकों/भुगतान बैंकों की स्थापना करने हेतु उपयुक्त आवेदकों को सिद्धान्त रूप से अनुमोदन जारी किए जाएंगे, जबकि उनके लिए विनियामक रूपरेखा का निरूपण किया जाएगा। स्थानीय क्षेत्र बैंकों (एलएबी) के भविष्य पर परामर्श प्रक्रिया आरंभ की जाएगी, जबकि यूनिवर्सल बैंकों की ऑन टैप लाइसेंसिंग के लिए प्रारूपी दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।

VI.34 सरकारी क्षेत्र के बैंकों में परिलब्धियों और व्यवसायीकरण सहित गर्वनेन्स सुधारों के बारे में नायक समिति की कुछ प्रमुख सिफारिशों का कार्यान्वयन आगे बढ़ाया जाएगा। अधिक प्रभावी मौद्रिक अंतरण के लिए बैंकों द्वारा अपनी आधार-दर के निर्धारण हेतु समय-बद्ध रीति से निधियों की सीमांत लागत आधारित निर्धारण हेतु प्रेरित किया जाएगा। इसके अलावा, भारत में विदेशी बैंकों की मौजूदगी के बारे में वर्तमान रूपरेखा की समीक्षा उदीयमान अन्तरराष्ट्रीय गतिविधियों के साथ-साथ अब तक प्राप्त अनुभवों के अनुसार की जाएगी। नवम्बर 2013 में जारी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक इकाई रूपरेखा के विभिन्न पक्षों के बारे में बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न जारी किए जाएंगे ताकि अतिरिक्त स्पष्टता आ सके। निजी क्षेत्र के बैंकों में स्वामित्व के बारे में भी दिशानिर्देश तैयार किए जाएँगे जिसमें मताधिकार की अधिकतम सीमा को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करना भी शामिल होगा।

सहकारी बैंक - सहकारी बैंक विनियमन विभाग (डीसीबीआर)

VI.35 भारतीय वित्तीय प्रणाली में शहरी सहकारी बैंक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए रिज़र्व बैंक ने हमेशा यह प्रयास किया है कि विनियामक और पर्यवेक्षी रूपरेखा को मज़बूत बनाया जाए ताकि वे गवर्नेन्स की दृष्टि से वित्तीय रूप में मजबूती से सामने आएं। राज्य सहकारी बैंकों और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के अलावा शहरी सहकारी बैंकों के लिए विनियम बनाने में सहकारी बैंक विनियमन विभाग अग्रणी भूमिका निभाता है।

2014-15 की कार्यसूची : कार्यान्वयन की स्थिति

VI.36 सहकारी बैंक विनियमन विभाग के 2014-15 की कार्यसूची में पर्यवेक्षी कार्रवाई की संशोधित रूपरेखा निर्धारित करने, शहरी सहकारी बैंकों को वाणिज्य बैंकों में संपरिवर्तित करने और शहरी सहकारी बैंकों की आस्तियों और देयताओं को वाणिज्य बैंकों द्वारा टेक-ओवर करने में सुविधा हेतु विधिक/विनियामक संशोधनों पर फोकस किया गया है। तदनुसार 2014-15 में पर्यवेक्षी कार्रवाई की संशोधित रूपरेखा तैयार की गई। शहरी सहकारी बैंकों को वाणिज्य बैंकों में संपरिवर्तित करने में सुविधा के लिए विधिक संशोधनों के बारे में यद्यपि कम्पनी अधिनियम 2013 में समर्थनकारी प्रावधान हैं, तथापि बहुराज्यीय सहकारी अधिनियम में तदनुरूपी प्रावधानों की जरूरत है, जिनके बारे में सरकार के साथ विचार चल रहा है।

वाणिज्य बैंकों द्वारा शहरी सहकारी बैंकों की आस्तियों और देयताओं को टेकओवर करने के बारे में वर्ष के दौरान विनियमों में आवश्यक सुधार किए गए। यह वाणिज्य बैंकों को उचित कीमत के आधार पर प्रयास को पूरा करने लायक बनाता है। वर्ष के दौरान अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियां इस प्रकार रहीं :

आरक्षित निधि अपेक्षाएँ

VI.37 बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम 2012 लागू होने के अनुसरण में गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों हेतु नकदी आरक्षित निधि अनुपात अपेक्षाओं और सभी शहरी सहकारी बैंकों हेतु सांविधिक चलनिधि अनुपात अपेक्षाओं को वाणिज्यिक बैंकों के समानुरूप किया गया। तदनुसार शहरी सहकारी बैंकों से अपेक्षित था कि वे 31 मार्च 2015 तक निर्दिष्ट सांविधिक चलनिधि अनुपात का अनुपालन करें। राज्य सहकारी बैंकों / जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के पास जमा-राशियों और सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पास जमा सावधि जमाराशियों को 1अप्रैल 2015 से सांविधिक चलनिधि अनुपात में शामिल करने का पात्र नहीं माना गया है। राज्य सहकारी बैंकों और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों से यह भी अपेक्षित है कि 1 अप्रैल 2015 से केवल अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में सांविधिक चलनिधि अनुपात रखरखाव करें। समीक्षा के बाद उन्हें अनुमति दी गई कि 31मार्च 2017 तक चरणबद्ध रूप में अपनी सांविधिक चलनिधि अनुपात हेतु सावधि जमाराशियों को अनुमोदित प्रतिभूतियों में शिफ्ट करें।

अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को चलनिधि समायोजन सुविधा प्रदान करना

VI.38 चलनिधि प्रबंधन हेतु अतिरिक्त मार्ग प्रदान करने की दृष्टि से 28 नवम्बर 2014 से चलनिधि समायोजन सुविधा का विस्तार उन अनुसूचित सहकारी बैंकों तक किया गया जो कोर बैंकिंग समाधान समर्थित हैं, जिनकी पूंजी और जोखिम भारित आस्तियों का अनुपात (सीआरएआर) कम-से-कम 9 प्रतिशत है और जो चलनिधि समायोजन सुविधा के लिए निर्धारित पात्रता मानदंडों का पूर्णतया अनुपालन करते हैं।

प्रौद्योगिकी अभिग्रहण

VI.39 वित्तीय प्रणाली के साथ समाहित करने और विनियामक रिपोर्टिंग में सुधार लाने के प्रयोजन से शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे 31 दिसम्बर 2014 तक सीबीएस का कार्यान्वयन करें। जून 2015 के अंत तक 1577 में से 1040 शहरी सहकारी बैंकों ने सीबीएस क्रियान्वित किया गया। वित्तीय रूप से सुदृढ़ और सुप्रबंधित (एफएसडब्ल्यूएम) बैंक मानने के लिए सीबीएस के कार्यान्वयन का निर्धारण अतिरिक्त मानदंड के रूप में किया गया है, इस मानदंड का प्रयोग शहरी सहकारी बैंकों को विभिन्न सुविधाएँ प्रदान करने के लिए किया जाता है, जिनमें नई शाखाओं का खोलना भी शामिल है। पारदर्शिता और उद्देश्यपरकता लाने के प्रयोजन से एक बैंक को एफएसडब्ल्यूएम के रूप में वर्गीकृत करने के लिए विगत दो वित्तीय वर्षों के दौरान 'विनियामक सहूलियत' जैसे महत्त्वपूर्ण पहलू को पुन परिभाषित किया गया ताकि मानक विनियामक प्रावधानों की अनुपालन को शामिल किया जा सके।

VI.40 वित्तीय रूप से सुदृढ़ और सुप्रबंधित शहरी सहकारी बैंकों को अपने ग्राहकों को इन्टरनेट बैंकिंग (केवल अवलोकन) सुविधाएँ देने की अनुमति है, बशर्ते वे इन्टरनेट प्रोटोकॉल वर्शन 6(IPv6) का प्रयोग कर रहे हों। वे रिज़र्व बैंक की पूर्व-अनुमति लिए बिना ही ऑन साइट/ऑफ साइट/ मोबाइल एटीएम भी खोल सकते हैं, बशर्ते उनकी न्यूनतम निवल मालियत ₹ 0.5 बिलियन हो।

VI.41 इसी प्रकार कारोबार बढ़ाने और अपने ग्राहकों को प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएँ प्रदान करने के लिए राज्य सहकारी बैंकों को अधिकाधिक स्वतंत्रता देने की दृष्टि से राज्य सहकारी बैंक भी रिज़र्व बैंक का पूर्व-अनुमोदन लिए बिना कतिपय निर्धारित मानदंडों का पालन करते हुए ऑफ साइट/मोबाइल स्वत चालित टेलर मशीन (एटीएम) खोल सकते हैं, इन उपायों का लक्ष्य है कि सहकारी बैंकों को वाणिज्य बैंकों के समकक्ष ले आया जाए।

शहरी सहकारी बैंकों के लिए पर्यवेक्षी कार्रवाई रूपरेखा

VI.42 जैसाकि विगत वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया था कि दबाव की यथाशीघ्र पहचान और उसके निवारण के लिए शहरी सहकारी बैंकों के मामले में पर्यवेक्षी/ विनियामक कार्रवाई को जरूरी बताने वाले ट्रिगर प्वाइंट को संशोधित किया गया है। शहरी सहकारी बैंकों से अपेक्षित है कि वे सुधारात्मक कार्रवाई करें, यदि अग्रिमों और सकल गैर-निष्पादक आस्तियों का अनुपात10 प्रतिशत से अधिक हो जाए या विगत दो लगातार वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान वृद्धिशील सकल गैर निष्पादक आस्ति अनुपात 3 प्रतिशत अंक रहा हो, दोनों में से जो भी स्थिति पहले हो। विनियामक पूँजी का 9 प्रतिशत से नीचे गिरना, लगातार दो वर्षों में हानि होना, और क्रेडिट-डिपॉजिट

अनुपात 70 प्रतिशत से अधिक होना सुधारात्मक कार्रवाई के अन्य ट्रिगर हैं।

VI.43 शहरी सहकारी बैंकों के बोर्डों को सूचित किया गया है कि वे ₹ 10 मिलियन और इससे अधिक की रकम की धोखाधड़ी के मामलों की अलग से निगरानी और अनुसरण के लिए विशेष समिति का गठन करें, जबकि सामान्य तौर पर धोखाधड़ी के अन्य सभी मामलों की निगरानी बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति करती रहेगी। शहरी सहकारी बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे चारों क्रेडिट इनफॉर्मेशन कम्पनियों के सदस्य बनें और उन्हें हिस्टारिकल डाटा प्रदान करें ताकि क्रेडिट आसूचना की परिशुद्धता बढ़ सके।

2015-16 की कार्यसूची

VI.44 शहरी सहकारी बैंकों हेतु उच्च शक्तिप्राप्त समिति (अध्यक्ष - श्री आर. गाँधी) का गठन किया गया है जिसने अन्य बातों के साथ-साथ शहरी सहकारी बैंकों के कारोबार, आकार, रूपांतरण और लाइसेंसिंग शर्तों की जाँच करने और समुचित सेट की सिफारिश करने संबंधी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति की सिफारिशों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद इसी वर्ष के दौरान इन्हें लागू करने पर विचार किया जाएगा। इसी वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों में सांविधिक लेखापरीक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के उपाय आरंभ किए जाएंगे। शहरी सहकारी बैंकों और ग्रामीण सहकारी बैंकों के विनियमन में सामंजस्य की प्रक्रिया को जारी रखा जाएगा।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियाँ : गैर-बैंकिंग विनियमन विभाग

VI.45 गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी क्षेत्र के विनियमन का मार्गदर्शन वित्तीय स्थिरता का संरक्षण करते हुए ऋण वितरण की अतिरिक्त प्रणालियों को प्रोत्साहन देने की जरूरत से होता है। गैर बैंकिंग विनियमन विभाग का गठन पूर्ववर्ती गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग को संविभाजित करके किया गया है, जो कि गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों और आत्मनिर्भर प्राथमिक डीलरों के विनियमन हेतु नोडल विभाग है। विश्वव्यापी वित्तीय संकट को प्रबल बनाने में शैडो बैंकिंग की भूमिका के साथ-साथ स्वदेशी स्तर पर गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की बढ़ती हुई भूमिका को ध्यान में रखते हुए 2014-15 के दौरान रिज़र्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के विनियमन में कमियों को सुधारने और विनियमों में सामंजस्य पर फोकस किया ताकि ऋणों के वितरण के नए तरीके और अंतिम छोर तक पहुंच हो सके। इसके अलावा, 2008-09 के दौरान तत्कालीन आंध्र प्रदेश में संकट के बाद गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी एमएफआई द्वारा महत्त्वपूर्ण प्रगति के परिप्रेक्ष्य में वर्ष के दौरान इनके विनियमन की समेकित समीक्षा भी पूरी की गई।

2014-15 की कार्यसूची : कार्यान्वयन की स्थिति

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के लिए विनियामक रूपरेखा की समीक्षा

VI.46 गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी क्षेत्र अपने आकार, परिचालनों, प्रौद्योगिकीय उत्कृष्टता और वित्तीय सेवाओं और उत्पादों के क्षेत्र में नए क्षेत्रों में प्रवेश की दृष्टि से काफी तेजी से आगे बढ़ा है। तदनुसार, इस क्षेत्र की समस्त विनियामक रूपरेखा की इस दृष्टि से समीक्षा की गई कि समय के साथ-साथ गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के क्रियाकलाप आधारित विनियमन की तरफ बढ़ा जाए, और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि न्यूनतर जोखिम प्रोफाइल वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों का विनियमन नरमी से किया जाए (बॉक्सVI.3)।

गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी विनियमन का संयोजन

VI.47 गैर बैंकिंग क्षेत्र के विनियमों को बैंकिंग क्षेत्र के साथ संयोजित करने से न केवल प्रतिस्पर्धा में बढ़ोतरी होगी बल्कि यह न्यूनतर विनियामक विवाचन में मदद करता है और प्रणालीगत जोखिम की संभावित वृद्धि को बैंकिंग प्रणाली के बाहर ही रखता है। तदनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा शेयरों के बदले में ऋण देने, अग्रिमों को नया रूप देने, अवसंरचना और कोर उद्योगों को दीर्घावधिक परियोजना ऋणों की व्यवस्था करने, समयपूर्व ऋण चुकौती प्रभार लगाने और अपरिवर्तनीय ऋणपत्रों के निजी विनियोजन को शामिल करते हुए कई विनियामक प्रयास शुरू किए गए।

शैडो बैंकिंग कार्यान्वयन समूह (एसबीआईजी)

VI.48 शैडो बैंकिंग क्रियाकलापों के प्रति वित्तीय स्थिरता बोर्ड के दृष्टिकोण के अनुसार ही अंतर विनियामक अध्ययन किया गया ताकि भारत में गैर बैंक ऋण मध्यस्थन की प्रकृति की शिनाख्त हो सके। तदनुसार शैडो बैंकिंग कार्यान्वयन समूह का गठन किया गया ताकि वित्तीय स्थिरता बोर्ड के दिशानिर्देशों की तुलना में विनियामक अनुपालना के स्तर का आकलन किया जा सके और सुधारों के कार्यान्वयन हेतु संभावित दृष्टिकोण तैयार हो सके। शैडो बैंकिंग कार्यान्वयन समूह द्वारा अपनी रिपोर्ट की शीघ्र प्रस्तुति अपेक्षित है।

बॉक्स VI.3
गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की आस्ति गुणवत्ता और संशोधित दिशानिर्देश

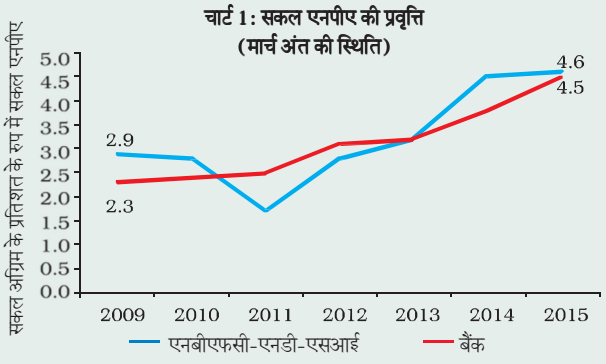
हाल ही के वर्षों में अर्थव्यवस्था में धीमापन आते ही समस्त वित्तीय गिरावट के कारण प्रणालीगत रूप से जमा राशि नहीं स्वीकारने वाली महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों में भी परिवर्तन आया। मार्च 2015 के अंत में दिए गए ऋण के प्रतिशत की तुलना में उनका सकल एनपीए बढ़कर 4.6 प्रतिशत हो गया (चार्ट 1)।

आरंभिक वित्तीय दबाव को समझने के लिए पहले से चेतावनी देने वाली प्रणाली को मजबूत बनाने की दृष्टि से मार्च 2014 में गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को निर्देश दिया गया कि वे 'विशेष उल्लेख खातों' का उप-आस्ति वर्ग सृजित करें। उन्हें यह भी कहा गया कि संबंधित क्रेडिट जानकारी की रिपोर्ट सेन्ट्रल रिपॉजिटरी ऑफ इनफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट में करें। रियायती संरचना / अवधि के साथ बुनियादी संरचना के लिए दीर्घावधि ऋण (जिसे 5/25 संरचना के रुप में जाना जाता है) देने संबंधी बैंकों को प्रोत्साहित करने वाली योजना का लाभ जनवरी 2015 से एनबीएफसी को भी प्रदान किया गया है।

गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के लिए नवम्बर 2014 में जारी संशोधित विनियामक व्यवस्था में गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के लिए गैर निष्पादक आस्ति मानदंडों को चरणबद्ध तरीके से बैंकों के समरूप किया गया है। तदनुसार किसी ऋण खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत करने की समय-सीमा को मार्च 2018 तक क्रमिक रूप से घटाकर 90 दिन किया जाएगा। इसके अलावा, गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के विनियमन को अशोध्य ऋणों की वसूली के मामलों में अन्य वित्तीय संस्थानों के समकक्ष लाने के लिए ₹ 5 बिलियन और इससे अधिक की आस्ति आकार वाली और रिजर्व बैंक में पंजीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को सरफेसाई अधिनियम, 2002 के अनुसार 'वित्तीय संस्थान' के रूप में अधिसूचित करने पर विचार किया जाएगा।

विनियामक रूपरेखा में अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन इस प्रकार हैं :

चार्ट 1 : सकल एनपीए की प्रवृत्ति
(मार्च अंत की स्थिति)



स्रोत: भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट और वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, विविध अंक ।

- सभी विद्यमान गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (अप्रैल 1999 से पहले पंजीकृत) के लिए जरूरी है कि मार्च 2017 के अंत तक चरणबद्ध तरीके से न्यूनतम ₹ 20 मिलियन की निवल स्वामित्वाधीन निधियां हासिल करें, यदि विफल रहे तो उनका पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया जाएगा।
- न्यूनतम निवेश ग्रेड क्रेडिट रेटिंग वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां ही जमाराशि स्वीकार कर सकती हैं। जिन विद्यमान आस्ति वित्तीयन कम्पनियों की रेटिंग नहीं हुई है उन्हें मार्च 2016 के अंत तक अपनी रेटिंग करानी होगी। इसके अलावा, जमाराशि स्वीकारने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के लिए जमाराशि स्वीकार करने की सीमा निवल स्वामित्वाधीन निधि का 1.5 गुणा निर्धारित की गई है।
- जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (एनबीएफसी -एनडी-एसआई) के बारे में प्रणालीगत महत्व परिभाषित करने हेतु सीमा को संशोधित करके ₹ 5 बिलियन कर दिया गया है।
- जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को सीआरएआर और क्रेडिट संकेन्द्रण मानदंडों से छूट प्रदान की गई है।
- एनबीएफसी -एनडी-एसआई और सभी एनबीएफसी-डी के लिए कठिन विवेकपूर्ण मानदंड चरणबद्ध रूप से निर्धारित किए गए हैं - न्यूनतम टीयर 1 पूंजी अपेक्षा को 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत (मार्च 2017 के अंत तक) किया जाना है, मानक आस्तियों हेतु प्रावधान को 0.4 प्रतिशत (मार्च 2018 के अंत तक) किया जाना है और निर्धारित क्रेडिट संकेन्द्रण मानदंडों से 5 प्रतिशत रियायत को समाप्त किया गया है।

सभी एनबीएफसी-डी और ₹ 5 बिलियन से अधिक का आस्ति आकार रखने वाली एनबीएफसीडी-एनडी-एसआई को गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों हेतु अतिरिक्त कॉरपोरेट गवर्नेन्स मानक और प्रकटीकरण मानदंड जारी किए गए। तदनुसार इन गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को लेखापरीक्षा, जोखिम प्रबंधन और निदेशकों के लिए फिट और उचित मानदंडों के निर्धारण हेतु विभिन्न समितियों का सृजन करना होगा। इन्हें आंतरिक बोर्ड द्वारा अनुमोदित कॉरपोरेट गवर्नेन्स दिशानिर्देश तैयार करके अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करने होंगे।

संदर्भ :

भारतीय रिजर्व बैंक (2014), वित्तीय संकट का पूर्व-अभिज्ञान, ऋणदाताओं हेतु समाधान और उचित वसूली के त्वरित उपाय : अर्थव्यवस्था में संकटग्रस्त आस्तियों का पुनरुत्थान, मार्च।

भारतीय रिजर्व बैंक (2014), गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के लिए संशोधित विनियामक व्यवस्था, नवम्बर।

भारतीय रिजर्व बैंक (2015), अवसंरचनात्मक और कोर उद्योगों के लिए दीर्घावधिक परियोजना ऋणों की लोचशील संरचना, जनवरी।

मुद्रा लिमिटेड

VI.49 यूनियन बजट 2015-16 में की गई घोषणा के अनुसरण में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का विनियमन और पुनर्वित्तीयन करने हेतु 18 मार्च 2015 को माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेन्ट रीफाइनान्स एजेन्सी (मुद्रा) की स्थापना की गई (बॉक्स VI.4).

बॉक्स VI.4
माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेन्ट रीफाइनान्स एजेन्सी (मुद्रा) लिमिटेड

यूनियन बजट 2015-16 में मुद्रा लि. की स्थापना की घोषणा की गई, जो कि विनिर्माण, कारोबार और सेवा क्रियाकलापों में संलग्न सूक्ष्म/लघु कारोबारी संस्थाओं को ऋण देने के व्यवसाय में लगी सभी सूक्ष्म वित्त संस्थानों के विनियमन और पुनर्वित्तीयन के लिए उत्तरदायी होगी, और यह लघु/सूक्ष्म व्यवसायी उद्यमों को वित्त प्रदान करने वाले अंतिम वित्तपोषकों को वित्त प्रदान करने वाले राज्य स्तरीय/क्षेत्रीय स्तर के समन्वयकर्ताओं के साथ काम करेगी। सरकार द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र को उधार देने से बची रह गई रकम में से ₹ 200 बिलियन की रकम मुद्रा को आबंटित की जाएगी ताकि अंतिम वित्त पोषकों को पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए पुनर्वित्त निधि का सृजन हो सके। मुद्रा को बजट में से ₹ 300 बिलियन की रकम भी दी जाएगी ताकि सूक्ष्म उद्यमों को प्रदत्त ऋणों की गारंटी हेतु क्रेडिट गारंटी कोष का सृजन हो सके।

मुद्रा की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार द्वारा समुचित विधान का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। विधान का अनुमोदन होने तक लघु / सूक्ष्म उद्यमों के विकास और वित्त पोषण से संबंधित क्रियाकलापों के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक इकाई के रूप में 18 मार्च 2015 को कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत मुद्रा लि. की स्थापना की गई, और इसे 6 अप्रैल 2015 को जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी के रूप में पंजीकृत किया गया। सिडबी को अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा पूंजी की क्रॉस-होल्डिंग के लिए मुद्रा में ₹ 7.5 बिलियन के निवेश से छूट प्रदान की गई है।

2015- 16 की कार्यसूची

VI.50 बैंकों और गैर बैंकों के बीच विनियामक संपरिवर्तन की प्रक्रिया को 2015-16 में आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा, इस क्षेत्र के लिए क्रियाकलाप आधारित विनियम की परिकल्पना की गई है, इससे गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के विभिन्न वर्गों को समाप्त कर दिया जाएगा। पहले कदम के तौर पर गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को प्रगामी रूप से दो शीर्षों में वर्गीकृत किया गया है यथा - प्रमुख निवेश कम्पनियां (सीआईसी) और अप्रमुख निवेश कम्पनियां। इसके अलावा, सरकारी स्वामित्व वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को रिज़र्व बैंक के विनियामक दायरे में लाया जा रहा है।

वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं का पर्यवेक्षण

वाणिज्यिक बैंक: बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग

VI. 51 बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग को वाणिज्यिक बैंकों के पर्यवेक्षण का उत्तरदायित्व सौंपा गया है इसका लक्ष्य सुरक्षित एवं प्रभावी बैंकिंग प्रणाली के विकास के लिए पर्यवेक्षी नीतियों और कार्यनीतियों का निरूपण तथा कार्यान्वयन करना है। इस प्रयास के तहत बैंकों तथा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों में प्रबंधन कार्यप्रणालियों को प्रोत्साहित किया जाता है। बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग अन्य देशी विनियामकों के साथ समन्वय करके निर्धारित वित्तीय संगुट की निगरानी करने के लिए एफएसडीसी की उप समिति के संरक्षण के तहत स्थापित अंतर विनियामक मंच के सचिवालय के रुप में भी कार्यकर्ता है।

2014-15 की कार्यसूची : कार्यान्वयन की स्थिति

जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) तथा क्षमता वर्धन

VI. 52. रिज़र्व बैंक प्रगामी तौर पर निष्पादन आधारित कैमल्स (अर्थात पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, प्रबन्धन, अर्जन, चलनिधि और प्रणाली तथा नियंत्रण) व्यवस्था की तरफ से दूरदर्शी आरबीएस ढांचे की ओर बढ़ रहा है ताकि जोखिम की प्रारंभिक पहचान, समय रहते तथा उचित पर्यवेक्षी हस्तक्षेप तथा आमतौर पर पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं की गुणवत्ता में वैश्विक स्तर की उत्तम प्रथाओं के अनुरूप सुधार लाया जा सके। वर्ष 2014-15 में आरबीएस के तहत दो और बैंकों को लाया गया जिससे मुख्य बैंकों की कुल संख्या 30 हो गई। 2015-16 मूल्यांकन अवधि से 6 और बैंकों ने आरबीएस प्रणाली को अपना लिया है। वाणिज्यिक बैंकों से डाटा संग्रहण को दुरुस्त कर आरबीएस मॉडल को भी अनुकूल बनाया गया। बैंक स्तर पर तैयारी की आवश्यकता पर बल दिया गया जिसमें आरबीएस के लिए एक सुदृढ प्रबंधन सूचना तंत्र (एमआईएस) पर जोर डालना शामिल है।

वित्तीय संगुट (एफसी) की निगरानी

VI.53. अन्य घरेलू विनियामकों के साथ समन्वय करके रिज़र्व बैंक ने दो बैंक संचालित एफसी के साथ चर्चा बैठकें आयोजित की

और एनएफसी के परिचालनों में समूह स्तर और अंतर विनियामक मुद्दों की समीक्षा करने के लिए बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा आयोजित एक बीमा कंपनी द्वारा संचालित एफसी की चर्चा बैठक में सहभागिता की।

प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस) तथा तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए)

VI.54. गहन जांच को सक्रिय करने वाले संवेदनशील वित्तीय संकेतकों के विचलन पर नजर रखने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जा चुका है और उसकी बारीकियों पर काम किया जा रहा है। साथ ही सबसे पहले 2002 में बैंकों के लिए प्रारंभ किए गए वर्तमान पीसीए ढांचे को भी नवीनतम किया जा रहा है, जिसके बाद अन्य विनियामकों के साथ समन्वय कर वित्तीय सह-संगठनों को भी इसके अंतर्गत लाया जाएगा।

वैश्विक पर्यवेक्षी सहयोग

VI.55. क्रॉस बार्डर पर्यवेक्षी सहयोग तथा सूचना के आदान-प्रदान के लिए रिज़र्व बैंक ने 2014-15 में 6 विदेशी बैंकिंग पर्यवेक्षी प्राधिकारियों यथा - द हांगकांग मॉनिटरी अथारिटी; द सेन्ट्रल बैंक ऑफ केन्या; बैंको सेंट्रल डू ब्रासिल; द बैंक ऑफ़ युगांडा; सेंट्रल बैंक ऑफ सेशेल्स; और मालदीव मॉनिटरी प्राधिकारी के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए है। तीन अमरीकी वित्तीय विनियामकों अर्थात फेडरल रिज़र्व सिस्टम के निदेशक मंडल, मुद्रा नित्रंतक कार्यालय और फेडरल डिपाजिट इंश्यूरेंस के साथ सहयोग संवाद स्थापित किया गया है। अभी तक, रिज़र्व बैंक ने विदेशी पर्यवेक्षकों/विनियामकों के साथ 26 समझौता ज्ञापनों, एक पर्यवेक्षी सहयोग पत्र तथा एक सहयोग-करार किया है।

VI.56. क्रॉस बार्डर समेकित पर्यवेक्षण के बारे में बीसीबीएस के सिद्धांतों के आधार पर रिज़र्व बैंक भारतीय बैंकों के लिए पर्यवेक्षी महाविद्यालयों का गठन कर रहा है जिसकी विदेशों में भी प्रचुर उपस्थिति होगी। ऐसे पर्यवेक्षी महाविद्यालय भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक लि., बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ़ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक तथा एक्सिस बैंक लि. के लिए स्थापित किए गए हैं।

2015-16 की कार्यसूची

VI.57. इसी क्रम में, भारत में कार्यरत सभी छोटे विदेशी बैंकों को आरबीएस के अंतर्गत लाया जाएगा। एक ओर सभी भारतीय वित्तीय संस्थानों यथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), सिडबी, भारतीय निर्यात आयात (एग्ज़िम) बैंक तथा राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) के निरीक्षण हेतु नई प्रणाली बनाई जा रही है, साथ ही समुन्नत विश्लेषण सहित सीआरआईएलसी रिपोर्टिंग के लिए संशोधित प्रणाली जल्द ही प्रारंभ किए जाने की संभावना है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) के सहयोग से बीमा कंपनियों से भी सीआरआईएलसी जानकारी एकत्र करने का प्रस्ताव है।

VI.58. सभी स्थानेतर निगरानी और निरीक्षण प्रणाली (ओस्मोस) विवरणों को एक्सटेन्सिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्सबीआरएल)/डेटा वेयरहाउस परिवेश में परिवर्तित करने की योजना है ताकि पर्यवेक्षी उद्देश्यों के लिए एकल सूचना प्रणाली विकसित की जा सके। धोखाधड़ी का पता लगाने, रिपोर्ट करने तथा निगरानी करने के लिए जल्द ही नई व्यवस्था 7 मई 2015 को शुरु की गई है। इसके अलावा, बैंकों के उपयोग के लिए केन्द्रीय धोखाधड़ी रजिस्ट्री पर भी विचार किया जा रहा है। यद्यपि विनियामक निकायों द्वारा पृथक प्रणालियों के प्रयोग से जानकारी के स्वतः प्रवाह की प्रक्रिया में बाधा आती है, तथापि रिज़र्व बैंक डेटा प्रस्तुति के पूर्णतया यंत्रचालित माध्यमों की तरफ बढ़ने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित करता रहेगा।

VI.59. आरबीएस प्रणाली, प्रणाली संपरीक्षा, प्रोद्योगिकी सूचना संवेदनशीलता(आईटी)/वेधन परीक्षण पर विशेष ध्यान देते हुए 2015-16 में क्षमता वर्धन की योजना लाई जाएगी। ईडब्ल्यूएस के साथ-साथ पुनर्निर्मित पीसीए ढांचे को 2015-16 में अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। एफसी के लिए पीसीए ढ़ाँचा विकसित करने के लिए संबंधित कार्य अन्य देशी विनियामकों के साथ समन्वय करके लिए जाएंगे। विनियामक निकायों में अनुपालन की परिपाटी सुधारने के लिए रिज़र्व बैंक नए तरीके खोज रहा है जिसमें उचित दंडात्मक उपाय भी सम्मिलित है ।

सहकारी बैंक : सहकारी बैंक पर्यवेक्षण विभाग (डीसीबीएस)

VI.60. पूर्ववर्ती शहरी सहकारी बैंक विभाग (यूबीडी) को संविभाजित करके स्थापित बनाए गए इस विभाग का प्राथमिक उद्देश्य अलग-अलग शहरी सहकारी बैंकों तथा समग्र क्षेत्र की वित्तीय सुदृढ़ता सुनश्चित करना है।

2014-15 की कार्यसूची : कार्यान्वयन की स्थिति

VI. 61 इस वर्ष के दौरान 968 शहरी सहकारी बैंकों, इनमें सभी अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक, 'सीट तथा 'डी' श्रेणियों के गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक तथा 'ए' एवं 'बी' श्रेणियों के गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक शामिल हैं, जिनका ऑन-साइट निरीक्षण तथा उचित पर्यवेक्षी कार्रवाई की गई। नौ शहरी सहकारी बैंकों के लाइसेंस रद्द किए गए, जबकि दो शहरी सहकारी बैंकों का अन्य शहरी सहकारी बैंकों के साथ विलय किया गया तथा सात शहरी सहकारी बैंकों पर 'समग्र सम्मिलित निदेश' लागू किए गए। सभी 1589 शहरी सहकारी बैंकों का पर्यवेक्षण ऑफ़-साइट पर्यवेक्षण प्रणाली द्वारा किया गया। सूचना एकत्रित, संसाधित तथा प्रसारित करने के लिए एकल मंच विकसित करने के उद्देश्य से शहरी सहकारी बैंकों की 13 विवरणियों को वर्तमान की ऑफ-साइट पर्यवेक्षी रिपोर्टिंग प्रणाली से एक्सबीआरएल आधारित रिपोर्टिंग प्रणाली में परिवर्तित किया गया। यूसीबी की व्यवसायिकता तथा गवर्नेन्स में सुधार लाने के लिए रिज़र्व बैंक ने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

2015-16 की कार्यसूची

VI.62 शहरी सहकारी बैंकों का प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित करते हुए 2015-16 में ऋणात्मक निवल मालियत वाले शहरी सहकारी बैंकों की संख्या कम करने का विचार है। आगामी वर्ष में सभी विवरणियों का एक्सबीआरएल आधारित रिपोर्टिंग परिवेश में परिवर्तन पूरा कर लिया जाएगा। शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र में क्षमता-वर्धन के उपायों को आगामी वर्ष में भी आगे बढ़ाया जाएगा।

एन बी एफ सी : गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीएनबीएस)

VI.63 यह विभाग गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पर्यवेक्षी विंग है और इसका लक्ष्य जमाकर्ताओं, ग्राहकों तथा अन्य पण्यधारकों के हितों की सुरक्षा के साथ-साथ देश की वित्तीय व्यवस्था को इस क्षेत्र से होने वाले जोखिमों से सुरक्षित करते हुए स्वस्थ तथा मजबूत एनबीएफसी क्षेत्र के लिए योग्य परिवेश स्थापित करना है। इस विभाग का यह भी प्रयास रहता है कि विभिन्न प्रकार के वित्तीय क्रियाकलापों में संलग्न निकायों हेतु विधिक/विनियामक व्यवस्था के बारे में जनसाधारण की जागरूकता को बढ़ाया जाए।

2014-15 की कार्यसूची : कार्यान्वयन की स्थिति

VI.64 ऑन साइट निरीक्षण का फोकस ''जमाराशि स्वीकारने'' व ''प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण'' जमाराशि नहीं स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर बना रहा। वर्ष 2014-15 के दौरान जमाराशि स्वीकारने वाली 72 कंपनियों और जमाराशि नहीं स्वीकारने वाली 182 कंपनियों का निरीक्षण किया गया। दोषी तथा अनधिकृत घटकों से निपटने के लिए, राज्य स्तरीय सहयोग समिति का मई 2014 में पुनर्गठन किया गया और राज्य सरकार के मुख्य सचिव उसके अध्यक्ष रहे तथा सचिवीय सहायता रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान की गई, ताकि बाज़ार आसूचना का नियमित आदान-प्रदान सुगम किया जा सके और समन्वित रूप से समयोचित कार्रवाई की जा सके। रिज़र्व बैंक ने इस वर्ष के दौरान संबंधित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों/प्रशासकों के दो सम्मेलनों का भी आयोजन किया ताकि अनधिकृत निकायों द्वारा निधियों के संग्रहण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा सके। रिज़र्व बैंक के 16 क्षेत्रीय कार्यालयों में बाज़ार आसूचना (एमआई) कक्ष का गठन किया गया।

प्रतिभूतिकरण/आस्ति पुनर्निर्माण

VI.65 आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां (एआरसी) उधार वसूली प्रक्रिया में स्थिरतापूर्वक अपनी मौजूदगी बढ़ा रही हैं (सारणी VI.1)। मार्च 2015 के अंत तक रिज़र्व बैंक में 15 प्रतिभूतिकरण कंपनियां / पुनर्संरचना कंपनियां पंजीकृत थीं। मार्च 2015 के अंत तक आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों द्वारा अधिगृहीत आस्तियों का बही मूल्य लगभग ₹ 508 बिलियन रहा। यद्यपि एआरसी पहले ही ऑफ-साइट पर्यवेक्षण के अंतर्गत हैं, उनके बढ़ते महत्व को देखते हुए आगामी वर्ष में उनका पर्यवेक्षण ऑन-साइट निरीक्षण के माध्यम से किया जाएगा।

2015-16 की कार्यसूची

VI.66 लघु गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को विनियामक विवरणियां प्रस्तुत करने से अब तक छूट थी 2015-16 में इन्हें

तालिका VI.1 : एआरसी सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय पैरामीटर

(₹ बिलियन)

मद	मार्च 14	मार्च 15
1	2	3
स्वामित्वाधीन निधि	30.2	34.0
एससी/आरसी द्वारा अधिगृहीत आस्तियों की अधिक्रय लागत	205.8	226.6
कुल जारी एसआर	204.1	224.4
एससी/आरसी द्वारा अपने खातें में धारित एसआर	13.8	29.9
विक्रेता बैंक / वित्तीय संस्था द्वारा धारित एसआर	187.6	191.6
अन्य क्यूआईबी को जारी एसआर की रकम	2.4	2.9
एफआईआई द्वारा धारित एसआर	0.2	0.0
भुगतान करके मुक्त कराई गई एसआर (वर्ष के दौरान)	11.9	16.5

एसआर : प्रतिभूति प्राप्तियाँ; क्यूआईबी: अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेता; एफआईआई: विदेशी संस्थागत निवेशक

स्रोत: कॉस्मॉस विवरणियां (तिमाही)

ऑफ़-साइट निगरानी के अंतर्गत लाया जाएगा। एसएलसीसी सदस्यों/जनसाधारण में जानकारी के प्रचार-प्रसार करने के उद्देश्य से आगामी वर्ष में एक विशिष्ट वेबसाइट का विमोचन किया जाएगा। इस प्रणाली के पूरी तरह से चालू हो जाने पर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से बड़े उधारकर्ताओं के बारे में सीआरआईएलसी सूचना विश्लेषण हेतु ली जाएगी। विभाग द्वारा अपनाई जा रही परामर्श पद्धति को 2015-16 में औपचारिक बनाते हुए इस उद्योग के साथ आवधिक संव्यवहार का रूप देने का प्रस्ताव है।

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी)

VI.67 रिज़र्व बैंक के पूर्ण स्वामित्वाधीन निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम द्वारा दिए जा रहे निक्षेप बीमा में सभी बैंकों को कवर किया जाता है, जिसमें देश के स्थानीय क्षेत्र के बैंक, आरआरबी तथा सहकारी बैंक शामिल हैं। जमाराशि बीमाकर्ताओं के अंतर्राष्ट्रीय संघ (आईएडीआई) के कोर प्रिंसिपल फॉर इफेक्टिव डिपोजिट इंश्योरेंस सिस्टम (2014) के अनुसार जमाराशियों का बीमा कवरेज सीमित होनी चाहिए, विश्वसनीय होनी चाहिए और अधिकांश जमाकर्ताओं को कवर करने वाली होनी चाहिए लेकिन इसमें जमाराशियों का महत्वपूर्ण हिस्सा बाजार के विभिन्न क्षेत्रों में लगाया गया होता है। जमाराशियों हेतु बीमा की वर्तमान सीमा एकल अधिकार और एकल क्षमता में प्रति जमाकर्ता ₹ 0.1 मिलियन है। दिनांक 31 मार्च 2015 के अनुसार 92.3 प्रतिशत खाते पूरी तरह से संरक्षित थे। राशि की मात्रा के अनुसार देखा जाए तो ₹ 26.1 ट्रिलियन की जमाराशि को बीमा सुरक्षा दी गई जो कि आकलन योग्य जमाराशियों का लगभग 31 प्रतिशत हुआ। एक प्रभावी निक्षेप बीमा डिजाइन में यह सक्षमता होनी चाहिए कि यह इस पर अंतरित जोखिमों के लिए प्रतिपूर्ति हासिल करते हुए अपने जोखिम का प्रबंधन करे। अतः प्रीमियम का जोखिम आधारित संग्रहण इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है (बॉक्स VI.5)।

VI.68 पिछले वर्ष के ₹ 1.0 बिलियन की तुलना में वर्ष 2014-15 के दौरान परिसमापन/ पुनर्संरचना/ समामेलन में शामिल

बॉक्स VI.5
बैंकों के लिए जोखिम आधारित प्रीमियम

निक्षेप बीमा बैंकों के लिए अधिक लीवरेज चुनने तथा बैंकों के ग्राहकों के लिए निगरानी में ढील का प्रोत्साहक बन सकता है। इस प्रकार के नैतिक संकट से बचने के लिए निक्षेप बीमा का प्रीमियम ऐसा होना चाहिए जो बैंक की गतिविधियों से जुड़े प्रभावी अंतर्निहित जोखिम को सही रूप में प्रदर्शित करे। निक्षेप बीमा योजना के लिए जोखिम-समायोजित प्रीमियम शुरु करके इसमें आंशिक कमी की जा सकती है। यद्यपि इसकी तुलना में सादा-दर प्रीमियम प्रणाली समझने में तथा लागू करने में आसान होती है, मगर इसमें उस जोखिम के स्तर को शामिल नहीं किया जाता जो बैंक द्वारा निक्षेप बीमा प्रणाली पर पड़ सकता है और इसे सभी बैंकों के लिए प्रीमियम दर तथा जोखिम प्रोफाइल की दृष्टि से अनुचित माना जा सकता है (आईएडीआई 2011)।

निक्षेप बीमा संबंधी साहित्य में जोखिम आधारित प्रीमियम निर्धारण की दो भिन्न पद्धतियां बताई गई हैं। संभावित हानि की कीमत के आकलन की पद्धति बैंक द्वारा चूक करने की संभाव्यता पर आधारित है, जिसका आकलन या तो मूलभूत सिद्धांतों, रेटिंग या फिर बाजार विश्लेषण से किया जा सकता है। मेर्टिन प्रकार की पद्धति में एक कंपनी के चूक करने की संभाव्यता का आकलन करने के लिए विकल्प कीमत निर्धारण सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है।

व्यवहार में जोखिम आधारित अंशदानों को अंशदान-आधार के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे सदस्यों की जोख़िम प्रवृत्ति के एक समानुपातिक घटक और संबंधित देश की बैंकिंग प्रणाली में समग्र स्थितियों को प्रकट करने वाले एक घटक के अनुपात में समायोजित किया जाता है। (वाल्टर और शैलर, 2012) प्रीमियम आकलन को साधारण जोखिम समीकरण के रूप में दिखाया जा सकता है :

$$P_{it} = r_{s,t} * r_{it} * D_{it}$$

जिसमें, बैंक विशेष के जोखिम आधारित अंशदान (Pit) में मात्रा और जोखिम के चरांक शामिल होते हैं और इसे अंशदान-आधार (Di,t), सामान्यतया पात्र

(जारी...)

जमाराशियों की कुल रकम, के रूप में परिभाषित किया जाता है, इसमें से एक सदस्य (विशिष्ट जोखिम) की जोखिम अवस्थिति के समानुपात की प्रतिशतता (ri,t), और देश की बैंकिंग प्रणाली (प्रणालीगत जोखिम) की समग्र स्थिति को प्रकट करने वाली प्रतिशतता (rst) को स्थिति अनुसार घटाया या जोड़ा जाता है।

यूरोपीयन संघ की प्रथाओं से ज्ञात होता है कि सभी सदस्य राज्यों में किसी सदस्य संस्थान के जोखिम के मूल्यांकन के लिए वर्तमान में लागू किए जा रहे मुख्य वित्तीय अनुपात में विविधता है और उन्हें परिभाषित करने के लिए प्रयुक्त चरांक एक-समान नहीं हैं। 2014-ईयू डायरेक्टिव ऑन डिपॉजिट इन्श्योरेन्स स्कीम्स, में जोखिम उपायों के लिए एक सामान्य सा निर्देश दिया गया है और इनकी बारीकियों को सदस्य राज्यों के विवेक पर छोड़ दिया गया है। यूएस में, नवंबर 2006 में जोखिम आधारित मूल्यांकन के लिए नए नियम जारी किए गए थे और 2010 में अधिनियमित वित्तीय सुधार अधिनियम को देखते हुए जोखिम संबंधी प्रीमियम में महत्वपूर्ण परिष्करण किए गए। छोटे बैंकों के लिए, पर्यवेक्षी कैमल्स रेटिंग को वित्तीय अनुपात के साथ संयोजित किया गया ताकि निक्षेपों के बदले जोखिम आधारित मूल्यांकन दर निर्धारित की जा सके। बड़े बैंकों के लिए, सन 2011 में यूएस फेडरल डिपॉजिट इन्श्योरेन्स कॉरपोरेशन ने जोखिम विभेदीकरण योजना अपनाई जिसमें कैमल श्रेणी तथा जोखिम के दूरदर्शी वित्तीय उपायों को समायोजित किया गया।

भारत में, बैंकों के लिए जोखिम आधारित प्रीमियम लागू करने के लिए आवधिक सिफारिशें होती रही हैं। बैंकिंग क्षेत्र सुधार पर नरसिम्हन समिति रिपोर्ट (1998) ने संरचनात्मक मुद्दों पर फोकस करने के साथ-साथ समान-दर प्रीमियम प्रणाली की जगह जोखिम आधारित प्रीमियम प्रणाली प्रारंभ करने की सिफारिश की थी। भारत में निक्षेप बीमा में सुधार पर रिज़र्व बैंक की कपूर समिति (1999) ने भी इसकी पुनरावृत्ति की। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम द्वारा गठित ऋण जोखिम मॉडल पर समिति (2006) ने भी जोखिम आधारित प्रीमियम प्रारंभ करने की सिफारिश की थी और इसकी शुरुआत राज्य सहकारी बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों से करने के लिए कहा था।

विगत में विभिन्न समितियों की सिफारिशों के बावजूद जोखिम आधारित प्रीमियम को प्रचलन में नहीं लाया जा सका, इसका कारण, अन्य बातों के साथ-साथ, हाल ही तक सहकारी तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (ये बीमाकृत बैंकों का 90% होते हैं) के पुनर्गठन का कार्य चल रहा था, सभी बीमाकृत बैंकों, विशेषकर सहकारी बैंकों की सख्त पर्यवेक्षी रेटिंग का अभाव, जो कि रेटिंग मॉडल के लिए महत्वपूर्ण इनपुट होता है। तथापि, पण्यधारकों और जन प्रतिनिधियों से वर्तमान के निक्षेप बीमा कवर ₹ 0.1 मिलियन को बढ़ाने के लिए निरंतर मांग आती रही है। प्रीमियम की दरों को बीमाकृत बैंकों की जोखिम प्रोफाइलों के साथ अंशांकित किए बिना, बीमा कवर में बढ़ोतरी से तो केवल अंतर्निहित नैतिक संकट का जोखिम ही बढ़ेगा। इसे ध्यान में रखते हुए, मार्च 2015 में बैंकों के लिए विभेदीकृत प्रीमियम पर समिति (अध्यक्षः श्री जसबीर सिंह) का गठन किया गया ताकि भारत में जोखिम आधारित प्रीमियम की शुरुआत करने के लिए सिफारिश की जा सके।

संदर्भः

इन्टरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डिपॉजिट इन्श्यूरर्स (2011), 'जनरल गाइडेन्स फॉर डेवलपिंग डिफ्रेंशियल प्रीमियम सिस्टम', अक्तूबर।

वाल्टर और शैलर (2012), ऐन अल्टरनेटिव वे ऑफ कलकुलेटिंग रिस्क बेस्ड प्रीमियम इन न्यू पैराडिग्म इन बैंकिंग, फाइनैंशियल मार्केट और रेगुलेशन इन बालिंग एरल, एसयूईआरएफ।

यूरोपियन कमीशन (2008), 'रिस्क बेसड् कन्ट्रीब्यूशन इन ईयू डिपॉजिट गारंटी स्कीमस् : करेन्ट प्रैक्टिसेस, ज्वाइंट रिसर्च सेन्टर।

30 सहकारी बैंकों के मामले में लगभग ₹ 3.2 बिलियन के दावों का निपटान किया गया। मार्च 2015 के अंत में निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) की मात्रा ₹ 504.5 बिलियन रही, जिससे आरक्षित निधि अनुपात (डीआईएफ/बीमाकृत राशि) 1.9 प्रतिशत रहा।

राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी)

VI.69 रिज़र्व बैंक के पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक इकाई राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) का गठन 9 जुलाई 1988 को राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के अंतर्गत हुआ जो कि स्थानीय तथा क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर आवास वित्त संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रधान एजेंसी के रूप में काम करने के लिए तथा ऐसी संस्थाओं को वित्तीय और अन्य आकस्मिक सहायता प्रदान किया जा सके।

VI.70 आवास वित्त की शीर्षस्थ संस्था के रूप में राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) का पंजीकरण, विनियमन और पर्यवेक्षण किया जाता है। 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार एनएचबी में 65 आवास वित्त कंपनियाँ पंजीकृत थीं। राष्ट्रीय आवास बैंक का फोकस अल्प आय आवास वर्ग को आवास हेतु वहन-योग्य वित्त के बाजार आधारित नवोन्मेषी समाधानों को बढ़ावा देने पर है। राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा एचएफसी, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी क्षेत्र की संस्थाओं को उनके द्वारा दिए गए आवासीय ऋणों पर पुनर्वित्त प्रदान करती है। यह वृहद स्तर के एकीकृत आवासीय परियोजनाओं तथा स्लम पुनर्विकास परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक तथा निजी सार्वजनिक भागीदारी, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं, राज्य स्तरीय आवासन बोर्ड तथा क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की विस्तृत श्रेणियों को परियोजना ऋण देता है। वर्ष 2014-15 में इसका संचयी वितरण ₹ 218.5 बिलियन रहा जिसका 25.4 प्रतिशत (₹ 55.4 बिलियन) ग्रामीण आवास निधि तथा स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास पुनर्वित्त योजना के अंतर्गत ग्रामीण आवास ऋण के लिए दिया गया।

VI.71 सरकार ने ऋण संस्थानों को सब्सिडी वितरित करने के लिए तथा ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के अंतर्गत घटकों की प्रगति की निगरानी के लिए केन्द्रीय नोडल एजेंसी के रुप में राष्ट्रीय आवास बैंक का चयन किया है। सीएलएसएस का कार्यान्वयन देशभर के सभी 4041 सांविधिक कस्बों (2011 की जनगणना के अनुसार) में किया जाएगा और यह प्रधानमंत्री आवास योजना - सभी के लिए आवास (एचएफए) मिशन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य शहरी गरीबों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करना है, जिसमें स्लम-वासी भी शामिल हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक कई सरकारी योजनाओं जैसे शहरी गरीबों हेतु आवास के लिए ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएचयूपी), 1 प्रतिशत ब्याज, आर्थिक सहायता योजना और सोलर पूंजी सब्सिडी योजना के लिए भी नोडल एजेंसी रहा है।

VI.72 भारत सरकार द्वारा अल्प आय आवास के लिए संस्थापित ऋण जोखिम गारंटी न्यास का प्रबंधन भी राष्ट्रीय आवास बैंक करता है ताकि शहरी क्षेत्रों में संस्थागत ऋण का बेहतर वितरण सुनिश्चित किया जा सके। राष्ट्रीय आवास बैंक ने जुलाई 2007 में रेजिडेक्स योजना आरंभ की, ताकि पूरे भारत में 26 शहरों में आवासीय सम्पदा की कीमतों पर नजर रखी जा सके। केन्द्र सरकार ने 2014-15 में एनएचबी के आबंटन को ₹ 40 बिलियन से बढ़ाकर ₹ 80बिलियिन कर दिया ताकि देश में ग्रामीण आवास को विस्तार तथा समर्थन दिया जा सके।

उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण

उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग (सीईपीडी)

VI.73 उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग (सीईपीडी) का फोकस लोकहित का अनुशीलन करने, आसूचना विषमताओं, उत्पादों के सीमित विकल्पों, अपर्याप्त प्रकटीकरणों, आदि से उत्पन्न असंतुलनों को कम करके, वित्तीय सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं और उपभोक्ताओं के बीच सम-स्तरीयता प्रदान करने पर है। उपभोक्ता संरक्षण वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने का प्रमुख माध्यम है।

2014-15 की कार्यसूची : कार्यान्वयन की स्थिति

उपभोक्ता अधिकारों का चार्टर

VI.74 बैंक उपभोक्ताओं के संरक्षण तथा ग्राहक सेवा के मानक तय करने हेतु संरचनागत उपाय के तौर पर रिज़र्व बैंक द्वारा 2014-15 में बैंक उपभोक्ताओं के लिए एक व्यापक, सर्वसमावेशक सिद्धांतों के रूप में ''उपभोक्ता अधिकारों के चार्टर'' का निरुपण किया गया (बॉक्स VI.6)। इसके बाद भारतीय बैंक संघ तथा बीसीएसबीआई ने संयुक्त रूप से उपभोक्ता अधिकार चार्टर के आधार पर ग्राहक अधिकार नीति/संहिता का मॉडल तैयार किया। बैंकों को सूचित किया गया कि वे 31 जुलाई 2015 तक अपने-अपने

बाक्स VI.6
उपभोक्ता अधिकार चार्टर

3 दिसंबर 2014 को जारी उपभोक्ता अधिकार चार्टर में बैंक उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए व्यापक तथा सर्वसमावेशक सिद्धांत प्रतिष्ठापित किए गए हैं और इसमें बैंक उपभोक्ताओं के 'पांच' आधारभूत अधिकार स्पष्ट किए गए हैं जो कि निम्नानुसार हैं :-

(i) उचित व्यवहार का अधिकार : उपभोक्ता तथा वित्तीय सेवा प्रदाता, दोनों को ही विनम्र व्यवहार पाने का अधिकार है। उपभोक्ता को वित्तीय उत्पाद प्रस्तावित और प्रदान करते समय अनुचित आधारों यथा लिंग, आयु, धर्म, जाति या शारीरिक क्षमता की वजह से भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।

(ii) पारदर्शी, उचित तथा निष्कपट लेनदेन का अधिकारः वित्तीय सेवा प्रदाता को यह सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए कि उसके द्वारा तैयार की गई संविदा या करार आम आदमी के लिहाज से पारदर्शी, सरल और सुग्राह्य हो। उत्पाद की कीमत, उससे जुड़े जोखिमों, उपभोक्ता की जिम्मेदारियों तथा उत्पाद के जीवन-चक्र के दौरान लागू नियमों और शर्तों का साफतौर पर खुलासा किया जाना चाहिए। उपभोक्ता के साथ अनुचित व्यापार या अनुचित मार्केटिंग प्रथाओं, निग्रहकारी संविदा शर्तें या भ्रामक प्रतिवेदन नहीं किया जाना चाहिए। इन संबंधों की समयावधि में वित्तीय सेवा प्रदाता द्वारा उपभोक्ता को शारीरिक-क्षति की धमकी, अनुचित दबाव या खुल्लम खुल्ला पीड़ा नहीं पहुंचा सकता।

(iii) उपयुक्तता का अधिकारः प्रस्तावित उत्पाद उपभोक्ता की आवश्यकता अनुसार होने चाहिए और उपभोक्ता की वित्तीय परिस्थिति के आकलन तथा समझ पर अधारित होने चाहिए।

(iv) गोपनीयता का अधिकारः उपभोक्ता की व्यक्तिगत जानकारी गुप्त रखी जानी चाहिए जब तक कि उपभोक्ता ने ऐसा न करने के लिए अपनी सहमति वित्तीय सेवा प्रदाता को नहीं दी हो अथवा कानून के अंतर्गत ऐसी

(जारी...)

जानकारी प्रदान करना अपेक्षित हो अथवा यह किसी व्यापारिक उद्देश्य के जनादेश के लिए प्रदान किया गया हो (उदाहरणार्थः ऋण सूचना कंपनी को)। उपभोक्ता को सत्यनिष्ठा से ऐसे संभावित व्यापार उद्देश्य के जनादेश की जानकारी दी जानी चाहिए। उपभोक्ता को ऐसे सभी प्रकार के संपर्क से संरक्षण का अधिकार है जो उनकी गोपनीयता का उल्लंघन करते हैं चाहें वह इलेक्ट्रानिक या किसी अन्य माध्यम से हो।

(v) शिकायतों का निवारण तथा क्षतिपूर्ति का अधिकारः उपभोक्ता को अधिकार है कि वह प्रस्तावित उत्पादों के लिए वित्तीय सेवा प्रदाता को जिम्मेदार ठहरा सकता है और वह किसी वैध शिकायत के निवारण का साफ और आसान रास्ता पाने का अधिकारी भी है। प्रदाता को चाहिए कि तृतीय पक्ष के उत्पादों के विक्रय से उत्पन्न शिकायतों के निवारण की सुविधा भी प्रदान करे। वित्तीय सेवा प्रदाता उसके द्वारा या किसी और कारण से होने वाली गलतियों, आचरण में चूक, गैर-निष्पादन या निष्पादन में देरी के लिए क्षतिपूर्ति नीति की सूचना दे। इस नीति में ऐसी घटानाओं के होने पर उपभोक्ता के अधिकार तथा कर्तव्य निहित होने चाहिए।

यह अधिकार उपभोक्ता को अनुचित भेदभाव, अनुचित व्यापार या मार्केटिंग प्रथा, निग्रहकारी संविदा शर्तें या भ्रामक अभिवेदन से बचाते हैं और इनका उद्देश्य उचित आवश्यकता आधारित वित्तीय उत्पादों को बढ़ावा देना है जिसके साथ उसमें निहित विभिन्न जोखिमों और प्रभारों की बेहतर समझ हो।

बोर्ड द्वारा अनुमोदित ग्राहक अधिकार नीतियों को निरूपित करें तथा इसके आंतरिक कार्यान्वयन की आवधिक समीक्षा करें।

बैंकों में आंतरिक लोकपाल

VI.75 बैंक उपभोक्ताओं को उपलब्ध शिकायत निवारण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों, निजी क्षेत्र के कुछ बैंकों तथा विदेशी बैंकों को आंतरिक लोकपाल के रूप में मुख्य ग्राहक सेवा अधिकारी (सीसीएसओ) नियुक्त करने के लिए सूचित किया गया जो उन शिकायतों की जाँच करें जिनका बैंक के आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र द्वारा समाधान नहीं / आंशिक समाधान किया गया है।

कार्यक्षेत्र स्तर की प्रतिपुष्टि सुनिश्चित करना तथा जागरूकता बढ़ाना

VI.76 उचित सुधारात्मक कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए कुछ बैंकों की शाखाओं की आकस्मिक जाँच की गई ताकि बैंक द्वारा अन्य पक्ष के उत्पादों जैसे बीमा तथा म्युचुअल फंड की अनुचित बिक्री से संबंधित शिकायतों पर कार्यक्षेत्र स्तर की प्रतिपुष्टि सुनिश्चित की जा सके। प्राप्त प्रतिउत्तर सभी पण्यधारकों को भेजे गए। पैसों के फर्जी प्रस्तावों की बड़ी संख्या में शिकायतों को देखते हुए, बैंकिंग लोकपाल योजना की उपलब्धता सहित ऐसे फर्जी प्रस्तावों पर लोक जागरुकता अभियान विशेषकर ग्रामीण तथा अर्धशहरी क्षेत्रों में चलाए गए।

2015-16 की कार्यसूची

VI.77 रिज़र्व बैंक का लक्ष्य है कि बैंकों में (उपभोक्ता अधिकार चार्टर) को पूरी तरह से लागू किया जाए। 2015-16 में बैंकिंग लोकपाल योजना की भी पूर्ण समीक्षा की जा रही है। अर्धनगरीय इलाकों में बैंकों द्वारा अनुचित विक्रय तथा देश के विभिन्न इलाकों में बंद/खराब एटीएमों की दशा पर विशेष ध्यान देते हुए कार्यक्षेत्रों के दौरे/अध्ययन करने की योजना है।

VII लोक ऋण प्रबंध

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2014-15 के दौरान भारत सरकार और राज्य सरकारों के उधार-कार्यक्रमों को अनेक चुनौतियों जैसे उधार के आकार के बढ़ जाने तथा वर्ष की पहली छमाही में प्रतिफल में वृद्धि होने के बावजूद सफलतापूर्वक संपन्न किया। बैंक ने परिपक्वता की अवधि लंबी रखने, ऋण-पोर्टफोलियो के समेकन तथा द्वितीयक बाज़ार को अधिक चलनिधि की उपलब्धता की रणनीति जारी रखी। रोलओवर जोखिम को न्यूनतम रखने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान ऋण-पोर्टफोलियो की परिपक्वता अवधि बढ़ा दी गई, जिसके फलस्वरूप भारित लागत में मामूली-सी वृद्धि करनी पड़ी। लंबे समय की परिपक्वता वाले ऋण की बढ़ी रुचि का लाभ उठाते हुए रिज़र्व बैंक ने 2015-16 में 40 वर्षीय प्रतिभूति निर्गम करने की घोषणा की है ताकि प्रतिफल वक्र को 30 वर्ष से आगे बढ़ाया जा सके। वर्ष 2015-16 के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्यसूची मदों का निरूपण किया गया है जैसे सुदृढ़ अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप मध्यावधि ऋण प्रबंधन कार्यनीति, राज्य-उधार के लिए नियमित तिमाही कैलेंडर, राज्यों के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) योजना की समीक्षा, सरकारी ऋण बाज़ार को गहन और व्यापक बनाने के लिए कुशल बाज़ार की आधारभूत सुविधा और निवेशकों के आधार को विस्तृत किया जाना।

VII.1 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 20 और 21 के अनुसार रिज़र्व बैंक का यह दायित्व और अधिकार है कि वह भारत में केंद्र सरकार के कारोबार के संव्यवहार और उसके लोक ऋण का प्रबंधन करे। इसी प्रकार, रिज़र्व बैंक संघशासित क्षेत्र पुदुचेरि सहित सभी 29 राज्य सरकारों के ऋण-प्रबंधक के रूप में है और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 21ए के अंतर्गत रिज़र्व बैंक और सिक्किम सरकार के साथ हुए करार के अनुसार सिक्किम सरकार को छोड़कर अन्य सभी राज्यों का बैंकर भी है। इसके अतिरिक्त, रिज़र्व बैंक केंद्र तथा राज्य सरकारों को उनकी प्राप्तियों एवं भुगतान के अस्थायी असंतुलन को दूर करने के लिए अग्रिम प्रदान करता है। इस प्रकार के अग्रिम को 'अर्थोपाय' अग्रिम (डब्ल्यूएमए) कहा जाता है, यह अग्रिम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 17 (5) के अनुसार प्रदान किए जाने की तारीख से प्रत्येक मामले में तीन महीने के भीतर वापस करना होता है।

VII.2 रिज़र्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र को एक सुदृढ़, गहन, अधिक कुशल एवं समावेशी प्रणाली के रूप में परिवर्तित करने के लिए अपने स्तर पर एक मध्यावधि कार्यसूची तैयार की है। इस व्यापक कार्यसूची के अंतर्गत ऋण प्रबंधन का दृष्टिकोण, जिसका दायित्व आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग (आईडीएमडी) को सौंपा गया है, में निम्नलिखित शामिल हैं: सुदृढ़ अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप एक विस्तृत ऋण प्रबंधन कार्यनीति, उधार लेने की लागत को न्यूनतम बनाना, विविध प्रकार के निवेशकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए परिपक्वता अवधि को बढ़ाना, लोक ऋण का समेकन तथा रोलओवर जोखिम को सक्रिय स्विच/बाईबैक परिचालन के माध्यम से कम करना।

2014-15 की कार्यसूची और कार्यान्वयन की स्थिति

VII.3 वर्ष 2014-15 में ऋण प्रबंधन रणनीति का निम्नलिखित लक्ष्य था :

i) ऋण प्रबंधन कार्यों का समुचित तरीके से संचालन तथा भारत सरकार के बाज़ार उधार-कार्यक्रम को सहज एवं बाधारहित तरीके से कम-से-कम उधारी लागत पर सफलतापूर्वक पूरा करना;

ii) वर्ष की पहली व दूसरी छमाही में नए बांड निर्गमों, जिसमें गैर-मानक परिपक्वता वाले बांड शामिल हैं, सहित निर्गमों का उचित वितरण सुनिश्चित करना ताकि वर्ष की पहली छमाही में बहुत अधिक शोधन से बचा जा सके;

iii) भारत सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता प्रोफाइल को आसान बनाना ताकि वर्ष 2014-15 में बाईबैक / स्विच के माध्यम से शोधन के दबाव को कम किया जा सके;

iv) नीलामी संबंधी जानकारी को बाज़ार के सहभागियों एवं अन्य हितधारकों में तेजी से और बड़े पैमाने पर प्रसारण सुनिश्चित करना;

v) प्राथमिक व्यापारियों द्वारा सेमी-लिक्विड और इल्लिक्विड सरकारी प्रतिभूतियों में बाज़ार बनाने की योजना के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) में चलनिधि को प्रोत्साहित करना; और

vi) नकदी प्रबंधन की क्षमता को बेहतर बनाना तथा राज्यों के सीएसएफ/जीआरएफ (अर्थात् समेकित ऋण-शोधन निधि/ गारंटी उन्मोचन निधि) पर उचित प्रतिफल सुनिश्चित करना।

केंद्र सरकार का ऋण प्रबंधन

VII.4 वर्ष 2014-15 में सकल बाज़ार उधार ₹ 5920 बिलियन (बीई ₹ 6000 बिलियन) और निवल बाज़ार उधार ₹ 4532 बिलियन जुटाया गया, जिससे सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) के 90.3 प्रतिशत को निधि प्रदान की गई, बावजूद इसके कि इसे जुटाने में अनेक चुनौतियों जिनका उल्लेख बाद में किया जाएगा, का सामना करना पड़ा था (सारणी VII.1)। 2014-15 में अपेक्षाकृत चलनिधि की स्थिति सहज थी और बाज़ार स्थिर था, इसलिए केवल तीन अवसरों पर प्राथमिक व्यापारियों को ₹ 53 बिलियन का दायित्व सौंपा गया जबकि इसकी तुलना में वर्ष 2013-14 में 26 अवसरों पर ₹ 175 बिलियन की राशि का दायित्व सौंपा गया था।

VII.5 वर्ष 2014-15 के दौरान ऋण-प्रबंधन परिचालनों में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती यह थी कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से बाजार से लिए गए उधार का स्तर पिछले वर्ष की तुलना में सकल एवं निवल (अर्थात चुकौती को छोड़कर) दोनों तरह से बढ़ गया था, खासतौर से राज्य सरकार का, जिसके फलस्वरूप प्राथमिक बाज़ार में ऋण-निर्गमों का आकार काफी बड़ा हो गया था। रिज़र्व बैंक ने 118 दिन सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी की 'ट्रेजरी बिल और एसडीएल (राज्य विकास ऋण)' अथवा जिसमें कुल 548 निर्गम थे और 41 हामीदारी नीलामियां की गईं। दूसरी चुनौती वर्ष की पहली छमाही में प्रतिफल के बढ़े हुए स्तर की थी और जब उधार-कार्यक्रम को लाया गया तब उधार की लागत की चुनौती पैदा हो गई। इस प्रकार की परीक्षा की घड़ी में, ऋण-प्रबंधन की प्रभावशीलता को इस बात से मापा जा सकता हैं कि परिपक्वता अवधि में वृद्धि के बावजूद वर्ष के दौरान केंद्र द्वारा जारी दिनांकित प्रतिभूतियों की भारित औसत प्रतिफल में 12 आधार अंक की साधारण वृद्धि करके 8.51 प्रतिशत कर दिया गया था। तीसरी चुनौती यह थी कि रिज़र्व बैंक ने वर्ष के दौरान पुनः निर्गम के माध्यम से ऋण-समेकन की प्रक्रिया जारी रखी और बाईबैक/स्विचेस के माध्यम से शोधन के दबाव को आसान बना दिया तथा सरकारी ऋण के परिपक्वता प्रोफाइल की अवधि बढ़ा दी जिससे रोलओवर जोखिम को कम किया गया।

VII.6 हालांकि, वर्ष के दौरान सरकारी दिनांकित प्रतिभूति पर प्रतिफल शुरुआती महीने के उच्च स्तर से धीरे-धीरे घट गया (चार्ट VII.1), किंतु 2014-15 के दौरान जारी दिनांकित प्रतिभूतियों का भारित औसत प्रतिफल पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा अधिक रहा। लंबी अवधि की दिनांकित प्रतिभूतियों के अधिक निर्गमों से बकाया ऋण की औसत परिपक्वता कम हो गई है (सारणी VII.3)।

VII.7 सरकारी ऋण के समेकन के हिस्से के रूप में, 95 प्रतिशत प्रतिभूतियों को पुनः जारी किया गया। बाईबैक/स्विचेज प्रक्रिया संचालित की गई ताकि भारत सरकार की प्रतिभूतियों के परिपक्वता

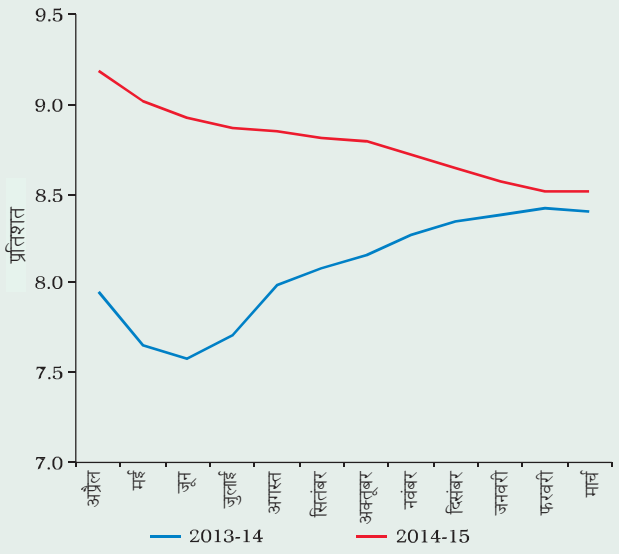
सारणी VII.1 : केंद्र सरकार की सकल और निवल बाज़ार उधारियां #

(₹ बिलियन)

मद	2004-05	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16*
1	2	3	4	5	6
निवल उधारियां	460	4,674	4,685	4,532	1,757 (4,564)
सकल उधारियां	803	5,580	5,635	5,920	2,670 (6,000)

टिप्पणी: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े बजट अनुमान हैं। 2. आंकड़ो में बाई बैक/स्विचेस शामिल नहीं है।
#: दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए निर्गम; *: 14 अगस्त 2015 तक की स्थिति।

चार्ट VII.1 भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गमों का भारित औसत प्रतिफल (संचयी)



प्रोफाइल सहज बनाया जा सके और शोधन का दबाव कम किया जा सके। बाजार से ₹ 188 बिलियन की राशि अल्पावधि प्रतिभूतियों की पुनः खरीद की प्रक्रिया सितंबर 2014 में रिवर्स नीलामी के माध्यम से पूरी की गई और ₹ 88 बिलियन के स्विचेज का संचालन फरवरी 2015 में किया गया (सारणी VII.3) रिज़र्व बैंक के पोर्टफोलियो से ₹ 302 बिलियन की प्रतिभूतियों के कन्वर्शन का कार्य मार्च 2015 में किया गया। इन उपायों के माध्यम से रिज़र्व बैंक ने जहां बकाया ऋण की परिपक्वता अवधि को बढ़ाना सुनिश्चित किया, वहीं भारत सरकार के लिए रोलओवर जोखिम को कम किया है।

VII.8 वाणिज्यिक बैंक दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों के प्रमुख निवेशक बने रहे, जो मार्च 2015 के अंत तक लगभग 43 प्रतिशत धारित किए हुए हैं, उसके बाद बीमा कंपनियों और भविष्य निधि कंपनियों की क्रमशः 21 प्रतिशत व 8 प्रतिशत धारिता थी। रिज़र्व बैंक की धारिता पिछले दो वर्ष के उच्च 16 प्रतिशत से काफी घटकर 14 प्रतिशत रह गई। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) जो हाल की अवधि में सक्रिय बाजार प्रतिभागी के रूप में उभरे हैं, का हिस्सा एक वर्ष पहले की तुलना में दोगुने से अधिक बढ़कर 3.7 प्रतिशत हो गया है।

VII.9 वर्ष 2014-15 में केंद्र सरकार का ट्रेजरी-बिल तथा दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से निवल बाज़ार उधार ₹ 4779 बिलियन था, जो वर्ष 2013-14 से 6 प्रतिशत कम था। 2014-15 के अंत के आसपास ट्रेजरी-बिलों पर प्रतिफल भी ठीक था जो चलनिधि की सहज स्थिति को दर्शाता है। बाजार विकास कार्यनीति का अनुसरण जारी रखते हुए रिज़र्व बैंक ने बाज़ार के सहभागियों और अन्य हितधारकों में नीलामी से संबंधित जानकारी को तेजी से और बड़े पैमाने पर पहुंचाना सुनिश्चित किया। ट्रेज़री-बिलों, एसडीएल तथा सरकारी प्रतिभूतियों की प्राथमिक नीलामी के परिणामों को ई-कुबेर और एनडीएस-ओएम में प्रकाशित करने की प्रणाली को अपनाया

सारणी VII.2 : केंद्र सरकार का बाज़ार ऋण-स्वरूप #

(आय प्रतिशत में/परिपक्वता वर्षों में)

वर्ष	प्राथमिक निर्गमों में परिपक्वता पर प्रतिफल की सीमा			वर्ष के दौरान के निर्गम			बकाया स्टॉक (मार्च के अंत में)	
	5 वर्ष से कम	5-10 वर्ष	10 वर्ष से अधिक	भारित औसत प्रतिफल	प्रतिभूतियों की अवधि	भारित औसत परिपक्वता	भारित औसत परिपक्वता	भारित औसत कूपन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2008-09	7.71-8.42	7.69-8.77	7.77-8.81	7.69	6-30	13.80	10.45	8.23
2009-10	6.09-7.25	6.07-7.77	6.85-8.43	7.23	5-15	11.16	9.82	7.89
2010-11	5.98-8.67	7.17-8.19	7.64-8.63	7.92	5-30	11.62	9.78	7.81
2011-12	8.21-8.49	7.80-10.01	8.25-9.28	8.52	5-30	12.66	9.60	7.88
2012-13	8.82-8.21	7.86-8.76	7.91-8.06	8.36	5-30	13.50	9.67	7.97
2013-14*	7.22-9.00	7.16-9.40	7.36-9.40	8.39	6-30	14.22	10.00	7.99
2014-15*	-	7.66-9.28	7.65-9.42	8.51	6-30	14.67	10.23	8.08

टिप्पणी: # : एमएसएस के अंतर्गत जारी निर्गम शामिल नहीं हैं;
*: मुद्रास्फीति से जुड़े बांडों तथा भारत सरकार की बाईबैक/स्विचेस वाली प्रतिभूतियों को छोड़कर।

सारणी VII.3: केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम - परिपक्वता स्वरूप

(राशि बिलियन ₹ में)

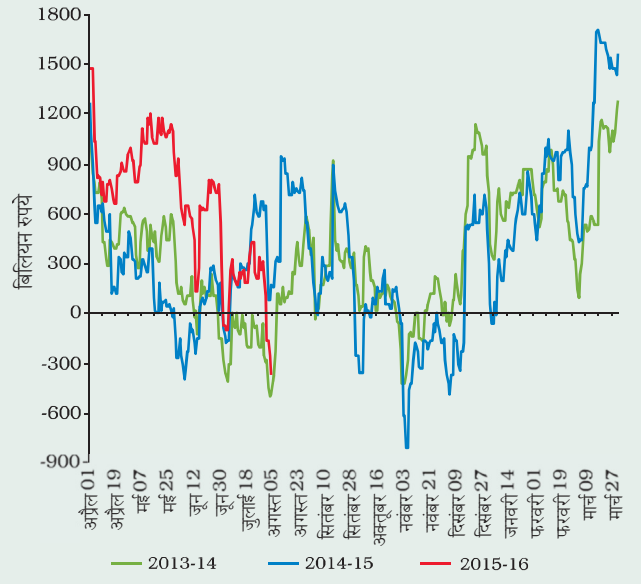
अवशेष परिपक्वता	2012-13		2013-14		2014-15	
	जुटाई -गई राशि	कुल का प्रतिशत	जुटाई -गई राशि	कुल का प्रतिशत	जुटाई -गई राशि	कुल का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
5 वर्ष से कम	470	8.42	110	1.95	-	-
5 -9.99 वर्ष	1,910	34.23	2,305	40.91	2,350	39.69
10-14.99 वर्ष	1,730	31.00	1,340	23.78	1,510	25.51
15-19.99 वर्ष	270	4.84	930	16.50	960	16.22
20 वर्ष और अधिक	1,200	21.51	950	16.86	1,100	18.58
कुल	**5,580**	**100.00**	**5,635**	**100.00**	**5,920**	**100.00**

गया था, साथ ही इन परिणामों को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया।

नकदी प्रबंधन

VII.10 सरकार का राजकोषीय वर्ष लगभग ₹ 1284 बिलियन की नकदी के साथ प्रारंभ हुआ और नकदी की स्थिति मई 2014 के तीसरे सप्ताह तक सहज बनी हुई थी (चार्ट VII.2)। सरकार के खर्चों के फलस्वरूप नकदी राशि घट गई और सरकार ने पिछले वर्ष के 42 दिन की तुलना में इस वर्ष कुछ-कुछ अंतराल पर कुल मिलाकर 61 दिन अर्थोपाय अग्रिमों (डब्लूएमए) की सुविधा ली। सरकार ने नवंबर 2014 में ₹ 100 बिलियन के नकदी प्रबंध बिल (सीएमबी) भी जारी किए।

चार्ट VII.2: भारत सरकार का नकदी शेष



VII.11 16 दिसंबर, 2014 से रिज़र्व बैंक की संशोधित चलनिधि संरचना के हिस्से के रूप में रिज़र्व बैंक के पास रखी हुई सरकारी की नकदी की नीलामी परिवर्ती दर रेपो पर की जा रही है। नीलामी के लिए गणना की गई भारत सरकार के नकदी शेष की भरपाई बकाया परिवर्ती दर रेपो की भारित औसत दर पर की जाती है। सरकार का राजकोषीय वर्ष के अंत में नकदी शेष ₹ 1573 बिलियन था।

VII.12 केंद्र सरकार के लिए वर्ष 2014-15 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) और दूसरी छमाही (अक्तूबर-मार्च) हेतु अर्थोपाय अग्रिम (डब्लूएमए) क्रमशः ₹ 350 बिलियन और ₹ 200 बिलियन निर्धारित किया गया था। वर्ष 2015-16 की पहली छमाही के लिए डब्ल्यूएमए सीमा को बढ़ाकर ₹ 450 बिलियन कर दिया गया है।

राज्य सरकारों का ऋण प्रबंधन

बाजार उधारियां

VII.13 रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 21ए के अंतर्गत तेलंगाना सरकार के साथ उनकी नकदी और ऋण प्रबंधन के कार्यों को संचालित करने के लिए 2 जून, 2014 से प्रभावी एक करार किया है। इसके साथ ही रिज़र्व बैंक अब सभी 29 राज्यों और पुदुचेरि संघशासित क्षेत्र (यूटी) का ऋण प्रबंधक बन गया है। 2014-15 में बाजार उधार कार्यक्रम में सभी ने भाग लिया जिससे निवल उधार में 26 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

VII.14 बाज़ार से अधिक उधार के बावजूद, वर्ष के दौरान जारी राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की भारित औसत आय पिछले वर्ष के 9.18 से घटकर 8.58 रह गई है। इसके साथ साथ भारित औसत स्प्रेड भारत सरकार की प्रतिभूतियों की तुलनायोग्य परिपक्वताओं की तुलना में काफी घटकर 38 आधार अंक रह गया जबकि पिछले वर्ष यह 75 आधार अंक था।

राज्य सरकारों का नकदी प्रबंधन

VII.15 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 17(5) के प्रावधानों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक 1937 से राज्य सरकारों को उनके नकदी प्रवाह में अस्थायी असंतुलन को दूर करने के लिए डब्लूएमए प्रदान करता रहा है। अर्थोपाय अग्रिम दो प्रकार के हैं, जैसे (i) साधारण आर्थोपाय अग्रिम या बिना शर्त के अग्रिम, और (ii) विशेष अर्थोपाय अग्रिम (एसडब्लूएमए) अथवा सुरक्षित अग्रिम (एसडब्लूएमए) अथवा सुरक्षित अग्रिम (राज्य सरकार के साथ किए गए करार में संशोधन करते हुए एसडब्ल्यूएमए का नाम जून 2014 में बदलकर विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) कर दिया गया है)। ओवरड्राफ्ट की स्थिति तब पैदा होती है जब रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकार को दिया गया ऋण एसडीएफ और डब्ल्यूएमए की सीमा से अधिक होता है।

VII.16 संघ शासित राज्य पुदुच्चेरि सहित राज्यों के कुल अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) में नवंबर 2013 को 50 प्रतिशत की वृद्धि करके ₹ 154 बिलियन किया गया था जिसे 2014-15 में भी जारी रखा गया है। राज्यों द्वारा डब्ल्यूएमए और ओडी का मासिक औसत उपयोग 2014-15 में अधिक रहा, जबकि डब्ल्यूएमए का सहारा लेने वाले राज्यों की संख्या अपरिवर्तित अर्थात 12 रही है। एसडीएफ का सहारा लेने राज्यों की संख्या 2013-14 के 12 राज्यों की तुलना में बढ़कर 14 हो गई है। 2014-15 में ओडी लेने वाले राज्यों की 10 संख्या रही जबकि 2013-14 में यह संख्या 8 थी।

VII.17 हाल ही में, रिज़र्व बैंक द्वारा सरकारी बैंकिंग कारोबार से संबंधित की गई नई पहल से राज्य सरकारों के नकदी प्रबंधन की कार्यक्षमता बढ़ने की संभावना है (बॉक्स VII.1)।

सारणी VII.4 : राज्यों की बाजार उधारियां

(₹ बिलियन)

मद	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16@
1	2	3	4	5
निवल आबंटन	1,881	2,185	2,365	उन
सकल आबंटन	2,187	2,506	2,564	उन
वर्ष दौरान जुटाई गई सकल राशि	1,772	1,967	2,408	824
वर्ष दौरान जुटाई गई निवल राशि	1,467	1,646	2,075	720
भारित औसत प्रतिफल (%)	8.84	9.18	8.58	8.22
भारित औसत स्प्रेड (आधार अंक)	71	75	38	34
बकाया एसडीएल (अवधि के अंत में)	9,291	10,619	12,755	13,474

@ : 12 अगस्त 2015 की स्थिति के अनुसार।

समेकित ऋणशोधन निधि (सीएसएफ) और गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) में निवेश

VII.18 राज्य सरकारों के फंड मैनेजर के रूप में, रिज़र्व बैंक उनकी समेकित ऋणशोधन निधि (सीएसएफ) और गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) का रखरखाव कर रहा है। दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों के अतिरिक्त, रिज़र्व बैंक ने संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दिए गए अधिदेश के अनुसार एसडीएल और अन्य उच्च लाभ देने वाली प्रतिभूतियों (उदाहरण के लिए ट्रेज़री बिल) में निवेश करना शुरू कर दिया है। सीएसएफ और जीआरएफ में बकाया निवेश मार्च 2015 के अंत में ₹ 703 बिलियन रही, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 14.8 प्रतिशत वृद्धि है। राज्य सरकार के वित्त विभाग के पदाधिकारियों में जागरुकता पैदा करने के अपने प्रयास में बैंक ने त्रिपुरा, मिजोरम, झारखंड, ओड़िशा और उत्तराखंड सहित अनेक राज्यों में क्षमता बढ़ाने से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

2015-16 की कार्यसूची

VII.19 केंद्र सरकार के बजट 2015-16 में वर्ष 2015-16 के दौरान केंद्र की निवल बाजार उधारियों में मामूली वृद्धि होने का पूर्वानुमान किया गया है। समष्टि आर्थिक स्थितियों में सुधार के

बॉक्स VII.1
सरकारी बैंकिंग में की गई नई पहल

सरकारी बैंकिंग कारोबार के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों में भिन्न-भिन्न व्यवस्थाएं हैं। उदाहरण के लिए, फ्रांस और रूस में यह कार्य केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है जबकि यूके और आस्ट्रेलिया में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किया जाता है। भुगतान संसाधन का कार्य फ्रांस और रूस में केंद्रीकृत है, जबकि दक्षिण अफ्रीका में केंद्रीकृत नहीं है। इस संबंध में, बड़े देश अर्थात अमरीका, चीन और भारत ने स्वरूप और लेनदेन के प्रकार के आधार पर मिश्रित दृष्टिकोण अपनाया है (चार्ट 1)।

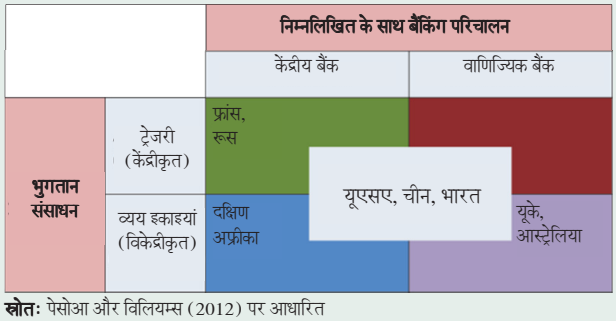
सरकारी बैंकिंग सेवाओं में कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए की गई पहल के रूप में, रिज़र्व बैंक ने राज्य सरकारों की ई-प्राप्तियों/ई-लेनदेनों की प्रक्रिया/डाटा संरचना में एकरूपता और मानकीकरण करने के लिए एक कार्य समूह गठित किया था। समूह ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 2014 में प्रस्तुत की। रिपोर्ट की सिफारिशों में सभी राज्यों के लिए एक व्यापक समान मॉडल को अपनाने और रिज़र्व बैंक की कोर बैंकिंग सुविधा, ई-कुबेर के साथ जोड़ने पर जोर दिया गया है। मई 2015 में रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित राज्य वित्त सचिव सम्मेलन में की गई चर्चा के अनुसार पूरे भारत में रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने का निर्णय लिया था, तदनुसार, एक कार्यदल इसकी निगरानी और कार्यान्वयन प्रक्रिया के लिए गठित किया गया है। आज की तारीख तक 15 राज्यों ने इस प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है और कार्यान्वयन के विविध स्तरों पर हैं। शेष बचे राज्यों को इसके अंतर्गत लाने हेतु प्रयास किए जा रें हैं।

ई-प्रति और ई-भुगतान की सुविधा ई-कुबेर में प्रदान की गई है ताकि बेहतर परिचालनगत कुशलता एवं सरकारों के बेहतर निधि प्रबंधन की सुविधा प्रदान की जा सके। ई-प्राप्ति प्रणाली में एजेन्सी बैंक के जरिए राजस्व संग्रह, रिज़र्व बैंक को सूचनाओं का प्रवाह और संबंधित राज्य सरकार के खाते में निधि का अंतिम अंतरण की सुविधा प्रदान की गई है। यह प्रणाली किसी प्रकार के पुनर्मिलान के बिना तेजी से कार्य करती है। राज्य के राजस्व संग्रह में सहभागी एजेन्सी बैंक को आईएसओ 20022 प्रारूप फाइल में दैनिक प्राप्तियों का विवरण तैयार करना होता है और उसे ई-कुबेर पोर्टल, जिसका उपयोग बैंक, रिज़र्व बैंक के साथ अपने इंटरफ्रेस करने में करते है, पर अपलोड करना होता है। फाइल का संसाधन करने के बाद सभी संबंधित सूचनाओं के साथ ई-स्क्रॉल को स्ट्रेट-थ्रू-प्रॉसिसिंग (एसटीपी) तरीके से राज्य सरकारों को इलेक्ट्रानिक रूप में भेजा जाता है। केंद्र सरकार के लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ ई-कुबेर के इंटरफ्रेस की सुविधा एसटीपी आधार पर अंतर-सरकारी लेनदेन के लिए सभी केंद्रीय मंत्रालयों को प्रदान कर दी गई है।

जिन राज्यों में केंद्रीकृत ट्रेज़री प्रणाली है, वहां उसकी आईटी प्रणाली को ई-कुबेर के साथ जोड़ने का कार्य किया जाएगा और सरकार द्वारा किए गए भुगतान का विवरण किसी प्रकार के मैनुअल हस्तक्षेप के बिना भुगतान करने के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण (एनईएफटी) प्रणाली को सीधे प्राप्त, संसाधित और अंतरित किया जाएगा। लेनदेन-वार-ई-स्क्रॉल विधिवत भुगतान की स्थिति (सफल अथवा वापसी) का उल्लेखत करते हुए उसी दिन भेजा जाएगा। इससे सुनिश्चित होगा कि सभी प्रकार के भुगतान सही तरह से संसाधित किए गए हैं और किसी प्रकार के विलंब के बिना लाभार्थी को प्राप्त हो गए हैं।

प्रौद्योगिकी विकास का अधिकतम लाभ लेने के लिए कारोबार प्रक्रिया, रिइंजीनियरिंग पर एक कार्य समूह गठित किया गया है जिसमें सरकारी एजेन्सी, बैंक और रिज़र्व बैंक होंगे। यह समूह सरकारी कारोबार, संबंधित संस्थागत इंफ्रास्ट्रक्चर और रिपोर्टिंग ढांचे के लिए कार्यप्रवाह, प्रणाली और प्रक्रियाओं की जांच करेगा। इस संबंध में समूह से अपेक्षा की गई है कि वह अपनी रिपोर्ट अक्तूबर 2015 तक प्रस्तुत करे। इस प्रकार के प्रयासों से आने वाले वर्षो में सरकारों के नकदी प्रबंधन सहित सरकारों की बैंकिंग व्यवस्था काफी बेहतर होगी।

चार्ट 1: सरकारी बैंकिंग कारोबार की अंतरराष्ट्रीय प्रथाएं



स्रोत: पेसोआ और विलियम्स (2012) पर आधारित

संदर्भ :

पेसोआ, एम. और एम. विलियम्स (2012), सरकारी नकदी प्रबंधनः ट्रेज़री और केंद्र सरकार, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक नीति के बीच संबंध।

पटनायक, एस. और आई. फैंबोइम (2011), ट्रेजरी एकल खाता : सरकारी नकदी प्रबंधन, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक नीति के लिए एक आवश्यक टूल।

संकेत और मुद्रास्फीतिकारी दबाओं में कमी के चलते बाजार उधार कार्यक्रम उधारी लागत को कम करते हुए समुचित ढंग से पूरा होने की आशा है।

VII.20 2015-16 के दौरान अंतरराष्ट्रीय श्रेष्ठ प्रथाओं के समान भारत सरकार के साथ विचार-विमर्श करके एक मध्यवर्ती ऋण प्रबंधन रणनीति जनता के बीच रखी जाएगी। भारत सरकार के

परिपक्वता प्रोफाइल को प्रबंधित करने और रोलओवर जोखिम को कम करने के लिए यह योजना बनाई गई है कि 2015-16 की दूसरी छमाही से खरीद वापसी और स्विचेस निर्गम के नियमित कैलेंडर का भाग होगा। अपेक्षाकृत सपाट प्रतिफल वक्र को ध्यान में रहते हुए बीमा कंपनियों और पेंशन फंड जैसे दीर्घकालिक निवेशकों की मांग को पूरा करने के लिए 2015-16 के दौरान एक 40 वर्षीय प्रतिभूति जारी करने का प्रस्ताव है।

VII.21 राज्य सरकार की बाजार उधारियों में पिछले वर्ष की तुलना में 2015-16 में वृद्धि की गई है। बाजार उधारियों के पूर्वानुमान में सुधार करने के लिए सभी राज्यों को वर्ष 2015-16 से लागू निर्गम के तिमाही कैलेंडर को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना होगा और इस प्रकार का पहला कैलेंडर 2015-16 की दूसरी तिमाही में घोषित किया गया है। राज्यों को भी यह सूचित किया गया है कि वे अपने राज्यों में निवेशकों को सक्रिय रूप से शामिल करें ताकि निवेशक आधार को बढ़ाया जा सके।

VII.22 राज्य सरकारों के अर्थोपाय अग्रिम संबंधी परामर्शदात्री समिति (अध्यक्षः श्री सुमित बोस) की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाना अपेक्षित है और इसे लागू करने पर विचार किया जाएगा।

VII.23 रिज़र्व बैंक रीटेल निवेशकों को आसान और बढ़ी हुई पहुंच उपलब्ध कराना जारी रखेगा। इसी के भाग के रूप में, सभी मिड-सेगमेंट और गिल्ट खाते रखने वाले रीटेल निवेशकों को भाग लेने के लिए ई-कुबेर प्लेटफार्म पर एक वेब-आधारित समाधान लागू किया जा रहा है। सरकारी प्रतिभूति बाजार को और अधिक विकसित करने हेतु प्राथमिक व्यापारी (पीडी) द्वारा चुनिंदा अल्प चलनिधि वाली प्रतिभूतियों में बाजार विकसित करने की योजना लागू की जाएगी। रीटेल निवेशकों के लिए उपलब्ध गैर-प्रतिस्पर्धी बोली-प्रक्रिया-सुविधा मौजूदा समय में मात्र ट्रेज़री बिलों के अलावा दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामियों पर लागू है। ट्रेज़री बिलों में गैर-प्रतिस्पर्धी बोली-प्रक्रिया-सुविधा वैयक्तिकों को भी प्रदान करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है। सभी हितधारकों के साथ परामर्श करके रिज़र्व बैंक शेयर बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का लेनदेन बढ़ाने के लिए सहायक सामान्य खाता बही (एसजीएल) से डीमैट रूप में और इसके विपरीत भी प्रतिभूतियों में बिना किसी रुकावट के लगातार लेनदेन करने की सुविधा प्रदान करेगा। ऋण बाजार में इस प्रकार के प्रवाह से संबंधित जोखिम और लाभ को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक विदेशी संविभाग निवेशकों (एफपीआई) द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने के आकार और विस्तार संबंधी ढांचे को और अधिक व्यवहार्य बनाने के लिए कार्य करेगा।

VII.24 रिज़र्व बैंक लोक ऋण प्रबंध एजेन्सी (पीडीएमए) की स्थापना के लिए शुरुआती प्रक्रिया में भारत सरकार के साथ मिलकर कार्य करेगा।

VIII मुद्रा प्रबंध

2014-15 में भी बैंक नोटों और सिक्कों की मांग में तेजी बनी रही। रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक नोटों की सत्यनिष्ठा में सुधार लाने के लिए सुरक्षा विशेषताओं को और मजबूत करने के प्रयासों में तेजी लाई गई। रिज़र्व बैंक ने मुद्रा प्रबंध के आधार का दायरा बढ़ाने के प्रयोजन से बैंकों के साथ करार किया। भारत सरकार के साथ परामर्श करके रिज़र्व बैंक ने मुद्रा के स्वदेशीकरण की दिशा में प्रयास किया।

VIII.1 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की प्रस्तावना और इसकी धारा 22 में रिज़र्व बैंक के प्रमुख सांविधिक कार्य के संबंध में जिस प्रकार की अपेक्षा की गई है, उसके अनुक्रम में 2014-15 के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा मुद्रा प्रबंध कार्य के लिए अपनायी गई पद्धति यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित थी कि जनता को व्यापार के लिए उचित रूप से आवश्यक विभिन्न मूल्यवर्ग के साफ-सुथरे बैंक नोटों और सिक्कों की आपूर्ति पूरी हो सके और बैंक नोटों एवं सिक्कों का निर्माण, संग्रहण तथा वितरण और गंदे एवं कटे-फटे नोटों एवं अप्रचलित सिक्कों को नष्ट करना सुनिश्चित हो।

मुद्रा की प्रवृत्तियां

VIII.2 प्रौद्योगिकी आधारित भुगतान के गैर-नगदी माध्यमों के प्रयोग के बाद भी 2014-15 में बैंक नोटों और सिक्कों की मांग में वृद्धि हुई।

परिचालनगत बैंक नोट

VIII.3 पिछले वर्ष की तुलना में परिचालनगत बैंक नोटों के मूल्य में 11.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई और मार्च 2015 के अंत में यह बढ़कर ₹ 14,289 बिलियन हो गया। इसके अलावा, इसी अवधि के दौरान परिचालनगत बैंक नोटों की मात्रा में 8.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह बढ़कर 83.6 बिलियन नग हो गई। मार्च 2015 के अंत में परिचालनगत बैंक नोटों के कुल मूल्य में 85 प्रतिशत ₹ 500 और ₹ 1000 मूल्यवर्ग के नोट थे। मार्च 2015 के अंत में परिचालनगत बैंक नोट की मात्रा में 54 प्रतिशत ₹ 10 और ₹ 100 मूल्यवर्ग के नोट थे। (सारणी VIII.1).

परिचलानगत सिक्के

VIII.4 2014-15 में परिचालनगत सिक्कों की मांग में निरंतर वृद्धि देखी गई। परिचालनगत सिक्कों के कुल मूल्य में 12.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, किंतु मात्रा की दृष्टि से यह वृद्धि 8.0 प्रतिशत रही। (सारणी VIII.2).

सारणी VIII.1: परिचालनगत बैंक नोट

मूल्यवर्ग (₹)	मात्रा (मिलियन नग)			मूल्य (₹ बिलियन)		
	मार्च 2013	मार्च 2014	मार्च 2015	मार्च 2013	मार्च 2014	मार्च 2015
1	2	3	4	5	6	7
2 एवं 5	11,624	11,698	11,672	46	46	46
	(15.8)	(15.1)	(13.9)	(0.4)	(0.4)	(0.3)
10	25,168	26,648	30,304	252	266	303
	(34.2)	(34.5)	(36.3)	(2.2)	(2.1)	(2.1)
20	3,825	4,285	4,350	77	86	87
	(5.2)	(5.5)	(5.2)	(0.6)	(0.7)	(0.6)
50	3,461	3,448	3,487	173	172	174
	(4.7)	(4.5)	(4.2)	(1.5)	(1.3)	(1.2)
100	14,421	14,765	15,026	1,442	1,476	1,503
	(19.6)	(19.1)	(18.0)	(12.4)	(11.5)	(10.5)
500	10,719	11,405	13,128	5,359	5,702	6,564
	(14.6)	(14.7)	(15.7)	(46.0)	(44.4)	(46.0)
1,000	4,299	5,081	5,612	4,299	5,081	5,612
	(5.9)	(6.6)	(6.7)	(36.9)	(39.6)	(39.3)
कुल	**73,517**	**77,330**	**83,579**	**11,648**	**12,829**	**14,289**

टिप्पणी: कोष्ठकों में दर्शाए गए आंकड़े कुल मात्रा/मूल्य में प्रतिशत हिस्से को दर्शाते हैं।

सिक्कों की बढ़ी हुई मांग और आपूर्ति बढ़ाने के उपाय

VIII.5 हाल के वर्षों में, आपूर्ति की तुलना में सिक्कों की मांग में तेजी से वृद्धि हुई है और इसका मुख्य कारण रहा - देश में चल रहे कई टॉल प्लाजा, बस/ऑटो/ट्रेन/टैक्सी के किरायों की संरचना

सारणी VIII.2: परिचालनगत सिक्के

मूल्यवर्ग	मात्रा (मिलियन नग)			मूल्य (₹ बिलियन)		
	मार्च 2013	मार्च 2014	मार्च 2015	मार्च 2013	मार्च 2014	मार्च 2015
1	2	3	4	5	6	7
छोटे सिक्के	14,788	14,788	14,788	7	7	7
	(17.4)	(16.1)	(14.9)	(4.6)	(4.1)	(3.6)
₹ 1	35,884	38,424	41,627	36	38	42
	(42.4)	(41.9)	(42.1)	(23.5)	(21.9)	(21.7)
₹ 2	22,113	24,823	27,038	44	50	54
	(26.1)	(27.1)	(27.3)	(28.8)	(28.9)	(27.8)
₹ 5	10,675	11,577	12,761	53	58	64
	(12.6)	(12.7)	(12.9)	(34.6)	(33.5)	(33.0)
₹ 10	1,267	2,017	2,750	13	20	27
	(1.5)	(2.2)	(2.8)	(8.5)	(11.6)	(13.9)
कुल	**84,727**	**91,629**	**98,964**	**153**	**173**	**194**

टिप्पणी: कोष्ठकों में दर्शाए गए आंकड़े कुल में प्रतिशत हिस्से को दर्शाते हैं।

और विशेषकर सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और शीघ्र खपत होने वाली उपभोक्ता वस्तुओं (एफएमसीजी) के छोटे-छोटे रूप में बढ़ते प्रयोग के मद्देनजर ग्रामीण और शहरी गरीबों की संपन्नता में हुई वृद्धि। पिछले कुछ वर्षों के दौरान सिक्कों की मांग और आपूर्ति में असंतुलन सारणी VIII.3 में दी गई है।

VIII.6 बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार की टकसालों से सिक्कों की आपूर्त्ति बढ़ाने को कहा तथा वितरण को आगे और सरल एवं कारगर बनाने के लिए निम्नानुसार अतिरिक्त कदम उठाए हैं:

(i) दुकानदारों और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों, टॉलगेट एजेंसियों, आदि को सिक्कों की उनकी जरूरतों के लिए निकटतम करेंसी चेस्ट के साथ जोड़ा गया;

सारणी VIII.3: सिक्कों की मांग और आपूर्ति

(मिलियन नग)

वर्ष	मांग	आपूर्ति
1	2	3
2012-13	9,554	6,878
2013-14	12,033	7,677
2014-15	13,840	7,907

(ii) बैंकों को सूचित किया गया कि वे सिक्का मेलों का आयोजन करें ताकि लोगों को सीधे ही सिक्के प्राप्त हो सकें;

(iii) बड़ी तादाद में सिक्कों का उपयोग करने वालों जैसेकि बड़े खुदरा व्यापारी और टॉल प्लाजा को सूचित किया गया कि वे बिक्री केंद्र (पीओएस) टर्मिनल/कार्ड/ई-टोकन का प्रयोग बढ़ाएं ताकि सिक्कों पर उनकी निर्भरता कम हो सके और;

(iv) बैंकों को क्वाइन वेंडिंग मशीन (सीवीएम) और ऐसी मशीनें स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जो लोगों को नगदी संबंधित सेवा प्रदान कर सके।

VIII.7 रिज़र्व बैंक ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि टकसालों में उत्पादन क्षमता बढ़ाए जाने तक अल्पावधि उपाय के रूप में सिक्कों के आयात की अनुमति दी जाए; सिक्का ढलाई अधिनियम, 2011 के अनुसार निजी पार्टियों द्वारा सिक्कों को ढालने की अनुमति दी जाए; और मध्यम अवधि के उपाय के रूप में टकसालों की वर्तमान उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जाए/नए टकसाल स्थापित किए जाएं। रिज़र्व बैंक इन उपायों पर भी कार्य रहा है कि जनता को सिक्कों को फिर से संचलन में लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

मुद्रा प्रबंध की मूलभूत संरचना

VIII.8 मुद्रा प्रबंध की मूलभूत संरचना में 19 निर्गम कार्यालय, 4,132 करेंसी चेस्ट (उप राजकोष कार्यालयों और कोच्चि में रिज़र्व के करेंसी चेस्ट सहित) और देश भर में वाणिज्यिक, सहकारी एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के फैले हुए छोटे सिक्कों के 3,813 डिपो शामिल हैं (सारणी VIII.4)। वर्ष के दौरान करेंसी चेस्ट खोलने के लिए कई स्तरों पर अनुमोदन लेने के स्थान पर एकल स्तरीय अनुमोदन प्रणाली की शुरुआत के साथ इस प्रक्रिया को सरल बनाया गया।

लीड बैंक योजना

VIII.9 2013 में प्रायोगिक आधार पर मुद्रा प्रबंध के लिए लीड बैंक योजना की शुरुआत की गई जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य में एक जिले की पहचान करके उसमें एक अग्रणी बैंक निर्धारित किया गया और इसके परिणामस्वरूप लीड बैंक की जिम्मेदारी होगी कि उस क्षेत्र में स्थित करेंसी चेस्ट और छोटे सिक्कों के डिपो से समन्वय करके वह यह सुनिश्चित करे कि लोगों की साफ-सुथरे नोटों और

सारणी VIII.4: मार्च 2015 के अंत की स्थिति के अनुसार करेंसी चेस्ट एवं छोटे सिक्कों के डिपो

श्रेणी	करेंसी चेस्टों की संख्या	छोटे सिक्कों के डिपो की संख्या
1	2	3
भारतीय स्टेट बैंक	2,033	1,930
एसबीआई एसोसिएट बैंक	763	733
राष्ट्रीयकृत बैंक	1,162	987
निजी क्षेत्र के बैंक	153	149
सहकारी बैंक	4	4
विदेशी बैंक	4	4
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	5	5
राज्य राजकोष कार्यालय (एसटीओ)	7	0
भारिबैं	1	1
कुल	**4,132**	**3,813**

सिक्कों की वास्तविक आवश्यकताएं पूरी हों। लीड बैंक मुद्रा प्रबंध के लिए एक नोडल बैंक (बीसीएम) के रूप में कार्य करते हुए इन मुद्दों पर ध्यान देगा, जैसेकि गैर-करेंसी चेस्ट शाखाओं को करेंसी चेस्ट के साथ जोड़ना, उस क्षेत्र में बैंक शाखाओं से बैंक नोटों और सिक्कों की आपूर्ति एवं निर्गम की सुविधा मुहैया कराना, डायवर्जन अनुरोध को तुरंत भेजना और जनता की शिकायतों का निपटान करना। नोडल बीसीएम असली नोटों की सुरक्षा विशेषताओं और कटे-फटे नोटों को बदलने पर जागरुकता बढ़ाने/साक्षरता अभियान चलाने से संबंधित कार्य करती है। एक वर्ष के परिचालन के बाद, इस योजना की समीक्षा की गई और यह निर्णय लिया गया कि 2014-15 में इसे जारी रखा जाए और 2015-16 में इसे जारी रखना समीक्षाधीन है।

स्वच्छ नोट नीति

बैंक नोटों और सिक्कों की मांग का आकलन और आपूर्ति

VIII.10 मुद्रा की मांग का आकलन करने के लिए अर्थमितीय मॉडल का प्रयोग किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वास्तविक जीडीपी में वृद्धि की संभावनाएं, मुद्रास्फीति की दर और मूल्यवर्ग-वार गंदे नोटों को नष्ट करने की दर शामिल हैं। तदनुसार, बैंक नोटों की कुल आपूर्ति 2014-15 में बढ़ाकर 23.7 बिलियन नग कर दी गई, जबकि 2013-14 में यह 20.9 बिलियन नग थी

सारणी VIII.5: बैंक नोटों की मांग और बीआरबीएनएमपीएल तथा एसपीएमसीआईएल द्वारा रिज़र्व बैंक को आपूर्ति

मूल्यवर्ग (`)	मात्रा (मिलियन नग)				
	2013-14		2014-15		2015-16
	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति	मांग
1	2	3	4	5	6
5	0	0	0	0	0
10	12,164	9,467	6,000	9,417	4,000
20	1,203	935	4,000	1,086	5,000
50	994	1,174	2,100	1,615	2,050
100	5,187	5,131	5,200	5,464	5,350
500	4,839	3,393	5,400	5,018	5,600
1,000	975	818	1,500	1,052	1,900
कुल	**25,362**	**20,918**	**24,200***	**23,652**	**23,900**

*: वार्षिक रिपोर्ट 2013-14 में प्रकाशित आंकड़े बाद में संशोधित किए गए।
बीआरबीएनएमपीएल: भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड
एसपीएमसीआईएल : भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड

(13.1 प्रतिशत की वृद्धि) (सारणी VIII.5)। सिक्कों की आपूर्ति में भी 2013-14 के 11.6 प्रतिशत की तुलना में 2014-15 में 3.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। (सारणी VIII.6)

गंदे बैंक नोटों को नष्ट करना

VIII.11 2014-15 के दौरान, लगभग 15.1 बिलियन नग गंदे बैंक नोट नष्ट किए गए जबकि लक्ष्य 17.1 बिलियन का था और 2013-14 के दौरान 14.2 बिलियन नग नष्ट किए गए।

सारणी VIII.6: सिक्कों की मांग और एसपीएमसीआईएल द्वारा रिज़र्व बैंक को आपूर्ति

मूल्यवर्ग	मात्रा (मिलियन नग)				
	2013-14		2014-15		2015-16
	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति	मांग
1	2	3	4	5	6
50 पैसे	50	40	40	20	40
`1	5,418	3,092	6,000	3,247**	6,100
`2	3,546	2,424	4,000	2,367	4,000
`5	1,819	1,393	2,000	1,091	2,100
`10	1,200	728	1,800	1,187	2,000
कुल	**12,033**	**7,677**	**13,840***	**7,912****	**14,240**

* : वार्षिक रिपोर्ट 2013-14 में प्रकाशित आंकड़े बाद में संशोधित किए गए।
** : `1 करेंसी नोटों की 5 मिलियन नग शामिल हैं।

सारणी VIII.7: पता लगाए गए जाली नोटों की संख्या अप्रैल से मार्च

(नगों की संख्या)

वर्ष	पता लागया गया भारिबैं में	अन्य बैंकों में	कुल
1	2	3	4
2013-14	19,827	468,446	488,273
	(4.1)	(95.9)	(100.0)
2014-15	26,128	568,318	594,446
	(4.4)	(95.6)	(100.0)

नोट: 1. कोष्ठकों में दर्शाए गए आंकड़े कुल में प्रतिशत हिस्से को दर्शाते हैं।
2. इसमें पुलिस तथा अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जब्त किए गए जाली नोट शामिल नहीं हैं।

जाली नोट

VIII.12 वर्ष 2014-15 के दौरान, बैंकिंग प्रणाली में 594,446 नग जाली नोटों का पता लगाया गया, जिनमें से 95.6 प्रतिशत का पता वाणिज्य बैंकों ने लगाया, जबकि 4.4 प्रतिशत का पता रिज़र्व बैंक के कार्यालयों में हुआ (सारणी VIII.7)। 2014-15 के दौरान, पता लगाए गए जाली नोटों की संख्या में ·2 और ·5 को छोड़कर सभी मूल्यवर्ग के नोटों में वृद्धि हुई (सारणी VIII.8)।

VIII.13 इस अंतरराष्ट्रीय प्रथा के अनुक्रम में कि अलग-अलग श्रृंखला के बैंक नोट एक-साथ परिचालन में नहीं होने चाहिए, 2005 से पहले के नोटों को वापस लेने की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से 2014 में शुरू की गई। हालांकि 2005 से पहले के इन अधिकांश नोटों को बैंक शाखाओं के जरिए परिचालन से वापस ले लिया गया है, यह निर्णय लिया गया कि वापस लेने की तारीख को 31 दिसंबर 2015 तक बढ़ाया जाए ताकि बचे 2005 से पहले के पुराने डिजाइन के बैंक नोट वापस लिए जा सकें और जनता को कम-से-कम असुविधा हो।

प्रतिभूति मुद्रण और वितरण पर खर्च

VIII.14 देश भर में नोटों का वितरण तेजी से करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने एक ऐसी योजना को लागू करते आया है जिसके तहत नोट मुद्रण प्रेस से करेंसी चेस्ट को सीधे ही बैंक नोटों का प्रेषण हो सके और बार-बार की जाने वाली लॉजिस्टिक एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं से बचा जा सके। 2014-15 (जुलाई-जून) के दौरान, प्रतिभूति मुद्रण में कुल ·37.6 बिलियन खर्च हुआ, जबकि 2013-14 में ·32.1 बिलियन खर्च हुआ। यह वृद्धि मुख्य रूप से इस कारण से हुई थी कि पिछले वर्ष की तुलना में 13.1 प्रतिशत अधिक बैंक नोटों की आपूर्ति हुई। वर्ष 2014-15 के दौरान, रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के साथ परामर्श करके मुद्रा को देश में ही प्रिंट करने (बॉक्स VIII.1), बैंक

सारणी VIII.8: परिचालनगत नोटों के अनुपात में बैंकिंग प्रणाली में मूल्यवर्ग-वार पता लगाए गए जाली नोट (नगों में)
(अप्रैल से मार्च)

मूल्यवर्ग (·)	2013-14			2014-15		
	जाली नोटों की संख्या	परिचालनगत नोट	एनआईसी के अनुपात में एफआईसीएन	जाली नोटों की संख्या	परिचालनगत नोट	एनआईसी के अनुपात में एफआईसीएन
1	2	3	4	5	6	7
2 and 5	1	11,698,000,000	0.00000000	0	11,672,000,000	0.00000000
10	157	26,648,000,000	0.00000001	268	30,304,000,000	0.00000001
20	87	4,285,000,000	0.00000002	106	4,350,000,000	0.00000002
50	6,851	3,448,000,000	0.00000199	7,160	3,487,000,000	0.00000205
100	118,873	14,765,000,000	0.00000805	181,799	15,026,000,000	0.0000121
500	252,269	11,405,000,000	0.00002212	273,923	13,128,000,000	0.00002087
1000	110,035	5,081,000,000	0.00002166	131,190	5,612,000,000	0.00002338
कुल	**488,273**	**77,330,000,000**	**0.00000631**	**594,446**	**83,579,000,000**	**0.00000711**

एफआईसीएन: जाली भारतीय करेंसी नोट। एनआईसी: परिचालनगत नोट।
नोट: इसमें पुलिस तथा अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जब्त किए गए जाली नोट शामिल नहीं हैं।

बॉक्स VIII.1:
मुद्रा मुद्रण के स्वदेशीकरण के प्रयास

चीन के बाद केवल भारत करेंसी नोटों का सबसे बड़ा निर्माता एवं उपभोक्ता है। मार्च 2015 के अंत में ₹ 14.3 ट्रिलियन बैंक नोट (मूल्य की दृष्टि से) परिचालन में थे और इसके साथ ही भुगतान के लिए करेंसी ही प्रभावशाली माध्यम बनी हुई है।

1980 के दशक में अंत तक, करेंसी नोटों की निरंतर बढ़ती मांग सरकारी नोट प्रेस (नासिक और देवास) की क्षमता से अधिक हो गई। रिज़र्व बैंक ने पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी के माध्यम से 1996 में मैसूर और साल्बनी में दो करेंसी प्रेस की स्थापना की, उदाहरण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बीआरबीएनएमपीएल) और 1999 तक देश को करेंसी नोट मुद्रण के मामले में आत्म-निर्भर बनाया। वर्तमान में, भारत में परिचालित 40 प्रतिशत से अधिक करेंसी नोट सरकार के प्रेस द्वारा मुद्रित किए जाते हैं, जबकि बाकि बचे 60 प्रतिशत रिज़र्व बैंक के करेंसी प्रेस से निकलते हैं। तथापि, करेंसी मुद्रण हेतु आवश्यक प्रमुख अवयवों के लिए रिज़र्व बैंक मोटे तौर पर आयात पर निर्भर है। स्याही के मामले में, भारत में ऑफसेट और इन्टैग्लियो स्याही का उत्पादन होता है, जबकि ऑप्टिकली वेरिएबल इंक का आयात किया जाता है। बैंक नोटों की मौजूदा श्रृंखला में प्रयोग होने वाली कुछ सुरक्षा विशेषताएं जैसेकि सुरक्षा धागा और वाटर मार्क का भी आयात किया जाता है। जहां तक बैंक नोटों में प्रयोग होने वाले पेपर का संबंध है, करेंसी नोट मुद्रण के लिए वार्षिक रूप से आवश्यक पेपर का केवल 5 प्रतिशत ही भारत में उत्पादित होता है और बाकि के लिए आयात की आवश्यकता होती है। आयात पर निर्भरता के कारण लागत, गुणवत्ता और सामयिकता के लिहाज से करेंसी मुद्रण की प्रक्रिया असुरक्षित हो जाती है।

रिज़र्व बैंक ने देश में ही करेंसी नोट का मुद्रण करने से जुड़े फायदे जैसेकि सुनिश्चित, सुगम एवं समय पर आपूर्ति, लागत में किफायत (आयात बिल में कमी के द्वारा), रोजगार सृजन और जालसाजी को रोकने में प्रभावी रोक को देखते हुए एक बहु-स्तरीय रणनीति की शुरुआत की है। स्वदेशीकरण की गति को बढ़ाने के लिए, मैसूर में 12,000 एमटी की वार्षिक क्षमता के साथ एक पेपर मिल स्थापित की जा रही है जोकि करेंसी मुद्रण के लिए पेपर की आवश्यकता को काफी हद तक पूरा करेगा। रिज़र्व बैंक बैंक नोटों की सुरक्षा विशेषताओं के संबंध में घरेलू स्तर पर योग्यता को विकसित करने के क्षेत्र में भी प्रयास कर रहा है। सुरक्षा विशेषाताओं के स्वदेशीकरण के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम के प्रयोजन से, रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के साथ परामर्श करके एक उच्च स्तरीय संचालन समिति (अध्यक्षः श्री आर गांधी) गठित की है जो ऐसी एजेंसियों/संस्थानों की पहचान करेगा जिन्हें अगले कुछ वर्षों में स्वदेशी सुरक्षा विशेषताएं विकसित करने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके।

नोटों का जीवनकाल बढ़ाने और सिक्कों की बनावट एवं आकार से जुड़े मुद्दों का हल निकालने की दिशा में सम्मिलित प्रयास किया।

मुद्रा प्रबंध विभाग

VIII.15 मुद्रा प्रबंध के मामले में, मुद्रा प्रबंध विभाग (डीसीएम) देश भर में विभिन्न मूल्यवर्ग के साफ-सुथरे बैंक नोटों और अच्छे सिक्कों की पर्याप्त मात्रा में बाधा-रहित आपूर्ति और परिचालन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2014-15 के दौरान रिज़र्व बैंक के लिए तय किए गए लक्ष्य में निम्नलिखित शामिल हैं- प्लास्टिक बैंक नोटों का फील्ड परीक्षण, बैंक नोटों का जीवनकाल बढ़ाने के लिए विकल्प तलाशना, स्टोरेज, परिवहन, वितरण के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी उन्नयन का प्रयोग करना; प्रायोगिक आधार पर पूरी तरह स्वचालित नगद प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) की स्थापना, जाली नोटों से पार पाने के लिए करेंसी नोट मुद्रण प्रौद्योगिकी के नवीनतम खोजों का प्रयोग करते हुए बैंक नोटों की नई श्रृंखला की शुरूआत करना, सिक्कों को प्रयोक्ता अनुकूल बनाने और अधिक समय तक चलने के लिए उन्हें फिर से डिजाइन करना और बैंक नोटों की पैकिंग में सुधार लाना ताकि उनकी हैंडलिंग में सुविधा हो और उनके परिचानल की प्रक्रिया को और अधिक श्रम-अनुकूल बनाया जा सके।

2014 -15 के लिए एजेंडाः कार्यान्वयन की स्थिति

प्लास्टिक बैंक नोटों का फील्ड परीक्षण

VIII.16 ₹ 10 के मूल्यवर्ग में प्लास्टिक के भारतीय बैंक नोटों की आपूर्ति के प्रस्ताव का अनुरोध किया गया था और इसका तकनीकी मूल्यांकन किया गया। तथापि, इसमें कुछ तकनीकी कमजोरियां सामने आईं और इस प्रक्रिया को आगे और नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

बैंक नोटों का जीवनकाल बढ़ाने के लिए विकल्पों की तलाश

VIII.17 बैंक नोटों का जीवनकाल बढ़ाने के प्रयोजन से किए जाने वाले उपायों का मूल्यांकन करने हेतु एक समिति का गठन किया गया जिसमें हितधारकों और अनुसंधान संस्थाओं को शामिल किया गया है। इस विषय पर एक अध्ययन को हाथ में लिया गया है और 2015-16 में इसके पूरा होने की संभावना है।

पूरी तरह से स्वचालित नगद प्रसंस्करण केंद्र

VIII.18 यह महसूस किया गया कि हब एंड स्पोक मॉडल से दक्षता और बढ़ेगी। तदनुसार, वाणिज्य बैंकों को ऐसे प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया गया और दो बैंकों ने सीपीसी की स्थापना का कार्य शुरू कर दिया है।

जालसाजों से आगे बने रहना

VIII.19 वर्ष के दौरान ₹ 100 मूल्यवर्ग के बैंक नोटों में एक नई संख्यांकन पद्धति की शुरुआत की गई। अन्य सभी मूल्यवर्ग में चरणबद्ध तरीक से नई संख्यांकन पद्धति शुरू की जाएगी। सुरक्षा विशेषताओं की आपूर्ति के लिए एक पूर्व अर्हता वैश्विक बोली के माध्यम से जून 2015 में, नई सुरक्षा विशेषताओं के शुरुआत की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई।

सिक्कों की पुनः डिजाइनिंग और बैंक नोटों की पैकिंग में सुधार

VIII.20 भारत सरकार ने सिक्कों की बनावट और आकार पर विचार करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है। इस समिति से रिज़र्व बैंक भी जुड़ेगा। हितधारकों के साथ परामर्श करके यह निर्णय गया कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) समझौता 127 और सिफारिश 128 (जिसमें किसी वयस्क कामगार द्वारा उठाया जाने वाला भार 55 किग्रा से अधिक न हो) के अनुरूप, बैंक नोटों की पैकिंग के लिए नालीदार फाइबर बॉक्स की शुरुआत की जाए। वर्तमान में प्रयोग में लाए जाने वाले लकड़ी के बॉक्सों की तुलना में इस प्रकार के बॉक्स अधिक पर्यावरण अनुकूल होंगे। दो प्रिंटिंग प्रेस ने नए नालीदर फाइबर बॉक्सों में बैंक नोटों की आपूर्ति शुरू कर दी है।

2015-16 के लिए एजेंडा

VIII.21 रिज़र्व बैंक ने 2014-15 में नई श्रृंखला के बैंक नोट, नई संख्यांकन पद्धति, अक्षम लोगों के लिए ब्रेल जैसे साइन और स्वच्छ नोट नीति के क्षेत्र में शुरू की गई गतिविधियों को आगे बढ़ाते हुए 2015-16 के दौरान निम्नलिखित पहल करने की योजना बनाई है। बैंक नोटों के जीवनकाल को बढ़ाने की दिशा में प्लास्टिक बैंक नोटों की विशेषताएं विकसित करने के प्रयोजन से टेंडर पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा, बैंक नोटों के जीवनकाल को बढ़ाने के लिए अन्य विकल्पों को तलाशने की पहल की जाएगी।

ग्राहक सेवा

VIII.22 बैंकों द्वारा बैंक नोटों और सिक्कों से संबंधित सेवाएं मुहैया कराने के संबंध में प्रोत्साहन और दंड योजना को तर्कसंगत किया जाएगा। लीवरेजिंग प्रौद्योगिकी को शामिल करते हुए वैकल्पिक उपायों के प्रोत्साहन से बैंक नोटों और सिक्कों के वितरण नेटवर्क मजबूत किए जाएंगे। इसके अलावा, नोट वापसी नियम, जिसकी पिछली समीक्षा 2009 में की गई थी, उस पर आगे और सुधार करने पर विचार किया जाएगा। रिज़र्व बैंक भारतीय बैंक नोटों की सुरक्षा विशेषताओं के स्वदेशीकरण के अपने मध्यम/लंबी अवधि के लक्ष्य को जारी रखेगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बीआरबीएनपीएमएल)

VIII.23 बैंक नोटों का उत्पादन बढ़ाने और देश में बैंक नोटों की मांग और आपूर्ति के अंतर को दूर करने के प्रयोजन से रिज़र्व बैंक द्वारा 03 फरवरी 1995 को बीआरबीएनएमपीएल की स्थापना की गई थी जो पूरी तरह से रिज़र्व बैंक की स्वामित्व वाली सब्सिडियरी है। कंपनी के दो प्रेस, एक कनार्टक के मैसूर में और दूसरा पश्चिम बंगाल के साल्बोनी में है।

VIII.24 बीआरबीएनएमपीएल में बैंक नोटों की वार्षिक आवश्यकता का 60 प्रतिशत उत्पादन होता है और मार्च 2015 के अंत तक यह रिज़र्व बैंक को 15,515.88 मिलियन बैंक नोटों की आपूर्ति कर चुका है। 2014-15 के दौरान इसका कर पश्चात् शुद्ध मुनाफा ₹ 1.38 बिलियन रहा, जबकि पिछले वर्ष इसका कर पश्चात् शुद्ध मुनाफा ₹ 1.33 बिलियन था।

VIII.25 कंपनी अपनी उत्पादकता और परिचालनगत दक्षता को अनुसंधान, विकास गतिविधियों और प्रक्रिया नवोन्मेषण के जरिए लगातार बढ़ा रही है। कंपनी ने गुणवत्ता का कड़ाई से पालन करने के लिए अपने मैसूर और साल्बोनी स्थित प्रयोगशालाओं में जांच और अनुसंधान सुविधाएं स्थापित की हैं। इन प्रगोयशालाओं में वर्तमान में बैंक नोटों का जीवनकाल बढ़ाने, बैंक नोटों के लिए मूलभूत आधार

के चयन और उनका मूल्यांकन करने, विभिन्न वस्तुओं तथा उनकी विशेषताओं की तुलना करने और सुरक्षा विशेषताओं का मूल्यांकन करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

VIII.26 12,000 टन प्रतिवर्ष क्षमता वाले बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (बीएनपीएमआईपीएल) की स्थापना मैसूर में अक्तूबर 2010 में की गई थी और इसकी स्थापना भारत सरकार की स्वामित्व वाली एसपीएमसीआईएल और रिज़र्व बैंक की सब्सिडियरी बीआरबीएनएमपीएल के बीच एक समान हिस्सेदारी वाले संयुक्त उद्यम के रूप में हुई थी। तथापि, संबंधित एजेंसियों से प्राप्त होने वाले अनुमोदन और प्रक्रिया में समस्या के कारण इस सुविधा का परिचालन अवरुद्ध हो गया। इसके 2015-16 से उत्पादन शुरू करने की संभावना है। आशा है कि इस सुविधा से बैंक नोटों के पेपर के आयात में उल्लेखनीय कमी आएगी और विनिर्माण में इससे आत्मनिर्भरता आएगी।

IX भुगतान और निपटान प्रणालियां एवं सूचना प्रौद्योगिकी

इलेक्ट्रानिक भुगतानों को प्रोत्साहित करने और नकदी संव्यवहार कम करने वाली सामाजिक व्यवस्था के विज़न के अनुसरण में, रिज़र्व बैंक देश में सुरक्षित, समावेशी और कुशल भुगतान प्रणालियां विकसित करने के प्रयास में निरंतर लगा हुआ है। एटीएम लेनदेनों, प्रीपेड भुगतान लिखतों, व्हाइट लेबल एटीएम और छोटे मूल्य के संपर्क-रहित कार्ड द्वारा प्रस्तुत भुगतानों से संबंधित नीतियों के युक्तीकरण की दिशा में किए गए प्रयास इसमें शामिल हैं। इनके अलावा, बिल भुगतानों के इंफ्रास्ट्रक्चर में मजबूती लाने और एमएसएमई बिल भुनाने के क्षेत्र में भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) और व्यापार प्राप्तियां एवं बट्टा प्रणाली (टीआरईडीएस) हेतु नीतिगत फ्रेमवर्क बनाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ की गई है। उभरती हुई चुनौतियों का सामना करने के लिए रिज़र्व बैंक ने अनेक आंतरिक आईटी उपाय भी प्रारंभ किए हैं।

भुगतान और निपटान प्रणालियां विभाग

IX.1 भली प्रकार से विकसित किसी वित्तीय प्रणाली के लिए कुशल और सुरक्षित भुगतान और निपटान प्रणालियां महत्वपूर्ण घटक होते हैं। भुगतान और निपटान प्रणालियों के मामले में यह विभाग रिज़र्व बैंक का नोडल बिंदु है, जिसका ध्यान नकदी का कम संव्यवहार करने वाली सामाजिक व्यवस्था की ओर प्रस्थान करना और इलेक्ट्रानिक लेन-देनों की कुशलता और सुरक्षा को बढ़ाने के साथ ही साथ परिचालनों की सहजता में सुधार भी लाना है। एक अन्य प्रमुख क्षेत्र है जिस पर जोर दिया गया है, वह है अंतर-परिचालनीय भुगतान प्रणाली इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ बनाने के जरिए वित्त तक पहुंच बढ़ाना और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप भुगतान प्रणाली संबंधी गतिविधियों के लिए मजबूत विधिक आधार प्रदान करना। बाधा रहित वित्तीय लेन-देन सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से रिज़र्व बैंक कई वर्षों से नियमित आधार पर भुगतान और निपटान प्रणालियों को अपग्रेड करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाता रहा है, जिसके परिणामस्वरूप नकद और कागज आधारित लेन-देनों से इलेक्ट्रानिक रूप में भुगतानों की ओर क्रमिक झुकाव हो रहा है। इन सब उपायों को करते समय रिज़र्व बैंक ने प्रौद्योगिकी में होने वाले विकास को ध्यान में रखा और भुगतानों के वातावरण में नवोन्मेष को सुविधाजनक बनाया।

भुगतान प्रणालियों में रुझान और प्रगति

IX.2 इलेक्ट्रानिक भुगतानों में अंतरण के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए दृढ़ प्रयासों के फलस्वरूप 2014-15 में इलेक्ट्रानिक भुगतान प्रणालियों ने लेन-देन की उच्च मात्रा दर्ज की (सारणी IX.1) तदनुसार, कागज़-आधारित समाशोधन प्रणालियों द्वारा प्रसंस्कृत किए गए लेनदेनों की मात्रा और मूल्य दोनों संदर्भों में निरंतर गिरावट दिखाई पड़ी। समग्र रूप से भुगतान और निपटान प्रणालियों ने पिछले वर्ष की तुलना में 2014-15 में मात्रात्मक रूप से 27.1 प्रतिशत की उच्चतर और मूल्य के संदर्भ में 5.4 प्रतिशत की निम्नतर संवृद्धि दर्ज की।

कागज़ी समाशोधन

IX.3 कुल लेन-देनों की तुलना में कागज़-आधारित लेन-देनों की हिस्सेदारी हाल के वर्षों में कम होती जा रही है। मात्रा के रूप में, 2014-15 के दौरान हुए कुल लेन-देनों की तुलना में कागज़-आधारित लेन-देनों का प्रतिशत 25.4 ही था, जो पिछले वर्ष के 33.9 प्रतिशत की तुलना में कम था। मूल्य के रूप में भी उनके हिस्सेदारी 6.2 प्रतिशत से कम होकर 5.4 प्रतिशत रह गई।

इलेक्ट्रानिक खुदरा भुगतान

IX.4 इलेक्ट्रानिक खुदरा भुगतानों में कवरेज और उपयोग दोनों के संदर्भ में संवृद्धि प्रोत्साहित करने वाली रही है। 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण(एनईएफटी) सुविधा, व्यापार संवाददाता (बीसी) केंद्रों के अलावा, 161 बैंकों की 121,845 शाखाओं में उपलब्ध थी।

सारणी IX.1: भुगतान प्रणाली के संकेतक - वार्षिक कारोबार

मद	मात्रा (मिलियन)			मूल्य (· बिलियन)		
	2012-13	2013-14	2014-15	2012-13	2013-14	2014-15
1	2	3	4	5	6	7
प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण वित्तीय बाजार इन्फ्रास्ट्रक्चर (एसआईएफएमआई)						
1. आरटीजीएस	68.5	81.1	92.8	676,841.0	734,252.4	754,032.4
कुल वित्तीय बाजार समाशोधन (2 + 3 + 4)	**2.3**	**2.6**	**3.0**	**501,598.5**	**621,569.6**	**672,455.6**
2. सीबीएलओ	0.2	0.2	0.2	120,480.4	175,261.9	167,646.0
3. सरकारी प्रतिभूतियों का समाशोधन	0.7	0.9	1.0	119,948.0	161,848.2	179,372.0
4. विदेशी मुद्रा समाशोधन	1.4	1.5	1.8	261,170.1	284,459.5	325,437.6
कुल एसआईएफएमआई (1 से 4)	**70.8**	**83.7**	**95.7**	**1,178,439.5**	**1,355,822.0**	**1,426,488.0**
खुदरा भुगतान						
कुल कागजी समाशोधन (5+6+7)	**1,313.7**	**1,257.3**	**1,195.8**	**100,181.8**	**93,316.0**	**85,439.3**
5. चेक ट्रंकेशन प्रणाली	275.0	591.4	964.9	21,779.5	44,691.4	66,769.9
6. माइकर समाशोधन	823.3	440.1	22.4	57,504.0	30,942.8	1,850.4
7. गैर-माइकर समाशोधन	215.3	225.9	208.5	20,898.3	17,681.8	16,819.0
कुल खुदरा इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन (8+9+10+11+12)	**694.1**	**1,108.3**	**1,687.4**	**31,881.1**	**47,856.3**	**65,365.5**
8. ईसीएस नामे	176.5	192.9	226.0	1,083.1	1,268.0	1,739.8
9. ईसीएस जमा	122.2	152.5	115.3	1,771.3	2,492.2	2,019.1
10. एनईएफटी	394.1	661.0	927.6	29,022.4	43,785.5	59,803.8
11. त्वरित भुगतान सेवा (आइएमपीएस)	1.2	15.4	78.4	4.3	95.8	581.9
12. राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच)	-	86.5	340.2	-	214.8	1,220.9
कुल कार्ड भुगतान (13+14+15)	**932.6**	**1,261.8**	**1,737.7**	**2,052.1**	**2,575.4**	**3,324.5**
13. क्रेडिट कार्ड	396.6	509.1	615.1	1,229.5	1,539.9	1,899.2
14. डेबिट कार्ड	469.1	619.1	808.1	743.4	954.5	1,213.4
15. प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआइ)	66.9	133.6	314.5	79.2	81.0	211.9
कुल खुदरा भुगतान (5 से 15 तक)	**2,940.3**	**3,627.4**	**4,620.9**	**134,115.0**	**143,747.7**	**154,129.3**
कुल जोड़ (1 से 15)	**3,011.1**	**3,711.1**	**4,716.6**	**1,312,554.5**	**1,499,569.7**	**1,580,617.3**

:- लागू नहीं

नोट: 1. आरटीजीएस में मात्र ग्राहक और अंतरबैंक लेनदेन शामिल हैं।

2. संपार्श्वीकृत उधार तथा ऋण देयताओं (सीबीएलओ), सरकारी प्रतिभूतियों का समाशोधन और विदेशी मुद्रा संबंधी लेनदेन का निपटान भारतीय समाशोधन निगम लि. (सीसीआइएल) के माध्यम से किया जाता है।

3. चेकों की समस्त मात्रा को चेक संसाधन केंद्रों में अंतरित कर देने से देश में अब कोई चुबंकीय स्याही चिह्न पहचान (माइकर)चेक संसाधन केंद्र (सीपीसी) नहीं हैं।

4. कार्ड के आंकड़े सिर्फ बिक्री बिंदु पर किए गए लेनदेनों से संबंधित हैं।

5. एनएसीएच प्रणाली एनपीसीआइ द्वारा (29 दिसंबर 2012 में) शुरू की गई थी ताकि अंतरबैंक, बड़ी मात्रा वाले, इलेक्ट्रानिक लेनदन जो दोहराने योग्य और आवधिक स्वरूप के हैं, के लिए सुविधाजनक हो सके।

6. हो सकता है कि संख्या का पूर्णांकन करने के कारण कॉलम में दिए गए आंकड़े मेल न खाते हो।

2014-15 में एनईएफटी ने लगभग · 60 ट्रिलियन मूल्य के 928 मिलियन लेन-देनों का निष्पादन किया, जबकि कि पिछले वर्ष · 44 ट्रिलियन मूल्य के 661 मिलियन लेन-देन निष्पादित किए गए थे। केवल मार्च, 2015 माह में ही एनईएफटी ने अब तक की सबसे अधिक मात्रा 106 मिलियन लेन-देनों का निष्पादन किया।

IX.5 थोक इलेक्ट्रानिक भुगतान प्रणालियों (इलेक्ट्रानिक समाशोधन सेवाओं(ईसीएस) और राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह का जोड़) के संबंध में भी वृद्धि का रुझान दृष्टिगत होता है। बैंकों ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम(एनपीसीआई) द्वारा चलाई जा रही एनएसीएच और रिज़र्व बैंक द्वारा चलाई जा रही ईसीएस दोनों ही सुविधाओं का उपयोग करना जारी रखा।

IX.6 जहां तक कार्ड लेनदेनों का संबंध है, 2014-15 के दौरान, क्रेडिट कार्डों के जरिए लगभग · 1.9 ट्रिलियन मूल्य के 615 मिलियन लेनदेन निष्पादित किए गए, जबकि डेबिट कार्डों

के जरिए ₹ 1.2 ट्रिलियन मूल्य के 808 मिलियन लेन-देन व्यहृत किए गए। प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई)में उल्लेखनीय इज़ाफा देखने को मिला, इनके जरिए ₹ 212 बिलियन मूल्य के 314 मिलियन लेन-देन रिकार्ड किए गए। मोबाइल बैंकिंग सेवाएं, जो भुगतान विकल्पों में अपेक्षाकृत नई हैं, उन्होंने भी उत्सावर्धक वृद्धि दर्ज की है और उन्होंने वर्ष के दौरान ₹ 1 ट्रिलियन मूल्य के 171 मिलियन लेन-देनों को निष्पादित किया।

2014-15 के लिए कार्यसूची: क्रियान्वयन स्थिति

मोबाइल बैंकिंग

IX.7 2014-15 की कार्यसूची के एक भाग के रूप में, यह योजना बनाई गई थी कि मोबाइल बैंकिंग को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे और आवश्यक आधारभूत कार्य किए जाएंगे ताकि हितधारकों को शामिल किया जा सके और बैंकों के बीच मोबाइल बैंकिंग के लिए मानक एप्लीकेशन लागू करने की व्यवहार्यता का पता लगाने, ग्राहकों को शामिल करने, लेनदेनों की सुरक्षा और ग्राहक शिकायतों के लिए मानकों को निर्धारित किया जा सके। रिज़र्व बैंक ने इस संबंध में दिसंबर 2014 में बैंकों को दिशानिर्देश जारी किए हैं ताकि देश में मोबाइल बैंकिंग के प्रयोग को बढ़ाया जा सके। बैंकों को सूचित किया गया है कि वे मोबाइल बैंकिंग सेवाओं के लिए सरल पंजीकरण संबंधी विकल्पों को अपने ग्राहकों को एटीएम के माध्यम सहित विभिन्न माध्यमों से सूचित किया जाए ताकि इस प्रकार की सेवाओं के लिए शाखा में जाने की आवश्यकता को न्यूनतम किया जा सके।एनपीसीआई, राष्ट्रीय वित्तीय स्विच नेटवर्क (एनएफएस) पर एटीएम के जरिए मोबाइल बैंकिंग के लिए पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने की प्रक्रिया में है, एनपीसीआई को सूचित किया गया था कि वो ग्राहक शिकायतों से निपटने के लिए, विशेष रूप से राष्ट्रीय एकीकृत यूएसएसडी (अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंटरी सर्विस डेटा) प्लैटफार्म (एनयूयूपी) के संदर्भ में, बैंकों और मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटरों (एमएनओ) के बीच उद्योग सहमतियों हेतु मानक तय करें।

व्यापार प्राप्तियां एवं बट्टा प्रणाली (टीआरईडीएस)

IX.8 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए तीव्र और कुशल वित्तीय विकल्प उपलब्ध कराने के लिए यह प्रस्ताव किया गया था कि एक इलेक्ट्रानिक टीआरईडीएस बनाया जाए ताकि एमएसएमई, उनके कारपोरेट क्रेताओं और साथ ही उनके वित्तपोषकों, को निकट लाया जा सके, और चलनिधि के प्रबंधन में एमएसएमई क्षेत्र द्वारा महसूस की जा रही बाधाओं को कम किया जा सके। टीआरईडीएस में सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों(पीएसयू) सहित कारपोरेट क्रेता प्रतिभागी होंगे। यह प्रणाली प्राप्तियों के साथ ही साथ देयताओं की फैक्टरिंग की सुविधा भी प्रदान करेग। तदनुसार, टीआरईडीएस को बनाने के लिए नीतिगत उपाय किए गए। टीआरईडीएस को बनाने के लिए सात आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनकी संवीक्षा की जा रही है ताकि भुगतान और निपटान प्रणालियां (पीएसएस) अधिनियम, 2007 के तहत 2015-16 के दौरान उनको प्राधिकृत करने पर विचार किया जा सके।

भारत बिल भुगतान प्रणालियां (बीबीपीएस)

IX.9 2014-15 के लिए निर्धारित कार्यसूची के अनुसार नवंबर 2014 में बीबीपीएस के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए। बीबीपीएस को एनपीसीआई द्वारा संपूर्ण-भारत हेतु एकीकृत बिल भुगतान प्रणाली के रूप पीएसएस अधिनियम, 2007 के तहत विकसित किया जा रहा है जो एजेंट्स के नेटवर्क के जरिए ग्राहकों को अंतर-परिचालनीय और सुगम बिल भुगतान सेवाओं की पेशकश करेगा। ऐसी आशा है कि यह ग्राहकों, जिन्हें अपने बिल भुगतान करने संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न विकल्पों (संबंधित बिल प्रदाताओं द्वारा एक ही स्थान पर) का उपयोग करना पड़ता है, को अपना बिल भुगतान करने में पेश आ रही समस्याओं को दूर करेगा। भारत बिल भुगतान केंद्रीय यूनिट(बीबीपीसीयू) के रूप में कार्य करने के लिए एनपीसीआई को प्राधिकृत करने और भारत बिल भुगतान परिचालन यूनिट (बीबीपीओयू) को प्राधिकृत करने की प्रक्रिया 2015-16 के दौरान पूरी कर ली जाएगी।

भुगतान प्रणालियों का समेकन

IX.10 ईसीएस समूह और एनएसीएच एक समान सेवाएं ही उपलब्ध कराते हैं। 2014-15 की कार्यसूची में जैसा कि उल्लेख किया गया था, ईसीएस समूह से लेन-देनों की मात्रा को एनएसीएच में दिसंबर 2014 से अंतरित कर भुगतान प्रणालियों के समेकन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और इस प्रकार, लगभग सभी प्रतिभागी अब एनएसीएच प्रणाली के साथ जुड़ गए हैं।

2014-15 के दौरान अन्य गतिविधियां

IX.11 इलेक्ट्रानिक भुगतानों की स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए विभाग के उद्देश्य के अनुसरण में वर्ष के दौरान निम्नलिखित नीतिगत परिवर्तन लागू किए गए।

इंफ्रास्ट्रक्चर/सेवा प्रदाताओं का विस्तार

IX.12 भुगतान विकल्पों की अतिरिक्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 9 निकायों को प्राधिकार जारी किए गए जिससे 2014-15 में प्राधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों की संख्या बढ़कर 63 हो गई। पीपीआई चलाने के लिए 2014-15 में 5 निकायों के जुड़ने से उनकी संख्या बढ़कर 34 हो गई। शेष चार निकायों को धनांतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) (सीमा-पार आनेवाले विप्रेषण) और तत्काल धन अंतरण के लिए प्राधिकृत किया गया। 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार, पूरे देश में 7881 डब्ल्यूएलए थे जिसमें से 4,932 टियर III से टियर VI केंद्रों में थे।

IX.13 बढ़ते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवा प्रदाताओं के साथ ही यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि वे रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप परिचालित हों। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने खुदरा भुगतान प्रणालियों कि लिए एक मूल्यांकन टेंपलेट बनाया है। गैर-बैंक निकायों को टेंपलेट के अनुसार स्व-मूल्यांकन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

सुरक्षा और कुशलता

IX.14 भुगतान प्रणालियों के विकास में भुगतान प्रणाली की सुरक्षा और कुशलता महत्वपूर्ण होती है, एनईएफटी प्लैटफार्म को डेटा केंद्र संरचना के तहत यूनिक्स प्लैटफार्म पर अंतरित किया गया जिससे न केवल प्रसंस्करण क्षमता में इज़ाफा हुआ बल्कि इसने व्यापार निरंतरता की चिंता को भी समाप्त कर दिया। इसी प्रकार, बड़े मूल्य की भुगतान प्रणालियों के संबंध में पुनःनिर्मित तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) प्रणाली में हाईब्रिड विशेषताओं को सक्रिय करने से जहां लेन-देनों का निपटान सकल आधार पर करने की सुविधा मिली वहीं इसके साथ ही बहुपक्षीय प्रति-संतुलन भी संभव हो गया। इसके अलावा, कुशलता और ग्राहक सेवा पक्ष को सुधारने के लिए, निपटान हेतु भावी दिनांकित लेन-देनों (तीन व्यापारिक दिनों तक) की स्वीकार्यता को सक्रिय कर दिया गया है और आरटीजीएस के व्यापारिक घंटों को बढ़ा दिया गया है।

IX.15 बड़े मूल्य की भुगतान प्रणालियों में कुछ जोखिमों को समाप्त करने के उद्देश्य से भारतीय समाशोधन निगम लिमिडेट (सीसीआईएल) ने कई उपाय किए। सीसीआईएल ने अपने अंतर-बैंक विदेशी मुद्रा लेन-देनों के यूएसडी-भारतीय रुपए संबंधी निपटान को अप्रैल 2015 में भुगतान बनाम भुगतान (पीवीपी) में अंतरित करके हर्सटैट जोखिम[1] को दूर किया है। इसने विदेशी मुद्रा वायदा क्षेत्र में पोर्टफोलिओ कंप्रेशन के अपने पहले चक्र को पूरा करते हुए लगभग 62 प्रतिशत कंप्रेशन प्राप्त कर लिया है और इस प्रकार प्रतिपक्षी एक्सपोजर को कम किया है। सीसीआईएल ब्याज दर स्वैप (आईआरएस)/वायदा दर करार(एफआरए) व्यापारों के लिए ऑनलाइन आधार पर विदेशी मुद्रा वायदा में रुपए के डेरीवेटिव हिस्से में एक्सपोज़र की भी जांच कर रहा है जो कि समय रहते मार्जिन की पर्याप्तता का पता लगाने की सुविधा देता है और इस प्रकार सीसीआईएल द्वारा किए गए व्यापारों के अस्वीकृत होने के जोखिम को कम करता है।

ग्राहक सहूलियत और नवोन्मेष

IX.16 भुगतान प्रणाली के उपयोग में सहूलियत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से और इलेक्ट्रानिक भुगतानों में अंतरण की भी सुविधा देने के लिए पीपीआईज़, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम उपयोग और अभिप्रमाणन के लिए अतिरिक्त कारक (एएफए[2]) से संबंधित नीतिगत दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया।

IX.17 पीपीआईज़ को जारी किए जाने वाले दिशानिर्देशों को दिसंबर 2014 में युक्तिसंगत बनाया गया था ताकि इनके उपयोग में वृद्धि सुनिश्चित की जा सके। पूर्ण-केवाईसी के

[1] किसी एक पार्टी द्वारा विदेशी मुद्रा व्यापार में बेची गई मुद्रा का भुगतान कर देना परंतु खरीदी हुई मुद्रा में भुगतान प्राप्त न कर पाने को विदेशी मुद्राविनिमय निपटान में जोखिम या ''हर्सटैट'' जोखिम कहा जाता है।

[2] एएफए एक सुरक्षा प्रक्रिया है जिसमें उपयोगकर्ता पहचान के लिए अतिरिक्त माध्यम उपलब्ध कराता है, जिसमें से एक प्रमुख रुप से भौतिक टोकन होता है, जैसे कि एक कार्ड और दूसरी व्यवस्था में इसे स्मरण करना होता है, जैसे कि एक सुरक्षा कोड।

लिए आंशिक -बंद पीपीआईज़ के लिए सीमा को ₹ 50,000 से बढ़ाकर ₹ 100,000 कर दिया गया; उपहार कार्डों के लिए वैधता को एक वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष कर दिया गया; पूर्ण रूप से केवाईसी अनुपालित बैंक खातों से आश्रित परिवार सदस्यों के लिए कई पीपीआईज़ जारी करने के लिए बैंकों को अनुमति दी गई। देश में आने वाले विदेशी नागरिकों और अप्रवासी भारतीयों (एनआरआई) को सहूलियत देने के लिए और इस क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले नकद लेन-देनों को कम करने के लिए बैंकों को यह अनुमति दी गई कि वे विदेशी नागरिकों और एनआरआईज़ को भारत में रुकने के दौरान रुपए में अंकित खुली प्रणाली वाले पुनः न भर सकने वाले पीपीआई जारी कर सकते हैं। इस प्रकार के पीपीआईज़ के लिए ₹ 200,000 के साथ ₹ 50,000 प्रतिमाह की नकद आहरण सीमा अनुमत की गई है।

IX.18 डब्ल्यूएलए के संबंध में दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई ताकि डायनमिक मुद्रा परिवर्तन (डीसीसी) की सुविधा के अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट/डेबिट/प्रीपेड कार्डों की स्वीकार्यता अनुमत की जा सके। डब्ल्यूएलए ऑपरेटरों को अब यह अनुमति दी गई है कि वे अपने प्रायोजक बैंक के अतिरिक्त किसी अन्य वाणिज्यिक बैंकों के साथ डब्ल्यूएलए को नकदी आपूर्ति हेतु संबंध स्थापित कर सकते हैं।

IX.19 कार्ड लेन-देनों की सुरक्षा तथा सहूलियत के पहलू में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता को पहचानने के लिए, एएफए की अपेक्षा जिसे सुरक्षा परिचालनों हेतु पूर्व में लागू किया गया था से छोटे मूल्य के प्रस्तुत कार्ड लेन-देनों के लिए छूट प्रदान की गई जिसमें संपर्क रहित (यूरोपे, मास्टरकार्ड और वीज़ा) ईएमवी चिप कार्ड का उपयोग किया गया। बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे समुचित वेग (वेलॉसिटी) नियंत्रण की व्यवस्था रखने के साथ ही साथ ग्राहक पर लगने वाली अधिकतम देयता, यदि कोई हो, का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।

कम नकदी संव्यवहार की ओर जाना

IX.20 अंतरपरिचालनीय एटीएम इंफ्रास्ट्रक्चर और भौगोलिक रूप से एटीएम के फैलाव को ध्यान में रखते हुए बड़े शहरों में एटीएम से होने वाले अनिवार्य मुफ्त लेन-देनों को युक्तिसंगत बनाया गया। अब से, 6 मेट्रो केंद्रों पर बचत खाता धारकों के लिए अन्य बैंकों की एटीएम पर मुफ्त लेन-देनों की न्यूनतम संख्या को प्रतिमाह पांच से घटाकर तीन कर दिया गया है। इसके अलावा, बैंकों को सूचित किया गया है कि वे अपने बचत खाता धारकों को अपनी स्वयं की एटीएम पर प्रतिमाह कम-से-कम पांच मुफ्त लेन-देन मुहैया कराएं। अनिवार्य मुफ्त एटीएम लेन-देनों के अलावा किए गए लेन-देनों के लिए बैंकों को अपने ग्राहकों से अधिकतम ₹20 प्रति लेन-देन(सेवा कर अतिरिक्त) तक प्रभार लेने की अनुमति प्रदान की गई है। तथापि, एटीएम पर और अधिक बार मुफ्त लेन-देन की पेशकश करने के लिए बैंक अपनी स्वयं की नीतियां बना सकते हैं।

ठोस विधिक ढांचा और अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप अनुपालन

IX.21 भुगतान प्रणालियों के लिए एक ठोस विधिक ढांचा होना भी उतना ही अधिक महत्वपूर्ण है, इसीलिए वर्ष के दौरान अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुसरण में पीएसएस अधिनियम 2007 में कुछ संशोधन लागू किए गए।

IX.22 वैश्विक वित्तीय संकट के बाद एक्सचेंज से इतर (ओटीसी) डेरीवेटिव बाजारों को मजबूत बनाने के लिए व्यापार निक्षेपागारों (टीआर) तथा विधिक निकाय पहचान प्रणाली (एलईआई) को दिए जाने वाले महत्व में तेजी आई। इसके अलावा, केंद्रीय प्रतिपक्षी (सीसीपी) कार्यप्रणाली और इसके दिवालिया होने की स्थिति में विधिक निश्चितता भी महत्वपूर्ण है। किसी सीसीपी के दिवालिया हो जाने की स्थिति में क्लोज आउट नेटिंग को विशिष्ट विधिक सहायता प्रदान करने के लिए एवं इसके साथ ही रिज़र्व बैंक द्वारा टीआर तथा स्थानीय परिचालन यूनिट (एलओयू-एलईआई जारी करने के लिए एक निकाय) के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए भी पीएसएस अधिनियम, 2007 में राज्य सभा की प्रवर समिति द्वारा विस्तृत विचार विमर्श के बाद, जिसमें बैंक ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया। इसमें अपेक्षित संशोधन किए गए ताकि सीसीपी के दिवालिएपन की स्थिति में क्लोज़-आउट नेटिंग; टीआर के विनियमन एवं पर्यवेक्षण; एलईआई प्रणाली के तहत एलओयू और प्राधिकृत गैर-बैंक निकायों द्वारा परिचालित प्रणालियों के लिए ग्राहक निधि की सुरक्षा जैसे विभन्न मुद्दों पर विधिक सहायता/ स्पष्टता प्रदान की जा सके।

IX.23 बड़े मूल्य की भुगतान प्रणालियों को केंद्र बिंदु में रखने के संदर्भ में, वित्तीय बाजार इंफ्रास्ट्रक्चर (एफएमआई) द्वारा वित्तीय बाजार इंफ्रास्ट्रक्चर के सिद्धांतों(पीएफएमआई) के अनुपालन की दिशा में प्रयास किए गए। इस उद्देश्य के प्रति भुगतान और बाजार

इंफ्रास्ट्रक्चर समिति-प्रतिभूति आयोगों का अंतरराष्ट्रीय संगठन (सीपीएमआई-आईओएससीओ), जो पीएफएमआई के प्रति प्रथम स्तर[3] का मल्यांकन कर रहा है, ने भारतीय न्यायाधिकार क्षेत्र को '4'[4] की रेटिंग दी है अर्थात् अंतिम कार्यान्वयन उपाय पूर्ण रूप में लागू हैं।

अन्य उपाय

IX.24 विभाग ने नवंबर 2014 में एक अंतरराष्ट्रीय सेमिनार कोवलम, केरल में आयोजित किया, इसका मुख्य फोकस खुदरा भुगतानों में केंद्रीय बैंकों की बढ़ती भूमिका, नकदी से नकदी रहित वातावरण, खुदरा भुगतानों में गैर-बैंकों की भूमिका, खुदरा भुगतानों में नवोन्मेष, सरकारी भुगतान एवं विप्रेषण, जोखिम प्रबंधन और सुरक्षा तथा वित्तीय समावेशन था। दिसंबर 2014 में एक 'भुगतान प्रणालियां नवोन्मेष दिवस' आयोजित किया गया ताकि भुगतान प्रणालियों में होने वाले विविध नवोन्मेषों के लिए एक मंच प्रदान किया जा सके। रिज़र्व बैंक ने मई 2015 के दौरान उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए भुगतान और निपटान प्रणालियों पर 14वीं एसईएसीईएन उन्नत पाठ्यक्रम आयोजित किया, जिसका विशिष्ट फोकस, 'सायबर अपराध में भुगतान प्रणालियों की आघात-सहनीयता' पर था।

2015-16 के लिए कार्य-सूची

IX.25 रिज़र्व बैंक भुगतान प्रणालियों में नवोन्मेष को प्रोत्साहित करता रहेगा और एक सुविधाप्रदाता की भूमिका का निर्वाह करेगा जिसका फोकस भुगतान प्रणालियों की सुरक्षा और कुशलता पर बना रहेगा। भुगतान परिदृश्य में तेजी से बदलते हुए घटनाक्रम को देखते हुए रिज़र्व बैक आगामी 2/3 वर्षों की अवधि के लिए एक विज़न दस्तावेज तैयार करेगा। टीआरेडीएस और बीबीपीएस के परिचालन के लिए निकायों को प्राधिकृत करने के संबंध में कार्य 2015-16 में पूरा किया जाएगा।

IX.26 नकद लेन-देनों को हतोत्साहित करने और कार्ड लेन-देनों को प्रोत्साहित करने के अपने प्रयास के क्रम में अधिग्राहक बैंकों द्वारा कार्ड स्वीकार्यता इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए किए गए उपायों की जांच की जाएगी और सभी हितधारकों के साथ विचार करके अंतरपरिवर्तन/व्यापारी बट्टा दर (एमडीआर) के साथ ही एटीएम तथा पीओएस पर नकदी संबंधी ढांचे की समीक्षा की जाएगी।

IX.27 देश में ई-कॉमर्स का दायरा बढ़ने के साथ ही भुगतान समायोजकों और बिचौलियों की भूमिका में भी इज़ाफा हो रहा है। रिज़र्व बैंक हितधारकों के साथ संपर्क बढ़ाएगा ताकि प्रत्यक्ष/परोक्ष विनियामकीय ढांचे की आवश्यकता/ व्यवहार्यता का पता लगाया जा सके। पीएफएमआई के प्रति रिज़र्व बैंक द्वारा 2015-16 में आरटीजीएस का मूल्यांकन किया जाएगा।

IX.28 विनियामकीय पर्यवेक्षण समिति (आरओसी) द्वारा सीसीआईएल को एलईआई जारी करने के लिए एलओयू के रूप में चिह्नित किया गया है और पूर्व-एलओयू के रूप में माना गया है। इसने भारत में एलईआई जारी करना प्रारंभ कर दिया है। भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) के साथ परामर्श करके एलईआई के उपयोग के लिए एक रूपरेखा बनाई जाएगी।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

IX.29 रिज़र्व बैंक ने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का सक्षम प्रयोग करने संबंधी अपने विज़न पर फोकस बनाए रखा और इसका प्रयोग बैंक के परिचालनों में समग्र रूप से कुशलता लाने, इसके ग्राहकों को प्रदान की जा रही सेवाओं के स्तर में सुधार करने, प्रशासन को सुदृढ़ करने और सुरक्षित एवं महफूज़ आईटी आधारित वातावरण में विश्लेषण एवं सूचना आधारित निर्णयन प्रक्रिया की सुविधा देने के लिए किया। केंद्रीय बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी उप समिति (आईटीएससी) इस विज़न को आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शक बनी रही। 2014-15 के दौरान आईटीएससी की तीन बैठकें हुई और इसने रिज़र्व बैंक में आईटी परियोजनाओं और सूचना सुरक्षा; डेटा भंडागार (वेयरहाउस); सूचना सुरक्षा से संबंधित लेखापरीक्षाओं; डेटा केंद्रों(डीसी) के परिचालनों; आपदा

[3] क्या न्यायाधिकार क्षेत्रों ने एफएमआई के लिए लागू विनियामकीय ढांचे के भीतर प्राधिकरणों हेतु पांच उत्तरदायित्वों में से चार और एफएमआई के लिए 24 सिद्धांतों को क्रियान्वित करने हेतु विधेयक तथा अन्य नीतियों को अपनाने की प्रक्रिया को पूरा किया है।

[4] रेटिंग स्तर 1: कार्यान्वयन उपायों का मसौदा प्रकाशित नहीं; रेटिंग स्तर 2: कार्यान्वयन उपायों का मसौदा प्रकाशित; रेटिंग स्तर 3: अंतिम कार्यान्वयन उपाय प्रकाशित; रेटिंग स्तर 4: अंतिम कार्यान्वयन उपाय पूर्णतया लागू ; रेटिंग स्तर लागू नहीं: किन्ही भी कार्यान्वयन उपायों की आवश्यकता नहीं (अर्थात् लागू नहीं)।

उद्धार कवायदों की क्षमता; और मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) के कार्यालय की कार्यप्रणाली से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की।

2014-15 की कार्यसूची : कार्यान्वयन स्थिति

इंटरप्राइज़ नॉलेज पोर्टल (ईकेपी)

IX.30 पुनःसंरचित ईकेपी को नवंबर 2013 में प्रारंभ किया गया, यह रिज़र्व बैंक के भीतर ज्ञान साझा करने का एक मंच प्रदान करता है। 2014-15 के दौरान पोर्टल को ई-अध्ययन मॉड्यूल्स जैसी विशेषताओं के साथ समृद्ध किया गया और खोज विकल्पों में सुधार किया गया। उपयोगकर्ताओं का इसे अच्छा प्रतिसाद मिला जिससे पोर्टल के उपयोग स्तर में वृद्धि हुई।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) प्रणाली

IX.31 2013-14 में बैंक में वीसी को अपग्रेड किया गया था, इसके उपयोग में काफी बड़े स्तर पर वृद्धि देखी गई; 2014-15 के दौरान बिंदुवार प्रयोक्ता आधारित सत्रों के अलावा, विभिन्न स्थानों को शामिल करते हुए 532 वीसी सत्र संचालित किए गए। इससे भौतिक बैठकों की आवश्यकता में कमी आई है।

मेल संदेश प्रणाली (एमएमएस)

IX.32 रिज़र्व की कारपोरेट मेल मेसजिंग प्रणाली को उन्नत अभिलेखीय समाधान के साथ पुनः मजबूत बनाया गया और इसकी सुरक्षा बढ़ाई गई। वर्ष के दौरान हार्डवेयर को अपग्रेड करने का कार्य किया गया और उसको इंस्टाल करने के बाद नई प्रणाली में अंतरित होने की प्रक्रिया सितंबर 2015 तक पूरी होने की आशा है।

डेटा मानकीकरण पर समिति

IX.33 डेटा मानकीकरण के संबंध में एक समिति (समन्वयकः श्री पी.पार्थसारथी) गठित की गई थी ताकि डेटा रिपोर्टिंग और डेटा मानकीकरण के क्षेत्र में किए जाने वाले प्रयासों में सहक्रियता तथा एकरूपता लाई जा सके। इस समिति ने फीडबैक लेने के लिए अपनी रिपोर्ट का मसौदा सार्वजनिक डोमेन में डाल था। प्राप्त सुझावों के आधार पर समिति ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम स्वरूप प्रदान कर दिया है। इसके द्वारा की गई सिफारिशों पर कार्यान्वयन का कार्य प्रारंभ हो गया है।

कोर बैंकिंग प्रणाली (सीबीएस) को बढ़ाना और ई-ट्रेज़री को स्थिर बनाना

IX.34 रिज़र्व बैंक के सीबीएस, ई-कुबेर को बैंकों के लिए 2012 में प्रारंभ किया गया था ताकि वे सरकारी उधार कार्यक्रमों, चलनिधि समायोजन परिचालनों और चालू खाता परिचालनों में भाग ले सकें। वर्ष के दौरान, ई-कुबेर में परिवर्तन किए ताकि सरकार के नकद शेषों को नियोजन किया जा सके (अध्याय VIIभी देखें)। जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरुकता (डीईए) निधि योजना ई-कुबेर में प्रारंभ में लागू की गई थी, जिससे दो दिनों के भीतर लगभग ₹ 45 बिलियन निधि का प्रवाह हुआ था। बैंक के बाह्य निवेश और
परिचालन विभाग (डीईआईओ) के कोषागार परिचालनों को सफलता पूर्वक पुरानी प्रणाली से ई-कुबेर में अंतरित कर दिया गया। यह क्रियान्वयन विश्व के केंद्रीय बैंकों में अपनी प्रकार का पहला था, जिसने परिचालनगत कार्यकुशलता और लेखाविधि की प्रक्रियाओं में एकरूपता ला दी।

2015-16 के लिए कार्यसूची

IX.35 2015-16 के लिए निर्धारित प्रमुख उपायों को नीचे वर्णित किया गया है:-

बैंक की एक आईटी अनुषंगी की स्थापना करना

IX.36 बैंकिंग में बड़े स्तर की आईटी प्रक्रियाओं के एकीकरण के चलते केंद्रीय बैंकिंग के परिचालनों में वृहद परिवर्तन हुए हैं। परिवर्तित होते वातावरण में बढ़ती हुई जटिलताओं और सायबर सुरक्षा तथा अन्य संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों का एक समर्पित दल निरंतर इस कार्य के साथ जुड़ा रहे। इस दिशा में बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने बैंक की एक आईटी अनुषंगी का निर्माण करने का अनुमोदन किया है। इस प्रयास को उद्योग जगत के विशेषज्ञों की देख-रेख में आगे बढ़ाया जा रहा है।

बैंक में ईडीएमएस को लागू करना

IX.37 बैंक में कार्य प्रक्रियाओं का बड़े स्तर पर इलेक्ट्रानिफिकेशन करने की दिशा में और 'कम कागज' वाले कार्यालयीन वातावरण की ओर जाने के लिए उपाय किए गए ताकि डेटा भंडारण के साथ इलेक्ट्रानिक वर्क फ्लो और दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली का निर्माण किया जा सके। ईडीएमएस परियोजना पिछले वर्ष प्रारंभ की गई थी और यह प्रगति पर है। बैंक की समग्र कार्य कुशलता पर ईडीएमएस की विशाल क्षमताओं और अपने स्टाफ को ज्ञान के साथ सशक्तिकरण करने में इसकी भूमिका को देखते हुए, बाजार में उपलब्ध विविध सॉफ्टवेयर उत्पादों का मूल्यांकन करने के अतिरिक्त एक विस्तृत व्यापारिक री-इंजीनियरिंग प्रक्रिया (बीपीआर) प्रारंभ की गई है। ऐसी आशा की जा रही है कि 2016 की प्रथम छमाही के दौरान इसको प्रायोगिक आधार पर प्रारंभ किया जाएगा।

डेटा केंद्रों (डीसी) पर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की पुनर्रचना

IX.38 डीसी से एप्लीकेशन प्रणालियों के बढ़ने के साथ ही और विद्युत शक्ति की उच्चतर आवश्यकता होने से यह आवश्यक हो गया है कि डीसी के मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया जाए। वातावरणीय अनुकूलता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हार्डवेयर सर्वर्स के वर्चुअलाइजेशन का कार्य प्रारंभ हो गया है। इस दिशा में पहले कदम के रूप में वर्ष के दौरान आरटीजीएस प्रणाली को एक नए आईबीएम मेनफ्रेम प्रणाली पर अंतरित कर दिया गया।

आईएसओसी का क्रियान्वयन

IX.39 उद्यम-वार आईटी सुरक्षा की देखभाल के लिए आईएसओसी का निर्माण किया जा रहा है। अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) द्वारा परियोजना का प्रारंभ किया गया और इसके बाद संभावित बोलीकर्ताओं को छांटा गया। निविदा की प्रक्रिया आरंभ हो गई है और इस परियोजना के अप्रैल 2016 में पूर्ण होने की आशा है।

ई-कुबेर सीबीएस का उपयोग करते हुए सभी राज्यों में ई- रसीदों और ई-भुगतानों का विस्तार

IX.40 ई-कुबेर की मानकीकृत ई-रसीद और ई-भुगतान संबंधी सुविधा अधिकतर राज्यों को प्रदर्शित कर दी गई और हाल ही में राज्य के वित्त सचिवों के सम्मेलन में भी इसे दिखाया गया। इसके फलस्वरूप, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, तमिलनाडु और केरल की राज्य सरकारों ने 2014-15 में इस प्रणाली का उपयोग प्रारंभ कर दिया। अन्य राज्य इसके क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। 2015-16 में सभी प्रमुख राज्यों में इस प्रणाली का उपयोग बढ़ाने पर फोकस केंद्रित करते हुए प्रयास किए जाएंगे।

सीबीएस के साथ एकीकृत मुद्रा प्रबंधक कार्यप्रणाली

IX.41 मुद्रा संचरण की गणना करना और उसकी रिपोर्ट करना एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिसे ई-कुबेर के साथ जोड़ा जाना है। प्रणालीगत अपेक्षाओं, रिवर्स प्रस्तुतीकरण, विचार-विमर्श, डिज़ाइन, विकास, परीक्षण और मॉड्यूलों को प्रारंभ करने संबधी अध्ययन किए जाएंगे ताकि 2015-16 के दौरान इसे एकीकृत किया जा सके।

X गवर्नेन्स, मानव संसाधन और संगठनात्मक प्रबंधन

रिज़र्व बैंक ने अपने 81वीं वर्ष के प्रारंभ में अपने मूल उद्देश्य, मूल्यों एवं 2014-15 के विज़न को पुनः स्पष्ट किया। सहक्रिया निर्माण एवं वितरण प्रणाली की प्रभावकारिता को बढ़ाने के लिए संगठनात्मक संरचना में ताल-मेल लाया गया। बैंक ने अपने मानव संसाधनों को प्रशिक्षण एवं विविध एक्सपोज़र उपलब्ध कराने के जरिए अपग्रेड करने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। बैंक ने वर्ष के दौरान अनुसंधान के प्रचार-प्रसार एवं ज्ञान साझा को बढ़ावा देने के लिए सम्मेलन, संगोष्ठियां एवं लोकसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किए। रिज़र्व बैंक द्वारा कारोबार निरंतरता सुनिश्चित किए जाने एवं अपने परिचालनों तथा कार्य-पद्धति में उसके द्वारा सामना किए जाने वाले विभिन्न जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन हेतु उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन रूपरेखा अपनाई गई। रिज़र्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय कूटनीति पर फोकस करने और विश्व स्तरीय रेगयूलेटरी मानकों में सहभागिता के लिए भी कदम उठाए हैं।

X.1 इस अध्याय में रिज़र्व बैंक के तीन महत्त्वपूर्ण घटकों - गवर्नेन्स, मानव संसाधन एवं संगठनात्मक प्रबंधन के अतिरिक्त कुछ विभागों के कार्यकलापों, यथा, संचार, अंतरराष्ट्रीय संबंध, सरकार एवं बैंकों को बैंकिंग सेवाओं, विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि प्रबंधन, आर्थिक अनुसंधान, सांख्यिकी, विधि मामलों, कॉरपोरेट कार्यनीति और बजट, कॉरपोरेट सहायक सेवाओं, राजभाषा एवं परिसर के संबंध में चर्चा की गई है। 2014-15 के दौरान, रिज़र्व बैंक अपने मूल उद्देश्य, मूल्यों और विज़न को पुनःस्पष्ट करने के जरिए अपने गवर्नेन्स, प्रबंधन और परिचालन रूपरेखा को और अधिक बेहतर करने की मांग करता है। संगठनात्मक संरचना को और अधिक सुव्यवस्थित किया गया ताकि कार्य-पद्धति में तालमेल लाया जा सके और उभरते परिचालन वातावरण को ध्यान में रखते हुए मात्रा एवं गुणवत्ता दोनों के संदर्भ में उत्पाद वितरण को अनुकूल बनाया जा सके। प्रशिक्षण, एक्सपोज़र एवं स्थानांतरण सहित समुचित प्रोत्साहन योजना के जरिए मानव संसाधन का विकास करना ध्यान देने योग्य प्रमुख कार्य-क्षेत्र था ताकि प्रभावी निष्पादन के लिए अपने स्टाफ-सदस्यों की क्षमता का उपयोग किया जा सके। रिज़र्व बैंक अपनी सूचना नीति के जरिए पारदर्शिता लाने, ज्ञान साझा करने एवं जनता द्वारा दैनिक जीवन में सामना किए जा रहे वित्तीय जोखिमों के संबंध में जागरुकता लाने के लिए व्यापक जनता तक पहंचने की चेष्टा करता है। रिज़र्व बैंक का जोखिम प्रबंधन और लेखापरीक्षा परिचालन, कारोबार निरंतरता सुनिश्चित करने के सर्वांगीण दृष्टिकोण पर अत्यधिक केंद्रित है।

गवर्नेन्स संरचना

X.2 रिज़र्व बैंक अपने मूल कार्यों का निर्वाह करते समय कॉरपोरेट गवर्नेन्स, निर्णयन की आजादी एवं गुणवत्ता तथा कॉरपोरेट आचार संहिता के संदर्भ में अपने मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता के संबंध में उच्चतर मानक बनाए रखता है। बैंक की गवर्नेन्स संरचना यह सुनिश्चित करता है कि रिज़र्व बैंक की सामान्य नीति, कार्यनीति, प्रशासन और कारोबार उसके मूल उद्देश्य के अनुसार है और अपनाई जा रही प्रक्रियाएं उनके साझा किए गए मूल्यों का अनुपालन करती हैं। सचिव विभाग, जो केंद्रीय बोर्ड के सचिवालय के रूप में कार्य करता है, शीर्ष प्रबंध को सहायक सेवाएं उपलब्ध करता है।

X.3 केंद्रीय निदेशक मंडल गवर्नेन्स संरचना का शीर्ष निकाय है। इसमें गवर्नर की अध्यक्षता में रिज़र्व बैंक के चार उप गवर्नर, सराकरी नामिती एवं स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं, जो रिज़र्व बैंक के उद्देश्यों के अनुरूप भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में सफल एवं सुप्रसिद्ध हैं। देश के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी एवं पश्चिमी क्षेत्रों के स्थानीय हितों की रक्षा के लिए चार स्थानीय बोर्ड की व्यवस्था है। भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) अधिनियम, 1934 के अनुरूप केंद्रीय बोर्ड में निदेशकों को और स्थानीय बोर्ड में सदस्यों को नियुक्त/नामित करता है। केंद्रीय बोर्ड को तीन समितियों, यथा, केंद्रीय बोर्ड समिति (सीसीबी), वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) एवं भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड (बीपीएसएस) की सहायता प्राप्त है। इसके

अतिरिक्त, केंद्रीय बोर्ड की चार उप-समितियां, यथा, लेखापरीक्षा और जोखिम निगरानी उप-समिति, मानव संसाधन प्रबंध उप-समिति, भवन उप-समिति और सूचना प्रौद्योगिकी उप-समिति, भी हैं।

केंद्रीय बोर्ड की बैठकें और सीसीबी

X.4 केंद्रीय बोर्ड द्वारा 2014-15 में चेन्नै, नई दिल्ली (दो बैठकें), कोलकाता, हैदराबाद और गोवा में कुल 6 बैठकें आयोजित की गईं। भारत के माननीय वित्त मंत्री ने 10 अगस्त 2014 एवं 22 मार्च 2015 को नई दिल्ली में बजट-पश्चात आयोजित दो बैठकों का संबोधन किया। गवर्नर ने इन कतिपय बैठकों के अवसर पर संबंधित राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों एवं वाणिज्य बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया।

X.5 सीसीबी द्वारा वर्ष के दौरान 46 बैठकें आयोजित की गईं जिनमें से 22 बैठकें इलेक्ट्रॉनिक विधि से आयोजित की गईं जिससे एक ही स्थान पर साकार सम्मेलन करने की आवश्यकता से बचा जा सके। समिति ने रिज़र्व बैंक के वर्तमान कारोबार के साथ निर्गम एवं बैंकिंग विभागों से संबंधित रिज़र्व बैंक के साप्ताहिक स्थिति विवरण के अनुमोदन पर ध्यान केंद्रित किया। केंद्रीय बोर्ड की स्थायी समिति द्वारा क्षेत्र-विशिष्ट मामलों एवं मुद्दों के संबंध में चर्चा करने के लिए दो बैठकें आयोजित की गईं।

केंद्रीय बोर्ड/स्थानीय बोर्ड - परिवर्तन

X.6 श्री राजीव महर्षि, वित्त सचिव, भारत सरकार एवं डॉ. हसमुख अढ़िया, सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8(1)(डी) के अंतर्गत क्रमशः 25 नवंबर 2014 और 11 नवंबर 2014 को डॉ. अरविंद मायाराम एवं डॉ. गुरदयाल सिंह संधू की जगह केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों के रूप में नामित किया गया। श्री अजय त्यागी, अवर सचिव (निवेश), आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934, की धारा 8(1)(डी) के अंतर्गत दिनांक 22 जून 2015 की अधिसूचना के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा श्री राजीव महर्षि की जगह केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया गया।

X.7 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 9(3) के प्रावधानों के अनुसार श्री कमल किशोर गुप्ता एवं श्री मिहिर कुमार मोइत्रा 25 अगस्त 2014 और 23 सितंबर 2014 से उत्तरी क्षेत्र के स्थानीय बोर्ड के सदस्य नहीं रहे।

निदेशकों की उपस्थिति

X.8 केंद्रीय बोर्ड की बैठकों में निदेशकों की सहभागिता का ब्यौरा सारणी X.1 में दिया गया है।

सारणी X.1: निदेशकों की उपस्थिति - 2014-15

नाम	भारिबैं अधिनियम, 1934 के अंतर्गत नियुक्त/नामित	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
1	2	3	4
रघुराम जी. राजन	8(1)(ए)	6	6
हारुन आर खान	8(1)(ए)	6	6
उर्जित आर पटेल	8(1)(ए)	6	5
आर. गांधी	8(1)(ए)	6	6
एस.एस. मूंदड़ा	8(1)(ए)	6	5
अनिल काकोडकर	8(1)(बी)	6	5
किरण एस. कर्णिक	8(1)(बी)	6	6
नचिकेत मोर	8(1)(बी)	6	6
वाइ.एच. मालेगाम	8(1)(सी)	6	6
दिपांकर गुप्ता	8(1)(सी)	6	3
जी.एम. राव	8(1)(सी)	6	5
इला भट्ट	8(1)(सी)	6	5
इन्दिरा राजारमण	8(1)(सी)	6	6
वाई.सी. देवेश्वर	8(1)(सी)	6	2
दामोदर आचार्य	8(1)(सी)	6	6
अरविंद मायाराम*	8(1)(डी)	3	1
गुरदयाल सिंह संधू**	8(1)(डी)	3	1
हसमुख अढिया #	8(1)(डी)	3	1
राजीव महर्षि ##	8(1)(डी)	3	1

* 25 नवंबर 2014 से निदेशक पद में नहीं रहे;
** 11 नवंबर 2014 से निदेशक पद में नहीं रहे;
11 नवंबर 2014 से निदेशक के रूप में नामित;
25 नवंबर 2014 से निदेशक के रूप में नामित।

कार्यपालक निदेशक - परिवर्तन

X.9 श्री बी. महापात्र एवं श्री जी. पद्मनाभन, कार्यपालक निदेशक क्रमशः 31 अगस्त 2014 एवं 31 मई 2015 को सेवानिवृत्त हुए। डॉ. मायकल डी. पात्रा, श्री के.के. वोहरा एवं श्री जी. महालिंगम 7 अक्तूबर 2014 को कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नत हुए। श्रीमती मीना हेमचन्द्र 01 जून 2015 को कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नत हुईं।

निधन सूचना

X.10 27 जून 2006 से 23 सितंबर 2011 तक केंद्रीय बोर्ड के निदेशक रह चुके श्री सुरेश न्योतिआ का 07 मई 2015 को कोलकाता में निधन हुआ। 27 नवंबर 2000 से 14 जून 2002 तक केंद्रीय बोर्ड के निदेशक रह चुके डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का 27 जुलाई 2015 को शिलांग में निधन हुआ।

विदेशी गणमान्य अतिथियों/प्रतिनिधि मंडलों के दौरे

X.11 वर्ष के दौरान 12 देशों से बीस प्रतिनिधि मंडलों ने रिज़र्व बैंक का दौरा किया। उनके द्वारा शीर्ष प्रबंध के साथ बहुत सारे बहुपक्षीय एवं वैश्विक मुद्दों और रिज़र्व बैंक की कार्य-पद्धति के विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में बैंक की नीतिगत पहलों पर विचार-विमर्श किया गया। 2014-15 के दौरान रिज़र्व बैंक का दौरा करने वाले विदेशी गणमान्य अतिथियों में निम्नलिखित शामिल हैं - नीदरलैंड की एच.एम. क्वीन मैक्सिमा, विकास के लिए समावेशी वित्त हेतु राष्ट्र संघ के महा-सचिव के विशिष्ट अधिवक्ता; राईट आनरबल जॉर्ज ओस्बोर्न, वित्त मंत्री, यूके; सुश्री पेन्नी प्रिट्ज़कर, अमरीका के वाणिज्य सचिव; श्री बिल गेट्स और उनकी टीम; डॉ. वलीओल्लाह सैफ़, सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान के गवर्नर; राईट आनरबल ऐलन यारो, लंदन शहर के कमांडर; माननीय एन्ड्रीयू रॉब, संसद सदस्य, ऑस्ट्रेलियाई व्यापार एवं निवेश मंत्री; श्री जेकॉब जे. ल्यू, अमरीकी राजकोष सचिव; श्री स्टेनले फिशर, उपाध्यक्ष, केंद्रीय गवर्नर मंडल, फेडरल रिज़र्व प्रणाली, और सुश्री क्रिस्टीन लगार्डे, प्रबंध निदेशक, आईएमएफ।

गवर्नेन्स में सुधार के उपाय

X.12 वर्ष के दौरान कॉरपोरेट गवर्नेन्स की गुणवत्ता को बेहतर करने के साथ-साथ उसकी लागत को कम करने के उपाय किए गए। रिज़र्व बैंक ने, अपनी स्थापना के 81वें वर्ष में प्रवेश करते हुए, समसामयिक संदर्भ में, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की प्रस्तावना में दिए गए अपने मूल उद्देश्य को पुनः स्पष्ट किया (बॉक्स X.1).

बॉक्स X.1
भारतीय रिज़र्व बैंक: मूल उद्देश्य, मूल्यों और लक्ष्यों का विवरण

चूंकि रिज़र्व बैंक अपने अस्तित्व के 80वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है, इसलिए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934, जो रिज़र्व बैंक का संस्थापक कानून है, की प्रस्तावना में दिए गए रिज़र्व बैंक के मूल उद्देश्य को समसामयिक संदर्भ में पुनःस्पष्ट करने की जरूरत महसूस की गई। इसका प्रयोजन है रिज़र्व बैंक के कार्यनीतिक उद्देश्यों को अंकित करना और एक रूपरेखा तथा पृष्ठभूमि उपलब्ध करना जिसके अंतर्गत एवं सहारे रिज़र्व बैंक की नीतियां बनाई जाएंगी और रिज़र्व बैंक द्वारा निदेश दिया जाएगा। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने अपना 'मूल उद्देश्य, मूल्य और लक्ष्य' संबंधी विवरण अप्रैल 2015 में जारी किया जो बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

मूल उद्देश्य

धारणीय आर्थिक संवृद्धि के अनुकूल मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना एवं दक्ष तथा समावेशी वित्तीय प्रणाली का विकास सुनिश्चित करना।

रिज़र्व बैंक का मूल उद्देश्य राष्ट्र के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है:

रुपए के आंतरिक और बाह्य मूल्य के प्रति विश्वास को बढ़ाना, एवं समष्टि-आर्थिक स्थिरता में सहयोग करना;

बाजार और संस्थाओं को अपनी परिधि के अंतर्गत विनियमित करना ताकि वित्तीय प्रणाली स्थिरता एवं उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके;

वित्तीय और भुगतान प्रणाली में विश्वसनीयता, दक्षता, समग्रता एवं प्रतियोगितात्मकता को बढ़ावा देना;

मुद्रा के कुशल प्रबंधन के साथ-साथ सरकार और बैंकों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना; और

देश के संतुलित, साम्यिक और धारणीय आर्थिक विकास में सहयोग देना।

मूल्य

भारतीय रिज़र्व बैंक निम्नलिखित साझा मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध है जो रिज़र्व बैंक के मूल उद्देश्य की खोज में संगठनात्मक निर्णयों और कर्मचारी की क्रियाओं का मार्गदर्शन करता है:

(जारी...)

लोक हित

भारतीय रिज़र्व बैंक अपने कार्यों और नीतियों में लोक हित और सर्वहित को बढ़ावा देता है।

विश्वसनीयता और विचारों की आजादी

भारतीय रिज़र्व बैंक अपने खुलेपन, भरोसा और जवाबदेही के जरिए विश्वसनीयता का उच्च मानक एवं विचारों की आजादी बनाए रखता है।

प्रतिक्रियाशीलता और नवोन्मेषण

भारतीय रिज़र्व बैंक एक गतिशील संगठन है जो जनता की जरूरतों के प्रति प्रतिक्रियाशील है और नवोन्मेषण तथा पूछताछ की भावना को बढ़ावा देता है।

विविधता और समग्रता

भारतीय रिज़र्व बैंक विविधता और समग्रता का पोषण एवं समर्थन करता है।

आत्मविश्लेषण और उत्कृष्टता की खोज

भारतीय रिज़र्व बैंक स्व-मूल्यांकन, आत्मविश्लेषण और व्यावसायिक उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्ध है।

लक्ष्य

रिज़र्व बैंक एक अग्रणी केंद्रीय बैंक के रूप में लोक हित और सर्व हित के लिए प्रतिबद्ध है जो अपनी विश्वसनीयता, पारदर्शिता एवं अति सक्रिय नीतियों के लिए जाना जाता है।

X.13 बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले महत्त्वपूर्ण मदों पर अनौपचारिक पूर्व-बोर्ड बैठक में विचार-विमर्श किया गया ताकि बोर्ड के निर्णयन की गुणवत्ता को बेहतर किया जा सके। वर्ष के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक के सामान्य विनियमों में संशोधन किया गया ताकि सीसीबीज़ की साप्ताहिक बैठकों के बदले, भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर, पाक्षिक बैठकें आयोजित की जा सकें। आगामी वर्ष में, रिज़र्व बैंक निर्णयन प्रक्रिया को और अधिक कारगार बनाने के उपायों को खोजने का प्रयास जारी रखेगा।

संचार प्रक्रियाएं

X.14 रिज़र्व बैंक घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों के प्रति द्रुत अनुक्रिया योग्य लचीली संचार नीति की ओर अग्रसर है। संचार विभाग (डीओसी) ने एक केंद्रीय स्कंध के रूप में पारस्परिक संचार अर्थात् पारदर्शी, समयबद्ध एवं विश्वसनीय प्रसार और प्रतिक्रिया के जरिए रिज़र्व बैंक और जनता के बीच एक उपयोगी साझेदारी का निर्माण एवं पोषण करने का प्रयास किया है।

2014-15 की कार्यसूची: कार्यान्वयन की स्थिति

वेबसाइट नवीकरण

X.15 अप्रैल 2015 में, बैंक की नवीन वेबसाइट लागू की गई, जो कार्य-वार सूचना एवं खोज सुविधा के संबंध में अधिक प्रयोक्ता-अनुकूल एक्सेस और निर्योग्य प्रयोक्ताओं के लिए एक्सेसिबिलिटी टूलबार उपलब्ध कराती है। वेबसाइट को अब दो सामाजिक मीडिया साइटों, यथा, ट्विटर और यूट्यूब के साथ एकीकृत किया गया है। तदनुसार, गवर्नर के मौद्रिक नीति के बाद के सम्मेलनों को सामान्य तौर पर मीडिया में सीधे प्रसारित करने के अतिरिक्त इस वर्ष यूट्यूब के माध्यम से भी प्रसारित किया गया।

जागरुकता अभियान और लोकसंपर्क कार्यक्रम

X.16 फर्जी प्रस्तावों का बड़ी मात्रा में शिकार हो रहे जनता को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक द्वारा फर्जी ई-मेल के जोखिम के संबंध में जनता को सावधान करने के लिए उपभोक्ता मामले मंत्रालय के साथ मिलकार एक संयुक्त अभियान 'जागो ग्राहक जागो' चलाया गया। फर्जी मेल के संबंध में प्रिंट मीडिया में भी लोक जागरुकता अभियान चलाया गया। इसके अतिरिक्त मुद्रा नोटों की सुरक्षा संबंधी विशेषताओं के संबंध में भी जागरुकता अभियान चलाया गया।

शीर्ष प्रबंध, अधिकारियों और मीडिया के लिए कार्यशालाएं

X.17 वर्ष के दौरान, प्रभावी मीडिया प्रबंधन के संबंध में शीर्ष कार्यपालकों, एवं नव नियुक्त क्षेत्रीय निदेशकों तथा मुख्य महाप्रबंधकों, प्रत्येक के लिए दो कार्यशालाएं आयोजित की गईं। प्रबंधकों एवं सहायक महाप्रबंधकों के लेखन कौशल के संबंध में भी एक कार्यशाला आयोजित की गई। इसके अतिरिक्त, रिज़र्व बैंक की रिपोर्ट और विज्ञप्तियों के संबंध में मीडिया के लिए कई अनौपचारिक लघु चर्चाएं/कार्यशालाएं की गईं।

संचार नीति की समीक्षा

X.18 लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्य अपनाए जाने की वजह से संचार की भूमिका और अधिक महत्त्व रखती है, ख़ास तौर पर स्फीतिकारी

प्रत्याशाओं पर अंकुश लगाने के संबंध में। इस पृष्ठभूमि के साथ ही कई बाह्य एवं आंतरिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए समिति (अध्यक्ष: डॉ. माइकल डी. पात्रा) द्वारा बैंक की संचार नीति की वर्तमान समीक्षा की जा रही है जो अपनी रिपोर्ट संभवतः 2015-16 के दौरान प्रस्तुत करेगी। रिज़र्व बैंक में आंतरिक संचार को बेहतर करने की दिशा में, 2015 में रिज़र्व बैंक के कर्मचारियों के लिए गवर्नर के साथ दो बैंकिंग हॉल कार्यक्रम, एक बंगलुरू और दूसरा चंड़ीगढ़ में आयोजित किए गए।

2015-16 की कार्यसूची

X.19 2015-16 के दौरान, हितधारकों के साथ गत वर्ष के समान बहुविध व्यवस्था/आउटरीच/अभियान जारी रखा जाएगा। फेसबुक और लिंक्डइन जैसी सामाजिक मीडिया को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट के साथ जोड़ने की योजना बनाई गई है ताकि युवा इसका एक्सेस कर सके। 2015-16 के दौरान नेपाल में मीडिया के लिए एक कार्यशाला आयोजित की जाएगी। रिज़र्व बैंक की संचार नीति की समीक्षा करने के लिए समिति की आगामी रिपोर्ट के आलोक में अनुवर्ती उपाय भी किए जाएंगे।

मानव संसाधन संबंधी पहल

X.20 रिज़र्व बैंक में व्यापक स्तर पर परिचालन संबंधी कार्य किए जाते हैं, इसलिए इसे अपने कार्यों को पूरा करने के लिए आंतरिक क्षमताओं वाले एक मजबूत ढांचे की जरुरत है। अतः मानव संसाधन प्रबंध विभाग (एचआरएमडी) के नेतृत्व में कारपोरेट स्तर पर और विभाग व प्रकार्य के स्तर पर भी लक्ष्य निर्धारित करने, परिवेश, आंतरिक क्षमताओं के बीच दोतरफा इंटरफेस के रूप में मानव संसाधन संबंधी पहल और रणनीतियां बनाई और विकसित की गई हैं।

2014-15 की कार्यसूची : कार्यान्वयन की स्थिति

X.21 2014-15 में, विकसित वित्तीय क्षेत्र को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए क्लस्टर अप्रोच अर्थात संबंधित क्षेत्रों को आपस में एक समूह में रखने की प्रणाली को अपनाने के बाद रिज़र्व बैंक द्वारा संगठनात्मक पुनर्गठन किया गया है (बॉक्स X.2)।

प्रशिक्षण

X.22 कौशल और ज्ञान वृद्धि करने से संबंधित की गई पहल का जोर तकनीकी और व्यवहारगत कौशल को विकसित करने

बॉक्स X.2
रिज़र्व बैंक का संगठनात्मक पुनर्गठन

कुछ समय से, रिज़र्व बैंक निरंतर गतिशील कारोबार परिवेश में कार्यनिष्पादन बढ़ाने हेतु अधिक लचीले और उत्तरदायी संगठनात्मक ढांचा को अपनाने से संबंधित अनेक रणनीतियों पर विचार कर रहा है। इस प्रक्रिया के भाग के रूप में, रिज़र्व बैंक ने संगठनात्मक पुनर्गठन पर एक समिति (अध्यक्ष: श्री दीपक मोहंती; सह-अध्यक्ष, श्री बी. महापात्रा) गठित की थी। मोटे तौर पर, समिति की सिफारिशों और विस्तृत आंतरिक परामर्शी प्रक्रिया के परिणामों के आधार पर रिज़र्व बैंक में संगठनात्मक पुनर्गठन किया गया जो कि 03 नवंबर 2014 से लागू हुआ।

पुनर्गठन के बाद रिज़र्व बैंक में दो नए विभाग अर्थातः (i) कारपोरेट सेवाएं विभाग और (ii) अंतरराष्ट्रीय विभाग का गठन किया गया है। इसके साथ-साथ, कई मौजूदा विभागों को नया नाम दिया गया और कई विभागों में नई ईकाइयों का सृजन किया गया है। इससे संबंधित विस्तृत विवरण सारणी 1-3 में दिया गया है।

सारणी 1: विभागों का पुनः नामकरण

पुरानी नामावली	नई नामावली
बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग (डीबीओडी)	बैंकिंग विनियमन विभाग (डीबीआर)
ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग (आरपीसीडी)	वित्तीय समावेशन और विकास विभाग (एफआईडीडी)
ग्राहक सेवा विभाग (सीएसडी)	उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग (सीईपीडी)
व्यय और बजट नियंत्रण विभाग (डीईबीसी)	कोर्पोरेट कार्यनीति और बजट विभाग (सीएसबीडी)

(जारी...)

सारणी 2: नए विभागों का सृजन/उत्कीर्णन

मौजूदा विभाग	नए विभाग का नाम	टिप्पणी
शहरी बैंक विभाग (यूबीडी)	सहकारी बैंक विनियमन विभाग (डीसीबीआर) सहकारी बैंक पर्यवेक्षण विभाग (डीसीबीएस)	यूबीडी को समाप्त कर दिया गया है
वित्तीय बाजार विभाग (एफएमडी)	वित्तीय बाजार विनियमन विभाग (एफएमआरडी) वित्तीय बाजार परिचालन विभाग (एफएमओडी)	एफएमडी को समाप्त कर दिया गया है
गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीएनबीएस)	गैर बैंकिंग विनियमन विभाग (डीएनबीआर) गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण प्रभाग (डीएनबीएस)	डीएनबीएस से विनियमन अलग कर दिया गया है

सारणी 3: नई इकाईयों का सृजन

मौजूदा विभाग	नई इकाई का नाम
सांख्यकी और सूचना प्रबंधन विभाग (डीएसआईएम)	डीएसआईएम के भीतर आंकड़ा और सूचना प्रबंधन इकाई।
मौद्रिक नीति विभाग (एमपीडी)	एमपीडी के भीतर पूर्वानुमान और मॉडलिंग इकाई।
मानव संसाधन प्रबंध विभाग (एचआरएमडी)	एचआरएसडी के भीतर एचआर परिचालन इकाई।
वित्तीय बाजार विनियमन विभाग (एफएमआरडी)	एफएमआरडी के भीतर बाजार आसूचना इकाई।

उसी प्रकार, रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) को थ्री-टियर वर्गों में बांटा गया है। टियर-I में अथवा मेट्रो शहर में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों अर्थात मुबंई, नई दिल्ली, कोलकाता और चेन्नै स्थित रिज़र्व बैंक के चार कार्यालयों को शामिल किया गया है। टियर-II अथवा गैर-मेट्रो शहर में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों में 14 क्षेत्रीय कार्यालय अर्थात (i) अहमदाबाद; (ii) बेंगलुरु; (iii) भोपाल; (iv) भुवनेश्वर; (v) चंड़ीगढ़; (vi) गुवाहटी; (vii) हैदराबाद; (viii)जयपुर; (ix)जम्मु; (x) कानपुर; (xi) लखनऊ; (xii) नागपुर; (xiii) पटना और (xiv) तिरुवनंतपुरम को शामिल किया गया है।

टियर-III के क्षेत्रीय कार्यालयों में 10 छोटे कार्यालयों अर्थात (i) अगरतला; (ii) बेलापुर; (iii)देहरादून; (iv) गंगटोक; (v) कोच्चि; (vi)पणजी; (vii) रायपुर; (viii)रांची; (ix) शिलांग; (x) शिमला को शामिल किया गया है।

कार्य का आकार और मात्रा के आधार पर पुनर्गठित क्षेत्रीय कार्यालयों को निम्नलिखित क्लस्टर में रखा गया है :

टियर I और टियर II में चार क्लस्टर होंगे : (i) पर्यवेक्षण, बाजार आसूचना और अनुसंधान; (ii) मुद्रा और बैंकिंग सेवाएं; (iii) वित्तीय समावेशन और ग्राहक सेवा; और (iv) मानव संसाधन प्रबंधन (एचआरएम) और इन्फ्रास्ट्रक्चर।

टियर III में तीन क्लस्टर होंगे : (i) पर्यवेक्षण और बाजार आसूचना; (ii) वित्तीय समावेशन/वित्तीय साक्षरता, लोगों में जागरुकता, ग्राहक सेवा, और अनुसंधान; और (iii) एचआरएम और इन्फ्रास्ट्रक्चर

ऐसी अपेक्षा है कि संगठनात्मक पुनर्गठन से बहुत अधिक मैनिजिरीअल सिनर्जी आएगी और अनेक प्रमख कार्य क्षेत्रों में रिज़र्व बैंक के स्टाफ-सदस्य अपनी विशेषज्ञता का बेहतर उपयोग कर सकेंगे।

पर रहा है ताकि स्टाफ-सदस्यों की व्यक्तिगत कार्यक्षमता में वृद्धि हो सके और कार्य करने में उनकी क्षमता बढ़ सके। रिज़र्व बैंक के छह प्रशिक्षण संस्थानों ने उनकी जरुरतों को पूरा किया (सारणी X.2).

बाहरी संस्थाओं में प्रशिक्षण

X.23 2014-15 के दौरन, अनेक अधिकारियों को भारत और बाहरी प्रबंधन/बैंकिंग संस्थानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों और सम्मेलनों में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त किया

सारणी X.2 : रिज़र्व बैंक प्रशिक्षण संस्थान: आयोजित कार्यक्रमों की संख्या (जुलाई-जून)

प्रशिक्षण संस्थान	2012-13		2013-14		2014-15	
	कार्यक्रम	सहभागी	कार्यक्रम	सहभागी	कार्यक्रम	सहभागी
1	2	3	4	5	6	7
आरबीएससी, चेन्नै	126	2,676	105	2,560	141	2,626*
सीएबी, पुणे	164	5,105	127	3,909	215	7,183@
4 आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र (श्रेणी I)	116	2,526	99	2,222	104	2,215
4 आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र (श्रेणी III)	64	1,492	70	1,510	98	2,036
4 आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र (श्रेणी IV)	58	1,184	37	725	53	1,041

*: 30 विदेशी सहभागी शामिल है। @ : 63 विदेशी सहभागी शामिल हैं। आरबीएससी : रिज़र्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय, चेन्नै; जेडटीसी: आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र।

गया (सारणी X.3)। इसके अतिरिक्त, श्रेणी III और श्रेणी IV के अनेक कर्मचारियों को भारत में ही बाहरी संस्थानों में प्रशिक्षण दिलाया गया।

स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति और अध्ययन अवकाश

X.24 स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छह अधिकारियों का चयन विदेश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए किया गया। वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 10 अधिकारियों ने अध्ययन अवकाश लिया। इसके अलावा, 599 कर्मचारियों ने बैंक की प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत चयनित अंशकालिक/दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों को पूरा किया।

अनुदान और धर्मादा

X.25 रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा कनसल्टेंसी को बढ़ावा देने के लिए इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान (आईजीआईडीआर), मुंबई को ₹ 300 मिलियन; उन्नत वित्तीय अनुसंधान और शिक्षण केंद्र (कैफरल), मुंबई को ₹ 140 मिलियन, राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान (एनआइबीएम), पुणे को ₹ 18.4 मिलियन, भारतीय बैंक प्रबंध संस्थान (आइआइबीएम), गुवाहाटी को ₹ 6.9 मिलियन तथा लंदन स्कूल आफ इकानामिक्स (एलएसई) में इंडिया आबजर्वेटरी एवं आईजी पटेल पद (चेयर) की स्थापना के लिए ₹ 10 मिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान की है ।

आरबीआईक्यू

X.26 आरबीआईक्यू 2014 में लगभग 5,000 स्कूलों और 10,000 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता की शुरुआत वर्ष 2012 में की गई थी। पूरे भारत में 62 अलग-अलग स्थानों पर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आंचलिक एवं राष्ट्रीय फाइनल मुंबई में आयोजित किया गया जिसका प्रसारण दूरदर्शन राष्ट्रीय चैनल पर किया गया।

सारणी X.3 : भारत और विदेश में स्थित बाहरी प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या

वर्ष	भारत में प्रशिक्षित अधिकारियों	विदेश में प्रशिक्षित
1	2	3
2012 - 13	874	510
2013 - 14	798	530
2014 - 15	913	562

औद्योगिक संबंध

X.27 2014-15 के दौरान औद्योगिक संबंध सामान्यतः शांतिपूर्ण बने रहे। अधिकारियों और कर्मचारियों/कामगारों के मान्यता प्राप्त एसोसिएशनों के साथ कर्मचारियों के कल्याण एवं सेवा स्थितियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए समय-समय पर बैठकों का आयोजन किया।

सेवानिवृत्ति लाभ

X.28 2003 में केंद्रीय बोर्ड के अनुमोदन से रिज़र्व बैंक ने 1 नवंबर 1997 से पूर्व सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को भुगतान की गई मासिक पेंशन में कुछ संशोधन किए थे। तथापि, सरकार ने पाया है कि पेंशन योजना में किए गए संशोधनों को तब तक लागू नहीं किया जा सकता है, जब तक कि भारतीय रिज़र्व बैंक पेंशन विनियमन, 1990 के विनियमन 2(2) में समुचित संशोधन न किया जाए और रिज़र्व बैंक से इसे वापस लेने का अनुरोध किया गया। अक्तूबर 2008 में, मासिक पेंशन में उपर्युक्त संशोधनों को केंद्रीय बोर्ड द्वारा वापस ले लिया गया। तथापि इसे मुंबई न्यायाधिकरण के हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, जहां सम्माननीय हाईकोर्ट ने संशोधनों को वापस लेने के संबंध में रिज़र्व बैंक के परिपत्र पर ध्यान नहीं दिया। पेंशन में संशोधन के लिए सभी पेंशनधारकों/सेवानिवृत्त सदस्य अभी भी लगातार मांग कर रहे हैं। तथापि, आज की तारीख तक मामले का हल नहीं निकला है, यद्यपि, रिज़र्व बैंक और सरकार इस मुद्दे पर कार्य कर रहे हैं।

भर्ती और स्टाफ संख्या

X.29 वर्ष 2014 में 784 कर्मचारियों की भर्ती के साथ कुल स्टाफ संख्या एक वर्ष पहले के 17,360 की तुलना में 31 दिसंबर

सारणी X.4 : 2014 में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की गई भर्ती (जनवरी-दिसंबर)

भर्ती का वर्ग	वर्ग वार संख्या				
	कुल	जिसमें से		कूल का प्रतिशत	
		अजा	अजजा	अजा	अजजा
1	2	3	4	5	6
वर्ग I	182	27	13	14.8	7.1
वर्ग III	120	15	7	12.5	5.8
वर्ग IV					
(क) रखरखाव परिचारक	365	81	5	22.2	1.4
(ख) अन्य	117	12	4	10.3	3.4
कुल	**784**	**135**	**29**	**17.2**	**3.7**

अजा: अनुसूचित जाति; अजजा: अनुसूचित जनजाति.

2014 की स्थिति के अनुसार 16,794 रही। संवर्ग-वार कर्मचारियों का विवरण सारणी X.4 और सारणी X.5 में दिया गया है।

X.30 वर्ष 2014 के दौरान रिज़र्व बैंक प्रबंधन और अखिल भारतीय रिज़र्व बैंक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और बुद्धिस्ट फेडरेशन ने रिज़र्व बैंक में आरक्षण नीति लागू करने के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 4 बार मुलाकात की । 31 दिसंबर 2014 को रिज़र्व बैंक में अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी) की (सितंबर 1993 के बाद की गई भर्ती) संख्या 1,870 रही, जिसमें से 533 श्रेणी I में, 604 श्रेणी III में और 733 श्रेणी IV में हैं।

X.31 31 दिसंबर 2014 की स्थिति के अनुसार रिज़र्व बैंक में भूतपूर्व सैनिकों की कुल संख्या 1,005 थी, जिनमें से 200 श्रेणी I में, 147 श्रेणी III में और 658 श्रेणी IV में रही। 31 दिसंबर 2014 को श्रेणी I, श्रेणी III और श्रेणी IV में शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों की कुल संख्या क्रमशः 234, 89 और 105 रही। 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार स्टाफ संख्या की संवर्ग-वार संख्या सारणी X.6 में दी गई है।

X.32 कुल स्टाफ संख्या के 29.2 प्रतिशत स्टाफ के साथ रिज़र्व बैंक के मुबंई स्थित कार्यालय में (केंद्रीय कार्यालय विभागों सहित) में सबसे अधिक स्टाफ सदस्य हैं (सारणी X.7)।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम

X.33 कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निषेघ, रोकथाम और निवारण) अधिनियम और नियम, 2013 के अनुसार 2014-15 में नए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों में अन्य के साथ-साथ शिकायतों के निपटान के लिए सख्त समय-सीमा और आंतरिक शिकायत समिति को दंड़ लगाने सहित काफी अधिकार प्रदान किए गए हैं। जहां, 2014 के दौरान रिज़र्व बैंक में यौन उत्पीड़न से संबंधित एक भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, वहीं इन मामलों से संबंधित कानूनी प्रावधानों और बैंक के नए दिशा-निर्देश के बारे में स्टाफ/शिकायत समिति के सदस्यों को संवेदनशील बनाने के लिए समय-समय पर जागरुकता/ ओरीएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किए गएं।

सारणी X.5 भारतीय रिज़र्व बैंक की स्टाफ संख्या

वर्ग	वर्गवार संख्या						कुल संख्या का प्रतिशत	
	कूल संख्या		अजा		अजजा		अजा	अजजा
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
श्रेणी I	7,864	7,565	1,133	1,128	499	479	14.9	6.3
श्रेणी III	3,916	3,573	586	499	252	193	14.0	5.4
श्रेणी IV	5,580	5,656	1,764	1,740	463	446	30.8	7.9
कुल	**17,360**	**16,794**	**3,483**	**3,367**	**1,214**	**1,118**	**20.0**	**6.7**

टिप्पणी : 31 दिसंबर की स्थिति।

सारणी X.6 भारतीय रिज़र्व बैंक की स्टाफ संख्या
(30 जून 2015 की स्थिति)

ग्रेड	स्टाफ संख्या
1	2
ग्रेड ए	4,077
ग्रेड बी	1,552
ग्रेड सी	1,025
ग्रेड डी	271
ग्रेड ई	353
ग्रेड एफ	101
श्रेणी I में कुल	**7,379**
विशेष सहायक	815
वरिष्ठ सहायक	247
सहायक	2,381
शब्द संसाधन सहायक	173
सचिव	32
अन्य	272
श्रेणी III में कुल	**3,920**
रखरखाव स्टाफ	1,395
तकनीकी स्टाफ	135
सेवा स्टाफ	3,127
अन्य	715
श्रेणी IV में कुल	**5,372**
कुल स्टाफ संख्या	**16,671**

सारणी X.7: रिज़र्व बैंक के कार्यालय वार स्टाफ संख्या
(30 जून 2015 की स्थिति)

कार्यालय (उप कार्यालय सहित)	श्रेणी I	श्रेणी III	श्रेणी IV	कुल
1	2	3	4	5
अगरतला	10	5	0	**15**
अहमदाबाद	275	168	231	**674**
बेलापुर	132	53	178	**363**
बेंगलुरु	460	185	220	**865**
भोपाल	153	126	123	**402**
भुवनेश्वर	148	115	170	**433**
चंडीगढ़	195	105	117	**417**
चेन्नै	433	340	354	**1,127**
देहरादून	19	6	2	**27**
गंगटोक	8	0	0	**8**
गुवाहाटी	195	136	187	**518**
हैदराबाद	311	158	243	**712**
जयपुर	216	148	181	**545**
जम्मू@	97	56	59	**212**
कानपुर	215	164	267	**646**
कोच्चि	33	34	29	**96**
कोलकाता	482	427	442	**1,351**
लखनऊ	150	106	146	**402**
मुंबई	609	325	959	**1,893**
नागपुर	240	205	234	**679**
नई दिल्ली	501	236	294	**1,031**
पणजी, गोवा	16	3	3	**22**
पटना	181	144	218	**543**
पुणे -सीएबी-सी आरडीसी-आईटीपी	66	37	69	**172**
रायपुर	20	6	0	**26**
रांची	16	7	0	**23**
शिलांग	9	5	0	**14**
शिमला	14	6	0	**20**
तिरुवनंतपुरम	209	115	131	**455**
कुल	**5,413**	**3,421**	**4,857**	**13,691**
के.का. विभाग #	**1,966**	**499**	**515**	**2,980**
सकल योग	**7,379**	**3,920**	**5,372**	**16,671**

सीएबी : कृषि बैंकिंग महाविद्यालय;
सीआरडीसी : केंद्रीय अभिलेख और प्रलेखन केंद्र;
आईटीपी : आईएमएफ प्रशिक्षण कार्यक्रम, पुणे;
@ : श्रीनगर उप-कार्यालय शामिल है;
: डीआईसीजीसी सहित केंद्रीय कार्यालय विभाग।

सूचना का अधिकार (आरटीआई)

X.34 रिज़र्व बैंक में वर्ष 2014-15 के दौरान आरटीआई के अंतर्गत 8,044 अनुरोध सूचना के लिए तथा 1,021 प्रथम अपीलें प्राप्त हुई थीं, जिसमें से सभी के जवाब दिए गए। 27 फरवरी 2015 से लागू , रिज़र्व बैंक ने अपने आप को सरकार के आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल से जोड़ दिया है ताकि आम जनता अपने आरटीआई आवेदन और प्रथम अपीलें ऑनलाइन फाइल कर सकें। रिज़र्व बैंक के प्रशिक्षण केंद्रों में पर स्टाफ-सदस्यों के लिए आरटीआई अधिनियम के संबंध में चार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

समाधान और अन्य पहल

X.35 वेतन और अन्य कर्मचारी लाभ सहित अपने कर्मचारियों को समान, स्वचालित और नियम आधारित एचआर सेवाओं प्रदान करने के लिए एक एचआर ट्रान्स्फर्मेशन प्रोजेक्ट की शुरूआत बैंक द्वारा की गई है, जिसका नाम समाधान है। एसएपी आधारित समाधान एप्लीकेशन कर्मचारियों को कहीं भी 24X7X365 आधार पर उनके कंप्यूटर, मोबाइल और टैबलेट पर उपलब्ध होगा। त्वरित सेवाएं प्रदान करने के लिए समाधान के कार्य करने में मानव हस्तक्षेप कम-से-कम होगा। समाधान की शुरुआत

होने से सभी कर्मचारियों के इस्टैब्लिशमेंट लेनदेनों को एक ही जगह से संसाधित करने के लिए एक एचआर परिचालन ईकाई बेंगलुरु में स्थापित की गई है। यह भी निर्णय लिया गया है कि नई दिल्ली में एक कारोबार निरंतरता कार्यस्थल की स्थापना की जाए। प्रशासनिक लागत को अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए मुंबई में एक केंद्रीयकृत प्रशासनिक ईकाई की स्थापना की गई है ताकि मुंबई स्थित सभी केंद्रीय कार्यालय विभागों की जरुरतों को पूरा किया जा सके।

कार्यनिष्पादन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) और जॉब-प्रोफोइल

X.36 समीक्षा के पहले चक्र से रैंकिंग मॉडल के साथ-साथ की-रिजल्ट-एरिया (केआरए) आधारित पीएमएस प्रणाली वर्ष 2013-14 से अपनाई गई है। इसके अलावा, अपेक्षित क्षमताओं की पहचान करने, इन क्षमताओं को विकसित करने और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में समान स्थितियों का मानकीकरण करने के लिए सभी कार्यक्षेत्रों के जॉब-प्रोफोइल का संकलन किया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों के लिए जॉब-प्रोफोइल को अंतिम रूप सितंबर 2015 तक और 'बी' और 'सी' ग्रेड के अधिकारियों के लिए जॉब प्रोफाइल को मार्च 2016 तक अंतिम रूप दिया जाना है।

सीनियर मैनेजमेंट रिट्रीट एवं अन्य गतिविधियां

X.37 2014 के लिए रिज़र्व बैंक के सीनियर मैनेजमेंट रिट्रीट मसूरी में आयोजन किया गया जिसका मुख्य थीम 'आरबीआई@80: प्रतिगामी और अग्रगामी दृष्टि' था। ज्ञान साझा करने के अंतर-संस्थागत व्यवस्था के रूप में, मई 2015 में एक संयुक्त अंतरराष्ट्रीय सेमिनार यूरोपियन सेंट्रल बैंक (ईसीबी) के सहयोग से कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे में 'वित्तीय स्थिरता: मुद्दे और चिंताएं' विषय पर आयोजित किया गया।

2015-16 की कार्यसूची

X.38 संगठन के भीतर उपलब्ध क्षमताओं का मूल्यांकन करने के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए मानव संसाधन प्रबंध विभाग (एचआरएमडी) में भर्ती, नियुक्ति प्रणाली, संगठनात्मक पुनर्गठन के बाद आंतरिक प्रक्रियाओं को बेतहर बनाने, प्रतिभा की पहचान करने, प्रतिभा प्रबंधन और निरंतर क्षमता निर्माण जैसे एचआर से जुड़े सभी कार्यों को 2015-16 में करने की योजना बनाई है।

आरबीआई अकादमी

X.39 रिज़र्व बैंक ने नवी मुंबई में आवासीय सुविधा सहित अत्याधुनिक संरचनायुक्त एक अकादमी स्थापित करने की योजना बनाई है जिसका मुख्य उद्देश्य अपने स्टाफ-सदस्यों को ई-लर्निंग सहीत समेकित शिक्षा और विकास प्रदान करना होगा। इसके अतिरिक्त, यह अकादमी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) और अन्य क्षेत्रों के विदेशी केंद्रीय बैंकों के लिए प्रशिक्षण भी आयोजित करेगा, ताकि बाह्य सहयोग और समग्र शिक्षा को बढ़ावा मिल सके।

क्षमता आधारित एचआर ढांचा

X.40 भविष्य में, एचआर ढांचा करियर योजना, नियुक्ति, लक्ष्यित शिक्षा और उत्तराधिकार योजना, समेकित एचआर प्रक्रियाएं बनाने के लिए क्षमता आधारित होगा। इसलिए, प्रत्येक भूमिका के लिए निर्धारित प्रकार्य एवं व्यवहारवादी क्षमता तथा मानव संसाधन की उपलब्ध क्षमताओं का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। स्टाफ की व्यवहारवादी क्षमता की मैपिंग का मूल्यांकन करने के लिए मूल्यांकन केंद्रों की स्थापना की जाएगी।

संरचित ई-लर्निंग

X.41 रिज़र्व बैंक अपने स्टाफ-सदस्यों के लिए संरचित ई-लर्निंग की शुरुआत करने जा रहा है। पहले चरण में, ई-लर्निंग माड्यूल में मुख्यतः स्टाफ-सदस्यों के बड़े समूह को ध्यान में रखते हुए समावेशी पाठ्यक्रमों और कक्षा पाठ्यक्रमों के सूपंरक के रूप में विशेष पाठ्यक्रम शामिल किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, ज्ञान के व्यापक प्रासरण के लिए वेबिनार्स (वेब आधारित सेमिनार) का इस्तेमाल किया जाएगा।

समान संवर्ग भर्ती

X.42 2015 से ग्रेड बी पद के अधिकारियों के लिए समान भर्ती प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उदाहरण के लिए, चयन की नई योजना भारतीय रिज़र्व बैंक सर्विसेस बोर्ड और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान के परामर्श से तैयार की जा रही है। चयन की आगामी नई

योजना लागू होने से भर्ती चक्र छोटा होने की संभावना है। समान भर्ती के लिए प्रथम चरण की परीक्षा नवंबर 2015 में संभवतः आयोजित की जाएगी।

बैंक में उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन

X.43 रिज़र्व बैंक द्वारा फरवरी 2012 में उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) रूपरेखा अपनाई गई, जो जोखिम प्रबंधन के प्रति 'एकांगी' (साइलो) आधारित दृष्टिकोण से आगे बढ़कर 'संपूर्ण कारोबारी' नजरिया दर्शाता है। तदनुसार, जोखिम निगरानी विभाग (आरएमडी) द्वारा रिज़र्व बैंक हेतु तीन-चरणीय ईआरएम योजना लागू करने पर विचार किया गया।

X.44 रिज़र्व बैंक द्वारा अपनाए गए तिहरी-बचाव-व्यवस्था दृष्टिकोण के अनुसार, कारोबार क्षेत्र (बीएज़) पहली बचाव व्यवस्था है क्योंकि बीएज़ अपने संबंधित जोखिमों की पहचान और प्रबंधन करता है, जबकि जोखिम निगरानी विभाग (आरएमडी) दूसरी बचाव व्यवस्था के तौर पर सभी बीएज़ को महत्त्वपूर्ण जोखिमों का पता लगाने में सहयोग करता है, जोखिम संबंधी नीतियों का निर्माण करता है, जोखिम मूल्यांकन कार्य-प्रणाली तैयार करता है, जोखिम नियंत्रण संरचना (आरजीएस) को जोखिमों की सूचना देता है और रिज़र्व बैंक में जोखिम संस्कृति को बढ़ावा देने का काम करता है (बॉक्स X.3)। अंततः, आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य, जो तीसरी बचाव व्यवस्था है, आरजीएस को जोखिम-आधारित लेखापरीक्षा प्रक्रिया के जरिए जोखिम आश्वासन प्रदान करता है।

2014-15 की कार्यसूची: कार्यान्वयन की स्थिति

X.45 2013-14 में जोखिम-रिपोर्टिंग संरचना लागू की गई, जो बीएज़ की जोखिम रूपरेखा बनाने के लिए जोखिम रजिस्टर

बॉक्स: X.3

केंद्रीय बैंकों में परिचालन जोखिम निगरानी रूपरेखा

बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति ने परिचालन जोखिम को 'अपर्याप्त या असफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोग एवं प्रणाली या बाहरी घटनाओं से होने वाली हानि के जोखिम' के रूप में परिभाषित किया है। केंद्रीय बैंक भी परिचालन जोखिम के दायरे में है और, जोखिम-संवेदनशील संस्था होने के नाते, अपने वास्तविक एवं संभावित परिचालन जोखिम एक्सपोज़र की बड़ी सावधानी से निगरानी करता है। तथापि, केंद्रीय बैंकों में परिचालन जोखिमों की निगरानी के लिए कोई अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क नहीं है। भारतीय रिज़र्व बैंक एवं अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक सहित 61 से अधिक केंद्रीय बैंकों का अंतरराष्ट्रीय परिचालन जोखिम कार्य-दल (आईओआरडब्ल्यूजी) परिचालन जोखिम प्रबंधन (ओआरएम) के संबंध में क्षमता के एक केंद्र के रूप में कार्य करता है। अधिकांश केंद्रीय बैंकों द्वारा अपनाई गई ओआरएम रूपरेखा में आम तौर पर दुर्घटना रिपोर्टिंग प्रणाली एवं आवधिक जोखिम सर्वेक्षणों के अतिरिक्त जोखिम मूल्यांकन कार्य-प्रणाली, जोखिम रिपोजिटरी एवं हीट मैप शामिल हैं।

जोखिम मूल्यांकन कार्य-प्रणाली में सामान्यतः जोखिम घटित होने की संभाव्यता एवं उसके प्रभाव की गंभीरता दोनों का उपयोग किया जाता है ताकि श्रेणीबद्ध मापक (जैसे, उच्च, पर्याप्त या स्वीकार्य) के जरिए उसका जोखिम स्तर निर्धारित किया जा सके। मात्रात्मक एवं गुणात्मक, दोनों कारकों के जरिए जोखिम घटित होने की संभावनाओं का पता लगाया जा सकता है। किसी संगठन पर परिचालन जोखिम घटित होने के प्रभाव को वित्तीय प्रभाव, कारोबारी परिचालनों/ग्राहक सेवा में बाधा, संस्था की प्रतिष्ठा पर आंच आना, या इन तीनों को संयुक्त रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

जोखिम रिपोजिटरी को जोखिम रजिस्टर भी कहा जाता है। इसमें संस्था की प्रत्येक प्रक्रिया/गतिविधि की गणना, बुनियादी स्तर पर उससे जुड़े जोखिमों का वर्णन, अंतर्निहित जोखिमों को कम करने के लिए नियंत्रण, एवं नियंत्रणों को ध्यान में रखते हुए शेष, अर्थात् अवशिष्ट जोखिम शामिल हैं।

हीट मैप, कारोबार क्षेत्र की जोखिम रूपरेखा की तस्वीर है, क्योंकि वह विभिन्न जोखिमों की कलर-कोडेड प्रस्तुति करता है। हीट मैप, नियंत्रण के प्रयोग के कारण, सभी जोखिम क्षेत्रों में प्रक्रियाओं के स्थानांतरण को भी दर्शाता है। आईआरएस, संगठनातमक शिक्षा को बढ़ावा देने एवं जोखिम के खिलाफ पूंजी बफर के निर्माण हेतु परिचालन जोखिम की मात्रा निर्धारित करने की दृष्टि से परिचालन जोखिम संबंधी घटनाओं के संबंध में संस्थागत चेतना का निर्माण करता है। दूसरी तरफ, जोखिम सर्वेक्षण, परिचालन वातावरण में वर्तमान एवं उभरते जोखिमों की पहचान कर संगठन की जोखिम रूपरेखा की चालू अद्यतन क्रिया में सहयोग करता है।

संगठन की जोखिम संस्कृति जोखिम को पहचानने और, इस प्रकार, उसके जोखिमों की अभिव्यक्ति को प्रभावित करती है, इसलिए रिज़र्व बैंक द्वारा जोखिम के प्रति अपने स्टाफ की जागरुकता को बढ़ाने के लिए एक अभियान चलाया गया ताकि संस्था में जोखिम संस्कृति को गहरा एवं व्यापक किया जा सके।इसे जोखिम निगरानी हेतु कंप्यूटरीकृत माहौल उपलब्ध कराने के जरिए सुदृढ़ किया जाएगा ताकि कारोबार क्षेत्र जोखिम डेटाबेस का एक्सेस कर सके। साथ ही, रिज़र्व बैंक में जोखिमों की रेटिंग हेतु सतत दृष्टिकोण लागू करने की दिशा में कार्य जारी है। कारोबार क्षेत्रों के साथ-साथ पूरे रिज़र्व बैंक में उभरते जोखिमों की पहचान एवं निगरानी करने के लिए एक साधन के रूप में जोखिम सर्वेक्षणों का उपयोग किया जाता रहेगा।

तैयार करने हेतु दिशानिर्देश एवं टेम्पलेट विकसित करने के साथ ही वास्तविक एवं ज़रा-सी चूक घटनाओं वाली संस्थागत स्मृति के निर्माण के लिए घटना रिपोर्टिंग प्रणाली की स्थापना करने के उद्देश्य से की गई थी। निर्धारित बीएज में से 5 ने जोखिम रजिस्टर तैयार कर लिए हैं और 27 बीएज में कार्य प्रगति पर है। वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक में जोखिम संस्कृति को सुदृढ़ करने के लिए एक जोरदार जोखिम प्रबंधन जागरुकता अभियान प्रारंभ किया गया।

X.46 वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक की पूंजी एवं आंतरिक आरक्षित निधियों की स्थिति का संरचित एवं व्यवस्थित तरीके से आकलन करने के लिए रिज़र्व बैंक हेतु आर्थिक पूंजी ढांचे (ईसीएफ) का एक मसौदा तैयार किया गया (बॉक्स X.4)। इसके अलावा,वर्ष में, रिज़र्व बैंक की जोखिम वहन करने की क्षमता की रूप-रेखा (आरएएफ) तैयार करने एवं उसे कार्यान्वित करने पर भी विचार किया गया।

बॉक्स X.4
केन्द्रीय बैंकों में जोखिम प्रबंधन एवं आर्थिक पूंजी

केन्द्रीय बैंकों का लोक नीति अधिदेश उनके जोखिम प्रबंधन के प्रसंग को वाणिज्यिक संस्थाओं से बिलकुल अलग करता है, और उनके जोखिम प्रबंधन में, लाभ में वृद्धि करने की अपेक्षा उनकी नीति की दक्षता को सुरक्षित रखने एवं बढ़ाने पर अनिवार्य रूप से ध्यान केंद्रित किया जाता है। लोक हित की खोज में 'नीति प्रबलता' के इस सिद्धांत के अनुसार केन्द्रीय बैंक को अपने तुलन पत्र में प्रायः पर्याप्त वित्तीय जोखिम धारण करने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक रुपए के बाह्य मूल्य में विश्वास को बनाए रखने के अपने मूल उद्देश्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि रखता है, जो उनके तुलन पत्र का लगभग तीन-चौथाई है। आरक्षित निधियां भले ही बाह्य झटकों से देश की रक्षा करती हैं लेकिन उससे रिज़र्व बैंक को भारी विनिमय दर जोखिम का सामना भी करना पड़ता है। रिज़र्व बैंक को ऐसे जोखिम उठाने ही पड़ते हैं, जिसके लिए कोई बचाव व्यवस्था नहीं है।

केन्द्रीय बैंक की मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने की भूमिका उसे व्यापक जोखिम के दायरे में भी डालता है, जिसमें बाजार के मध्यक्षेपों से होने वाली हानि, अंतिम ऋणदाता (एलओएलआर) की भूमिका, अंतिम बाजार निर्माता (एमएमएलआर) की भूमिका एवं अर्ध-राजकोषीय परिचालन शामिल हैं। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि, इन अधिदेशों की वजह से केंद्रीय बैंकों को वित्तीय प्रणाली को जोखिम-मुक्त करने के लिए प्रणालीगत वित्तीय तनाव के दौरान कभी-कभी जोखिम के विरुद्ध प्रति-सहजानुभूत (काउंटर-इंट्यूशिव) दृष्टिकोण अपनाने और अपने तुलन पत्र में अधिक जोखिम वहन करने की जरूरत पड़ सकती है।

केंद्रीय बैंकों के जोखिम अत्यधिक हो सकते हैं एवं इसलिए उनकी हानि न तो असाधारण हैं और न ही नगण्य, जैसा कि आम तौर पर माना जाता है। हाल की अवधि में, विकसित देशों में बहुत सारे केंद्रीय बैंकों को नुकसान सहना पड़ा जबकि उभरती/प्रगतिशील अर्थव्यवस्थाओं को 1980 एवं 1990 में भी हानि उठानी पड़ी। आश्चर्यजनक बात है कि, इन केंद्रीय बैंकों को सिक्का ढलाई मुनाफा करने के बावजूद नुकसान सहना पड़ा, जो उनकी वित्तीय शक्ति का महत्त्वपूर्ण स्रोत है।

इन विशिष्ट चुनौतियों को देखते हुए, केंद्रीय बैंकों में वित्तीय जोखिम प्रबंधन की दिशा में सामान्य दृष्टिकोण है कि उनमें नीतिगत कार्यवाई से उत्पन्न जोखिमों का सक्रिय रूप से प्रबंधन नहीं किया जाता बल्कि यह सुनिश्चित किया जाता है कि उनके तुलन पत्रों में इन जोखिमों को खपाने की पर्याप्त वित्तीय आघात-सहनीयता मौजूद है। इस प्रकार, वे जोखिम-अंतरण/लाभांश-सहजीकरण प्रक्रियाओं की पूरक व्यवस्था के साथ पर्याप्त मात्रा में आर्थिक पूंजी बनाए रखते हैं।

घरेलू चलनिधि के प्रदाता के रूप में केंद्रीय बैंकों को चाहिए कि वे पूंजी को वर्तमान चिंता के रूप में बने रहने न दें बल्कि अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता के संबंध में नीति की दक्षता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करें। कमजोर वित्त से केंद्रीय बैंक को या तो सिक्का ढलाई मुनाफा करने, जो उनके मूल्य-स्थिरता संबंधी उद्देश्य के विरुद्ध है, या सरकार से पुनःपूंजीकरण कराने, जो उनकी स्वायत्तता पर प्रभाव डाल सकता है, पर निर्भर होना पड़ सकता है।

केंद्रीय बैंक की पूंजी आवश्यकता पर्याप्त रूप से घट-बढ़ सकती है, जो अन्य बातों के साथ-साथ अनेक कारकों पर निर्भर करता है:

- आघातों का आकार एवं केंद्रीय बैंक के अधिदेश का कार्यक्षेत्र: केंद्रीय बैंक के दायित्वों का क्षेत्र जितना व्यापक होगा जोखिम भी उतना ही अधिक होगा एवं, इसलिए, पूंजी आवश्यकता भी अधिक होगी।
- केंद्रीय बैंकों द्वारा अपनाई गई लेखा नीति रूपरेखा: जिन केंद्रीय बैंकों की आस्तियों के मूल्य में समय-समय पर परिवर्तन होता है उनकी वित्तीय स्थिति में बड़ी अस्थिरता पाई जाती है, जिससे पूंजी आवश्यकता बढ़ती है।
- संस्थागत व्यवस्थाएं: केंद्रीय बैंक के पुनःपूंजीकरण संबंधी सांविधिक प्रावधानों के साथ-साथ जोखिम अंतरण प्रणालियों के जरिए उनकी पूंजी आवश्यकताओं को कम किया जा सकता है, यद्यपि समाप्त नहीं किया जा सकता।
- सरकार की राजकोषीय गुंजाइश: केंद्रीय बैंक को पुनःपूंजीकरण की आवश्यकता पड़ सकती है, ठीक उस समय जब राजकोषीय स्थिति तनाव में हो, जैसे, वित्तीय संकट के कारण से। यह केंद्रीय बैंक की पूर्व पुनःपूंजीकरण की अपेक्षा प्रत्याशित पूंजीकरण की स्थिति को सुदृढ़ करता है।

(जारी...)

यूरोपीयन केंद्र बैंक एवं ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फ्रांस, फिनलैंड, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, न्यूज़ीलैंड, सिंगापुर और स्वीडन के केंद्रीय बैंक अपनी आरक्षित निधि पर्याप्तता/जोखिम प्रावधान निर्धारित करने हेतु जोखिम मूल्य, प्रत्याशित कमी, दबाव-परीक्षण एवं अन्य जोखिम मॉडल जैसी कार्य-प्रणालियों का उपयोग करते हैं। सेन्ट्रल बैंक ऑफ न्यूज़ीलैंड के पास अपनी पूंजीगत आवश्यकताओं को रूप देने के लिए सु-विकसित आर्थिक पूंजी रूपरेखा मौजूद है। यह काम चुनौतिपूर्ण है क्योंकि रिज़र्व बैंक न केवल अपने तुलन पत्र के जोखिमों अपितु उसके 'आकस्मिक जोखिमों', जो मौद्रिक एवं वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने में उसकी लोक नीति भूमिका से उत्पन्न होता है, को भी वहन करने की योजना बना रहा है।

संदर्भ:

1. बेसकंड, जिओफ (2015), 'सेन्ट्रल बैंक परफार्मेन्स, फाइनेन्शियल मैनेजमेंट एंड इंस्टीट्यूश्नल डिजाइन', राष्ट्रीय आस्ति-देयता प्रबंधन यूरोप सम्मेलन, लंदन में 12 मार्च 2015 को दिया गया व्याख्यान।

2. क्युकैरमेन ए. (2011), 'सेन्ट्रल बैंक फाइनेन्सस एंड इंडीपेंडेंस - हाउ मच कैपिटल शुड ए सेन्ट्रल बैंक हैव?' केंद्रीय बैंकों की पूंजी संबंधी जरूरतें, एस.मिल्टन एवं पी.सिंक्लैर (ईडीएस.)।

3. स्कोबर्ट एफ. (2008), 'वाई डू सेंट्रल बैंक्स मेक लॉसस?' केंद्रीय बैंकिंग जर्नल, फरवरी।

2015-16 की कार्यसूची

X.47 आने वाले वर्ष में, रिज़र्व बैंक में ईसीएफ को परिष्कृत कर कार्यान्वित कर दिया जाएगा। आरएएफ, जिसका विकास हो रहा है, को लागू करने की भी योजना बनाई गई है। सभी बीएज़ के जोखिम रजिस्टर तैयार होते ही प्रत्येक बीए, क्षेत्रीय कार्यालय एवं संपूर्ण संगठन की जोखिम रूपरेखा/हीट मैप प्रकट हो जाएगा। घटना रिपोर्टिंग प्रणाली, भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को प्रभावशाली तरीके से रोकने/निपटने की दृष्टि से सभी घटनाओं के स्वरूप की पहचान करने में मदद करेगा। उभरते जोखिमों की निगरानी हेतु सहयोग प्रदान करने के साथ ही शीर्ष जोखिमों की समीक्षा के लिए जोखिम सर्वेक्षण किए जाएंगे। संगठन में जोखिम संस्कृति को मजबूत करने के लिए सभी स्तरों पर एवं सभी स्थानों में जोखिम जागरुकता लाने के प्रयास जारी रहेंगे।

रिज़र्व बैंक में आंतरिक लेखापरीक्षा/निरीक्षण

X.48 रिज़र्व बैंक के निरीक्षण विभाग द्वारा की गई आंतरिक लेखापरीक्षा/निरीक्षण, सुदृढ़ जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) रूपरेखा के अंतर्गत रिज़र्व बैंक के जोखिम प्रबंधन, आंतरिक नियंत्रण एवं गवर्नेन्स प्रक्रियाओं की पर्याप्तता एवं विश्वसनीयता की जांच करता है और रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और केंद्रीय बोर्ड की लेखापरीक्षा एवं जोखिम प्रबंधन उप-समिति (एआरएमएस) को नियमित रूप से प्रतिक्रिया देता है।

2014-15 की कार्यसूची: कार्यान्वयन की स्थिति

X.49 जनवरी-दिसंबर 2014 की लेखापरीक्षा योजना पूरी तरह से कार्यान्वित की गई थी। सूचना प्रणाली (आईएस) लेखापरीक्षकों का दल तैयार किया जा चुका है, प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है और इन सूचीबद्ध लेखापरीक्षकों द्वारा जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षाओं (आरबीआईएज़) के हिस्से के रूप में आईएस लेखापरीक्षाएं की जा रही हैं। 'केंद्रीय बैंकर्स के लिए सार्क क्षेत्र में आंतरिक लेखापरीक्षा एवं उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन' पर फरवरी 2015 में एक संगोष्ठी आयोजित की गई। व्यापक लेखापरीक्षा प्रबंधन प्रणाली (एएमएस) की योजना को कार्यान्वित नहीं किया जा सका, क्योंकि विभिन्न केंद्रीय कार्यालय विभागों (सीओडी) में जोखिम रजिस्टर तैयार किए जा रहे थे। जहां तक संवेदनशीलता आकलन एवं व्यापन परीक्षण (वीएपीटी) का संबंध है, वीएपीटी हेतु बाह्य लेखापरीक्षकों को सूची में शामिल करने के लिए एक तकनीकी परामर्शी समूह (टीएजी) का गठन किया गया।

2015-16 की कार्यसूची

X.50 वर्ष 2015-16 में, विभाग को निम्नलिखित क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करना होगा: i) सीओडीज़/ क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओज़) के जोखिम रजिस्टरों के आधार पर प्रमुखतः अनुपालन आधारित लेखापरीक्षा से आरबीआईए में सहज एवं निर्बाध अंतरण सुनिश्चित करना; ii) रिज़र्व बैंक के लिए उपयुक्त समुचित एएमएस

एप्लीकेशन निश्चित करना, जो लेखापरीक्षा प्रक्रिया के लिए एकीकृत समाधान प्रदान करेगा; iii) कॉर्पोरेट ई-मेल एवं तत्काल सकाल निपटान (आरटीजीएस) एप्लीकेशन का वीएपीटी आरंभ करना; iv) संशोधित प्रक्रियाओं/मानदंड़ों के अनुसार समवर्ती लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करना; और v) सभी नव भू-संपदा, आईटी संबंधित एवं अन्य परियोजनाओं के संबंध में प्रॉजेक्ट लेखापरीक्षा हेतु समुचित दिशानिर्देश विकसित करना और साथ ही उसके कार्यान्वयन में संबंधित उपयोगकर्ता विभागों को सहयोग प्रदान करना।

अंतरराष्ट्रीय संबंध

X.51 वैश्विक वित्तीय संकट के परिणामस्वरूप और बहुपक्षीय संस्थाओं के साथ बढ़ते व्यापार की वजह से रिज़र्व बैंक द्वारा कई अन्य केंद्रीय बैंकों के समान समर्पित अंतरराष्ट्रीय विभाग का गठन किया गया। विभाग भारत के राष्ट्र हितों को बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवहार के लिए एक केंद्रीय बिंदु के रूप में कार्य करता है एवं अंतरराष्ट्रीय समष्टिआर्थिक समन्वय तथा वैश्विक नियामक मानकों में प्रमुख भूमिका अदा करने का प्रयास करता है।

2014-15 की कार्यसूची: कार्यान्वयन की स्थिति

केंद्रीय बैंक की स्वैप व्यवस्थाएं

X.52 विभाग द्वारा ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका) आकस्मिक आरक्षित निधि व्यवस्था (सीआरए) का पृष्ठ भूमी कार्य किया गया। इसके परिणामस्वरूप 15 जुलाई 2014 को फारटेल्जा में सीआरए संधी तथा 7 जुलाई 2015 को मॉस्को में अंतर-केंद्रीय बैंक करार (आईसीबीए) पर हस्ताक्षर किए गए। सार्क स्वैप व्यवस्था के अंतर्गत रिज़र्व बैंक द्वारा सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका को 400 मिलियन अमरीकी डॉलर का सहयोग प्रदान किया गया तथा एक विशेष/एड-हॉक स्वैप करार के अंतर्गत 1.1 बिलियन अमरीकी डालर की अतिरिक्त सुविधा प्रदान की गई।

बहुपक्षीय संस्थाओं के साथ कार्य-व्यवहार

X.53 केंद्रीय एजेंसी के तौर पर, विभाग द्वारा बैंकिंग पर्यवेक्षण की बेसल समिति (बीसीबीएस), वैश्विक वित्तीय प्रणाली समिति (सीजीएफएस) एवं भुगतान और बाजार अवसंरचना समिति (सीपीएमआई) से संबंधित कार्य का समन्वय किया गया। विभाग द्वारा वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) की विभिन्न स्थायी समितियों/समूहों के साथ भी समन्वय किया गया। जी-20 मंच पर, रूपरेखा कार्य दल (एफडब्ल्यूजी) एवं निवेश और अवसंरचना कार्य दल (आईआईडब्ल्यूजी) से संबंधित कार्य देखे गए। विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक निधि (आईएमएफ) के साथ आर्टिकल IV परामर्श का समन्वय किया गया और वर्तमान में कोटा की सामान्य समीक्षा के मामले को देख रहा है।

सार्क वित्त (एसएफ)

X.54 एसएफ पहलों में, रिज़र्व बैंक एवं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान द्वारा पूंजी प्रवाहों के संबंध में एक सहयोगात्मक अध्ययन शुरु किया गया। विभाग द्वारा लागू की गई एसएफ छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वर्ष 2015-16 हेतु चार छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं। 2014-15 के उत्तरार्ध में, विभाग की स्थापना उपरांत, विभाग द्वारा 23 विदेशी समूहों/प्रतिनिधि मंडलों के रिज़र्व बैंक दौरे का संचालन किया गया।

2015-16 की कार्यसूची

X.55 2015-16 में, विभाग सीआरए के परिचालन, सार्क वित्त डेटाबेस के निर्माण, वैश्विक मंच में बातचीत के महत्त्वपूर्ण मुद्दों के संबंध में स्थिति प्रपत्र तैयार करना, फंड-बैंक द्वारा संभाव्य एफएसबी समकक्ष समीक्षा, वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम (एफएसएपी) का समन्वय एवं आईएमएफ के साथ आर्टिकल IV परामर्श की दिशा में कार्य करेगा। भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता 2016 में करेगा। इस संबंध में विभाग सरकार के साथ मिलकर बैठकें आयोजित करेगा तथा कार्यसूची एवं योजना बनाएगा।

सरकारी और बैंक लेखा

X.56 सरकारी और बैंक लेखा विभाग (डीजीबीए) सरकार के साथ-साथ रिज़र्व बैंक के लेखाओं का कार्य देखता है। लेखा एवं उसके प्रस्तुतिकरण के क्षेत्र में, रिज़र्व बैंक अपने वार्षिक खातों/वित्तीय विवरणों के जरिए अधिक से अधिक पारदर्शिता की ओर अग्रसर है। सरकार के बैंकिंग कारोबार एवं उसकी आंतरिक लेखा प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने के लिए, रिज़र्व बैंक द्वारा बेहतर एवं अधिक कुशल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आईटी स्रोतों का लाभ उठाया जाता रहा है।

2014-15 की कार्यसूची: कार्यान्वयन की स्थिति

X.57 सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं तकनीकी समितियों (I एवं II) द्वारा बताए गए लेखा नीति संबंधी परिवर्तनों को कार्यान्वित

किया जा चुका है। तदनुसार, रेपो एवं रिवर्स रेपो अंतरणों को पूर्व के बिक्री एवं क्रय अंतरणों के स्थान पर अब क्रमशः ऋण एवं जमाराशि अंतरणों के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है। इसके अतिरिक्त, भवन एवं मशीनरी, क्षत आस्ति एवं अर्जित लाभांश की मान्यता के पूंजीकरण/मूल्यह्रास से संबंधित नीतियों में किए गए परिवर्तनों को लागू किया गया।

2015-16 की कार्यसूची

X.58 तकनीकी समिति-I की सिफारिशों के अनुसरण में, सरकार के साथ परामर्श कर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 एवं भारतीय रिज़र्व बैंक सामान्य विनियमन, 1949 में संशोधन कर साप्ताहिक खातों, तुलन पत्र एवं लाभ और हानि लेखा के फार्मेट में 17 जुलाई 2015 से संशोधिन किए गए। तकनीकी समिति-I ने सिफारिश की थी कि रुपया प्रतिभूतियां उचित मूल्य पर की जाएं एवं अप्राप्त लाभ या हानि को निवेश पुनर्मूल्यन खाते में अंतरित किया जाए।

X.59 एजेंसी बैंकों में सरकार के कारोबार का निरीक्षण करने की प्रणाली की समीक्षा के लिए फरवरी 2015 में एक कार्य-दल गठित किया गया। अपेक्षा की जाती है कि दल अपनी रिपोर्ट अगस्त 2015 के अंत तक प्रस्तुत करेगा। तदनुसार, एजेंसी बैंकों में सरकार के कारोबार के निरीक्षण में सुधार किया जाएगा।सरकार के कारोबार के व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्विन्यास (बीपीआर) से संबंधित कार्य दल, जिसमें संबंधित सरकारी एजेंसियों, रिज़र्व बैंक एवं एजेंसी बैंकों से सदस्य लिए जाते हैं, द्वारा अक्तूबर 2015 तक रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की संभावना है। सरकार के कारोबार हेतु बीपीआर बाद में प्रारंभ किया जाएगा। इसे 2015-16 से लागू की जाएगी।

विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि प्रबंधन

X.60 बाह्य निवेश और परिचालन विभाग (डीईआईओ) देश की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों का कार्य देखता है। उसके आकार के बढ़ने से, विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि का प्रबंध करने के उद्देश्य से लेखा, मूल्यांकन उपायों, जोखिम प्रबंधन प्रथाओं, आईटी अवसंरचना सहित आपदा प्रबंधन को मजबूत किया जाना अनिवार्य हो गया है।

2014-15 की कार्यसूची: कार्यान्वयन की स्थिति

X.61 वर्ष के दौरान, बाजार एवं आस्ति वर्ग विविधता को उच्च स्तरीय एवं आंतरिक कार्यनीति समितियों के संपूर्ण मार्गदर्शन में सुरक्षा, चलनिधि एवं प्रतिलाभ की व्यापक रूपरेखा के अंतर्गत देखा गया। तकनीकी समिति-II की सिफारिशों के अनुसरण में, मध्यक्षेप संबंधी कार्यों एवं बंद-बाजार दरों पर रेपो स्वरूप के स्वैप हेतु बैंक द्वारा की गई वायदा संविदाओं का 30 जून 2014 तक लेखा शोधन किया गया। वर्तमान ट्रेजरी प्रणाली को अक्तूबर 2014 में नई स्टेट-ऑफ-दि-आर्ट प्रणाली से बदला गया और बैंक के कोर बैंकिंग समाधान में समन्वित किया गया। वर्ष के दौरान ऋण, बाजार एवं परिचालन जोखिमों के प्रबंधन के लिए कतिपय अंतरराष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ प्रथाएं लागू और प्रलेखित की गईं। नियमित अभ्यास पर केंद्रित अधिक मजबूत आपदा उद्धार प्रणाली स्थापित की गई।

2015-16 की कार्यसूची

X.62 2015-16 की कार्यसूची में तकनीकी समिति-II की, प्रमुख रूप से विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफसी) और स्वर्ण में मूल्यांकन परिवर्तन से संबंधित, शेष सिफारिशें भी हैं। बैंक, आपदा प्रेरित दुर्घटनाओं के प्रभाव को कम करने की दिशा में वैकल्पिक जगहों से सीधा परिचालन करने की सोच रहा है। बैंक कम अर्जन वाले माहौल में चलनिधि एवं सुरक्षा के उद्देश्यों को त्यागे बिना प्रतिलाभ को बढ़ाने के लिए पोर्टफोलियो प्रबंधन की रणनीति और कार्यनीति को परिष्कृत करने के अपने प्रयास को जारी रखेगा।

आर्थिक और नीति अनुसंधान

X.63 केंद्रीय बैंकों में अनुसंधान एक समीक्षात्मक गतिविधि है। रिज़र्व बैंक में आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (डीईपीआर) को आर्थिक और नीतिगत संबंधी मामलों में अनुसंधान इनपुट और एमआईएस सेवाएं (अर्थात् प्रबंधन सूचना प्रणाली) उपलब्ध कराने का कार्य सौंपा गया है। विभाग को समष्टि आर्थिक और मौद्रिक नीति मामलों में नीति उन्मुख अनुसंधान में ज्ञान केन्द्र के रूप में स्वयं को विकसित और स्थापित करने का भार सौंपा गया है। यह विभाग

मामला- आधारित मध्यम अवधि अनुसंधान एजेंडा का अनुसरण करता है।

2014-15 की कार्यसूची : कार्यान्वयन स्थिति

X.64 विभाग ने अपने प्रमुख प्रकाशन यथा वार्षिक रिपोर्ट, राज्य वित्त पर अध्ययन और भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन का कार्य किया। रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2013-14 का मुख्य संदेश समझाने के लिए वर्ष के दौरान विभिन्न केंद्रों में मुख्यतः विश्वविद्यालयों में चार आउटरीच संगोष्ठियों का आयोजन किया गया। जनवरी 2015 से साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक (डब्ल्यूएसएस) का प्रिंट-वर्शन बंद कर दिया गया और उसकी ऑन-लाइन उपलब्धता जारी रखना सुनिश्चित किया गया। मौद्रिक समुच्चय, भुगतान संतुलन, बाह्य ऋण, हाउसहोल्ड वित्तीय बचत और निधि प्रवाह संबंधी प्राथमिक आंकड़ों का नियमित संकलन और प्रसार होता रहा। वर्ष के दौरान, 1997-2007 की अवधि के लिए रिज़र्व बैंक इतिहास खंड V से संबंधित कार्य प्रारंभ किया गया।

X.65 2014-15 के दौरान, 40 अनुसंधान पेपर्स संपन्न हुए जिसमें से नौ बाह्य देशी और विदेशी जर्नलों में प्रकाशित किए गए। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक ओकेश्नल पेपर्स (बैंक का अनुसंधान जर्नल) में सात अनुसंधान पेपर्स शामिल थे। अनुसंधान-पत्र में अनेक अभिरूचि क्षेत्र : मुद्रास्फीति गतिकी, विनिमय दर, बैंकिंग क्षेत्र में आस्ति गुणवत्ता, मौद्रिक नीति प्रसारण, वित्तीय स्थिरता और टैपर टॉक और उसका प्रभाव शामिल हैं। अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 2014-15 में विभिन्न उपक्रम प्रारंभ किए गए जैसे श्रेष्ठ अनुसंधान पेपर अवार्ड स्थापित करना, रिज़र्व बैंक वर्किंग पेपर्स और सामाजिक पेपर्स के लिए बाहरी अनुसंधानकारियों/विशेषज्ञों के साथ रिज़र्व बैंक स्टाफ के सह-लेखन की अनुमति तथा अनुसंधानकर्ताओं के लिए आचार संहिता की रूप-रेखा तैयार करना।

X.66 विभाग द्वारा आयोजित विशिष्ट कार्यक्रमों में 11 फरवरी 2015 को मि.स्टेनले फिशर, उप-अध्यक्ष, यूएस फेडरल रिज़र्व द्वारा 'अमेरीका में आर्थिक आउटलुक और मौद्रिक नीति' पर आयोजित सेमीनार शामिल है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्यक्रम 'सुश्री क्रिस्टीन लगार्डे, प्रबंध निदेशक, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक नीति (आइएमएस) के साथ वार्ता' 17 मार्च 2015 को आयोजित किया गया। वर्ष के दौरान तृतीय भारतीय रिज़र्व बैंक चेयर प्रोफेसर्स एवं डीईपीआर रिसर्चर्स संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें 'जोखिम प्रबंधन तथा समष्टि असंतुलन' के विस्तृत विषय-वस्तु के तहत आने वाले अनेक मुद्दों पर पेपर प्रस्तुत करना शामिल है। इसके अलावा, डीईपीआर अध्ययन सर्किल के भाग के रूप में अनेक विषय-वस्तुओं पर विभिन्न सेमीनार आयोजित किए गए जिनमें बाहरी विशेषज्ञों की सहभागिता रही।

2015-16 की कार्यसूची

X.67 इसके अलावा, अनुसंधान क्षेत्र जिन्हें 2015-16 के दौरान शामिल किये जाने पर विचार किया जायेगा वे हैं संवृद्धि और निवेश, विनिमय दर, मौद्रिक नीति प्रेषण अंतराल, वित्तीय बाज़ारों में मामले, संभाव्य आउटपुट, सर्वोत्कृष्ट मौद्रिक नीति नियम, अंतरराष्ट्रीय मूल्यों का देशी मूल्यों में अंतरण तथा खाद्य और ईंधन मुद्रास्फीति को मूल मुद्रास्फीति में अंतरण। विभाग द्वारा 2015-16 के दौरान बहु संख्या में संगोष्ठी/व्याख्यान आयोजित करने का प्रस्ताव है। प्रबंधन सूचना प्रणाली में बदलाव लाने का प्रस्ताव है तथा प्रकाशनों को पुनर्गठित किया जायेगा। संपूर्ण रूप से इतिहास कक्ष के गठन के बाद इतिहास खंड V के ड्राफ्टिंग का कार्य शुरू किया जाएगा।

सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन

X.68 सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआइएम) सांख्यिकीय विश्लेषण और पूर्वानुमान, रिज़र्व बैंक का डाटा वेयरहाउस का रख-रखाव, संरचित सर्वेक्षण का कार्य, बैंकिंग, कार्पोरेट तथा बाह्य क्षेत्रो से संबंधित व्यापक सांख्यिकीय प्रणालियों के प्रबंधन द्वारा जनता को समष्टि-वित्तीय सांख्यिकी उपलब्ध करवाता है तथा नीति को सांख्यिकीय सहायता और विश्लेषणात्मक इनपुट प्रदान करता है तथा रिज़र्व बैंक के परिचालन संबंधी आवश्यकताओं को देखता है।

2014-15 की कार्यसूची: कार्यान्वयन स्थिति

डाटा प्रबंधन, प्रसार और प्रकाशन

X.69 विभाग ने जहां संभव हो सका वहां समय-अंतराल कम कर के समय-सारणी के अनुसार बैंकिंग, कोर्पोरेट और बाह्य क्षेत्र

संबंधी सांख्यिकी प्रस्तुत की। बचत और पूंजी निर्माण के आकलन तथा निजी कोर्पोरेट निष्पादन विश्लेषण के लिए कोर्पोरेट कार्य मंत्रालय के साथ कोर्पोरेट नियामक फाइलिंग का डाटा इस्तेमाल किया गया। समन्वित संविभाग निवेश सर्वेक्षण (सीपीआईएस) की आवधिकता वार्षिक से अर्ध-वार्षिक बढ़ाई गई। वर्कशॉप और प्रायोगिक सर्वेक्षण के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी (आईबीएस) में चरण-2 आधिकता के कार्यान्वयन में बैंक शामिल थे।

X.70 त्रैमासिक बीएसआर-1 डाटा जिसमें प्रत्येक बैंकों के खाते शामिल हैं उसका पहली बार आरंभ किया गया। ई-एक्सटेन्सिबल कारोबार रिपोर्टिंग भाषा (एक्सबीआरएल) - आधारित विवरणी प्रस्तुतीकरण का कार्य-क्षेत्र 23 नई विवरणियों के साथ व्यापक बनाया गया तथा अन्य 23 विवरणियों के लिए विकासात्मक कार्य आगे बढ़ रहा है। वर्ष के दौरान बैंकिंग सांख्यिकी को सुसंगत करना, स्वचालित डाटा प्रवाह (एडीएफ)प्रणाली के सही कार्यान्वयन हेतु बैंकों का मार्गदर्शन करना और एक्सबीआरएल प्रणाली को इससे सहलग्न करने जैसे कार्य आरंभ किए गए। बड़े ऋण पर रिपोर्ट के आधार पर एक क्रेडिट रिपोजिटरी विकसित की गई जिसमें प्रणाली-व्यापक मानकीकरण प्रयासों के एक भाग के रूप में आयकर-स्थायी खाता संख्या (आईटी-पीएएन) को उधारकर्ता-पहचान के लिए शुरू किया गया।

सर्वेक्षण और अनुसंधान

X.71 मौद्रिक नीति निर्माण को इनपुट उपलब्ध कराने के लिए कतिपय सर्वेक्षणों की आवधिकता को नीति घोषणा चक्र के साथ समक्रमिक किया गया। सर्वेक्षण हेतु तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसीएस) के मार्गदर्शन के अंतर्गत सर्वेक्षणों में प्रणाली संबंधी सुधार प्रदान करने के प्रयास किए गए। आवासीय परिसंपत्ति कीमत निगरानी प्रणाली के प्रमुख परिणामों पर आधारित एक लेख जारी किया गया। पूर्वानुमान के ढांचे को अद्यतन किया गया तथा एक त्रैमासिक समष्टि ईकानोमेट्रिक मॉडेल परिचालित किया गया। रिज़र्व बैंक वर्किंग पेपर सिरीज़ / अन्य प्रकाशन / अकादमी सम्मेलनों में कतिपय अनुसंधान अध्ययनों का योगदान रहा।

2015-16 की कार्यसूची

X.72 वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर गठित समिति ने चरण-2 को अंतर-राष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी (आईबीएस) तक विस्तारित करने की सिफ़ारिश की थी, जिसके आधार पर सांख्यिकीय और सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआइएम), अंतर-राष्ट्रीय निपटान बैंक द्वारा सिफारिशों को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन के वर्तमान सांख्यिकी अनुभाग के लिए एक विस्तृत मार्गदर्शिका का विमोचन किया जाएगा। अधिक विवरणियों की मानकीकृत रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए एक्सबीआरएल परियोजना का चरण III आरंभ किया जाएगा जहां बैंकों को अपनी स्वचालित डाटा प्रवाह (एडीएफ) प्रणाली को एक्सबीआरएल रिपोर्टिंग के अनुकूल बनाने के लिए राजी किया जाएगा। बैंकिंग सांख्यिकी को सुसंगत बनाने संबंधी कार्य जारी रखा जायेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था मूलभूत सुविधा पर डाटाबेस (डीबीआईई), सार्क वित्त क्षेत्रीय सांख्यिकीय डाटाबेस के विकास तथा 'हैंडबुक ऑफ सार्कफाइनेंस' के संकलन में इस्तेमाल किया जाएगा। कोर्पोरेट क्षेत्र निष्पादन, प्रत्याशा चैनल तथा समष्टिगत चरों का पूर्वानुमान जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान अध्ययन प्रारंभ किया जाएगा।

विधि संबंधी मामले

X.73 रिज़र्व बैंक के विधि विभाग अन्य विभागों को परामर्श तथा सहायता प्रदान करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि रिज़र्व बैंक द्वारा विभिन्न मंचों पर लिए गए नीतिगत निर्णयों, कार्रवाई और स्थिति कानूनी तौर पर सुदृढ़ और बचाव योग्य हो। यह विभाग रिज़र्व बैंक को आरटीआई अधिनियम संबंधी मामलों में भी मार्गदर्शन प्रदान करता है।

2014-15 की कार्यसूची : कार्यान्वयन स्थिति

X.74 वर्ष के दौरान गुजरात और मद्रास उच्च न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित निर्णयों के विरुद्ध उच्चत्तम न्यायालय के समक्ष बहु संख्या में अपील और रिट याचिकाएं दायर की गईं जिनमें वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 2(1) (0) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई। उक्त प्रावधान ने रिज़र्व बैंक को आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण मानदंड पर दिशा-निर्देश तैयार

करने हेतु सक्षम बनाया। तदोपरांत उच्चत्तम न्यायालय ने उक्त प्रावधान को संवैधानिक रूप से मान्य घोषित किया है।

X.75 गुजरात उच्च न्यायालय को आयोनिक मेटालिक्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के संबंध में एक मामले से निपटना पड़ा जिसने अन्य बातों के साथ-साथ इरादतन चूककर्ताओं पर रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र तथा उस परिपत्र के आधार पर कतिपय बैंकों द्वारा की गई कार्रवाई को चुनौती दी। तथापि, न्यायालय ने परिपत्र को जारी करने के रिज़र्व बैंक के प्राधिकार को कायम रखते हुए यह सूचित किया कि सभी निदेशकों पर उनकी सहभागिता और जिम्मेदारी पर ध्यान दिए बिना परिपत्र को लागू करना ना तो उचित होगा और ना ही तर्कसंगत।

2015-16 की कार्यसूची :

X.76 इसके अलावा, वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार उपयोग (एफएसएलआरसी) की सिफारिशों से संबंधित मामलों तथा भारतीय वित्तीय संहिता (आइएफसी) के अधिनियमन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक द्वारा प्रशासित विभिन्न अधिनियमों में कतिपय संशोधन का अनुसरण करने की आवश्यकता है ताकि निश्चित अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता और मानक को पूरा किया जा सके और कुछ प्रावधानों का स्पष्टीकरण देते हुए हटाया जा सके।

कोर्पोरेट कार्यनीति और बजट बनाना

X.77 कोर्पोरेट कार्यनीति और बजट विभाग (सीएसबीडी) 2014 में संगठनात्मक पुनर्गठन के एक भाग के रूप में पहले के व्यय और बजट नियंत्रण विभाग में से उत्कीर्ण हुआ है। सीएसबीडी का प्रमुख कार्य एक गतिविधि आधारित और शून्य आधारित बजट अपनाकर रिज़र्व बैंक का बजट तैयार करना तथा संसाधनों को किफायती रूप से आबंटित करना है। व्यय की निगरानी केन्द्रीय बोर्ड समिति को प्रेषित त्रैमासिक समीक्षा के माध्यम से की जाती है। 2014-15 के दौरान, सीएसबीडी ने क्षेत्रीय निदेशकों, क्षेत्रीय कार्यालयों और केन्द्रीय कार्यालय विभागों के बजट अधिकारियों के साथ पारस्परिक चर्चाएं की ताकि उन्हें आयोजित गतिविधियों पर ध्यान देने और बजट प्रक्रिया को व्यय निगरानी हेतु साधन के रूप में इस्तेमाल करने हेतु संवेदनशील बना सके।

2015-16 की कार्यसूची :

X.78 इसके अलावा, विभाग के निष्पादन क्षेत्र में रिज़र्व बैंक की कूटनीतिक प्राथमिकता पहचानना है और तदनुसार संसाधन आबंटित करना शामिल है। निधिबद्ध बाहरी संस्थानों के संबंध में सीएसबीडी का ध्यान उनके अनुसंधान और पूंजीगत व्यय को सहायता प्रदान करते हुए तीन वर्ष की अवधि के लिए उनके राजस्व खर्च का न्यूनतम निधियन करने पर केन्द्रित होगा। सीएसबीडी जून 2016 तक कारोबार निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम) प्रतिपादित करेगा। वेतन का भुगतान और स्टाफ संबंधी भुगतान जो विभाग का प्रमुख कार्य है उसे मानव संसाधन और विकास विभाग (एचआरएमडी) द्वारा ले लेने की प्रक्रिया जारी है।

कोर्पोरेट सेवाएं

X.79 विशेषीकृत विभागों द्वारा उनके प्रमुख कार्यों पर ध्यान केन्द्रित करने के उद्देश्य से कोर्पोरेट सेवाएं विभाग (डीसीएस) का निर्माण किया गया। यह विभाग पुनर्गठन के भाग के रूप में निर्मित किया गया है तथा उसके पास कार्यक्रमों/बैठकों/आतिथ्य के प्रबंधन के माध्यम से कोर्पोरेट सहायता सेवाएं उपलब्ध करना; दर संविदा के एवार्ड हेतु दिशा-निर्देश तैयार करना; कार्यालय लेखन-सामग्री का केन्द्रीकृत प्रबंध, ईलेक्ट्रानिक दस्तावेज़ प्रबंधन; और उच्च प्रबंध तंत्र को प्रोटोकोल सेवाएं प्रदान करने का अधिदेश प्राप्त है।

राजभाषा

X.80 रिज़र्व बैंक ने हिंदी तथा इसके कामकाज को बढ़ावा देने के लिए 2014-15 के दौरान, राजभाषा अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना जारी रखा। रिज़र्व बैंक का राजभाषा विभाग इस हेतु नोडल विभाग की भूमिका का निर्वाह करता है।

2014-15 की कार्यसूची: कार्यान्वयन की स्थिति

X.81 वर्ष के दौरान सभी क्षेत्रीय कार्यालयों ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टोलिक) की सदस्यता प्राप्त की। राजभाषा नियम, 1976 के अंतर्गत रिज़र्व बैंक के छह कार्यालयों को अधिसूचित किया गया। वर्ष के दौरान कई प्रतियोगिताओं एवं समारोहों का आयोजन किया गया, जिसमें मई 2015 में राजभाषा अधिकारियों के लिए दो-दिवसीय सम्मेलन भी शामिल है। कंप्यूटरीकृत वातावरण में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने हेतु अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए गहन हिंदी टंकण प्रशिक्षण कार्यक्रमों का

आयोजन किया गया और भारत सरकार द्वारा आयोजित की गई उक्त परीक्षा में 156 प्रशिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए।

X.82 सांविधिक प्रकाशनों के साथ ही अन्य प्रकाशनों को भी द्विभाषी रूप में प्रकाशित किया गया। बैंकिंग तथा वित्त को समर्पित तिमाही हिंदी पत्रिका बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन प्रकाशित की जा रही है। अर्द्ध-वार्षिक ई-समाचार पत्र 'राजभाषा समाचार' का प्रथम अंक जनवरी 2015 में प्रकाशित किया गया।

X.83 संसदीय राजभाषा समिति ने 2015 में रिज़र्व बैंक के कोच्ची कार्यालय का दौरा किया। इस अवसर पर ई-बैंकिंग शब्दावली का विमोचन किया गया। तब से, शब्दावली को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट में अपलोड किया गया है जिसमें हिंदी और अंग्रेजी -दोनों में खोज करने की सुविधा जैसी उन्नत विशेषताओं को शामिल किया गया है। संसदीय समिति ने रिज़र्व बैंक के दिल्ली और कोलकाता कार्यालयों का भी दौरा किया। समिति ने रिज़र्व बैंक में हिंदी के प्रयोग को आगे बढ़ाने के लिए कार्यशालाओं की संख्या में वृद्धि करने एवं हिंदी विज्ञापनों पर व्यय बढ़ाने जैसे सुधारात्मक सुझाव दिए।

2015-16 की कार्यसूची

X.84 2015-16 की कार्य-योजना में संसदीय राजभाषा समिति द्वारा व्यक्त सरोकार को स्वीकार किया गया है। 2015-16 को रिज़र्व बैंक में राजभाषा स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है और वर्ष के दौरान आयोजित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों को समाहित करते हुए कार्य-योजना तैयार कर ली गई है। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के स्तर को और बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय निदेशकों तथा केंद्रीय कार्यालय विभाग प्रमुखों के लिए हिंदी कार्यशाला, क्षेत्रवार सम्मेलन, अनुवाद दिवस एवं अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं के महत्व को निरूपित करते हुए विभिन्न हिंदी समारोहों के आयोजन की योजना तैयार की गई है।

परिसर

X.85 परिसर विभाग रिज़र्व बैंक की इमारतों की आधारभूत संरचना तैयार करता है और उनका रखरखाव करता है। 2014-15 में विभाग ने कुछ कार्यबाधित परियोजनाओं को सुचारू रूप दिया। डिजाइन एंड बिल्ड (डीबी) मोड के तहत अन्ना नगर, चेन्नै; दादर-परेल, मुंबई एवं अमीरपेट, हैदराबाद की रिहायशी कालोनियों और इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान (आईजीआईडीआर), मुंबई तथा रिज़र्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय (आरबीएससी), चेन्नई में अतिरिक्त छात्रावासों की परियोजनाओं को प्रारंभ किया गया। इम्फाल में उप-कार्यालय एवं आवासों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। वित्तीय बाजार परिचालनों के लिए मुंबई में डीलिंगरूम और बेंगलुरु में समग्र मानव संसाधन प्रणाली (सीएचआरएस) की वर्तमान आधारभूत संरचना का उन्नयन किया गया।

हरित प्रयास

X.86 हरित नीति के हिस्से के रूप में, रिज़र्व बैंक के सभी कार्यालयों में ग्रिड इंटरेक्टिव सौर ऊर्जा प्लांटों की स्थापना की जा रही है। उत्पन्न होने वाली बेकार सामग्री (कचरा) का उपयोग करने के लिए कानपुर, तिरुवनंतपुरम, नई दिल्ली, बेंगलुरू एवं सीएबी, पुणे में जैविक कचरा परिवर्तक (ऑर्गेनिक वेस्ट कनवर्टर) लगाए गए हैं।

स्वच्छ भारत - स्वच्छता जांच (सेनिटेशन ऑडिट)

X.87 केंद्रीय कार्यालय भवन (सीओबी), फोर्ट तथा बांद्रा कुर्ला कांप्लेक्स, मुंबई स्थित कार्यालयों और मुंबई सेंट्रल कॉलोनी में प्रायोगिक आधार पर तृतीय पक्ष-स्वच्छता जांच की गई। इसके परिणामों के आधार पर सुधार करने और उनका निपटान करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

2015-16 की कार्यसूची

X.88 2015-16 के दौरान, भूमि एवं भवनों के वर्तमान भौतिक संसाधनों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा ताकि आगामी दो से तीन वर्षों में उनका ईष्टतम प्रयोग किया जाना और रखरखाव की लागत में कमी किया जाना सुनिश्चित किया जा सके। देहरादून और रायपुर में रिज़र्व बैंक के कार्यालयों का निर्माण प्रारंभ करने का प्रस्ताव है। अपेक्षित वैधानिक अनुमोदन प्राप्त करने में हो रहे विलंब के कारण डीबी मोड के तहत हौज खास कालोनी, नई दिल्ली; चेंबूर कॉलोनी, मुंबई का पुनर्विकास किए जाने और मुंबई में केफ्रल भवन के निर्माण में बाधाएं आईं।

X.89 अक्तूबर 2015 तक, 20 कार्यालयों में वर्तमान ऐनालॉग सीसीटीवी प्रणालियों के स्थान पर इंटरनेट प्रोटोकॉल सीसीटीवी परियोजना लागू की जा रही है। सीओबी में समन्वित सुरक्षा प्रणाली की स्थापना के दिसंबर 2015 तक पूर्ण हो जाने की संभावना है। केंद्रीय कार्यालय भवन में स्थापित कार्ड आधारित भीतर प्रवेश की टर्नस्लाइट प्रणाली को क्षेत्रीय कार्यालयों पर भी अपनाया जा रहा है।

XI 2014-15 के लिए रिज़र्व बैंक का लेखा

30 जून 2015 को समाप्त वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक के तुलनपत्र के आकार में 10.09 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इस वृद्धि का मुख्य कारण इसके आस्ति पक्ष में विदेशी मुद्रा आस्तियों में 21.50 प्रतिशत की वृद्धि तथा देयता पक्ष में परिचालन में नोटों की संख्या तथा जमाराशियों में क्रमशः 9.57 प्रतिशत और 37.60 प्रतिशत की वृद्धि होना रहा है। जहां वर्ष 2014-15 में सकल आय में 22.66 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि हुई है, वहीं कुल व्यय में 11.92 प्रतिशत का ही इज़ाफा हुआ है। वर्ष की समाप्ति पर समग्र अधिशेष पिछले वर्ष के ₹ 526.79 बिलियन की तुलना में ₹ 658.96 बिलियन था जो 25.09 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

XI.1 रिज़र्व बैंक के तुलनपत्र से मोटे तौर पर इसकी उन गतिविधियों की झलक मिलती है जिन्हें मुद्रा निर्गम कार्य के साथ मौद्रिक नीति तथा आरक्षित निधि के प्रबंधन उद्देश्यों के अनुसरण में किया जाता है। वर्ष 2014-15 के दौरान रिज़र्व बैंक के परिचालनों के मुख्य वित्तीय परिणाम, टिप्पणियों सहित निम्नलिखित परिच्छेदों में प्रस्तुत किए गए हैं।

XI.2 वर्ष 2014-15 के दौरान तुलनपत्र के समग्र आकार में ₹ 2647.92 बिलियन अर्थात 10.09 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार इसका आकार ₹ 26,243.67 बिलियन था जो 30 जून 2015 को बढ़कर ₹ 28,891.59 बिलियन हो गया। आस्ति पक्ष में बढ़ोतरी का मुख्य कारण विदेशी मुद्रा आस्तियों(एफसीए) में वृद्धि होना रहा है। जबकि आस्ति पक्ष में वृद्धि की खास वजह परिचालन में नोटों की संख्या तथा जमाराशियों (डिपाजिट्स) में इज़ाफा होना रहा है। 30 जून 2015 को कुल आस्तियों में से घरेलू आस्तियां (स्वर्ण सहित) 26.07 प्रतिशत जबकि विदेशी मुद्रा आस्तियां 73.93 प्रतिशत थी, इसकी तुलना में 30 जून 2014 को ये क्रमशः 33.0 प्रतिशत और 67.0 प्रतिशत थीं।

XI.3 पिछले वर्ष के समान ही इस वर्ष भी कोई भी राशि आकस्मिकता-निधि में अंतरित नहीं की गई है। ₹ 10.00 बिलियन की राशि का प्रावधान किया गया है जिसे आस्ति विकास निधि में अंतरित किया गया है, विशेष रूप से राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) की पूंजी में अंशदान देने हेतु, और अधिशेष राशि ₹ 658.96बिलियन केंद्र सरकार को अंतरित की गई है। पिछले पाँच वर्षों में आकस्मिकता निधि और आस्ति विकास निधि की राशियों तथा केंद्र सरकार को अंतरित अधिशेष राशि की स्थिति क्रमशः सारणी XI.1 और XI.2 में दी गई है।

XI.4 बेहतर तुलनात्मक स्थिति प्रस्तुत करने तथा अधिक पारदर्शिता लाने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक अपने वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण को क्रमिक रूप से बेहतर बनाता जा रहा है। तुलनपत्र तथा लाभ और हानि विवरण के प्रस्तुतीकरण के तरीके की समीक्षा करने के लिए 2012-13 में एक तकनीकी समिति गठित की गई थी [अध्यक्षः श्री वाय. एच. मालेगाम (तकनीकी समिति)], समिति ने रिज़र्व बैंक के तुलनपत्र के फार्मेट तथा विषय-वस्तु एवं लाभ और हानि लेखा के संबंध में तथा लाभ और हानि लेखा के नाम को बदलकर आय-विवरण करने जैसी अनेक सिफ़ारिशें की हैं। इसके अलावा, समिति ने इसकी लेखांकन नीति में भी कुछेक परिवर्तन करने की सिफ़ारिश की है। रिज़र्व बैंक के बोर्ड ने इन परिवर्तनों की

सारणी XI.1 आकस्मिकता निधि(सीएफ़) और आस्ति विकास निधि (एडीएफ़) की राशियाँ

(बिलियन ₹ में)

30 जून की स्थिति	सीएफ़ में जमाराशि	एडीएफ़ में जमाराशि	कुल	कुल आस्तियों की तुलना में सीएफऔर एडीएफ का प्रतिशत
1	2	3	4=(2+3)	5
2011	1707.28	158.66	1865.94	10.3
2012	1954.05	182.14	2136.19	9.7
2013	2216.52	207.61	2424.13	10.1
2014	2216.52	207.61	2424.13	9.2
2015	2216.14*	217.61	2433.75	8.4

* सीएफ़ में गिरावट का कारण 30 जून 2015 को वायदा संविदा पर एमटीएम हानि के कारण एफ़सीवीए में डेबिट बैलेन्स को समायोजित करना रहा है।

सारणी XI.2: सकल आय, व्यय और निवल प्रयोज्य आय

(बिलियन ₹)

मद	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1	2	3	4	5	6
ए) सकल आय	370.70	531.76	743.58	646.17	792.56
बी) आंतरिक आरक्षित निधि में अंतरण (i+ii)	134.02	270.25	287.94	0.00	0.00
(i) आकस्मिकता आरक्षित निधि	121.67	246.77	262.47	0.00	0.00
(ii) आस्ति विकास आरक्षित निधि@	12.35	23.48	25.47	0.00	0.00
सी) निवल आय (ए-बी)	236.68	261.51	455.63	646.17	792.56
डी) कुल व्यय	86.55	101.37	125.49	119.34	133.56
ई) निवल प्रयोज्य आय (सी-डी)	150.13	160.14	330.14	526.83	659.00
एफ) निधियों को अंतरण *	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
जी) सरकार को अंतरित अधिशेष (ई-एफ)	150.09	160.10	330.10	526.79	658.96
सकल आय से व्यय को घटाकर सरकार के अंतरित अधिशेष का प्रतिशत	52.8	37.2	53.4	99.99	99.99

*: पांच वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष में हरेक को ₹ 10 मिलियन की राशि राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालिक परिचालन) निधि, राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घकालिक परिचालन) निधि, राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि, राष्ट्रीय आवस ऋण (दीर्घकालिक परिचालन) निधि में अंतरित की गई।

@2014-15 के लिए नहीं दिखाया गया है क्योंकि इसे कुल व्यय में शामिल कर लिया गया है।

सिफ़ारिशों को लागू करने के लिए स्वीकार कर लिया है। इन परिवर्तनों को प्रभावी बनाने के लिए भारत सरकार ने बैंक के साप्ताहिक विवरण के फार्मेट को 15 जुलाई 2015 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक सामान्य विनियमावली, 1949 की संबंधित धाराओं में संशोधनों को भारत के राजपत्र में 6 जुलाई 2015 और बैंक के तुलनपत्र तथा आय-विवरण को 15 जुलाई 2015 को अधिसूचित किया गया है। तदनुसार, बैंक का 2014-15 का वार्षिक लेखा नए फार्मेट में तैयार किया गया है।

XI.5 तुलनपत्र के फार्मेट औए विषयवस्तु में तथा लाभ और हानि लेखा में किए गए प्रमुख परिवर्तन इस प्रकार हैं:

- निर्गम और बैंकिंग विभागों के तुलनपत्रों को मिला दिया गया है और आस्ति एवं देयता की प्रत्येक मद को पंक्ति मद के रूप में दिखाया गया है जो अनुसूचियों द्वारा समर्थित है।
- 'स्वर्ण मुद्रा और बुलियन' जो पहले 'अन्य आस्तियों' का हिस्सा हुआ करता था और 'सहयोगी संस्थाओं तथा सम्बद्ध संस्थाओं में निवेश' जो पहले बैंकिंग विभाग के तुलनपत्र में 'निवेश' का हिस्सा हुआ करता था, अब तुलनपत्र के प्रमुख शीर्ष बना दिए गए हैं।
- लाभ और हानि लेखा का नाम बदलकर 'आय-विवरण' कर दिया गया है तथा आय शीर्ष को दो प्रमुख उप-शीर्षों यथा- 'ब्याज' और 'अन्य' में विभाजित कर दिया गया है जो अनुसूचियों द्वारा समर्थित हैं।
- व्यय के अंतर्गत एक नया शीर्ष 'प्रावधान' जोड़ा गया गया है जो आकस्मिकता निधि (सीएफ़) और आस्ति विकास निधि (एडीएफ़) में किए गए अंतरण के लेखांकन प्रयोजन से है।
- रिपोर्टिंग यूनिट को 'रुपये हज़ार' से बदलकर 'रुपये बिलियन' कर दिया गया है।

XI.6 सुपाठ्यता और बेहतर प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से निवेश को चार प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। बैंकिंग विभाग तुलनपत्र के भाग के रूप में 'विदेश में धारित राशियाँ' और 'निवेश' को 'निवेश-विदेशी-बैंकिंग विभाग' तथा 'निवेश-घरेलू-बैंकिंग विभाग' के रूप में दिखाया गया है। 'निर्गम विभाग की आस्तियां' के भाग के रूप में 'विदेशी प्रतिभूतियाँ' और 'भारत सरकार रुपये प्रतिभूतियाँ' को अब क्रमशः 'निवेश-विदेशी-निर्गम विभाग' तथा 'निवेश-घरेलू-निर्गम विभाग' के रूप में दिखाया गया है। आकस्मिकता आरक्षित निधि और आस्ति विकास आरक्षित

निधि का नाम बदलकर 'आकस्मिकता निधि' तथा 'आस्ति विकास निधि' कर दिया गया है।

XI.7 तकनीकी समिति की सिफ़ारिशों के आधार पर कुछ परिवर्तन लेखांकन नीतियों में भी किए गए हैं जिन्हें 2014-15 से लागू भी कर दिया गया है। रेपो और रिवर्स रेपो लेनदेन को पहले प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री माना जाता था। इस प्रकार के लेनदेन का चूंकि तात्पर्य उधार देना तथा निधियों को जमा करना है और प्रतिभूतियां उस लेनदेन के मात्र संपार्श्विक के रूप में होती हैं, इसलिए एलएएफ़ और मार्जिनल स्टैंडिंग फ़ैसिलिटी (एमएसएफ़) के अंतर्गत रेपो को अब उधार देना माना जा रहा है और रिर्वस रेपो को भारतीय रिज़र्व बैंक के पास धन जमा करना माना जा रहा है। तकनीकी समिति ने यह भी सिफ़ारिश की है कि रुपये प्रतिभूतियों को उचित मूल्य पर आँका जाना चाहिए और उससे होने वाले किसी भी प्रकार के अप्राप्त लाभ या हानि को निवेश पुनर्मूल्यांकन लेखा में अंतरित किया जाए। इसे वर्ष 2015-16 से लागू किया जाएगा।

XI.8 भारतीय रिज़र्व बैंक की आंतरिक आरक्षित निधि और अधिशेष के स्तर एवं उसकी पर्याप्तता तथा वितरण नीति की समीक्षा के लिए वर्ष 2013-14 में एक अन्य तकनीकी समिति [अध्यक्षः श्री वाय एच मालेगाम (तकनीकी समिति II)] का गठन किया गया था। तकनीकी समिति II की सिफ़ारिशों के आधार पर बैंक द्वारा हस्तक्षेप करने के संबंध में की गई वायदा संविदाओं को वर्ष 2013-14 से तुलनपत्र की तारीख को बाज़ार भाव पर दर्शाया जा रहा है। इसके अलावा, लाभ को नज़रअंदाज करने और केवल हानि को हिसाब में लेने की पूर्व नीति के स्थान पर अब लाभ और हानि दोनों को हिसाब में लिया जा रहा है।

XI.9 तकनीकी समिति की अन्य प्रमुख सिफ़ारिशें जिन्हें 2015-16 में लागू किया जाएगा, इस प्रकार हैंः (i) रुपये में अंकित प्रतिभूतियों के पुनः मूल्यांकन करने की विधि को लेखा-मूल्य और बाज़ार-मूल्य,जो भी कम हो (एलओबीओएम) में परिवर्तित करते हुए उनका उचित मूल्यांकन करना, और (ii) करेंसी और स्वर्ण पुनर्मूल्यांकन लेखा (सीजीआरए) को स्वर्ण पुनर्मूल्यांकन लेखा (जीआरए) तथा विदेशी मुद्रा पुनर्मूल्यांकन लेखा (एफ़सीआरए) में विभाजित करना।

XI.10 वर्ष 2014-15 के लिए तुलनपत्र और आय-विवरण, नए फार्मेट में अनुसूचियों, महत्वपूर्ण लेखांकन नीति-विवरण तथा लेख-समर्थित टिप्पणियों सहित नीचे प्रस्तुत हैंः

भारतीय रिज़र्व बैंक
30 जून 2015 का तुलन-पत्र

(बिलियन ₹)

देयताएं	अनुसूची	2013-14	2014-15	आस्तियां	अनुसूची	2013-14	2014-15
पूंजी		0.05	0.05	**बैंकिंग विभाग (बै.वि.) की आस्तियां**			
आरक्षित निधि		65.00	65.00	नोट, रुपया सिक्का, छोटे सिक्के	5	0.11	0.11
अन्य आरक्षित निधि	1	2.20	2.22	स्वर्ण सिक्के और बुलियन	6	590.24	578.84
जमाराशि	2	3769.45	5186.86	निवेश-विदेशी -बैंकिंग विभाग	7	4,796.21	7,276.29
अन्य देयताएं और प्रावधान	3	8961.70	8905.03	निवेश-घरेलू -बैंकिंग विभाग	8	6,684.68	5,174.97
				खरीदे तथा भुनाये गए बिल		0.00	0.00
				ऋण और अग्रिम	9	370.83	802.32
				सहयोगी संस्थओं में निवेश	10	13.20	13.20
				अन्य आस्तियां	11	343.13	313.43
निर्गम विभाग की देयताएं				**निर्गम विभाग (निवि) की आस्तियां**			
जारी किए गए नोट	4	13,445.27	14,732.43	सोने के सिक्के और बुलियन (नोट निर्गम के समर्थन के रूप में)	6	649.78	637.23
				रुपये सिक्के		1.72	1.99
				निवेश-विदेश-निर्गम विभाग	7	12,783.31	14,082.75
				निवेश-घरेलू-निर्गम विभाग	8	10.46	10.46
				घरेलू विनिमय बिल और अन्य वाणिज्य-पत्र		0.00	0.00
	कुल देयताए	**26,243.67**	**28,891.59**		**कुल आस्तियां**	**26,243.67**	**28,891.59**

भारतीय रिज़र्व बैंक
जून 2015 को समाप्त वर्ष का आय विवरण

(राशि बिलियन ₹)

आय	अनुसूची	2013-14	2014-15
ब्याज	12	636.88	744.82
अन्य	13	9.29	47.74
कुल		**646.17**	**792.56**
व्यय			
नोटों का मुद्रण	14	32.14	37.62
करेंसी विप्रेषण पर व्यय		0.71	0.98
एजेंसी प्रभार		33.25	30.45
ब्याज		0.04	0.01
कर्मचारी लागत		43.24	40.58
डाक और संचार प्रभार		0.84	0.91
मुद्रण और लेखन-सामग्री		0.21	0.34
किराया, कर, बीमा, बिजली आदि		1.22	1.14
मरम्मत और रखरखाव		1.04	1.04
निदेशकों और स्थानीय बोर्ड सदस्यों के शुल्क और व्यय		0.03	0.03
लेखापरीक्षकों का शुल्क और व्यय		0.02	0.03
विधिक प्रभार		0.05	0.04
विविध व्यय		4.93	7.97
मूल्यह्रास		1.62	2.42
कुल		**119.34**	**133.56**
उपलब्ध शेष राशि		**526.83**	**659.00**
घटाएं :			
ए) निम्नलिखित में अंशदान :			
i) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालिक परिचालन) निधि		0.01	0.01
ii) राष्ट्रीय आवस ऋण (दीर्घकालिक परिचालन) निधि		0.01	0.01
बी) नाबार्ड को अंतरित योग्य :			
i) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घकालिक परिचालन) निधि [1]		0.01	0.01
ii) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि[1]		0.01	0.01
केंद्र सरकार को देय अधिशेष		**526.79**	**658.96**

1 इन निधियों का रखरखाव नाबार्ड द्वारा किया जाता है।

मधुमिता एस.देब	एस.एस. मूंदड़ा	आर. गांधी	ऊर्जित आर. पटेल	हारून आर.खान	रघुराम जी. राजन
मुख्य महाप्रबंधक	उप गवर्नर	उप गवर्नर	उप गवर्नर	उप गवर्नर	गवर्नर

अनुसूचियां जो तुलनपत्र और आय विवरण का हिस्सा हैं

(राशि बिलियन · में)

		2013-14	2014-15
अनुसूची 1 :	**अन्य आरक्षित निधि**		
	(i) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालिक परिचालन) निधि	0.23	0.24
	(ii) राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घकालिक परिचालन) निधि	1.97	1.98
	कुल	**2.20**	**2.22**
अनुसूची 2 :	**जमाराशियां**		
	(ए) सरकार		
	(i) केंद्र सरकार	1.00	1.01
	(ii) राज्य सरकार	0.42	0.43
	उप-योग	**1.42**	**1.44**
	(बी) बैंक	3,469.16	3,711.94
	(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	37.29	32.22
	(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	63.31	69.97
	(iii) अन्य अनुसूचित सहकारी बैंक	4.81	10.71
	(iv) गैर अनुसूचित सहकारी बैंक	102.67	122.01
	(v) अन्य बैंक (क्षे.ग्रा.बैं, भू.वि.बैं. आदि)	***3,677.24***	***3,946.85***
	उप-योग		
	(सी) अन्य	38.62	40.75
	(i) भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी भ.नि. खाता के प्रशासक	27.95	78.75
	(ii) जमाकर्ता शिक्षा और जागरुकता निधि	10.13	14.71
	(iii) विदेशी केंद्रीय बैंकों की राशियां	2.53	4.33
	(iv) भारतीय वित्तीय संस्थाओं की राशियां	1.43	1.45
	(v) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की राशियां	0.01	0.01
	(vi) पारस्परिक निधि	10.12	1098.57
	(vii) अन्य	***90.79***	***1,238.57***
	उप-योग	**3,769.45**	**5,186.86**
	कुल		
अनुसूची 3 :	**अन्य देयताएं और प्रावधान**	123.10	140.05
	(i) उपदान और अधिवर्षिता निधि	2,216.52	2,216.14
	(ii) आकस्मिकता निधि (सीएफ)	207.61	217.61
	(iii) आस्ति विकास निधि (एडीएफ)	5,721.63	5,591.93
	(iv) मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यांकन लेखा (सीजीआए)	37.91	32.14
	(v) निवेश पुनर्मूल्यांकन लेखा (आईआरए)	42.98	0.00
	(vi) विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यांकन लेखा (एफसीबीए)	0.00	0.39
	(vii) वायदा संविदा मूल्यांकन लेखा हेतु प्रावधान (पीएफसीवीए)	16.55	16.81
	(viii) देयराशियों के लिए प्रावधान	526.79	658.96
	(ix) भारत सरकार को अंतरण योग्य अधिशेष	0.37	0.17
	(x) देय बिल	68.24	30.83
	(xi) विविध	**8,961.70**	**8,905.03**
	कुल		
अनुसूची 4 :	**निर्गमित नोट**	0.11	0.11
	(i) बैंकिंग विभाग में धारित नोट	13,445.16	14,732.32
	(ii) परिचालन में नोट	**13,445.27**	**14,732.43**
	कुल		

		2013-14	2014-15
अनुसूची 5 :	**नोट, रुपये सिक्के, छोटे सिक्के (भारिबैं के पास)**		
	(i) नोट	0.11	0.11
	(ii) रुपये सिक्के	0.00	0.00
	(iii) छोटे सिक्के	0.00	0.00
	कुल	**0.11**	**0.11**
अनुसूची 6:	**स्वर्ण के सिक्के और बुलियन**		
	(i) बैंकिंग विभाग	590.24	578.84
	(ii) निर्गम विभाग (नोट निर्गम के समर्थन के रूप में)	649.78	637.23
	कुल	**1,240.02**	**1,216.07**
अनुसूची 7:	**विदेशी मुद्रा आस्तियां**		
	(i) निवेश-विदेशी - बैंकिंग विभाग	4,796.21	7,276.29
	(ii) निवेश-घरेलू - निधि विभाग	12,783.31	14,082.75
	कुल	**17,579.52**	**21,359.04**
अनुसूची 8:	**निवेश घरेलू**		
	(i) निवेश-घरेलू - बैंकिंग विभाग	6,684.68	5,174.97
	(ii) निवेश-घरेलू - निधि विभाग	10.46	10.46
	कुल	**6,695.14**	**5,185.43**
अनुसूची 9:	**ऋण और अग्रिम**		
	(ए) निम्नलिखित को ऋण और अग्रिम	0.00	0.00
	(i) केंद्र सरकार	6.66	25.77
	(ii) राज्य सरकार	***6.66***	***25.77***
	उप-योग		
	(बी) निम्नलिखित को ऋण और अग्रिम	294.17	732.03
	(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	0.00	0.00
	(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	1.34	0.45
	(iii) अन्य राज्य सहकारी बैंक	0.00	0.00
	(iv) गैर अनुसूचित सहकारी बैंक	0.00	0.00
	(v) नाबार्ड	68.66	44.07
	(vi) अन्य	***364.17***	***776.55***
	उप-योग		
	(सी) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालिक परिचालन) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश (ए)		
	निम्नलिखित को ऋण और अग्रिम	0.00	0.00
	(i) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	0.00	0.00
	(ii) भारतीय निर्यात-आयात बैंक	0.00	0.00
	(iii) भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमि.	0.00	0.00
	(iv) अन्य		
	(बी) निम्नलिखित द्वारा जारी बांड / डिबेंचर में निवेश	0.00	0.00
	(i) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	0.00	0.00
	(ii) भारतीय निर्यात-आयात बैंक	0.00	0.00
	(iii) भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमि.	0.00	0.00
	(iv) अन्य	***0.00***	***0.00***
	उप-योग		
	(डी) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालिक परिचालन) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश निधि:	0.00	0.00
	(ए) राष्ट्रीय आवास बैंक को ऋण और अग्रिम	0.00	0.00
	(बी)राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी बांड / डिबेंचर में निवेश	***0.00***	***0.00***
	उप-योग		
	कुल	**370.83**	**802.32**

		2013-14	2014-15
अनुसूची 10:	**सहयोगी संस्थाओं में निवेश**		
	(i) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम	0.50	0.50
	(ii) राष्ट्रीय आवास बैंक	4.50	4.50
	(iii) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	0.20	0.20
	(iv) भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण (प्रा.) लिमि.	8.00	8.00
	कुल	**13.20**	**13.20**
अनुसूची 11:	**अन्य आस्तियां**		
	(i) अचल आस्तियां (कुल मूल्यह्रास को घटाकर)	5.22	3.92
	(ii) उपचित आय (ए+बी)	**225.90**	**206.26**
	ए. कर्मचारियों को दिए गए ऋण पर	3.09	3.16
	बी. अन्य मदों पर	222.81	203.10
	(iii) स्वैप परिशोधन लेखा	59.30	94.33
	(iv) वायदा संविदा लेखा का पुनर्मूल्यांकन (आरएफसीए)	42.85	0.00
	(v) विविध	9.86	8.92
	कुल	**343.13**	**313.43**
अनुसूची 12:	**ब्याज**		
	(i) घरेलू स्रोत		
	ए. घरेलू प्रतिभूतियों की धारिता पर ब्याज	470.53	436.30
	बी. एलएएफ परिचालन पर निवल ब्याज	59.02	28.29
	सी. एमएसएफ परिचालन पर ब्याज	17.45	1.88
	डी. घरेलू प्रतिभूतियों की बिक्री से लाभ	331.37	139.15
	ई. मूल्यह्रास	(-)480.45	(-)98.28
	एफ. ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज	37.46	14.06
	(ii) विदेशी स्रोत		
	ए. विदेशी प्रतिभूतियों की धारिता पर ब्याज	201.50	223.42
	कुल	**636.88**	**744.82**
अनुसूची 13:	**आय-अन्य**		
	(i) विदेशी आस्तियों पर प्राप्त छूट से	6.81	4.40
	(ii) विदेशी मुद्रा लेनदेनों के विनिमय से	(-)10.61	29.62
	(iii) कमीशन	12.57	13.38
	(iv) प्राप्त किराया	0.05	0.05
	(v) बैंक की संपत्ति बिक्री से लाभ/हानि	0.01	0.02
	(vi) प्रावधान जिसकी अब आवश्यकता नहीं	0.46	0.27
	कुल	**9.29**	**47.74**
अनुसूची 14:	**एजेंसी प्रभार**		
	(i) सरकारी लेनदेन पर एजेंसी कमीशन	27.81	29.63
	(ii) प्राथमिक व्यापारियों को अदा किया गया हामीदारी कमीशन	4.81	0.33
	(iii) विविध (राहत /बचत बांडों के अभिदान के लिए बैंकों को अदा किया गया संचालन प्रभार)	0.00	0.00
	(iv) बाहरी आस्ति प्रबंधकों, अभिरक्षकों आदि को अदा किया गया शुल्क	0.63	0.49
	कुल	**33.25**	**30.45**

स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

भारत के राष्ट्रपति की सेवा में

वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट

हम, भारतीय रिज़र्व बैंक (जिसे आगे 'बैंक' कहा गया है) के अधोहस्ताक्षरी लेखा-परीक्षक इसके द्वारा केंद्र सरकार को 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार बैंक का तुलन-पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय विवरण (जिसे आगे 'वित्तीय विवरण' कहा गया है) पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं जो कि हमारे द्वारा लेखा-परीक्षित की गई है।

वित्तीय विवरणों के प्रति प्रबंधन का उत्तरदायित्व

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व प्रबंधन का है जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों की जरूरत तथा उसके अंतर्गत बनायी गयी विनियमावली और बैंक द्वारा लगातार पालन की गई लेखांकन नीतियों और प्रथाओं के अनुसार बैंक के कार्यों की सच्ची और सही स्थिति प्रस्तुत करते हैं। इस उत्तरदायित्व में वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण और उन्हें तैयार करने के लिए उपयोगी आंतरिक नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल है जो इसके बारे में सच्ची और सही राय देते हैं और ये गलत बयानी, चाहे वह धोखाधड़ी के इरादे से अथवा त्रुटि से हुई हो, से मुक्त है।

लेखा-परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा दायित्व अपनी लेखा-परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के संबंध में अभिमत व्यक्त करना है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षण से संबंधित मानकों के अनुरूप लेखा-परीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम अपने लेखापरीक्षा के कार्य की नैतिक अपेक्षाओं और आयोजना ऐसे करें जिससे समुचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि वित्तीय विवरण में राशि तथ्यात्मक रूप से गलत बयानी से मुक्त हो।

लेखा-परीक्षा में वित्तीय विवरण संबंधी राशि और प्रकटन की पुष्टि करने वाले साक्ष्यों की जाँच करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। प्रक्रियाओं का चुनाव लेखा-परीक्षक करते हैं जिसमें गलत बयानी, चाहे वह धोखाधड़ी के इरादे से अथवा त्रुटि से हुई हो, से संबंधित जोखिम का मूल्यांकन शामिल है। इन जोखिमों का मूल्यांकन करने के लिए लेखा-परीक्षक लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं की डिजाइन के लिए वित्तीय विवरणों का सही प्रस्तुतीकरण और बैंक की तैयारी के लिए उपयोगी आंतरिक नियंत्रण पर विचार करते हैं, लेकिन इसे बैंक के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावकारिता पर दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए तैयार नहीं किया जाता है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों तथा प्रबंधन द्वारा किये गये महत्त्वपूर्ण आकलनों का निर्धारण तथा समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है।

हम विश्वास करते हैं कि लेखा-परीक्षा से संबंधित जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, वे हमारी लेखा-परीक्षा में हमारी राय के लिए पर्याप्त आधार है।

राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा बैंक की लेखा-बहियों में दर्ज महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के साथ पठित यह तुलन-पत्र पूर्ण और सही है जिसमें सभी आवश्यक विवरण दिए गए हैं तथा इसे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बनायी गयी विनियमावली के अनुसार सही तरीके से बनाया गया है ताकि इससे बैंक के कार्यों की सच्ची और सही स्थिति का पता लग सके।

अन्य मामले

हम रिपोर्ट करते हैं कि हमने बैंक से लेखा-परीक्षा के लिए आवश्यक जानकारी और स्पष्टीकरण मांगा था और वह जानकारी और स्पष्टीकरण हमें दिये गये हैं और वे संतोषजनक हैं।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि इस वित्तीय विवरण में बैंक के उन्नीस लेखांकन इकाइयों के लेखा शामिल किये गये हैं जो सांविधिक शाखा लेखा-परीक्षकों द्वारा परीक्षित हैं और हमने इस संबंध में उनकी रिपोर्ट पर विश्वास किया है।

कृते हरिभक्ति एंड कंपनी,एलएलपी
सनदी लेखाकार
(आईसीएआई फर्म पंजीयन सं. 103523 डब्ल्यू)

राकेश राठी
भागीदार
सदस्यता क्रम सं..045228

कृते सीएनके एंड एसोसिएट,एलएलपी
सनदी लेखाकार
(आईसीएआई फर्म पंजीयन सं. 101961डब्ल्यू)

मनीष संपत
भागीदार
सदस्यता क्रम सं. 101684

स्थान: मुंबई

दिनांक: 13 अगस्त, 2015

30 जून 2015 को समाप्त वर्ष के संबंध में महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का विवरण

1. सामान्य

1.1 भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 (अधिनियम) के अंतर्गत की गई थी जिसका उद्देश्य ''बैंक नोटों के निर्गम को नियंत्रित करना और भारत में मौद्रिक स्थायित्व प्राप्त करने की दृष्टि से आरक्षित निधि रखना और सामान्यतः देश के हित में मुद्रा और ऋण प्रणाली परिचालित करना है।''

1.2 बैंक के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं :

ए) बैंक नोटों का निर्गम।

बी) मौद्रिक प्रणाली का प्रबंधन।

सी) बैंकों तथा गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) का विनियमन और पर्यवेक्षण।

डी) अंतिम ऋणदाता की भूमिका का निर्वाह करना।

ई) भुगतान और निपटान प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण।

एफ) देश के विदेशी मुद्रा भंडार का अनुरक्षण और प्रबंध करना।

जी) बैंकों और सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना।

एच) सरकार के ऋण प्रबंधक की भूमिका का निर्वाह करना।

आइ) विदेशी मुद्रा बाजार का विनियमन और विकास।

जे) ग्रामीण ऋण एवं वित्तीय समावेशन सहित विकास कार्य।

1.3 अधिनियम में अपेक्षा की गई है कि बैंक नोटों का निर्गमन बैंक के निर्गम विभाग द्वारा किया जाना चाहिए जो एक अलग विभाग होगा और इसे बैंकिंग विभाग से पूर्णतः अलग रखा जाना चाहिए। निर्गम विभाग की आस्तियों में निर्गम विभाग की देयताओं को छोड़कर अन्य कोई देयताएं शामिल नहीं होंगी। अधिनियम में अपेक्षा की गई है कि निर्गम विभाग की आस्तियों में सोने के सिक्के, स्वर्ण बुलियन, विदेशी प्रतिभूतियां, रुपया सिक्का और रुपया प्रतिभूतियां शामिल होंगी और इनकी समग्र राशि निर्गम विभाग की कुल देयताओं से कम नहीं होनी चाहिए। अधिनियम की अपेक्षा है कि निर्गम विभाग की देयताएं भारत सरकार की करेंसी नोटों और उस समय परिचालनगत बैंक नोटों की कुल राशि के बराबर होंगी।

2. महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

2.1 परंपरा

वित्तीय विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 तथा उसके अंतर्गत जारी की गई अधिसूचनाओं के अनुसार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक सामान्य विनियमावली, 1949 द्वारा निर्धारित फार्म में तैयार किये जाते हैं। जहां पुनर्मूल्यन को दर्शाने हेतु संशोधन किया गया हो उसे छोड़कर, विवरण पारंपरिक लागत पर आधारित हैं। विवरणों में अपनायी गयी लेखांकन-प्रणालियां और नीतियां, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, गत वर्ष के लिए अपनायी गई लेखांकन प्रणालियों और नीतियों के अनुरूप हैं।

2.2 राजस्व निर्धारण

(ए) दंडात्मक ब्याज जिसकी गणना प्राप्ति सुनिश्चित होने पर ही की जाती है, को छोड़कर, आय और व्यय का निर्धारण उपचित आधार पर किया जाता है। वर्ष के दौरान शेयर पर लाभांश आय संबंधी नीति में संशोधन किया गया है और अब इसकी गणना उपचित आधार पर उस समय की जाती है जब नगदी आधार पर उसकी गणना करने की पूर्व नीति के प्रति उसकी गणना की प्राप्ति का अधिकार स्थापित हो जाता है।

(बी) देय ड्राफ्ट लेखा, भुगतान आदेश लेखा, फुटकर जमा लेखा, विप्रेषण समाशोधन खाता तथा बयाना जमाराशि खाता सहित कतिपय अस्थायी लेखे में लगातार तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए अदावाकृत और बकाया शेष का पुनरीक्षण किया जाता है और उसे आय में पुनः शामिल किया जाता है। इससे संबंधित दावों पर विचार किया जाता है और जब कभी उनका भुगतान किया जाता है तब उन्हें आय में से प्रभारित किया जाता है।

(सी) विदेशी मुद्रा में आय और व्यय को यथा प्रयोज्य सप्ताह/माह/वर्ष के अंतिम कारोबारी दिवस में प्रचलित विनिमय दरों के आधार पर दर्शाया जाता है।

2.3 स्वर्ण तथा विदेशी मुद्रा आस्तियां और देयताएं

स्वर्ण और विदेशी मुद्रा आस्तियों तथा देयताओं के लेनदेनों को निपटान तिथि के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

(ए) स्वर्ण

स्वर्ण का पुनःमूल्य निर्धारण माह के अंत में, उस माह के लिए लंदन के बुलियन बाजार ऐशोसिएशन (एलबीएमए) के औसत दैनिक मूल्य के 90 प्रतिशत मूल्य पर, किया जाता है। उसके समकक्ष रुपये का निर्धारण उक्त माह के अंतिम कारोबार के दिन प्रचलित विनिमय दर के आधार पर किया जाता है। अप्राप्त लाभ/हानि को मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते (सीजीआरए) में जमा/नामे किया जाता है।

(बी) विदेशी मुद्रा आस्तियां और देयताएं

विदेशी मुद्रा की सभी आस्तियां और देयताएं (स्वैप के तहत रिपो के रूप में प्राप्त विदेशी मुद्रा और उन संविदाओं जहां दरें संविदागत रूप में निर्धारित होती हैं को छोड़कर) कारोबार के अंतिम सप्ताह, माह तथा वर्ष के अंतिम कारोबारी दिवस में प्रचलित विनिमय दरों पर दर्शायी जाती हैं। विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को इस प्रकार से दर्शाए जाने से होने वाले विदेशी मुद्रा के लाभ और हानि को मुद्रा और स्वर्ण पूनर्मूल्यन खाते में डाला जाता है और वे वहीं पर समायोजित रहती हैं। खज़ाना बिलों, कमर्शियल पेपर और कतिपय ''परिपक्वता तक धारित'' प्रतिभूतियों (जैसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी नोट्स में निवेश तथा इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनांस कंपनी (आइआइएफसी), यू.के. द्वारा जारी बांड) को छोड़कर, विदेशी प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण, लागत के आधार पर किया जाता है, जो प्रत्येक माह के अंतिम कारोबार के दिन प्रचलित बाजार-मूल्य पर होता है। मूल्य वृद्धि या मूल्य ह्रास को निवेश पुनर्मूल्यन खाते (आईआरए) में दर्ज किया जाता है। निवेश पुनर्मूल्यन खाते (आईआरए) में जमा शेष बाद के वर्ष में ले जाया जाता है। वर्ष के अंत में निवेश पुनर्मूल्यन खाते का नामे शेष, यदि कोई हो, को आकस्मिक निधि से लिया जाता है और इसे अनुवर्ती वित्तीय वर्ष के प्रारंभिक दिन आकस्मिक निधि में वापस जमा किया जाता है। 2013-14 तक आईआरए में इस प्रकार के नामे शेष को लाभ और हानि खाते में रखे जाने की नीति थी। विदेशी खजाना बिलों और वाणिज्यिक पत्रों को बट्टे के परिशोधन से समायोजित लागत के अनुसार रखा जाता है। विदेशी प्रतिभूतियों पर प्रीमियम या डिस्काउंट को दैनिक रूप से परिशोधित किया जाता है। विदेशी मुद्रा आस्तियों के विक्रय पर लाभ/हानि की पहचान बही मूल्य के अनुसार की जाती है। दिनांकित विदेशी प्रतिभूतियों की बिक्री/पुनःप्राप्ति पर, विक्रय की गई प्रतिभूतियों, जो निवेश पुनर्मूल्यन खाते में रखी गई हों, के मूल्यांकन के परिणामस्वरूप लाभ/हानि को आय खाते में अंतरित किया जाता है।

सी) वायदा/स्वैप संविदाएं

रिज़र्व बैंक द्वारा उसके हस्तक्षेप करने के परिचालनों के हिस्से के रूप में की गई वायदा संविदाओं का पुनर्मूल्यन वार्षिक आधार पर 30 जून को किया जाता है। बाजार मूल्य पर (एमटीएम) लाभ को 'विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं के मूल्यन खाता' (एफसीवीए) में जमा किया जाता है जिसे वायदा संविदाओं के पुनर्मूल्यांकन खाता (आरएफसीए) में प्रतिपक्षी के नामे किया जाता है। बाजार मूल्य पर (एमटीएम) हानि को एफसीवीए में नामे किया जाता है जिसके अंतर्गत वायदा कारोबारों के मूल्यन खाते के लिए पीएफसीवी में प्रतिपक्षी राशि जमा की जाती है। 30 जून की स्थिति के अनुसार एफसीवीए में नामे शेष, यदि कोई हो, को आकस्मिक निधि के तहत रखा जाता है और अगले वर्ष के पहले कार्य दिवस पर रिवर्स कर दिया जाता है। संविदा की अवधि पूर्ण होने पर वास्तविक लाभ या हानि को आय विवरण खाते में दर्शाया जाएगा तथा एफसीवीए, आरएफसीए एवं पीएफसीवीए में पहले दर्ज किए गए अप्राप्त लाभ/हानि को वापस किया जाएगा। आरएफसीए और पीएफसीवीए में शेष राशि क्रमशः इस प्रकार की वायदा संविदाओं के मूल्यांकन से अप्राप्त निवल लाभ और हानि को दर्शाती है

बाजार से भिन्न दरों पर, जो रिपो के रूप में होती हैं, स्वैप किए जाने की स्थिति में भावी निविदा दर तथा निविदा किए जाने की दर में अंतर का परिशोधन संविदा की अवधि के दौरान किया जाता है और उसे आय विवरण में दर्ज किया जाता है जिसकी प्रतिपक्षी प्रविष्टियां स्वैप परिशोधन खाते (एसएए) में की जाती हैं। एसएए में दर्ज राशि को अंतर्निहित संविदा की अवधि पूर्ण होने पर रिवर्स कर दिया जाता है। इसके अलावा, इस तरह के स्वैप के माध्यम से प्राप्त राशि का आवधिक मूल्यांकन नहीं किया जाता है।

जहां एफसीवीए एवं पीएफसीवीए ''अन्य देयताओं'' का हिस्सा होती हैं, वहीं आरएफसीए और एसएए ''अन्य आस्तियों'' का हिस्सा होती हैं।

2.4 घरेलू निवेश

(ए) रुपया प्रतिभूतियां

बैंक के घरेलू निवेश के भाग के रूप में धारित रुपया प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण बही मूल्य या बाजार मूल्य से कम मूल्य (एलओबीओएम) पर किया जाता है। जहां ऐसी प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य उपलब्ध न हो, वहां उनका मूल्य माह के अंतिम कारोबार के दिन भारतीय नियत आय

मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ (फिम्मडा) द्वारा अधिसूचित किए अनुसार प्रचलित आय-वक्र पर आधारित दर पर किया जाता है। मूल्य में कमी का समायोजन, यदि कोई हो, चालू ब्याज आय से किया जाता है। नोट निर्गम और प्रतिभूतियां जिन्हें फंड जैसे कि उपदान और सेवानिवृत्ति, भविष्य निधि, छुट्टी नकदीकरण, स्वास्थ्य सहायता निधि और जमाकर्ता की शिक्षा और जागरूकता (डीईए) फंड के प्रति चिह्नित किया गया है, के समर्थन में धारित गैर ब्याज वाली रुपया प्रतिभूतियों को परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) के रूप में और उसके बाद बाजार भाव पर दर्शाया गया है।

(बी) खज़ाना बिल

खज़ाना बिलों का मूल्य निर्धारण उनकी लागत के अनुसार किया जाता है।

(सी) शेयर

शेयर में निवेश का मूल्य निर्धारण उनकी लागत के अनुसार किया जाता है।

2.5 चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) रिपो/रिवर्स रेपो और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ)

वर्ष 2014-15 से चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के अंतर्गत रिपो को ऋण देने के रूप में लिया जा रहा है और 'ऋण और अग्रिम' के तहत दर्शाया जा रहा है जबकि 'रिवर्स रिपो' जमाराशि के रूप में लिया जा रहा है और 'जमा-अन्य' के तहत दर्शाया जा रहा है। पिछले वर्ष तक एलएएफ और एमएसएफ के तहत रिपो को रुपया प्रतिभूतियों की खरीद के रूप में और रिवर्स रिपो को रुपया प्रतिभूतियों की बिक्री के रूप में लिया गया था।

2.6 अचल आस्तियां

(ए) अचल आस्तियों का विवरण उनकी लागत में से मूल्यह्रास को घटाते हुए दिया जाता है।

(बी) कम्प्यूटरों, माइक्रोप्रोसेसरों, सॉफ्टवेयरों (• 0.1 मिलियन

और उससे अधिक की लागत वाले), मोटर वाहनों, फर्नीचर आदि के संबंध में विवरण सीधी कटौती के आधार पर निम्नलिखित दरों पर दिया जाता है।

आस्ति श्रेणी	मूल्यह्रास की दर
मोटर वाहन, फर्नीचर आदि	20 प्रतिशत
कम्प्यूटर, माइक्रोप्रोसेसर, सॉफ्टवेयर आदि	33.33 प्रतिशत

(सी) पट्टाधारित भूमि पर परिशोधन प्रीमियम और भवनों पर मूल्यह्रास बट्टाकृत मूल्य आधार पर निम्नलिखित दरों पर दिया जाता है।

आस्ति श्रेणी	मूल्यह्रास की दर/परिशोधन
पट्टाधारित भूमि और उस पर बने भवन	पट्टे की अवधि के अनुपात में किंतु 5 प्रतिशत से कम नहीं
पूर्ण स्वामित्व वाली (फ्रीहोल्ड) भूमि पर बने भवन	10 प्रतिशत

(डी) • 0.1 मिलियन से कम लागत वाली अचल आस्तियां (आसानी से कहीं ले जाने योग्य आस्तियों को छोड़कर) अधिग्रहण के वर्ष से संबंधित लाभ/हानि खाते में प्रभारित की जाती हैं। आसानी से कही ले जाने योग्य • 10,000 से अधिक लागत वाली इलेक्ट्रानिक आस्तियों जैसे लैपटॉप आदि का लागू दरों पर पूंजीकृत और मूल्यह ह्रास किया गया है।

(ई) ₹ 0.1 मिलियन और अधिक की लागत वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की वैयक्तिक मदों को पूंजीकृत किया गया है और मूल्यह्रास की गणना लागू दरों पर की गयी है।

(एफ) अचल आस्तियों की वर्ष के अंत में शेष राशि पर मूल्यह्रास लगाया गया है।

(जी) रखाव मूल्य की हानि/पुनःविवरण के मूल्यांकन के लिए भवनों को दो वर्गों में निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :

(i) भवन जो उपयोग में है किंतु भविष्य में ध्वस्त किए जाने हेतु चिह्नित किए गए हैं/भविष्य में त्याग दिए जाएंगे : इस प्रकार के भवनों के उपयोग का मूल्य भविष्य में जिस तारीख तक त्यागी/ध्वस्त किए जाने की संभावना है, की अवधि के लिए मूल्यह्रास का कुल है। बही मूल्य और इस प्रकार से निकाले गए मूल्यह्रास के कुल के बीच के अंतर को आय विवरण में लिया गया है और मूल्यह्रास में शामिल किया गया है।

(ii) भवन जो त्याग दिए/खाली कर दिए गए हैं :इस प्रकार के भवनों को प्राप्य मूल्य (निवल बिक्री मूल्य, यदि आस्ति को भविष्य में बेचने की संभावना है)/विध्वंस मूल्य घटाकर स्क्रैप मूल्य (यदि भविष्य में ध्वस्त किए जाएंगे) पर दर्शाया जायेगा। यदि मूल्य ऋणात्मक है, तो इस प्रकार के भवनों के रखाव मूल्य को ₹ 1 पर दर्शाया जाएगा। बही मूल्य और प्राप्य मूल्य (अर्थात निवल ब्रिकी मूल्य)/विध्वंस मूल्य को घटाकर स्क्रैप मूल्य के बीच का अंतर आय विवरण में लिया गया है और मूल्यह्रास में शामिल किया गया है। आस्ति को ''अन्य आस्तियां'' - ''विविध '' शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया जाएगा।

2.7 कर्मचारी लाभ

'अनुमानित इकाई ऋण' प्रणाली के अंतर्गत दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के खाते पर देयता बीमांकिक मूल्य निर्धारण के आधार पर दी जाती है।

लेखे के संबंध में टिप्पणियां

XI.11 बैंक की देयताएं और आस्तियां

XI.11.1 देयताएं

i) पूंजी

रिज़र्व बैंक की स्थापना निजी शेयर धारकों के बैंक के रूप में 1935 में की गई थी जिसकी प्रारंभिक चुकता पूंजी ₹ 0.05बिलियन थी। बैंक को 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकृत किया गया और इसके साथ ही उसका संपूर्ण स्वामित्व भारत सरकार को प्राप्त हो गया। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 4 के अनुसार बैंक की चुकता पूंजी ₹ 0.05 बिलियन बनी हुई है।

ii) आरक्षित निधि

₹ 0.05 बिलियन की मूल आरक्षित निधि का सृजन भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46 के अनुसार रिज़र्व बैंक द्वारा अधिग्रहीत तत्कालीन सरकार की मुद्रा देयताओं के प्रति केंद्र सरकार से अंशदान लेकर किया गया था। उसके पश्चात अक्तूबर 1990 तक स्वर्ण के पुनर्मूल्यन से प्राप्त होने वाले ₹ 64.95 बिलियन की लाभ-राशि को इस निधि में जमा किया गया जिससे यह निधि बढ़कर ₹ 65 बिलियन हो गई। उसके बाद से इस निधि में राशि जमा नहीं की गई है और स्वर्ण तथा विदेशी मुद्रा के मूल्यन से होने वाले लाभ-हानि को मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए) में दर्ज किया जाता है जो कि तुलन-पत्र में 'अन्य देयताओं' की मद का एक हिस्सा है।

iii) अन्य आरक्षित निधियां

इसमें राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि और राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि शामिल हैं।

ए. राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि

इस निधि का सृजन भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 46सी के तहत जुलाई 1964 में ₹ 100 मिलियन

की प्रारंभिक राशि के साथ किया गया था। इस निधि में रिज़र्व बैंक की ओर से पात्र वित्तीय संस्थाओं को वित्तीय सहायता स्वरूप प्रदान किए गए वार्षिक सहयोग की राशि जमा की जाती है। 1992-93 से इस निधि में बैंक से प्रत्येक वर्ष ₹ 10 मिलियन की टोकन राशि जमा की जाती है। 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार इस निधि की राशि ₹ 0.24 बिलियन रही।

बी. राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि

यह निधि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46डी के तहत राष्ट्रीय आवास बैंक को वित्तीय निभाव उपलब्ध कराने के लिए जनवरी 1989 में स्थापित की गई थी। ₹ 500 मिलियन की प्रारंभिक पूंजी को रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान किए जाने वाले वार्षिक सहयोग के माध्यम से बाद में बढ़ाया गया। वर्ष 1992-93 से प्रतिवर्ष बैंक की आय से सिर्फ ₹ 10 मिलियन की टोकन राशि ही इस निधि में जमा की जाती है। 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार इस निधि की राशि ₹ 1.98 बिलियन रही।

सी. अन्य निधियों में अंशदान

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46ए के तहत दो अन्य निधियों, नामतः राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि और राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि की स्थापना की गई है जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की देखरेख में है और प्रत्येक निधि के लिए प्रति वर्ष ₹ 10 मिलियन की टोकन राशि नाबार्ड को प्रेषित की जाती है।

iv) जमाराशियां

इसके अंतर्गत बैंकों, केंद्र और राज्य सरकारों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं, जैसे, निर्यात-आयात बैंक (एग्जिम बैंक) और नाबार्ड, विदेशी केंद्रीय बैंकों, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की रिज़र्व बैंक में रखी जाने वाली जमाराशियां, कर्मचारी भविष्य निधि से संबंधति विविध खातों की राशि, और जमाकर्ता शिक्षा और जागरुकता निधि (डीईए निधि) की राशि होती हैं। वर्ष 2013-14 में डीईए निधि का सृजन जमाकर्ताओं के हितों में वृद्धि करने और इस प्रकार के अन्य संगत उद्देश्यों के लिए किया गया था। कुल जमाराशि 30 जून 2014 के ₹ 3,769.45 बिलियन की तुलना में 30 जून 2015 में 37.60 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए ₹ 5,186.86 बिलियन रही।

ए. जमाराशियां - सरकार

रिज़र्व बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 20 और 21 के तहत केंद्र सरकार के बैंकर के रूप में तथा धारा 21(ए) के तहत हुए आपसी समझौते के तहत राज्य सरकारों के बैंकर के रूप में कार्य करता है। तदनुसार, केंद्र और राज्य सरकारें रिज़र्व बैंक के पास जमा राशि रखते हैं। 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारों की राशियों,क्रमशः ₹ 1.01 बिलियन और ₹ 0.43 बिलियन, का योग ₹ 1.44 बिलियन था।

बी. जमाराशियां - बैंक

बैंक, आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने एवं भुगतान और निपटान संबंधी दायित्वों का निर्वाह करने के लिए कार्यशील पूंजी हेतु रिज़र्व बैंक के पास अपने चालू खातों में जमाराशि रखते हैं। 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार बैंक की चालू खाता जमाराशि ₹ 3,946.85 बिलियन रही जबकि 30 जून 2014 को यह राशि ₹ 3,677.24 बिलियन थी, जो वर्ष के दौरान 7.33 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

सी. जमाराशियां-अन्य

'जमाराशि - अन्य' में भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी भविष्य निधि के प्रशासक की राशियां, जमाकर्ता शिक्षा

और जागरूकता निधि (डीईए निधि) की राशियां, विदेशी केंद्रीय बैंकों, भारतीय और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं तथा बकाया रिवर्स रिपो की राशियां होती हैं। 2014-15 से, रिवर्स रिपो अंतरणों को बैंक के पास निधियों की जमाराशियों के रूप में माना जा रहा है एवं इसलिए बकाया रिवर्स रिपो अब 'जमाराशि-अन्य' का हिस्सा बन गया है। 'जमाराशियां-अन्य' के अंतर्गत राशि 30 जून 2014 के ₹ 90.79 बिलियन से 1,264.21 प्रतिशत बढ़कर 30 जून 2015 को ₹ 1,238.57 बिलियन हो गई जो प्रमुख रूप से बैंक द्वारा रिवर्स रिपो अंतरणों के अंतर्गत धारित राशियों के कारण है।

v) अन्य देयताएं और प्रावधान

'अन्य देयताओं और प्रवाधानों' में ग्रेच्युटी और अधिवर्षिता निधि, एवं प्रावधान प्रमुख घटक होते हैं। 2013-14 तक, ग्रेच्युटी और अधिवर्षिता निधियों की राशियों को 'जमाराशि-अन्य' के अंतर्गत दर्शाया गया है। उन्हें अन्य देयताओं और प्रावधानों के अंतर्गत नहीं दर्शाया गया है। आकस्मिकता निधि और आस्ति विकास निधि क्रमशः आकस्मिक एवं आंतरिक पूंजी व्यय के लिए किए गए प्रावधानों को दर्शाता है, जबकि 'अन्य देयताओं' के शेष घटक, जैसे, मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए), निवेश पुनर्मूल्यन खाता (आईआरए) और विदेशी मुद्रा वायदा संविदा पुनर्मूल्यन खाता (एफसीवीए) अप्राप्त बाजार मूल्य पर दर्शाए गए लाभ/हानि को दर्शाते हैं। अन्य देयताएं और प्रावधान 30 जून 2014 के ₹ 8,961.70 बिलियन से 0.63 प्रतिशत घटकर 30 जून 2015 को ₹ 8,905.03 बिलियन रह गए, जो प्रमुख रूप से सीजीआरए की राशियों में गिरावट के कारण हुआ।

ए. आकस्मिकता निधि

आकस्मिकता निधि (पूर्व में आकस्मिकता आरक्षित निधि) अप्रत्याशित और अनदेखी आकस्मिकताओं से निपटने के लिए वर्ष-दर-वर्ष आधार पर अलग से रखी गई राशि को दर्शाती है। इसमें प्रतिभूतियों के मूल्य में गिरावट और मौद्रिक/विनिमय दर नीतिगत परिचालनों से उत्पन्न जोखिम, प्रणालीगत जोखिम और बैंक को दिए गए विशेष उत्तरदायित्वों के कारण पैदा होने वाले जोखिम शामिल हैं।

बी. आस्ति विकास निधि

1997-98 में सृजित आस्ति विकास निधि (पूर्व में आस्ति विकास आरक्षित निधि) आंतरिक पूंजीगत खर्चों को पूरा करने तथा अनुषंगी संस्थाओं और सहायक संस्थाओं में निवेश करने के लिए प्रत्येक वर्ष आय में से उपलब्ध कराई गई राशि को दर्शाती है। वर्ष के दौरान, राष्ट्रीय आवास बैंक में बतौर पूंजी और निवेश किए जाने हेतु ₹ 10 बिलियन की अतिरिक्त राशि प्रदान की गई।

सी. मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए)

सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं का पालन करते हुए, स्वर्ण मूल्य में उतार-चढ़ाव के कारण विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफसीए) और स्वर्ण के मूल्यन के परिणामस्वरूप होने वाले अप्राप्त लाभ/हानि को आय /विवरण में शामिल नहीं किया जाता है, बल्कि इसे तुलन-पत्र की मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन (सीजीआरए)मद के अंतर्गत शामिल किया जाता है। सीजीआरए, एफसीए और स्वर्ण के मूल्यन के परिणामस्वरूप होने वाले अप्राप्त लाभ की संचित निवल राशि को दर्शाता है एवं इसलिए, इसका आकार आस्ति आधार के आकार और विनिमय दर तथा स्वर्ण मूल्य में उतार-चढ़ाव के अनुसार बदलता है। 2014-15 के दौरान, सीजीआरए की राशि 30 जून 2014 के ₹ 5,721.63 बिलियन से 2.27प्रतिशत घटकर 30 जून 2015 को ₹ 5,591.93 बिलियन रह गई, जो मुख्य रूप से अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना

में अमरीकी डॉलर के मूल्य में वृद्धि तथा स्वर्ण मूल्य में गिरावट के कारण हुई।

डी. निवेश पुनर्मूल्यन खाता (आईआरए)

दिनांकित विदेशी प्रतिभूतियों का मूल्यन प्रत्येक माह के अंतिम कारोबारी दिवस के बाजार मूल्यों के अनुसार किया जाता है और उससे होने वाले अप्राप्त लाभ/हानि को आईआरए में अंतरित किया जाता है। 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार आईआरए में ₹ 32.14 बिलियन राशि थी जबकि 30 जून 2014 को यह राशि ₹ 37.91 बिलियन थी।

ई. विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यन खाता (एफसीवीए) और वायदा संविदा मूल्यन खाते (पीएफसीवीए) के लिए प्रावधान

30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार बकाया वायदा संविदा के एमटीएम में ₹ 0.39बिलियन की निवल हानि हुई, जिसे पीएफसीवीए में प्रतिपक्षी जमा करने के साथ एफसीवीए में नामे डाला गया। वर्तमान नीति के अनुसार, एफसीवीए में ₹ 0.39 बिलियन के नामे शेष को 30 जून 2015 को आकस्मिकता निधि से समायोजित किया गया और इसे 01जुलाई 2015 को रिवर्स किया गया। तदनुसार, 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार एफसीवीए और पीएफसीवीए की राशियां क्रमशः शून्य और ₹ 0.39 बिलियन थीं जबकि यह 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार क्रमशः ₹ 42.98 बिलियन तथा शून्य थीं। सीजीआरए, आईआरए, एफसीवीए और पीएफसीवीए के गत पांच वर्षों की राशियों की स्थिति नीचे सारणी XII.3 में दी गई है।

एफ. भारत सरकार को अंतरित किए जाने योग्य अधिशेष

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 47 के अंतर्गत, अशोध्य और संदिग्ध ऋणों, आस्तियों में

सारणी XI.3: मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते (सीजीआरए), विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यांकन खाते (एफ़सीवीए), वायदा संविदा मूल्यांकन खाते का प्रावधान (पीएफ़सीवीए) और निवेश पुनर्मूल्यन खाते (आईआरए) में शेष राशियाँ

(₹ बिलियन)

30 जून की स्थिति	मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए)	विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यांकन खाते (एफसीवीए)#	वायदा संविदा मूल्यांकन खाते का प्रावधान (पीएफसीए)@	निवेश पुनर्मूल्यन खाते (आईआरए)
1	2	3	4	5
2011	1,822.86	0.01	--	42.69
2012	4,731.72	24.05	--	122.22
2013	5,201.13	16.99	--	24.85
2014	5,721.63	42.98	0.00	37.91
2015	5,591.93	0.00	0.39	32.14

2012-13 तक तुल्य खाता, विनिमय समकारी खाता(ईईए) था;
@ 2013-14 के दौरान आरंभ किया गया

मूल्यह्रास, स्टाफ और अधिवर्षिता निधि में अंशदान और उन सभी मामलों के लिए जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा या के अंतर्गत प्रावधान किए जाने हैं या जो बैंकर्स द्वारा प्रायः प्रदान किए जाते हैं, हेतु प्रावधान करने के बाद बैंक के लाभ की शेष राशि को केंद्र सरकार को भुगतान करना अपेक्षित होता है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 48 के अंतर्गत बैंक को किसी प्रकार के आयकर अथवा अतिकर अथवा अपनी आय, लाभ अथवा अभिलाभ पर किसी प्रकार के अन्य कर का भुगतान नहीं करना है और धन कर का भुगतान करने से भी बैंक को छूट प्राप्त है। तदनुसार, सांविधिक निधि के लिए ₹ 0.04 बिलियन की राशि का योगदान सहित व्यय का समायोजन करने के बाद और आवश्यक प्रावधानों के बाद वर्ष 2014-15 के लिए भारत सरकार को अंतरित किए जाने योग्य कुल राशि ₹ 658.96 बिलियन है (इसमें पिछले वर्ष के ₹ 12.69 बिलियन की तुलना में ₹ 11.46 बिलियन शामिल है जो विशेष प्रतिभूतियों को बिक्री योग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित करने पर सरकार द्वारा वहन ब्याज व्यय-अंतर के रूप में देय है)

जी) देय बिल

रिज़र्व बैंक अपने ग्राहकों के लिए धन-प्रेषण सुविधा उपलब्ध कराता है और स्वयं की भुगतान संबंधी आवश्यकता को मांग ड्राफ्ट(डीडी) और भुगतान आदेश(पीओ) (इलेक्ट्रानिक भुगतान प्रणाली के अतिरिक्त) जारी करके पूरा भी करता है। इस मद की शेष राशि बिना दावे के डीडी/पीओ दर्शाती है। इस मद के तहत बकाया कुल राशि 30 जून 2014 के ₹ 0.37 बिलियन से घटकर 30 जून 2015 को ₹ 0.17 बिलियन रह गई जिसका मुख्य कारण डीडी/ पीओ को कम इस्तेमाल करना था।

एच) विविध

यह अवशिष्ट मद है जिसमें निश्चित प्रतिभूतियों पर प्राप्त होने वाले ब्याज, छुट्टी का नकदीकरण आदि मदें शामिल हैं। 2013-14 तक इस मद में रेपो लेनदेनों पर रखी मार्जिन शामिल थी जिसे अब चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के अंतर्गत रेपो की लेखा-पद्धति में परिवर्तन के कारण समाप्त कर दी गयी है। इस मद के तहत शेष राशि 30 जून 2014 के ₹ 68.24
बिलियन से घटकर 30 जून 2015 को ₹ 30.83 बिलियन रह गई जिसका कारण एलएएफ़ और एमएसएफ़/ के अंतर्गत रेपो के संबंध में मार्जिन लेखांकन की समाप्ति था।

vi. निर्गम विभाग की देयताएं - जारी किए गए नोट

निर्गम विभाग की देयताओं से परिचालनगत करेंसी नोटों की मात्रा का पता चलता है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 34 (1) में अपेक्षा की गई है कि 1 अप्रैल, 1935 से रिज़र्व बैंक द्वारा जारी सभी बैंक नोटों तथा रिज़र्व बैंक का संचालन प्रारम्भ होने से पहले भारत सरकार द्वारा जारी करेंसी नोटों को निर्गम विभाग की देयताओं में शामिल किया जाना चाहिए। परिचालनगत करेंसी नोटों की संख्या 9.57 प्रतिशत से बढ़कर 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार ₹ 14,732.43 बिलियन हो गई जबकि यह 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार ₹ 13,445.16 बिलियन थी।

XI.11.2 आस्तियां

11.2.1 बैंकिंग विभाग(बीडी) की आस्तियां

आस्तियों में नोट, रुपया सिक्के और छोटे सिक्के, सोने के सिक्के और बुलियन, विदेशी करेंसी आस्तियां, रुपये प्रतिभूतियों में निवेश, खरीदे गए और भुनाए गए बिल, ऋण और अग्रिम, सहयोगी संस्थाओं में निवेश, अन्य आस्तियां दर्शाई जाती हैं। इसका विस्तृत ब्यौरा निम्नानुसार है:

i) नोट, रुपया सिक्के और छोटे सिक्के

यह रिज़र्व बैंक बैंकिंग कार्यों की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंकिंग विभाग के वाल्ट में रखे बैंक नोटों, एक रुपया के नोटों, 1, 2, 5 और 10 रुपयों के रुपया सिक्कों तथा छोटे सिक्कों की राशि है। 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार शेष राशि ₹ 0.11 बिलियन थी जो 30 जून 2014 की राशि के बराबर है।

ii) स्वर्ण सिक्के और बुलियन

रिज़र्व बैंक के पास 557.75 मेट्रिक टन स्वर्ण है जिसमें से 292.26 मेट्रिक टन जारी किए गए नोटों को सहारा देने के लिए धारित किया जाता है और उसे निर्गम विभाग की आस्ति के रूप में अलग से दर्शाया जाता है। 265.49 मेट्रिक टन की शेष राशि बैंकिंग विभाग की आस्ति के रुप में मानी जाती है। बैंकिंग विभाग के पास धारित स्वर्ण का मूल्य 30 जून 2014 के ₹ 590.24 बिलियन से 30 जून 2015 को 1.93 प्रतिशत घटकर ₹ 578.84 बिलियन रह गया, इसका मुख्य
कारण सोने के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में कमी आना है।

iii) खरीदे और भुनाए गए बिल

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत रिज़र्व बैंक वाणिज्यिक बिलों की खरीद तथा उनको भुनाने का कार्य कर सकता है किन्तु 2014-15 में ऐसा कोई कार्य नहीं किया

गया है। परिणामस्वरूप, 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार रिज़र्व बैंक की लेखा पुस्तिकाओं में इस प्रकार की कोई भी आस्ति उपलब्ध नहीं है।

iv) विदेशी निवेश - बैंकिंग विभाग(बीडी)

रिज़र्व बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफ़सीए) को तुलन-पत्र में निम्नलिखित दो शीर्षों के अंतर्गत दर्शाया गया है: (क) 'निवेश-बीडी' जिसे बैंकिंग विभाग की आस्तियों के अंतर्गत एक अलग मद के रुप में दर्शाया गया है तथा (ख) 'निवेश- विदेश-आईडी' जिसे निर्गम विभाग के आस्तियों के रूप में दर्शाया गया है जैसाकि "निर्गम विभाग आस्तियां" पर पैराग्राफ में उल्लेख किया गया है। निवेश-विदेश- बीडी में (i) अन्य केन्द्रीय बैंकों में जमाराशियाँ, (ii) अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस में जमाराशियाँ), (iii) वाणिज्य बैंकों की विदेशी शाखाओं में शेष, (iv) विदेशी खजाना बिलों और प्रतिभूतियों में निवेश तथा (v) वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) शामिल हैं। निवेश-विदेश-आईडी में जमाराशियाँ, खजाना बिल और दिनांकित प्रतिभूतियाँ शामिल हैं। पिछले दो वर्षों से संबंधित रिज़र्व बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियों की स्थिति सारणी XI.4 में दी गई है।

सारणी XI.4: विदेशी मुद्रा आस्तियों का विवरण (एफसीए)

(₹ बिलियन)

	विवरण	30 जून की स्थिति	
		2014	2015
	1	2	3
I	निर्गम विभाग की आस्तियां निवेश- विदेशी- निर्गम विभाग (निर्गम विभाग के 2013-14 के तुलनपत्र के अंतर्गत विदेशी प्रतिभूतियां)	12,783.31	14,082.75
II	बैंकिंग विभाग में रखी गयी आस्तियां		
	क) 'निवेशों' में शामिल (2013-14 तक)	1,069.45	0.00*
	ख) निवेश- विदेशी- बैंकिंग विभाग	3,726.76	7,276.29@
	कुल	17,579.52	21,359.04

* : बीआईएस और स्विफ्ट शीर्ष के अंतर्गत धारित विदेशी प्रतिभूतियां तथा शेयर को वर्ष के दौरान निवेश- विदेशी- बैंकिंग विभाग में अंतरित किया गया है।

@ : ₹ 99.08 बिलियन की एसडीआर मूल्य शामिल है।

टिप्पणियां :

1. 30 जून 2015 को अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक के अंशत: चुकता शेयरों की न मांगी गई राशि ₹ 1.08 बिलियन (एसडीआर 12,041,250) थी। पिछले वर्ष यह राशि ₹ 1.12 बिलियन (एसडीआर 12,041,250) थी।
2. भारतीय रिज़र्व बैंक 8.74 बिलियन एसडीआर (₹ 783.74 बिलियन/12.29 बिलियन अमरीकी डालर) की अधिकतम राशि तक आईएमएफ की उधार के लिए नई व्यवस्था के अंतर्गत नोट खरीद करार के अंतर्गत पहले ही किये गये वायदे के अनुसार 10 बिलियन अमरीकी डालर (₹ 637.55 बिलियन) शामिल है ,संसाधन उपलब्ध कराने के लिए तैयार हो गया है। 30 जून 2015 को उधार के लिए नई व्यवस्था के अंतर्गत 0.84 बिलियन एसडीआर (₹ 75.22 बिलियन/1.18 बिलियन अमरीकी डालर) की राशि निवेश की गई है।
3. भारतीय रिज़र्व बैंक इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनैंस कंपनी यूके द्वारा जारी बांडों में एक राशि, जिसका कुल 5 बिलियन अमरीकी डालर (₹ 318.77 बिलियन) से अधिक नहीं होना चाहिए निवेश के लिए सहमत हो गया है। 30 जून 2015 तक, भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऐसे बांडों में 2.10 बिलियन अमरीकी डालर (₹ 133.89 बिलियन) का निवेश किया गया है।
4. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आईएमएफ के साथ किए गए नोट खरीद करार (एनपीए) 2012 के अनुसार, रिज़र्व बैंक 10 बिलियन अमरीकी डालर (₹ 637.55 बिलियन) तक की राशि के आईएमएफ के एसडीआर मूल्यवर्गीत नोट की खरीद कर सकता है।
5. वर्ष 2013-14 के दौरान रिज़र्व बैंक और भारत सरकार के बीच समझौता ज्ञापन हुआ जिसके अनुसार चरणबद्ध तरीके से एसडीआर का अंतरण भारत सरकार से रिज़र्व बैंक में किया जाएगा। 30 जून 2015 को समाप्त वर्ष के दौरान एसडीआर 0.57 बिलियन (₹ 51.16 बिलियन, 0.82 बिलियन अमरीकी डालर) का अंतरण रिज़र्व बैंक को किया गया । 30 जून 2015 को रिज़र्व बैंक में एसडीआर शेष धारिता 1.1 बिलियन (₹ 99.08 बिलियन, 1.55 बिलियन अमरीकी डालर) थीं।
6. रिज़र्व बैंक ने सार्क स्वैप करार के अंतर्गत सार्क सदस्य देशों को क्षेत्रीय वित्तीय तथा आर्थिक सहयोग को सुदृढ़ करने की दृष्टि से विदेशी मुद्रा तथा भारतीय रुपये मिलाकर 2 बिलियन अमरीकी डालर की राशि देने की सहमति दी है। 30 जून 2015 को समाप्त वर्ष के दौरान इस करार के अंतर्गत श्रीलंका (श्रीलंका के केंद्रीय बैंक को) ने 0.4 बिलियन अमरीकी डालर (₹ 25.50 बिलियन) की राशि का उपयोग किया है।

v) निवेश - घरेलू - बीडी

निवेश में दिनांकित सरकारी रुपया प्रतिभूतियाँ, खजाना बिल और विशेष तेल बॉन्ड शामिल हैं। तथापि, 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार बैंक के पास कोई खजाना बिल नहीं था। रिज़र्व बैंक द्वारा धारित देशी प्रतिभूतियाँ जो बैंक के निवेश के भाग के रूप में धारित थी वह 22.58 प्रतिशत से घटकर 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार ₹ 6,684. 68 बिलियन से 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार ₹ 5174.97 बिलियन रह गई। इस गिरावट के कारण थे (क) एलएएफ और एमएसएफ के अंतर्गत रेपो/प्रतिवर्ती रेपो की लेखा-पद्धति में परिवर्तन (ख) बैंक द्वारा आयोजित चलनिधि प्रबंधन परिचालन तथा (ग) वर्ष 2014-15 के दौरान परिपक्व होने वाली भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ।

vi) ऋण और अग्रिम

ए) केंद्र और राज्य सरकारें

ये ऋण भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 17(5) के अनुसार अर्थोपाय अग्रिमों (डब्ल्यूएमए) के रूप में प्रदान किए जाते हैं। केंद्र सरकार के मामले में सीमाएं उनसे विचार-विमर्श करके समय-समय पर तय की जाती हैं। राज्य सरकारों के मामले में सीमाएं, इस प्रयोजन हेतु गठित सलहकार समिति समूह की सिफ़ारिशों के आधार पर तय की जाती हैं। 30 जून 2015 और 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार केंद्र सरकार को देय कोई ऋण और अग्रिम बकाया नहीं थे। 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार राज्य सरकारों को प्रदान किए गए ऋण और अग्रिम ₹ 25.77 बिलियन था जबकि 30 जून 2014 को यह राशि ₹ 6.66 बिलियन थी।

बी) वाणिज्य और सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम

इसमें मुख्यतः निर्यात ऋण पुनर्वित्त (ईसीआर) सुविधा के अंतर्गत रिज़र्व बैंक से पात्र बकाया निर्यात ऋण के बदले प्राप्त पुनर्वित्त, तथा चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के अंतर्गत रेपो के अंतर्गत बकाया राशि शामिल हैं। वर्ष 2014-15 से एलएएफ़ और एमएसएफ़ को उधार के रूप में माना जा रहा है और उसे इस मद में दर्शाया जा रहा है जिसके परिणामस्वरुप इस मद के अंतर्गत शेषराशि 147.87 प्रतिशत बढ़कर 30 जून 2014 के ₹ 295.51 बिलियन से बढ़कर 30 जून 2015की स्थिति के अनुसार ₹ 732.48 बिलियन हो गई।

सी) नाबार्ड को ऋण और अग्रिम

रिज़र्व बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 17(4ई) के तहत नाबार्ड को ऋण प्रदान कर सकता है। 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार कोई ऋण बकाया नहीं है।

डी) अन्य को ऋण और अग्रिम

इस मद के शेष में राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को दिए गए ऋण और अग्रिम, प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) को उपलब्ध कराई गई चलनिधि सहायता तथा प्राथमिक व्यापारियों के साथ संचालित ₹ 44.07 बिलियन का बकाया रेपो/मीयादी रेपो शामिल रहते हैं। इस मद के अंतर्गत शेष राशि 35.81 प्रतिशत से घटकर 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार ₹ 68.66 बिलियन से 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार ₹ 44.07 बिलियन रह गई जिसका प्रमुख कारण था सिडबी द्वारा ऋण की चुकौती।

vii) सहयोगी संस्थाओं में निवेश

30 जून की स्थिति के अनुसार सहयोगी संस्थाओं / सहायक में धारिताओं का ब्यौरा सारणी XI.5 में प्रस्तुत है।

सारणी XI.5: सहायक संस्थाओं में धारिताएँ

(राशि ₹ बिलियन में)

		लागत	% धारिता
1		2	3
ए)	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी)	0.50	100
बी)	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)	0.20	1
सी)	राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी)	4.50	100
डी)	भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्रा.लि. (बीआरबीएनएमपीएल)	8.00	100
	कुल	**13.20**	

viii) अन्य आस्तियां

ए) 'अन्य आस्तियां' में अचल आस्तियां (मूल्यह्रास की निवल राशि), देशी और विदेशी निवेशों पर उपचित आय, स्वैप परिशोधन खाता (एसएए), वायदा संविदा खाते का पुनर्मूल्यांकन (आरएफ़सीए) में धारित शेष राशियाँ तथा विविध आस्तियां होती हैं। विविध आस्तियों में मुख्य रूप से स्टाफ को दिए गए ऋण और अग्रिम, अपूर्ण परियोजनाओं पर किया गया व्यय, अदा की गई प्रतिभूति जमाराशि आदि होते हैं। 'अन्य आस्तियां' में बकाया राशि 8.66 प्रतिशत से घटकर 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार ₹ 343.13 बिलियन से जून 2015 की स्थिति के अनुसार ₹ 313.43 बिलियन हो गई जिसका मुख्य कारण वायदा संविदा पर 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार प्रतिभूतियों के दैनिक बाज़ार मूल्य में लाभ के बजाय 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार प्रतिभूतियों के दैनिक बाज़ार मूल्य में हानि थी।

बी) स्वैप परिशोधन खाता (एसएए)

स्वैप के मामले में,जिसकी दरें बाजार की दरों से कम हैं और उसका स्वरूप रेपो है, वायदा संविदा दर को उस दर से,जिसके आधार पर संविदा किया गया है, घटाकर संविदा की संपूर्ण अवधि में परिशोधित किया जा रहा है और इसे स्वैप परिशोधन खाते (एसएए) में धारण किया गया है। इस खाते में शेष राशि 59 प्रतिशत से बढ़कर 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार ₹ 59.30 बिलियन से 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार ₹ 94.33 बिलियन हो गई। इस खाते में धारितराशियों को अंतर्निहित संविदाएं परिपक्व हो जाने पर रिवर्स कर दिया जाएगा।

सी) वायदा संविदा खाता पुनर्मूल्यन (आरएफसीए)

वायदा संविदा जो मध्यक्षेप कार्यों के हिस्से के रुप में दर्ज किए जाते हैं वे 30 जून को बाज़ार भाव पर दर्शाए जाते हैं। निवल लाभों को आरएफसीए में दर्ज करना अपेक्षित है और उसे अंतर्निहित संविदा की परिपक्वता पर रिवर्स कर दिया जाना चाहिए। वायदा संविदाओं पर दैनिक बाज़ार मूल्यों की हानि के कारण 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार इस खाते में कोई शेष राशि नहीं थी।

11.2.2 निर्गम विभाग की आस्तियां

जारी किए गए नोटों को सहारा प्रदान करने के लिए निर्गम विभाग द्वारा धारित पात्र आस्तियों में स्वर्ण सिक्के और बुलियन, रुपया सिक्का, विदेशी मुद्रा आस्तियां, भारत सरकार की बिना ब्याज वाली रुपया प्रतिभूतियां तथा देशी विनिमय पत्र और अन्य वाणिज्यिक पत्र शामिल किए जाते हैं। रिज़र्व बैंक के पास 557.75 मेट्रिक टन स्वर्ण है जिसमें से 292.26 मेट्रिक टन भारत में जारी किए गए नोटों को सहारा देने के लिए रखा गया है (सारणी XI. 6)। जारी किए गए नोटों को सहारा देने के लिए धारित स्वर्ण का मूल्य 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार ₹ 649.78 बिलियन से 1.93 प्रतिशत घटकर 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार ₹ 637.23 बिलियन रह गया है जिससे बुलियन के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में कमी का पता चलता है। जारी किए गए नोटों में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप, जारी किए गए नोटों को सहारा देने के लिए धारित विदेशी मुद्रा आस्तियां जो 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार ₹ 12,783.31 बिलियन थीं वे 10.17 प्रतिशत से बढ़कर 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार ₹ 14,082.75 बिलियन हो गईं। निर्गम विभाग द्वारा धारित रुपया सिक्कों की शेष राशि 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार ₹ 1.72 बिलियन थी जो 15.70 प्रतिशत से बढ़कर 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार ₹ 1.99 बिलियन हो गई। बिना ब्याज के रुपया प्रतिभूतियों की राशि में कोई परिवर्तन नहीं आया और वे ₹ 10.46 बिलियन के स्तर पर बनी रहीं।

सारणी XI.6: स्वर्ण की भौतिक धारिता

	30 जून 2014 की स्थिति	30 जून 2015 की स्थिति
	मात्रा मेट्रिक टन में	मात्रा मेट्रिक टन में
1	2	3
जारी किए गए नोट को सहारा देने हेतु धारित स्वर्ण (भारत में धारित)	292.26	292.26
बैंकिंग विभाग की आस्ति के रुप में धारित स्वर्ण (विदेश में धारित)	265.49	265.49
कुल	**557.75**	**557.75**

सारणी XI.7(ए): विदेशी मुद्रा भंडार

(· बिलियन में)

	30 जून की स्थिति के अनुसार		घटबढ़	
	2014	2015	समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए)	17,530.21ɨ	21,100.56#	3,570.35	20.37
स्वर्ण	1,240.02	1,216.07@	(-) 23.94	(-) 1.93
विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर)	268.31	259.03	(-) 9.28	(-) 3.46
आईएमएफ में रिज़र्व की स्थिति	103.23	83.96	(-) 19.27	(-) 18.67
विदेशी मुद्रा भंडार (एफईआर)	19,141.77	22,659.62	3,517.86	18.38

· :इसमें रिज़र्व बैंक के पास · 49.31 बिलियन की एसडीआर धारिता शामिल नहीं है, इसे एसडीआर धारिता के अंतर्गत शामिल किया गया है।

: (क) भारत सरकार से ग्रहीत रिज़र्व बैंक की एसडीआर होल्डिंग, जो · 99.08 बिलियन बैठती है, जिसे एसडीआर होल्डिंग के तहत शामिल किया गया है, (ख) आईआईएफसी (यूके) द्वारा निर्गत बांड्स में · 133.89 बिलियन के निवेश और (ग) सार्क देशों के लिए उपलब्ध कराए गए करेंसी स्वैप के तहत श्री लंका को उधार दिए गए · 25.50 बिलियन,को छोड़कर।

@ : इसमें से · 637.23 बिलियन कीमत के स्वर्ण को निर्गम विभाग की आस्ति के रूप में और · 578.84 बिलियन के स्वर्ण को बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में धारित रखा गया है।

सारणी XI.7(बी): विदेशी मुद्रा भंडार

(· बिलियन में)

	30 जून की स्थिति के अनुसार		घटबढ़	
	2014	2015	समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए)	289.32*	331.55**	42.23	14.59
स्वर्ण	20.63	19.07	(-) 1.56	(-) 7.56
विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर)	4.47	4.06	(-) 0.41	(-) 9.17
आईएमएफ में रिज़र्व की स्थिति	1.72	1.32	(-) 0.40	(-) 23.26
विदेशी मुद्रा भंडार (एफईआर)	316.14	356.00	39.86	12.61

* : आइआइएफसी (यूके) बांडों में निवेशित 1,181 मिलियन अमरीकी डालर की राशि तथा रिज़र्व बैंक द्वारा ग्रहीत 820.56 मिलियन अमरीकी डालर के बराबर एसडीआर इसमें शामिल नहीं हैं।

** : (क) भारत सरकार से रिज़र्व बैंक द्वारा ग्रहीत 1,554 मिलियन यूएस डालर के समतुल्य एसडीआर, जिसे एसडीआर होल्डिंग के तहत शामिल किया गया है, (ख) आईआईएफसी (यूके) द्वारा निर्गत बांड्स में 2,100 मिलियन यूएस डालर के निवेश और (ग) सार्क देशों के लिए उपलब्ध कराए गए करेंसी स्वैप के तहत श्री लंका से प्राप्त 400 मिलियन यूएस डालर के समतुल्य एलकेआर, को छोड़कर।

XI.12 विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए) एवं विदेशी मुद्रा रिज़र्व (एफईआर)

विदेशी मुद्रा रिज़र्व (एफईआर) में स्वर्ण, विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) एवं रिज़र्व ट्रान्च स्थिति (आरटीपी) के अलावा मुख्य रूप से एफसीए, शामिल है। रिज़र्व ट्रान्च स्थिति आईएमएफ में बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा में अंशदान के रूप में है और वह बैंक के तुलन पत्र का हिस्सा नहीं है। 30 जून 2014 एवं 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार हमारे विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति भारतीय रुपए और अमरीकी डॉलर, जो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार के लिए मूल्यमान मुद्रा है, के रूप में निम्नानुसार (सारणी XI.7 क एवं ख) है।

आय और व्यय का विश्लेषण

आय

XI.13 रिज़र्व बैंक की आय के मुख्य घटक ब्याज से होने वाली प्राप्तियां और अन्य मदें हैं जिसमें (i) डिस्काउंट, (ii) विनिमय, (iii) कमीशन तथा (iv) प्राप्त किराया, बैंक की संपत्ति की बिक्री से प्राप्त लाभ अथवा हानि तथा, ऐसे प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं है, शामिल हैं। इनमें, ब्याज से प्राप्त आय का हिस्सा प्रमुख होता है तथा अन्य स्रोतों जैसे-डिस्काउंट, विनिमय, कमीशन तथा अन्य से प्राप्त होने वाली आय का हिस्सा अपेक्षाकृत कम रहता है।

विदेशी स्रोतों से आय

XI.14 विदेशी स्रोतों से होने वाली आय में 30.2 प्रतिशत का इज़ाफा हुआ, यह 2013-14 में ₹ 197.68 बिलियन थी जो 2014-15 में ₹ 257.44 बिलियन हो गई। इसका मुख्य कारण विदेशी मुद्रा आस्तियों के आकार में बढोतरी होना रहा जो 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार ₹ 17,579.52 बिलियन था और 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार यह बढ़कर ₹ 21, 359.03 बिलियन हो गया। विदेशी मुद्रा आस्तियों पर होने वाली आय की दर 2013-14 की 1.21 प्रतिशत की तुलना में यह 2014-15 में 1.36 प्रतिशत उच्चतर थी (सारणी XI.8)।

घरेलू स्रोतों से आय

XI.15 घरेलू स्रोतों से होने वाली निवल आय में 19.29 प्रतिशत का इज़ाफा हुआ, यह 2013-14 के ₹ 448.49बिलियन से बढ़कर 2014-15 में ₹ 535.00 बिलियन हो गई, इसका मुख्य कारण रुपए में अंकित प्रतिभूतियों में मूल्यह्रास के कम होने के कारण हुआ क्योंकि पूरे वर्ष के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों के मूल्य एक सीमित दायरे में बने रहे। मूल्यह्रास में ₹ 382.17 बिलियन की उल्लेखनीय कमी आई जिसने काफी हद तक प्रतिभूतियों की बिक्री पर अर्जित कम लाभ को समायोजित कर दिया क्योंकि बैंक की धारिता में से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने की पूर्व व्यवस्था के बजाय अब रिज़र्व बैंक द्वारा वर्ष के दौरान भारित औसत दर पर की जाने वाली मीयादी नीलामियों के आधार पर केंद्र सरकार को क्षतिपूर्ति की जाती है। घरेलू स्रोतों से होने वाली आय का विवरण सारणी XI.9 में दिया गया है।

XI.16 2014-15 में कूपन प्राप्तियां ₹ 436.30 बिलियन रहीं जो 2013-14 में ₹ 470.53 बिलियन की तुलना में कुछ कम थी क्योंकि खुला बाजार परिचालनों (ओएमओ) की बिक्री (एनडीएस-ओएम पर हुई बिक्री सहित) और परिपक्वता पर प्रतिभूतियों के मोचन के कारण रिज़र्व बैंक की रुपए में अंकित प्रतिभूतियों की धारिता में कमी आई। वर्ष के दौरान कोई ओएमओ खरीद नहीं की गई।

XI.17 एलएएफ और एमएसएफ से हुई निवल ब्याज आय में रेपो ओर एमएसएफ पर ब्याज तथा बैंक द्वारा रिवर्स रेपो पर अदा किए गए ब्याज को घटाकर 60.53 प्रतिशत की कमी आई, यह 2013-14 में ₹ 76.47 बिलियन थी जबकि 2014-15 में यह ₹ 30.17 बिलियन थी क्योंकि भारिबैं द्वारा प्रदान की गई सुविधा (रेपो, रिवर्स रेपो, एमएसएफ, मीयादी रेपो और मीयादी रिवर्स रेपो) के माध्यम से औसत दैनिक निवल चलनिधि का अंतर्वाह कम किया गया।

XI.18 केंद्र और राज्य सरकारों से अर्थोपाय अग्रिमों (डब्ल्यूएमए)/ ओवरड्राफ्ट (ओडी) पर ब्याज से होने वाली आय में 21.91 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार यह ₹ 3.88 बिलियन थी जबकि 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार यह ₹ 4.73 बिलियन थी। केंद्र सरकार से अर्थोपाय अग्रिमों/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज की मद में 2014-15 के दौरान ₹ 3.57 बिलियन प्राप्त हुए जबकि इसकी तुलना में 2013-14 में ₹ 3.22 बिलियन ही प्राप्त हुए थे क्योंकि पिछले वर्ष केंद्र सरकार द्वारा 9 दिनों के लिए ही ओडी का उपयोग किया था जबकि इस वर्ष उच्चतर औसत पर ओडी का उपयोग 19 दिनों के लिए किया गया। डब्ल्यूएमए/ओडी/विशेष आहरण निधि (एसडीएफ) पर

सारणी XI.8: विदेशी स्रोतों से सकल आय

(₹ बिलियन में)

मद	30 जून की स्थिति के अनुसार		घटबढ़	
	2014	2015	समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
विदेशी स्रोत	17,579.52	21,359.04	3,779.51	21.50
औसत एफसीए	16,368.93	18,909.29	2,540.36	15.52
एफसीए से अर्जन (ब्याज, छूट, विनिमय लाभ/हानि, प्रतिभूतियों पर पूंजीगत लाभ/हानि)	197.68	257.44	59.76	30.23
एफसीए से एफसीए के औसत प्रतिशत के रूप में अर्जन	1.21	1.36	0.15	12.40

सारणी XI.9: घरेलू स्रोतों से आय

(₹ बिलियन में)

Item	को समाप्त वर्ष		घट-बढ़	
	30 जून, 2014	30 जून, 2015	पूर्ण राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
घरेलू आस्तियां	**8664.04**	**7656.01**	**(-)1008.03**	**(-)11.63**
घरेलू आस्तियों का साप्ताहिक औसत	**8694.77**	**7828.99**	**(-)865.78**	**(-)9.96**
अर्जन (I + II+III)	**448.49**	**535.00**	**86.51**	**19.29**
I. ब्याज तथा अन्य प्रतिभूतियों से संबंधित आय				
i) प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ	331.37	139.15	(-)192.22	(-)58.01
ii) एलएएफ परिचालनों पर निवल ब्याज	59.02	28.30	(-)30.72	(-)52.05
iii) एमएसएफ परिचालनों पर ब्याज	17.45	1.88	(-)15.57	(-)89.23
iv) देशी प्रतिभूतियों की धारिता पर ब्याज	470.53	436.30	(-)34.23	(-)7.27
v) मूल्यह्रास	(-)480.45	(-)98.28	382.17	79.54
उप जोड़ *(i+ii+iii+iv+v)*	***397.92***	***507.35***	***109.43***	***27.50***
II. ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज				
i) सरकार को (केन्द्र और राज्य)	3.88	4.73	0.85	21.91
ii) बैंक और वित्तीय संस्थानों को	33.10	8.87	(-)24.23	(-)73.20
iii) कर्मचारियों को	0.48	0.46	(-)0.02	(-)4.17
उप जोड़ *(i+ii+iii)*	***37.46***	***14.06***	***(-)23.40***	***(-)62.47***
III. अन्य अर्जन				
i) बट्टा	0.01	0.00	(-)0.01	(-)100
ii) विनिमय	0.00	0.00	0.00	0.00
iii) कमीशन	12.57	13.38	0.81	6.44
iv) वसूल किया गया किराया, बैंक की संपत्तियों की बिक्री पर लाभ या हानि और प्रावधान जिनकी आगे जरूरत नहीं है	0.53	0.21	(-)0.32	(-)60.38
उप जोड़ कुल *(i+ii+iii+iv)*	***13.11***	***13.59***	***0.48***	***3.66***

राज्यों से प्राप्त होने वाला ब्याज 2014-15 के दौरान ₹ 1.16 बिलियन था जबकि 2013-14 में यह ₹ 0.66 बिलियन था। इसका मुख्य कारण राज्यों द्वाराडब्ल्यूएमए/ओडी/एसडीएफ का दैनिक औसत मात्रा में काफी अधिक उपयोग किया जाना था, 2013-14 के दौरान यह ₹ 8.51 बिलियन था जबकि 2014-15 में यह ₹ 14.46 बिलियन रहा।

व्यय

XI.19 रिज़र्व बैंक अपने सांविधिक कार्यों को पूरा करने में अनेक प्रकार के व्यय करता है जैसे- एजेंसी प्रभार/कमीशन, नोटों का मुद्रण, खज़ाना के विप्रेषण पर व्यय और साथ ही स्टाफ संबंधी एवं अन्य व्यय। रिज़र्व बैंक के कुल व्यय में 2014-15 में 11.92 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह ₹ 133.56 बिलियन रहाजबकि 2013-14 में यह 119.34 बिलियन था।

i) ब्याज भुगतान

2014-15 के दौरान ₹ 0.01 बिलियन के ब्याज का भुगतान डॉ. बी.आर. अंबेडकर निधि को किया गया जिसकी स्थापना स्टाफ-सदस्यों के आश्रितों के लिए की गई है।

ii) कर्मचारी लागत

2014-15 में कर्मचारी लागत में 6.15 प्रतिशत की कमी आई और यह ₹ 40.58 बिलियन रही जबकि 2013-14 में यह ₹ 43.24 बिलियन थी। ग्रैच्युटी और अधिवर्षिता लाभ कर्मचारी लागत के प्रमुख घटक हैं। ग्रैच्युटी और अधिवर्षिता निधि तथा अन्य निधियां जिनका मूल्यांकन उपचित आधार पर होता है में उपचित देयताओं के प्रति अंशदान में कमी आने से लागत में मुख्यतः कमी आई। 2014-15 में ₹ 14.83 बिलियन का अंशदान दिया गया जबकि पिछले वर्ष

· 18.09 बिलियन का अंशदान किया गया था। भविष्य निधि, ग्रैच्युटी और अधिवर्षिता निधि, छुट्टी नकदीकरण निधि और चिकित्सा सहायता निधि में शेष निधियों के समतुल्य भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां, इन निधियों के लिए विशेष रूप से उद्दिष्ट की जाती हैं।

iii) एजेंसी प्रभार

ए. सरकारी लेनदेनों पर एजेंसी कमीशन

रिज़र्व बैंक, एजेंसी बैंक शाखाओं के बहुत बड़े नेटवर्क के माध्यम से सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है, ये शाखाएं सरकारी फुटकर लेनदेन के लिए सेवाएं प्रदान करती हैं। रिज़र्व बैंक एजेंसी बैंकों को निर्धारित दरों पर कमीशन अदा करता है जिसे 01 जुलाई 2012 से संशोधित किया गया है। सरकारी लेन-देन करने के लिए इन बैंकों को वर्ष 2014-15 में · 29.63बिलियन कमीशन अदा किया गया जबकि इसकी तुलना में वर्ष 2013-14 में यह · 27.81 बिलियन था, अर्थात् इसमें 6.54 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। लेनदेनों की संख्या और सरकारी प्राप्तियों तथा भुगतानों में शामिल राशि में वृद्धि होने से एजेंसी कमीशन में वृद्धि हुई।

बी. प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) को अदा किया गया हामीदारी कमीशन

रिज़र्व बैंक ने 2014-15 के दौरान पीडी$_{ज}$ को · 0.33 बिलियन का कुल हामीदारी कमीशन का भुगतान किया जबकि इसकी तुलना में 2013-14 में · 4.81 बिलियन का भुगतान किया गया था। वर्ष के दौरान विविध कारणों जैसे -भारिबैं द्वारा 75 आधार अंकों की कमी करना, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आना, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में गिरावट आदि-से प्रतिफलों सहज हुए (10 वर्षीय बेंचमार्क प्रतिफल में लगभग 86 अंकों की कमी आई), जिससे पिछले वर्ष की तुलना में इस बार हामीदारी कमीशन का भुगतान कम हुआ। चूंकि बाजार की स्थितियां बेहतर रहने और जोखिम की प्रत्याशा में कमी आई, जिससे पीडी$_{ज}$ ने पिछले साल, जब मई 2013 में यूएस फेड द्वारा घोषित टेपर टैंट्रम के बाद बाजार में हल-चल की स्थिति थी, की तुलना में कम हामीदारी कमीशन की मांग की।

सी. बाह्य आस्ति प्रबंधकों, अभिरक्षकों आदि को अदा किया गया शुल्क

रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा भंडार के एक छोटे से हिस्से के प्रबंधन का कार्य बाहरी आस्ति प्रबंधकों को सौंपा गया है और रिज़र्व बैंक की विदेशी आस्तियों को जो अभिरक्षक धारित करते हैं,उन्हें जुलाई-जून 2015 के दौरान · 0.49 बिलियन राशि का भुगतान किया गया जबकि 2013-14 में राशि · 0.63 बिलियन थी।

iv) नोट मुद्रण

नोटों के मुद्रण पर हुए खर्च में 2014-15 में 17.05 प्रतिशत का इज़ाफा हुआ जो बढ़कर · 37.62 बिलियन हो गया जबकि 2013-14 में यह खर्च · 32.14 बिलियन था। इसका मुख्य कारण बैंक नोटों की आपूर्ति में हुई वृद्धि रही।

v) अन्य खर्च

अन्य खर्च जिनमें खज़ाना के प्रेषण, मुद्रण और लेखन-सामग्री, लेखा-परीक्षा शुल्क और संबंधित व्यय, विविध व्यय, आदि शामिल हैं में 39.74 प्रतिशत की इज़ाफा हुआ, 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार यह · 10.67 बिलियन था जबकि 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार यह · 14.91 बिलियन हो गया। प्राथमिक रूप से इस वृद्धि का कारण बैंकिंग विकास योजना पर हुआ खर्च है, 2013-14 में इस पर · 0.53 बिलियन खर्च किए गए थे जबकि 2014-15 में इस पर · 3.03 बिलियन खर्च किए गए।

vi) प्रावधान

इसके तहत ₹ 10 बिलियन की राशि एडीएफ में अंतरित की गई ताकि उसे एनएचबी की अंश पूंजी के रूप में निवेशित किया जा सके।

पिछले वर्ष के आंकड़े

XI.20 पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः व्यवस्थित किया गया है ताकि उन्हें मौजूदा वर्ष के साथ तुलनीय बनाया जा सके।

लेखा-परीक्षक

XI.21 बैंक के लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 50 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्ष 2014-15 की लेखा-बहियों की लेखा-परीक्षा मैसर्स हरिभक्ति एंड कंपनी एलएलपी, मुंबई और मैसर्स सीएनके एंड एसोसिएट, एलएलपी, मुंबई द्वारा सांविधिक केंद्रीय लेखा-परीक्षकों के रूप में और मैसर्स एम.चौधरी एंड कंपनी तथा मैसर्स सुंदरम एंड श्रीनिवासन एवं मैसर्स वी.के.वर्मा एंड कंपनी द्वारा सांविधिक शाखा लेखा-परीक्षकों के रूप में की गई।

घटनाक्रम

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम: जुलाई 2014 से जून 2015*

घोषणा की तारीख	नीतिगत उपाय
	मौद्रिक नीति विभाग
05 अगस्त 2014	एसएलआर में 50 आधार अंकों की कमी कर इसे एनडीटीएल के बराबर 22 प्रतिशत कर दिया गया । यह 9 अगस्त 2014 से प्रभावी हुई।
30 सितंबर	ईसीआर चलनिधि को पात्र निर्यात क्रेडिट बकाया के 32 प्रतिशत से कम कर 15 प्रतिशत कर दिया गया जो 10 अक्तूबर 2014 से प्रभावी हुआ।
15 जनवरी 2015	नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की कमी कर इसे 7.75 प्रतिशत किया गया।
03 फरवरी	एसएलआर में 50 आधार अंको की कमी कर इसे एनडीटीएल का 21.5 प्रतिशत किया गया जो 7 फरवरी 2015 से प्रभावी हुआ। 7 फरवरी 2015 से ईसीआर सुविधा को प्रणाली स्तर की चलनिधि से बदल दिया गया।
20 फरवरी	सरकार और रिज़र्व बैंक ने मौद्रिक नीति ढांचे से संबंधित एक करार पर हस्ताक्षर किए, इसके द्वारा एक लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्य को लागू किया गया।
04 मार्च	नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की कमी कर इसे 7.5 प्रतिशत किया गया।
02 जून	नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की कमी कर इसे 7.25 प्रतिशत किया गया।
	वित्तीय समावेशन और विकास विभाग
14 अगस्त 2014	वर्तमान, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) की पुनर्रचना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के रूप में किए जाने के क्रम में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के तहत स्व रोज़गार कार्यक्रम (एसईपी) के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देश जारी किए गए।
13 नवंबर	नाबार्ड के जरिए 'भूमि हीन किसान' के संयुक्त देयता समूहों को 0.5 मिलियन का वित्त पोषण करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए।
03 दिसंबर	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) अधिनियम, 1992 की धारा 2 (ग) के तहत जैन समुदाय को अल्प संख्यक समुदाय में शामिल करने की अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में अल्पसंख्यक समुदायों को दी जाने वाली सुविधाएं उन्हें भी देने के लिए अनुदेश जारी किए गए।
09 दिसंबर	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत ब्याज अनुदान योजना के संबंध में 2014-15 के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए।
10 दिसंबर	प्राथमिक क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण में कमी के श्रेणीकरण और इस प्रकार की श्रेणियों में बैंकों को उनके द्वारा ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निधि (आरआईडीएफ) और अन्य निधियों में जमा की गई राशियों पर देय ब्याज को पुनः संरचित किया गया। संशोधित जमा दरों को प्राथमिक क्षेत्र के समग्र ऋण लक्ष्य में कमी के साथ जोड़ दिया गया।
02 जनवरी 2015	एसएलबीसी समन्वयक बैंकों और अग्रणी बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे पीएमजेडीवाई के अनुरूप 2000 से कम आबादी वाले बैंक रहित गांवों में बैंकिंग सेवाएं मुहैया कराने संबंधी प्रक्रिया को 14 अगस्त 2015 तक पूर्ण करें, पहले इसके लिए मार्च 2016 तारीख नियत की गई थी।
28 जनवरी	बैंकों से कहा गया कि वे वैयक्तिक उधारकर्ताओं (एसएचजी एवं जेएलजी सहित) से सभी प्रकार के ऋणों के लिए जिसमें सरकार प्रायोजित योजनाएं भी शामिल हैं के तहत राशि की ओर ध्यान दिए बिना, 'बेबाकी प्रमाणपत्र' की तब तक मांग न करें जब तक कि सरकार प्रायोजित योजना में स्वयं ही इस प्रकार का 'बेबाकी प्रमाणपत्र' लेने का उल्लेख न किया गया हो।
25 फरवरी	पीएमजेडीवाई खातों में बैंकों द्वारा दिए गए ₹ 5,000/- तक के ओवरड्राफ्ट, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों (अन्य श्रेणी) और कमजोर वर्गों को दिए गए उधार की श्रेणी में वर्गीकरण के लिए पात्र होंगे बशर्ते कि उधारकर्ता की वार्षिक पारिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्र में ₹ 60,000/- और ग्रामीण क्षेत्रों से इतर के लिए ₹ 1,20,000/- से अधिक न हो।
13 मार्च	निःशक्त लोगों को दिए गए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र ऋणों को कमजोर तबकों की श्रेणी में वर्गीकृत करने की पात्रता प्रदान की गई।

*: यह सामग्री सांकेतिक प्रकृति की है। इसके विवरण रिज़र्व बैंक की वेबसाइट में उपलब्ध हैं

घोषणा की तारीख	नीतिगत उपाय
25 मार्च	प्राकृतिक आपदाओं द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपायों के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए।
23 अप्रैल	आंतरिक कार्यसमूह की सिफारिशों के आधार पर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र से संबंधित ऋण दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया।
21 मई	एसएचजी- बैंक संपर्क कार्यक्रम के तहत प्रगति हेतु रिपोर्टिंग फार्मेट को संशाधित किया गया ताकि एनआरएलएम एवं एनयूएलएम के तहत एसएचजी को वित्त प्रदान करने संबंधी आंकड़ों को अलग-अलग जुटाया जा सके।
वित्तीय बाजार विनियमन विभाग	
23 जुलाई 2014	सरकारी प्रतिभूतियों में एफपीआई निवेश को ऐसी प्रतिभूतियों तक सीमित कर दिया गया जिनकी न्यूनतम अवशेष परिपक्वता तीन वर्ष हो।
08 सितंबर	एफपीआई को अगले 12 महीनों में बकाया होने वाली ऋण प्रतिभूतियों की कूपन प्राप्तियों पर मुद्रा जोखिम को भारत में हेज करने की अनुमति प्रदान की गई
30 सितंबर	अर्थसुलभ सरकारी प्रतिभूति के लिए अधिविक्रय की सीमा बढ़ाकर इसे बकाया स्टॉक का 0.75 प्रतिशत या ₹ 600 करोड़, जो भी कम हो, कर दिया गया। जैसा कि अभी तक प्रचलित था, एनडीएस-ओएम के अलावा, ओटीसी बाजार में अधिविक्रय कर सूचना देने की अनुमति प्रदान की गई।
30 सितंबर	पिछले निष्पादन रास्ते के तहत वायदा करारों को निश्चित करने की आयातकों की पात्रता सीमा को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया(निर्यातकों के समान ही)।
19 दिसंबर	एफ-टीआरएसी पर किए गए व्यापारों की प्रतिपक्षियों द्वारा भौतिक सत्यापन संबंधी आदान-प्रदान की अपेक्षा को हटा लिया गया।
14 जनवरी 2015	पिछले निष्पादन रास्ते के तहत हेजिंग के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक के तिमाही प्रमाण पत्र की आवश्यकता को ग्राहक के सीएफओ एवं सीएस द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा पत्र से बदल दिया गया।
03 फरवरी	भारत में बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए बांडों को कॉर्पोरेट ऋण में रेपो के लिए पात्र अंतर्निहित के रूप में अनुमति दी गई।
03 फरवरी	कारपोरेट ऋण में एफपीआई के निवेश को उन लिखतों तक सीमित किया गया जिनकी अवशिष्ट परिपक्वता न्यूनतम तीन वर्ष थी। अर्थसुलभ और मुद्रा बाजार में म्यूचुअल फंड योजनाओं मे एफपीआई निवेश को नामंजूर किया गया।
05 फरवरी	अनुसूचित वाणिजियक बैंकों, प्राथमिक डीलरों, म्यूचुअल फंडों और बीमा कंपनियों को रिवर्स रेपो के जरिए जुटाई गई जी-सेक के संबंध में री-रेपो करने की अनुमति प्रदान की गई।
13 फरवरी	निवासी संस्थाओं को रद्द किए गए स्वैप की अवधि समाप्त होने के बाद ही एफसीवाई-आईएनआर स्वैप को फिर से बुक करने की अनुमति प्रदान की गई।
20 मार्च	पूर्णतया द्वितीयक बाजार लेनदेनों में एफपीआई द्वारा जी-सेक को टी+2 में निपटान करने की अनुमति दी गई और उन्हें एनडीएस-ओएम पर रिपोर्ट किया गया।
31 मार्च	ईटीडीसी बाजार में, अंतर्निहित जोखिम की स्थापना अपेक्षा के बिना ही, घरेलू निवेशकों और एफपीआई द्वारा भागीदारी के लिए पोजीशन सीमाओं को अमरीकी डॉलर-आईएनआर के लिए बढ़ा कर 15 मिलियन अमरीकी डॉलर कर दिया गया और ईयूआर-आईएनआर, जीबीपी-आईएनआर एवं जेपीवाई-आईएनआर जोड़ों के लिए, सभी को एक साथ जोड़कर, इसे 5 मिलियन अमरीकी डॉलर कर दिया गया। ईटीडीसी बाजार में, सांविधिक लेखा परीक्षक के प्रमाणपत्र को जमा करने के स्थान पर इसे कंपनी के वित्त तथा लेखाओं के लिए वरिष्ठतम कार्यकारी अधिकारी अथवा सीएफओ एवं सीएस द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा से बदल दिया गया।
14 मई	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उप-धारा (45) में यथा परिभाषित सरकारी कंपनियों सहित, आरबीआई के पास पंजीकृत एनबीएफसी, जो एनबीएफसी के लिए निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करती हैं, उन्हें कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में सुलभ वायदा करार करने की अनुमति प्रदान की।
21 मई	रुपए के विनिमय जोखिम की हेजिंग के लिए, आईएनआर में अंकित बाह्य वाणिज्यिक उधारियों (ईसीबी) के विदेशी उधारदाताओं को यह अनुमति दी गई कि वे अपने विदेशी बैंकों से स्वैप कर लें जो कि भारत में किसी एडी श्रेणी-1 के साथ बैक-टु-बैक स्वैप करार करेगा।

घोषणा की तारीख	नीतिगत उपाय
12 जून	4-8 वर्षों की और 11-15 वर्षों की अवशिष्ट परिपक्वता अवधि वाली जी-सेक में नकद में निपटान किए जाने वाले ब्याज दर फ्यूचर्स (आईआरएफ) की अनुमति प्रदान की गई। 10 वर्षीय नकद में निपटान किए जाने वाले आईआरएफ हेतु अंतर्निहित प्रतिभूति की अवशिष्ट परिपक्वता में छूट प्रदान कर उसे 8-11 वर्ष किया गया।
25 जून	एडी श्रेणी-1 बैंकों को अनुमत सीमाओं के भीतर, मामला-दर-मामला आधार पर रिज़र्व बैंक से अनुमति लिए बगैर निर्धारित अंतर-राष्ट्रीय/ बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं से उधार लेने की अनुमति प्रदान की गई।
	वित्तीय बाजार परिचालन विभाग
7 अगस्त 2014	रुपए की संदर्भ दर की गणना और प्रसार की प्रणाली को संशोधित किया गया, जो 1 सितंबर 2014 से प्रभावी हुई।
22 अगस्त	चलनिधि प्रबंध ढांचे में संशोधन किया गया जो 5 सितंबर 2015 से प्रभावी हुआ। रिपोर्टिंग पखवाड़े, अर्थात प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार, के दौरान प्रत्येक नीलामी में संपूर्ण प्रणाली के एनडीटीएल के 0.75 प्रतिशत के एक चौथाई के बराबर राशि के लिए 14-दिवसीय परिवर्तनशील दरों वाली मीयादी रिपो बिक्री को पूर्वाह्न 11:00 से 11:30 बजे के बीच, चार बार करने की संशोधित प्रणाली प्रारंभ की गई।
20 फरवरी 2015	21 फरवरी, 2015 से रिवर्स रेपो एवं मार्जिनल स्टेंडिंग फैसिलिटी परिचालनों को सभी शनिवारों को भी प्रारंभ किया गया।
	विदेशी मुद्रा विभाग
03 जुलाई 2014	विदेशी सीधे निवेशों (ओडीआई) के लिए किसी भारतीय पक्ष द्वारा दी वित्तीय वचनबद्धता को उसकी नेट वर्थ के 400 प्रतिशत पर बहाल कर दिया गया, बशर्ते कि स्वचालित रास्ते के तहत वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1 बिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश किया जाए।
07 जुलाई	पोत-लदान की तारीख से 180 दिन से अनधिक अवधि के लिए बेज़मानती ऋण की अनुमति दी गई।
14 जुलाई	किसी भारतीय कंपनी द्वारा जारी किए गए आंशिक भुगतान किए गए ईक्विटी शेयरों और वारंटों को एफआईआईज/आरएफपीआईज द्वारा एफडीआई एवं एफपीआई के लिए पात्र लिखत बनाया गया।
15 जुलाई	स्वतंत्र संव्यवहार के सिद्धांत के आधार पर गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में अंतर-राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य किसी मूल्य पद्धति और सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में सेबी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार निकाली गई कीमत पर अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय तरजीही शेयरों और डिबेंचरों सहित शेयरों का निर्गम तथा अंतरण करने की अनुमति प्रदान की गई।
17 जुलाई	निवासी व्यक्तियों को विदेश में अचल संपत्ति खरीदने के लिए एलआरएस के तहत धन विप्रेषण की अनुमति प्रदान की गई।
21 जुलाई	भारतीय यूनिक पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा ई-केवाईसी सेवा प्रारंभ की गई, जिसे धन शोधन की रोकथाम (रिकार्डों का रख-रखाव) नियमावली, 2005 के तहत केवाईसी सत्यापन के लिए वैध प्रक्रिया के रूप में स्वीकार्य किया गया।
22 जुलाई	परियोजनाओं/ आस्थगित सेवा निर्यात प्रस्तावों जो कि 100 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक के हों, पर कार्यदल द्वारा विचार की जाने वाली प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और प्राधिकृत व्यापारी बैंकों/ एक्जिम बैंक को इस बात की अनुमति प्रदान की गई कि वे बिना किसी प्रकार की मौद्रिक सीमा के कार्य-मिलने के पश्चात अनुमोदन प्रदान करें एवं अनुमोदन के संदर्भ में बाद में होने वाले परिवर्तनों को भी संगत फेमा दिशानिर्देशों तथा विनियमनों के भीतर अनुमति प्रदान करें।
23 जुलाई	एफआईआई/ क्यूएफआई/ एफपीआई के लिए जी-सेक में निवेश सीमा को 5 बिलियन अमरीकी डॉलर बढ़ाया गया, तदनुसार, 30 बिलियन अमरीकी डॉलर की समग्र सीमा के भीतर दीर्घकालिक निवेशक केलिए उपलब्ध 10 बिलियन अमरीकी डॉलर की राशि को कम कर 5 बिलियन अमरीकी डॉलर कर दिया गया।
27 अगस्त	प्राधिकृत डीलरों को मौजूदा ईसीबी का पुनः वित्त पोषण करने के लिए कम समग्र लागत पर नई ईसीबी लेने की अनुमति प्रदान की गई, जहां नई ईसीबी का औसत परिपक्वता अवधि मौजूदा ईसीबी की अवशिष्ट परिपक्वता से अधिक ही क्यों न हो।
28 अगस्त	पात्र निवेशकों को प्रचलित/अनुमोदित बाजार प्रथाओं के अनुरूप किसी भी प्रकार से जी-सेक को अधिग्रहीत करने की अनुमति प्रदान की गई।

घोषणा की तारीख	नीतिगत उपाय
03 सितंबर	पात्र उधारकर्ताओं को अन्य सभी चिह्नित उधारदाताओं से रुपए में अंकित ईसीबी उठाने की अनुमति दी गई जो विदेशी ईक्विटी होल्डर्स के लिए पूर्व में अनुमत मात्रा के अतिरिक्त थी।
08 सितंबर	एफपीआईज़ को अनुमति दी गई कि वे भारत में उठाई गई ऋण प्रतिभूतियों से प्रवर्तित ऐसी कूपन रसीदों को हेज करें जो कि अगले 12 महीनों में देय होने वाली हैं बशर्ते कि निरस्त किए गए हेज करार फिर से बुकिंग के पात्र नहीं होंगे।
17 सितंबर	भारतीय कंपनियों को उनके द्वारा देय किसी निधि के भुगतान के प्रति ईक्विटी जारी करने की अनुमति दी गई, जिसके विप्रेषण के लिए सरकार या रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति अपेक्षित नहीं थी।
30 सितंबर	आयातकों को पिछली निष्पादन पद्धति के तहत पात्र सीमा के 100 प्रतिशत तक, वायदा करार करने की अनुमति प्रदान की गई।
20 नवंबर	सभी श्रेणी के निर्यातकों के लिए निर्यात प्रतिफलों की उगाही तथा प्रत्यावर्तन के लिए समय सीमा 9 माह निर्धारित कर दी गई।
21 नवंबर	प्राधिकृत डीलरों को अनुमति दी गई कि वे पात्र ईसीबी उधारकर्ताओं को भारत में एडी श्रेणी-1 बैंकों के पास सावधि जमा के रूप में ईसीबी प्रतिफलों को अधिकतम छह माह तक जमा करने की अनुमति दें, जब तक कि अनुमत अंतिम उपयोग तक उनका उपयोग न हो जाए।
21 नवंबर	प्राधिकृत डीलरों और पूर्ण रूपेण मुद्रा परिवर्तकों को अनुमति दी गई कि वे पूर्ण मूल यात्रा कोटा (बीटीक्यू) या हज/उमराह तीर्थयात्रियों के लिए भारतीय हज समिति द्वारा निर्धारित की गई नकद सीमा तक नकदी जारी कर सकते हैं।
28 नवंबर	'20:80' योजना जिसमें यह अपेक्षा की गई थी कि आयातित स्वर्ण के 20 प्रतिशत का निर्यात किया जाना है, को वापस ले लिया गया।
02 दिसंबर	आस्तियों का विदेश विप्रेषण करने के लिए लेखापरीक्षक के प्रमाण पत्र की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया और प्राधिकृत डीलरों को अनुमति दी गई कि वे लागू करों के भुगतान के बाद विप्रेषण कर दें।
08 दिसंबर	रक्षा क्षेत्र में सरकारी अनुमोदन के जरिए 49 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति प्रदान कर दी गई।
08 दिसंबर	स्वचालित माध्यम से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में 100 प्रतिशत तक की एफडीआई की अनुमति प्रदान की गई।
09 दिसंबर	देशी वेंचर पूंजी निधि की तर्ज पर सेबी के पास पंजीकृत एक वैकल्पिक निवेश निधि को विदेशों में निवेश करने की अनुमति प्रदान की गई।
17 दिसंबर	बहुपक्षीय संगठनों जैसे कि सार्क विकास निधि (एसडीएफ), जिसका भारत भी एक सदस्य है, को भारत में प्राधिकृत डीलर बैंकों के पास खाते खोलने की अनुमति, रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना, प्रदान की गई।
29 दिसंबर	नियत प्राधिकृत डीलर बैंकों को अनुमति दी गई कि वे किसी भारतीय पक्ष के संयुक्त उपक्रम/ पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी/ एसडीएस के शेयरों पर किसी घरेलू या विदेशी उधारदाता के पक्ष में प्रभार बना सकते/उन्हें गिरवी रख सकते हैं ताकि भारतीय पक्ष अथवा उसके समूह की कंपनियों/ अनुषंगी संस्थाओं, सहयोगी संस्थाओं या उसके किसी संयुक्त उपक्रम/पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी/एसडीएस द्वारा निधि-युक्त और/निधि-मुक्त सुविधा का लाभ प्राप्त किया जा सके।
01 जनवरी 2015	ईसीबी उठाने के लिए पात्र प्रतिभूतियों के आधार को और व्यापक बनाया गया और इसमें अचल आस्तियों के अलावा, चल आस्तियों तथा वित्तीय प्रतिभूतियों को शामिल किया गया।
06 जनवरी	निवासी जो कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों की अनुषंगियां हैं उन्हें भारत में प्राधिकृत श्रेणी-1 के बैंकों के पास अपने विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र को हेज करने की अनुमति प्रदान की गई जो कि अनिवासी समूह संस्था की गारंटी की शक्ति पर निर्भर करेगा।
22 जनवरी	एडीआर/जीडीआर के तहत निवेश के लिए एक नई योजना 'खजाना प्राप्तियां योजना, 2014' की अधिसूचना जारी की गई, जिसमें विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों की अपेक्षित सीमा को छोड़कर, विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों तथा साधारण शेयर (खजाना प्राप्ति प्रणाली के माध्यम से) योजना, 1993 के मौजूदा दिशानिर्देशों को समाप्त करने का प्रावधान किया गया।
22 जनवरी	भारत में किसी कंपनी समूह में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों तथा सीमित देयता साझेदारी (लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप) के कर्मचारियों को भारत से बाहर वेतन प्रेषित करने की सुविधा प्रदान की गई।
22 जनवरी	लोगों को व्यक्तिगत रूप से ₹ 25000/- तक, रिज़र्व बैंक के ₹ 100/- से अधिक के मूल्यवर्गित करेंसी नोट नेपाल या भूटान लेकर जाने की अनुमति प्रदान की गई।

घोषणा की तारीख	नीतिगत उपाय
23 जनवरी	एडी बैंकों को ईसीबी, इसमें आहरण द्वारा होने वाली कमी, चुकौती की समय-सारणी, परिपक्वता की औसत अवधि तथा कुल लागत में परिवर्तन करने के लिए प्राधिकृत किया गया।
12 फरवरी	आयात का भुगतान करने के लिए एडी के पास फार्म ए-1 प्रस्तुत करने की अपेक्षा को समाप्त कर दिया गया।
12 फरवरी	ई-बिज प्लेटफार्म पर निम्नलिखित विवरणियां दर्ज करने की व्यवस्था की गई : कंपनियों द्वारा एफडीआई के अंतर्वाह की रिपोर्ट करने के लिए प्रयुक्त उन्नत विप्रेषण फार्म (एआरएफ) तथा उक्त एफडीआई अंतर्वाह के बदले में विदेशी ग्राहकों को जारी किए गए लिखतों की रिपोर्ट करने के लिए एफसीजीपीआर फार्म।
11 मार्च	मकाऊ तथ हांगकांग के नागरिकों पर भारत में अचल संपत्ति के अधिग्रहण/अंतरण पर बंदिश लगाई गई, जो चीन के नागरिकों पर लगाई गई बंदिश के समान है।
31 मार्च	आईएफएससी में स्थापित किए गए किसी वित्तीय संस्थान या वित्तीय संस्थान की शाखा को भारत से बाहर निवासी व्यक्ति माना जाएगा।
08 अप्रैल	बीमा क्षेत्र में 49 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति प्रदान की गई।
30 अप्रैल	भारत से मर्चेंट व्यापार के तहत अन्य देशों से नेपाल एवं भूटान के आयातकों को भेजे गए सामान को ट्रैफिक-इन-ट्रांजिट माना जाएगा, यदि भेजा जाने वाला सामान अन्यथा, क्रमशः पारवहन की भारत-नेपाल संधि तथा पारवहन की इंडो-भूटान संधि के प्रावधानों के अनुसार हो।
14 मई	इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ों के अंतःपरिवर्तन (ईडीआई) पोर्टों के माध्यम से निर्यात किए जाने की स्थिति में वस्तुओं/सॉफ्टवेयर के निर्यात की घोषणा सांविधिक घोषणा प्रपत्र (एसडीएफ) में किए जाने की अपेक्षा को समाप्त कर दिया गया क्योंकि एसडीएफ में समाहित अनिवार्य सांविधिक अपेक्षाओं को पोत बिल प्रपत्र में शामिल कर दिया गया था।
21 मई	प्राधिकृत व्यापारियों (एडी) से कहा गया कि एफसीएनआर(बी) जमा खातों को बंद करने के समय प्रपत्र 2 तथा खाता धारक की भौतिक उपस्थिति पर जोर नहीं दें।
21 मई	रुपया आहरण व्यवस्था के तहत व्यापार के लिए लेनदेन की सीमा प्रति लेनदेन ₹ 500,000 से बढ़ाकर ₹ 150,0000 कर दी गई।
01 जून	उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत विप्रेषण की सीमा, विदेशी विनिमय प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियम, 2000 की अनुसूची III के तहत विभिन्न सीमाओं को शामिल करते हुए, 2,50,000/- अमरीकी डॉलर की समावेशी सीमा तक बढ़ाई गई।
11 जून	अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को चिट फंडों की, गैर-प्रत्यावर्तन आधार पर बिना किसी निर्धारित सीमा के , सदस्यता लेने की अनुमति प्रदान की गई।शर्त यह थी कि चिट पंजीयक ने किसी चिट फंड को ऐसी अनुमति दी हो और यह सदस्यता सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से ली गई हो। इसमें भारत स्थित किसी बैंक में धारित खाते के माध्यम से ली गई सदस्यता भी शामिल है।
18 जून	जून 2015 को समाप्त छमाही से बीईएफ ऑनलाइन और बैंक-वार जमा की जाएगी।
बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग	
15 जुलाई 2014	बैंकों को आधारभूत संरचना एवं मूलभूत उद्यम क्षेत्र में नई परियोजनाओं को आवधिक पुनर्वित्तीयन विकल्प सहित संरचित दीर्घावधि परियोजना ऋण प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई।
15 जुलाई	बैंकों को अपने आधारभूत संरचना एवं वहनीय आवास ऋणों के पुनर्वित्तीयन हेतु दीर्घावधि बांड (न्यूनतम 7 वर्ष) जारी करने की अनुमति दी गई, साथ ही सीआरआर/एसएलआर तथा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के लिए एएनबीसी की गणना की अनिवार्यता से भी छूट दी गई।
17 जुलाई	बैंकों को केवाईसी के लिए आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेजों (ओवीडी) का निर्धारण करने को कहा गया। कम जोखिम वाले ग्राहकों द्वारा खाता खोलने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया।
22 जुलाई	बैंकों को, गैर-कृषिगत कार्य के लिए स्वर्ण आभूषणों एवं गहनों को गिरवी रखकर, मूलधन तथा ब्याज के एक बारगी (बुलेट) चुकौती सहित ऋण की राशि निर्धारित करने की अनुमति दी गई।
07 अगस्त	बैंकों को, अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों (एफआई) से पूर्व-निर्धारित करार के बिना भी वर्तमान परियोजना ऋणों का पुनर्वित्तीयन करने तथा अपेक्षाकृत लंबी चुकौती अवधि निर्धारित करने की अनुमति दी गई। इसे वर्तमान के साथ ही साथ भार अधिग्रहण करने वाले ऋणदाताओं की बहियों में भी पुनर्रचना नहीं माना जाएगा।

घोषणा की तारीख	नीतिगत उपाय
14 अगस्त	जहां पर प्रारंभिक वित्तीय पूर्णता (इनिशियल फाइनेंसियल क्लोजर) में आपाती (स्टैंडबाई) ऋण सुविधा का प्रावधान नहीं हो, वहां पर बैंकों को ऋण को 'पुनर्रचित आस्ति' माने बिना लागत में बढ़ोत्तरी की निधीयन करने की अनुमति प्रदान की गई।
01 सितंबर	बैंकों से, ऋण प्रस्तावों के निपटान के लिए स्पष्टरूप से प्रक्रिया निरूपित करने को कहा गया, जिसमें समुचित समय सीमाएं निर्धारित हों तथा विशिष्ट अवधि के बाद लंबित आवेदनों की समीक्षा के लिए उचित निगरानी प्रणाली भी हो। बैंकों से ऋण संबंधी निर्णयों को समय सीमा के अंदर संप्रेषित करने के लिए भी उचित घोषणाएं करने को कहा गया।
01 सितंबर	गैर-इक्विटी विनियामकीय पूंजी लिखतों को हासिल करने की सुविधा प्रदान करने के लिए बासेल III ढांचे के अंतर्गत बैंकों की, पूंजीगत लिखतों के संबंध में, विशिष्ट पात्रता शर्तों को शिथिल किया गया।
04 सितंबर	केवाईसी की शर्तों को सुसंगत बनाने के लिए क्लाइन्ट के संबंध में सावधानी बरतने के उपायों को और सरल बनाया गया, जिसके तहत आवधिक अद्यतन किए जाने के समय 'सकारात्मक पुष्टि' एवं भौतिक रूप से क्लाइंट के उपस्थित होने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया।
09 सितंबर	निजी क्षेत्र के बैंकों में प्रबंध निदेशक (एमडी) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) तथा अन्य पूर्णकालिक निदेशकों की अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष निर्धारित की गई, जिसमें किसी विशिष्ट बैंक का बोर्ड लचीला रूख अपनाते हुए आंतरिक नीति के रूप में, एमडी एवं सीईओ सहित पूर्णकालिक निदेशकों की सेवानिवृत्ति आयु 70 वर्ष से कम निर्धारित कर सकता है।
09 सितंबर	जानबूझकर चूक कर्ताओं के संबंध में दिशानिर्देशों में गारंटी देने वाले, ऋण देने वाले एवं इकाई की परिभाषाएं तय की गईं।
16 अक्तूबर	परिचालनगत जोखिम के उन्नत दृष्टिकोणों के संबंध में दिशानिर्देशों के अंतर्गत मानकीकृत दृष्टिकोण तथा उन्नत माप दृष्टिकोण को संशोधित किया गया।
21 अक्तूबर	केवाईसी की शर्तों को और अधिक सरल बनाया गया : 'निम्न जोखिम' ग्राहकों को आवधिक अद्यतन किए जाने के समय फिर से केवाईसी दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी; कोई परिवर्तन नहीं होने की दशा में स्वयं द्वारा प्रमाणीकरण पर्याप्त होगा। बारंबार अनुस्मारक भेजे जाने के बाद भी केवाईसी का अनुपालन नहीं करने वाले खातों के संबंध में बैंक चरणबद्ध ढंग से 'पार्सियल फ्रीजिंग' कर सकते हैं।
21 अक्तूबर	मूलधन या ब्याज के 60 दिनों से अधिक से बकाया वाले किसी खाते की विशेष उल्लेख खाता (एसएमए2) के रूप में रिपोर्ट करने; संयुक्त उधारदाता फोरम (जेएलएफ) बनाए जाने और स्वतंत्र मूल्यांकन समिति द्वारा पुनर्रचना पैकेजों के मूल्यांकन एवं सुधारात्मक कार्य-योजना के निर्धारण की समय-सीमा बढ़ाई गई।
03 नवंबर	अंत:दिवसीय (इन्ट्रा-डे) चलनिधि प्रबंध के संबंध में, बैंकिंग पर्यवेक्षण के संबंध में बासेल समिति (बीसीबीएस) द्वारा इस संबंध में निर्धारित मात्रात्मक टूल्स के अनुरूप निगरानी टूल्स के बारे में समापक दिशानिर्देश जारी किए गए।
20 नवंबर	बचत बैंक खातों में न्यूनतम शेष राशि नहीं रखे जाने के लिए प्रभार लगाते समय, न्यूनतम शेष राशि रखने में हुई चूक की जानकारी ग्राहक को स्पष्टरूप से दी जानी चाहिए तथा दांडिक प्रभारों को न्यूनतम राशि में कमी की प्रेक्षित अवधि के प्रत्यक्षरूप से समानुपातिक होना चाहिए।
27 नवंबर	आधारभूत संरचना और वहनीय आवास के निधीयन के लिए, जारी किए गए बांडों तथा पात्र ऋण (ईसी) की बकाया राशि में से जो कम हो उसे निर्धारित करने के तरीके को संशोधित किया गया ताकि बांडों को जारी किए जाने की तारीख को बकाया ऋण संबंधी पूर्व की अपेक्षाओं के स्थान पर रिपोर्टिंग के लिए निर्धारित प्रत्येक शुक्रवार को बकाया ऋण को हिसाब में लिया जा सके।
28 नवंबर	चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) की गणना करने के लिए, सरकारी-प्रतिभूतियों में एनडीटीएल के और पांच प्रतिशत तक, जो अनिवार्य एसएलआर के अंतर्गत हो, किए जाने की अनुमति स्तर 1 एचक्यूएलए के रूप में प्रदान की गई। बैंकों को विशेष सुविधा 'चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए चलनिधि प्राप्त करने की सुविधा' के तहत ऐसी प्रतिभूतियों के बदले में चलनिधि सुविधा का लाभ लेने की अनुमति प्रदान की गई।
15 दिसंबर	दीर्घावधिक परियोजना ऋणों की लचीली पुनर्रचना एवं पुनर्वित्तीयन अवधि संबंधी ढांचे का विस्तार आधारभूत संरचना एवं मूल उद्योगों की परियोजनाओं के वर्तमान ऋणों तक किया गया, जिसमें सभी संस्थागत ऋणदाताओं का समग्र एक्सपोजर ₹ 5 बिलियन से अधिक हो गया।
22 दिसंबर	असहयोगी उधारकर्ता को पुन: परिभाषित किया गया गया, जो इस प्रकार है - कोई ऐसा व्यक्ति, जो भुगतान करने की क्षमता होते हुए भी बकाया की समय पर चुकौती नहीं करते हुए ऋणदाता के साथ रचनात्मक ढंग से व्यवहार नहीं करता, मांगी गई आवश्क जानकारी नहीं देकर बकाया वसूली के लिए ऋणदाता के प्रयासों को व्यर्थ करता हो, वित्तपोषित आस्तियों/संपार्श्विक प्रतिभूतियां उपलब्ध कराने से मना करता हो, प्रतिभूतियों की बिक्री में बाधाएं उत्पन्न करता हो, इत्यादि।

घोषणा की तारीख	नीतिगत उपाय
08 जनवरी 2015	लिवरेज अनुपात (एलआर) की एक साथ गणना करने (पैरेलल रन) के साथ ही टिअर 1 एलआर की सार्वजनिक घोषणा किए जाने हेतु ढांचे में संशोधन किया गया। बीसीबीएस द्वारा 2017 की समाप्ति तक नियमों के निर्धारण के लंबित रहने तक किसी विशिष्ट बैंक की निगरानी 4.5 प्रतिशत के सांकेतिक एलआर के अनुसार किया जाएगा।
15 जनवरी	बैंकों द्वारा किए जाने वाले बीमा कारोबार, नामतः जोखिम सहभागिता सहित बीमा कारोबार/या अभिकर्ताओं/आढ़तियों के रूप में, के संबंध में समग्र दिशानिर्देश जारी किए गए।
15 जनवरी	बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को चारों ऋण सूचना कंपनियों (सीआईसी) का सदस्य बनने को कहा गया। इसके लिए सदस्यता और वार्षिक शुल्क भी निर्धारित किए गए।
19 जनवरी	बैंकों को आधार दर प्रणाली की समीक्षा पांच वर्षों के स्थान पर तीन वर्षों के बाद करने की अनुमति प्रदान की गई। वर्तमान उधारकर्ताओं के हितों के संरक्षण हेतु ग्राहकों पर लगाए जाने वाले प्रभारों के संबंध में भी दिशानिर्देश जारी किए गए।
05 फरवरी	प्रतिचक्रीय पूंजीगत बफर (सीसीसीबी) लागू किए जाने के संबंध में समापक दिशानिर्दश जारी किए गए। हालांकि, सीसीसीबी को परिस्थितियों की मांग के अनुसार सक्रिय किया जाएगा।
05 मार्च	मकान/निवास स्थल का मूल्य • 1 मिलियन से अधिक नहीं होने पर बैंकों को एलटीवी अनुपात की गणना करने के लिएमकान/निवास स्थल के मूल्य में मुद्रांक शुल्क, पंजीकरण तथा दस्तावेजीकरण के अन्य प्रभारों को जोड़ने की अनुमति प्रदान की गई।
11 मार्च	बैंकों को 26 फरवरी 2014 से पहले की गई एनपीए की एससी/आरसी को की गई बिक्री के लिए किए गए अतिरिक्त प्रावधान को उनके लाभ-हानि खाते में वापस करने की अनुमति प्रदान की गई।
13 मार्च	स्वामित्व प्रतिष्ठानों के खाते खोलने के लिए बैंकों को गतिविधि के प्रमाण के रूप में एक दस्तावेज स्वीकार करने के विवेक का प्रयोग करने की अनुमति दी गई बशर्ते वे संपर्क बिंदुओं के बारे में अपनी संतुष्टि स्तर तक पुष्टि कर लें और इस तरह के दो दस्तावेज प्रस्तुत करना संभव नहीं रहा हो।
20 मार्च	बैंकों को प्रतिभूति प्राप्तियों की अपनी धारिता के विवरण निर्धारित प्रपत्र में वार्षिक वित्तीय खातों में टिप्पणी के रूप में प्रकट करने को कहा गया।
30 मार्च	बैंकों को उनके बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार एनपीए के लिए विशिष्ट प्रावधान करने के लिए दिसंबर 2014 के अंत की स्थिति के अनुसार बफर/फ्लोएटिंग प्रावधान करने हेतु 50 प्रतिशत तक प्रतिचक्रीय प्रावधान का उपयोग करने की अनुमति दी गई।
31 मार्च	बैंकिंग पर्यवेक्षण संबधी बासेल समिति (बीसीबीएस) के अनुरूप विनियामकीय निरंतरता मूल्यांकन कार्यक्रम (आरसीएपी), पूंजी पर्याप्तता तथा चलनिधि विनियमन संबंधी बासेल III के दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया।
01 अप्रैल	गुजरात अंतरराष्ट्रीय वित्त प्रौद्योगिकी (जीआईएफटी) में आईबीयू की स्थापना करने तथा भारत में स्थापित की जा सकने योग्य अन्य आईएफएससी की योजना तैयार तैयार की गई। योजना के तहत, आईबीयू की स्थापना कम से कम 20 मिलियन अमरीकी डॉलर या उसके समतुल्य विदेशी मुद्रा के साथ की जाएगी।
01 अप्रैल	धोखाधड़ी होने की स्थिति में, बैंक की बकाया संपूर्ण राशि या जिसकी देयता बैंक पर है, का प्रावधान चार से अधिक तिमाहियों में नहीं किया जाना चाहिए।
06 अप्रैल	जब कोई परियोजना की शुरूआत प्राथमिक रूप से वर्तमान प्रवर्तकों की अपर्याप्तता के कारण की जाए और उसके बाद स्वामित्व में परिवर्तन हो, तो बैंक डीसीसीओ के वर्तमान विनियमों के अंतर्गत अनुमत्य विस्तार के अलावा, और दो वर्षों के लिए डीसीसीओ के विस्तार की अनुमति इस प्रकार से प्रदान कर सकते हैं कि इस प्रकार की परियोजनाओं को दिए गए ऋणों की आस्ति गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव न पड़े।
06 अप्रैल	रुपया में दिए गए ऋणों का विदेशी मुद्रा में पुनर्वित्तीयन या इसके विपरीत प्रक्रिया को 'पुनर्रचना' माना जाएगा यदि ऐसा पुनर्वित्तीयन ऐसे उधारकर्ता को दिया जाए जो वित्तीय कठिनाई झेल रहा हो और इसमें इस प्रकार की रियायतें दी गई हों जिन पर बैंक अन्यथा विचार नहीं करता।
16 अप्रैल	बैंकों को, समयपूर्व आहरण की सुविधा के गुणों के आधार पर मीयादी जमाओं पर विशेष ब्याज दर का प्रस्ताव करने की अनुमति दी गई। • 1.5 मिलियन एवं उससे कम की व्यक्तिगत मीयादी जमाराशियों पर समयपूर्व आहरण की सुविधा अनिवार्यतः होनी चाहिए।
14 मई	सरकारी बैंकों से कहा गया कि अपने बोर्ड के अनुमोदन से बोर्ड की कार्यसूची की मदें तथा उनकी आवधिकता तय करें ताकि कार्यनीति और वित्तीय महत्व के मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान दिया जा सके।

घोषणा की तारीख	नीतिगत उपाय
21 मई	एससी/आरसी को एनपीए की बिक्री से दो वर्षों की अवधि के दौरान हुए नुकसान के परिशोधन के लिए अवधि का विस्तार 31 मार्च 2016 तक बिक्री की गई आस्तियों के लिए किया गया।
28 मई	निजी क्षेत्र के बैंकों से कहा गया कि जहां तक संभव हो, पीएसबी बोर्डों द्वारा समीक्षा के कैलेंडर के संबंध में 14 मई 2015 को रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों का पालन करें।
28 मई	बैंकों से कहा गया कि बड़े कृषिगत सामग्री का प्रसंस्करण करने वालों, व्यापारियों, मिल वालों तथा समूहकों जैसे बड़े उधारकर्ताओं को कृषिगत सामग्री के मूल्यों से संबंधित जोखिमों को हैज करने के लिए प्रोत्साहित तथा शिक्षित करें।
01 जून	निजी बैंकों को गैर-कार्यपालक निदेशकों (अंशकालिक अध्यक्ष के अलावा) के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित समग्र क्षतिपूरक योजना तैयार करने को कहा, जिसमें क्षतिपूर्ति को लाभ से संबंधित कमीशन के रूप में कवर किया गया हो। प्रत्येक गैर-कार्यपालक निदेशक के लिए क्षतिपूर्ति ₹ 1 मिलियन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।
01 जून	आधारभूत संरचना तथा वहनीय आवास के वित्तीयन के लिए जारी किए गए दीर्घावधि बांडों की बैंकों के बीच प्रतिधारिता की अनुमति प्रदान की गई।
08 जून	'कार्यनीतिगत कर्ज पुनर्रचना (एसडीआर) योजना' जारी की गई जिसमें बैंक ऋण बकाया राशि को निर्धारित मूल्यन सूत्र के अनुसार 'उचित मूल्य' में इक्विटी शेयरों में परिवर्तित करने की अनुमति दी गई। ऐसे इक्विटी शेयर सेबी से संबधित विनियमनों से मुक्त होंगे।
11 जून	अखिल भारतीय मीयादी ऋण तथा पुनर्वित्तीयन संस्थान (एआईएफआई) को एनपीए (एससी/आरसी को 26 फरवरी 2014 के पहले बेचे गए) की बिक्री से संबंधित अतिरिक्त प्रावधान को अपने लाभ-हानि लेखा में वापस करने की अनुमति दी गई।
11 जून	केवाईसी के लिए बैंकों को कम-जोखिम वाले ग्राहकों से उपयोगिता बिलों, म्यूनिसिपल कर रसीद, बैंक खाता के विवरण तथा पेंशन भुगतान आदेशों जैसे अतिरिक्त दस्तावेजों को आधिकारिक मान्य दस्तावेजों (ओवीडी) के रूप में स्वीकार करने को कहा गया।
	सहकारी बैंक विनियमन विभाग
20 अगस्त 2014	सीबीएस समर्थित यूसीबी जिनकी न्यूनतम मूल्यांकित निवल मालियत ₹ 500 मिलियन हो, जो एफएसडब्लूएम शर्तों को पूरा करते हों तथा उनका विनियामिकीय अनुपालन का अच्छा रिकॉर्ड हो, उनको रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति बगैर साइट पर/ साइट से परे/मोबाइल एटीएम खोलने की अनुमति प्रदान की गई।
03 सितंबर	अधिग्रहण करने वाले वाणिज्य बैंकों को यूसीबी के विलय/आस्तियों और देयताओं के अंतरण से हाने वाले किसी भी प्रकार की हानि वहन नहीं करना चाहिए और ₹ 0.1 मिलियन से अधिक जमाराशि धारित करने वाले प्रत्येक जमाकर्ता को लक्षित बैंक की जमाराशि में कमी को समानुपातिक ढंग से वहन करना होगा।
13 अक्तूबर	सीबीएस को लागू करने के बाद उसे छोड़कर आईपीवी6 को अपनाने वाले सभी यूसीबी को इंटरनेट बैंकिंग (सिर्फ देखना) की सुविधा दी गई।
13 अक्तूबर	यूसीबी के लिए एफएसडब्लूएम शर्तों को संशोधित करते हुए साइट पर/साइट से परे/मोबाइल एटीएम खोलने, वार्षिक कारोबारी योजना (एबीपी) के अंतर्गत आवेदन करने, कारोबारी क्षेत्र का विस्तार करने तथा स्थान बदलने के लिए सीबीएस को एक अतिरिक्त शर्त के रूप में जोड़ा गया।
29 अक्तूबर	आयकर विभाग, भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत ऐजेंसी के साथ समझौता करके यूसीबी को पीएएन सर्विस ऐजेंट (पीएसए) के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई।
29 अक्तूबर	आयकर विभाग, भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत ऐजेंसी के साथ समझौता करके यूसीबी को पीएएन सर्विस ऐजेंट (पीएसए) के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई।
30 अक्तूबर	यूसीबी द्वारा एक बारगी (बुलेट) चुकौती योजना के अधीन स्वर्ण ऋण मंजूर करने की अधिकतम सीमा को ₹ 0.1 मिलियन से बढ़ाकर ₹ 0.2 मिलियन किया गया।
30 अक्तूबर	जहां कहीं पर भी लोगो/ब्रांड तैयार करने के लिए यूसीबी का संक्षिप्त नाम/संक्षेपाक्षर प्रयोग किया जाता हो, वहां पर उस बैंक के रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत पूर्ण नाम को प्रमुखता से दर्शाया जाना चाहिए।
05 नवंबर	यूसीबी, पीएमएल अधिनियम, 2012 के अधीन अनिवार्यताओं के अनुपालन हेतु वरिष्ठ प्रबंध या उसके समतुल्य पद धारित करने वाले वाले व्यक्ति को 'नामित निदेशक' के रूप में नामित कर सकते हैं। हालांकि, किसी भी मामले में मुख्य अधिकारी को 'नामित निदेशक' के रूप में नामित नहीं किया जाना चाहिए।

घोषणा की तारीख	नीतिगत उपाय
13 नवंबर	यूसीबी को चेक प्रस्तुत करने/पास करने तथा लेखा निगरानी की समीक्षा करने और नियंत्रण मजबूत करने को कहा गया।
27 नवंबर	यूसीबी की अनियमितताओं/कमियों को प्रारंभिक स्तर पर ठीक करने के लिए विनियामकीय कार्ययोजना के ढांचे में संशोधन किया गया। संशोधित मानदंड में सकल एनपीए अनुपात के 10 प्रतिशत से अधिक होने, विनियामकीय पूंजी के 9 प्रतिशत से कम हो जाने, जमा-ऋण अनुपात का 70 प्रतिशत से अधिक हो जाने या जब यूसीबी लगातार दो वर्षों से हानि में रहा हो अथवा हानियों का जमाव हो रहा हो जैसे किसी भी सतर्कता बिंदु के भंग होने की स्थिति में पाबंदी लगाने/सुधारात्मक कदम उठाने की व्यवस्था है।
07 जनवरी 2015	यूसीबी को ₹ 10 मिलियन या अधिक से संबंधित धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति गठित करने को कहा गया। हालांकि, लेखापरीक्षा समिति बोर्ड (एसीबी) धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी सामान्यतः जारी रखेगी।
08 जनवरी	राज्य सहकारी बैंको/सीसीबी द्वारा एक बारगी (बुलेट) चुकौती योजना के तहत मंजूर किए जाने वाले ऋण की राशि को ₹ 0.1 मिलियन से बढ़ाकर ₹ 0.2 मिलियन किया गया।
29 जनवरी	सहकारी बैंकों को सभी चार सीआईसी का सदस्य बनने और सीआईसी को ऐतिहासिक आंकड़े उपलब्ध कराने को कहा गया।
16 अप्रैल	निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले राज्य सहकारी बैंकों को उनकी आवश्यकता और उनके कार्यक्षेत्र में क्षमता के अनुसार, रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना, साइट पर/साइट से परे/मोबाइल एटीएम खोलने की अनुमति दी गई।
30 अप्रैल	वित्तीयरूप से मजबूत तथा सुप्रबंधित (एफएसडब्लूएम) अनुसूचित यूसीबी, जो सीबीएस समर्थित भी हों और जिनकी न्यूनतम निवल मालियत ₹ 1 बिलियन हो, उनको प्राधिकृत संस्थाओं के सहयोग से क्रेडिट कार्ड जारी करने की अनुमति प्रदान की गई।
05 मई	बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के तहत कार्य नहीं करने वाले प्राथमिक यूसीबी, जो सीबीएस समर्थित हों और उनके पास सीबीएस/हैंड हेल्ड डिवाइसों में आवश्यक मॉड्यूल तैयार करने की क्षमता हो, को 31 मई 2015 तक प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) प्रारंभ करने और इन योजनाओं में शामिल होने को कहा गया।
07 मई	संशोधित निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले राज्य सहकारी बैंकों को शाखाएं/ विशेषीकृत शाखाएं/विस्तार केंद्र खोलने/शाखाओं का स्थान परिवर्तित करने/विस्तार केंद्रों को पूर्ण शाखाओं में उन्नयन करने के पूर्वानुमोदन के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की गई।
14 मई	धोखाधड़ी के सभी मामलों में एकसमान प्रावधानीकरण मानदंडों का निर्धारण किया गया। ऐसी संपूर्ण राशि, जो बैंक की बकाया हो या जिसकी देयता बैंक पर हो, का प्रावधान किया जाना चाहिए जिसकी अवधि चार तिमाही से अधिक नहीं होना चाहिए। धोखाधड़ी की रिपोर्ट रिज़र्व बैंक को किए जाने में निर्धारित समय से अधिक विलंब होता है तो संपूर्ण राशि के लिए प्रावधान एक ही बार में किए जाने की आवश्यकता होगी।
25 मई	बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के तहत कार्य नहीं करने वाले प्राथमिक यूसीबी, जो सीबीएस समर्थित हों और उनके पास सीबीएस/हैंड हेल्ड डिवाइसों में आवश्यक मॉड्यूल तैयार करने की क्षमता हो, को अटल पेंशन योजना (एपीवाई) में शामिल होने को कहा गया।
गैर-बैंकिंग विनियमन विभाग	
10 जुलाई 2014	जमा खाता खोलने के समय या आवधिक अद्यतन किए जाने के समय ग्राहकों को पते का सिर्फ एक दस्तावेजी प्रमाण (वर्तमान या स्थायी) की आवश्यकता होगी।
14 जुलाई	एनबीएफसी से कहा गया कि व्यक्तिगत उधारकर्ताओं से परिवर्तनशील दर वाले मीयादी ऋणों के समयपूर्व भुगतान पर दांडिक प्रभार नहीं लगाए जाएं।
14 जुलाई	केवाईसी सत्यापन के लिए ई-केवाईसी जांच प्रक्रिया को मान्य प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि धन-शोधन (दस्तावेजों का रखरखाव) नियम, 2005 के तहत केवाईसी अपेक्षाओं के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) में उपलब्ध जनांककीय विवरण एवं फोटोग्राफों को 'आधिकारिक मान्य दस्तावेज' माना जाएगा।
25 जुलाई	एनबीएफसी से कहा गया कि जहां कहीं भी प्रयोज्य हो वहां वैश्विक मध्यस्थता पहचान संख्या (जीआईआईएन) प्राप्त करें।
01 अगस्त	एनबीएफसी से कहा गया कि जब कभी भी आवश्यकता हो, विशेष जांच दल (एसआईटी) को अपेक्षित सूचना/दस्तावेज उपलब्ध कराएं।

घोषणा की तारीख	नीतिगत उपाय
05 अगस्त	प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्रचना कंपनियों (एससी/आरसी) से अपेक्षा थी कि प्रतिभूति प्राप्तियां (एसआर) के शोधन होने तक उनके द्वारा जारी प्रत्येक श्रेणी और प्रत्येक योजना की प्रतिभूति प्राप्तियों (एसआर) का कम से कम 15 प्रतिशत हिस्सा निवेश करें। प्रबंध शुल्क की गणना की जानी चाहिए और गणना उस पर न्यूनतम निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) के प्रतिशत के अनुसार की जानी चाहिए जिसका निर्धारण क्रेडिट रेटिंग ऐजेंसी द्वारा किया गया हो (वर्तमान में बकाया एसआर के प्रतिशत के स्थान पर)। किंतु प्रबंध शुल्क अंतर्निहित परिसंपत्ति के अधिग्रहण मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए। आस्ति पुनर्रचना कंपनियों (एआरसी) को भी संयुक्त उधारदाता फोरम का सदस्य होना चाहिए। एआरसी को अपनी वेबसाइट में तिमाही अंतराल पर इरादतन चूककर्ताओं के वाद दाखिल खातों (सूट फाइल्ड एकाउंट्स) की सूची प्रदर्शित करना चाहिए।
07 अगस्त	प्रत्येक एससी/आरसी से कम से कम एक क्रेडिट सूचना कंपनी (सीआईसी) का सदस्य बनने और सीआईसी को उधारकर्ताओं के आवधिक परिशुद्ध आंकड़े/वृत्तांत उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई।
08 अगस्त	बंधक जमानत लेने वाली कंपनियों (मॉर्टगेज गारंटी कंपनियों) से संबंधित विनियामकीय ढांचे में संशोधन किए गए।
12 अगस्त	₹ 10 बिलियन और अधिक आस्ति आकार वाली जमा स्वीकार नहीं करने वाली एनबीएफसी को ब्याज दर फ्यूचर्स बाजार में व्यापारी सदस्य के रूप में सहभागिता करने की अनुमति प्रदान की गई।
25 सितंबर	एनबीएफसी को अपनी निर्धारित जमा राशियों की रेटिंग के लिए एसएमईआर की रेटिंग का प्रयोग करने की अनुमति प्रदान की गई।
10 नवंबर	एनबीएफसी-एनडी के लिए प्रणालीगत महत्व को निर्धारित करने की सीमा को संशोधित कर ₹ 1 बिलियन के स्थान पर ₹ 5 बिलियन कर दिया गया। एनबीएफसी-एनडी-एसआई तथा सभी एनबीएफसी-डी के लिए और कठोर विवेकपूर्ण मानक निर्धारित किए गए।
10 नवंबर	एनबीएफसी-फैक्टरों के लिए मुख्य कारोबारी शर्त को फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 के अनुरूप, 75:75 से बदलकर 50:50 कर दिया गया।
01 दिसंबर	सरकार द्वारा 'धन-शोधन निवारण (दस्तावेजों का रखरखाव) संशोधन नियम, 2013' लाए जाने के बाद केवाईसी/एएमएल दिशानिर्देशों में परिवर्तन किए गए।
02 जनवरी 2015	विभिन्न श्रेणी के ग्राहकों के लिए केवाईसी अनुपालन के अद्यतन करने में सावधानियों/प्रक्रिया को संशोधित किया गया, जिसमें तृतीय पक्षकार द्वारा सत्यापन की भी मंजूरी प्रदान की गई।
16 जनवरी	वाणिज्यिक परिचालनों के प्रारंभ होने की तारीख (डीसीसीओ) में परिवर्तन और परिणामस्वरूप होने वाले पुनर्भुक्तान कार्यक्रम में होने वाले परिवर्तन को पुनर्रचना नहीं माना जाएगा यदि आधारभूत संरचना तथा गैर-आधारभूत संरचना वाली परियोजनाओं की डीसीसीओ में परिवर्तन क्रमशः दो वर्षों और एक वर्ष के अंदर हो।
19 जनवरी	आधारभूत संरचना तथा मूलभूत उद्योगों को दिए जाने वाले नए मीयादी ऋणों की लचीली पुनर्रचना करना और पुनर्वित्तीयन की अनुमति दी गई।
28 जनवरी	मूल निवेश कंपनियों, प्राथमिक डीलरों के रूप में पंजीकृत एनबीएफसी एवं किसी ग्राहक इंटरफेस के बिना पूर्णतः निवेश संबंधी गतिविधियां करने वाली एनबीएफसी को सीआईसी का सदस्य बनने संबंधी अपेक्षा से छूट दी गई।
06 फरवरी	ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्रा.लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराए गए दीर्घावधि सावधि जमा उत्पादों के लिए न्यूनतम निवेश श्रेणी को एफबीबीबी के समतुल्य बनाए जाने को कहा गया।
06 फरवरी	ऋण देने वाली संस्थाओं का सभी सीआईसी का सदस्य बनना अनिवार्य किया गया।
20 फरवरी	दो समूहों में वर्गीकृत गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) जारी किए जाने के साथ निजी स्थानन के संबंध में दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया। दो समूह इस प्रकार हैं - (ए) प्रत्येक निवेशक का अभिदान ₹ 20,000 से ₹ 10 मिलियन हो और एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 200 अभिदाता हो सकते हैं जो पूर्णतः प्रतिभूतिकृत हों, तथा (बी) कम से कम ₹ 10 मिलियन या अधिक की अभिदान राशि हो और अभिदाताओं की संख्या असीमित हो तथा प्रतिभूति तैयार करने की आवश्यकता उनके बोर्ड के अनुमोदन के अनुसार हो।
24 फरवरी	एससी/आरसी के शेयर धारिता के ढांचे में निम्नलिखित परिवर्तनों के लिए रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति अपेक्षित होगी : शेयरों का अंतरण जिसमें अंतरणकर्ता प्रायोजक बन जाता है; शेयरों का अंतरण जिसमें अंतरणकर्ता प्रायोजक नहीं रह जाता; एवं पंजीयन प्रमाणपत्र की तारीख से पांच वर्षों में प्रायोजक द्वारा कुल चुकता शेयर पूंजी के 10 प्रतिशत या अधिक का सकल अंतरण किया गया हो।
16 मार्च	एनबीएफसी भी वरिष्ठ प्रबंध या समतुल्य पद धारित करने वाले व्यक्ति को नामित निदेशक के रूप में नामित कर सकती हैं।

घोषणा की तारीख	नीतिगत उपाय
08 अप्रैल	एनबीएफसी-एमएफआई के लिए, शिक्षा/चिकित्सा व्यय को छोड़कर किसी उधारकर्ता की कुल कर्ज की सीमा ₹ 50,000 से बढ़ाकर ₹ 100,000 कर दी गई। ग्रामीण हाउसहोल्ड उधारकर्ता, जिसकी वार्षिक आय ₹ 100,000 से अधिक न हो या शहरी एवं अर्द्ध-शहरी हाउसहोल्ड उधारकर्ता जिसकी आय ₹ 160,000 से अधिक न हो, को प्रदान किए गए ऋणों को अहर्ताप्राप्त आस्ति के रूप में शामिल किया गया।
10 अप्रैल	सूचीबद्ध शेयरों के संपार्शिवक के बदले उधार देने वाली एनबीएफसी को एलटीवी (मूल्य की तुलना में ऋण) अनुपात 50 प्रतिशत बनाए रखने और जहां उधार पूंजी बाजार में निवेश करने के लिए दी गई हो वहां पर ₹ 0.5 मिलियन से अधिक मूल्य के ऋणों के लिए सिर्फ समूह 1 की प्रतिभूतियों (जैसा सेबी निर्धारित करे) को स्वीकार करने को कहा गया।
10 अप्रैल	कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी परिष्कृत दिशानिर्देशों को एनबीएफसी-एन एवं जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी पर लागू किया गया।
30 अप्रैल	एनबीएफसी द्वारा म्यूचुअल फंड उत्पाद वितरण किए जाने के लिए रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमोदन संबंधी आवश्यकता को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।
30 अप्रैल	एकल स्वामित्व वाली फर्मों के खाते खोलने के लए एनबीएफसी को गतिविधि के प्रमाण के रूप में निर्धारित दस्तावेजों में से सिर्फ एक को स्वीकार करने के विवेकाधिकार प्रदान किए गए।
07 मई	बीआईएफआर/सीडीआर/जेएलएफ द्वारा अनुमोदित/जिनका अनुमोदन किया जाना है, वाले प्रस्तावों को की पुनर्रचना के लिए एससी/आरसी को अन्य प्रतिभूतिकृत उधारकर्ताओं के साथ ही समाप्त होने वाली समाधान अवधि (रिज़ोल्युशन पीरियड) को स्वीकार करने की अनुमति प्रदान की गई।
14 मई	जिन क्षेत्रों में परियोजना प्राधिकारी की बिल्कुल उपलब्धता नहीं है वहां पर आईडीएफ-एनबीएफसी के प्रवेश की अनुमति प्रदान करने के लिए आधारभूत कर्ज निधि (आईडीएफ) के संबंध में जारी निदेर्शों में संशोधन किया गया। आईडीएफ-एनबीएफसी एवं आधारभूत संरचना वित्त कंपनियों द्वारा धारित बांडों पर लागू होने वाले जोखिम भार को सभी एनबीएफसी पर लागू किया गया।
21 मई	स्वर्ण आभूषणों के लिए एलटीवी अनुपात की गणना करने हेतु बांबे बुलियन ऐसोसिएशन लिमिटेड (बीबीए) के साथ ही साथ फारवर्ड मार्केट कमीशन द्वारा विनियमित पण्य विनिमय की दरों का भी प्रयोग करने की अनुमति प्रदान की गई।
25 जून	एनबीएफसी-एनडी को एमटीएसएस के तहत रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन की अपेक्षा के बिना उप-अभिकर्ता के रूप में कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई।
	बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग
01 जुलाई 2014	धोखाधड़ी के वर्गीकरण एवं रिपोर्टिंग की प्रणाली निर्धारित की गई, जिसमें पहले के अनुदेशों को समेकित और अद्यतन किया गया।
05 सितंबर	दबाव की परिस्थितियों में संभाव्य चलनिधि व्यवधानों के प्रति लचीलेपन पर निगरानी रखने के लिए बैंकों के लिए चलनिधि विवरणियों का निर्धारण किया गया।
05 नवंबर	चेक से संबंधित धोखाधड़ी की रोकथाम हेतु उपाय किए गए।
15 दिसंबर	बैंकों से ''छद्म/झांसा देने वाले ग्राहकों'' का प्रयोग करने एवं केवाईसी/एएमएल/सीएफटी मानदंडों के अनुपालन की जांच करने के लिए औचक जांच किए जाने को कहा गया।
04 मार्च 2015	रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं के अनुपालन की समीक्षा के मद्देनजर बैंकों को अनुपालन जांच तथा समीक्षा संरचना सहित समग्र अनुपालन योजना लागू करने को कहा गया।
07 मई	बैंकों को, धोखाधड़ी की प्रारंभिक अवस्था में पहचान और रिपोर्ट करने, धोखेबाज उधारकर्ताओं के लिए दांडिक उपाय करने के विषयों पर विचार करने वाले आंतरिक कार्य-दल की अनुशंसाओं के आधार पर, धोखाधड़ी जोखिम प्रबंध से संबंधित ढांचे का अनुपालन करने को तथा अन्य बातों के साथ ही प्रारंभिक अवस्था में चेतावनी संकेतकों एवं रेड फ्लैग्ड खातों की संकल्पना की शुरूआत करने को कहा गया।
04 जून	बैंकों से कहा गया कि आगे से, समवर्ती लेखापरीक्षक, जो निर्धारित सीमा से नीचे की शाखाओं के सनदी लेखाकार होते हैं, अपनी लांग फार्म लेखा परीक्षा रिपोर्ट (एलएफएआर) सिर्फ बैंक के अध्यक्ष को प्रस्तुत करें और उसके बाद बैंक ऐसी सभी एलएफएआर को समेकित करके सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक को बैंक के आंतरिक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करेगा।

घोषणा की तारीख	नीतिगत उपाय
	उपभोक्ता शिक्षण एवं संरक्षण विभाग
03 दिसंबर 2014	बैंक ग्राहकों के पांच मूलभूत अधिकारों को समाहित करते हुए ग्राहक के अधिकारों का चार्टर जारी किया गया।
11 फरवरी 2015	चार्टर लागू किए जाने की स्थिति की निगरानी हेतु बैंक के बोर्ड द्वारा समीक्षा किए जाने अलावा रिज़र्व बैंक भी इस पर नज़र रखेगा।
11 मई	सरकारी बैंकों, चुनिंदा निजी एवं विदेशी बैंकों को मुख्य ग्राहक सेवा अधिकारी अर्थात आंतरिक ओम्बड्समैन नियुक्त करने को कहा गया।
	आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग
15 दिसंबर 2014	स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने में सक्षम (स्टैंडअलोन) प्राथमिक डीलरों (पीडी) से संबंधित परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) के तहत वर्गीकृत प्रतिभूतियों की मात्रा के एनओएफ को, 31 दिसंबर 2014 से, पिछले वित्तीय वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार पहले जैसे 100 प्रतिशत कर दिया गया। बाजार में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव होने के कारण सितंबर 2013 में इसे 200 प्रतिशत तक बढ़ाया गया।
	मुद्रा प्रबंध विभाग
31 दिसंबर 2014	2005 से पहले छापे गए बैंक नोटों को बदलने की समय सीमा 31 दिसंबर 2014 से बढ़ाकर 30 जून 2015 कर दी गई।
03 फरवरी 2015	रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों से कहा गया कि मुद्रा प्रबंध हेतु, चिह्नित जिलों में लीड बैंक योजना को एक और वर्ष तक प्रायोगिक तौर पर जारी रखें और नोडल बैंकों को समुचित मार्गदर्शन प्रदान करें।
17 अप्रैल	बैंकों द्वारा करेंसी चेस्ट खोलने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदन की प्रक्रिया को बहु-स्तरीय अनुमोदन प्रक्रिया के स्थान पर युक्तिसंगत/सरल बनाया गया है। अब, निर्धारित शर्तों के अधीन सिर्फ एक बार अंतिम अनुमोदन की आवश्यकता होगी।
26 जून	2005 से पहले छापे गए बैंक नोटों को बदलने की समय सीमा 30 जून 2015 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2015 कर दी गई।
	भुगतान एवं निपटान प्रणाली विभाग
14 अगस्त 2014	अन्य बैंकों के एटीएम से मुफ्त लेनदेन की अधिकतम संख्या को युक्तिसंगत बनाते हुए पांच के स्थान पर तीन किया गया और छह मैट्रो केंद्रों में स्वयं के बैंक के एटीएम लेनदेन को पांच निर्धारित किया गया।
22 अगस्त	भारत स्थित बैंकों द्वारा जारी किए गए कार्डों का प्रयोग देश के भीतर कार्ड रहित भुगतान करने के लिए किए जाने पर ऐसे लेनदेन भारत स्थित बैंक के माध्यम से किए जाने चाहिए और भुगतान भारतीय मुद्रा में ही किया जाना चाहिए।
28 नवंबर	भारत बिल भुगतान प्रणाली के बारे में दिशानिर्देश जारी किए गए जिसके कारण स्थान को ध्यान में रखे बिना ग्राहकों द्वारा बिल भुगतानों के लिए अखिल भारतीय संपर्क बिंदुओं की स्थापना की जा सके।
03 दिसंबर	पीपीआई से संबंधित दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया, जिसके अंतर्गत निम्नलिखत शामिल हैं - पूर्ण केवाईसी सहित पीपीआई के मूल्य में बढ़ोत्तरी करना, उपहार कार्डों की वैधता अवधि में वृद्धि करना, आश्रितों/परिवार के सदस्यों के लिए विभिन्न पीपीआई जारी करने की अनुमति प्रदान करना, यात्रा पर आए विदेशी नागरिकों/एनआरआई के लिए रुपया में मूल्यवर्गित पीपीआई जारी करना।
03 दिसंबर	एमएसएमई के लिए तीव्र एवं दक्ष वित्तीयन विकल्प उपलब्ध कराने हेतु टीआरईडीएस की स्थापना के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए।
04 दिसंबर	मोबाइल बैंकिंग लेनदेन के संबंध में सर्वोत्तम प्रथाओं, यथा प्रक्रियाओं का और अधिक मानकीकरण करना, नामांकन के विकल्प तथा समय, एमपीआईएन (एमपिन) जेनेरेट करने करने की प्रक्रिया को तीव्र बनाने के लिए विभिन्न माध्यमों/प्रणालियों का अपनाए जाने, उपभोक्ता शिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम, को अपनाए जाने हेतु दिशानिर्देश जारी किए गए।
05 दिसंबर	डब्ल्यूएलए में अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट/डेबिट/प्रीपेड कार्डों को स्वीकार करने की अनुमति दी गई, डब्लूएलए में अंतरराष्ट्रीय कार्डों के लिए तीव्र मुद्रा अंतरण (डायनेमिक करेंसी कनवर्जन) की सुविधा तथा नगद की आपूर्ति के लिए अन्य वाणिज्य बैंकों से गठबंधन करने की भी सुविधा प्रदान की गई।

घोषणा की तारीख	नीतिगत उपाय
15 दिसंबर	आरटीजीएस के कारोबारी घंटों को कार्य दिवसों में बढ़ाकर - 8:00 से 20:00 बजे तक तथा शनिवार को 8:00 से 15:30 बजे तक कर दिया गया।
02 जनवरी 2015	प्राधिकृत संस्थाओं से कहा गया कि उत्पादों के संबंध में सार्वजनिक सूचना में प्राधिकृत संस्था का नाम प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
16 जनवरी	किसी संस्था को पीएसएस अधिनियम के तहत प्राधिकृत किए जाने के लिए 'निवल मालियत' की गणना के संबंध में निर्देश जारी किए गए।
07 मई	01 सितंबर 2015 से, जारी किए जाने वाले सभी कार्डों - डेबिट या क्रेडिट, घरेलू या अंतरराष्ट्रीय, सभी में ईवीएम चिप होनी चाहिए और उनमें पिन का प्रावधान किया जाना चाहिए।
14 मई	संपर्क-रहित कार्ड का प्रयोग करते हुए कार्ड के साथ कम मूल्य के लेनदेन के संबंध में अतिरिक्त पुष्टिकरण घटक की आवश्यकता में ढील दी गई।

परिशिष्ट सारणी 1 : समष्टि आर्थिक और वित्तीय संकेतक

मद	औसत 2003-04 से 2007-08 (5 वर्ष)	औसत 2009-10 से 2013-14 (5 वर्ष)	2012-13	2013-14	2014-15
1	2	3	4	5	6
I. वास्तविक अर्थव्यवस्था					
I.1 बाजार मूल्य में जीडीपी (%परिवर्तन)	8.8	7.0	5.1	6.9	7.3
I.2 बेसिक मूल्य में जीवीए (%परिवर्तन)	8.7	6.7	4.9	6.6	7.2
I.3 खाद्यान्न उत्पादन (मिलियन टन)	213.6	248.8	257.1	265.0	252.7
I.4 क) खाद्य स्टाक (मार्च अंत में मिलियन टन)	18.6	50.1	59.8	49.5	41.3
ख) खरीद #	39.3	61.3	72.2	56.9	58.0
ग) उठाव	41.5	57.0	65.9	59.8	56.0
I.5 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (%परिवर्तन)	11.2	3.5	1.1	-0.1	2.8
I.6 आठ मूल उद्योगों का सूचकांक (%परिवर्तन)	5.9	5.8	6.5	4.2	3.8
I.7 सकल देशी बचत दर (वर्तमान मूल्य में जीएनडीआई का %)	32.4	31.4 $	31.1	30.0	...
I.8 सकल देशी निवेश दर (वर्तमान मूल्य में जीडीपी का %)	33.6	35.8$	36.6	32.3	...
II. मूल्य					
II.1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) संयुक्त (औसत % परिवर्तन)	...	...	10.2	9.5	5.9
II.2 सीपीआई- औद्योगिक श्रमिक (औसत % परिवर्तन)	5.0	10.3	10.4	9.7	6.3
II.3 थोक मूल्य सूचकांक (औसत % परिवर्तन)	5.5	7.1	7.4	6.0	2.0
III. मुद्रा और ऋण					
III.1 आरक्षित मुद्रा (%परिवर्तन)	20.4	12.1	6.2	14.4	11.3
III.2 व्यापक मुद्रा (एम3) (%परिवर्तन)	18.6	14.7	13.6	13.4	10.8
III.3 क) अनुसूचित वाणिज्य बैंक की समग्र जमा राशि (%परिवर्तन)	20.2	15.0	14.2	14.1	10.7
ख) अनुसूचित वाणिज्य बैंक का बैंक ऋण (%परिवर्तन)	26.7	16.7	14.1	13.9	9.0
IV. वित्तीय बाजार					
IV.1 ब्याज दर (%)					
क) मांग/सूचना पर देय मुद्रा दर	5.6	7.2	8.1	8.3	8.0
ख) 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल	7.0	8.0	8.2	8.4	8.3
ग) 91-दिवसीय खजाना -बिलों पर प्रतिफल			8.2	8.9	8.5
घ) केंद्र सरकार के उधार पर भारित औसत ब्याज दर			8.4	8.4	8.5
ड.) वाणिज्यिक पत्र	7.7	8.4	9.2	9.3	8.8
च) जमाराशि प्रमाणपत्र # #	8.9	8.2	9.0	9.2	8.7
IV.2 चलनिधि (· बिलियन)					
क) बकाया चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ)·	...	...	-1,236.4	-2,179.9	-1,938.8
ख) बकाया बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस)· ·	...	...	0.0	0.0	0.0
ग) माँग मुद्रा बाजार का औसत दैनिक कारोबार	184.9	255.3	323.6	302.3	255.7
घ) सरकारी प्रतिभूति बाजार का औसत दैनिक कारोबार ₹ ₹	77.1	241.4	325.1	429.0	501.2
ड.) परिवर्ती रिपो दर*				1,200.2	1,628.7
च) मार्जिनल स्थायी सुविधा*			70.0	737.4	416.4
V. सरकारी वित्त					
V.1 केंद्र सरकार के वित्त (जीडीपी का %)@					
क) कुल राजस्व प्राप्तियाँ	9.8	9.0	8.8	8.9	8.8
ख) पूंजी लागत	1.6	1.5	1.5	1.5	1.3
ग) कुल व्यय	14.7	14.7	14.1	13.7	13.1
घ) सकल राजकोषीय घाटा	3.6	5.3	4.9	4.4	4.0
V.2 राज्य वित्त @@					
क) राजस्व घाटा (जीडीपी का %)**	0.4	0.0	-0.2	0.1	0.1
ख) सकल राजकोषीय घाटा (जीडीपी का %)**	2.7	2.2	2.0	2.2	2.9
ग) प्राथमिक घाटा (जीडीपी का %)**	0.3	0.6	0.5	0.7	1.3

परिशिष्ट सारणी1 : समष्टि आर्थिक और वित्तीय संकेतक (समाप्त)

मद	औसत 2003-04 से 2007-08 (5 वर्ष)	औसत 2009-10 से 2013-14 (5 वर्ष)	2012-13	2013-14	2014-15
1	2	3	4	5	6
VI. बाह्य क्षेत्र					
VI.1 भुगतान संतुलन					
क) पण्य निर्यात (% परिवर्तन)	25.3	12.2	-1.0	3.9	-0.6
ख) पण्य आयात (% परिवर्तन)	32.3	9.7	0.5	-7.2	-1.1
ग) व्यापार शेष/जीडीपी (%)	-5.4	-8.9	-10.7	-7.9	-7.0
घ) अदृश्य शेष/जीडीपी (%)	5.1	5.7	5.9	6.1	5.7
ङ) चालू खाता शेष/जीडीपी (%)	-0.3	-3.2	-4.8	-1.7	-1.3
च)निवल पूंजीगत प्रवाह/जीडीपी (%)	4.6	3.7	4.9	2.6	4.4
छ) रिज़र्व परिवर्तन (बीओपी आधारपर) (बिलियन अमरीकी $) '(वृद्धि(-)/कमी (+))'	-40.3	-6.6	-3.8	-15.5	-61.4
VI.2 बाह्य ऋण सूचकांक					
क) बाह्य ऋण स्टाक (बिलियन अमरीकी $)	156.5	359.0	409.4	446.3	475.8
ख) ऋण- जीडीपी अनुपात (%)	17.7	20.9	22.3	23.6	23.8
ग) रिज़र्व का आयात कवर (महीनों में)	14.0	8.5	7.0	7.8	8.9
घ) कुल ऋण की तुलना में अल्पावधि ऋण (%)	14.8	21.4	23.6	20.5	17.8
ङ) कुल ऋण की तुलना में अल्पावधि ऋण (%)(अवशिष्ट परिपक्वता)	37.6ड्ड	41.9	44.2	39.6	38.9
च) ऋण सेवा अनुपात (%)	8.3	5.6	5.9	5.9	7.5
छ) रिज़र्व की तुलना में ऋण (%)	116.9	82.1	71.3	68.2	71.8
VI.3 उदारता सूचकांक (%)					
क) वस्तुओं का निर्यात और आयात/जीडीपी	30.4	40.2	44.1	41.9	37.9
ख) वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात और आयात/जीडीपी	40.8	52.2	56.4	54.1	49.4
ग) चालू प्राप्तियाँ और चालू भुगतान/जीडीपी	46.6	58.3	62.6	60.6	55.4
घ) सकल पूंजी अंतर्वाह और बहिर्वाह/जीडीपी	36.8	49.5	46.5	52.0	49.1
ङ) चालू प्राप्तियाँ और भुगतान और पूंजी प्राप्तियां और भुगतान/ जीडीपी	83.5	107.7	109.1	112.6	104.4
VI.4 विनिमय दर सूचकांक					
क) विनिमय दर (रुपये/ अमरीकी डालर)					
अवधि के अंत में	43.1	51.1	54.4	60.1	62.6
औसत	44.1	51.2	54.4	60.5	61.1
ख) 36-मुद्रा आरईईआर (% परिवर्तन)	3.1□	0.8	-4.3	-2.2	5.5
ग) 36-मुद्रा एनईईआर (% परिवर्तन)	1.7□	-4.9	-10.4	-7.7	2.4
घ) 6- मुद्रा आरईईआर (% परिवर्तन)	4.4□	1.8	-3.3	-3.7	6.4
ङ) 6- मुद्रा एनईईआर (% परिवर्तन)	1.6□	-5.4	-10.5	-10.4	1.3

.. : उपलब्ध नहीं $: चार वर्ष का औसत
$$: केन्द्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में आउटराइट व्यापार टर्नओवर(कैलेंडर दिनों पर आधारित)
: चावल और गेहूँ की खरीद संबंधित बाजार वर्ष पर आधारित है।
: ङ्कालम 2' के लिए डाटा 13 अप्रैल 2007 से 28 मार्च 2008 से संबंधित है।
: 31 मार्च की स्थिति के अनुसार बकाया चलनिधि समायोजन सुविधा(ऋणात्मक अर्थात् अन्तर्वेशन)।
: वित्तीय वर्ष के अंतिम शुक्रवार तक का बकाया
* : 31 मार्च तक का बकाया
** : 2013-14 से आंकडें अनंतिम हैं और 25 राज्य के बजट से संबंधित हैं।
@ : 2014-15 के लिए केन्द्र सरकार के आंकडें अनंतिम लेखा से संबंधित हैं।
@@ : 2014-15 के लिए राज्य सरकार के आंकडें संशोधित अनुमान से संबंधित हैं।
▪ : 2005-06 से 2007-08 की अवधि का औसत
▪ : मार्च 2008 को समाप्त से संबंधित

टिप्पणी : 1. कालम 2 और 3 में जीडीपी पुरानी श्रृंखला पर आधारित है अर्थात्, आधार: 2004-05, अन्य कालम में जीडीपी नई श्रृंखला पर आधारित है अर्थात् आधार: 2011-12
2. वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) सीपीआई पर आधारित है।

परिशिष्ट सारणी 2: वास्तविक सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दरें और संरचना

(2011-12 की मूल्यों पर)

(प्रतिशत)

क्षेत्र	वद्धि दर				हिस्सा		
	औसत 2012-13 से 2014-15	2012-13	2013-14	2014-15	2012-13	2013-14	2014-15
1	2	3	4	5	6	7	8
सकल देशी उत्पाद के व्यय का हिस्सा							
1. निजी अंतिम खपत व्यय	6.0	5.5	6.2	6.3	57.9	57.5	57.0
2. सरकारी अंतिम खपत व्यय	5.5	1.7	8.2	6.6	10.8	10.9	10.9
3. सकल नियत पूंजी निर्माण	2.4	-0.3	3.0	4.6	31.9	30.7	30.0
4. स्टाक में परिवर्तन	-8.0	-6.2	-21.4	3.7	2.2	1.6	1.5
5. मूल्यवान वस्तुएं	-6.7	3.3	-48.7	25.3	2.8	1.4	1.6
6. निवल निर्यात	28.8	-3.3	69.0	20.7	-6.4	-1.8	-1.4
क) निर्यात	4.4	6.7	7.3	-0.8	24.6	24.7	22.9
ख) कम आयात	-1.5	6.0	-8.4	-2.1	31.0	26.6	24.2
7. विसंगतियाँ	-185.5	-162.9	-139.7	-253.9	0.8	-0.3	0.4
8. सकल देशी उत्पाद	**6.4**	**5.1**	**6.9**	**7.3**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
जीवीए पर बेसिक मूल्य (आपूर्ति का हिस्सा)							
1. **कृषि, वानिकी और मत्स्यपालन**	**1.7**	**1.2**	**3.7**	**0.2**	**17.7**	**17.2**	**16.1**
जिसमें से :							
कृषि	2.6*	1.2	3.9	...	15.4	15.0	...
2. उद्योग	**5.7**	**5.1**	**5.3**	**6.6**	**23.7**	**23.4**	**23.3**
जिसमें से :							
क) खनन और उत्खनन	2.5	-0.2	5.4	2.4	3.0	3.0	2.9
ख) विनिर्माण	6.2	6.2	5.3	7.1	18.3	18.1	18.1
ग) बिजली,गैस,पानी की आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाएं	5.6	4.0	4.8	7.9	2.4	2.3	2.3
3. सेवाएं	**7.8**	**6.0**	**8.1**	**9.4**	**58.6**	**59.4**	**60.6**
जिसमें से :							
क) विनिर्माण	1.0	-4.3	2.5	4.8	8.6	8.3	8.1
ख) व्यापार,होटल,परिवहन,संचार तथा प्रसारण संबंधी सेवाएं	10.5	9.6	11.1	10.7	18.0	18.8	19.4
ग) वित्तीय,स्थावर संपदा और कारोबारी सेवाएं	9.4	8.8	7.9	11.5	19.5	19.7	20.5
घ) सरकारी प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं	6.6	4.7	7.9	7.2	12.5	12.6	12.6
4. जीवीए पर बेसिक मूल्य	**6.2**	**4.9**	**6.6**	**7.2**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

.. : उपलब्ध नहीं

* : वर्ष 2014-15 के लिए 'कृषि' के उप क्षेत्र के लिए संपूर्ण आंकडे सीएसओ द्वारा प्रकाशित किये जाने हैं, अत: यह 2012-13 और 2013-14 से संबंधित औसत होगा।

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ

परिशिष्ट सारणी 3 : मुद्रास्फीति, मुद्रा और ऋण

(प्रतिशत)

मुद्रास्फीति									
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (अखिल भारत) **	**ग्रामीण**			**शहरी**			**सम्मिलित**		
	2012-13	**2013-14**	**2014-15**	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
सामान्य सूचकांक (सभी समूह)	**10.1**	**9.6**	**6.2**	**10.4**	**9.4**	**5.7**	**10.2**	**9.5**	**5.9**
खाद्य और पेय	11.8	11.2	6.6	12.1	11.0	6.4	11.9	11.1	6.5
आवास	...	...	...	11.3	10.4	6.9	11.3	10.4	6.9
ईंधन और बिजली	7.9	7.4	5.1	9.7	7.3	2.7	8.5	7.4	4.2
विविध	7.2	6.7	4.9	7.5	7.0	4.2	7.3	6.8	4.6
खाद्य और ईंधन को छोड़कर	8.0	7.3	5.8	9.4	8.6	5.5	8.7	8.1	5.6
अन्य मूल्य सूचकांक	**2006-07**	**2007-08**	**2008-09**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**
1. थोक मूल्य सूचकांक (2004-05=100)									
सभी वस्तुएँ	**6.6**	**4.7**	**8.1**	**3.8**	**9.6**	**8.9**	**7.4**	**6.0**	**2.0**
प्राथमिक वस्तुएं	9.6	8.3	11.0	12.7	17.7	9.8	9.8	9.8	3.0
जिनमें से : खाद्य वस्तुएं	9.6	7.0	9.1	15.3	15.6	7.3	9.9	12.8	6.1
ईंधन और ऊर्जा	6.5	0.0	11.6	-2.1	12.3	14.0	10.3	10.2	-0.9
विनिर्मित उत्पाद	5.7	4.8	6.2	2.2	5.7	7.3	5.4	3.0	2.4
खाद्यान्न से इतर विनिर्मित उत्पाद	5.7	5.0	5.7	0.2	6.1	7.3	4.9	2.9	2.4
2. सीपीआई - औद्योगिक कामगार (आईडब्ल्यू)(2001=100)									
जिनमें से : सीपीआई-आईडब्ल्यू खाद्यान्न	**6.7**	**6.2**	**9.1**	**12.4**	**10.4**	**8.4**	**10.4**	**9.7**	**6.3**
3. सीपीआई- कृषि श्रमिक (1986-87=100)	9.2	8.4	12.3	15.2	9.9	6.3	11.9	12.3	6.5
4. सीपीआई- ग्रामीण श्रमिक(1986-87=100)	**7.8**	**7.5**	**10.2**	**13.9**	**10.0**	**8.2**	**10.0**	**11.6**	**6.6**
	7.5	**7.2**	**10.2**	**13.8**	**10.0**	**8.3**	**10.2**	**11.5**	**6.9**
मुद्रा और ऋण									
	2006-07	**2007-08**	**2008-09**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**
आरक्षित मुद्रा	23.9	31.0	6.4	17.0	19.1	3.6	6.2	14.4	11.3
संचलन में मुद्रा	17.3	17.2	17.0	15.7	18.8	12.4	11.6	9.2	11.3
आरबीआई के पास बैंकरों की जमाराशियाँ	45.6	66.5	-11.3	21.0	20.2	-15.9	-10.0	34.0	8.3
संकीर्ण मुद्रा (एम1)	17.1	19.4	9.0	18.2	10.0	6.0	9.2	8.5	11.3
व्यापक मुद्रा (एम3)	21.7	21.4	19.3	16.9	16.1	13.5	13.6	13.4	10.8
मुद्रा - जमा अनुपात	17.1	16.5	16.1	15.9	16.3	16.1	15.7	15.1	15.2
मुद्रा गुणक *	4.7	4.3	4.9	4.8	4.7	5.2	5.5	5.5	5.5
जीडीपी/एम3* $	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
अनुसूचित वाणिज्य बैंक									
कुल जमाराशियां	23.8	22.4	19.9	17.2	15.9	13.5	14.2	14.1	10.7
बैंक ऋण	28.1	22.3	17.5	16.9	21.5	17.0	14.1	13.9	9.0
खाद्येतर ऋण	28.6	23.0	17.8	17.1	21.3	16.8	14.0	14.2	9.3
ऋण-जमा अनुपात	73.9	73.9	72.4	72.2	75.7	78.0	77.9	77.8	76.6
ऋण-जीडीपी अनुपात$	45.0	47.4	49.3	50.1	50.6	52.2	52.7	52.8	52.1

...: उपलब्ध नहीं . *: अनुपात. $:2011-12 से आगे जीडीपी के आंकडें नई सिरीज पर आधारित है अर्थात् , आधार: 2011-12.

**: 2012-13 और 2013-14 के लिए आधार 2010= 100,और 2014-15 के लिए आधार 2012=100.

टिप्पणी: जब तक विशिष्ट रूप से सूचित नहीं किया जाता अन्यथा वर्ष-दर-वर्ष आंकडो के प्रतिशत में परिवर्तन दर्शाते हैं ।.

परिशिष्ट सारणी 4: प्राथमिक एवं द्वितीयक पूंजी बाजार

(राशि • बिलियन में)

मदें	2013-14		2014-15	
	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5
I. प्राथमिक बाजार				
अ. विवरण-पत्र एवं अधिकार-पत्र निर्गम*	**70**	**116.8**	**86**	**170.6**
1. निजी क्षेत्र (क + ख)	26	60.6	29	83.6
ख) वित्तीय	44	56.2	57	87.0
क) गैर-वित्तीय	**20**	**439.7**	**3**	**24.5**
2. सार्वजनिक क्षेत्र (क+ख+ग)	5	105.7	...	...
क) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	1	37.0	...	...
ख) सरकारी कंपनियां	14	297.0	3	24.5
ग) बैंक/वित्तीय संस्थाएं	**90**	**556.5**	**89**	**195.1**
3. कुल (1+2, i+ii, क+ख)				
लिखत के प्रकार				
(i) इक्विटी	55	132.7	64	97.9
(ii) ऋण	35	423.8	25	97.1
जारीकर्ता के प्रकार	38	12.4	46	30.4
(क) आई.पी.ओ.	52	544.1	43	164.6
(ख) सूचीबद्ध	**1**	**1.2**	**2**	**95.9**
आ. यूरो निर्गम (ए.डी.आर एवं.जी.डी.आर.)		**1,213.3**		**2,770.2**
इ. निजी स्थानन &		875.3		1,838.4
1. निजी क्षेत्र (क+ ख)		338.0		931.8
क) वित्तीय		**2,778.5**		**1,694.7**
ख) गैर-वित्तीय		1,802.7		1,349.8
2. सार्वजनिक क्षेत्र (क+ ख)		975.9		344.8
क) वित्तीय		**3,991.8**		**4,464.8**
ख) गैर-वित्तीय		272.1		286.0
3. कुल (1+2, i+ii)		3,719.7		3,761.4
(i) इक्विटी		**136.6**		**291.0**
(ii) ऋण	**17**	**537.8**	**51**	**1,032.9**
ई. अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन $		488.4		1,037.0
उ. म्यूच्युअल फंड संग्रहण (निवल) #		49.4		-4.1
1. निजी क्षेत्र				
2. सार्वजनिक क्षेत्र				
II. द्वितीयक बाजार		22,386.3		27,957.5
बीएसई		20,120.1		26,556.5
बीएसई सूचकांक: समाप्ति-अवधि		18.3		19.1
अवधि का औसत		65.4		80.9
कीमत अर्जन अनुपात@		5,216.6		8,548.4
जीडीपी अनुपात की तुलना में बाजार पूंजीकरण(%) @@		92,194.3		203,627.4
नकदी खंड का कुल कारोबार		6,704.2		
व्युत्पन्नी खंड का कुल कारोबार		6,009.5		8,491.0
एनएसई		18.9		7,967.3
एस एडं पी सीएनएक्स निफ्टी:समाप्ति-अवधि के लिए		64.1		22.7
अवधि का औसत		28,084.9		79.2
कीमत अर्जन अनुपात @		382,114.1		43,296.6
जीडीपी अनुपात की तुलना में बाजार पूंजीकरण (%) @@				556,064.5
नकदी खंड का कुल कारोबार				
व्युत्पन्नी खंड का कुल कारोबार				

...: कुछ नही &: अनंतिम. $: इसमें संस्थागत स्थानन कार्यक्रम से भी संसाधन जुटाना शामिल है ।
#: निवल मोचन @: समाप्ति अवधि के अनुसार @@: जीडीपी के आंकड़े नये आधार पर : 2011-12
स्रोत: सेबी, एनएसई, बीएसई,सीएसओ और विभिन्न वाणिज्यिक बैंकर।

परिशिष्ट सारणी 5 : मुख्य राजकोषीय संकेतक

(जीडीपी के प्रतिशत के अनुसार)

वर्ष	प्राथमिक घाटा	राजस्व घाटा	प्राथमिक राजस्व घाटा	सकल राजकोषीय घाटा	बकाया देयताएं @	बकाया देयताएं $
1	2	3	4	5	6	7
केंद्र						
1990-91	3.9	3.2	-0.5	7.6	53.7	59.6
1995-96	0.8	2.4	-1.7	4.9	49.4	57.3
2000-01	0.9	3.9	-0.6	5.5	53.9	59.4
2007-08	-0.9	1.1	-2.4	2.5	56.9	58.9
2008-09	2.6	4.5	1.1	6.0	56.1	58.6
2009-10	3.2	5.2	1.9	6.5	54.5	56.3
2010-11	1.8	3.2	0.2	4.8	50.5	52.1
2011-12	2.8	4.5	1.4	5.8	51.1	52.9
2012-13	1.8	3.7	0.5	4.9	50.8	52.3
2013-14	1.1	3.1	-0.2	4.4	50.0	51.7
2014-15 सं.अ.	0.8	2.9	-0.4	4.1	50.1	51.7
2014-15 अ.ले	0.8	2.9	-0.4	4.0	...	...
2015-16 ब.अ.	0.7	2.8	-0.4	3.9	48.9	50.3
राज्य*						
1990-91	1.7	0.9	-0.6	3.2	21.9	21.9
1995-96	0.7	0.7	-1.1	2.5	20.3	20.3
2000-01	1.7	2.5	0.2	4.0	27.3	27.3
2007-08	-0.5	-0.9	-2.9	1.5	26.6	26.6
2008-09	0.6	-0.2	-2.1	2.4	26.1	26.1
2009-10	1.2	0.5	-1.3	2.9	25.5	25.5
2010-11	0.5	0.0	-1.6	2.1	23.5	23.5
2011-12	0.4	-0.3	-1.8	1.9	22.6	22.6
2012-13	0.5	-0.2	-1.7	2.0	22.1	22.1
2013-14	0.7	0.1	-1.4	2.2	21.4	21.4
2014-15 सं.अ.	1.3	0.1	-1.4	2.9	21.8	21.8
2015-16 ब.अ.	0.8	-0.4	-1.9	2.3	21.6	21.6
समेकित*						
1990-91	4.9	4.1	-0.2	9.1	62.9	68.9
1995-96	1.5	3.1	-1.7	6.3	59.4	67.3
2000-01	3.5	6.4	0.6	9.2	68.2	73.7
2007-08	-1.2	0.2	-5.0	4.0	69.5	71.4
2008-09	3.3	4.3	-0.8	8.3	69.7	72.2
2009-10	4.5	5.7	2.4	9.3	68.8	70.6
2010-11	2.4	3.2	-1.3	6.9	64.0	65.5
2011-12	3.2	4.1	-0.3	7.8	64.9	66.6
2012-13	2.3	3.4	-1.1	6.9	64.8	66.3
2013-14	1.9	3.3	-1.4	6.6	64.3	66.0
2014-15 सं.अ.	2.2	3.0	-1.7	6.9	65.3	67.0
2015-16 ब.अ.	1.5	2.4	-2.3	6.3	64.6	66.1

...: उपलब्ध नहीं अ.ले : अनंतिम लेखे सं.अ.: संशोधित अनुमान ब.अ.: बजट अनुमान

* : 2013-14 से आगे के आंकड़े अनंतिम हैं एवं उनका संबंध 25 राज्य सरकारों के बजट से हैं।

@ : केंद्र की बाह्य देयताएं इसमें शामिल हैं जिसकी गणना परंपरागत विनिमय दर पर की गई है।

$: केंद्र की बाह्य देयताएं इसमें शामिल हैं जिसकी गणना वर्तमान विनिमय दर पर की गई है।

नोट: 1. समेकित घाटा/देयता संकेतकों पर आंकड़े केंद्र और राज्य सरकार के बीच अंतर-सरकारी लेनदेन के निवल हैं अर्थात्

क) राज्य सरकार के विशेष प्रतिभूतियोंमें एनएसएसएफ, निवेश ख) केन्द्र से राज्य सरकार द्वारा लिये गये ऋण और अग्रिम और ग) केंद्र सरकार के खजाना बिलों में राज्य सरकार के निवेश

2. नकारात्मक चिह्न (-) घाटा सूचकों में अधिशेष का संकेतक है।

3. 2011-12 के बाद जीडीपी आंकड़ें 2011-12 के नये आधार पर है।

स्रोत : केन्द्र एवं राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट सारणी 6: केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियाँ और संवितरण

(राशि · बिलियन में)

मद	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (सं.अ)	2015-16 (ब.अ)
1	2	3	4	5	6	7
1 कुल संवितरण	**21,451.5**	**24,217.7**	**26,949.3**	**29,759.8**	**35,215.1**	**38,150.9**
1.1 विकासात्मक	12,677.0	14,209.4	15,741.6	16,982.1	20,697.0	21,897.5
1.1.1 राजस्व	10,260.2	11,394.6	12,807.1	13,822.7	16,423.5	16,997.2
1.1.2 पूंजी	1,935.8	2,163.4	2,446.1	2,747.1	3,822.1	4,461.5
1.1.3 ऋण	480.9	651.3	488.4	412.3	451.4	438.8
1.2 अविकासात्मक	8,520.5	9,695.9	10,850.5	12,345.2	13,978.5	15,715.2
1.2.1 राजस्व	7,765.9	8,923.6	9,991.4	11,337.0	12,939.7	14,460.2
1.2.1.1 ब्याज का भुगतान	3,485.6	4,000.0	4,543.1	5,329.3	5,948.6	6,656.9
1.2.2 पूंजी	747.5	754.8	837.1	984.4	1,008.9	1,212.4
1.2.3 ऋण	7.0	17.5	21.9	23.8	29.9	42.6
1.3 अन्य	254.0	312.4	357.2	432.6	539.6	538.2
2 कुल प्राप्तियाँ	**21,535.6**	**24,540.6**	**27,690.3**	**29,767.1**	**34,835.6**	**37,976.2**
2.1 राजस्व प्राप्तियाँ	15,788.2	16,926.8	19,716.2	21,900.7	26,098.5	28,547.3
2.1.1 कर प्राप्तियाँ	12,500.7	14,427.5	16,879.6	18,413.6	20,859.2	23,206.2
2.1.1.1 वस्तुओं और सेवाओं पर कर	7,393.7	8,745.6	10,385.9	11,227.3	12,658.9	14,372.9
2.1.1.2 आय और संपत्ती पर कर	5,087.2	5,654.1	6,462.7	7,155.0	8,165.9	8,797.6
2.1.1.3 संघशासित क्षेत्र के कर (बिना विधायन के)	19.8	27.9	30.9	31.3	34.4	35.8
2.1.2 कर से इतर प्राप्तियाँ	3,287.5	2,499.3	2,836.6	3,487.1	5,239.3	5,341.1
2.1.2.1 ब्याज प्राप्तियाँ	250.8	288.7	355.4	400.4	385.4	347.9
2.2 ऋण से इतर पूंजी प्राप्तियाँ	322.9	441.2	389.2	390.7	438.0	773.4
2.2.1 ऋण और अग्रिम की वसूली	82.1	253.7	129.3	93.5	92.8	77.1
2.2.2 विनिवेश प्राप्तियाँ	240.9	187.5	259.9	297.3	345.2	696.3
3 सकल राजकोषीय घाटा ढ 1 - (2.1 + 2.2) ञ	**5,340.3**	**6,849.7**	**6,844.0**	**7,468.4**	**8,678.6**	**8,830.2**
3क वित्तपोषण के स्रोतः संस्थावार						
3क.1 घरेलू वित्तपोषण	5,104.8	6,725.2	6,771.9	7,395.5	8,581.6	8,718.4
3क.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	3,147.1	3,898.3	3,352.8	3,358.6	-297.5	..
3A.1.1.1 सरकार को आरबीआई का निवल ऋण	1,849.7	1,391.8	548.4	1,081.3	-3,253.0	..
3क.1.2 सरकार को बैंक से इतर ऋण	1,957.7	2,826.9	3,419.1	4,036.9	8,879.1	8,718.4
3क.2 बाह्य वित्त पोषण	235.6	124.5	72.0	72.9	97.1	111.7
3ख वित्तपोषण के स्रोतः लिखतवार						
3ख.1 घरेलू वित्तपोषण	5,104.8	6,725.2	6,771.9	7,395.5	8,581.6	8,718.4
3ख.1.1 बाजार से उधार (निवल)	4,151.7	6,195.1	6,536.9	6,381.3	6,941.4	7,266.6
3ख.1.2 अल्प बचत (निवल)	-545.3	190.9	-85.7	-142.8	-577.7	-327.4
3ख.1.3 राज्य भविष्य निधि (निवल)	362.4	334.3	329.9	306.7	351.3	344.0
3ख.1.4 आरक्षित निधि	35.6	178.5	-4.1	34.6	-127.5	56.5
3ख.1.5 जमाराशि और अग्रिम	342.9	122.1	27.2	255.4	203.9	131.9
3ख.1.6 नकदी शेष	-84.2	-322.9	-741.0	-7.3	379.4	174.8
3ख.1.7 अन्य	841.6	27.2	708.6	567.5	1,410.7	1,072.1
3ख.2 बाह्य वित्तपोषण	235.6	124.5	72.0	72.9	97.1	111.7
4 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल संवितरण	*27.6*	*27.4*	*27.0*	*26.2*	*28.1*	*27.0*
5 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल प्राप्तियाँ	*27.7*	*27.8*	*27.7*	*26.2*	*27.8*	*26.9*
6 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियाँ	*20.3*	*19.2*	*19.7*	*19.3*	*20.8*	*20.2*
7 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कर प्राप्तियाँ	*16.1*	*16.3*	*16.9*	*16.2*	*16.6*	*16.4*
8 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सकल राजकोषीय घाटा	*6.9*	*7.8*	*6.9*	*6.6*	*6.9*	*6.3*

..: उपलब्ध नहीं।

टिप्पणियां: 1. 2013-14 से राज्य के आंकडें अनंतिम है और वे 25 राज्य के बजट पर आधारित है।

2. 2014-15 तथा 2015-16 के जीडीपी आंकडें क्रमशः अनंतिम अनुमान तथा बजट अनुमान पर है ।

स्रोत : केंद्र और राज्य सरकार के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट सारणी 7: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15P
1	2	3	4	5	6
अ. चालू खाता					
1 निर्यात, एफ़.ओ.बी.	256,159	309,774	306,581	318,607	316,741
2 आयात, सी.आई.एफ़.	383,481	499,533	502,237	466,216	460,920
3 व्यापार शेष	-127,322	-189,759	-195,656	-147,609	-144,179
4 अदृश्य मदें, निवल	79,269	111,604	107,493	115,212	116,242
क) गैर कारकन सेवाएं जिसमें से:	44,081	64,098	64,915	72,965	75,683
सॉफ्टवेयर सेवाएं	50,905	60,957	63,504	66,958	70,400
ख) आय	-17,952	-15,988	-21,455	-23,028	-24,983
ग) निजी अंतरण	53,125	63,469	64,342	65,481	66,275
5 चालू खाता शेष	-48,053	-78,155	-88,163	-32,397	-27,937
आ). पूंजी खाता					
1 विदेशी निवेश, निवल (क +ख)	42,127	39,231	46,711	26,386	73,561
क) प्रत्यक्ष निवेश	11,834	22,061	19,819	21,564	32,627
ख) निवेश संविभाग	30,293	17,170	26,891	4,822	40,934
2 बाह्य सहायता, निवल	4,941	2,296	982	1,032	1,630
3 वाणिज्यिक उधारियां, निवल	12,160	10,344	8,485	11,777	2,729
4 अल्पावधि ऋण, निवल	12,034	6,668	21,657	-5,044	-924
5 बैंकिंग पूंजी जिसमें से :	4,962	16,226	16,570	25,449	11,618
अनिवासी जमाराशियाँ, निवल	3,238	11,918	14,842	38,892	14,057
6 रुपया ऋण सेवाएं	-68	-79	-58	-52	-81
7 अन्य पूंजी, निवल @	-12,416	-6,929	-5,047	-10,761	1,426
8 कुल पूंजी खाता	63,740	67,755	89,300	48,787	89,959
इ. भूल-चूक	**-2,636**	**-2,432**	**2,689**	**-882**	**-616**
ई. समग्र शेष [अ(5)+ आ(8)+]	**13,050**	**-12,831**	**3,826**	**15,508**	**61,406**
उ. मौद्रिक गतिविधियाँ (ऊ + ए)	**-13,050**	**12,831**	**-3,826**	**-15,508**	**-61,406**
ऊ. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, निवल	**-13,050**	**12,831**	**-3,826**	**-15,508**	**-61,406**
ए. भंडार और मौद्रिक स्वर्ण (वृद्धि-,कमी+) जिसमें से: एसडीआर आबंटन					
मेमो: जीडीपी अनुपात के अनुसार					
1 व्यापार संतुलन	-7.5	-10.3	-10.7	-7.9	-7.0
2 निवल सेवाएं	2.6	3.5	3.5	3.9	3.7
3 निवल आय	-1.1	-0.9	-1.2	-1.2	-1.2
4 चालू खाता शेष	-2.8	-4.2	-4.8	-1.7	-1.3
5 पूंजी निवल (रिजर्व में परिवर्तन को छोड़कर)	4.5	3.0	5.1	3.4	7.4
6 विदेशी निवेश, निवल	2.5	2.1	2.5	1.4	3.6

अ. :अनंतिम.

@: इसमें देरी से प्राप्त निर्यात रसीदें, आयात के लिए अग्रिम भुगतान, विदेश में धारित निवल निधियां और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्गत प्राप्त अग्रिम के लंबित मामलें।

टिप्पणी : 1. वापस लौटने वाले भारतीयों द्वारा लाये गये सोना तथा चाँदी को आयात के अंतर्गत शामिल किया गया है जिसकी प्रति प्रविष्टि निजी अंतरण प्राप्तियों में की गई है ।

2. निर्यात और आयात के आंकड़े वाणिज्यिक आसूचना और अंक संकलन महानिदेशालय के आंकड़ों से भिन्न हो सकते हैं जिसका कारण कवरेज मूल्यांकन और समय में अंतर होना है ।

परिशिष्ट सारणी 8 : भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह : देश-वार और उद्योग-वार

(अमरीकी मिलियन र)

स्रोत/उद्योग	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 P
1	2	3	4	5	6
कुल एफडीआई	**14,939**	**23,473**	**18,286**	**16,054**	**24,748**
देश-वार अंतर्वाह					
मॉरीशस	5,616	8,142	8,059	3,695	5,878
सिंगापुर	1,540	3,306	1,605	4,415	5,137
यू.एस.ए.	1,071	994	478	617	1,981
साइप्रस	571	1,568	415	546	737
जापान	1,256	2,089	1,340	1,795	2,019
नीदरलैंड्स	1,417	1,289	1,700	1,157	2,154
यूनाइटेड किंगडम	538	2,760	1,022	111	1,891
जर्मनी	163	368	467	650	942
यू.ए.ई. फ्रांस	188	346	173	239	327
स्विट्जरलैंड	486	589	547	229	347
हॉंग कॉंग	133	211	268	356	292
स्पेन	209	262	66	85	325
चीन मलेशिया	183	251	348	181	401
दक्षिणी कोरिया	2	73	148	121	505
लक्जेमबर्ग	40	18	238	113	219
अन्य	136	226	224	189	138
	248	89	34	539	204
	1,142	892	1,154	1,015	1,250
क्षेत्र-वार अंतर्वाह					
विनिर्माण	4,793	9,337	6,528	6,381	9,613
निर्माण	1,599	2,634	1,319	1,276	1,640
वित्तीय सेवाएँ	1,353	2,603	2,760	1,026	3,075
स्थावर-संपदा क्रियाएँ	444	340	197	201	202
विद्युत और अन्य ऊर्जा उत्पादन, वितरण एवं प्रेषण	1,338	1,395	1,653	1,284	1,284
संचार सेवाएँ	1,228	1,458	92	1,256	1,075
व्यापार सेवाएँ	569	1,590	643	521	680
विविध सेवाएँ	509	801	552	941	586
कम्प्यूटर सेवाएँ	843	736	247	934	2,154
रेस्तरां व होटल	218	870	3,129	361	686
फुटकर व थोक व्यापार	391	567	551	1,139	2,551
खनन	592	204	69	24	129
परिवहन	344	410	213	311	482
व्यापार	156	6	140	0	228
शिक्षा, अनुसंधान व विकास	56	103	150	107	131
अन्य	506	419	43	293	232

अ: अनंतिम

टिप्पणी: इसमें केवल एसआईए/एफआईपीबी और आरबीआई मार्ग के जरिए किए गए एफडीआई शामिल हैं।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd December, 2015

S.O. 3248(E).—In pursuance of sub-section (2) of section 53 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Annual Report of the Reserve Bank of India and the Audited Accounts of the said Bank for the year ended 30th June, 2015 are hereby published for general information.

[F.No.14/09/2014.BO.II]

Dr. SHASHANK SAKSENA, Economic Adviser (SS)

ANNEXURE

RESERVE BANK OF INDIA
ANNUAL REPORT 2014-15

Report of the Central Board of Directors on the working of the Reserve Bank of India for the year ended June 30, 2015 submitted to the Central Government in terms of Section 53(2) of the Reserve Bank of India Act, 1934

AAY	- Antyodaya Anna Yojana
ABCI	- Association of Business Communications of India
ACB	- Audit Committee of Board
AD	- Authorised Dealer
ADF	- Asset Development Fund
ADF	- Automated Data Flow
ADR	- American Depository Receipts
AEs	- Advanced Economies
AFA	- Additional Factor of Authentication
AFCs	- Asset Finance Companies
AIFIs	- All India Financial Institutions
AMS	- Audit Management System
ANBC	- Adjusted Net Bank Credit
APL	- Above Poverty Line
APMC	- Agricultural Produce Marketing Committee
APMS	- Asset Price Monitoring System
ARCs	- Asset Restructuring Companies
ARMS	- Audit and Risk Management Sub-Committee
ATBs	- Auction Treasury Bills
ATM	- Automated Teller Machine
BAs	- Business Areas
BBPCU	- Bharat Bill Payment Central Unit
BBPOU	- Bharat Bill Payment Operating Unit
BBPS	- Bharat Bill Payment System
BC	- Business Correspondent
BCBS	- Basel Committee on Banking Supervision
BCM	- Bank for Currency Management
BCM	- Business Continuity Management
BCSBI	- Banking Codes and Standards Board of India
BE	- Budget Estimates
BFS	- Board for Financial Supervision
BIS	- Bank for International Settlements
BLRC	- Bankruptcy Law Reform Committee
BO	- Banking Ombudsman
BoJ	- Bank of Japan
BoP	- Balance of Payments
BPL	- Below Poverty Line
BPLR	- Benchmark Prime Lending Rate
BPR	- Business Process Re-engineering
bps	- Basis Points
BPSS	- Board for Regulation and Supervision of Payment and Settlement Systems
BRBNMPL	- Bharatiya Reserve Bank Note Mudran Private Ltd.
BRICS	- Brazil, Russia, India, China and South Africa
BSBD	- Basic Savings Banking Deposit
BSBDAs	- Basic Savings Bank Deposit Accounts
BSR	- Basic Statistical Return
CAB	- College of Agricultural Banking
CAD	- Current Account Deficit
CAFRAL	- Centre for Advanced Financial Research and Learning
CAMELS	- Capital Adequacy, Asset Quality, Management, Earnings, Liquidity, Systems and Control
CAP	- Corrective Action Plan
CARG	- Compound Annual Rate of Growth
CBLO	- Collateralised Borrowing and Lending Obligation

CBS	- Core Banking Solution
CBSE	- Central Board of Secondary Education
CBSL	- Central Bank of Sri Lanka
CCB	- Committee of the Central Board
CCC	- Central Complaints Committee
CCCB	- Counter-Cyclical Capital Buffer
CCIL	- Clearing Corporation of India Ltd
CCP	- Central Counter Party
CCS	- Credit Condition Survey
CCSO	- Chief Customer Service Officer
CD	- Certificate of Deposit
C-D	- Credit-Deposit
CDR	- Corporate Debt Restructuring
CDS	- Credit Default Swaps
CEOBE	- Credit Equivalent Amount of Off-Balance Sheet Exposure
CEPD	- Consumer Education and Protection Department
CERSAI	- Central Registry of Securitisation Asset Reconstruction and Security Interest of India
CES	- Consumer Expenditure Survey
CFs	- Capital Funds
CGFs	- Committee of Global Financial System
CGRA	- Currency and Gold Revaluation Account
CGTMSE	- Credit Guarantee Trust for Micro and Small Enterprises
CHRS	- Comprehensive Human Resource System
CICs	- Credit Information Companies
CICs	- Core Investment Companies
CIL	- Coal India Limited
CIS	- Collective Investment Schemes
CISO	- Chief Information Security Officer
CIT	- Cash in Transit
CLSS	- Credit Linked Subsidy Scheme
CMBs	- Cash Management Bills
CMD	- Chairman and Managing Director
CODs	- Central Office Departments
CP	- Commercial Paper
CPC	- Cash Processing Centre
CPC	- Cheque Processing Centre
CPI	- Consumer Price Index
CPI-AL	- Consumer Price Index-Agricultural Labourers
CPI-C	- Consumer Price Index - Combined
CPIS	- Co-ordinated Portfolio Investment Survey
CPMI	- Committee on Payments and Market Infrastructure
CRA	- Contingent Reserve Arrangement
CRAR	- Capital to Risk-Weighted Assets Ratio
CRILC	- Central Repository of Information on Large Credits
CRR	- Cash Reserve Ratio
CS	- Currency Swaps
CSBD	- Corporate Strategy and Budget Department
CSF	- Consolidated Sinking Fund
CSO	- Central Statistics Office
CTS	- Cheque Truncation System
CVA	- Credit Valuation Adjustment
CVMs	- Coin Vending Machines
DBIE	- Database on Indian Economy
DBR	- Department of Banking Regulation
DBS	- Department of Banking Supervision

DBT	- Direct Benefit Transfer
DCBR	- Department of Co-operative Bank Regulation
DCBS	- Department of Co-operative Bank Supervision
DCC	- Dynamic Currency Conversion
DCCBs	- District Central Co-operative Banks
DCCO	- Date of Commencement of Commercial Operations
DCM	- Department of Currency Management
DCs	- Data Centres
DCS	- Department of Corporate Services
DEA	- Depositor's Education and Awareness
DEIO	- Department of External Investments and Operations
DEPR	- Department of Economic and Policy Research
DGBA	- Department of Government and Bank Accounts
DGCIS	- Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics
DICGC	- Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation
DIF	- Deposit Insurance Fund
DIMU	- Data and Information Management Unit
DIT	- Department of Information Technology
DNBR	- Department of Non-Banking Regulation
DNBS	- Department of Non-Banking Supervision
DoC	- Date of Commissioning
DoC	- Department of Communication
DOLS	- Dynamic Ordinary Least Square
DPSS	- Department of Payment and Settlement Systems
DRG	- Development Research Group
DRHP	- Draft Red Herring Prospectus
DRTs	- Debt Recovery Tribunals
D-SIBs	- Domestic Systemically Important Banks
DSIM	- Department of Statistics and Information Management
EBT	- Electronic Benefit Transfer
ECA	- Essential Commodities Act
ECB	- European Central Bank
ECB	- External Commercial Borrowing
ECCS	- Express Cheque Clearing System
ECF	- Economic Capital Framework
ECR	- Export Credit Refinance
ECS	- Electronic Clearing Service
EDMS	- Electronic Data Management System
EDPMS	- Export Data Processing and Monitoring System
EKP	- Enterprise Knowledge Portal
email	- Electronic mail
EMDEs	- Emerging Market and Developing Economies
EME	- Emerging Market Economy
EMV	- Europay, Master Card and Visa
EOI	- Expression of Interest
EPC	- Engineering, Procurement and Construction
ERE	- Exchange Rate Elasticity
ERM	- Enterprise-wide Risk Management
ETCD	- Exchange Traded Currency Derivatives
EU	- European Union

EWS - Early Warning System
EXIM Bank - Export Import Bank
FAO - Food and Agriculture Organisation
FAQs - Frequently Asked Questions
FBIL - Financial Benchmarks India Pvt. Ltd
FCA - Foreign Currency Assets
FCCBs - Foreign Currency Convertible Bonds
FCI - Food Corporation of India
FCNR(B) - Foreign Currency Non Resident (Bank) Account
FCRA - Foreign Currency Revaluation Account
FCs - Financial Conglomerates
FCVA - Forward Contracts Valuation Account
FCY - Foreign Currency
FDI - Foreign Direct Investment
FDIC - Federal Deposit Insurance Corporation
FED - Foreign Exchange Department
FEDAI - Foreign Exchange Dealers' Association of India
FEMA - Foreign Exchange Management Act
FI - Financial Institution
FIAC - Financial Inclusion Advisory Committee
FICN - Fake Indian Currency Notes
FIDD - Financial Inclusion and Development Department
FII - Foreign Institutional Investor
FIMMDA - Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India
FIP - Financial Inclusion Plan
FIPB - Foreign Investment Promotion Board
FIT - Flexible Inflation Targeting
FLCs - Financial Literacy Centers
FMCG - Fast-Moving Consumer Goods
FMD - Financial Markets Department
FMIs - Financial Market Infrastructures
FMOD - Financial Markets Operations Department
FMRD - Financial Markets Regulation Department
FOREX - Foreign Exchange
FPAS - Forecasting and Policy Analysis System
FPI - Foreign Portfolio Investment
FPOs - Follow on Public Offers
FRA - Financial Resolution Authority
FRA - Forward Rate Agreement
FRBM Act - Fiscal Responsibility and Budget Management Act
FSAP - Financial Sector Assessment Programme
FSB - Financial Stability Board
FSDC - Financial Stability and Development Council
FSLRC - Financial Sector Legislative Reforms Commission
FSR - Financial Stability Report
FSU - Financial Stability Unit
FSWM - Financially Sound and Well Managed
FTP - Foreign Trade Policy
FVCIs - Foreign Venture Capital Investors
FWG - Framework Working Group
FX - Foreign Exchange
GBP - Great British Pound
GCC - General Credit Card
GDP - Gross Domestic Product
GDR - Global Depository Receipts

GFCE - Gross Final Consumption Expenditure
GFCF - Gross Fixed Capital Formation
GFD - Gross Fiscal Deficit
GIFT - Gujarat International Finance Tech-City
GJRHRS - Golden Jubilee Rural Housing Refinance Scheme
GMM - Generalised Method of Moments
GNDI - Gross National Disposable Income
GoI - Government of India
GRA - Gold Revaluation Account
GRF - Guarantee Redemption Fund
GRQ - General Review of Quotas
GSDP - Gross State Domestic Product
G-Secs - Government Securities
G-SIBs - Global Systemically Important Banks
G-SII - Global Systemically Important Insurer
GST - Goods and Services Tax
GVA - Gross Value Added
GVC - Global Value Chains
HFA - Housing for All
HFCs - Housing Finance Companies
HPI - House Price Index
HQLAs - High Quality Liquid Assets
HRMD - Human Resource Management Department
HTM - Held to Maturity
HUF - Hindu Undivided Family
IADI - International Association of Deposit Insurers
IAERM - Internal Audit and Enterprise Risk Management
IBA - Indian Banks' Association
IBL - Inter-Bank Liabilities
IBS - International Banking Statistics
IBU - IFSC Banking Unit
ICBA - Inter-Central Bank Agreement
ICDR - Issue of Capital and Disclosure Requirements
ICSD - International Central Security Depositories
ICT - Information and Communication Technology
IDFC - Infrastructure Development Finance Company
IDMD - Internal Debt Management Department
IDPMS - Import Data Processing and Monitoring System
IESH - Inflation Expectation Survey of Households
IFC - Indian Financial Code
IFCs - Infrastructure Finance Companies
IFRS - International Financial Reporting Standards
IFSC - International Financial Services Centre
IGIDR - Indira Gandhi Institute of Development Research
IIBM - Indian Institute of Bank Management
IIFC - India Infrastructure Finance Company
IIP - Index of Industrial Production
IIWG - Investment and Infrastructure Working Group
ILO - International Labour Organisation
IMD - India Meteorological Department
IMF - International Monetary Fund
IMPS - Immediate Payment Service

INR	- Indian Rupee
InvITs	- Infrastructure Investment Trusts
IOD	- Indian Ocean Dipole
IORWG	- International Operational Risk Working Group
IOS	- Industrial Outlook Survey
IOSCO	- International Organisation of Securities Commission
IP	- Internet Protocol
IPOs	- Initial Public Offerings
IPv6	- Internet Protocol Version 6
IRA	- Investment Revaluation Account
IRDA	- Insurance Regulatory and Development Authority
IRF	- Inter-Regulatory Forum
IRFs	- Interest Rate Futures
IRS	- Interest Rate Swap
IRS	- Incident Reporting System
IRTG	- Inter-Regulatory Technical Group
IS	- Information System
ISHUP	- Interest Subsidy Scheme for Housing the Urban Poor
ISOC	- Information Security Operations Centre
ISS	- Integrated Security System
IT	- Inflation Targeting
IT	- Information Technology
IT-BPO	- Information Technology-Business Process Outsourcing
ITBs	- Intermediate Treasury Bills
ITF	- Implementation Task Force
IT-PAN	- Income Tax-Permanent Account Number
ITSC	- Information Technology Sub Committee
JLF	- Joint Lenders Forum
JLGs	- Joint Liability Groups
JV	- Joint Venture
KCC	- Kisan Credit Card
KRA	- Key Result Area
KYC	- Know Your Customer
LABs	- Local Area Banks
LAF	- Liquidity Adjustment Facility
LBMA	- London Bullion Market Association
LCR	- Liquidity Coverage Ratio
LE	- Large Exposure
LEI	- Legal Entity Identifier
LLPs	- Liability Partnership Companies
LOBOM	- Lower of Book or Market Value
LOLR	- Lender of Last Resort
LOU	- Local Operating Unit
LPA	- Long Period Average
LPG	- Liquefied Petroleum Gas
LR	- Leverage Ratio
LRS	- Liberalised Remittance Scheme
LSE	- London School of Economics
LTV	- Loan to Value Ratio
M3	- Money Supply
MAT	- Minimum Alternate Tax
MCA	- Ministry of Corporate Affairs
MD	- Managing Director
MDR	- Merchant Discount Rate
MEIS	- Merchandise Exports from India Scheme
MEP	- Minimum Export Price
MFI	- Micro Finance Institution

MGNREGA - Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act
MI - Market Intelligence
MIBOR - Mumbai Interbank Offer Rate
MICR - Magnetic Ink Character Recognition
MIS - Management Information System
MMLR - Market Maker of Last Resort
MMRP - Modified Mixed Reference Period
MMS - Mail Messaging System
MNOs - Mobile Network Operators
MoSPI - Ministry of Statistics and Programme Implementation
MoU - Memorandum of Understanding
MPC - Monetary Policy Committee
MPD - Monetary Policy Department
MPR - Monetary Policy Report
MSEs - Micro and Small Enterprises
MSF - Marginal Standing Facility
MSMEs - Micro, Small and Medium Enterprises
MSPs - Minimum Support Prices
MT - Million Tonnes
MT - Metric Tonne
MTM - Mark to Market
MTSS - Money Transfer Service Scheme
MUDRA - Micro Units Development Refinance Agency
MW - Mega Watt
NAB - New Arrangements to Borrow
NABARD - National Bank for Agriculture and Rural Development
NACH - National Automated Clearing House
NAV - Net Asset Value
NBFC - Non-Banking Financial Company
NBFC-MFI - NBFC-Micro Finance Institution
NBFCs-D - Deposit-taking NBFCs
NBFCs-ND - Non-Deposit taking NBFCs
NBFCs-ND-SI - Systemically Important NBFCs-ND
NBV - Net Book Value
NCBs - Non-Cooperative Borrowers
NCDs - Non-Convertible Debentures
NCERT - National Council of Education Research and Training
NCLT - National Company Law Tribunal
NCM - National Commission for Minorities
NDA - Net Domestic Assets
NDS-OM - Negotiated Dealing System-Order Matching
NDTL - Net Demand and Time Liabilities
NECS - National Electronic Clearing Service
NEFT - National Electronic Funds Transfer
NEM - Northeast Monsoon
NFA - Net Foreign Assets
NFS - National Financial Switch
NHAI - National Highways Authority of India
NHB - National Housing Bank
NIBM - National Institute of Bank Management
NIC - Notes in Circulation
NIIF - National Investment and Infrastructure Fund
NIIP - Net International Investment Position
NIMs - Net Interest Margins
NM3 - New Monetary Aggregate
NOF - Net Owned Fund
NONG - Non-Oil Non-Gold
NPA - Non-Performing Asset

NPCI	- National Payments Corporation of India
NPISH	- Non-Profit Institutions Serving Households
NRIs	- Non-Resident Indians
NRLM	- National Rural Livelihoods Mission
NSDL	- National Securities Depository Limited
NSDP	- Net State Domestic Product
NSFR	- Net Stable Funding Ratio
NSSO	- National Sample Survey Organisation
NULM	- National Urban Livelihoods Mission
NUUP	- National Unified USSD Platform
OBCs	- Other Backward Classes
OBS	- Off-Balance Sheet
OD	- Overdraft
ODI	- Overseas Direct Investment
OECD	- Organisation for Economic Co-operation and Development
OIS	- Overnight Index Swap
OMO	- Open Market Operations
OPEC	- Organisation of Petroleum Exporting Countries
ORM	- Operational Risk Management
OSMOS	- Off-Site Monitoring and Surveillance System
OSS	- Off-Site Surveillance
OTC	- Over-The-Counter
OVD	- Officially Valid Document
PA	- Provisional Accounts
PAN	- Permanent Account Number
PCA	- Prompt Corrective Action
PDMA	- Public Debt Management Agency
PDs	- Primary Dealers
PDS	- Public Distribution System
PFCE	- Private Final Consumption Expenditure
PFCVA	- Provision for Forward Contracts Valuation Account
PFMIs	- Principles for Financial Market Infrastructures
PFMS	- Public Finance Management System
PID	- Protection of Interests of Depositors'
PLF	- Plant Load Factor
PMG	- Project Monitoring Group
PMI	- Purchasing Managers Index
PMJDY	- Pradhan Mantri Jan DhanYojana
PMS	- Performance Management System
POL	- Petroleum, Oil and Lubricants
PoS	- Point of Sale
PPI	- Pre-Paid Payment Instrument
PPP	- Public-Private Partnership
PSBs	- Public Sector Banks
PSL	- Priority Sector Lending
PSLCs	- Priority Sector Lending Certificates
PSS Act	- Payment and Settlement Systems Act
PSUs	- Public Sector Undertakings
PvP	- Payment Versus Payment
QE	- Quantitative Easing
QFI	- Qualified Foreign Investor
QIB	- Qualified Institutional Buyer
QIP	- Qualified Institutional Placement
R&D	- Research and Development
RAF	- Risk Appetite Framework
RBI	- Reserve Bank of India
RBIA	- Risk Based Internal Audit

RBIQ - Reserve Bank of India Quiz

RBIWPS - Reserve Bank Working Paper Series

RBS - Risk Based Supervision

RBSC - Reserve Bank Staff College

RCG - Regional Consultative Group for Asia

RCs - Reconstruction Companies

RD - Revenue Deficit

RDA - Rupee Drawing Arrangement

RECS - Regional Electronic Clearing Service

REITs - Real Estate Investment Trusts

RFCA - Revaluation of Forward Contracts Account

RFPI - Registered Foreign Portfolio Investor

RGS - Risk Governance Structure

RHF - Rural Housing Fund

RIDF - Rural Infrastructure Development Fund

RMD - Risk Monitoring Department

RoA - Return on Assets

ROC - Regulatory Oversight Committee

RoE - Return on Equity

ROs - Regional Offices

RRBs - Regional Rural Banks

RTGS - Real Time Gross Settlement System

RTI Act - Right to Information Act

RWA - Risk Weighted Assets

SAA - Swap Amortisation Account

SAARC - South Asian Association for Regional Cooperation

SARFAESI - Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest

SBIG - Shadow Banking Implementation Group

SBP - State Bank of Pakistan

SC - Securitisation Company

SCAV - Standing Committee on Assessment of Vulnerabilities

SCBs - Scheduled Commercial Banks

SCs - Scheduled Castes

SDF - Special Drawing Facility

SDLs - State Development Loans

SDR - Special Drawing Rights

SDR - Strategic Debt Restructuring

SDS - Step Down Subsidiary

SEBI - Securities and Exchange Board of India

SEIS - Services Exports from India Scheme

SEP - Self-Employment Programme

SEZs - Special Economic Zones

SF - SAARCFINANCE

SFT - Securities Financing Transaction

SGL - Subsidiary General Ledger

SHGs - Self Help Groups

SIA - Secretariat Industrial Assistance

SIBs - Systemically Important Banks

SICA - Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act

SIDBI - Small Industries Development Bank of India

SIOS - Services and Infrastructure Outlook Survey

SJSRY - Swarna Jayanti Shahari Rozgaar Yojana

SLBCs - State Level Bankers' Committees

SLCCs - State Level Coordination Committees

SLR - Statutory Liquidity Ratio

SMA	- Special Mention Accounts
SMC	- Senior Management Committee
SMS	- Short Message Service
SNB	- Swiss National Bank
SPMCIL	- Security Printing and Minting Corporation of India Limited
SRC	- Standing Committee on Supervisory & Regulatory Co-operation
SRs	- Security Receipts
StCBs	- State Co-Operative Banks
STOs	- State Treasury Offices
STP	- Straight-Through-Processing
STs	- Scheduled Tribes
SWM	- Southwest Monsoon
SWMA	- Special Ways and Means Advances
TAC	- Technical Advisory Committee
TACS	- Technical Advisory Committee on Surveys
TAG	- Technical Advisory Group
TC	- Technical Committee
TLAC	- Total Loss-Absorbing Capacity
TOLIC	- Town Official Language Implementation Committee
TR	- Trade Repositories
TReDS	- Trade Receivables Discounting System
UBD	- Urban Banks Department
UCBs	- Urban Co-Operative Banks
UK	- United Kingdom
UMP	- Unconventional Monetary Policy
US	- United States
USD	- US Dollar
USSD	- Unstructured Supplementary Service Data
UT	- Union Territory
VAPT	- Vulnerability Assessment and Penetration Testing
VARs	- Vector Auto-Regressions
VC	- Video Conferencing
VEC	- Vector Error Correction
VIF	- Variance Inflation Factor
WACR	- Weighted Average Call Money Rate
WADR	- Weighted Average Discount Rate
WADTDR	- Weighted Average Domestic Term Deposit Rate
WAEIR	- Weighted Average Effective Interest Rate
WALR	- Weighted Average Lending Rates
WAR	- Weighted Average Rate
WLAs	- White Label ATMs
WMA	- Ways and Means Advances
WOS	- Wholly Owned Subsidiary
WPI	- Wholesale Price Index
WSS	- Weekly Statistical Supplement
XBRL	- eXtensible Business Reporting Language
ZTC	- Zonal Training Centre

GOVERNOR'S OVERVIEW: ANNUAL REPORT, 2014-15

1. The Reserve Bank's Annual Report informs the people of India on what RBI intended to accomplish during the past year and what was actually done. In it, RBI also lays out proposals for the coming year. Our actions are influenced both by the current macroeconomic environment as well as our broad medium-term framework for the development of the financial sector.

Challenges in the Current Macroeconomic Environment

2. Despite the immense efforts in recent years of both the Government and RBI to restore macroeconomic stability to the economy, three areas are still "work in progress" from RBI's perspective. First, economic growth is still below levels that the country is capable of. Second, inflation projections for January 2016 (as of early August 2015) are still at the upper limits of RBI's inflation objective. Third, the willingness of banks to cut base rates – whereby they forego income on existing borrowers in order to attract more new business -is muted; not only does weak corporate investment reduce the volume of new profitable loans, some bank capital positions, weakened by NPAs, may prevent them from lending freely.

3. The short term macroeconomic priorities of the Reserve Bank are therefore clear: focus on bringing down inflation in line with the proposed glide path; work with the Government and banks on speeding up the resolution of distressed projects and cleaning up bank balance sheets; ensure banks have the capital to make provisions, support new lending, and thus pass on future possible rate cuts.

Inflation Objective

4. RBI signed a historic agreement with the Government, wherein RBI's mandate is clearly spelled out in terms of a flexible inflation objective over the medium term. This year, the Finance Minister proposes to lay out, after consultation with RBI, the structure of a monetary policy committee that can be formally and legally entrusted with policy decisions. This is a welcome step forward in building the institutions we need for transparent and independent monetary policy.

5. Turning to liquidity management, RBI has largely moved from windows where banks can get liquidity at fixed prices to auctioning liquidity in the market. The intent is to undertake sufficient operations to keep the weighted average call money rate (purged of off-market transactions effected by co-operative banks) close to the policy rate. In choosing between auctioning short term instruments (such as overnight repos and reverse repos) and long term instruments [such as Open Market Operations (OMOs)] to manage liquidity, the Bank estimates the pace at which it wants to grow its "permanent" assets, consisting of the sum of foreign exchange reserves and government bonds, and decides accordingly.

Stressed Assets and Speedy Resolution

6. In dealing with stressed bank assets, RBI has been focused on getting the underlying real projects back on track. There are a number of impediments here. First, the stigma as well as the provisioning (and the associated fall in profitability) attached to a loan being labelled "non-performing" makes banks eager to avoid the label. In some cases, they ignore the reality that existing loans will have to be written down because of the changed situation since they were sanctioned (which includes extensive delays, cost overruns, and overoptimistic demand projections). Regulatory forbearance, where RBI makes it easy for banks

to "extend and pretend" is not a solution. Since no other stake-holder – such as the promoter, tariff authorities and tax authorities - contributes to resolution, the real project limps along becoming increasingly unviable. Meanwhile, analysts grow increasingly suspicious of bank balance sheets and the growing volume of "restructured" assets. Second, some large promoters take advantage of banker fears about assets turning non-performing to extract unwarranted concessions, without any sacrifice in the value of their stake. The judicial process, despite a variety of creditor-friendly bills like the SARFAESI Act, further tends to hamper the ability of creditors to collect their just dues from influential promoters.

7. To remedy both the paralysis as well as the unfair distribution of losses, RBI has taken a number of actions. First, it has created a database of loans over ₹50 million (the CRILC database), and has advised banks and NBFCs to report regularly on the status of the loans. Early identification of distressed projects offers the best opportunity to put them back on track. So if a loan is identified as more than 60 days overdue, all lenders to the borrower have to come together in a Joint Lending Forum (JLF) to see how the underlying problems can be fixed. The JLF has to follow strict timelines, failing which the project loans' classification has to be downgraded. On the other hand, if the timelines are met, the deterioration in loan classification is halted. Furthermore, by bringing the creditors into one forum, RBI has made it easier for the promoter and the creditors to reach a consensus on actions, even while making it harder for the promoter to play one creditor off against another.

8. Some other regulatory actions are worth noting. RBI ended the forbearance accorded to restructured loans. Henceforth, restructured loans will be classified as non-performing loans. To deal with genuine problems of poor structuring, however, it has allowed bankers to stretch repayment profiles for performing loans to infrastructure and the core sector (the so-called "5/25" rule), provided the project has reached commercial take-off, has a genuinely long commercial life, and the net present value of loans is maintained. RBI is undertaking periodic examination of randomly selected "5/25" deals to ensure they are facilitating genuine adjustment rather than becoming a back- door means of postponing principal payments indefinitely. Also, in cases of restructuring, RBI and SEBI have together allowed banks to write in clauses that allow banks to convert loans to equity in case the project gets stressed again. Not only will such Strategic Debt Restructuring give creditors some upside, in return for reducing the project's debt, it can also give them the control needed to redeploy the asset (say with a more effective promoter).

9. Going forward, RBI has to monitor the efficacy of the various measures put in place to speed up resolution, and take remedial action where necessary. The move by the Government to add to the recapitalisation fund for banks is also welcome, as is the proposal to allocate it taking into account the progress in cleaning up balance sheets and generating healthy growth. RBI will welcome progress in the coming year on the creation of the institutions necessary for resolution such as the new Bankruptcy Code and the Company Law Tribunals that will administer it and the Financial Resolution Authority (for resolving financial institution distress).

Medium Term Challenges

10. A regulatory view, fashionable in the past, was that the pace of regulatory reforms had to be limited by the capacity of our banks, especially our public sector banks (PSBs). The current stress in the banking system suggests that the real economy will not wait for the banking system, and a slow

pace of reform could lead to greater, rather than lower risk residing in the banking system. Financial sector reforms need to move on many fronts.

11. For a country as big and populous as India, reforms cannot be shots in the dark, subjecting the economy to great uncertainty and risk. Wherever possible, we have to move steadily but firmly, ever expanding the scope of reforms while always limiting the uncertainty they create. The Chinese term this 'Crossing the river by feeling the stones'. It is an appropriate metaphor to guide our own reforms.

12. In the financial sector, we need to increase efficiency through greater entry and competition. The most appropriate institutions will prevail when the competitive arena is level, so we have to remove regulatory privileges as well as impediments wherever possible, especially those that are biased towards some form of ownership or some particular institutional form. We need more participation in our financial markets to increase their size, depth, and liquidity. Participation is best enhanced not through subventions and subsidies but by creating supporting frameworks that improve transparency, contract enforcement, and protections for market participants against abusive practices. Technology can be very helpful in reducing the costs of supportive frameworks, and can bring hitherto excluded populations into the financial fold. It is these ideas that guide our medium-term reform strategy. Let me be more specific.

Banking and Other Financial Institutions

13. The banking system is dominated by PSBs. While a number of extraordinary officers have led PSBs over time, recent bank underperformance suggests room for improvement. Following the Nayak Committee Report, the Government has decided to separate the posts of Chairman and Managing Director of these banks, follow a more open search by considering private sector candidates also for a number of these posts, and professionalise the Boards of these banks by inducting professional Board members with the relevant experience. Going forward, the Government intends to set up a Bank Board Bureau (BBB), composed of eminent personalities with integrity and domain experience, to take over the appointments process.

14. RBI has also stepped away from micromanaging the functioning of the PSB Boards through regulations, allowing Boards to determine how they will carry out their responsibilities for strategic planning, risk management, accounting, *etc.* RBI has also liberalised the compensation of private bank Board members, while maintaining some checks, to ensure Board members are properly incentivised.

15. Because PSBs compete in the same market place for talent as do private sector banks and foreign banks, and because skill gaps are increasing at middle management levels because of past hiring freezes, they will be unnecessarily hampered if they are unable to pay appropriate compensation to middle and senior managers, as well as Board members. Of course, higher pay should come with better accountability for performance. Given that many PSBs have higher overall costs than private sector banks performing similar activities, there is some scope for cost rationalisation even while improving the pattern of compensation. At the same time, we should recognise that PSBs undertake public interest activities (like the rollout of accounts under the *Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana*) that are not always fully compensated. Government should endeavour to keep the competitive playing field level by fully compensating banks for activities it wants undertaken in the public interest.

16. A committee under RBI Deputy Governor Shri Gandhi has detailed the ways governance in urban co-operative banks (UCBs) can be improved, including through implementation of the Malegam Committee report. Licensing of new UCBs will follow after the committee's recommendations are evaluated and implemented. The committee has also proposed modalities by which well-functioning co-operatives, including multi-state co-operatives, can convert to joint stock companies.

17. The banking sector will experience a substantial change in the nature of competition as two new universal banks start operations, and a number of payment banks and small finance banks are approved this year for license. Payment banks are expected to offer bank accounts in every corner of the country, facilitating payments and cash transfers through new technologies and physical access points. Small finance banks are expected to channel loans and financial services to small players. The MUDRA Limited will also help in such efforts through refinancing and securitisation services to unincorporated lenders. After reviewing the experience with this first round of licenses, RBI intends to put the licensing process "on tap", with applications being considered as and when they come in.

18. Non-Banking Financial Companies (NBFCs) are an integral and important part of our financial landscape. RBI has endeavoured to streamline regulations across NBFCs, reducing the regulatory burden in case an NBFC is not systemic, does not face retail customers, or does not raise money from the public. It has also harmonised regulations such as NPA norms, capital requirements, provisioning requirements across different types of NBFCs as also between NBFCs and other financial institutions.

Other Regulatory Changes

19. New Basel norms on regulation will require implementation. The Reserve Bank has put out frameworks on the Leverage Ratio, Countercyclical Capital Buffer, Capital for Domestic Systemically Important Banks, the desirable extent of large exposures, and various liquidity ratios. While tailoring the international accords to domestic conditions, the Reserve Bank intends to meet international commitments on schedule.

20. With rapid changes in regulations, we need to go back periodically and revise the entire regulatory handbook. With this in mind, the Reserve Bank plans to come out by January 1, 2016 with thoroughly revised master documents covering different regulatory issues. Each of these master documents is intended to become a complete user-friendly compendium of applicable regulations on a subject. Each will be updated in real time, and will attempt to streamline and simplify regulations where possible.

Supervisory Changes

21. Even as our regulations change, supervision has to keep pace. We are working on improving our collection and dissemination of information, on refining our methods of inspection and analysis, and on enhancing the capabilities of our staff. We will continuously rationalise regulations but will come down hard on non-compliance when detected.

22. More information is being collected and disseminated through the CRILC database of large loans, through a new fraud registry which is being supported with a detailed framework on detecting and dealing with banking frauds, and through a new Early Warning System to track bank stress. Going forward, we plan to integrate all our supervisory data into a seamless database.

23. RBI moved to risk-based supervision of some of our larger banks in 2013. We have

been evaluating our experience and refining our methods, including validating them with the assistance of multilateral agencies. We are also working on systemic risk assessments through our Financial Stability Unit.

24. With changes in technology, cyber security, both at the bank level and at the system level, has become very important. RBI is working on upgrading the capabilities of its inspectors to undertake bank system audit as well as to detect vulnerabilities in them. RBI is also in the process of setting up an IT subsidiary, which will be able to recruit directly from industry, and will give the Reserve Bank better ability to manage and supervise technology.

25. Finally, RBI will help State Level Coordination Committees (SLCCs) become more effective so that they can ferret out unauthorised financial operators before they can misuse public trust. SLCC sub-committees will keep regulators and law-enforcement authorities in constant contact. RBI will help SLCCs develop websites, where the public can get, and give, information about the legitimacy of financial schemes offered by non-bank operators.

Debt Management and Markets

26. RBI has been managing central government and state government debt issuance with a view to reducing risks even while minimising transactions- and financing costs. This means, among other things, articulating a clear medium term debt strategy, spreading issues over different maturities so that there is no bunching of securities, and switching or buying back certain maturing issues. It also means improving liquidity, resilience and depth in the market for government securities by expanding the role of long term players like pension funds and insurance companies, creating more, and predictable, room for Foreign Portfolio Investors, and making it easier for domestic retail investors to participate through their "demat" accounts.

27. In addition to issuing debt on the government's behalf, RBI works closely with the central government and state governments to facilitate the government's electronic payments and receipts, as well as its accounting. Increasingly, through its e-Kuber platform, RBI has been undertaking some functions itself to reduce costs.

28. The Government has announced its intent to move debt management to a separate agency, the PDMA. While the public discourse has sometimes suggested large reductions in government bond yields from setting up an independent PDMA with no conflicts of interest, these stem primarily from such an agency being unable to sell debt to captive government-owned or regulated institutions, thus forcing the government to reduce fiscal deficits. Given the Government has embarked on a fiscal consolidation path, the benefit from such discipline may be small. At any rate, RBI is working closely with the Government in setting up the PDMA.

29. RBI recognises the role of a vibrant financial market in complementing and competing with the banking system in allocating and absorbing risks. Our focus is on improving the variety of products and participants, as well as on reducing the costs of transaction, all the while keeping financial stability in mind.

30. To improve activity in the corporate debt market, RBI has allowed banks to issue long term bonds that will be free of regulatory pre-emptions. It has encouraged the emergence of an international rupee market by allowing multilateral institutions to issue rupee bonds abroad, and will permit Indian corporates to also do so. It is also exploring ways by which banks can enhance corporate bond credit ratings through credit

facilities. Ultimately, though, a robust bankruptcy system is needed for the corporate bond market to really take off. The Government has indicated it will move quickly to put this in place.

31. RBI has encouraged the development of new instruments such as exchange traded interest rate futures. It plans to open the way to interest rate options, a variety of swaps (including a swap execution facility), as well as cross-currency futures and options. Where possible, RBI will be more liberal in allowing a variety of instrument designs and participation when an instrument is initiated, putting greater focus on stability issues once trading picks up.

Currency and Payments

32. Our country still depends on physical currency in many transactions. RBI is constantly seeking to improve the quality of bank notes it issues, even while making sure that notes are available wherever needed. A new series of bank notes are being issued, and we also intend to start a pilot project with plastic/polymer bank notes. We have also examined the logistics of currency distribution and we intend to make significant changes in our current model, with a greater focus on incentivising banks to take over storage and distribution of currency. Moreover, we will emphasise the decentralised return of coins (into coin machines and through coin collection programs) and notes (through ATMs that accept cash and re-circulate it).

33. It is a reality that cash use will fall off over time, lowering transactions costs and reducing the role of black money. RBI is working with the Government to incentivise electronic payments. New institutions, such as the Bharat Bill Payment System, and new technologies, especially through mobile phones, will emerge that will facilitate such payments. While RBI recognises the need for regulatory adaptation, and will work with stakeholders to achieve that, it will not brook the violation of existing regulations simply because a user thinks they are outdated. For instance, after asking an operator to cease violating rules on small value payments, RBI has permitted issuers to dispense with two factor authentication for small value payments, provided some safeguards are in place. Over time, RBI believes mobile- and Internet-based payments will explode, and is working with the financial sector to facilitate them.

Financial Inclusion

34. The *Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana* has created a base of accounts for much of the population. Government has taken the next step of attaching a variety of financial services such as accident and life insurance to these accounts, and sending Direct Benefits such as scholarships, pensions, and subsidies to these accounts. We also have to ease access to bank accounts through Business Correspondents, payment banks, and point-of-sales machines so that they are used frequently. Easy payments, access to cash-in and cash-out facilities, and widespread availability of safe savings instruments have to be our next objectives in financial inclusion of households.

35. We also need to ease lending to small producers, whether they are farmers, Self Help Groups, or businesses. For this, we need to improve the structure and working of credit information bureaus, collateral registries, and debt recovery tribunals – ironically, credit flows easily only when the lender is persuaded that he will get his money back, so easier access to credit necessitates closer attention to default prevention mechanism. Perhaps the most important source of collateral value is land. We need better digital mapping and clean records of land ownership across the country so that it can be used more effectively as collateral.

36. New institutions like the Trade Receivables Discounting System (where small firms can post their receivables from large firms for sale) and Small Finance Banks are being set up to facilitate credit flow to small firms. The MUDRA Limited is also likely to propose innovative new ways of channelling flows to small producers.

37. Priority sector in India pertains to those sectors of the economy which, though viable and creditworthy, may not get timely and adequate credit in the absence of any special dispensation. Typically, these are small value loans to farmers for agriculture and allied activities, micro and small enterprises, poor people for housing, students for education and other low income groups and weaker sections. In the context of India, such sectors are spread across the length and breadth of the country and especially prevalent in the hilly and coastal regions.

38. Priority sector activities have to be carried out by banks as part of their normal business operations and, therefore, banks are expected not to view this as a Corporate Social Responsibility. On the part of the Reserve Bank, one important facilitation in this regard has been that pricing of all credit has been made free, though with the expectation that pricing should not be exploitative. Priority sector efforts will not be successful unless market players are willing to take risks by innovating structures, products and processes.

39. RBI revamped priority sector guidelines so as to reemphasise lending to excluded or nationally important sectors in a changing economy. In particular, it set new targets of 8 per cent of Adjusted Net Bank Credit to small and marginal farmers and 7.5 per cent for micro enterprises, while allowing medium-sized firms, social infrastructure such as toilets, and renewable energy investments to qualify for priority sector credit.

40. Financial inclusion also means greater consumer protection for the newly included and typically unsophisticated customers, an easily-accessed and speedy grievance redressal process, and expanded efforts on financial literacy. Following public consultation, RBI has developed a Charter of Consumer Rights. Bank boards have been asked to put in place frameworks that ensure those rights are protected. After those frameworks have been in operation for some time, RBI will take a view on best practices, and needed regulation, if any. In the meantime, field visits by RBI, to check mis-selling as well as proper functioning of bank infrastructure such as branches and ATMs, will be expanded.

41. RBI is reviewing its Banking Ombudsman system to see how it can be extended to non-banks and how it can be more effective in rural areas. Each bank has also been asked to set up an internal Ombudsman system, which will examine the bank's grievance cases to see if resolution is possible before it is escalated to RBI's ombudsman system.

42. Financial literacy, whether through courses in schools, through literacy camps organised by banks and RBI, or through newspaper or social media campaigns, is extremely important. All too often, unscrupulous operators have discovered that greed trumps education – even the sophisticated fail to apply the maxim that if it is too good to be true, it probably is… Nevertheless, it is our duty to try and educate our public and we have to be better than the unscrupulous at exploiting new technologies, including mass and social media, to reach them. RBI intends to increase its focus on such campaigns significantly.

RBI's Organisational Changes and Human Resources Development

43. To respond to its changing responsibilities, especially the need for more specialisation, the

Reserve Bank created some new departments, merged others, and reorganised all into 5 clusters: 1) Monetary Policy and Research; 2) Regulation and Risk Management; 3) Supervision and Inclusion; 4) Financial Markets and Infrastructure; and 5) Human Resources and Operations. The restructuring was carried out this year.

44. Henceforth, most officers will be recruited through a revamped common entrance exam (starting 2015), given an overall view of the Bank during initial training, and then encouraged to specialise in a couple of clusters in their early years. To encourage specialisation, the Bank will also consider promoting some particularly capable employees in situ. For most employees, however, as they become more senior, skill building will shift from acquiring technical skills to acquiring managerial skills. At very senior levels, these officers will again be posted freely between clusters.

45. The Bank intends to make more postings based on the Bank's needs and the staff member's specialisation interests. This also means that we have to help staff assess their own aptitude through an Assessment Centre and help them identify their strengths and weaknesses through a more discriminating Performance Evaluation System. We also must identify the needs of various jobs through careful job profiling. Staff members have to be given the training support, including through scholarships, to build necessary skills as well as to remedy identified gaps. We plan to set up an RBI Academy to offer higher-order skills to RBI staff and bank officials. And staff members who consistently perform well should also be rewarded with more challenging assignments. All this will require substantial effort in the area of Human Resource Development, but is absolutely necessary.

Conclusion

46. RBI is an efficient organisation, which has steadily reduced its employee count from 35,500 in 1981 to 16,700 today, even while performing ever increasing quantities of work. The surplus it generated from its activities this year is ₹659 billion, which has been paid out entirely to the Government. There is, of course, always scope for improvement. For example, to ensure that we meet our commitment to the public, we have put out on our website timelines within which the public can expect responses to applications made to RBI. We will monitor those timelines to ensure our staff delivers as promised.

47. A key factor in RBI's success has been a satisfied staff. In the past, RBI used to have no problem attracting junior officers, losing only an occasional officer who was successful in the IAS exam. Today, we lose more than we should be comfortable with. This is why a revamp of the professional challenges we offer our staff is very much needed, and we hope the changes outlined earlier will help us become a more attractive employer. In this regard, our review of compensation, as well as the long-pending improvement in pensions for our retirees also assume importance.

48. Let me end by thanking all my 16,700 colleagues for their work in the past year and challenging them, in the 81st year of this great institution, to do even better so that the Reserve Bank of India continues to help the nation secure prosperity and economic opportunity for all for many years to come.

*For the Year July 1, 2014 to June 30, 2015**

PART ONE: THE ECONOMY - REVIEW AND PROSPECTS

I ASSESSMENT AND PROSPECTS

I.1 Over the year gone by, the Indian economy remained resilient in a global environment characterised by falling macroeconomic risks but rising financial stability risks. While a modest recovery is tentatively gaining foothold in advanced economies, activity slowed across a broad swathe of emerging economies as commodity prices fell, financing conditions tightened and structural constraints started building. India is a notable exception. Globally, financial risks increased as investors reached for yields, expecting US monetary policy to normalise more slowly. Incipient threats to financial stability were also evident in rising corporate indebtedness in both advanced and emerging economies, stretched asset valuations in some sectors, marked increase in exchange rate volatility and the debt crisis in Greece in the closing months of 2014-15. Spillovers from these external shocks impacted various segments of the financial markets in India, asset prices and capital flows, although the latter remained by and large buoyant.

I.2 Even as banking sector risks remained elevated domestically, the macroeconomic fundamentals of the Indian economy improved gradually over the year, anchored by some easing of inflation and continuing fiscal consolidation. Notwithstanding deterioration in export performance brought on, *inter alia*, by weak external market conditions, the current account deficit narrowed in 2014-15 from its level a year ago on terms of trade gains and weak import demand. With fiscal consolidation firmly underway and with buoyant business optimism, the stage is now set for unshackling stalled investments and for boosting new capital spending in order to accelerate the pace of growth. Drawing on the experience of 2014-15, it is now time to implement an agenda to take the economy to higher growth in 2015-16 and over the medium-term. Concomitantly, recent gains in reducing inflation pressures need to be built upon so that disinflation continues along with higher growth. Importantly, resolute actions are needed to ease stress in financial assets, mitigate/resolve debt burdens so that stranded assets are put back to work quickly wherever feasible and capital buffers are built to enable financial intermediaries to provide adequate flow of credit to productive sectors.

ASSESSMENT: 2014-15

I.3 While the pick-up in the growth of GDP at market prices in 2014-15 was largely sustained by private consumption, the decline in the

* While the Reserve Bank of India's accounting year is July-June, data on a number of variables are available on a financial year basis, *i.e.*, April-March, and hence, the data are analysed on the basis of the financial year. Where available, the data have been updated beyond March 2015. For the purpose of analysis and for providing proper perspective on policies, reference to past years as also prospective periods, wherever necessary, has been made in this Report.

rates of saving and investment for the second consecutive year to 2013-14 emerged as a matter of concern. The improvement in the financial saving of households and the expected decline in government dissaving in 2014-15 should work towards releasing the financing constraints on investment, especially when seen in conjunction with the step-up in capital goods production in the latter half of 2014-15.

I.4 On the production side, the weather-induced slowdown in agriculture impacted rural demand and also necessitated policy interventions to manage food price pressures. In the industrial sector, a turnaround in manufacturing in the latter half of the year was essentially driven by upbeat business sentiment, some unclogging of stalled projects and a robust improvement in electricity generation and coal production in the closing months. A durable upturn in new capex, capacity utilisation and new orders – both domestic and foreign – holds the key to a sustained revival of industrial activity. In the services sector, only a few sub-sectors, such as finance, real estate and construction, grew at a higher pace.

I.5 From June 2014, inflation declined faster than initially anticipated. A combination of favourable factors such as the collapse of international commodity prices, particularly of crude, and loss of pricing power among corporates due to weakening demand as well as pro-active supply management and deregulation of key fuel prices worked in alignment with a disinflationary monetary policy stance that was set from September 2013. Accordingly, inflation expectations eased to single digit for the first time since September 2009 and wage pressures moderated.

I.6 A significant factor influencing the evolution of monetary conditions during 2014-15 was the large surge in capital inflows, which necessitated active and nimble liquidity management operations to sterilise flows in accord with the stance of monetary policy. Still sluggish demand, receding inflation and risk aversion stemming from stress in financial assets restrained bank credit growth and also incentivised substitution of bank lending to take advantage of competitive pricing conditions.

I.7 The revised liquidity management framework introduced in September 2014, and in particular intra-day fine-tuning operations, improved, over time, the alignment of money market rates with the policy repo rate. Notably, large spikes in rates hitherto associated with advance tax payments and balance sheet closure were muted. Gilt yields declined, reflecting the improvement in macro-fundamentals. In the foreign exchange market, two-way movements were associated with lower volatility. Stock markets rallied strongly throughout the year on buoyant investor optimism, both foreign and domestic, stretching valuations before some correction in the closing months of the year.

I.8 While the committed path of fiscal consolidation was adhered to by the central government for the third year in succession, slack revenue mobilisation – particularly through disinvestment – necessitated cutbacks in productive capital expenditure towards the end of the year. This highlights the need for more realistic assessment of revenue targets and expenditure allocations. Furthermore, states need to remain committed to fiscal consolidation.

I.9 The contraction in merchandise exports since December 2014 emerged as an area of concern, sapping aggregate demand and increasing external vulnerability, notwithstanding terms of trade gains and a large saving on POL imports helped contain the current account deficit. Buoyant capital inflows in excess of the external financing requirement raised international reserves to an all-time high by the end of the year.

PROSPECTS: 2015-16

I.10 Turning to 2015-16, the outlook for the global economy has been adversely impacted by the contraction in output in North America in the first quarter of 2015. In the second and third quarters, there are indications of demand picking up in advanced economies; however, the continuing slowdown in emerging economies holds back a fuller global recovery. At the same time, with hardening bond yields and risk premia, emerging economies are contending with volatile currency movements and capital flows.Going forward, these factors could pose risks to the global recovery. Accordingly, the IMF has pared its forecast for global growth in 2015 to 3.3 per cent in itsJuly update, marginally lower than i2014.

I.11 For the Indian economy, the outlook for growth is improving gradually. Business confidence remains robust, and as the initiatives announced in the Union Budget to boost investment in infrastructure roll out, they should crowd in private investment and revive consumer sentiment, especially as inflation ebbs. While the progress of the monsoon has allayed initial fears of moisture shortfall, uncertainty surrounding the progress and distribution of the monsoon remains a risk to the outlook for both growth and inflation. Comprehensive and pre-emptive food management strategies need to be put in place to contain these spillovers. In the first four months of 2015-16, indicators of real activity have broadly tracked the Reserve Bank's baseline projection of output growth (at basic prices) at 7.6 per cent for the year as a whole, up from 7.2 per cent in 2014-15.

I.12 Taking into account initial conditions, including the prospects for the monsoon and for international crude prices, the Reserve Bank projected in April 2015 a baseline path for inflation in 2015-16 in which it would be pulled down from current levels by base effects till August but is expected to start rising thereafter to below 6.0 per cent by January 2016. So far, inflation outcomes have closely tracked these projections. The risks to this trajectory are balanced as the weather- related uncertainties are offset by falling crude prices. Inflation developments will warrant close and continuous monitoring as part of the overall disinflation strategy that requires inflation to be brought down to 5 per cent by January 2017.

I.13 As regards fiscal policy, the Government's resolve on fiscal consolidation should propel efforts to reach the target for the gross fiscal deficit for 2015-16 at 3.9 per cent of GDP. In the early months of the year, indirect tax collections have been robust and set to achieve budget estimates, though contingent upon a recovery in manufacturing and services. Furthermore, plans for disinvestment need to be front-loaded to take advantage of supportive market conditions, and also to forestall cutbacks in capital expenditure to meet deficit targets. Such cut backs compromise the quality of fiscal consolidation. States need to take advantage of the greater fiscal autonomy stemming from higher devolutions and prioritise capital and developmental expenditure so that the quality of sub-national fiscal correction is maintained.

I.14 In the external sector, merchandise exports have contracted through the first four months of 2015-16, rendering the economy vulnerable to external shocks. Imports have remained subdued, primarily reflecting softening of crude and gold prices. Non-oil non-gold imports have also moderated due to muted domestic activity. Over the rest of the year, some savings may accrue on account of POL and bullion imports; on the other hand, the gradual pick-up in activity anticipated over the rest of the year may revive non-oil non-

gold import demand. Remittances from Indians working abroad have weathered the slowdown in global growth and should continue to lend support to the balance of payments. Along with a surplus expected on trade in services as in the past, from software exports and travel earnings, the current account deficit for the year as a whole should be contained below 1.5 per cent of GDP. The outlook for capital flows is highly uncertain, with the widely anticipated normalisation of US monetary policy later in 2015 expected to generate capital outflows from emerging markets and also to harden financing conditions as bond yields rise. In this context, the level of reserves at over US$ 350 billion and equivalent of about nine months of imports should provide a buffer and smooth out normal import and debt servicing requirements over the year.

I.15 Key to the realisation of these expectations is a durable pick up in investment, supported by sustained efforts to alleviate supply constraints. The proposal to introduce a Comprehensive Bankruptcy Code of global standards by 2015-16 and replacement of the existing multiple prior permission procedure for investments by a pre-existing regulatory mechanism is expected to improve the business environment in India. Easing the doing of business has now become a widely cited constraint on the revitalisation of manufacturing. Areas that require significant changes include legal and regulatory environment, labour market reforms, tax regime and administrative environment.

I.16 Gaps in distribution networks and deteriorating financials of power discoms need to be addressed expeditiously for demand to keep pace with the ongoing easing of supply constraints. Focusing on renewable and clean sources of energy should be accompanied by conservation of energy as a medium-term strategy.

I.17 Expansion of the avenues for gainful employment opportunities is vital for efforts to harness the demographic dividend. This calls for careful identification of skill gaps, providing vocational and technical training, and building of new skills. The National Mission for Skill Development which aims at consolidating skill building initiatives spread across several ministries, is relevant in this context. As self-employment holds out greater employment opportunities, the SETU (Self Employment and Talent Utilisation) initiative for supporting all aspects of start-up business and other self-employment activities is crucial. Other initiatives like Digital India and Make in India will also help to enhance the employment potential.

II ECONOMIC REVIEW

The macroeconomic environment in 2014-15 was marked by a modest pick-up in activity amidst building internal and external stability, against the backdrop of a tepid and multi-speed global recovery across regions. Going forward, the economy needs to grapple with significant challenges in the path towards realising its potential and sustaining the growth process. Importantly, structural constraints to growth and asset quality concerns need to be addressed sooner than later.

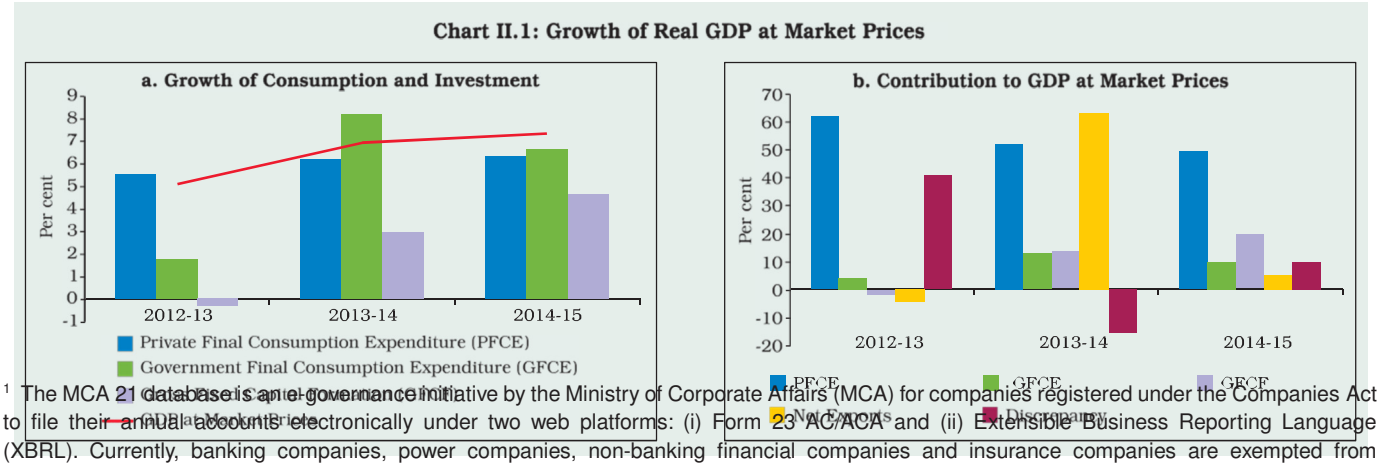
II.1 THE REAL ECONOMY

II.1.1 In January 2015, the Central Statistics Office (CSO) released a new series on India's national accounts. The distinguishing features of the new series are: (i) updating the base year from 2004-05 to 2011-12; (ii) improved coverage of corporate activity by (a) using the MCA 21 database[1] of the Ministry of Corporate Affairs, (b)

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र

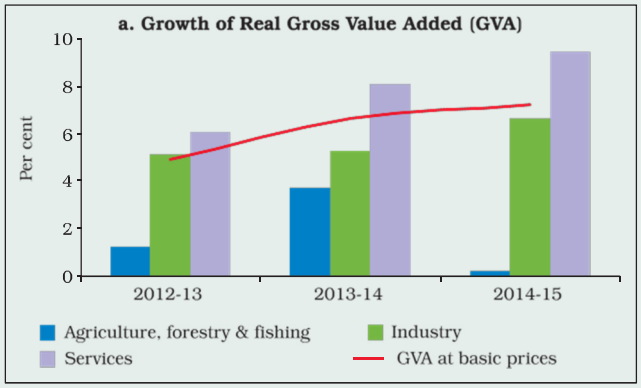
employing value-based indicators such as sales tax collections in conjunction with volume-based indicators such as industrial production, and (c) use of results from the latest surveys, including on activity in the unorganised sector; and (iii) methodological changes such as shifting from the 'establishment' to the 'enterprise' approach for estimating value added in mining and manufacturing. In line with international practices, GDP at market prices will henceforth be the headline measure for output. Gross value added (GVA) at basic prices will measure activity from the supply side instead of GDP at factor cost. In terms of the new series, real activity (at market prices) picked up in 2014-15, rising by 7.3 per cent on top of a growth of 6.9 per cent in 2013-14 (Chart II.1). The firming up of growth during 2014-15 was driven mainly by private consumption and supported by fixed investment, even as government consumption and net exports slackened considerably.

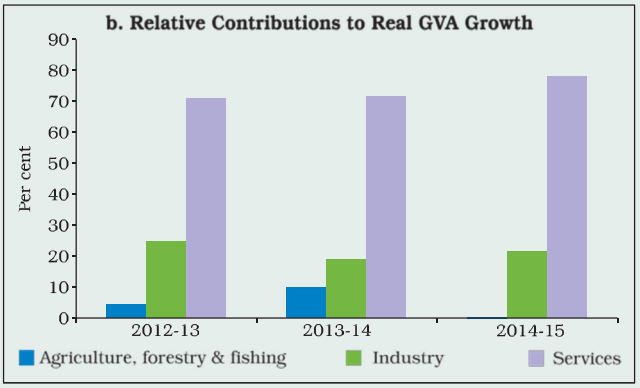
Chart II.1: Growth of Real GDP at Market Prices



[1] The MCA 21 database is an e-governance initiative by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) for companies registered under the Companies Act to file their annual accounts electronically under two web platforms: (i) Form 23 AC/ACA and (ii) Extensible Business Reporting Language (XBRL). Currently, banking companies, power companies, non-banking financial companies and insurance companies are exempted from compulsory XBRL filing. For the new series (base: 2011-12), the CSO has incorporated the accounts of about 5 lakh companies for 2011-12 and 2012-13, and around 3 lakh common companies for 2013-14. The database also covers limited liability partnership companies (LLPs) registered with MCA under the LLP Act, 2008.

Chart II.2: Growth in Real GVA at Basic Prices





II.1.2 From the supply side, the quickening of activity in 2014-15 was largely led by industry and services (Chart II.2). Within industry, higher growth was observed in manufacturing and electricity generation. The share of manufacturing was augmented by trading activity of constituent entities which formed part of services in the old series. In the services sector, 'financial, real estate, and professional services' as well as construction were the primary drivers. On the other hand, the agriculture sector lost momentum, adversely impacted by the deficient southwest monsoon (SWM) which affected *kharif* sowing and by unseasonal rains and hailstorms at the time of *rabi* harvesting.

II.1.3 Thus, in terms of the new series, India emerged among the fastest growing economies in the world, notwithstanding the still sluggish global economy which dragged down the contribution of net exports to growth in 2014-15.

Saving and Investment

II.1.4 In 2013-14, the gross domestic saving rate declined for the second consecutive year to 30 per cent of gross national disposable income (GNDI) (Table II.1) This largely reflected the reduction in the saving rate of households on account of a decline in physical assets as well as in valuables. On the other hand, household financial saving gained from returns turning attractive with the

Table II.1: Gross Saving (As a ratio of GNDI)

(Per cent)

Item		2011-12	2012-13	2013-14
1		2	3	4
1	**Gross Savings**	**33.0**	**31.1**	**30.0**
	1.1 Non-financial Corporations	**9.7**	**9.6**	**10.3**
	1.1.1 Public non-financial corporations	1.4	1.2	1.0
	1.1.2 Private non-financial corporations	8.3	8.4	9.3
	1.2 Financial Corporations	**2.9**	**3.1**	**2.8**
	1.2.1 Public financial corporations	1.8	1.7	1.5
	1.2.2 Private financial corporations	1.1	1.4	1.3
	1.3 General Government	**-1.8**	**-1.3**	**-1.0**
	1.4 Household sector	**22.2**	**19.7**	**17.8**
	1.4.1 Net financial saving	7.1	6.8*	7.1*
	1.4.2 Saving in physical assets	14.8	12.6	10.4
	1.4.3 Saving in the form of valuables	0.4	0.4	0.3

Note: Net financial saving of the household sector is obtained as the difference between change in financial assets and change in financial liabilities.
Source: Central Statistics Office.
*: As per Reserve Bank's latest estimates, household financial saving for 2012-13 and 2013-14 are 7.0 per cent and 7.3 per cent, respectively, of GNDI.

moderation in inflation as well as the pick-up in economic activity. For 2014-15, CSO has not yet released its estimates of gross saving. However, in terms of the Reserve Bank's preliminary estimates, household financial saving is placed at 7.5 per cent of GNDI in 2014-15, up from 7.3 per cent in 2013-14.

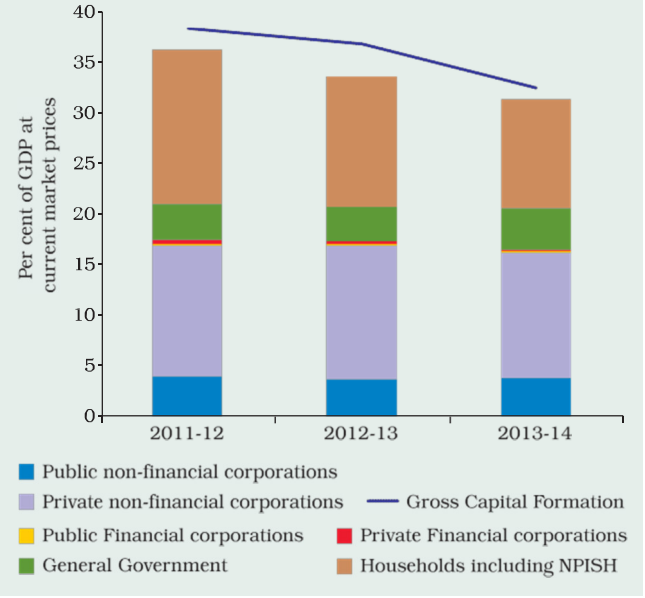
II.1.5 As regards the saving rate of the private corporate sector, non-financial corporations posted a near-steady improvement since 2011-12, *i.e.*, since the new series is available, but it appears that this increase may not have sustained in 2014-15. Private financial corporations, on the other hand, underwent some erosion in saving rates in 2013-14, partly reflecting the slowdown in the growth of operating profits of private sector banks. Available indicators suggest that this has been recouped in 2014-15.

II.1.6 The ongoing reduction in 'dissaving' of the general government boosted the gross national saving rate in 2013-14. With the perseverance of fiscal consolidation, especially by the centre, the decline in the dissaving of the government sector has likely continued into 2014-15. There was, however, a decline in the saving rate of the public financial (including public sector banks) and non-financial corporations in 2013-14. In case of public sector banks, there was a decline in profit after tax during 2014-15.

II.1.7 The investment rate (gross capital formation as a proportion to GDP at current market prices) declined in 2012-13 and 2013-14, largely reflecting the slackening in the non-financial corporations' investment rate on account of weak domestic and external demand and other structural factors such as delay in land acquisition and environment clearances, weak business confidence and policy uncertainties. The household sector's Investment rate also declined in 2012-13 and 2013-14. The improvement in general government investment in 2013-14 did, however, provide some offset (Chart II.3).

II.1.8 Viewed in conjunction with other indicators of investment activity such as stalled projects,

Chart II.3: Gross Capital Formation Rate



capital goods imports/production and capex spending, the decline in the private investment intention appears to have become more pronounced in 2014-15 relative to the preceding year. As per the Reserve Bank's data on new projects which were sanctioned financial assistance by banks/financial institutions (FIs) or funded through external commercial borrowings (ECBs)/foreign currency convertible bonds (FCCBs)/domestic capital market issuance, investment intentions for such projects aggregated to ₹1,459 billion during 2014-15 as against ₹2,081 billion in the previous year. A turnaround in the investment demand cycle, therefore, assumes critical importance to steer the economy on to a sustainable high growth trajectory. The recent experience suggests that a strong step-up in public investment may be required to dispel the inertia constraining private investment and to crowd it in, given the robust business sentiment. Key to this effort will be putting stranded investments in stalled projects back to work while ensuring the availability of key inputs such as power, land (especially for roads) and skilled labour. Steadfast implementation of structural reforms like the goods and services tax (GST) is also required to reinvigorate productivity and competitiveness.

Agriculture

II.1.9 The vagaries of the monsoon were in full play during 2014-15. The likelihood of *El Nino* emerging, was initially placed high, but it eventually did not materialise. Nevertheless, delay, deficiency, and unevenness in rainfall during the SWM season led to a decline in the production of most *kharif* crops. The deficient SWM did not replenish soil moisture adequately and, in addition, the northeast monsoon (NEM) also turned deficient. With the production of most *rabi* crops estimated lower, the initial hope that a good *rabi* harvest could make up for the *kharif* losses was belied. At the end of the seasons, the SWM turned 12 per cent below the long period average (LPA) and the NEM 33 per cent below the LPA. In addition to under-replenishment of reservoirs and intermittent dry halts, a bigger blow to *rabi* crops, mainly to wheat, came in the form of unseasonal rainfall and hailstorms during late February and early March 2015. As per the fourth advance estimates of the Ministry of Agriculture released on August 17, 2015, the total foodgrains production declined by 4.6 per cent. Similarly, the production of oilseeds and cotton declined by 18.5 per cent and 1.2 per cent respectively, though that of sugarcane increased by 2.0 per cent. The impact of a decline in the volume of foodgrains production to 252.7 million tonnes from 265.0 million tonnes a year ago may, however, be mitigated by the availability of food stock buffers of 55.6 million tonnes (end-July 2015), which is much higher than the buffer norm which varies between 21.0-41.1 million tonnes.

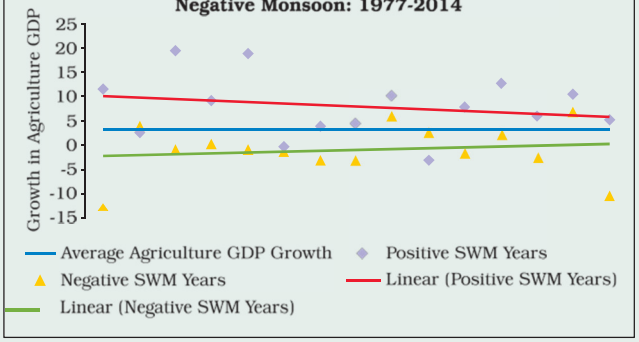
II.1.10 For the 2015 SWM season, the India Meteorological Department (IMD) has forecast precipitation at 88 per cent of the LPA in June 2015, and retained the same forecast in August 2015 with a higher likelihood of *El Nino* effect intensifying during the season[2]. Though delayed in arrival, the rainfall was in excess in June barring the last week when a dry spell set in and continued till mid-July, limiting the season's precipitation to 9 per cent below LPA so far (August 19, 2015). Better rainfall in June augmented sowing under most *kharif* crops *vis-à-vis* last year. In view of these developments, the prospects of *kharif* harvest 2015 could be expected better notwithstanding the persisting risks to supply shortfalls and likely inflation pressures given the unpredictability of SWM during the remaining part of the season, alongside the need for reappraisal of the degree of weather proofing of Indian agriculture in the context of monsoon vagaries (Box II.1).

Box II.1
How Monsoon Proof is Indian Agriculture?

Historically, agricultural failures in India have often been associated with deficient south west monsoons (SWM). The SWM which constitutes 75-80 per cent of total rainfall received in India, coincides with *kharif* sowing and is vital for replenishment of ground water, soil moisture and reservoirs and thus crucial for a good *rabi* harvest as well. Visual observation of trend growth rates of agriculture seems to suggest resilience at least in some bad monsoon years (Chart 1).

Empirical analysis of positive and negative SWM shocks suggests that during 1988-2012, the impact of variations in SWM is statistically significant for agricultural output, but it is

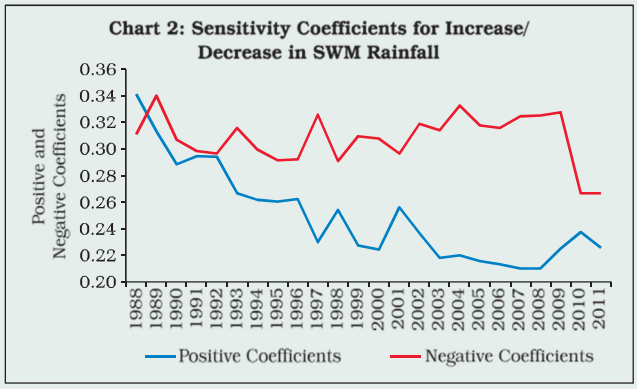
Chart 1: Agriculture GDP Response to Positive and Negative Monsoon: 1977-2014



contd.

[2] In July 2015, Skymet, a weather monitoring and agri-risk solutions company revised its forecast of the SWM rainfall to 98 per cent of LPA (error margin of +/-4%) from 102 per cent of LPA (error margin of +/-4%), forecast in March 2015.

much less than that of variations in net sown area (Chart 2). The absence of multicollinearity between rainfall and sown area is validated by variance inflation factor (VIF).



Clearly, Indian agriculture is yet to become fully weather proof and public policy interventions to insulate crop production from monsoon shocks is an imperative. Saturation of land use and exhaustion of economies of scale can be halted by multi-pronged strategies covering, *inter alia*, credit, capital and machinery, technology, research and development, use of improved and hybrid seeds, irrigation and water management, and land reclamation including in arid and semi-arid areas while more vigorously pursuing the scheme of extending the green revolution in the east. A diversified approach to agricultural development with emphasis on livestock, fishery, forestry and logging will also buffer agricultural output from SWM variations, provided it is pursued in the overall context of food and nutritional security.

Contingency plans put in place during 2009-10 in the face of a 22 per cent shortfall in SWM warrant careful consideration for replication. The provision of quality and short duration seeds, agricultural inputs, an active *rabi* campaign and an action plan for the next cropping season, media telecasting and awareness campaigns, enhanced availability of funds under centrally sponsored programmes, and additional diesel subsidy for irrigation served well, bringing home the point that the impact of adverse monsoon shocks can be ameliorated by pro-active policy measures.

References:

Aggarwal P.K. *et al.* (2009), 'Vulnerability of Indian Agriculture to Climate Change: Current State of Knowledge' available at http://www.moef.nic.in

RBI Bulletin (2015), 'Monsoon and Indian Agriculture – Conjoined or Decoupled?', May.

Industry

II.1.11 Industrial production turned around from the contraction recorded in 2013-14 and posted a growth of 2.8 per cent during 2014-15. The production of consumer durables continued to shrink as in the previous year, especially telephone instruments, including mobile phones which was due to the one-off closure of Nokia's manufacturing unit in Chennai in November 2014. Excluding this category, industrial production would have risen by 5.3 per cent during 2014-15 (Chart II.4).

II.1.12 Higher production of basic metals, electricity and capital goods drove up the index of industrial production (IIP) growth during 2014-15. In terms of the use-based classification, the production of basic and capital goods accelerated, while that of intermediate goods decelerated and the output of consumer goods contracted (Table II.2).

II.1.13 Mining activity recovered during 2014-15 from a three-year slump, buoyed by a sharp increase

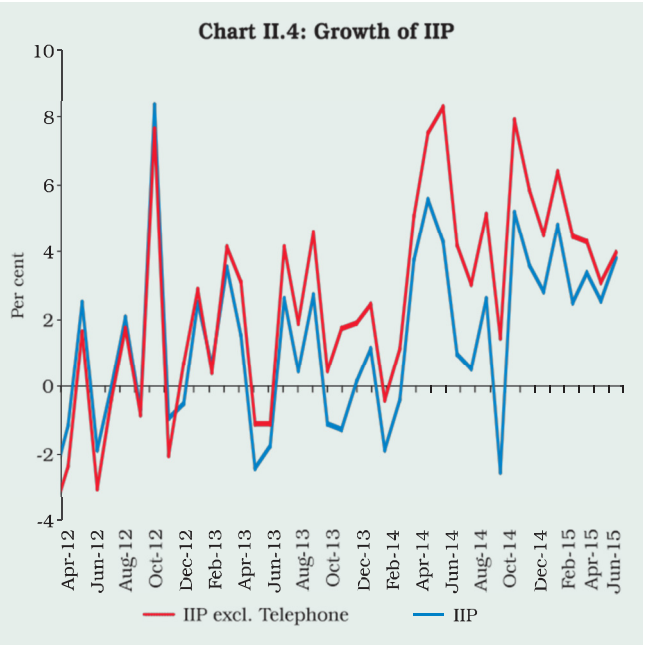


Table II.2: Index of Industrial Production

(Per cent)

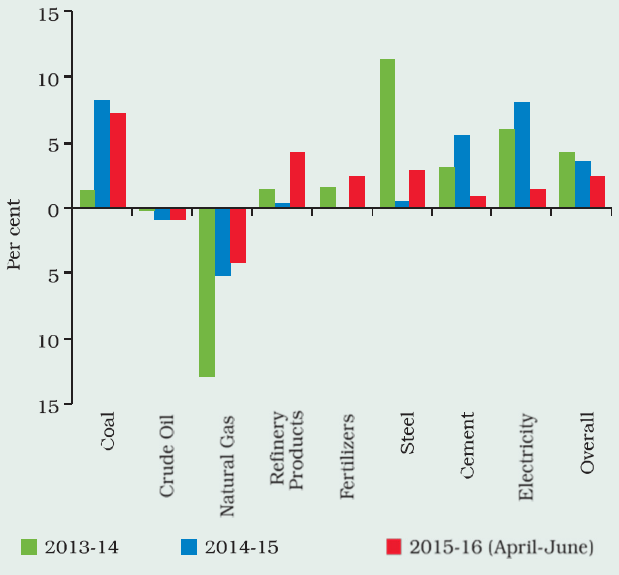
Industry Group	Weight in IIP	Growth Rate				
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	April-June 2015-16P
1	2	3	4	5	6	7
Overall IIP	**100.0**	**2.9**	**1.1**	**-0.1**	**2.8**	**3.2**
Mining	14.2	-2.0	-2.3	-0.6	1.5	0.7
Manufacturing	75.5	3.0	1.3	-0.8	2.3	3.6
Electricity	10.3	8.2	4.0	6.1	8.4	2.3
Use-Based						
Basic Goods	45.7	5.5	2.5	2.1	7.0	4.7
Capital Goods	8.8	-4.0	-6.0	-3.6	6.4	1.5
Intermediate Goods	15.7	-0.6	1.6	3.1	1.7	1.6
Consumer Goods	29.8	4.4	2.4	-2.8	-3.4	2.4
Consumer Durables	8.5	2.6	2.0	-12.2	-12.6	3.7
Consumer Non-durables	21.3	5.9	2.8	4.8	2.8	1.6

Source: Central Statistics Office. P: Provisional

in the production of coal (Chart II.5). Among other items within the mining sector, the production of crude oil declined on account of ageing oil fields and delay in the execution of new oil field projects. Also, contraction in the production of natural gas from the KG-D6 block affected natural gas production during 2014-15 as in the previous three years. Electricity generation registered its highest growth in the last two decades during 2014-15, facilitated by improved coal supply and higher capacity addition of 22,566 MW (as against a target of 17,830 MW), which is the highest ever achieved in a single year. Capacity addition, coupled with higher generation and improved transmission capacity resulted in a considerable reduction in power shortage from a level of 7 to 11 per cent during the last two decades to a record low of only 3.6 per cent during 2014-15. The plant load factor (PLF) in the thermal power sector was largely sustained in 2014-15. However, there has been some slippage in the PLF in the first quarter of 2015-16.

II.1.14 Weakness in consumer spending, sluggish investment activity and poor external demand operated as drags on manufacturing activity during 2014-15. Within the manufacturing sector, export-oriented industries like textiles, wearing apparels and refined petroleum products decelerated. On the other hand, capital goods industries like machinery and equipment and electrical machinery

Chart II.5: Growth in the Index of Eight Core Industries



registered improved growth. Revival in the production of capital goods after three years of contraction signals improved prospects for investment demand going forward. During April-June 2015, however, the growth in IIP decelerated mainly on account of a sluggish performance in capital goods, electricity and food products.

Services

II.1.15 The services sector is estimated to have grown by 9.4 per cent during 2014-15 mainly driven by 'financial, real estate and professional services' and construction sector. As for 2015-16, available data on lead indicators of services sector including commercial/passenger vehicles sales, air passenger traffic, port and international air cargo, show an improvement over the corresponding period last year. However, railway freight traffic, domestic air cargo, tourist arrivals, cement production and steel consumption - which provide lead indications of construction activity-show moderation. During 2014-15, purchasing managers index (PMI) for services remained in an expansionary mode since May 2014, though the rate of expansion was at a slower pace in ensuing months. However, PMI services contracted in May-June 2015 on account of a decline in both output and new orders though it expanded marginally in July 2015. Also, given the drag emanating from fiscal consolidation by central and state governments on total spending, 'public administration, defence and other services' may not serve as a durable growth driver, going forward.

Employment Generation

II.1.16 Quarterly employment surveys conducted by the Labour Bureau for select export-oriented sectors reveal that the rate of employment generation in these sectors picked up in 2013 and 2014, after a significant decline in 2012. However, the pace of employment generation is yet to recover to its pre-2010 level. Information technology-business process outsourcing (IT-BPO) and textiles continue to be the key export oriented sectors generating large employment from 2009 to 2014.

Infrastructure

II.1.17 The growth of production in core industries (coal, crude oil, natural gas, refinery products, fertilisers, steel, cement and electricity) moderated during 2014-15 (Chart II.5) and remained sluggish during April-June 2015. Structural constraints have resulted in a persistent decline in the production of natural gas, crude oil and fertilisers. The growth of the steel industry was affected by the fall in global prices of steel and the resultant increase in steel imports. On the other hand, the coal sector's impressive growth performance during 2014-15 benefitted from several efficiency enhancing measures taken by the government for Coal India Limited (CIL), like use of mass production technologies, rationalisation of linkages from coal sources to end-users, coordinated efforts with railways for speedy evacuation of coal and shifting to underground mines.

II.1.18 As on mid-August 2015, the government's Project Monitoring Group (PMG) has received proposals for 675 projects (₹10 billion and above or any other critical projects in sectors such as infrastructure, manufacturing and power) with an estimated project cost of ₹28.8 trillion for its consideration. Out of these, 291 projects worth ₹9.9 trillion were cleared by the PMG with the majority of projects pertaining to the power sector, followed by coal, road and petroleum sectors. However, the impact of government initiatives is yet to be felt in terms of the revival of central sector infrastructure projects (₹1.5 billion and above) monitored by the

Table II.3: Status of Projects

Central Sector Infrastructure Projects					
Period	Total No. of Projects	No. of Delayed Projects	Value of Delayed Projects (₹ billion)	No. of projects without DOC	Value of projects without DOC (₹ billion)
1	2	3	4	5	6
May-15	766	237	4,826	371	2,470
Mar-15	751	328	5,752	264	1,531
Dec-14	738	315	4,961	266	1,475
Sep-14	750	312	5,504	302	1,730
Jun-14	729	290	4,975	300	1,805

Source: Infrastructure and Project Monitoring Division, MoSPI, Government of India (GoI).
DOC: Date of Commissioning.

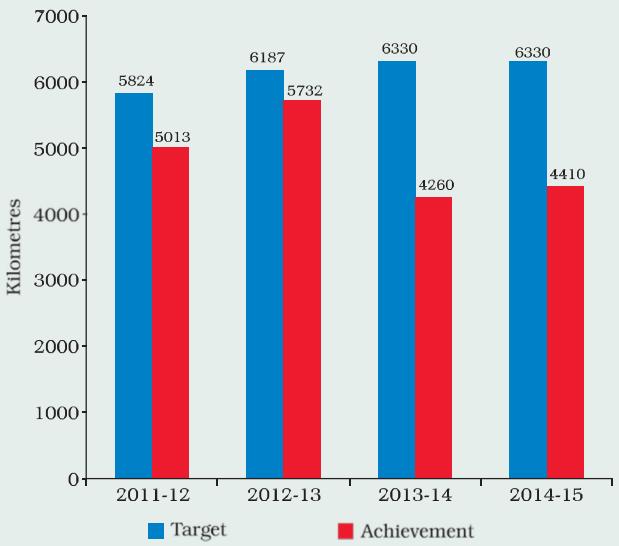
Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) (Table II.3).

II.1.19 While investment through the public-private partnership (PPP) mode was the highest in India during 2008 to 2012 as per the World Bank's database[3], thereafter the private participation in prime infrastructure projects in roads and ports decreased sharply. The focus of the government on construction of highways through the publicly funded engineering, procurement and construction (EPC) mode is reflected in a marginal improvement in road construction activity in 2014-15 *vis-à-vis* 2013-14 (Chart II.6).

II.1.20 Spectrum auctions in March 2015 elicited vibrant bidding for all the four bands (1800 MHz, 900 MHz, 2100 MHz, and 800 MHz). This is the first time that spectrum has been offered simultaneously in all the four bands (Table II.4).

II.1.21 The government initiated a number of structural reforms in the recent period to boost the infrastructure sector: the passing of the Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015; auctioning of coal mines; hike in tariffs on iron and steel; adoption of the plug-and-play mode of project execution for mega power projects; allowing foreign direct investment up to 100 per cent in railway infrastructure;

Chart II.6: Implementation of Road Projects by NHAI



Source: National Highways Authority of India (NHAI), Government of India.

the proposed National Investment and Infrastructure Fund; tax free infrastructure bonds for projects in the rail, road and irrigation sectors and increased plan outlays for roads and railways.

II.1.22 In order to give a direct thrust to infrastructure investment, the government has stepped in to boost public spending in infrastructure by ₹700 billion in 2015-16. These efforts are also expected to crowd in private participation. Going forward, the government's decision to award new projects only after obtaining the requisite clearances and linkages could catalyse the pace of infrastructure project completion.

Table II.4: Spectrum Auction

Year	Revenue Realisation (₹ billion)
1	2
2010	1062.62
2012	94.07
2013	36.39
2014	611.61
2015	1098.75

Source: Ministry of Information & Communication Technology, GoI.

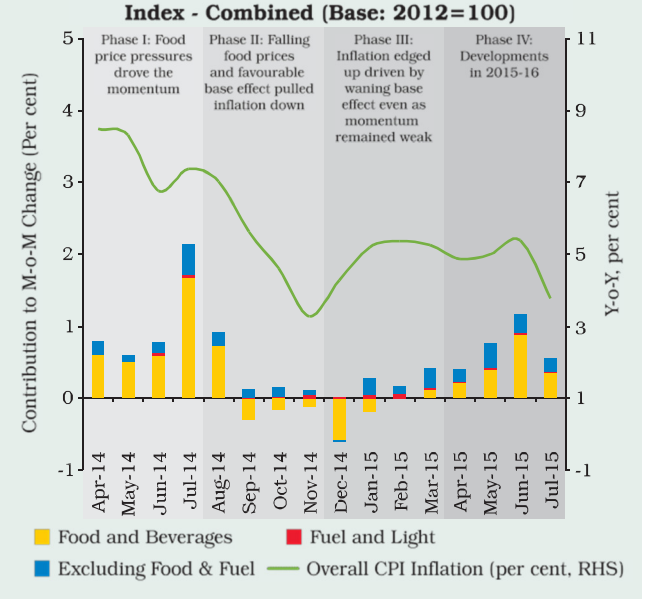
[3] Compendium of *'PPP projects in infrastructure',* Planning Commission, Government of India, March 2014.

II.2 PRICE SITUATION

II.2.1 The year 2014-15 marked a turning point in the evolution of price-cost dynamics in India. In January 2014, the stance of monetary policy was anchored to a path of disinflation that would take inflation (measured in terms of y-o-y changes in the all India consumer price index (combined) or CPI-C, base 2010 =100) down from 8.6 per cent to below 8 per cent by January 2015 and to below 6 per cent by January 2016. This stance was backed by policy rate increases of 25 basis points each in September 2013, October 2013 and January 2014. Although unseasonal food price spikes owing to weather-related transportation disruptions in north India kept inflation stubbornly high till July 2014, steadfast perseverance with the anti-inflationary monetary policy allowed rate increases in the second half of 2013-14 to feed through into the economy. Aided by a range of supply management strategies and a dramatic plunge in international commodity prices[1] by 28 per cent between September 2014 and February 2015, inflation persistence (near double digit CPI inflation for six consecutive years) was finally broken and headline inflation started easing from August 2014. The abatement in food price pressures contributed 76 per cent to the decline in inflation between July and November 2014. By April 2015, it had declined to 4.9 per cent measured by the new CPI series (base 2012=100), thus confirming that disinflation was getting entrenched. Notwithstanding an uptick in June 2015 to 5.4 per cent, largely reflecting fuel price adjustments and short-term food price pressures, inflation moderated significantly to 3.8 per cent in July 2015. Importantly, inflation excluding food and fuel almost halved from 8.3 per cent in May 2014 to 4.2 per cent in March 2015, providing abiding momentum to the disinflation process. However, this moved significantly up to 5.0 per cent in June 2015 before falling to 4.5 per cent in July 2015. By December 2014, households' inflation expectations (both three months ahead and one-year ahead), which had been ruling in double digits persistently since September 2009, eased to single digit.

II.2.2 Average inflation at 5.9 per cent during 2014-15 turned out to be significantly lower than 9.5 per cent a year ago (Chart II.7). Intra-year movements in inflation during 2014-15, however, exhibited three distinct phases –first, weather-related vegetable price pressures till August; second, the subsequent fall in food prices and pass-through of declining global commodity prices into food, fuel and services prices, resulting in a major shift in the inflation trajectory that took inflation down to an intra-year low of 3.3 per cent in November 2014; and finally the reversal of favourable base effect, which pushed inflation up

Chart II.7: Trends in Inflation: Consumer Price Index - Combined (Base: 2012=100)



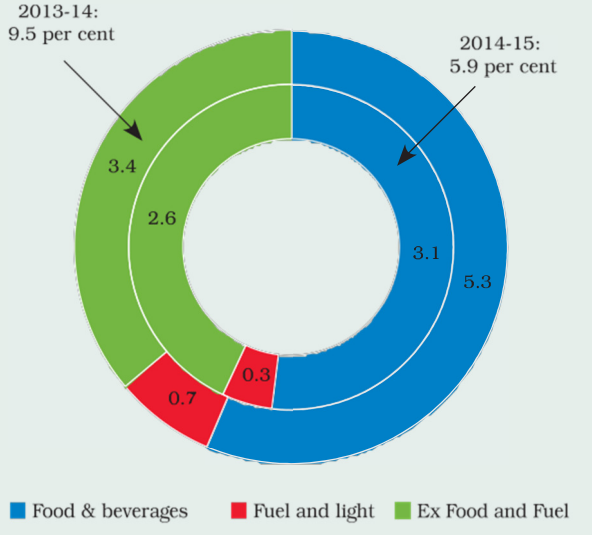
[1] As measured by IMF's primary commodity price index.

to 5.3 per cent in March 2015. Significantly, even as inflation moved up during December 2014 - February 2015, the month-on-month increase in prices remained moderate or negative, attesting to the sustained abatement of inflation risks.

Drivers of CPI Inflation

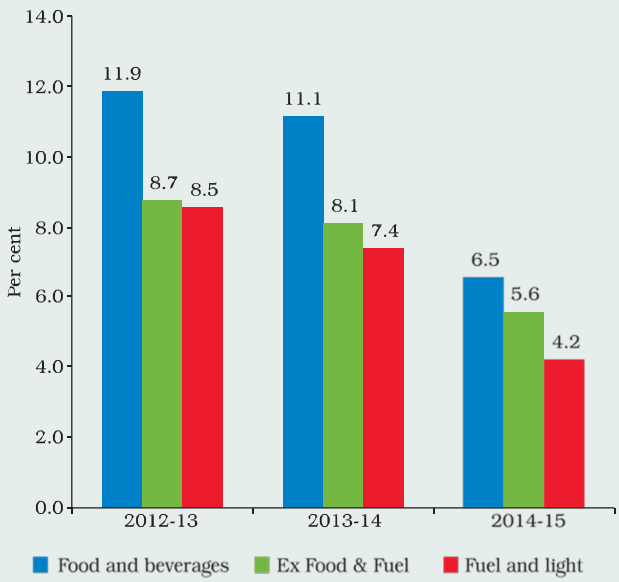
II.2.3 All the three major constituent groups of CPI - food, fuel and categories excluding food and fuel - contributed to a decline in headline inflation, reflecting improvement in supply conditions and the ebbing of inflation momentum (Chart II.8), with the largest impact emanating from the food component. Fuel group's contribution to inflation remained marginal, reflective of its relatively lower weight and declining frequency of changes in administered prices of non-transport fuel items. The fall in inflation, excluding food and fuel, was facilitated by the anti-inflationary monetary policy stance as inflation in most of its sub-components edged down.

Chart II.8: Contributors to CPI Inflation: 2013-14 and 2014-15



Note: Figures within the chart indicate contribution in percentage points.

Chart II.9: CPI Inflation in Major Groups



Food Inflation

II.2.4 The wedge between inflation in food and non-food groups narrowed considerably during 2014-15 (Chart II.9). Two major groups - cereals and vegetables - together accounted for almost 80 per cent of the decline in average food price inflation during the year. Cereals' inflation declined partly on account of the lower order of revision in minimum support prices (MSPs) in 2014-15 (Table II.5) and active supply management under the

Table II.5: Minimum Support Prices of Food Grains (₹ per quintal)

Commodity	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1	2	3	4	5
Paddy (Common)	1,250	1,310	1,360	1,410
Wheat	1,350	1,400	1,450	-
Gram	3,000	3,100	3,175	-
Arhar (Tur)	3,850	4,300	4,350	4,425
Moong	4,400	4,500	4,600	4,650
Urad	4,300	4,300	4,350	4,425

Source: DAC, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare.

public distribution system (PDS), including the open market sale of wheat. Vegetable prices shrugged off bouts of weather-related volatility in H1 of 2014-15 and declined relatively faster in H2 of 2014-15 with policy actions taken to discourage stockpiling, and bringing vegetables under the Essential Commodities Act (ECA). Sugarprices moderated in tandem with global prices,but protein-rich items (eggs,fish, meat, milkand pulses) exhibited downward rigidity in inflation, reflecting structural mismatches between demand and supply.

II.2.5 A number of policy initiatives were taken to improve both supply chain and post-harvest crop management. These included issuing advisories to states to enable free movement of fruits and vegetables by delisting them from the Agricultural Produce Marketing Committee (APMC) Act; bringing onions and potatoes under the purview of ECA, thereby allowing state governments to impose stock limits so as to deal with cartelisation and hoarding and making violation of stock limits a non-bailable offence. Imposing a minimum export price (MEP) of US$ 450 per metric tonne (MT) for potatoes with effect from June 26, 2014 and US$ 300 per MT for onions with effect from August 21, 2014 also helped in maintaining domestic supplies of these perishable items.

Fuel Group Inflation

II.2.6 From August 2014, crude oil prices fell but the full pass-through of this decline was impeded by lingering under-recoveries of the oil marketing companies (OMCs) (Table II.6). Further, the government increased the excise duty on petrol and diesel cumulatively by ₹7.75 per litre for petrol and ₹6.50 per litre for diesel during November 2014 - January 2015, which partially offset the overall fall in prices. In case of coal, Indian prices have historically remained substantially lower than the global prices. Therefore, the decline in global coal prices during 2014-15 resulted in bridging the gap between global and domestic prices rather than a fall in domestic prices. Since the CPI fuel group includes a number of items, such as electricity and kerosene whose prices are administered, prices in this category remained sticky (Chart II.10).

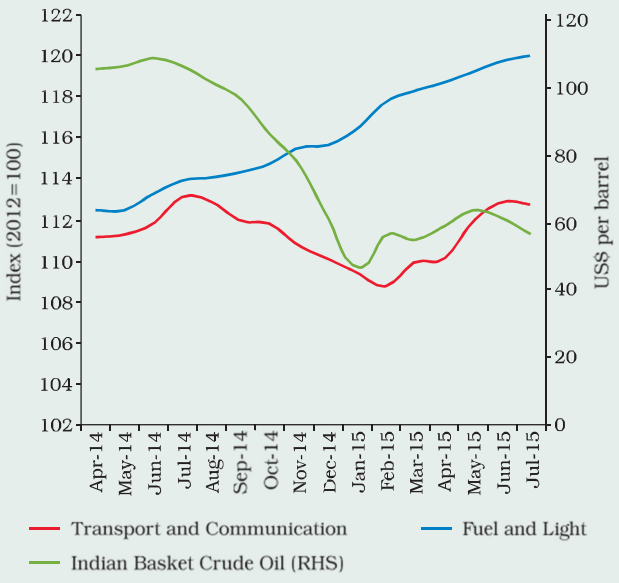
Table II.6: Under-recoveries of Oil Marketing Companies

(₹ billion)

Product	2013-14	2014-15
1	2	3
Diesel	628	109
PDS Kerosene	306	248
Domestic LPG	465	366
Total	**1,399**	**723**

Source: PPAC, Ministry of Petroleum & Natural Gas.

Chart II.10: Global and Domestic Fuel Price Movements



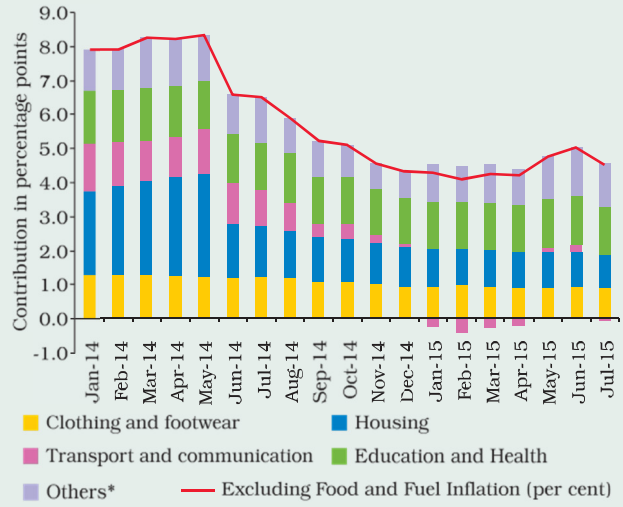
Inflation Excluding Food and Fuel

II.2.7 Prices in respect of the transport and communication sub-group declined in tandem with softening of global crude oil prices. By the end of the year, the transport and communication category contributed negatively to inflation (Chart II.11). Also, housing inflation showed a much more significant moderation under the new series (base 2012=100) partly on account of methodological improvements, which included doubling the sample size for collection of rentals data from 6,684 rented dwellings in the old series to 13,368 in the revised series. Inflation in services components, such as health, education and household requisites declined, reflecting a slowdown in wage growth.

Rural Wage Growth Moderated

II.2.8 Input cost pressures from fuel, farm inputs and rural wages ebbed significantly during 2014-15. After the high and unprecedented rise in rural wages during 2007-08 to 2012-13, the recent slowdown in wage growth has evoked academic and policy interest. Average wage growth, as per the new wage series, for November 2014 to May 2015, remained at 3.9 per cent for agricultural and 5.7 per cent for non-agricultural occupations, respectively. This was substantially lower than the annual average rate of 16 per cent for agricultural occupations and 14 per cent for non-agricultural occupations during the six-year period from 2007 to 2013. However, the role of productivity will have to be examined carefully while assessing the durability of the impact of the changes in wage growth on inflation (Box II.2).

Chart II.11: Drivers of CPI Excluding Food and Fuel Inflation



*: Includes household goods and services, personal care and effects, recreation and amusement.

Wholesale Price Inflation

II.2.9 Inflation measured by the wholesale price index (WPI) declined significantly during 2014-15. Since November 2014, wholesale prices have moved into contraction [(-) 4.1 per cent in July 2015, y-o-y] (Chart II.12). Prices of non-food manufactured products also contracted in July 2015 [(-) 1.4 per cent, y-o-y], indicating the extent of slack in the economy as well as falling cost pressures.

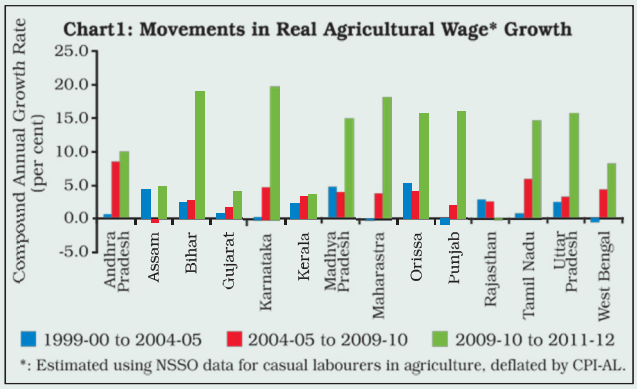
Global Commodity Prices and Supply Conditions

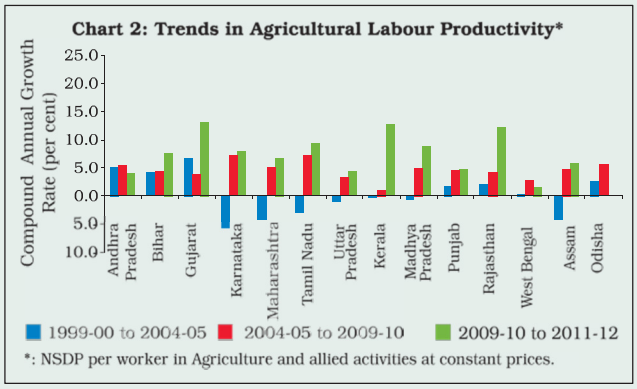
II.2.10 Global commodity prices declined sharply amidst improved supply, large spare capacity and weak demand conditions in 2014-15 (Chart II.13). During the initial part of the year, crude oil prices hardened on account of supply outages in Libya, Nigeria and Syria. From August 2014, global crude oil prices fell substantially, driven by abundant supplies of North American shale oil and the Organisation of Petroleum Exporting Countries' (OPEC) decision not to cut production at its November 2014 meeting. Global crude oil prices reached a trough of US$ 47 per barrel

Box II.2
Wage Growth and Rural Inflation – Are They Related?

An increase in rural wages can influence prices, both by increasing demand and pushing up the cost of production. On the other hand, wage growth in itself could respond to high price increases, particularly food price increases. The wage-inflation nexus also works through productivity - as labour productivity increases, wages rise. An increase in labour productivity will reduce unit labour cost, which is the average cost of labour per unit of output (usually calculated as the ratio of total labour costs to real output) and therefore, it will be possible to pay a higher wage without an increase in final output price. On the other hand, if wage increases are unaccompanied by productivity increases, rise in unit labour costs will lead to further increase in output prices and hence inflation. This dynamics is more complex in a regional perspective, where there is large heterogeneity in product and labour markets.

A comparison between agricultural labour productivity and agricultural wages at the all-India level as well as for major states is insightful. Real wage growth, i.e., growth in agricultural wages adjusted for CPI - agricultural labourers (AL) inflation, remained moderate during 1999-00 to 2009-10. Subsequently, it went up sharply during 2009-10 to 2011-12 (Chart 1). This trend was broad-based and observed in major agricultural states like Bihar, Maharashtra, Madhya Pradesh, Tamil Nadu and Uttar Pradesh.





Agricultural labour productivity declined in some states over the period from 1999-2000 to 2004-05, but went up subsequently during the period 2009-10 to 2011-12 at the all-India level as well as for major states (Chart 2). The productivity improvement was partly contributed by a shift in labour force from agricultural to non-agricultural occupations, which led to a decline in the total number of persons engaged in agriculture in 2011-12 *vis-à-vis* 2004-05. Thus, the sharp increase in real wages in recent years was partly offset by a rise in productivity. The impact of rural wage increases on rural food prices was not as large due to commensurate rise in productivity (Goyal and Baikar 2014). Post-2013, real wage growth declined in India barring a few states like Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Gujarat and Tamil Nadu. The fall in real wage growth is mainly contributed by a fall in nominal wage growth.

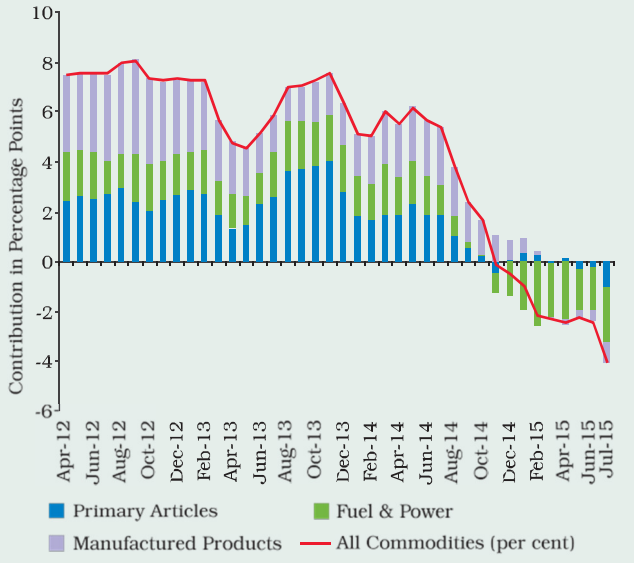
References:

Dholakia, R.H., M. B. Pandya and P. Pateriya (2014), 'Urban – Rural Income Differential in Major States: Contribution of Structural Factors', WP No. 7, Indian Institute of Management, Ahmedabad.

Goyal, A. and A.K. Baikar (2014), 'Psychology, Cyclicality or Social Programs: Rural Wage and Inflation Dynamics in India', WP, IGIDR, Mumbai.

(Indian basket), marking a decline of 57 per cent during June 2014 to January 2015. Though the slow pace of global economic recovery has kept demand prospects weak, the International Monetary Fund (IMF) estimated that lower demand could account for only 20 to 35 per cent

Chart II.12: Group-wise Contribution to WPI Inflation



of the price decline between June and December 2014.

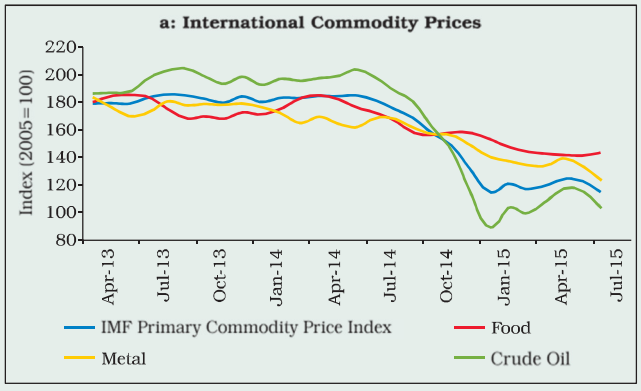
II.2.11 Since January 2015, several factors, such as falling oil rigs in the US, decline in stockpiles and elevated geo-political tensions in the Middle East rekindled upside risks to oil prices. Indian basket prices firmed up to US$ 63.8 per barrel in May 2015 but declined subsequently to US$ 49 per barrel by mid-August 2015 as supply prospects improved with the clinching of the nuclear deal by Iran with the major world powers. Metal prices edged down in 2014 aided by surplus supplies and slowing demand conditions in emerging economies, particularly in China.

II.2.12 Global food prices declined by 3.8 per cent in 2014 as large accumulated stocks continued to pull down international prices of commodities, such as cereals, oils and sugar. The Food and Agriculture Organisation (FAO), in its update of July 2015, forecast that the world cereals production might decline by 1.1 per cent in 2015 while exceptionally high stocks were likely to compensate for the production shortfall. During 2015 so far, prices have continued to move downwards for almost all food items, with large supplies and slow trading activity as buyers are expecting a further fall in prices in the coming months.

Revision in the CPI Base Year

II.2.13 In order to capture shifting consumption pattern of households, the Central Statistics Office (CSO) revised the base year of CPI to 2012 from its earlier base of 2010, using the weighting pattern from the latest consumer expenditure survey (CES), 2011-12 of the National Sample Survey Office

Chart II.13: Trends in Global Commodity Prices



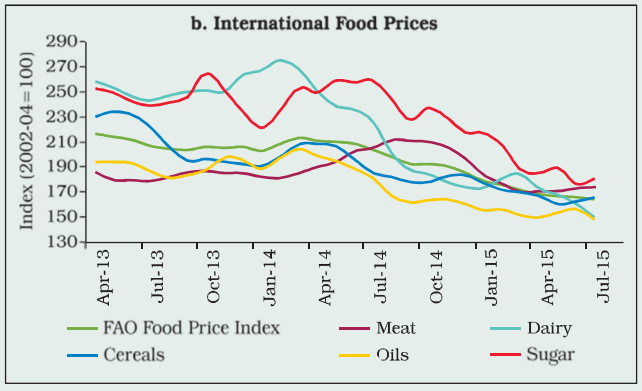


Table II.7: Comparison of Weighting Diagrams–Previous and Revised CPI Series

(Per cent)

Sub-Categories	Base Year: 2010			Base Year: 2012		
	Rural	Urban	Combined	Rural	Urban	Combined
1	2	3	4	5	6	7
Food and Beverages	56.59	35.81	47.58	54.18	36.29	45.86
Pan, Tobacco and Intoxicants	2.72	1.34	2.13	3.26	1.36	2.38
Clothing and Footwear	5.36	3.91	4.73	7.36	5.57	6.53
Housing	--	22.54	9.77	--	21.67	10.07
Fuel and Light	10.42	8.40	9.49	7.94	5.58	6.84
Miscellaneous	24.91	28.00	26.31	27.26	29.53	28.32
Total	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

'--' : CPI (Rural) for housing is not compiled.

Source: Press Release on CPI base year revision, MOSPI, GoI.

(NSSO). Changing patterns of consumer expenditure over the years are reflected in sub-category-wise weights computed for the new CPI series (Table II.7).

II.2.14 Methodologically, the new series has incorporated certain improvements: a weighting pattern based on the modified mixed reference period (MMRP); internationally accepted 'classification of individual consumption according to purpose' with suitable deviations; and the use of a geometric mean to compute indices at the elementary/item level. Along with the prices of items under the above poverty line (APL) and below poverty line (BPL) categories, prices of items under the *Antyodaya Anna Yojana* (AAY) are also incorporated in the new series. The revision has a number of policy implications: lower sensitivity of the overall index to food price shocks and idiosyncratic price movements and incisiveness in identifying sources of inflation at the item level.

Developments in Inflation: 2015-16 so far

II.2.15 After dipping below 5 per cent in April 2015, CPI inflation edged up to 5.4 per cent in June driven by the food group owing to a fall in pulses production during 2014-15 and short-term pressures in vegetables prices. In July, however, inflation declined significantly to 3.8 per cent aided by favourable base effect and ebbing food price pressures. Excluding food and fuel, inflation moved up substantially to 5.0 per cent in June 2015 from 4.2 per cent in March 2015 on account of a broad-based rise in inflation in services segment, such as health and education as well as retail fuel price increases captured by the transport and communication sub-group. It, however, moderated to 4.5 per cent in July 2015 tracking lower transport costs with recent fall in fuel prices. Importantly, household inflation expectations returned to double digits in June 2015 quarter.

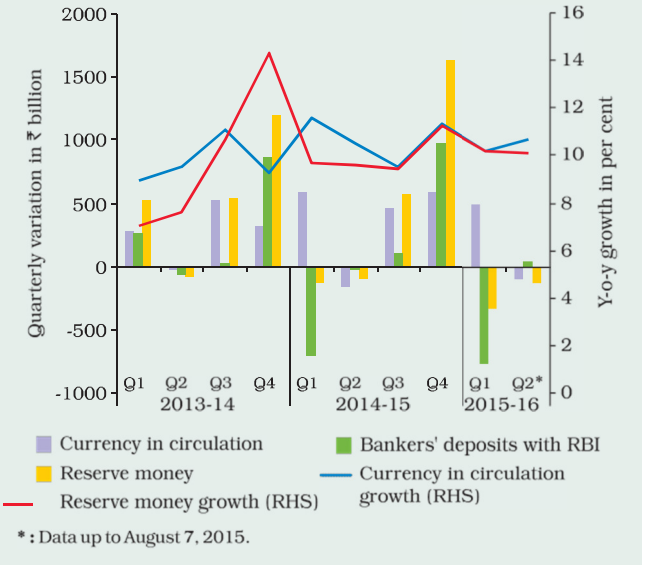
II.3 MONEY AND CREDIT

II.3.1 Monetary and credit conditions remained sluggish through 2014-15 as reflected in the subdued growth in key monetary and banking aggregates. The sizeable expansion in Reserve Bank's net foreign exchange assets driven by surges in capital inflows was largely sterilised by active liquidity management operations. Consequently, reserve money grew at a subdued pace, reflecting the slow pace of economic activity as well as the anti-inflationary monetary policy stance of the Reserve Bank. Growth of money supply (M_3) also slowed in relation to the preceding year reflecting the interaction of a number of factors. First, credit demand was muted reflecting the slack in the economy. Second, increasing levels of non-performing assets (including restructured assets) imparted an element of risk aversion across the banking sector. This inhibited credit supply, especially to stressed sectors such as infrastructure, with substitution at the margin in loan portfolios in favour of personal loans and retail lending where the incidence of non-performing assets (NPAs) was markedly less. Accordingly, banks tended to moderate their access to deposits which were also impacted by inadequate real returns relative to competing financial assets of households and corporate entities.

Reserve Money

II.3.2 During 2014-15, reserve money expanded by 11.3 per cent, down from 14.4 per cent a year ago. On the components side, currency in circulation, constituting around 75 per cent of reserve money, increased by 11.3 per cent. The pick-up in currency demand from 9.2 per cent a year ago reflected the interaction of several factors -election-induced demand for currency and increased food subsidy (Chart II.14). On the other hand, growth of bankers' deposits with the Reserve Bank slowed to 8.3 per cent, mainly reflecting the

Chart II.14: Variation in reserve money and its components



*: Data up to August 7, 2015.

deceleration in deposit growth. The maintenance of reserves evened out across 2014-15 following the introduction of minimum daily CRR balances of 95 per cent since September 2013. Average daily excess reserve holdings by the banking sector declined from around 3 per cent in 2013-14 to 2 per cent in 2014-15, which indicated some efficiency gains under the new liquidity management framework introduced in September 2014. Variable rate auctions have induced some discipline in the banking system in planning liquidity. A system level liquidity flux appears to have eased with assurance on availability of liquidity as needed.

II.3.3 On the sources side, there was a change in the composition of reserve money in 2014-15 in terms of net domestic assets (NDA) and net foreign assets (NFA). With the emergence of India as a preferred destination for foreign capital, the Reserve Bank's foreign exchange operations to mitigate undue volatility in the foreign exchange market resulted in a large increase in NFA, injecting around ₹3.2 trillion primary liquidity (reserve money) into the financial system. Concomitantly, NDA (adjusted for net non-monetary liabilities) declined by around ₹1.9 trillion to partially sterilise the impact of the

Reserve Bank's forex market operations on reserve money expansion.

II.3.4 Global financial markets have been roiled by turbulence associated with divergence in monetary policy stances in the G3 economies. During 2014-15, significant shifts in monetary policy settings were also observed among emerging economies to manage the effects of G3 monetary policies on their financial systems transmitted through capital flows and asset prices as also to deal with domestic fragilities which restrained growth and made them vulnerable to financial shocks. Cross-border externalities associated with the conduct of unconventional monetary policies in advanced and emerging economies alike occupied centre-stage in 2014-15 (Box II.3).

II.3.5 In response to these global factors affecting domestic liquidity conditions, the Reserve Bank endeavoured to contain the expansionary effects in keeping with its commitment to the glide path of disinflation. The Reserve Bank, therefore, appropriately calibrated repo auctions and open

Box II.3
Spillovers and Spillbacks

'Spillovers' have come to be commonly employed in the post-unconventional monetary policy (UMP) literature to refer to the beneficial or damaging effects that a country's economic policies can have on other nations. In the more recent period, the focus has largely been on negative externalities associated with the Fed's quantitative easing (QE) and its widely anticipated normalisation, especially as the Fed's forward guidance on it has been data-dependent and consequently, every incoming data has triggered intense market reactions on its possible timing. In the event, UMPs have generated large capital flows to emerging market economies (EMEs) in an indiscriminate search for yields, while exit from them has increased the risks of substantial capital outflows of which the taper tantrum of the summer of 2013 provided a sinister preview. Empirical evidence suggests that UMPs have amplified the pro-cyclicality of capital flows and leverage in EMEs by strengthening the incentives to engage in maturity transformations, leading to misalignment with fundamentals with adverse implications for macroeconomic and financial stability (Fratzscher *et al.* 2013; Moore et al. 2013). Quite naturally, spillovers from UMPs have been the subject of acrimonious disharmony (Taylor 2013). Given the heterogeneity in the structural characteristics of EMEs, it is important to nuance these findings and qualify them with country-specific experiences.

For India, an analysis of the impact of spillovers from the Fed's QEs using a combination of methodologies, such as the event study framework, generalised method of moments (GMM) and vector auto-regressions (VARs) shows that the largest favourable impact came from QE1 that pushed capital flows into India, helping finance a widening current account deficit. QE2, unlike QE1, was associated with capital outflows from India. These spillovers were transmitted mainly through the portfolio rebalancing channel, followed by the liquidity channel (Patra *et al.* 2014).

'Spillbacks' are a new entrant in this proliferating body of work, essentially the boomerang effects from recipient countries in a vicious loop that in a globally inter-dependent world adversely affect the source country that caused the spillovers in the first place. The larger global role played by EMEs implies that spillbacks from fluctuations in their growth as a result of shocks in advanced economies can be non-trivial. VAR specifications suggest that about 50 per cent of the fluctuations in outputs in advanced economies spill over onto EMEs of which one-third spill back to advanced economies (IMF 2014) (Table 1).

Spillback effects are more pronounced for Japan and the euro area, and less for the United States and the United Kingdom due to stronger trade linkages (Trade openness for the US and the UK is relatively far less).

Overall, spillback effects appear to be modest but could be larger in periods of stress, which in turn might have an

Table 1: Estimated spillovers and spillbacks (per cent)

	US	Euro Area	Japan	UK	Average
1	2	3	4	5	6
EM Spillover	58.3*	59.2*	25.4*	56.3*	52.8
EM Spillback	12.4	29.8*	12.7*	7.2	17.4
EM Spillback/ EM Spillover	21.3	50.4	51.1	12.8	34.4

Source: IMF staff calculations.

*: Significant at the 10 per cent level. Estimates of spillovers and spillbacks from a 1 percentage point increase in growth in advanced economies (eight quarters after impact).

(Contd...)

adverse impact on the setting of monetary policy. Careful calibration and clear communication, with cooperation among policymakers could help in managing spillbacks and spillovers.

References:

Fratzscher, Marcel, Marco Lo Duca and Roland Straub (2013), 'On the International Spillovers of US Quantitative Easing', Working Paper Series No. 1557, June.

International Monetary Fund (2014), *Spillover Report 2014*.

Moore J., S. Nam, M. Suh and A. Tepper (2013),'Estimating the Impacts of US LSAP's on Emerging Market Economies' Local Currency Bond Markets', Staff Report No. 595, Federal Reserve Bank of New York.

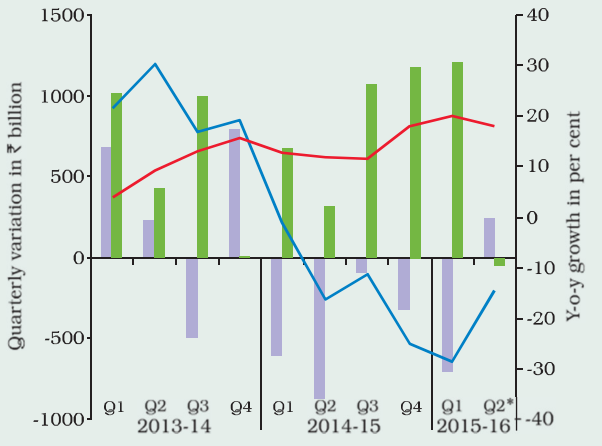
Patra, M.D., J.K. Khundrakpam, S. Gangadaran, Rajesh Kavediya and Jessica Anthony (2014), 'Responding to QE Taper from the Receiving End', mimeo, RBI.

Taylor John B. (2013),'International Monetary Policy Coordination: Past, Present and Future', Paper prepared for presentation at the 12th BIS Annual Conference on 'Navigating the Great Recession: What Role for Monetary Policy', Lucerne, Switzerland, June 21.

market operation (OMO) sales, both outright and on the Negotiated Dealing System-Order Matching (NDS-OM) platform to contract NDA and offset the large increase in NFA (Chart II.15).

II.3.6 Quarterly movements in reserve money in 2014-15 evolved in line with changing drivers of liquidity and resulting composition shifts in the Reserve Bank's balance sheet. On the components side, except for the seasonal decline in Q2, currency in circulation increased throughout the year. On the sources side, the increase in NFA was largely offset by a decline in NDA in the H1 of 2014-15. In Q4, however, end year balance sheet adjustments and advance tax payments tightened liquidity conditions, warranting injection of primary liquidity that remained largely unsterilised. Consequently, reserve money growth increased in the last quarter of 2014-15.

Chart II.15: Variation in sources of reserve money



*: Data up to August 7, 2015.

II.3.7 There was also a change in the composition of NDA during 2014-15 which was in accordance with modifications in the Reserve Bank's accounting policies as recommended by the Technical Committee formed to review the format of the balance sheet and the profit and loss account of the Reserve Bank (Chairman: Shri Y.H. Malegam). Specifically, net repo operations are now being recorded under the Reserve Bank's credit to banks and commercial sector rather than in its credit to general government as was done earlier. These accounting changes are reflected in a decline in the Reserve Bank's net credit to the government and the commensurate increase in its net claim on banks in 2014-15, though the absolute size of NDA remains unaffected.

II.3.8 Movements in reserve money influence the broader measures of money supply through the money multiplier. In terms of magnitude, the money multiplier stood at 5.5 in March 2015, unchanged from its level a year ago. Both the cash deposit ratio and the cash reserve ratio remained unchanged over the year, imparting stability to the money multiplier.

Money Supply

II.3.9 The money supply growth slowed down in 2014-15 (Table II.8), mainly reflecting easing inflation which lowered the demand for money. The slowdown in money supply in general, and in aggregate deposits in particular, *vis-à-vis* 2013-14 has to be seen in the context of the base effect caused by the swap facility for FCNR(B) deposits operated by the Reserve Bank during September-November 2013 which led to high mobilisation of these deposits in 2013-14. Money supply net of FCNR(B) deposits was marginally lower in 2014-15 than in the preceding year. However, money supply improved in the second half of the year (March 2015 over September 2014) in line with the growth in credit. In tandem, the year-on-year growth in the liquidity aggregate L1 [sum of the new monetary aggregate $(NM)_3$ and postal deposits] remained marginally lower than a year ago.

II.3.10 Growth in aggregate deposits, which forms a major component of money supply, has generally been declining over the years in line with a decrease in the saving rate of the economy. In addition, slowdown in credit growth led to lower deposit mobilisation by banks. The growth in aggregate deposits decelerated to 10.6 per cent in 2014-15 from 14.1 per cent a year ago. On the sources side, a decline in banks' credit growth to the commercial sector was one of the key drivers. Another major constituent from the sources side, that is, net bank credit to the government declined during the year mainly due to reduction in the Reserve Bank's holding of government securities (G-secs). Commercial banks, on the other hand, stepped up their investment in G-secs in view of credit deceleration during the year.

II.3.11 The velocity of money (Chart II.16), which declined over the past six decades hovered around

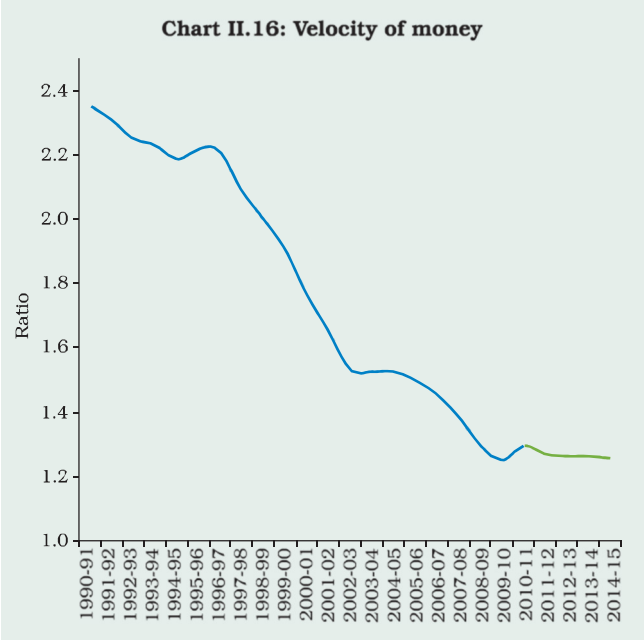
Table II.8: Monetary Aggregates

Item	Outstanding as on (₹ billion)		Year-on-year growth rate (in per cent)			Growth rate (in per cent)		
	March 31, 2015	August 7, 2015	2013-14	2014-15	2015-16 (as on August 7)	FY 15: H1	FY 15: H2	FY16: H1
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Reserve Money	19,285	18,815	14.4	11.3	10.1	-1.4	12.9	-2.4
II. Broad Money (M_3)	105,455	109,830	13.4	10.8	10.9	4.4	6.2	4.1
III. Liquidity Aggregate (L1)	106,759	110,722#	11.2	10.7	11.6#	4.0	6.5	3.7#
IV. Major Components of M_3								
IV.1. Currency with the Public	13,863	14,251	9.2	11.3	9.5	3.4	7.6	2.8
IV.2. Aggregate Deposits	91,446	95,567	14.1	10.6	11.2	4.4	5.9	4.5
V. Major Sources of Money Stock (M_3)								
V.1. Net Bank Credit to Government	30,062	33,781	12.4	-1.3	10.6	-0.5	-0.8	12.4
V.2. Bank Credit to Commercial Sector	70,396	71,627	13.7	9.2	9.0	2.3	6.8	1.7
V.3. Net Foreign Exchange Assets of the Banking Sector	22,506	23,664	17.6	17.0	16.0	3.9	12.6	5.1
M_3 Net of FCNR(B)	102,782	107,009	11.5	11.0	11.1	4.4	6.3	4.1
M_3 Multiplier	5.5	5.8						
M_3 Velocity	1.25	-						

-: Not available; #: Data pertain to July 2015.

Note: 1. Data are provisional.

2. FY 15: H1: Growth rate of September 2014 over March 2014, FY 15: H2: Growth rate of March 2015 over September 2014, and FY 16: H1: Growth rate of August 7, 2015 over March 31, 2015.



1.25, indicating stability of the financial system in the post-crisis years. Another commonly referred indicator of financial deepening - M_3 to GDP ratio - which is a reciprocal of velocity, stood at around 80.

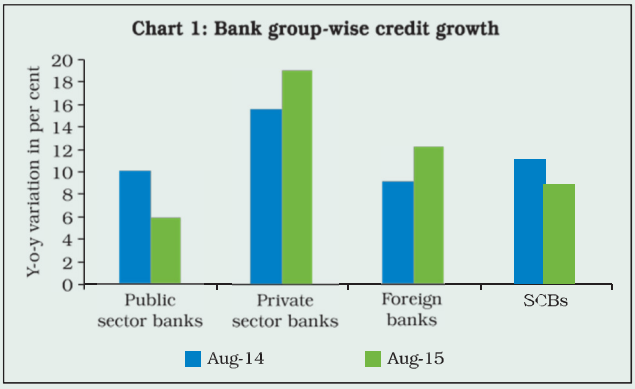
CREDIT

II.3.12 Non-food credit growth decelerated sharply in 2014-15 to 9.3 per cent (y-o-y), with incremental non-food credit declining to ₹5.5 trillion from ₹7.3 trillion in the previous year. A host of factors weighed down on credit off-take, including lower corporate sales, softening of inflation rate, risk aversion by banks due to rise in non-performing loans, and procedural delays in debt recovery (Box II.4). Further, with the availability of alternative sources, both domestic

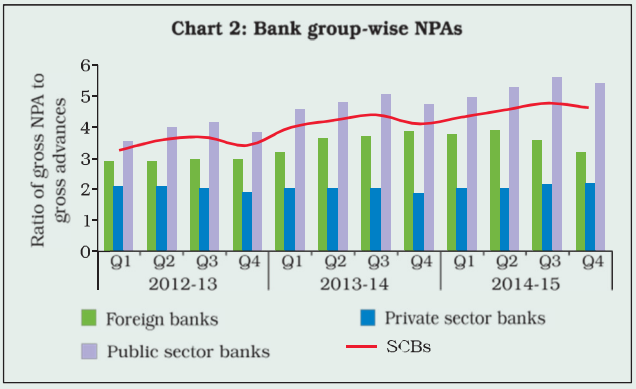
Box II.4
Factors Underlying Recent Credit Slowdown: An Empirical Exploration

Credit plays an important role in economic development, particularly in a bank-based financial system. Countries which experienced high growth since 2000 also witnessed a surge in private credit (Claessens *et al.* 2011). An empirical analysis also suggests that credit growth is positively influenced by deposit growth, GDP growth, easy global liquidity conditions and exchange rate depreciation, whereas inflation dampens real credit growth (Guo and Stepanyan 2011). In India's bank-based financial system, credit plays an important role in the overall growth dynamics.

Asset quality concerns resulting in risk aversion are considered to be one of the major factors underlying the current slowdown in credit. Public sector banks, which recorded higher NPA ratios, experienced a sharp decline in credit growth. On the other hand, private sector banks with lower NPA ratios, posted higher credit growth (Chart 1 and 2). At the aggregate level, the NPA ratio and credit growth exhibited a statistically significant negative correlation of 0.8, based on quarterly data since 2010-11.



Note: SCBs exclude RRBs.



Source: Off-site returns as reported by banks, domestic operations.

(Contd....)

Applying the methodology of Guo and Stepanyan (2011) to Indian quarterly data from June 1997 to September 2014, non-food credit was found to be influenced by lagged real GDP growth in a positive and statistically significant manner. The cost of credit proxied by the overnight call rate, as expected, had a negative impact on credit growth. The impact of the interest rate was found to be strong up to two lags, reflecting transmission lags. In line with the theory, the coefficient of gross fiscal deficit (GFD) of the Centre had a negative sign, indicating crowding out effects of fiscal deficit in market for bank credit. Finally, the change in outstanding commercial papers (CPs), a proxy for an alternative source of funds, had a negative and significant coefficient.

$$BC = 7.2 + 0.6\ GDP(-2) - 0.3\ WCMR(-2) - 0.2\ GFD - 0.04\ CP_Out + \varepsilon$$
$$(2.4)^* \quad (-2.3)^* \quad (-2.4)^* \quad (-2.3)^*$$

Adjusted R^2=0.30; *: Significant at 5 per cent;
NPAs were not included in the regression as the series had multiple structural breaks.

Note: 1. BC=q-o-q seasonally adjusted growth in bank credit; WCMR=quarterly weighted average call rate; GDP= q-o-q seasonally adjusted growth in GDP (base: 2004-05); GFD: quarterly GFD (Centre) as per cent of GDP at current market price; CP_out: q-o-q seasonally adjusted growth in CP outstanding.

2. The results were subjected to standard robustness checks.

Thus economic activity, cost of credit, the fiscal position and competitive alternative funding sources turned out to be major factors affecting credit behaviour in India.

References:

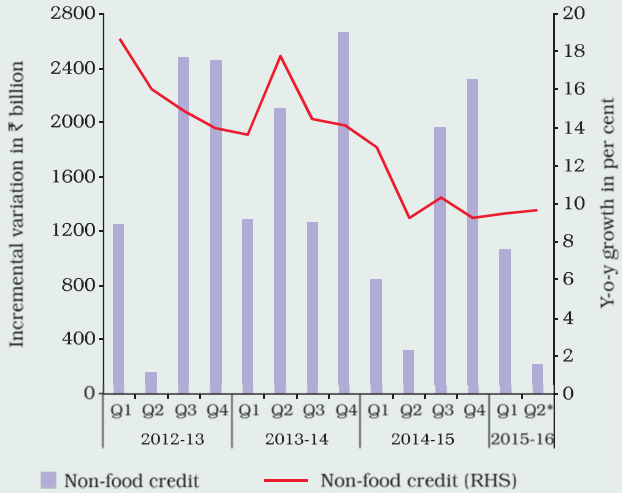
Claessens, S., M. A. Koseand M.E. Terrones (2011), 'How Do Business and Financial Cycles Interact?', IMF Working Paper, No. WP/11/88.

Guo K. and V. Stepanyan (2011), 'Determinants of Bank Credit in Emerging Market Economies', IMF Working Paper WP/11/51.

and foreign, corporates switched some of the demand for financing to non-bank sources. Sale of significantly larger amount of non-performing loans (₹317 billion) by banks to asset reconstruction companies (ARCs) during 2014-15 also contributed to a deceleration in bank credit. Food credit also registered a decline of 4.1 per cent during the year, despite some pick-up in procurement, as a result of enhanced food subsidies which increased by 28.1 per cent in 2014-15.

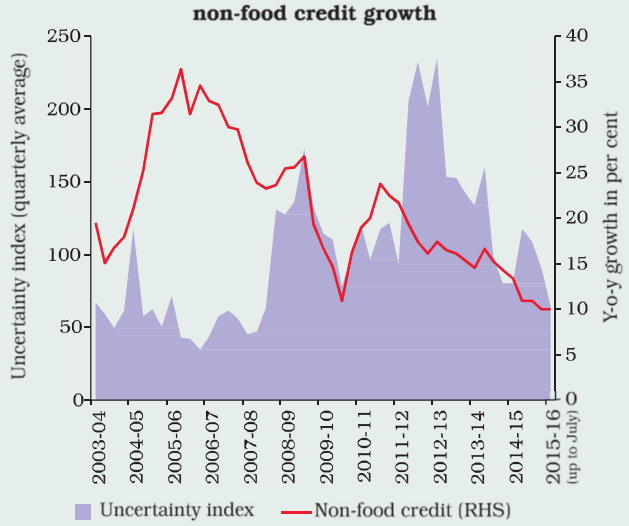
II.3.13 With the deceleration in non-food credit growth on a year-on-year basis, nearly 80 per cent of the incremental credit off-take during 2014-15 took place in the second half of the year, reflecting the improving economic environment (Charts II.17 and II.18). Non-food credit growth increased to 7.1

Chart II.17: Credit off-take skewed towards H2 of 2014-15



*: Data upto August 7, 2015.

Chart II.18: Uncertainty index and non-food credit growth



Source: Economic Policy Uncertainty (http://www.policyuncertainty.com/india_monthly.html).

per cent in H2 of 2014-15 from 2.0 per cent in H1, representing an improvement of 5 percentage points in H2 compared with 0.6 percentage point increase a year ago.

II.3.14 In order to create more space for banks to expand credit to the productive sectors of the economy, the statutory liquidity ratio (SLR) was reduced in three stages from 23 per cent to 21.5 per cent of net demand and time liabilities (NDTL) during 2014-15. However, banks continued to maintain SLR investments around 28 per cent of NDTL, the buffer providing access to collateralised borrowings from the wholesale funding market and the Reserve Bank. Maintaining excess SLR securities also helped banks to weather the impact of the current slow phase of the economic cycle on their balance sheets and earnings.

II.3.15 Data on sectoral deployment of credit, which constitutes about 95 per cent of total bank credit by SCBs, indicate that deceleration in credit off-take in 2014-15 was more pronounced with respect to the industry and services sectors, which together constituted about 68 per cent of total non-food credit. Credit growth in the services sector was weighed down by its major components: trade and non-banking financial companies (NBFCs) that accounted for nearly 48 per cent of the total credit to the services sector. In the industrial sector, growth slowed down across sectors, particularly for infrastructure, basic metals and food processing. The sectors which witnessed lower incidence of NPAs such as personal loans saw higher growth during the year.

II.3.16 Infrastructure accounts for nearly one-third of the credit to the industrial sector. Its main components are power and roads, constituting 60 and 18 per cent of the total infrastructure credit respectively. While deceleration in credit to the power sector was modest, the slowdown was sharp with respect to roads in 2014-15 (Table II.9).

Table II.9: Trends in Credit Deployment to Select Sectors

(Variation in per cent)

	Outstanding at 20-Mar-2015 (₹ billion)	2013-14			2014-15			2015-16
		H1	H2	Year	H1	H2	Year	H1
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Non-food Credit (1 to 4)	**60,030**	**6.8**	**6.3**	**13.6**	**2.2**	**6.2**	**8.6**	**1.1**
1. Agriculture & Allied Activities	**7,659**	**3.4**	**9.2**	**12.9**	**8.8**	**5.7**	**15.0**	**3.8**
2. Industry	**26,576**	**6.3**	**6.1**	**12.8**	**-0.1**	**5.7**	**5.6**	**-1.0**
Of which: (i) Infrastructure	9,245	8.8	5.3	14.6	4.3	6.0	10.5	1.0
Of which: (a) Power	5,576	10.7	5.8	17.1	6.6	7.5	14.5	2.8
(b) Telecommunications	919	-0.6	1.1	0.5	-3.6	8.0	4.2	-2.9
(c) Roads	1,687	9.2	10.1	20.2	3.5	3.3	6.9	-0.7
(ii) Basic Metal & Metal Product	3,854	7.2	7.1	14.9	-0.4	7.2	6.8	-0.6
(iii) Food Processing	1,715	3.5	20.4	24.6	-2.6	20.4	17.3	-6.2
3. Services	**14,131**	**9.0**	**6.5**	**16.1**	**-1.2**	**6.9**	**5.7**	**1.4**
4. Personal Loans	**11,663**	**7.5**	**4.6**	**12.5**	**8.0**	**6.9**	**15.5**	**4.0**

Note: Latest available data for H1 of 2015-16 are up to June 2015.

Chart II.19: Trends in credit off-take to major industries

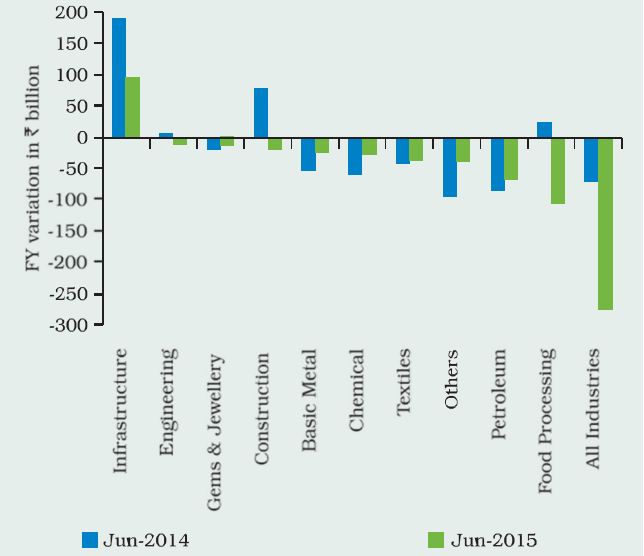
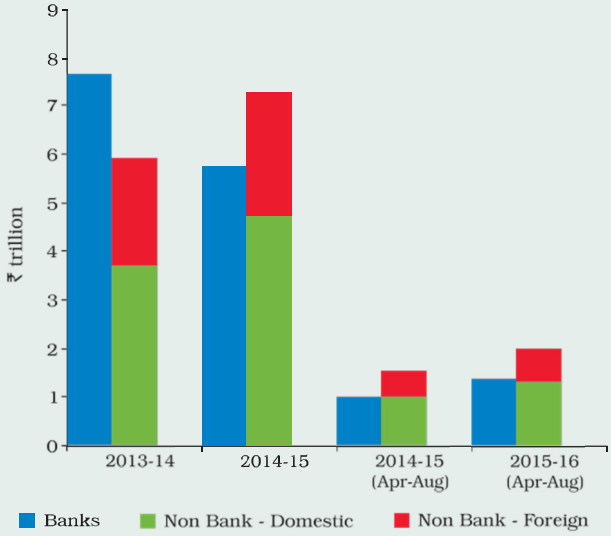


Chart II.20: Flow of resources to the commercial sector



Note: Data up to August 7, 2015.

II.3.17 During 2015-16 so far (up to August 7), credit off-take seems to be picking up reflecting an improving economic and policy environment, though it is too early for a conclusive evidence. Incremental non-food credit stood around ₹1,282 billion as against ₹963 billion during the corresponding period last year. Data on sectoral deployment (up to June 2015) reveal a significant pick-up in services mainly supported by trade and professional services, while industry registered a decline. Within industry, although credit to infrastructure shows signs of pick-up, that to roads continues to be weak (Chart II.19).

Non-bank funding

II.3.18 Slowdown in credit growth dragged down the overall flow of financial resources to the commercial sector in 2014-15, despite higher recourse to non-bank sources of funds (Chart II.20). Amongst the non-bank domestic sources, net issuance of CPs witnessed a four-fold increase during the year, mainly attributable to competitive pricing *vis-á-vis* banks' lending rates. Further, FDI inflows remained strong and accounted for a major chunk of the non-bank foreign resources to the commercial sector. Reliance on non-bank sources continues during 2015-16 so far (up to August 7) amidst comfortable liquidity conditions and competitive rates.

II.3.19 Regime shifts in the conduct of monetary policy shaped monetary and credit conditions in 2014-15. Money supply and other key monetary aggregates decelerated in line with underlying macroeconomic activity. Overall, credit growth was subdued during 2014-15 owing to various factors, such as risk aversion by banks due to rising NPAs and alternative and cheaper sources of non-bank funding, though there was some evidence that a turnaround in the second half of the year might have set in.

II.4 FINANCIAL MARKETS

Global Financial Markets

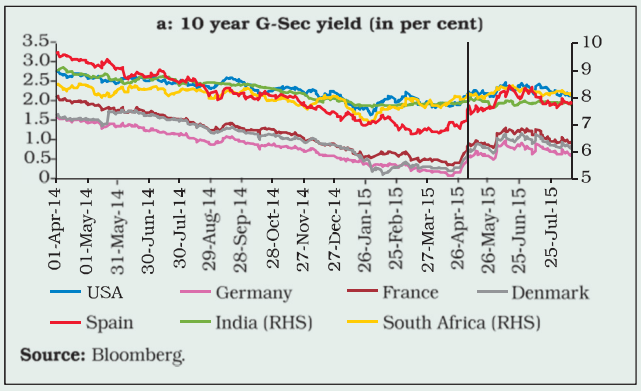
II.4.1 International financial markets remained generally upbeat during 2014-15, lifted by expectations of a relaxed approach of the US Federal Reserve to monetary policy normalisation, quantitative easing by the European Central Bank (ECB) and the Bank of Japan (BoJ) and decline in crude oil prices. Government bond yields for most of the countries were historically low with some European countries even experiencing negative yields (Chart II.21a). A number of stock markets also reached historical highs during 2014-15 as fears about US monetary policy rates lifting off receded and the ECB and the BoJ enhanced their asset purchase programmes. However, markets experienced some volatility in mid-October 2014 on account of uncertainty on the global recovery, a slew of weak data from the US and the euro area and continuing geo-political tensions in the Middle East. Again in the second half of December 2014, markets were affected by the Ukrainian crisis followed by the Russian currency crisis and large exchange rate depreciation in Venezuela and Argentina (Chart II.21b).

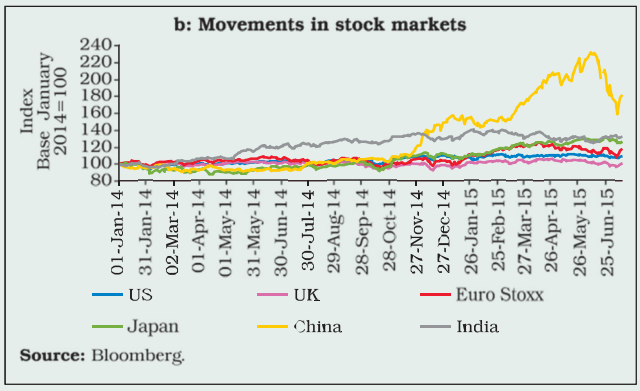
II.4.2 The US dollar index, which measures the dollar's movement against other major currencies, strengthened by 23 per cent from 80.1 at end-March 2014 to 98.4 at end-March 2015. While it strengthened primarily on account of a robust US economic recovery, weak economic recovery in the euro zone and Japan during the year resulted in the euro and the Japanese yen depreciating against the US dollar. In January 2015, as ECB prepared to announce quantitative easing, the Swiss National Bank (SNB) abandoned its cap on the Swiss franc/ euro exchange rate which led to heightened exchange rate volatility. During Q4 of 2014-15, a number of emerging markets and developing economies (EMDEs) reduced their policy rates to support economic growth. Interventions in foreign exchange markets to address depreciating pressures also increased.

II.4.3 In May 2015, markets were surprised by the global bond sell-off that started in Germany as the 10-year German Bund yield increased to intra-day high of 0.77 per cent on May 7 from 0.05 per cent on April 17, 2015. Concerns over Greek debt, sustained increase in crude oil prices and profit booking quickly transmitted to US treasury bills as well as emerging market economies.

II.4.4 During June 2015, movements in international financial markets were abuzz with uncertainty relating to the outcome of Greek debt negotiations and meltdown in the Chinese stock market. However, in July financial markets received

Chart II.21: International Financial Markets





support from the announcement of the bailout deal between Greece and the euro zone members and signing of the nuclear deal between Iran and major world powers. In August, the global financial markets were shaken by China's decision to devalue its currency by around 2 per cent.

Indian Financial Markets

II.4.5 Both domestic and global cues were at play in buoying Indian financial markets during 2014-15. Equity markets reached all-time highs during the year. Money markets were stable and liquid with call money rate evolving tightly around the policy repo rate. Yields on government securities (G-secs) declined gradually and activity in the corporate bond market registered an increase mainly due to primary issuances.

Money Market

II.4.6 Overnight call money rates remained closely aligned to the policy repo rate, with active liquidity management operations under the revised liquidity management framework, except adjustment for the year-end window dressing. Money market rates declined in Q4 in sync with cuts in the policy rate (Chart II.22). With deposit growth generally remaining above credit growth during the year, structural liquidity conditions remained comfortable. During 2015-16 so far, call money rates have remained aligned to the policy repo rate with money market rates declining after the cut in policy rate on June 2, 2015.

II.4.7 The spread of the daily weighted average call rate (excluding Saturdays) over the policy rate narrowed down significantly during 2014-15 from 30 basis points (bps) to 18 bps after the adoption of the revised liquidity management framework in September 2014. The spread further narrowed down to 16 bps during 2015-16 (upto August 14). The spread of collateralised rates (CBLO and market repo) also narrowed down during this period,

Chart II.22: Money Market Rates



Source: The Reserve Bank and CCIL.

indicating synchronised movement among overnight money market rates. The collateralised segment continued to attract a major portion of the turnover in the overnight market, with the uncollateralised (call money) segment registering relatively thin volumes, rendering it susceptible to bouts of volatility. A large part of the assured liquidity support under the Reserve Bank's liquidity adjustment facility (LAF) is being offered through variable rate term repos with one of its main objectives being development of the term money market. Notwithstanding these initiatives, the turnover in the term money market has remained muted.

Issuance of CDs and CPs

II.4.8 The average fortnightly issuance of certificates of deposits (CDs) decreased to ₹297 billion during 2014-15 from ₹306 billion during the previous year (Chart II.23). The easing of liquidity conditions, coupled with a reduction in the policy rate and relatively lower issuances of CDs by banks on the back of subdued credit off-take, led to a decrease in the weighted average effective interest rate (WAEIR) on CDs from 9.74 per cent at end-March 2014 to 8.58 per cent at end-March 2015.

Chart II.23: CD Issuance and WAEIR

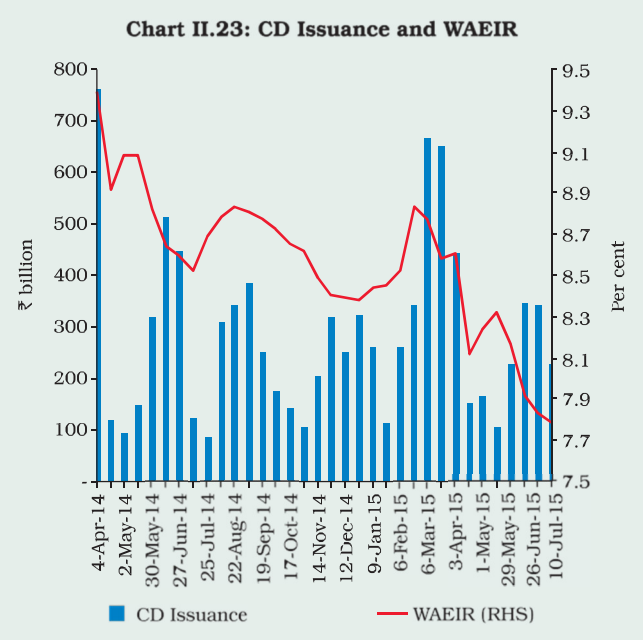
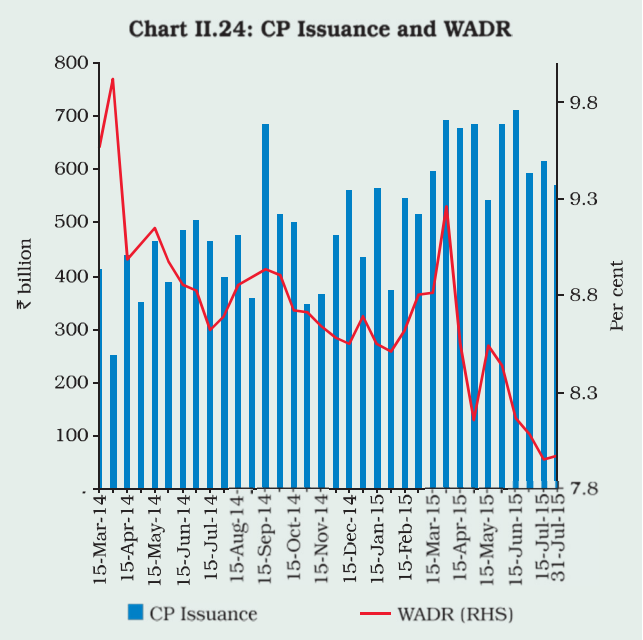


Chart II.24: CP Issuance and WADR

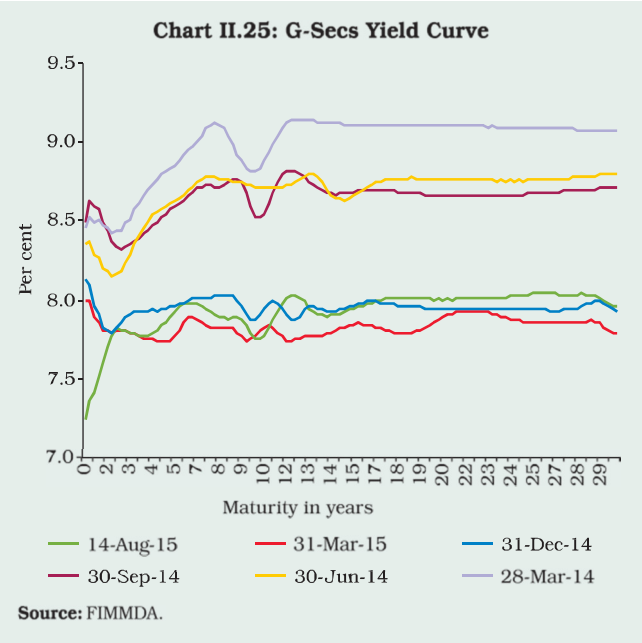


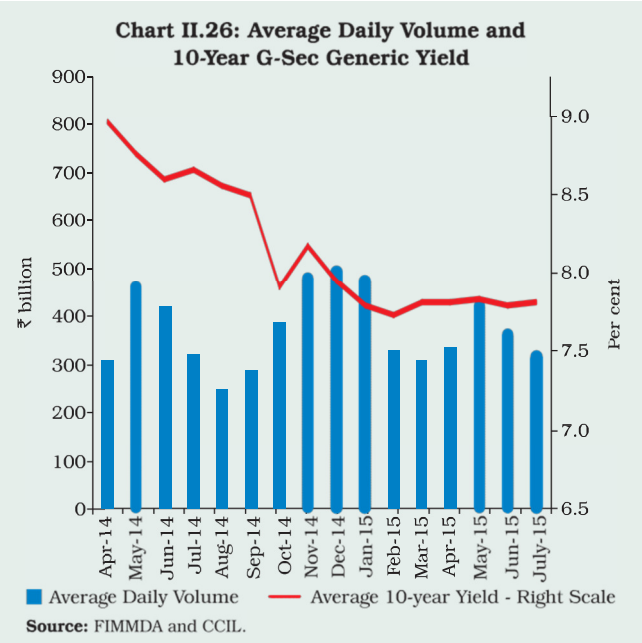
The easing trend has continued during 2015-16 so far with WAEIR declining further to 7.79 per cent by July 10, 2015.

II.4.9 The average fortnightly issuance of commercial papers (CPs) increased by 58 per cent to ₹479 billion during 2014-15, reflecting substitution of short-term bank credit by market based funding on account of the cost effectiveness of CPs for raising funds on the back of significant easing of yields on corporate bonds (Chart II.24). Consequently, the outstanding amount of CPs stood higher at ₹1,933 billion at end-March 2015 as compared to ₹1,066 billion at end-March 2014. The weighted average discount rate (WADR) for CPs decreased to 9.26 per cent at end-March 2015 from 9.92 per cent at end-March 2014, reflecting easing of liquidity conditions during the year and overall downward movement in the interest rate cycle. The declining trend has continued during 2015-16 so far with WADR standing at 7.97 per cent at end-July 2015.

Yields in the G-Secs Market

II.4.10 G-secs yields generally softened through 2014-15, reflecting easing of US treasury yields, active buying interest by foreign portfolio investors (FPIs), sharp decline in inflation, improvement in the fiscal situation, positive sentiment after the general elections, steep decline in international oil prices and cuts in policy rate by the Reserve Bank. Some uptick in yields occurred in June and July 2014 due to geo-political tensions in the Middle East as also the announcement of higher net market borrowing in the Union Budget for 2014-15. Yields spiked again in the second half of December 2014 on account of geo-political tensions and the Russian currency crisis. However, the yields softened in Q4 following increased buying by FPIs. Sustained buying interest in government debt by FPIs was discernible as their limit remained almost fully utilised, notwithstanding certain conditions such as debarring FPIs from investing in treasury bills and permitting incremental investment only in G-secs with minimum residual maturity of three years. Notably, the G-secs market weathered the impact of a complete exit from the assets purchase programme by the Federal Reserve in October 2014 with the yields continuing to exhibit a softening bias on the back of buoyant investor sentiment (Chart II.25).



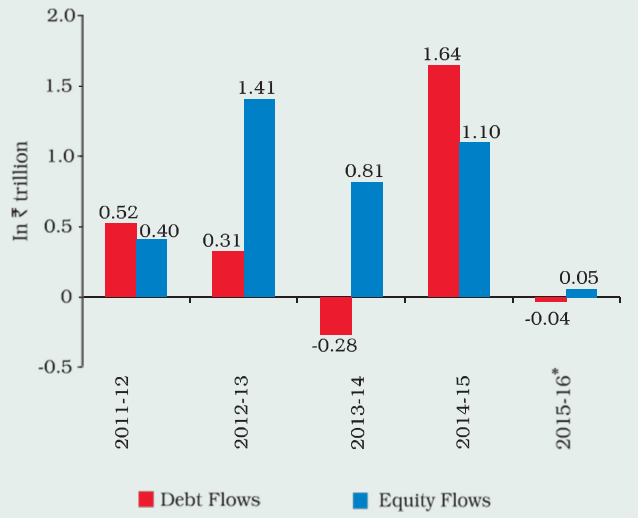


II.4.11 Bearish sentiment took hold in the G-secs market in February 2015 for a variety of reasons, including, but not limited to, a broadly unchanged size of the government market borrowing programme for 2015-16 and rescheduling of the fiscal consolidation plan by a year as announced in the Union Budget for 2015-16. However, the follow-up policy rate cut of 25 bps each on January 15, 2015 and March 4, 2015, coupled with a sharp fall in US treasury yields, buoyed the market sentiment and led to softening of the 10-year G-Sec yield. The improvement in sentiment was short-lived after a status quo on the policy rate was announced in the bi-monthly monetary policy on April 7, 2015. More pertinently, taking cues from hardening of long-term bond yields in most of the advanced economies on the back of improved growth and inflation outlook, and hardening oil prices, the 10-year yield on Indian G-secs rose during the first half of May 2015, touching a high of 8.09 per cent on May 11, 2015. The yield has, however, softened thereafter with the introduction of a new 10-year benchmark security, cut in policy rate and significant decline in inflation. The 10-year yield stood at 7.75 per cent on August 14, 2015. The average volume generally varied inversely with the movement in 10-year G-sec yield barring the period from October to November 2014 (Chart II.26). The G-secs turnover ratio moved up to 1.95 per cent in 2014-15 from 1.87 per cent in the previous year.

FPI Flows into India

II.4.12 FPIs in the equity and debt markets in India revived during 2014-15. While FPI inflows to the debt market turned positive at ₹1.6 trillion facilitated by an increase in the FPI sub-limit by US$ 5 billion within the overall limit of US$ 30 billion, FPI investments in equity markets were also higher than they were in 2013-14 (Chart II.27). Currently, FPI investors are permitted to invest only in bonds with the minimum residual maturity of three years so as to encourage investments in long term securities and to contain interest rate volatility at the shorter end. The effective FPI limit was increased by allowing FPIs to invest coupons fromG-secs, outside the overall limit, with effect from February 5, 2015. During 2015-16 so far (up to August 13, 2015), FPI flows in the debt and equity markets have been subdued at ₹(-)43.2 billion and ₹47.4 billion, respectively, following the global bond sell-

Chart II.27: FPI Flows to Debt and Equity Markets



*: Data upto August 13, 2015.
Source: National Securities Depository Limited (NSDL).

off triggered in the European bond markets on May 7, 2015, concerns over weak quarterly earnings reported for Q4, as also over the minimum alternate tax (MAT) and increased uncertainty in the global financial markets.

Corporate Bond Market

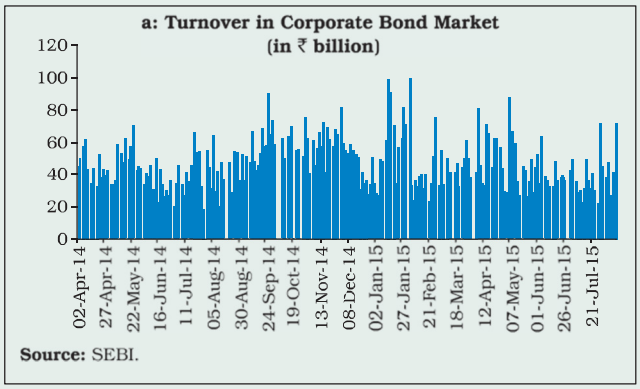
II.4.13 During 2014-15, turnover in the corporate bond market increased by 12 per cent to ₹10,913 billion (Chart II.28a). On the other hand, the yield spread of 5-year AAA rated corporate bonds over G-secs of corresponding maturity declined until mid-November 2014 following the crash in global crude oil prices, stability in the exchange market and Moody's outlook upgrade. Subsequently, however, frictional liquidity pressure on account of advance tax payments and concerns over the rise in the current account deficit for Q2 of 2014 led to a widening of the spreads until mid-January 2015. Following the cuts in the policy repo rate and improved liquidity conditions, yield spreads declined in Q4 of 2014-15 (Chart II.28b). During 2015-16 so far, the yield spread remained range bound, indicating easy liquidity conditions.

Secondary Equity Market

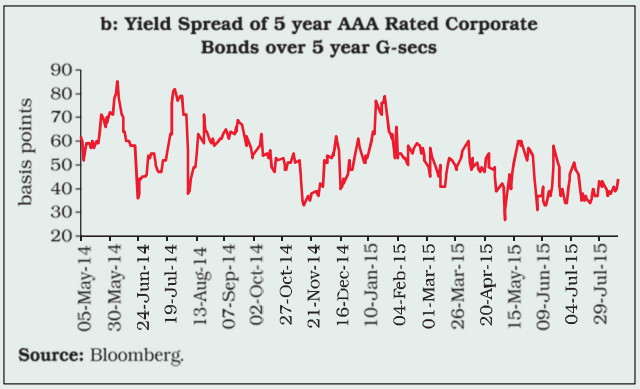
II.4.14 The equity market witnessed heightened activity in 2014-15, scaling new highs on January 29, 2015 (Chart II.29a). During the year, the BSE Sensex rose by 25 per cent on top of the uptick of 19 per cent in 2013-14. Equity market sentiment was supported by political stability, sustained FPI flows, lower international crude oil prices and softening of the policy rate.

II.4.15 The equity market was also supported by global liquidity conditions and the search for yield aided by the US Federal Reserve's commitment to low interest rates, ultra-accommodative monetary policies pursued by the ECB, the BoJ and the People's Bank of China. In US dollar terms, the Sensex rose by 20 per cent, turning out to be one of the best performing markets in the world (Chart II.29b). The domestic equity market also witnessed lower volatility in 2014-15 as compared to equity markets abroad.

Chart II.28: Corporate Bond Market

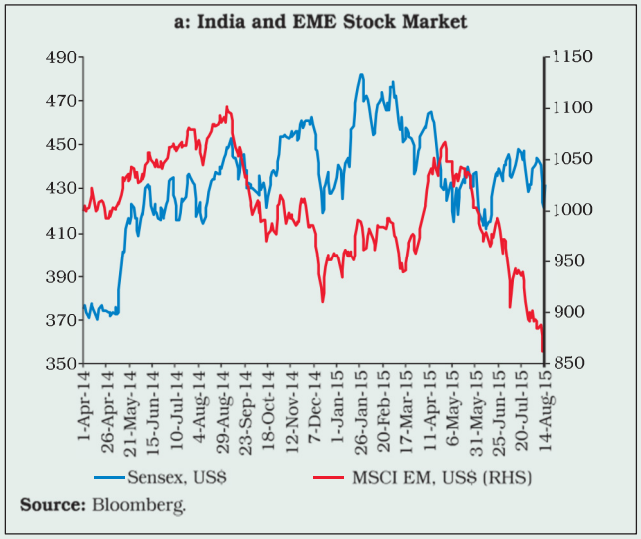


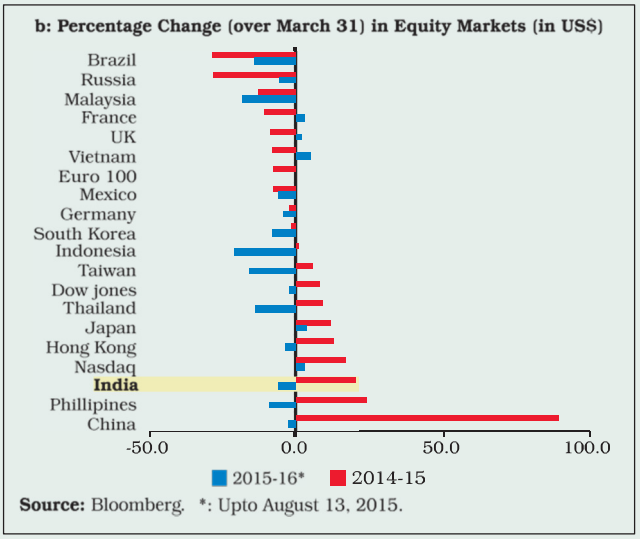
Source: SEBI.



Source: Bloomberg.

Chart II.29: Performance of Indian Equities *vis-a-vis* other Major Markets





II.4.16 During 2015-16, equity markets had a subdued start on account of FPIs' concern over MAT, weak Q4 corporate earnings and forecast of a below normal monsoon. However, benchmark indices recovered after realisation of above normal rainfall in June. Domestic markets also received support from positive developments relating to Greece and the Iran nuclear deal. In August 2015, the stock markets remained range bound guided, among others, by mixed earnings for Q1 of 2015-16 and global developments such as China's currency devaluation.

Primary Equity Market

II.4.17 During 2014-15, resource mobilisation through equity issues, including qualified institutional placement (QIP) rose significantly by 44 per cent (Table II.10). There were signs of renewed interest in initial public offerings (IPOs) with an increase in the number of companies filing draft red herring prospectuses (DRHPs) with the Securities and Exchange Board of India (SEBI) to raise resources in 2015-16. Going forward, positive sentiment in the secondary market, if sustained, will help raise larger resources through the primary market.

Private Placement of Corporate Bonds

II.4.18 Mobilisation through private placement of corporate bonds at ₹4,041 billion was significantly higher by 46 per cent during 2014-15, while public issues of non-convertible debentures at ₹97 billion were much lower. Mobilisation through public issues of bonds is set to witness a revival in 2015-16 with the Union Budget 2015-16 proposing to raise resources through tax-free bonds for funding infrastructure.

II.4.19 The Central Government has budgeted a receipt of ₹695 billion through disinvestment in 2015-16, of which ₹ 285 billion is expected to be mobilised through strategic disinvestments. Measures, such as the introduction of e-IPO norms and allowing firms to launch real estate investment trusts (REITs) and infrastructure investment trusts (InvITs) as also the government's disinvestment measures are expected to provide an impetus to the capital markets going forward.

House Price Index (HPI)

II.4.20 Quarterly growth (y-o-y) in HPI went below 16 per cent in Q1 of 2013-14 and further down in

Table II.10: Primary Capital Market Mobilisation

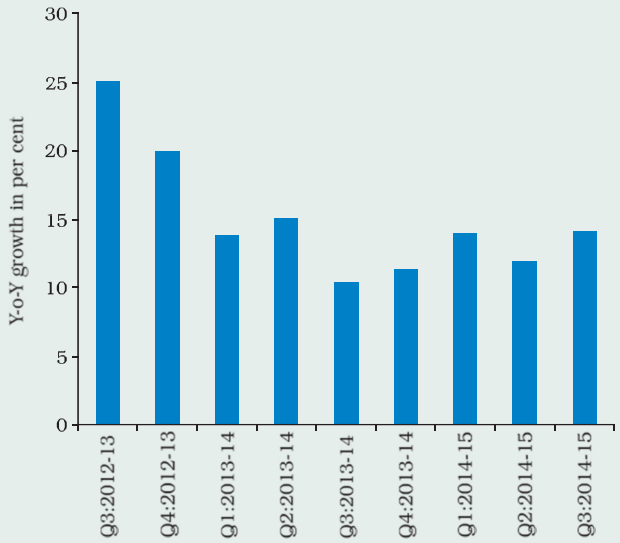
(₹ billion)

Category	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (P)
1	2	3	4	5
a. Public Issues (i)+(ii)	**460.9**	**219.2**	**510.8**	**127.5**
(i) Public Issues (Equity)	104.8	49.4	87.0	30.4
Of which				
IPOs	59.0	49.4	12.4	30.4
FPOs	45.8	0.0	74.6	0.0
(ii) Public Issues (Debt)	356.1	169.8	423.8	97.1
b. Rights Issues	23.7	89.4	45.8	67.5
Total Equity Issues (i+b)	**128.6**	**138.8**	**132.7**	**97.9**
c. Euro Issues (ADR/GDR)	27.1	10.4	1.2	95.9
d. Mutual Fund Mobilisation (net)	-220.2	765.4	537.8	1032.9
1. Private Sector	-154.5	637.9	488.4	1037.0
2. Public Sector	-65.8	127.5	49.4	-4.1
e. Private placements in the corporate debt market	2612.8	3614.6	2760.5	4041.4
f. QIP	21.6	160.0	136.6	291.0

P: Provisional; IPOs: Initial public offerings; FPOs: Follow on public offers; ADR: American depository receipts; GDR: Global depository receipts; QIP: Qualified institutional placement.
Source: SEBI and Prime database.

Q3 mainly due to subdued demand. However, it moved up in the first three quarters of 2014-15, suggesting a moderate pick up in house price growth, particularly in cities like Delhi and Kolkata (Chart II.30). The demand for residential properties has slowed down in recent times and unsold stock of residential homes has increased considerably at the same time. Genuine home buyers moved away from the housing market due to higher prices and investors stayed away due to the weakening state of the economy. As the economic growth has started to take-off, the overall buyer sentiment is expected to rise. Presumably, developers are counting on this to happen and hence holding the price.

Chart II.30: Movement in the House Price Index



Source: The Reserve Bank.

II.4.21 Financial markets in India performed well during 2014-15. Money market rates closely followed the policy repo rate; and in the backdrop of sluggish credit growth and relatively comfortable structural liquidity, coupled with policy rate easing by the Reserve Bank, the rates on CPs and CDs declined during the year. G-secs yields generally softened in 2014-15 in line with a decline in inflation and continued buying interests by FPIs. Equity markets, primary as well as secondary, fared better than in the previous year.

II.5 GOVERNMENT FINANCES

II.5.1 Public finances have been gradually improving at the level of both the Centre and the states. The impetus for rectitude has mainly emanated from a re-commitment to calibrated paths of fiscal consolidation in the post-global crisis period. Initially quantity-driven, these efforts have been guided by the imperative to stabilise fiscal consolidation on the chosen trajectories and then to re-order expenditure priorities from subsidies to investment, to raise tax buoyancy, to rationalise non-developmental spending and leakages and to contain public debt at sustainable levels for all layers of the government. With annual budgetary targets for the gross fiscal deficit (GFD) met since 2012-13, attention has increasingly turned to the quality of fiscal consolidation. Key deficit indicators of the Central Government were lower in 2014-15, as per the provisional accounts (PA), than a year ago. GFD was lower than the budgetary target, both in absolute terms and as percentage of GDP.

Centre: Receipts and Expenditure

II.5.2 In 2014-15 (provisional accounts), non-debt receipts were sluggish reflecting tepid domestic activity. While gross tax collection suffered a shortfall of 8.8 per cent from the budget estimates (BE), net tax inflows turned out to be 7.7 per cent lower than BE, mainly on account of subdued indirect tax receipts. Non-tax revenue was also lower than BE due to lower collections from general, economic, fiscal and social services. Non-debt capital receipts were significantly lower than the budgetary target, reflecting a large shortfall in disinvestment proceeds.

II.5.3 The shortfall in non-debt receipts warranted a sharp cutback in plan expenditure by more than 20 per cent, both on the revenue and capital accounts, in order to meet deficit targets. A marginal reduction in non-plan expenditure over BE was also effected through reduction in capital expenditure and interest payments.

II.5.4 Both overall capital expenditure and capital outlay were lower than budgeted levels and also lower than last year's levels. This has potentially adverse implications for growth in the medium term.

Recalibration of the Fiscal Consolidation Path in 2015-16

II.5.5 Union Budget 2015-16 has carried forward the process of fiscal consolidation, with all the key deficit indicators projected to decline (Table II.11). The targeted reduction in GFD is proposed to be

Table II.11: Fiscal Performance of the Central Government

(Per cent of GDP)

Variables	2004-08 (Avg)	2008-10 (Avg)	2010-14 (Avg)	2013-14	2014-15(RE)	2014-15 (PA)	2015-16 (BE)
1	2	3	4	5	6	7	8
Non Debt Receipts	**10.4**	**9.5**	**9.5**	**9.3**	**9.3**	**9.1**	**8.7**
Tax revenue	7.8	7.5	7.3	7.2	7.2	7.2	6.5
Non-tax revenue	2.1	1.8	1.8	1.8	1.7	1.6	1.6
Non debt capital receipts	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.6
Total Expenditure	**14.2**	**15.8**	**14.5**	**13.7**	**13.4**	**13.1**	**12.6**
Revenue expenditure	11.9	14.1	12.7	12.1	11.9	11.6	10.9
Capital expenditure	2.3	1.7	1.8	1.7	1.5	1.5	1.7
Plan expenditure	4.0	4.8	4.4	4.0	3.7	3.6	3.3
Non-plan expenditure	10.2	11.0	10.1	9.7	9.7	9.5	9.3
Revenue Deficit	**2.0**	**4.9**	**3.6**	**3.1**	**2.9**	**2.9**	**2.8**
Gross Fiscal Deficit	**3.4**	**6.2**	**5.0**	**4.4**	**4.1**	**4.0**	**3.9**

Note: 1. Avg: Average; RE: Revised Estimates; PA: Provisional Accounts; BE: Budget Estimates.
2. GDP 2014-15 is as per Provisional Estimates of CSO.

attained by a compression in revenue expenditure combined with an increase in non-debt capital receipts. The goalpost for achieving the GFD-GDP target of 3.0 per cent under the FRBM Act/Rules has been shifted by a year to 2017-18 mainly to accommodate higher public investment to support growth, and higher devolution to the states following the recommendations of 14th Finance Commission as also accounting for uncertainties associated with the implementation of the Goods and Services Tax (GST) and the likely burden of the 7th Pay Commission award.

Targets for Indirect Taxes and Disinvestment Proceeds

II.5.6 With an expected growth of 16.4 per cent in gross tax revenue, the ratio of gross tax revenue to GDP is estimated to improve by 0.4 percentage points to 10.3 per cent in 2015-16. The net tax revenue accruing to the Centre is, however, budgeted significantly lower at 6.5 per cent of GDP – down from 7.2 per cent in 2014-15 (PA) due to higher devolution to the states following the 14th Finance Commission award. The implied tax buoyancy for gross tax revenue is significantly higher than the realised buoyancy of less than 1 in the previous two years (Table II.12). Further, the projected increase of 18.9 per cent in indirect taxes as against 9.8 per cent realised in 2014-15 (PA) assumes a buoyancy of about 2 for service tax on the back of a hike in the service tax rate (inclusive of education cess) by 1.64 per cent, pruning of the Negative List under service tax and withdrawal of certain other exemptions to widen the tax base. The projected buoyancy of 1.73 in the case of excise duty collections is mainly supported by *ad hoc* hikes in excise duty on petrol and diesel in 2014-15, increase in excise duty on select products, such as mobile handsets and cigarettes, imposition of excise duty on hitherto untaxed items like condensed milk and peanut butter, and a general increase in excise duty to 12.5 per cent from the prevailing 12.36 per cent. While these measures will facilitate meeting budgeted targets for indirect tax collections in 2015-16, it is crucial to adhere to the timeline for the rollout of GST for a sustainable increase in tax revenues in the medium term.

II.5.7 Non-tax revenue, which includes dividends from public sector undertakings (PSUs), the Reserve Bank, PSU banks and spectrum charges, is budgeted to grow at 12.6 per cent in 2015-16. Disinvestment proceeds are budgeted higher at ₹410 billion, with an additional inflow of ₹285 billion estimated out of strategic disinvestments. The projected increase of about 179 per cent in disinvestment receipts, despite a track record to the contrary in terms of actual realisation, poses possible risks to overall budgetary targets for 2015-16.

Table II.12: Tax Buoyancy and Growth Rates in Tax Collections*

Tax Categories	Tax Buoyancy			Growth Rates (Per cent)		
	2013-14	2014-15(PA)	2015-16 (BE)	2013-14	2014-15(PA)	2015-16 (BE)
1	2	3	4	5	6	7
Gross Tax Revenue	0.73	0.89	1.31	9.9	9.3	16.4
Corporation Tax	0.79	0.82	0.78	10.8	8.7	9.7
Income Tax	1.55	0.82	1.93	21.0	8.6	24.2
Customs Duty	0.30	0.88	0.86	4.1	9.3	10.8
Union Excise Duty	-0.24	1.05	1.73	-3.2	11.1	21.6
Service Tax	1.23	0.81	1.99	16.7	8.5	24.9

*: Buoyancies are worked out with respect to overall GDP growth rate.

Expenditure Pattern

II.5.8 The Centre's total expenditure is budgeted to increase by 8.1 per cent in 2015-16 (BE) with revenue expenditure declining as a proportion to GDP. Capital expenditure is budgeted to increase sharply, reflecting the projected high growth in non-defence capital outlay.

II.5.9 Plan expenditure is expected to increase marginally in 2015-16 reflecting higher capital expenditure. In the non-plan expenditure, subsidies are budgeted to decline on account of around 48 per cent cut in petroleum subsidy following a sharp fall in international crude prices and the deregulation of the retail sale of diesel that was undertaken in 2014. Food subsidies are budgeted to increase at a modest pace, while fer tiliser subsidies are expected to decline.

Quality of Fiscal Adjustment in 2015-16

II.5.10 Overall, the Government's plan for fiscal consolidation in 2015-16 through re-orientation of public expenditure in favour of investment rather than subsidies is a welcome move towards improving the quality of fiscal adjustment (Box II.5). Towards achieving this, it will be important to

Box II.5
Quality of Fiscal Adjustment

In the aftermath of the global financial crisis, government finances deteriorated significantly across the world as fiscal stimulus measures were introduced to reinvigorate the growth process and kick-start national economies worldwide. Both advanced and emerging market economies have embarked on fiscal consolidation since 2010, although the speed and extent of consolidation has been country-specific. In India, fiscal consolidation resumed from the second half of 2012-13, bringing about a steady decline in the centre's gross fiscal deficit (GFD) from 5.8 per cent of GDP in 2011-12 to 4.0 per cent in 2014-15 (PA). Notwithstanding such improvement, the quality of fiscal adjustment has remained a cause for concern.

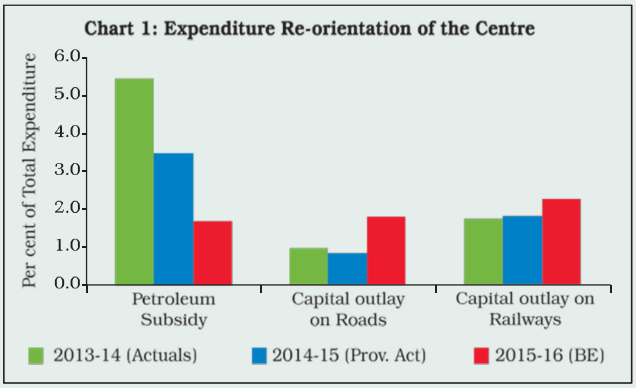
Ideally, a fiscal consolidation strategy should be a mix of rationalisation of expenditure and revenue augmentation so that the welfare burden of consolidation is fairly distributed across society. Apart from obvious steps like reducing government consumption and unproductive expenditure, such as subsidies, a consolidation process must deploy freed-up resources in higher public investment and/or more social spending *via* transfers to the poor. This will induce medium term growth that can compensate the near-term decline in output. Adjustments must necessarily be accompanied by structural reforms to enhance productivity and a credible fiscal consolidation roadmap that will anchor market expectations (Tapsoba 2013).

Fiscal consolidation in India has primarily been effected through aggressive cut-backs in expenditure, both on the revenue and capital accounts due to non-realisation of budgeted non-debt receipts. As a result, the onus of fiscal consolidation has disproportionately fallen on expenditure compression. In the process, certain productive expenditures under the central plan suffered cuts in excess of 20 per cent over budget estimates during 2012-13 to 2014-15 (RE). These include irrigation and flood control, communications, rural development and education. Plan capital expenditure suffered a shortfall of 14.4 per cent, on an average, during this period. Fiscal rectitude based on cutbacks in capital expenditure has adverse effects on sustainable growth since the multiplier effects of capital expenditure are found to be larger and more prolonged than those of revenue expenditure (Jain and Kumar 2013).[1]

Union Budget 2015-16 has envisaged a reorientation of government expenditure with capital expenditure budgeted to grow at 29.1 per cent, while expenditure on subsidies is projected to undergo a decline (Chart 1). This re-prioritisation of government expenditure along with the other initiatives discussed in Section II.1 of this Chapter is expected to facilitate pick up in investment in the economy. While this is indicative of an improvement in the quality of expenditure, it is imperative that budgeted targets are converted into actual realisation. In the past three years, the government has been

(Contd....)

[1] As per Jain and Kumar's (2013) estimates, the impact multipliers of non-defence capital outlay, revenue expenditure and aggregate expenditure for the Central Government are 2.09, 0.19 and 0.40, respectively.



effecting a cut of about 19 per cent in the actual capital outlay over budgeted levels in view of revenue shortfalls. A comprehensive fiscal consolidation strategy will also need sustainable improvement in government revenue.

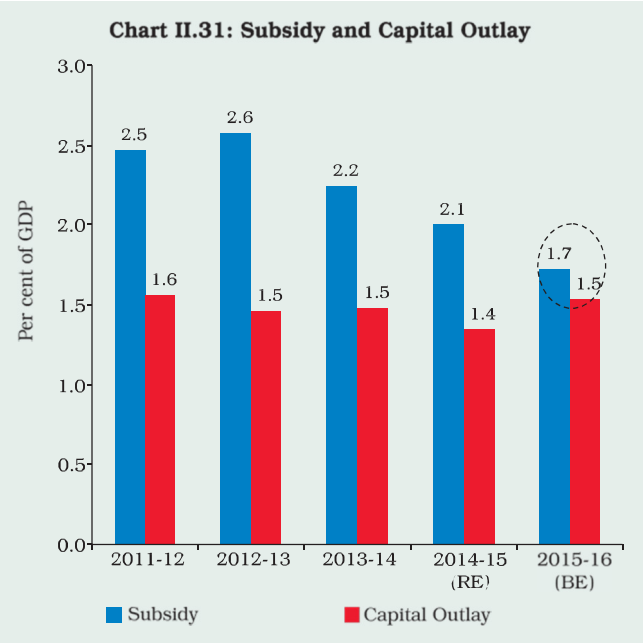
References:

Jain, R., and P. Kumar (2013), 'Size of Government Expenditure Multipliers in India: A Structural VAR Analysis', RBI Working Paper No. 07.

Tapsoba, S. J. (2013), 'Options and strategies for fiscal consolidation in India', IMF Working Paper No.127.

realise the budgeted revenue on the one hand, and adhere to the budgeted expenditure on subsidies on the other (Chart II.31).

II.5.11 Food subsidy is budgeted to increase modestly in 2015-16, despite the proposed expansion in coverage under the National Food Security Act. Capping the food subsidy within the budgeted level will involve a multi-pronged strategy: end-to-end computerisation of the public distribution system, decentralisation of procurement and distribution of food grains and improving the operational efficiency of the Food Corporation of India (FCI). Through direct benefit transfers (DBTs), the government may economise on food subsidy expenditure by eliminating costs associated with procuring, distributing and storing foodgrains. The recently announced Urea Policy of the government, which aims at maximising indigenous production and promoting energy efficiency in urea production units, so as to reduce import dependency and hydrocarbon inputs respectively, is expected to result in direct savings in the fertiliser subsidy of around ₹26.2 billion and indirect savings of around ₹22.1 billion, respectively, over the next four years on account of reduced energy consumption and import substitution.



II.5.12 As per the latest available information, the key deficit indicators of the Central Government, *viz.*, GFD and RD, as percentages to their budget estimates (BE), were lower during April-June 2015 than in the corresponding period of the previous year. Despite higher total expenditure, robust non-debt receipts resulted in lower GFD during this period. Higher collections under all categories of indirect taxes and higher non-tax revenue provided a boost to the Central Government's receipts. While outgo on major subsidies was lower, capital expenditure was higher on account of higher growth in plan capital expenditure. On July 31, 2015, the Government has approved additional provision of ₹255 billion sought through the first batch of Supplementary Demand for Grants for 2015-16 to

meet priorities like capitalisation of public sector banks, support for social sector and rural development, additional support for metro rail projects, energy sector, food sector, civil aviation, culture and tourism and home affairs.

States' Fiscal Position in 2015-16[2]

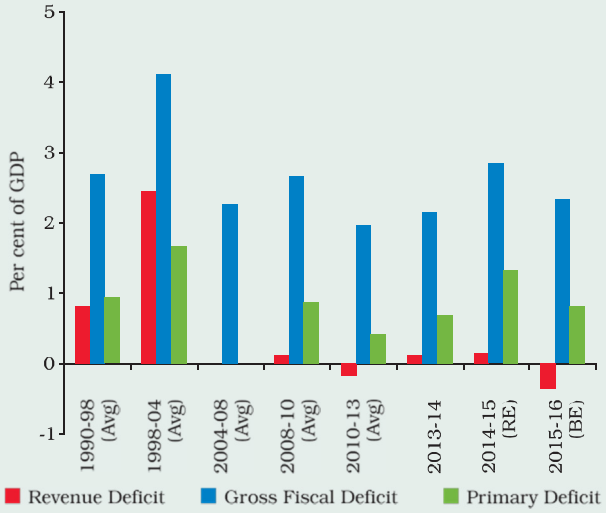
II.5.13 The consolidated position of state finances[3] indicates an increase in the GFD-GDP ratio to 2.9 per cent in 2014-15 (RE) from 2.2 per cent in 2013-14, mainly due to an increase in aggregate expenditure which offset the increase in revenue receipts. The capital outlay ratio increased by 0.7 percentage points of GDP in 2014-15 over the previous year's level. The revenue balance continued to be in deficit at 0.1 per cent of GDP.

II.5.14 The BE for 2015-16 projects a decline in the GFD-GDP ratio to 2.3 per cent and turnaround in revenue account from a deficit to a surplus mode, indicating the states' intention to intensify the process of fiscal consolidation (Chart II.32). Improvement in the fiscal position is budgeted through buoyancy in tax revenues and containment of expenditure. Expenditure patterns of the states indicate stagnancy in committed and non-development expenditure and a decline in development expenditure.

Combined Fiscal Outcome in 2014-15

II.5.15 The fiscal position of the general government deteriorated in 2014-15 (RE). The combined fiscal deficit stood at 6.9 per cent of GDP as against 6.6 per cent in 2013-14. The decline in the Central Government's GFD by 0.3 percentage points was more than offset by a 0.7 percentage points increase in the GFD of state governments. The fiscal deficit of the general government, however,

Chart II.32: Key Deficit Indicators of the State Governments



Note: Figure for 2013-14 to 2015-16 correspond to 25 states.

is budgeted to improve to 6.3 per cent in 2015-16 (BE), mainly through a lower growth in expenditure *vis-à-vis* non-debt receipts.

II.5.16 Union Budget 2015-16 was formulated with the two-fold objective of promoting growth through stepping up investment and strengthening the federal structure. Accordingly, the fiscal strategy during 2015-16 is focused on creating space for infrastructure spending through a mix of own resources as well as a sharp increase in investments by central public sector enterprises and a substantial increase in resource transfer to the states. While the increased devolution to the states will constrain the Central Government's finances, it will help the states design, implement and finance programmes according to their specific needs. However, with an increase in the fiscal autonomy of the states, it will be crucial for them to effectively invest their resources.

[2] Data pertain to 25 states.

[3] An aggregative analysis tends to disguise significant differences across states in terms of fiscal position and policies. In this regard, the Reserve Bank's annual publication titled 'State Finances: A Study of Budgets of 2014-15' provides an in-depth analysis of state finances at a disaggregated level.

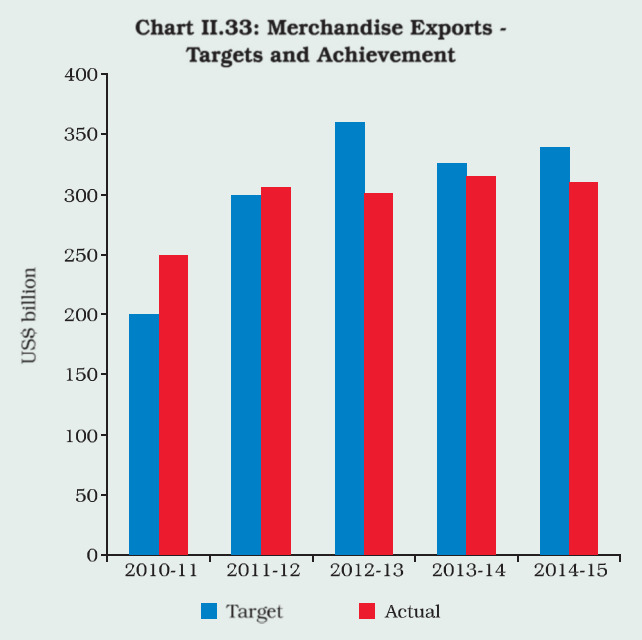
II.6 THE EXTERNAL SECTOR

II.6.1 Global developments impacted India's external sector significantly in 2014-15. The collapse in international commodity prices, particularly of crude, delivered a positive shock, yielding a large measure of savings in imports. Export performance remained resilient to the commodity price plunge and large movements in G3 exchange rates for the greater part of the year. However, the conjunction of weak global demand, decline in crude prices affecting exports of petroleum products (POL) and persisting real appreciation of rupee, eventually took its toll, resulting in export contraction in the last four months of the year. With import prices falling faster than export prices, however, unexpected terms of trade gains accrued. Imports of gold remained subdued until the liberalisation of restrictions prompted a surge in volumes in the later part of the year. The combination of these factors restrained the current account deficit within sustainable limits.

II.6.2 In response to large macroeconomic adjustments undertaken since the summer of 2013 and also buoyed by ebullient optimism surrounding political change and expectations of structural reforms, foreign investments - both direct and portfolio - recorded substantial inflows. Consequently, the external financing requirement was comfortably met and there was large accretion to the reserves. Indicators of external sustainability, which improved from their levels a year ago, will buffer the Indian economy in light of an increase in policy rates by the US Fed later in the year or in 2016.

Merchandise Export Performance

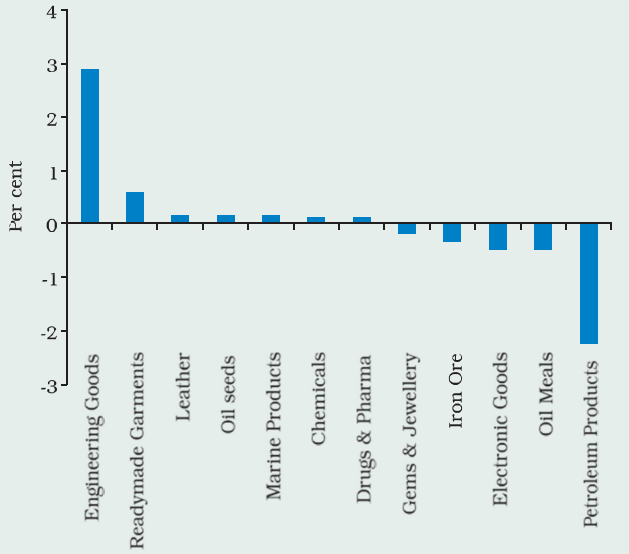
II.6.3 India's merchandise exports fell below the target set by the government for the third successive year (Chart II.33); the modest rise in volumes was eroded by a decline in unit value realisations.



Weighed down by a sharp fall in Q4, the volume of both POL and non-POL exports grew only modestly in 2014-15. Merchandise export growth in US dollar terms held up well in Q1 of 2014-15, but gradually lost momentum in Q2 and Q3, followed by a decline of about 16 per cent in Q4 - the sharpest contraction since Q2 of 2009-10 at the height of the global financial crisis. Export contraction was steeper in Q1 of 2015-16, though the downward drift was slower in July 2015.

II.6.4 Amongst the major sectors, petroleum products, oil meals, electronic goods, iron ore and gems & jewellery dragged down the overall export performance in 2014-15 (Chart II.34). While the fall in exports of petroleum products reflected the softening of international crude oil prices in the last three quarters of 2014-15, weakness in demand for other commodity classes interacted with domestic supply constraints related to infrastructure and other inputs to hit non-oil exports. Destination-wise, exports to China, the EU, Singapore, Japan and Saudi Arabia suffered a larger setback in 2014-15. Given greater trade integration, India's trade

Chart II.34: Relative Contribution to Export Growth in 2014-15



seems to have become increasingly responsive to global economic and financial conditions (Box II.6).

Merchandise Imports

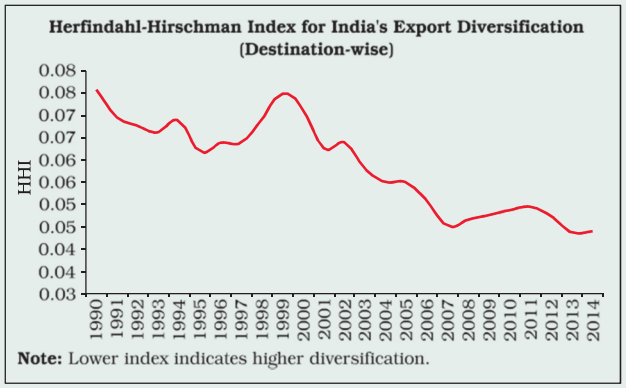
II.6.5 The plunge in global prices of crude oil by nearly 50 per cent between June 2014 and March 2015 compressed India's POL import bill by 16 per cent yielding a saving of US$ 26.5 billion in relation to the outgo on this account a year ago. Global crude oil prices stayed modest in Q1 of 2015-16 (Chart II.35). Gold imports, however, recorded an increase in terms of both value (20 per cent) and volume (38 per cent) in response to a surge in demand in H2 of 2014-15. The uptick in gold imports in the later part of 2014-15 could largely be attributed to festival demand, permission to trading

Box II.6
Trade Linkages and Elasticities

India's cross-border trade linkages have strengthened over time. Not only has India diversified its exports in terms of destinations, but its participation in global value chains (GVCs) has also increased over the years, *albeit* at a lower level than other peer economies (Chart 1), particularly in chemicals and electrical equipment (OECD 2014). Participation in GVC allows domestic firms to enter markets by specialising in niche intermediate activities within a chain and enables suppliers to upgrade production into higher-value segments of their industries. This enhances comparative advantages, productivity growth and development levels in economies.

Greater cross-border linkages through GVCs also tend to increase the sensitivity of trade to external business cycle shocks (Gangnes *et al.* 2014). Since the world is gradually transitioning to a stage in which GVC trade is assuming more importance than it did before, there appears to have been a long-run increase in the elasticity of global trade with respect to world economic activity (Escaith *et al.* 2010). In this context, estimation of country-specific trade elasticities assumes importance, especially in an international environment in which competitive monetary policy stances and exchange rate effects have implications for export competitiveness.

Chart 1: India's Cross-border Trade Linkages





(Contd....)

For India, the size of real exchange rate elasticity of real non-oil exports is estimated to be in the range of 0.7 to 0.9 with a lag of less than one year, while the income elasticity of real non-oil exports is 2.1 to 2.7 (Jain and Tewari. 2014). Similarly, the volume of imports is found to be predominantly responsive to domestic demand while its elasticity with respect to the real exchange rate is broadly in the range of 0.3 to 0.5. The estimates of income and exchange rate elasticities are broadly in line with other studies undertaken for India (Table 1). Overall, there appears to be support for the Marshall-Lerner condition implying the efficacy of exchange rate changes in moving the trade balance to the desired level.

In order to improve trade linkages with the rest of the world, India's participation in GVC must improve. Policy focus should be concentrated on cluster development in particular sectors with large presence of MSMEs so that they can integrate effectively in the global production network. Another way for domestic firms to integrate into GVC is through a joint venture or strategic partnership to achieve synergy gains. Cross-border foreign investments should be encouraged. While inward FDI benefits domestic firms in terms of capital, technology transfer and research and development (R&D) capabilities, outward FDI increases their productivity by providing access to scarce raw materials, a skilled labour force and expanding production networks. Firms also need to specialise in logistics, design, assembly and R&D. Thus, further policy attention is warranted to support in-house R&D so as to enable domestic firms to achieve quality standards and specialise in high value added activities. There is ample scope for improvement in the quality and efficiency of services (for example, basic infrastructure and air transport) which will help India raise its share in GVC.

Table 1: Major studies undertaken for India

Author (s)	Findings
Hsing (2010)	Marshall-Lerner condition holds Aziz
and Chinoy (2012)	IE (4.0) and ERE (0.6)for exports
UNCTAD (2013)	IE (1.9) and ERE (0.54) for exports
Pandey (2013)	Marshall-Lerner condition holds
Mohan and Kapur (2014)	ERE (0.21 to 0.65) for X and (0.19 to 0.42) for M
Raissi and Tulin (2015)	IE (>1.5)

Note: X: Exports; M: Imports; ERE: Exchange rate elasticity; IE: Income elasticity.

Greater participation in GVC also makes a country's trade more susceptible to global economic and financial conditions (that is, demand/supply conditions and exchange rate changes). Given the sensitivity of India's trade to income conditions and exchange rate changes, policymakers need to be cognizant of external shocks especially through capital flows and domestic inflation and productivity levels as they may have significant implications for real effective exchange rate movements which eventually impact India's trade balance.

References:

Aziz, Jahangir and Sajjid Chinoy (2012), 'India: More Open Than You Think', Economic Research, J.P.Morgan.

Escaith, Hubert, Nannette Lindenberg, and Sébastien Miroudot (2010), 'International Supply Chains and Trade Elasticity in Times of Global Crisis', Economic Research and Statistics Division Staff Working Paper 2010-08, World Trade Organisation, Geneva.

Gangnes, Byron S., Alyson C. Ma and Ari Van Assche (2014), 'Global Value Chains and Trade Elasticities', UHERO Working Paper No. 2.

Hsing, Y. (2010), 'Test of the Marshall-Lerner Condition for Eight Selected Asian Countries and Policy Implications', *Global Economic Review*, 39 (1): 91-99.

Jain, Rajeev and Soumasree Tewari, 'Estimation of Export and Import Functions for India', Forthcoming, RBI Working Paper.

Kapur, Muneesh and Rakesh Mohan (2014), 'India's Recent Macroeconomic Performance: An Assessment and Way Forward', IMF Working Paper No.14/68.

Pandey, Ritesh (2013), 'Trade Elasticities and the Marshal Lerner Condition for India', *Global Journal of Management and Business Studies*, 3 (4): 423-28.

Raissi, Mehdi and Volodymyr Tulin (2015), 'Price and Income Elasticity of Indian Exports - The Role of Supply-Side Bottlenecks', IMF Working Paper No. 15/161.

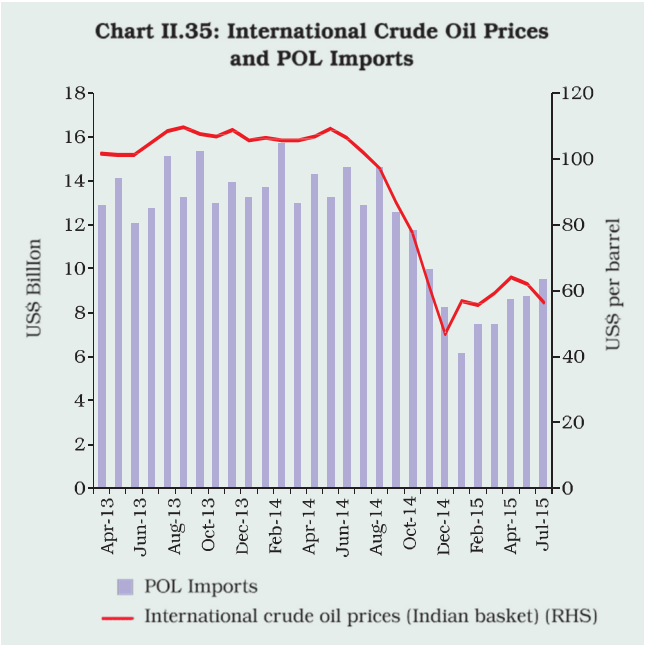
OECD (2014), *India Policy Brief*, November.

UNCTAD (2013), *Impact of the Global Slowdown on India's Exports and Employment.* New York and Geneva: United Nations.

houses to import gold for domestic consumption as well as the withdrawal of the 20:80 scheme and other restrictions for gold imports.[1] Further, sharp increase in gold imports in March and April 2015

[1] On May 13, 2013, the Reserve Bank restricted the import of gold by banks on a consignment basis to meet the genuine needs of exporters of gold jewellery, followed by the 20:80 scheme on July 22, 2013 under which all nominated banks/agencies were to ensure that at least one-fifth of every lot of import of gold was exclusively made available for the purpose of exports. Effective May 21, 2014, nominated banks/agencies/ premier or star trading houses/special economic zone units/export-oriented units were permitted gold imports under the 20:80 scheme. While the gold metal loan scheme was also restored in May 2014, the 20:80 scheme was withdrawn in November 2014. Further, imports on a consignment basis were also restored.

Chart II.35: International Crude Oil Prices and POL Imports



also reflected suppressed demand in preceding months in anticipation of a cut in customs duty in Union Budget 2015-16 and demand surge on account of *Akshaya Trithiya.* After being subdued, gold imports again spiked in the month of July 2015, as gold prices dipped to the lowest level in last four years, stimulating domestic consumption demand (Chart II.36).

II.6.6 Non-oil non-gold imports picked up modestly in 2014-15 largely in response to domestic requirements of industry (Chart II.37). Higher imports of iron and steel, iron ore, coal, non-ferrous metals, chemicals and machinery also resulted from shortfalls in domestic production in certain sectors. In particular, the rise in coal imports reflected higher requirements of power companies which have added capacity to meet growing domestic demand for power. Import of vegetable oils was also driven by shortages in domestic production. Non-oil non-gold imports increased in the current financial year up to July 2015, though at a modest pace.

II.6.7 With the decline in exports exceeding the fall in imports, the merchandise trade deficit widened marginally in 2014-15 from its level in 2013-14. While softening of oil prices compressed India's POL trade deficit, the non-POL trade deficit widened from US $ 34.2 billion in 2013-14 to US $ 55.7 billion in 2014-15 (Table II.13). However, the trade deficit at US$ 45.0 billion during first four months (April-July) of 2015-16 was lower than that in the same period of 2014-15.

Chart II.36: Gold Imports

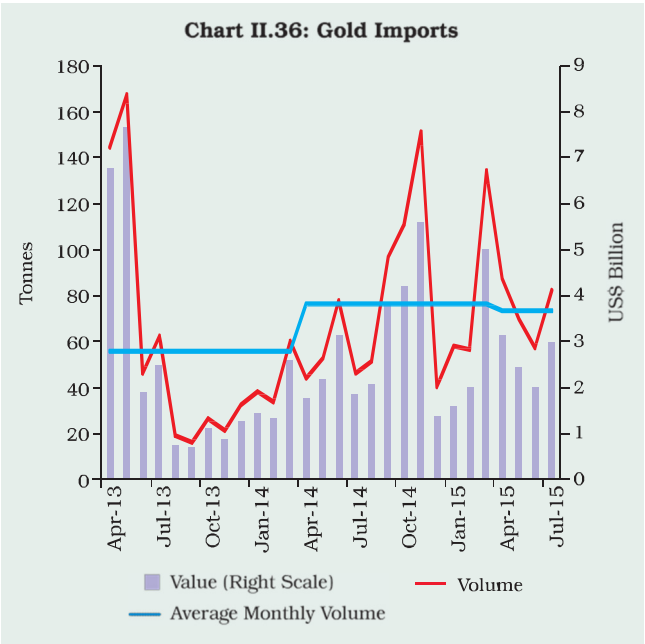


Chart II.37: Non-Oil Non-Gold Imports

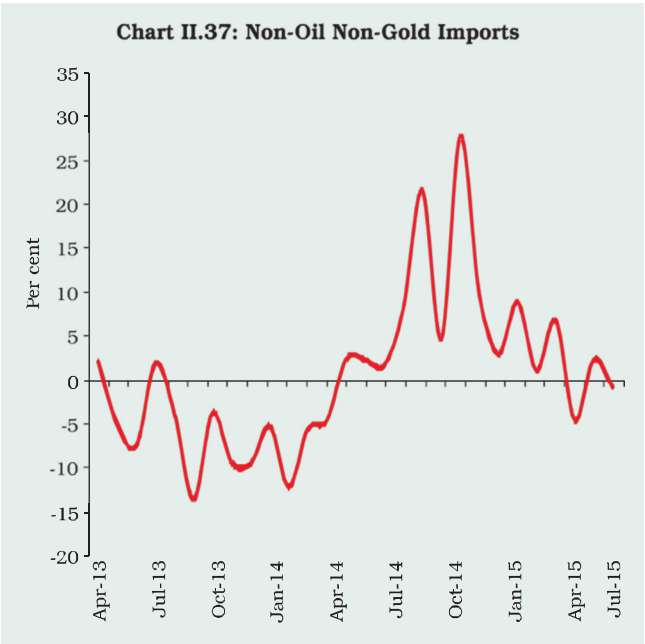


Table II.13: Merchandise Trade Deficit

(US$ billion)

Item	2014-15 (P)		2013-14 (R)	
	Value	% Growth	Value	% Growth
1	2	3	4	5
Export	**310.5**	**-1.2**	**314.4**	**4.7**
Of which:				
POL	57.0	-9.7	63.2	3.8
Non-oil	253.5	0.9	251.2	4.9
Imports	**447.5**	**-0.6**	**450.2**	**-8.3**
Of which:				
POL	138.3	-16.1	164.8	0.4
Gold	34.4	19.9	28.7	-46.7
NONG	274.8	7.0	256.7	-5.9
Trade Deficit	**-137.0**		**-135.8**	
Of which:				
POL	-81.3		-101.6	
Non-POL	-55.7		-34.2	
Memo Item:				
Trade Deficit as % of GDP	-6.7		-7.2	

Source: DGCI&S.
Note: P: Provisional, R: Revised, POL: Petroleum, Oil, Lubricants. NONG: Non-oil non-gold

Current Account Deficit

II.6.8 The merchandise trade deficit (BoP basis) was partly offset by a rise in net exports of services. Aided by better growth in the US, higher technology adoption and the strength of the US dollar against the rupee, India's software exports seemed to have benefitted, though appreciation of the rupee against the euro and sluggish demand might have dampened software exports to the euro area. Net exports of travel services recorded a decline largely due to higher payments on account of personal services availed for education, medical reasons and holidays. Notwithstanding the fall in international oil prices, the flow of remittances remained stable.

II.6.9 India's current account deficit (CAD) shrank to1.3 per cent of GDP in 2014-15 from 1.7 per cent a year ago. Holding the CAD at a sustainable level going forward will hinge on a turnaround in merchandise exports. This will also involve assigning priority to unlocking domestic supply-side bottlenecks in terms of infrastructure and other key inputs, including through active policy interventions to restore productivity and competitiveness across a broad spectrum of leading sectors (Box II.7).

Financing of CAD

II.6.10 During 2014-15, India became a preferred destination for private capital flows, which responded

Box II.7
India's New Foreign Trade Policy 2015-20

On April 1, 2015, the Ministry of Commerce and Industry announced the Foreign Trade Policy 2015-20 (FTP) with a vision to making India a significant participant in world trade by 2020 and to enable the country to assume a leadership position in the international trade discourse. FTP links rules, procedures and incentives for exports and imports with other initiatives (for example, Make in India, Digital India and Skill India) with a view to improving 'ease of doing business' in India. The salient features of FTP are:

- To increase India's exports of merchandise and services from US$ 465.9 billion in 2013-14 to US$ 900 billion by 2019-20 and to raise India's share in world exports from 2 per cent to 3.5 per cent during this period.
- A new scheme, the Merchandise Exports from India Scheme (MEIS) aimed at the simplification of the incentive structure, replacing multiple schemes is in place.
- A new scheme, the Services Exports from India Scheme (SEIS) with expanded scope is in place, which will benefit all 'service providers located in India' instead of only 'Indian service providers'.
- Allowing transferability and greater flexibility in using 'duty credit scrips' which exporters will get under MEIS and SEIS.
- Prioritisation of sectors which have domestic manufacturing capabilities and potential demand (for

(Contd....)

example, drugs and pharmaceuticals, chemicals and electronics) where exports need to grow significantly to achieve overall growth targets.

- Other sectors identified with great export potential include engineering, leather, textiles, medical devices, natural resource based items, gems and jewellery, agri products and defence equipment.
- Emphasis on the need to increase India's participation in global supply chains. Adoption of the 'whole-of-government' approach as a significant step towards better coordination with state governments/other departments.
- Indication of the revival of the interest subvention scheme for exports from identified sectors for a period of three years, though sectoral coverage and rate of interest subvention are not indicated.
- Envisages a move towards paperless working in a 24x7 environment to facilitate the ease of doing business in India.

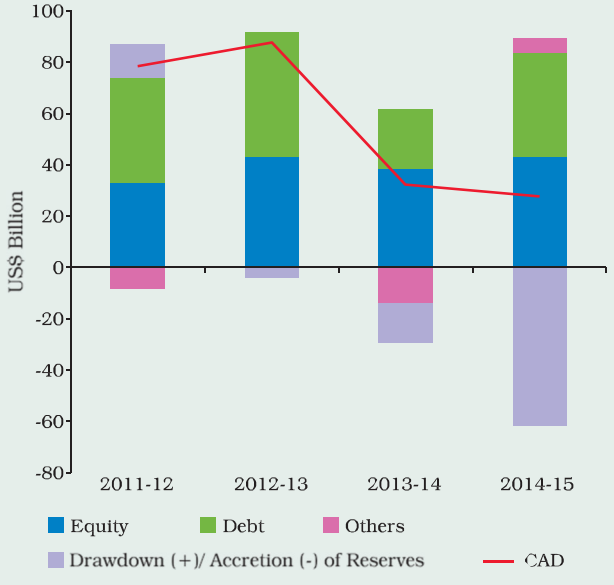
Under the new FTP, the government has expanded the scope of the new schemes to special economic zones (SEZs). Even though the target set for 2019-20 for exports of goods and services appears achievable, demand conditions in major trade partner economies will have to be supportive and domestic bottlenecks (both in terms of infrastructure and policy) need to be eased significantly. If the world economy grows faster during 2015-19 than in the 2009-14 period as projected by the IMF (2015), India's exports may fare better than in previous years. Nonetheless, taking exports to the level of US$ 900 billion by 2019-20 will need a higher compound annual rate of growth (CARG) of about 14 per cent during the FTP period (2015-16 to 2019-20) which could be a challenge (Chart 1).

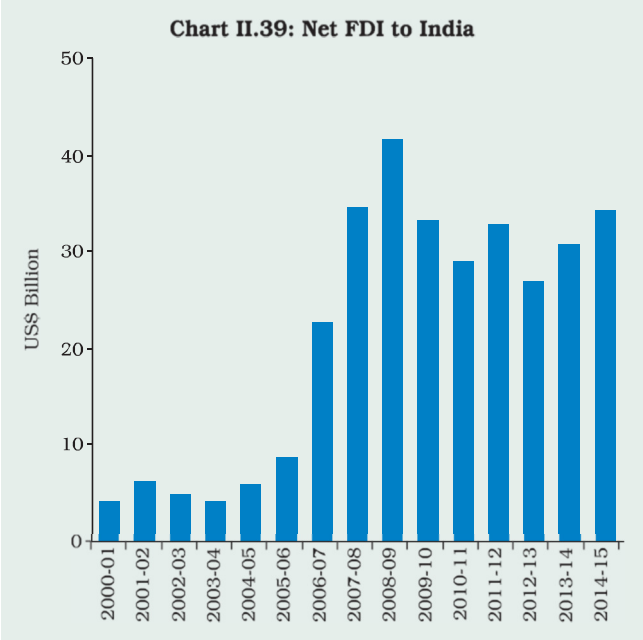
Chart 1: Export Target for 2019-20



to improved perceptions of fundamentals, optimism engendered by a stable government at the centre and expectations surrounding resurgence of business sentiment in an improved climate for investors, both foreign and domestic. The abundance of global liquidity in view of unconventional monetary policies in advanced economies also emerged as a push factor driving a relentless search for returns. Non-debt creating capital inflows alone far exceeded the financing requirement (Chart II.38). Foreign portfolio investors brought in about US$ 41 billion to Indian equity and debt markets, making India the most attractive destination among emerging markets. Further, net foreign direct investment (FDI) inflows picked up strongly in response to initiatives that are geared towards a better business environment with policy certainty. In particular, policy measures have been undertaken with regard to easing of norms for FDI in certain sectors, allocation of natural resources, the subsidy regime, financial inclusion, employment and job creation for the youth and an improved and non-adversarial tax administration. FDI inflows to India, excluding disinvestments, were the highest after

Chart II.38: Financing Pattern of Current Account Deficit





2008-09 (Chart II.39). FDI mainly flowed into the manufacturing sector responding to the government's 'Make in India' initiative, followed by financial services, retail and wholesale trade. Within the manufacturing sector, transport equipment and chemical sectors were the major recipients and accounted for about 50 per cent of the total FDI in 2014-15. Inflows to NRI deposits and in the form of external commercial borrowings were moderate during 2014-15 relative to the preceding year, signifying policy induced inflows in the past. With net capital inflows exceeding CAD sizeably, there was net accretion to reserves to the tune of US$ 61.4 billion on a BoP basis (that is, excluding valuation effects).

External Sustainability

II.6.11 External vulnerability indicators improved significantly in 2014-15 on account of both a lower accretion to the external debt stock and the build-up of foreign exchange reserves. Key debt and reserve-related indicators of external vulnerabilities reflected an improved ability to discharge external obligations. While the import cover ratio rose to 8.9 months as at end-March 2015, the ratio of short-term debt (by original as well as residual maturity) to reserves and the ratio of total external debt to reserves declined over the same period (Table II.14).

Table II.14: India's External Sector Vulnerability Indicators

(Per cent unless indicated otherwise)

Indicator/Ratios	End-Mar 2011	End-Mar 2012	End-Mar 2013	End-Mar 2014	End-Mar 2015
1	2	3	4	5	6
1. External Debt to GDP ratio	18.2	20.9	22.3	23.6	23.8
2. Short-term to Total Debt (Original Maturity)	20.4	21.7	23.6	20.5	17.8
3. Short-term to Total Debt (residual maturity) #	40.6	40.9	42.1	39.6	38.9
4. Concessional Debt to Total Debt	14.9	13.3	11.1	10.4	8.8
5. Reserves to Total Debt	95.9	81.6	71.3	68.2	71.8
6. Short-term Debt to Reserves	21.3	26.6	33.1	30.1	24.8
7. Short-term Debt (residual maturity) to Reserves #	42.3	50.1	59.0	57.4	54.2
8. Reserves Cover of Imports (in months)	9.5	7.1	7.0	7.8	8.9
9. Debt-Service Ratio	4.4	6.0	5.9	5.9	7.5
10. External Debt (US$ billions)	317.9	360.8	409.4	446.3	475.8
11. Net International Investment Position (NIIP) (US$ billion)	-207.0	-264.7	-326.7	-336.8	-363.0
12. NIIP/GDP ratio*	-12.1	-14.4	-17.8	-17.8	-18.1
13. CAD/GDP ratio	2.8	4.2	4.8	1.7	1.3

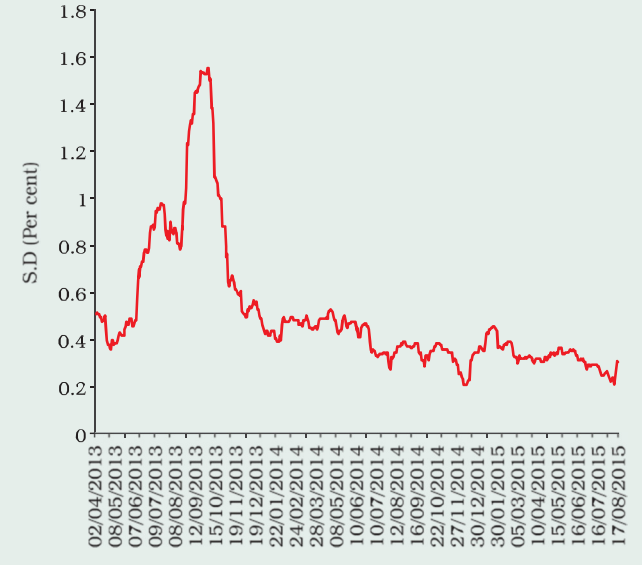
Note: #: RBI estimate; *: Based on US$ terms.

Exchange Rate Movements

II.6.12 The US dollar gained significantly against most international currencies during the year. The Indian rupee, however, depreciated only marginally against the US dollar; therefore, by the same token, it gained strongly against other major currencies, *viz*., euro, GBP and Japanese yen, reflecting the weak economic outlook for these economies and their ultra-accommodative monetary policies. Reflecting persisting inflation differentials and appreciation of the rupee in nominal terms *vis-à-vis* India's major trade partners, the real effective exchange rate of the rupee during 2014-15, on average, appreciated by 6.1 per cent and by 5.5 per cent (y-o-y) for the basket of 6 and 36 currencies respectively. The rupee exchange rate also witnessed lower volatility in 2014-15 and 2015-16 so far than in the earlier period (Chart II.40).

II.6.13 Going forward, external sector sustainability will need close monitoring, especially in a global environment characterised by high volatility in financial markets, asynchronicity in monetary policies of major advanced economies and in particular, the widely expected lift-off of US interest rates, and still high geo-political risks. Although international crude oil prices stayed at modest levels in Q1 of 2015-16 and dropped sharply in August 2015 due to excess supply and subdued demand, continuation of benign conditions for the remaining part of the year still remains uncertain.

Chart II.40: Volatility in Daily Movements in Indian Rupee (30 days-moving window)



II.6.14 For India, every US$ 1 increase in international crude prices broadly translates into an increase in the net POL import bill by US$ 1 billion. Second, following the withdrawal of gold import related measures, the import demand for gold seems to be bouncing back as evident from a growth (volume terms) of 38.5 per cent in 2014-15 and 34.3 per cent in April-July 2015. Third, key to ensuring the viability of the external sector in this backdrop is a renewed thrust on exports in terms of both products and markets. Export diversification has provided a means of insulation in the face of sluggish global economic conditions and this should be vigorously pursued to strengthen resilience and to minimise the spillovers of external shocks.

PART TWO: THE WORKING AND OPERATIONS OF THE RESERVE BANK OF INDIA

III MONETARY POLICY OPERATIONS

The conduct of monetary policy in India is undergoing a transformation, transiting to a flexible inflation targeting (FIT)framework. During 2014-15, a formal architecture for FIT based on an agreement between the Reserve Bank and the Government of India pertaining to the monetary policy framework was put in place. The liquidity management framework was revised to bring in proactive liquidity operations based on variable rate term repo/ reverse repo auctions to align the weighted average call rate, that is, the operating target around the policy rate. With ebbing inflationary pressures, receding risks to the inflation outlook and commitments to fiscal prudence, the Reserve Bank eased its monetary policy stance with a cumulative 75 bps cut in the policy repo rate during January- August 2015.

III.1 Sustaining the disinflation path set in motion in 2013-14 and instituting a robust and transparent institutional framework assigning primacy to price stability constituted the over-riding goals that the Reserve Bank had set for itself in formulating and conducting monetary policy in 2014-15. These are the first building blocks of its medium-term vision of ensuring price stability on a durable basis as a necessary pre-condition for fostering higher economic growth.

The Changing Institutional Edifice of Monetary Policy

III.2 There was a fundamental change in the conduct of monetary policy in 2014-15. Several institutional and operational innovations were put in place in the preceding year to enable this regime shift based on the recommendations of the Expert Committee to Revise and Strengthen the Monetary Policy Framework. These included improved communication by means of bi-monthly policy reviews; introduction of term repos to offset the reduction in access to liquidity through overnight fixed rate repo under the liquidity adjustment facility (LAF); and the adoption of headline consumer price index (CPI) inflation as the nominal anchor for the conduct of monetary policy. Set against this backdrop, managing the transition to a flexible inflation targeting (FIT) framework in a non-disruptive manner in 2014-15 became a key challenge. Ensuring disinflation consistent with the glide path announced in January 2014 required maintaining an anti-inflationary monetary policy stance till upside risks to the inflation outlook had been contained. Greater transparency on monetary policy necessitated release of Monetary Policy Reports (MPRs). Sector specific refinance facilities were phased out to create conditions for more effective transmission of monetary policy. A new liquidity management framework had to be put in place to ensure market-based liquidity operations through auctions, while striving to ensure consistency of liquidity conditions with the stance of monetary policy. Besides forward looking

surveys, the need to strengthen technical research through forecasting and policy analysis models in order to facilitate decision making under uncertainty also assumed significance.

Agenda 2014-15: Implementation Status

Disinflation Consistent with the Glide Path

III.3 The Reserve Bank had set out a formal framework to guide monetary policy operations in 2014-15. First, in January 2014, it announced a disinflationary glide path for bringing down CPI inflation to below 8 per cent by January 2015 and to below 6 per cent by January 2016. Second, in September 2014, the Reserve Bank introduced a revised liquidity management framework that brought flexibility and transparency to liquidity management operations, while aiming at strengthening transmission in the money market by anchoring the weighted average call rate (WACR) at or closely aligned to the repo rate. Third, a landmark agreement was signed between the Government of India and the Reserve Bank in February 2015 that provided the formal architecture for conducting monetary policy operations consistent with FIT and related institutional and accountability processes.

III.4 In response to the upside risks to inflation stemming from the impact of a sub-normal monsoon on food prices and still elevated international crude oil prices, the policy rate was kept unchanged in Q1 of 2014-15. The disinflationary effects of rate increases undertaken during September 2013-January 2014 were transmitted through the economy, tempering inflationary pressures. Concerns about tepid economic activity nevertheless required the commencement of a process of gradual reduction in the statutory liquidity ratio (SLR) to give banks more freedom to expand credit to productive sectors.

III.5 By Q2, perseverance with the anti-inflationary policy stance had yielded a softening bias to inflation outcomes and was supported by a host of other factors that created room for a softer stance for monetary policy. Besides temporary base effects pulling down headline inflation, international commodity prices, particularly of crude oil (Indian basket), declined sharply by about 57 per cent between June 2014 and January 2015, aiding the disinflationary momentum. Furthermore, there were indications of a more durable downward movement in headline inflation driven by transport and communication and household requisites, suggesting that prices of non-tradables were responding to policy impulses. Awaiting a clearer assessment of the balance of risks and the durability of disinflation, the policy rate was kept unchanged during Q2 and Q3.

III.6 Inflation for January 2015 turned out to be nearly 300 basis points (bps) below the target of 8 per cent. Moreover, by January 2015, there was increasing evidence of a robust disinflationary process having taken hold. For instance, household inflation expectations three months ahead as well as one year ahead eased to a single digit for the first time since September 2009. On January 15, 2015, the policy repo rate was reduced by 25 bps to 7.75 per cent. Further, monetary policy actions were made contingent on on-going evidence about continuing disinflationary momentum and sustenance of high quality fiscal consolidation.

III.7 The new CPI re-based to 2012, which was released on February 12, 2015, confirmed that strong disinflationary impulses were underway in the economy. The pre-conditions for effecting a change in the monetary policy stance materialised in quick succession with inflation ebbing and the Union Budget for 2015-16 suggesting a tangible progress on fiscal consolidation for 2014-15 alongside a renewed medium-term commitment about fiscal rectitude. Consistent with the forward guidance, the Reserve Bank announced a cut in

the repo rate outside the normal policy review cycles to 7.50 per cent in March 2015. This pre-emptive policy action was intended to utilise available space for monetary accommodation, given low capacity utilisation and continuing weakness in production and credit off-take.

III.8 The first bi-monthly policy statement for 2015-16 announced on April 7, 2015 noted that the stance of monetary policy going forward would centre around a gradual and durable disinflation, taking headline CPI inflation to 6 per cent by January 2016 and to 4 per cent by the end of 2017-18. The identified upside risks included the possibility of a sub-normal monsoon, large deviations from their seasonal patterns in vegetable and fruit prices, larger than anticipated administered price revisions, faster closing of the output gap, geo-political risks causing hardening of global commodity prices and external spillovers through the exchange rate and asset price channels. Downsides originating from global deflationary/disinflationary tendencies, the benign outlook on global commodity prices and slack in the domestic economy appeared to ameliorate upside risks. Accordingly, key policy rates were kept unchanged, pending expected transmission of past policy rate reductions to lending rates by banks.

III.9 The second bi-monthly policy statement of June 2, 2015, recognised that the headline inflation trajectory had evolved according to the projected path while the economic activity continued to be fragile. Therefore, while awaiting further data for greater clarity on the risks in meeting the medium term disinflation targets, a cut in the policy repo rate by 25 bps was front-loaded, taking it to 7.25 per cent.

III.10 Taking into account the developments in 2015-16 thus far and the balance of risks as also the front-loaded policy action of June, the third bi-monthly policy on August 4, 2015 kept the policy rate unchanged, while maintaining the accommodative stance of monetary policy. The statement noted that the short-term real risk free rates were supportive of borrowing by interest rate sensitive consumer segments such as housing and automobiles and as greater transmission of front-loaded past actions was awaited, developments would be monitored for emerging room for more accommodation.

Improved Transmission in the Money Market

III.11 The operating framework of monetary policy provides clarity on how the objectives of monetary policy respond to changes in policy rate - the repo rate. The link from the policy rate to inflation target requires a systematic and stable transmission path linking the policy rate, the operating target, an intermediate target and a transparent set of rules guiding liquidity and monetary operations on a day-to-day basis (see Box IV.I in MPR of April 2015). Liquidity management is key to aligning the operating target of monetary policy to the policy rate and is thus critical for the first leg of monetary transmission.

III.12 In India, currently the WACR is the operating target of monetary policy. Recognising the long and variable lags in transmission of monetary policy, inflation forecasts - or the projected baseline inflation path - are used as the intermediate target. This makes monetary policy proactive and forward looking.

III.13 In line with the recommendations of the Expert Committee, Q3 of 2014-15 saw the implementation of a revised liquidity management framework aimed at making liquidity management operations flexible, transparent and predictable. The revised liquidity management framework has the following features: (i) subject to availability of excess SLR securities, assured access to central bank

liquidity of 1 per cent of banks' net demand and time liabilities (NDTL) comprising 0.25 per cent provided through overnight fixed rate repo auctions conducted daily, and 0.75 per cent provided through 14-day variable rate term repo auctions conducted on every Tuesday and Friday; (ii) fine-tuning operations through variable rate repo/reverse repo auctions of maturities ranging from overnight to 28 days; (iii) outright open market operations to manage enduring liquidity mismatches; and (iv) overnight marginal standing facility (MSF) up to excess SLR plus 2 per cent below SLR of individual banks.

III.14 The revised framework has necessitated a more proactive approach to liquidity management by the Reserve Bank, that is, assessing the system level expected liquidity mismatch on a daily/intra-day basis, providing more information to the market to enable precision in liquidity planning and proactive assuaging of frictional and structural liquidity mismatches.

III.15 Since introduction of the revised framework, WACR has moved close to the repo rate, indicative of growing precision in monetary policy operations. Even quarter-end spikes in WACR reflecting advance tax payments and window dressing by banks have become relatively muted, a drastic change from the past experience of large spikes around these events (Chart III.1).

III.16 The Expert Committee had recognised that in India developing market-based benchmarks could enable pricing of deposits and loans to be sensitive to changes in the policy repo rate, thereby facilitating monetary transmission. Regular auctions of 14-day term repos (twice a week) allow market participants to use the primary liquidity for longer durations. This flexibility is intended to facilitate the emergence of a market-based term money benchmark.

III.17 The spread between 14-day term repo rate and the overnight fixed repo rate has narrowed significantly after the introduction of the revised liquidity management framework, barring the year-end spikes (Chart III.2). This process is intended to be taken forward by the establishment of transparent external benchmarks, based on the marginal cost pricing principle (see para III.31).

Chart III.1: Liquidity Conditions

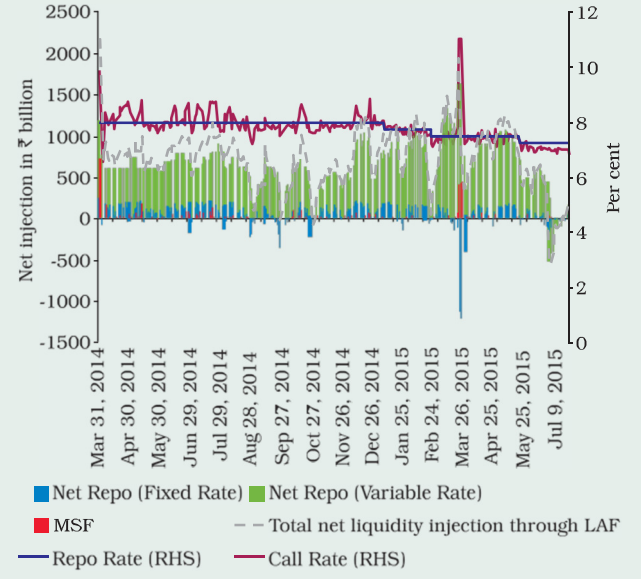
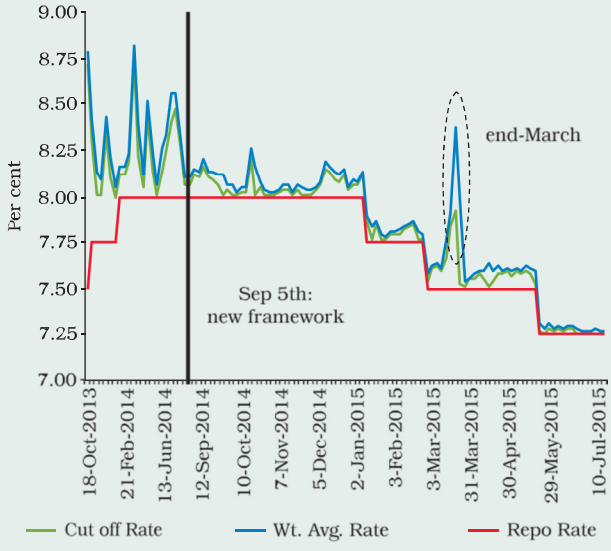


Chart III.2: 14-day Term Repo Cut off, Weighted Average Rates and Repo Rate



III.18 For smooth conduct of banking operations, the Reserve Bank has allowed access to the MSF and reverse repo windows on Saturdays with effect from February 21, 2015. Recognising that sector-specific refinance facilities at the fixed repo rate could interfere with the transmission process, the export credit refinance (ECR) facility was phased out gradually during the year and replaced with the provision of system-level liquidity with effect from February 7, 2015.

III.19 The liquidity framework was tested in March 2015 as liquidity tightened due to accumulation of cash balances of the government and banks with the Reserve Bank peaking at the end of the financial year on balance sheet and year-end considerations. In April 2015, these balances reversed, declining significantly and creating surplus liquidity conditions in the inter-bank market. The Reserve Bank managed these alternating but large movements in liquidity through 7-day, 2/3-day and overnight reverse repo auctions to fine-tune liquidity. Since mid-April, the liquidity requirement of the system has moved in a narrower range of around 1 per cent of NDTL, which has been managed through additional variable rate overnight and term repos/ reverse repos. With the increase in spending by the government, liquidity conditions improved significantly in June and July. The Reserve Bank absorbed the excess liquidity through the variable rate reverse repo auctions of varying terms. Besides, the Reserve Bank also absorbed the excess liquidity to the tune of ₹82.7 billion through OMO sales conducted on July 14, 2015.

Agreement on the Monetary Policy Framework

III.20 On February 20, 2015, the Government of India and the Reserve Bank signed an agreement on the Monetary Policy Framework. The agreement makes price stability the primary objective of monetary policy; defines price stability numerically - below 6 per cent CPI inflation for 2015-16 (to be achieved by January 2016) and 4 +/- 2 per cent for all subsequent years; sets out what will constitute a failure in achieving the target; and specifies that the Reserve Bank in the event of failure will report to the government on: (a) reasons for deviation of inflation from the target over three consecutive quarters, (b) remedial measures, and (c) an estimated time frame over which inflation will be brought back to the target.

III.21 The agreement represents a fundamental institutional reform in India as it mandates the Reserve Bank to pursue FIT with transparency, predictability and accountability. The government's commitment to the agreement also enhances the credibility of the framework, bringing confidence about the process of fiscal consolidation and supply management, both of which are highly relevant for maintaining price stability.

Monetary Policy Reports and Transparency

III.22 In pursuance of the recommendations of the Expert Committee, the first issue of the MPR was released along with the fourth bi-monthly monetary policy statement in September 2014, providing a medium-term outlook and the balance of risks around a variety of potential shocks. With the publication of MPR, India joins a select band of countries that lay emphasis on transparency and forward looking communication to ensure public understanding and accountability of monetary policy formulation and operations (Box III.1).

III.23 Forward guidance provided in the fifth bi-monthly policy statement in December 2014 indicated the possible commencement of an easing cycle by early 2015 if the disinflationary process moved along the expected trajectory, coupled with evidence of softening inflationary expectations, quality and quantity of fiscal consolidation, steps to augment supply of key inputs and unlocking of stalled investments so as to revive the economy

Box: III.1
Monetary Policy Report – A Communication Tool under Inflation Targeting

The inflation targeting (IT) framework is based on the premise that an explicit and clearly communicated numerical target level of inflation over a specified period will help anchor long-run inflation expectations. Achieving credibility by way of anchoring inflation expectations to the target is crucial for the framework to be successful. This requires an effective communication strategy between the central bank and the public. A core element of this communication strategy is that of providing forecasts of inflation, an analysis underpinning these forecasts and the rationale embedded in the policy decisions taken by the central bank. Thus, a high degree of transparency embodied in high quality reports is often considered essential for establishing and maintaining the credibility of the framework (Svensson 2002). Consequently, inflation targeting central banks typically publish a regular Inflation or Monetary Policy Report (MPR) with the aim of making monetary policy transparent, comprehensible and predictable, and hence, credible as far as possible (Table 1).

In fact, transparency and communication has become a *sine qua non* for effective and successful conduct of monetary policy in recent years; even non-IT central banks such as the Federal Reserve now communicate through an MPR.

In India, based on the recommendations of the Expert Committee, the monetary policy framework began a phased transition to a flexible inflation targeting (FIT) framework from the first bi-monthly monetary policy statement in April 2014.

Along with this transition, a half-yearly MPR has been introduced since September 2014. Consequent to the agreement signed between the Government of India and the Reserve Bank in February 2015 to formally adopt a FIT framework, it has become mandatory for the Reserve Bank to publish a six-monthly report explaining the sources of inflation and forecasts of inflation for six to 18 months ahead. The first report after the agreement was published as the second MPR in April 2015. As with other IT countries, the endeavour is to make MPR a prominent communication tool to bring about transparency and credibility in the conduct of monetary policy in India. The MPR brings out the assessment of the Reserve Bank's staff on the macroeconomic outlook based on a forward looking assessment and on model-based forecasts along with baseline assumptions and balance of risks, which form the basis for its monetary policy stance. The report also carries a detailed assessment of economic and financial conditions which inform the overall macroeconomic outlook.

References:

Svensson, L.E.O. (2002), 'Monetary Policy and Real Stabilization', in 'Rethinking Stabilisation Policy: A Symposium by the Federal Reserve Bank of Kansas City,' MO: Federal Reserve Bank for Kansas City

Reserve Bank of India (2014), *Report of the Expert Committee to Revise and Strengthen the Monetary Policy Framework*, January.

Table1: Inflation targeting countries and objectives of the Monetary Policy Report

Countries	*Report*	*Main Objective*	*Countries*	*Report*	*Main Objective*
1	2	3	4	5	6
Armenia	IR	Transparency	**New Zealand**	MPS	Communication
Australia	SMP	Transparency	**Norway**	MPR	Communication
Brazil	IR	Transparency	**Peru**	IR	Communication
Canada	MPR	Transparent communication	**Philippines**	IR	Transparency
Chile	MPR	Transparent communication	**Poland**	IR	Communication
Colombia	IR	Transparency	**Romania**	IR	Transparency
Czech Republic	IR	Transparent communication	**Russia**	MPR	Transparency
Ghana	MPR	Transparency	**Serbia**	IR	Communication
Guatemala	MPR	Transparency	**South Africa**	MPR	Transparency
Hungary	IR	Transparency	**South Korea**	MPR	Communication
Iceland	Monetary Bulletin	Accountability	**Sweden**	MPR	Communication
Indonesia	MPR	Transparency and accountability	**Thailand**	MPR	Communication
Israel	MPR	Transparency	**Turkey**	IR	Communication
Mexico	Quarterly Report	Transparency	**Uganda**	MPR	Communication
Moldova	IR	Transparency	**UK**	IR	Communication

Source: Central banks' websites and IMF.
Note: SMP: Statement on monetary policy; MPS: Monetary policy statement, IR: Inflation report; MPR-Monetary Policy Report/ Review

more generally. Policy rate reductions, in January, March and June 2015 were consistent with this guidance.

Monetary Policy Transmission to Lending and Deposit Rates

III.24 The transmission of monetary policy is typically characterised by long, variable and uncertain time lags with asymmetric market responses to policy impulses in terms of magnitude and/or direction across segments in different phases of liquidity conditions. Furthermore, the transmission of policy rate changes to deposit and lending rates of banks is lagged and less complete relative to money market rates, reflecting the presence of structural rigidities in the credit market (Table III.1). Therefore, improving the efficacy of monetary policy impulses to their fullest effect remains incomplete even as some degree of pass through of rate reductions in the recent period has been translated into lending rates. The Reserve Bank announced a number of initiatives and measures during the year to incentivise banks to improve transmission at their end. Progress in this direction is expected to be seen going forward.

III.25 The improvement in liquidity conditions following the implementation of the revised liquidity

Table III.1: Asymmetry in Transmission Across Financial Markets in Different Phases of Monetary Policy Cycles

Items	Variation (Percentage Points)			
	Tightening Phase (March 19, 2010 to April 16, 2012)	Easing Phase (April 17, 2012 to July 15, 2013)	Tightening Phase (July 16, 2013 to Jan 14, 2015)	Easing Phase** (Since Jan 15, 2015)
1	2	3	4	5
Policy Rate (Repo Rate)	3.75	-1.25	0.75	-0.75
CRR	-1.00@	-0.75	0.00	0.00
Call Rate	4.98	-1.51	0.36	-0.21$
CBLO Rate	5.43	-2.34	2.14	-0.96
Market Repo Rate	6.12	-1.49	0.61	-0.37
91-Days Treasury Bill	4.53	-1.29	0.83	-0.90
3-Month CP Rate	4.24	-2.17	0.43	-0.96
3-Month CD Rate	4.36	-2.08	0.50	-0.98
5-Year Corporate Debt Yield	0.93	-0.71	-0.21	-0.16
10-Year Corporate Debt Yield	3.13	-1.02	-0.09	-0.43
2-Year G-Sec Yield	1.87	-0.35	0.26	-0.13
3-Year G-Sec Yield	1.34	-0.57	0.32	-0.10
5-Year G-Sec Yield	1.05	-0.84	0.20	-0.04
10- Year G-Sec Yield	0.64	-1.10	0.34	-0.05
Median Term Deposit Rate	**2.31**	**0.00**	**0.07**	**-0.39**
Median Base Rate*	**2.75**	**-0.35**	**0.25**	**-0.30**
WALR (Outstanding Loans)	**2.13**	**-0.44**	**-0.10**	**-0.17#**
WALR (Fresh Rupee Loans)	**-**	**-**	**0.13**	**-0.51#**

Source: Bloomberg and the Reserve Bank of India.
*: Base rate system was introduced from July 1, 2010. **: Data are till Aug 14, 2015.
@: CRR was cut to create the desirable liquidity conditions ahead of the repo rate cuts in the next easing phase.
- : Not Available. #: End-point relates to June 2015. WALR: Weighted average lending rate.
$: Including off-market deals effected by co-operative banks.
Note : (i) Policy rate, deposit and base rates are at end-month while money and bond market rates are the monthly average.
(ii) Data on WALR are provisional.

Table III.2: Deposit and Lending Rates of SCBs (Excluding RRBs)

(Per cent)

Month-end	Repo Rate	Term Deposit Rates		WALR	
		Median	WADTDR	Outstanding Rupee Loans	Fresh Rupee Loans
1	2	3	4	5	6
Mar-14	8.00	7.74	8.79	12.21	11.64
Jun-14	8.00	7.74	8.73	12.21	11.68
Sep-14	8.00	7.72	8.70	12.12	11.59
Dec-14	8.00	7.55	8.64	12.11	11.59
Mar-15	7.50	7.50	8.57	12.06	11.25
June-15	7.25	7.22	8.43	11.94	11.08
Aug 14,15	7.25	7.14	-	-	-
Variation (Percentage Points) (since Jan 15, 2015)	**-0.75**	**-0.39**	**-0.21**	**-0.17**	**-0.51**

-: Not available.
WADTDR: Weighted average domestic term deposit rate.
Note: Data on WADTDR and WALR are provisional.

management framework in September 2014 was reflected in a decline in deposit and lending rates of banks. The decline in deposit rates was, however, not fully reflected in the weighted average lending rates (WALR) of banks, indicating their efforts to maintain net interest margins (NIMs) in an environment characterised by weak credit demand and risk aversion amidst rising non-performing loans (NPAs). The WALR on fresh rupee loans sanctioned by banks declined by 51 bps to 11.08 per cent since the first round of reduction in the repo rate (Table III.2). WALR on outstanding rupee loans, however, declined by only 17 bps during the same period as the interest rates on loans disbursed earlier are reset with a time lag.

III.26 While the response of commercial banks to a reduction in the policy rate by 75 bps is still unfolding, the movement of lending rates across various sectors is uneven, presumably reflecting the differential risk assessment of banks (Table III.3).

III.27 The base rate system introduced in 2010 has been an improvement over the benchmark prime lending rate (BPLR) system, disallowing sanctioning of a large proportion of the loans at sub-prime rates. Banks are free to determine their lending rates based on cost of funds or any other relevant market based benchmark. Base rates have converged to a narrow range of 9.70-10.15 per cent for public sector banks (PSBs). However, the base rates are found to be sticky and impeding transmission of monetary policy.

Table III.3: Weighted Average Lending Rates of SCBs (Excluding RRBs)* - Select Sectors
(at which 60 per cent or more business is contracted)

(Per cent)

End-Month	Agriculture	Industry (Large)	MSME	Infrastructure	Personal Loans			
					Housing	Vehicle	Education	Credit Card
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mar-14	10.70	13.06	13.10	13.09	10.85	12.38	12.96	35.46
Jun-14	10.79	13.05	13.04	13.05	10.61	12.09	12.91	36.70
Sep-14	10.79	13.01	13.09	13.02	10.52	11.97	12.90	38.23
Dec-14	10.93	12.95	13.05	13.05	10.76	11.83	12.90	37.86
Mar-15	10.96	12.80	12.91	12.89	10.99	11.62	12.87	37.88
June-15	10.76	12.62	12.36	12.24	10.81	11.39	12.58	37.87
Variation (Percentage Points) (Jun15-15 over Jan-15)	**-0.17**	**-0.33**	**-0.69**	**-0.81**	**0.05**	**-0.44**	**-0.32**	**0.01**

*: Based on outstanding rupee loans.
MSME: Micro, Small, and Medium Enterprises

III.28 As highlighted in the Report of the Expert Committee, the sluggish transmission to credit markets reflects the interaction of several factors. The major factors impeding transmission include rigidities in re-pricing for fixed deposits, high volume of government borrowing, practice of yearly resetting of administered interest rates on small savings (including public provident fund) linked to G-sec yields, interest rate subventions, high level of NPAs and a significant presence of informal finance. There could also be risks emanating from a possible migration of deposits to alternative financial assets, as well as physical savings yielding higher expected real rates of return. Further, in the calculation of the base rate, the repo rate does not enter directly, operating only through the costs of wholesale funding which are sensitive to changes in the repo rate.

III.29 In an easing phase, banks tweak the spread over the base rate while pricing loans instead of changing the base rate itself. This is an opaque practice that leads to discrimination among new and old borrowers. The issue was highlighted by the Working Group on Pricing of Credit and accordingly in January 2015, banks were allowed greater operational flexibility to price credit with the freedom to revise the methodology every three years instead of every five years as was done earlier.

III.30 Moreover, to address the issue of arbitrary charging of spread, banks were advised: (a) to have a board-approved policy, delineating the components of spread charged to a customer; and (b) to ensure that the spread charged to an existing borrower (other than a consortium and multiple banking arrangements) does not increase, except on account of deterioration in the credit risk profile of the customer or change in the tenor premium. Going forward, these measures are expected to improve transparency and fairness in the credit pricing framework in India.

III.31 In its first bi-monthly monetary policy statement for 2015-16 announced on April 7, 2015, the Reserve Bank stated that the base rate calculated on the basis of a marginal cost of funds should be more sensitive to changes in policy rate. In order to improve the efficiency of monetary policy transmission, the Reserve Bank will encourage banks to move to a marginal cost-of-funds-based determination of their base rates. Once the Financial Benchmark India Pvt. Ltd., an independent benchmark administrator, starts publishing various indices of market interest rates, the Reserve Bank will encourage banks to use the indices as an external benchmark for pricing bank products.

Projected and Actual Trajectories of Growth and Inflation

III.32 The Reserve Bank's growth and inflation projections are prepared under considerable uncertainty and shifting balance of risks. While common assumptions (covering some of the key determinants of inflation and growth) are used to generate the baseline projected paths, upside/ downside risks and the resultant likely deviations of the inflation and growth paths from the baseline are presented as part of the assessment of balance of risks in the MPRs.

III.33 The actual inflation path during Q4 of 2014-15 turned out to be significantly below what was indicated in the September 2014 MPR in view of the large changes in underlying conditions which were widely unanticipated. Two major factors, *inter alia*, necessitated this revision. First, in February 2015, the CSO updated the all India CPI-Combined series base from 2010=100 to 2012=100. As per CSO, inflation on an average in 2014 in the new series was 50 bps lower than what was recorded in the old series. The divergence varied from (+) 0.04 to (-) 1.11 percentage points in different months. Second, crude prices registered a sharp

fall between September 2014 and January 2015 and, on an average, crude oil prices were 36 per cent lower than what was considered as part of the baseline assumptions in the MPR of September 2014. The release of the new series on national accounts by the CSO in January 2015 was another major exogenous shock to the Reserve Bank's projections. Growth projection for 2014-15 was retained unchanged at 5.5 per cent since January 2014 till the revised national accounts numbers were released by the CSO in January/February 2015. The stronger than anticipated growth momentum in the CSO data (new base) relative to the data as per the old base was the key factor behind the deviation of the Reserve Bank's projected output growth for 2014-15 from CSO's estimates. The Reserve Bank is continuously engaged in refining and modernising its analysis and forecasting capacities so as to improve precision and stability. These efforts notwithstanding, improving projection performance in the face of major data revisions and large magnitudes of supply/external shocks will remain a key challenge for forward looking conduct of monetary policy.

Anchoring Inflation Expectations

III.34 The monetary policy framework of the Reserve Bank aims at anchoring inflation expectations as close as possible to the target. During 2014-15, anchoring expectations, especially breaking the rigidities that had set in from the experience of 2009-13 turned out to be a major challenge.

III.35 Large divergence between the wholesale price index (WPI) and CPI inflation in the first half of 2015 also posed a major challenge for monetary policy communication, given the formal adoption of CPI-C inflation jointly by the government and the Reserve Bank to set the inflation target against the backdrop of growing expectations of a highly accommodative monetary policy stance based on deflationary WPI. The Expert Committee had examined all the policy relevant issues involving WPI and CPI, and also reviewed the choice of a relevant measure of inflation in other advanced and emerging economies for the conduct of monetary policy. The coverage of items in the two price indices – CPI-C and WPI - is different. The weight of food in the CPI-C basket is higher at about 46 per cent, as against about 24 per cent in WPI. Nearly a quarter of CPI-C is composed of services whereas this component is not covered in WPI. CPI-C, therefore, is the most representative of available measures of price indices in India. The decline in WPI in the last 9 months has been driven by the sharp fall in global commodity prices, including crude petroleum and industrial raw materials, such as metals and chemicals. Generally, divergent inflation trends as per different price indices do not persist for long. Even if such divergences persist, anchoring the expectations of all agents in the economy as per the CPI-C inflation target will be important, even though divergent trends may entail differential welfare effects on different sections of the population depending on their own consumption baskets and range of inputs used in the production processes.

Uncertain and Time Varying Macro-dynamics

III.36 Modern day monetary policy operating frameworks focus on price stability under dynamic liquidity and financial conditions. Macro-financial linkages can, however, change significantly, and the conduct of monetary policy should recognise this and respond in a timely manner. An assessment of the natural real rate of interest assumes critical importance in this context under the explicit recognition that it is not static and may vary over time. Model-based estimates of natural real interest rate for India in Q4 of 2014-15 suggest a range of 0.6 per cent to 3.1 per cent, with +/- one standard error of about 50 bps (Box III.2).

III.37 There were, however, some challenges that were not fully addressed during 2014-15. First,

Box III.2
Time-varying Natural Interest Rate in India

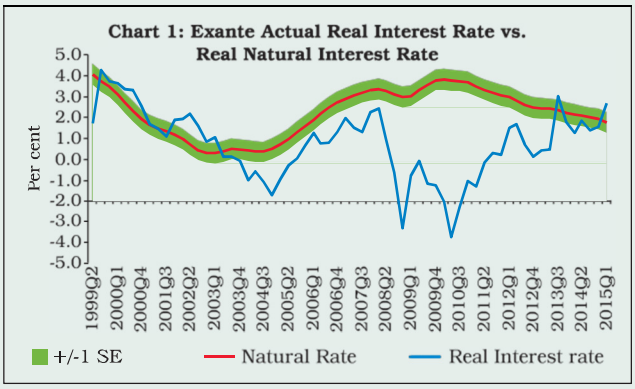
The natural rate of interest propounded by Wicksell (1898) has become a standard reference point in assessing the monetary policy stance of central banks since the 1990s, particularly after the growing popularity of flexible inflation targeting (FIT) and the use of Taylor type interest rate rules. While it was originally conceptualised as an equilibrium real rate at which desired saving equals desired investment, in its modern day formulation it is equated with the real rate of interest that is consistent with a zero output gap and inflation stable around its target over the business cycle. In any Taylor rule type assessment of a monetary policy stance, the natural real interest rate is often assumed as constant, even though in reality it may vary over time in response to supply and demand side shocks, which could be large and persistent.

Trend changes in productivity, population growth and households' time preference in terms of consumption and saving decisions over their life cycle have been the conventional determinants of the natural real interest rate. The global saving glut that preceded the global financial crisis had already imparted a significant downward pressure to global natural real interest rates. After the global crisis, the collapse of investment demand and subsequent deleveraging by corporations and households seem to have amplified the downward pressure on natural real interest rates in advanced economies (AEs).

Estimates for the US economy suggest that the natural real interest rate which declined from about 3.5 per cent in 1990 to about 2 per cent in 2007, fell sharply to zero over the recession years of 2008 and 2009, and since then remained near zero for five years up to 2014 (Williams 2015). Secular stagnation is widely believed to keep the natural real interest rate near zero in the medium-run.

In India there has been a significant fall in total factor productivity after the global crisis which is a major structural factor pushing down the natural real interest rate. The sharp deceleration in the annual rate of increase in gross fixed capital formation over the six-year period 2009-10 to 2014-15 relative to the pre-crisis phase of high growth reflects the change in time preference of entrepreneurs, that is, to wait and delay new investment projects in the midst of elevated uncertainty. Households, in turn, had to face persistently high inflation in the midst of a weakening outlook for employment and income growth, and their preference for inflation hedges in the form of gold and real estate led to a decline in financial savings. Favourable demography and the associated shift in the pattern of demand for credit and saving behaviour over life-time to smooth consumption could also alter the natural rate.

When so many factors potentially alter the natural rate, the time varying natural rate for India, estimated using the Kalman filter (Laubach and Williams 2003), has moved in the range of 0.5 per cent to 4 per cent over time, and seems to have declined since 2010 gradually to about 2 per cent now (Chart 1). The estimation of the natural rate of interest is highly sensitive to the underlying model, choice of variables, assumptions used for approximating potential output, the representative measure of inflation expectations and even the inflation target (that is, 6 per cent *vis-à-vis* 4 per cent). Alternative estimates of the risk free natural real interest rate accordingly suggest a range of 0.6 per cent to 3.1 per cent for Q4 of 2014-15. Uncertainty about the true value of the natural rate is a challenge for the conduct of monetary policy.



References:

Williams, John C. (2015), 'The Decline in the Natural Rate of Interest', Federal Reserve Bank of San Francisco, March 2.

Laubach, Thomas and John C. Williams (2003), 'Measuring the Natural rate of Interest', *Review of Economics and Statistics*, 85(4), November.

efforts for a better assessment of intra-day liquidity conditions to support more effective fine-tuning of liquidity operations were handicapped by the uncertainties involved in predicting government cash balances. Second, the capacity to assess the impact of external spillovers on the domestic economy was also limited owing to the suddenness characterising various international developments, particularly, blurred assessments worldwide on the magnitude and timing of these events. Third, the transmission of repo rate cut to deposit and lending rates remained incomplete, and credit growth

continued to be sluggish in an easing cycle of monetary policy. Besides the several factors mentioned earlier and the various steps taken by the Reserve Bank, the lower share of wholesale funding of banks in India has also partly hampered effective transmission of the policy rate to deposit and lending rates. Bank funding in India has a preponderance of retail deposits/savings that inhibits a seamless moderation in the cost of funds in response to reductions in the policy rate.

Agenda for 2015-16

III.38 In the context of the agenda set for 2014-15, the stance of monetary policy on the back of conducive supply management and the government's fiscal measures aided by favourable commodity prices helped in achieving sustained and significant disinflation to levels well below the set trajectory. The new liquidity management framework contributed to lower volatility in money market rates while allowing these rates to be determined through market forces in response to policy repo rate signals and day-to-day normal and fine-tuning liquidity operations. Two macro models were institutionalised for generating forecasts and scenario analyses, and the publication of two bi-annual MPRs contributed to strengthening communication with enhanced transparency on key aspects of the forward looking new monetary policy framework.

III.39 Going forward, the focus of the Reserve Bank's monetary policy stance during 2015-16 will be on fostering a gradual and durable disinflationary process towards the target of below 6 per cent by January 2016 in order to achieve the centrally projected rate of 4 per cent by the end of 2017-18. At the same time, the efficacy of the monetary policy transmission mechanism needs to improve since the pass-through of recent cuts in policy rate to the bank lending rate has been partial, reflecting constraints in transmission under the existing base rate system. Identifying the impediments in pass-through and implementing an alternative method, such as marginal cost based credit pricing or identifying an appropriate benchmark for the bank lending rate will be a priority for the Reserve Bank. In this regard, it is imperative to develop market based benchmarks by developing the term segment of the money market. Thus, liquidity support may have to be progressively provided through regular auctions of longer term repos with reduced dependence on overnight fixed-rate liquidity support. While doing so, it will also be important to dampen deviations of WACR and other money market rates such as CBLO rates from the repo rate in a narrow range. The Reserve Bank will continue to explore and augment its instruments of liquidity management, including standing deposit facility for absorption of surplus liquidity, as recommended by the Expert Committee.

IV CREDIT DELIVERY AND FINANCIAL INCLUSION

The Reserve Bank kept up its efforts to ensure universal access to banking services throughout the country and improving credit delivery during the year. Apart from continued emphasis on enhancement of credit to agriculture, the major thrust during the year was on improving availability of credit to the micro, small and medium enterprises to help the sector realise its full potential. The launch of the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) provided an added impetus to the various initiatives undertaken by the Reserve Bank towards furthering financial inclusion and financial literacy.

IV.1 Within the developmental and regulatory role of the Reserve Bank as a full service central bank, efficient and comprehensive credit delivery through panoply of channels/institutions for provision of financial products has always been accorded priority with a view to ensuring adequate financing for the productive sectors of the Indian economy. Over the years, the credit delivery system has been scaled up and expanded with innovations that reach out to the

diverse financing needs of society. More recently, the effort has been to spread the economies of scale and scope and experience gained in urban and semi-urban areas to geographical regions and sections of society that asymmetric credit markets tend to exclude in view of their lack of pricing power. In 2014-15, the focus was on improving the availability of credit to micro, small and medium enterprises (MSMEs), revising priority sector guidelines to foster greater inclusiveness and enhancing the flow of credit to agriculture.

IV.2 In line with this, the Financial Inclusion and Development Department (FIDD) being the nodal department for financial inclusion focused on creating an enabling environment for providing universal access to banking services throughout the country and ensuring timely and smooth flow of credit to the priority sectors of the economy with a view to developing an efficient and inclusive financial system.

Agenda 2014-15: Implementation Status

IV.3 Guided by its core objective of fostering greater inclusiveness, the Reserve Bank's endeavour during the year was to continue its efforts to ensure extension of banking facilities to all unbanked villages and make financial inclusion a viable proposition for banks to improve credit delivery. Under the on-going Phase-II of the roadmap for financial inclusion, which envisages opening of banking outlets in all unbanked villages with population less than 2,000, the strategy included identifying unbanked villages and allotting such villages to banks for coverage. To address the need for aligning priority sector lending guidelines with national priorities, the Reserve Bank constituted an Internal Working Group to revisit the guidelines.

IV.4 In pursuance of its developmental role, the Reserve Bank accords priority to efficient and comprehensive credit delivery, particularly to priority sectors comprising primarily of the agricultural and MSME sectors, and the weaker sections of society. The guidelines on priority sector lending were revised during the year with a view to widening the scope of the sector and improving the flow of credit. Financial inclusion efforts received a big fillip with the launch of the *Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY)* coupled with synchronised efforts by the Reserve Bank. To simplify credit dispensation, the need to submit 'no due certificates' to scheduled commercial banks by individual borrowers, including self help groups (SHGs) and

joint liability groups (JLGs) for all types of loans, irrespective of the amount involved, was discontinued. Innovative steps to provide support to MSMEs like guidelines for introduction of a mechanism to address the issue of delayed payment in the form of a technology enabled Trade Receivables Discounting System (TReDS), conducting research on matters relating to MSMEs, design and conduct of training programmes for the MSME division-in-charges and trainers in commercial banks were initiated during the year. Additionally, MSME divisions were opened by regional offices of the Reserve Bank to focus on issues concerning lending to the sector in their respective jurisdictions.

CREDIT DELIVERY

Priority Sector Lending

IV.5 Priority sector refers to those sectors of the economy which, though viable and creditworthy, may not get timely and adequate credit in the absence of a special dispensation. Typically, priority sector loans are small value loans to farmers for agriculture and allied activities, micro and small enterprises, poor people for housing, students for education, other low income groups and weaker sections. Such sectors are spread across the length and breadth of the country and especially prevalent in the hilly and coastal regions. Priority sector lending needs to be extended by banks as part of their normal business operations and should not be viewed as a corporate social responsibility. Towards this end, pricing of all credit has been made free, though with the expectation that pricing should not be exploitative (Table IV.1).

Table IV.1: Performance in Achievement of Priority Sector Lending Targets

(Amount in ₹ billion)

Outstanding as on March 31	Public Sector Banks	Private Sector Banks	Foreign Banks
1	2	3	4
2014	16,190 (39.4)	4,645 (43.9)	907 (35.8)
2015	17,512 (37.3)	5,303 (42.8)	970 (35.9)

Notes: 1. Figures in parenthesis are percentages to ANBC or CEOBE, whichever is higher in the respective groups.
2. The data for 2015 are provisional.

IV.6 Drawing upon the recommendations of an Internal Working Group, revised guidelines on priority sector lending were issued in April 2015. With the intention of giving a thrust to the MSME sector, medium enterprises were brought in the ambit of the priority sector. Additionally, a specific target was introduced for lending to micro enterprises. In addition to medium enterprises, two new categories, *viz.,* social infrastructure and renewable energy were included under the priority sector (Box IV.1).

Box IV.1
Priority Sector Lending – A Fresh Look

The salient features of the revised priority sector lending guidelines are:

- Separate targets of 8 per cent for small and marginal farmers (within the agriculture target of 18 per cent) and 7.5 per cent for micro industries have been prescribed to be achieved in a phased manner by 2017. These targets will be made applicable to foreign banks with 20 branches and above post 2018 after a review in 2017.
- Priority sector widened to include medium enterprises, social infrastructure and renewable energy.
- Monitoring of priority sector lending compliance on a 'quarterly' average basis at the end of the respective year from 2016-17.
- Priority Sector Lending Certificates (PSLCs) will be an eligible tradable instrument for achieving priority sector targets. The buyer (a deficient bank) will pay a 'price/

(Contd...)

fee' to the seller bank (a bank which has over achieved its PSL requirements) for purchasing a specified amount of PSL obligation applicable for a particular date.

- Educational loans (including loans for vocational courses) up to ₹1 million irrespective of the sanctioned amount to be considered as eligible for the priority sector.
- Export credit up to 32 per cent of adjusted net bank credit (ANBC) or credit equivalent amount of off-balance sheet exposure (CEOBE), whichever is higher, to be eligible as part of the priority sector for foreign banks with less than 20 branches. For domestic and foreign banks with 20 branches and above, the incremental export credit over the corresponding date of the preceding year will be reckoned up to 2 per cent of ANBC or CEOBE (whichever is higher), as part of the priority sector.
- Foreign banks with less than 20 branches are required to achieve the total priority sector target of 40 per cent of ANBC or CEOBE, whichever is higher, in a phased manner by 2020.

Flow of Credit to Agriculture

IV.7 The target for agricultural credit is fixed by the Government every year. Led by the performance of scheduled commercial banks (SCBs), the actual flow of credit to the agriculture sector has been consistently higher than the target in recent years. Co-operative banks and regional rural banks (RRBs), however, could not achieve their targets for 2013-14 and 2014-15 (Table IV.2).

Stressed Assets in Agriculture

IV.8 SCBs' non-performing assets (NPAs) in the agriculture sector have been rising steadily since 2010, reflecting, *inter alia,* a decline in the recovery of agriculture advances (Tables IV.3 and IV.4).

IV.9 Although the Government has been incentivising repayment of agricultural loans through the interest subvention scheme, this has not helped in improving the asset quality. The Government has been examining various measures to improve the efficacy of the scheme. The scheme has been extended for 2015-16.

Credit Flow to Micro and Small Enterprises (MSEs)

IV.10 Reflecting the focus of the Government and the Reserve Bank on enhancing credit flow to the MSE sector, credit to the sector showed a growth of 13.6 per cent as compared to the overall bank credit growth of 9.0 per cent during 2014-15 (Table IV.5).

Initiatives for the MSME Sector

IV.11 Continuing its efforts of promoting financial inclusion in the MSME sector, the Reserve Bank launched several initiatives during the year to address impediments in the credit flow to the sector. To address the issue of delayed payments to the MSME sector, TReDS has been conceptualised as an authorised electronic platform to facilitate discounting of invoices/bills of exchange of MSMEs (see Chapter IX for details). TReDS is expected to speed up the

Table IV.2: Targets and Achievements for Agricultural Credit

(₹ billion)

End March	Scheduled Commercial Banks		Cooperative Banks		RRBs		Total	
	Target	Achievement	Target	Achievement	Target	Achievement	Target	Achievement
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2013-14	4,750	5,090	1,250	1,199	1,000	827	7,000	7,116
2014-15*	5,400	5,997	1,400	1,384	1,200	1,025	8,000	8,406

*: Provisional.

Table IV.3 : NPAs in the Agriculture Sector

End-March	Agriculture Loans Outstanding (₹ billion)	Gross NPAs in Agriculture* (₹ billion)	Ratio of Gross NPAs (Agriculture) to Agriculture Loans Outstanding (per cent)
1	2	3	4
2010	4,636	104	2.2
2011	5,072	167	3.3
2012	5,802	248	4.3
2013	6,428	302	4.7
2014	7,698	340	4.4
2015	8,295	391	4.7

*Only SCBs.

realisation of receivables and reduce the incidence of sickness in this sector.

IV.12 Regional offices of the Reserve Bank have set up MSME specific divisions to: (i) collate and analyse data on credit flow and sickness from the region; (ii) monitor banks' efforts towards nursing and rehabilitation of MSME units in the region; (iii) monitor the level of banking activity in identified and unidentified clusters and initiate steps to enhance banking activity, wherever required; (iv) organise capacity building activities for bank functionaries involved in lending to the MSME sector; and (v) conduct research on matters relating to MSMEs, such as credit issues, availability of banking services in clusters, sickness and capacity building.

IV.13 As part of capacity building of MSME divisions in banks and to develop entrepreneurial sensitivity, the Reserve Bank's College of Agricultural Banking (CAB), Pune has designed training programmes for the MSME division-in-charges and

Table IV.4: Recovery of Direct Agriculture Advances

Year	Total Demand (₹ billion)	Total Recovery (₹ billion)	Per cent of Recovery to Demand
1	2	3	4
2012	1,917.7	1,428.9	74.5
2013	2,596.2	1,975.7	76.1
2014	2,814.9	2,066.0	73.4

Table IV.5: Credit Flow to MSEs

Year	Number of Accounts (million)	Amount Outstanding (₹ billion)	MSE credit as per cent of ANBC
1	2	3	4
2014	12.6 (12.3)	8,510.9 (23.9)	15.7
2015	13.8 (10.1)	9,664.8 (13.6)	17.8

Note: 1. Data for 2015 are provisional.
2. Figures in parentheses indicate y-o-y change in per cent.
Source: Scheduled commercial banks.

trainers in commercial banks. CAB, Pune has also developed a syllabus for the regional offices of the Reserve Bank, which, in turn, will conduct workshops for capacity building for branch managers of specialised MSME branches in their jurisdictions.

FINANCIAL INCLUSION

Roadmap for Provision of Banking Facilities in Unbanked Villages with Population less than 2,000

IV.14 The Reserve Bank continued with its efforts to ensure extension of banking facilities to all unbanked villages. For this, about 490,000 unbanked villages with population less than 2,000 were identified and allotted to banks for coverage under the ongoing Phase-II of the roadmap. At end-March 2015, as reported by State Level Bankers Committees (SLBCs), 390,387 villages were covered by 14,207 branches, 357,856 business correspondents (BCs) and 18,324 other modes, such as automated teller machines (ATMs) and mobile vans. In view of the ongoing implementation of PMJDY, banks were advised to complete Phase- II coverage by August 14, 2015 instead of March 31, 2016 as prescribed earlier.

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY)

IV.15 The Government of India launched PMJDY on August 28, 2014, for extending formal financial services to the excluded population. The major features of the scheme include: (i) the facility to open a basic saving bank deposit (BSBD) account

in any bank branch or BC outlet; (ii) accidental insurance cover (₹ 0.1 million) and life insurance cover (₹ 30,000); and (iii) an overdraft (OD) facility after satisfactory operation of the account for six months. Since the inception of the scheme, 165.7 million accounts had been opened by June 30, 2015. The Government of India has initiated routing of subsidy payments and also introduced insurance and pension products for BSBD account holders including for those accounts opened under PMJDY. To ensure increased activity in these accounts, the efforts that needed to be taken include: (i) rolling out direct benefit transfer (DBT) for all Central and State Government payments; (ii) offering appropriate credit products (farm and non-farm sector) after due diligence; (iii) strengthening the BC network; and (iv) increasing awareness through financial literacy initiatives.

IV.16 Reflecting the focus of the Reserve Bank on financial inclusion, the 80th anniversary celebrations of the Reserve Bank were held in Mumbai on April 2, 2015, with financial inclusion as the central theme (Box IV.2).

Financial Inclusion Plan (FIP)

IV.17 The Reserve Bank has been encouraging banks to adopt a structured and planned approach to financial inclusion with commitment at the highest levels by preparing board-approved FIPs. Out of 3,445 rural bank branches opened during 2014-15, 2,230 branches were opened in unbanked rural centres. Around 155 million basic savings bank deposit accounts (BSBDAs) were added taking the total BSBDAs to 398 million. This includes 147 million accounts opened under PMJDY. With the addition of 2.6 million small farm sector credits (kisan credit cards-KCCs) and 1.8 million small non-farms sector credits (general credit cards-GCCs), the total number of such accounts went up to nearly 42.5 million and 9.2 million respectively (Table IV.6).

Constraints in Financial Inclusion

IV.18 Though the initiative under financial inclusion has led to opening of large number of basic bank accounts of people from the excluded segment, the effort for ensuring that these accounts remain operational has to continue. This is possible

Box IV.2
RBI@80: Conference on Financial Inclusion

A financial inclusion conference was organised by the Reserve Bank in Mumbai on April 2, 2015. The Prime Minister of India was the chief guest on the occasion. Other dignitaries who attended the conference included the Governor of Maharashtra, the Finance Minister of India and the Chief Minister of Maharashtra, apart from experts from the banking and finance fraternity. The Prime Minister released the *Concise History of Reserve Bank of India: 1935-1981* at the function.

The Prime Minister encouraged the Reserve Bank to prepare a roadmap for achieving financial inclusion objectives by setting targets in a phased manner till the centenary year of the establishment of the Reserve Bank.

Panel discussions were held on the following topics as part of the conference: (i) 'Financial Inclusion - Let All Efforts Bloom'; (ii) 'Building the Business Case for Financial Inclusion - Whether BC Model is the Way to Go?'(iii) 'Financial Inclusion - the Way Forward'; and (iv) 'The linkage between Financial Inclusion, Financial Literacy and Consumer Protection'. Some of the key points which emerged from the discussions are:

- Concerted efforts of the Government of India, the Reserve Bank and banks are necessary to further the financial inclusion agenda. The strategy to realise this goal will comprise of a mix of conducive policy environment, use of innovative channels/technology and optimal utilisation of the BC model.
- The risks associated with the BC model can be mitigated by putting in place a secure system, use of appropriate technology, effective supervision, efficient cash management services and capacity building.
- Raising the level of acceptance of technology by customers will require sustained financial literacy initiatives on the part of bankers.
- Customers' awareness about their rights and duties is integral to developing a conducive consumer protection environment. This will also necessitate banks to develop strong internal grievance redressal mechanisms.

Table IV.6: Financial Inclusion Plan-Summary Progress of All Banks Including RRBs

Particulars	Year ended March 2010	Year ended March 2014	Year ended Mar 2015	Progress April 2014 - Mar 2015
1	2	3	4	5
Banking Outlets in Villages - Branches	33,378	46,126	49,571	3,445
Banking Outlets in Villages – Branchless mode	34,316	337,678	504,142	166,464
Banking Outlets in Villages -Total	67,694	383,804	553,713	169,909
Urban Locations covered through BCs	447	60,730	96,847	36,117
Basic Savings Bank Deposit A/c through branches (No. in million)	60.2	126.0	210.3	84.3
Basic Savings Bank Deposit A/c through branches (Amt. in ₹ billion)	44.3	273.3	365.0	91.7
Basic Savings Bank Deposit A/c through BCs (No. in million)	13.3	116.9	187.8	70.9
Basic Savings Bank Deposit A/c through BCs (Amt. in ₹ billion)	10.7	39.0	74.6	35.6
BSBDAs Total(No. in million)	73.5	243.0	398.1	155.1
BSBDAs Total (Amt. in ₹ billion)	55	312.3	439.5	127.3
OD facility availed in BSBDAs (No. in million)	0.2	5.9	7.6	1.7
OD facility availed in BSBDAs (Amt. in ₹ billion)	0.1	16.0	19.9	3.9
KCCs (No. in million)	24.3	39.9	42.5	2.6
KCCs (Amt. in ₹ billion)	1,240.1	3,684.5	4,382.3	697.8
GCC (No. in million)	1.4	7.4	9.2	1.8
GCC (Amt. in ₹ billion)	35.1	1,096.9	1,301.6	204.7
ICT A/Cs BC Transaction (No. in million)*	26.5	328.6	477.0	477.0
ICT A/Cs BC Transactions (Amt. in ₹ billion)*	6.9	524.4	859.8	859.8

*: During the financial year.

if all government payments are routed through the banking channel. A step ahead will be to remunerate banks appropriately for routing these transactions through the banking channel. In addition, since the last mile delivery of all banking services is expected to be done mostly through the large BC network created across the country, it is necessary to ensure that appropriate control system for oversight over BC operations is provided by banks. The success of the Information and Communication Technology based BC model critically depends upon the availability of proper network connectivity across the country.

Simplifying Credit Dispensation

IV.19 SCBs have been advised to dispense with no due certificate from individual borrowers (including SHGs and JLGs) for all types of loans, irrespective of the amount involved. Banks have been encouraged to use an alternative framework of due diligence for credit appraisal, which could consist of one or more of the following : (i) credit history check through credit information companies; (ii) self-declaration or an affidavit from the borrower; (iii) central registry of securitisation asset reconstruction and security interest (CERSAI) registration; (iv) peer monitoring; (v) information sharing among lenders; and (vi) information search (writing to other lenders with an auto deadline).

FINANCIAL LITERACY

Financial Literacy Camps

IV.20 Apart from direct initiatives, the Reserve Bank's efforts to expand financial literacy are channelled through banks. In terms of current instructions, financial literacy centres (FLCs) and rural branches of banks are required to conduct financial literacy camps at least once a month with focus on financially excluded people. Additionally,

Table IV.7: Activities Undertaken by Financial Literacy Centres

Particulars	2013-14 (April-March)	2014-15# (April-March)
1	2	3
No. of operational FLCs	942	1,181
No. of activities conducted*	56,985	84,089
Total no. of participants*	3,826,068	5,238,358
No. of participants opened accounts after attending the camps	NA	1,442,546
No. of participants already having accounts while attending camps	NA	2,890,204

*: Includes both outdoor and indoor activities. However, indoor activities have been discontinued w.e.f. April 2014.
NA: Not available. #: Provisional.

Table IV.8 : Activities Undertaken by Rural Branches

Particulars	2014-15*
1	2
No. of Rural branches	52,934
No. of Rural branches conducted camps	32,509
No. of camps conducted	306,188
Total no. of participants	14,826,647
No. of participants opened accounts after attending the camp	5,657,092
No. of participants already having accounts while attending camps	6,686,518

*: Provisional.

banks are encouraged to conduct such camps in unbanked locations. As at end March 2015, 1,181 FLCs were operational in the country, up from 942 as at end March 2014. During the period April 2014 to March 2015, financial literacy camps were conducted by 32,509 rural branches of banks and 1.4 million and 5.7 million participants opened accounts in the camps organised by the FLCs and rural branches of banks, respectively (Table IV.7 and IV.8).

Agenda for 2015-16

IV.21 Going forward, the mechanism for issue of priority sector lending certificates (PSLCs) will be made operational. This will provide banks with an instrument to aid them in priority sector target achievement and allow leveraging of their comparative advantage in lending to the priority sector. To work out a medium-term (five year) measureable action plan for financial inclusion, the Reserve Bank has constituted a Committee on Medium-term Path on Financial Inclusion (Chairman: Shri Deepak Mohanty). Studies will be conducted to assess the efficacy of existing schemes on lead bank, credit guarantee trust for micro and small enterprises (CGTMSE), KCC, SHG - bank linkage and the BC model.

IV.22 Operationalisation of TReDS, which has been conceptualised as an authorised electronic platform to facilitate discounting of invoices/bills of exchange of MSMEs, will be taken up during the course of the year. In pursuance of the objective of fostering a conducive policy environment for the MSME sector, there will be continuous monitoring of banks' efforts towards nursing and rehabilitation of MSME units, collation and analysis of data on credit flow and sickness in such units. With a view to developing 'entrepreneurial sensitivity' and improving the skills of dealing functionaries of banks, the Reserve Bank proposes to roll out a national capacity building programme. This is expected to help the functionaries understand the genuine credit needs of MSME entrepreneurs and provide timely response.

V REGULATION OF FINANCIAL MARKETS AND FOREIGN EXCHANGE MANAGEMENT

During 2014-15, the Reserve Bank undertook several measures to improve the financial markets. The efforts were targeted at increasing participation, simplifying procedures and making the markets deeper, efficient, accessible and stable. Developing the money market with appropriate instruments and adequate participation assumed central importance. Further, refining and rationalising foreign exchange regulations should contribute to the widening and deepening of the foreign exchange market. In the derivatives markets, the measures taken during 2014-15 were aimed at simplifying the documentation requirements and increasing participation in both over-the-counter and exchange traded currency derivatives.

V.1 Broadening and deepening financial markets and putting in place an appropriate architecture for regulating them have been an on-going engagement of the Reserve Bank. During 2014-15, guided by the five-pillar approach set out in the Second Quarter Review of Monetary Policy of 2013-14 to drive its developmental and regulatory policies, the Reserve Bank undertook several measures to improve liquidity, activity and resilience of various segments of the financial market spectrum, especially in the context of a volatile and uncertain international environment, so that these markets perform efficiently their intermediation role in financing India's growth. The efforts were targeted at increasing participation, simplifying procedures and making the markets deeper, efficient, accessible and stable.

V.2 In the money market, the endeavour was to further develop term/repo markets. In the government securities (G-secs) market, the objective, as in the past, was to promote liquidity and broad based participation, including by foreign investors and resident individuals. In the foreign exchange market, emphasis was placed on the liberalisation of transactions, both current and capital and inward and outward. In the derivatives segment, the objective was to develop participation through simplification of procedures. Three departments of the Reserve Bank are primarily entrusted with the roles of developing and regulating of financial markets, financial market operations and foreign exchange management.

FINANCIAL MARKETS REGULATION DEPARTMENT (FMRD)

V.3 FMRD was set up on November 3, 2014 with a mandate to regulate, develop and oversee financial markets in an integrated manner. The primary activities of the department include regulation and development of the money, G-secs, foreign exchange and related derivatives markets. The department is also responsible for the implementation of the recommendations of the Committee on Financial Benchmarks (Chairman: Shri P. Vijaya Bhaskar), strengthening of the financial market infrastructure and market surveillance. A Market Intelligence Cell is proposed to be set up as part of FMRD. Going forward, the department will focus on (i) making market access norms easier for all participants; (ii) expanding the menu of products and participants across all segments; (iii) strengthening market infrastructure in line with global standards; and (iv) leveraging the market analytics and surveillance mechanism for policy inputs.

Agenda 2014-15: Implementation Status

V.4 During 2014-15, FMRD undertook measures targeted at increasing participation, simplifying procedures and making the markets more efficient. The Technical Advisory Committee (TAC) on Money, Forex and G-secs Markets (Chairman: Harun R. Khan) was reconstituted in April 2015 with representation from various stakeholders to advise the Reserve Bank in this endeavour.

V.5 With the objective of implementing the recommendations of Committee on Financial Benchmarks, a new company, Financial Benchmarks India Pvt Ltd (FBIL), jointly promoted by the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA), the Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) and the Indian Banks' Association (IBA), has commenced operations in February 2015. As a first step, FBIL overnight Mumbai interbank offer rate (FBIL-Overnight MIBOR) was launched on July 22, 2015.

V.6 An appropriate public dissemination system was to be instituted at the Clearing Corporation of India Ltd. (CCIL) for disclosing the price and volume information on major interbank over-the-counter (OTC) foreign exchange derivatives. CCIL has, accordingly, started disseminating data on USD-INR forwards and USD-INR currency options with effect from April 13, 2015. The data disseminated are on an aggregated basis and contain tenor-wise traded rate/implied volatility in terms of open, high, low, last, weighted average rate (WAR), volumes and number of trades (Box V.1).

V.7 As planned, limits for short sale have been increased and undertaking short sales in the OTC market has been permitted. Re-repo of G-secs

Box V.1
G20 Commitments and Reforms in the OTC Derivatives Market in India

In response to the global financial crisis of 2007, the G20 initiated reforms to strengthen the regulation and oversight of the financial system, and tasked the Financial Stability Board (FSB) with coordination of the reforms. The reforms include improving transparency and enhancing the resilience of OTC derivatives markets. An implementation group for OTC derivatives (Chairman: Shri R. Gandhi), constituted on the direction of the sub-committee of the Financial Stability and Development Council (FSDC) has set out a roadmap for reforms.

Standardisation

- Following the standardisation of inter-bank trades in credit default swaps (CDS) and the rupee overnight index swap (OIS) based on overnight MIBOR, interest rate swaps (IRS) referenced to other benchmarks will be standardised in phases.
- Standardisation of foreign exchange derivatives will be addressed at the end of 2015 since they are generally 'plain vanilla' and market liquidity is low in currency swaps, IRS in foreign currency (FCY) and interest rate options.

Exchange or electronic platform trading

- As the market develops for forex options, currency swaps (CS), FCY-IRS and interest rate options in FCY and CDS, the possibility of introducing a trading platform will be examined.

Reporting to trade repositories (TRs)

- As in the case of all OTC forex and interest rate derivatives, client transactions in rupee IRS/ forward rate agreement (FRA) and CDS, FCY interest rate options will be brought under the reporting framework but as and when its liquidity picks up.
- Thus, India has become fully compliant with the G20 commitment on reporting of OTC derivatives transactions to TRs.

Central clearing

- More than 80 per cent of IRS trades are being centrally cleared on a non-guaranteed basis without a regulatory mandate. In principle approval has been given to CCIL to provide central counterparty (CCP) based clearing for IRS trades which will be made operational shortly.
- In the case of forex derivatives, CCP's clearing of forex forwards has been mandated. CCP clearing for forex options, CS, IRS and interest rate options in FCY and CDS in which liquidity remains low will be reviewed by end-2015.

Margin requirements

- Detailed modalities for OTC derivatives, including CDS will be prescribed taking into account the recommendation of the Basel Working Group on margin requirements and other international developments.

Capital requirements for non-centrally cleared OTC derivatives

- Rules on capital requirements for banks' exposures to CCPs have been made effective from January 1, 2014, reducing the capital requirements for centrally cleared products. In addition, credit valuation adjustment (CVA) capital charge for non-centrally cleared derivatives has also been made effective.

acquired under reverse repo has also been permitted. Facilitating participation of foreign portfolio investors (FPIs) in G-secs was one of the key mandates for the year. In this direction, FPIs were permitted to acquire G-secs directly from any counterparty in the secondary market, obviating the requirement of a broker. Settlement of all FPI transactions in G-secs has been permitted on T+2 basis. FPIs were allowed to reinvest coupons, received on their investments in G-secs, outside the existing limit and also permitted to hedge the currency risk of the coupon receipts on debt securities falling due during the following 12 months.

V.8 With the objective of introducing new products and expanding markets, 6-year and 13-year cash settled interest rate futures (IRFs) on Government of India (GoI) securities with residual maturity of 4-8 years and 11-15 years, respectively, were permitted on exchanges. A Working Group (Chairman: Prof. P.G. Apte) has been constituted for introduction of interest rate options.

V.9 To make documentation in forex markets less onerous, the certification required from the hedging entity's statutory auditors has been replaced with an undertaking from the designated officials of the entity, both in the OTC and the exchange traded currency derivatives (ETCD) markets. The eligibility limits for hedging for importers, based on past performance, have been brought at par with exporters, both in the OTC and ETCD markets. The permissible position limits on the exchanges, without the requirement of establishing underlying exposure, have been enhanced to US$ 15 million for USD-INR and US$ 5 million for all other permitted currency pairs put together.

V.10 Towards achieving the objective of providing overseas entities greater access to onshore hedging markets, external commercial borrowings (ECBs) lenders in rupees have been permitted to enter into swap transactions with their overseas bank which shall, in turn, enter into a back-to-back swap transaction with any authorised dealers (AD) category-I bank in India. In order to improve transparency and broad base participation in interest rate swaps (IRS), an anonymous electronic trading platform for IRS contracts referenced to overnight MIBOR benchmark was launched on August 3, 2015 with the CCIL's guaranteed settlement.

V.11 In respect of a few areas identified for implementation, while action has been initiated, full implementation is yet to be achieved. With regard to upgradation of the negotiated dealing system order-matching (NDS-OM) platform, necessary approvals were given to CCIL. While the architecture, messaging structure and technology infrastructure have been finalised for the purpose, software development is at an advanced stage.

V.12 Examining the feasibility of international settlements for Indian sovereign debt securities was another planned activity. There has been continuous engagement with the GoI and the major international central security depositories (ICSD), Euroclear and Clearstream, in this regard. A feasible mechanism addressing all concerns is likely to become operational during 2015-16.

Agenda for 2015-16

V.13 The regime for fixing limits for FPI investment in debt securities has undergone changes over the years. The Reserve Bank, in consultation with the GoI, intends to put in place a structured process for fixing these limits along with a framework for periodic reviews. Encouraging retail participation in G-secs continues to engage the Reserve Bank's attention. To enable seamless movement of securities from the subsidiary general ledger (SGL) form to the demat form and *vice versa,* it was announced to provide demat account holders a functionality to put through trades on NDS-OM. An

implementation group with representatives from all stakeholders has been set up to roll out the measures by December 2015.

V.14 A deep and liquid corporate bond market has been a shared policy goal of the GoI and financial regulators. Introduction of an electronic platform for facilitating repo in corporate bonds will be considered for implementation. In order to impart liquidity to the options segment in the OTC forex market and attract greater all-round participation, final guidelines allowing exporters and importers to write covered options against their contracted exposures are expected to be issued shortly. Based on the recommendations of the Working Group on interest rate options, the final guidelines will be issued. A framework for assessment of benchmark submission practices by market participants will also be put in place in 2015-16.

FINANCIAL MARKETS OPERATIONS DEPARTMENT (FMOD)

V.15 As part of organisational restructuring, FMOD was created from the erstwhile Financial Markets Department (FMD) on November 3, 2014 by hiving off the surveillance function. With this, FMOD has primarily become an operational department responsible for conducting financial market operations efficiently. The role of FMOD is to facilitate vibrant, efficient and stable financial markets to support a rapidly growing real economy.

Agenda 2014-15: Implementation Status

V.16 FMOD is primarily entrusted with the task of conducting market operations in consonance with the policies of the Reserve Bank. Thus, as in the previous years, maintaining orderly conditions in the forex market through its operations in both spot and forward segments was high on the agenda for 2014-15. Efforts were also directed at maintaining appropriate levels of liquidity in the financial system through liquidity management operations, which include the liquidity adjustment facility (LAF) (fixed/ variable rate repo/reverse repo of various tenors) and overnight marginal standing facility (MSF), other standing facilities and open market operations (OMOs) with a view to ensuring better alignment between money market rates and the policy rate for more efficient transmission of monetary policy signals. Regular analyses and research on developments in financial markets and market operations were also carried out.

V.17 During 2014-15, exchange rate of the rupee exhibited stability, unlike in the previous year when it witnessed intense volatility during July-August 2013 on account of taper tantrums. For better liquidity management, the LAF was revised in September 2014 which entailed more frequent 14-day term repo auctions besides use of variable rate repo/reverse repo auctions of various tenors for fine tuning. These steps helped in reducing volatility in the money market and ensuring closer alignment of the money market rates with the policy rate.

Agenda for 2015-16

V.18 The department aims to continue with its endeavour to carry out liquidity management operations effectively, conduct foreign exchange operations, including interventions, in an effective manner and carry out policy oriented research on financial markets. The department also intends to undertake technological up-gradation to facilitate smoother and more flexible liquidity management operations.

FOREIGN EXCHANGE DEPARTMENT (FED)

V.19 With increasing globalisation, and evolving business practices and models, effective integration of the needs of both residents and non-residents is necessary while meeting the basic objectives of the Foreign Exchange Management Act (FEMA), 1999. Since India is likely to remain a capital deficit country in the near to medium term, the regulatory

regime needs to provide a framework which is simple, comprehensive and principle based so as to reduce the regulatory cost and improve the ease of doing business. This has to be implemented within the overarching principle of calibrated progress towards capital account liberalisation within the constraints imposed by macro-prudential stability. Within the Reserve Bank, FED acts as the nodal department for this purpose.

Agenda 2014-15: Implementation Status

V.20 With normalcy returning to the external sector, the Reserve Bank rolled back many of the emergency steps taken in 2013-14 and focussed on ensuring robust and stable capital flows to finance the current account deficit and supplement savings in financing the investment needs of the economy. In 2014-15, efforts were directed at further simplifying the foreign investment regime and making it more user-friendly both for domestic firms and foreign investors. A review of the existing framework of the ECBs was also envisaged.

Easing of FDI and FPI Regimes

V.21 On a review of the policy on eligible instruments for foreign direct investment (FDI) and FPI, partly paid equity shares and warrants issued by an Indian company were allowed to be considered as eligible instruments for the purpose of FDI and FPI schemes. To provide greater freedom and flexibility in the FDI framework, the issue and transfer of shares, including compulsorily convertible preference shares/debentures, with or without optionality clauses (without any assured return), was allowed to be carried out at a price worked out as per the guidelines issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) in case of listed companies and any internationally accepted pricing methodology in case of unlisted companies on an arm's length basis. Further, Indian companies were permitted to issue equity shares against any funds payable by them, remittances of which did not require prior permission of the government or the Reserve Bank under FEMA, 1999 or any rules/regulations framed or directions issued thereunder.

V.22 AD category-I banks were permitted to allow pledge of equity shares of an Indian company held by non-resident investor/s in accordance with the FDI policy in favour of non-banking financial companies (NBFCs) to secure credit facilities extended to the resident investee company. Following the changes announced by the Government in the FDI policy, regulations were amended to enable foreign investments: (a) up to 49 per cent in the defence sector under the government approval route; and (b) up to 100 per cent in railway infrastructure and manufacturing of medical devices under the automatic route. In addition, FDI in the insurance sector was increased to 49 per cent from the earlier level of 26 per cent.

V.23 A new depository receipts scheme, 2014 was notified by the Reserve Bank on January 22, 2015, under which a person is eligible to issue or transfer eligible securities to a foreign depository for the purpose of converting the securities into depository receipts.

Review of Framework for ECBs

V.24 The scope of ECB was expanded and recognised non-resident lenders were allowed to extend loans in Indian rupees to eligible resident borrowers. The facility, besides providing greater flexibility for structuring of ECB arrangements, shifts the currency risk from borrowers to lenders. For better structuring of the draw-down of ECB proceeds and their subsequent utilisation for permitted end uses, eligible ECB borrowers were allowed to park ECB proceeds in term deposits with AD Category-I banks in India for a maximum period of six months, pending utilisation. The set of eligible securities for raising ECBs was made more broad-

based to include movable assets and financial securities in addition to immovable assets.

Simplification of Non-trade Outward Remittances and Travel-related Transactions

V.25 Policies relating to overseas direct investment (ODI) were liberalised with a view to providing flexibility to residents for availing fund based or non-fund based facilities for overseas joint ventures (JVs), wholly owned subsidiaries (WOS) and step down subsidiaries (SDS). This, *inter alia*, included permitting pledging of shares of its overseas SDS and creating a charge on domestic/ foreign assets.

V.26 In view of the resumption of buoyant capital inflows in the recent period and as part of macro-prudential management, the limit under the liberalised remittance scheme (LRS) was enhanced to US$ 2,50,000 per individual per financial year from the existing limit of US$ 1,25,000. Further, to ensure ease of transactions, all the facilities for release of exchange/ remittances for current account transactions available to resident individuals under Schedule III of the Foreign Exchange Management (Current Account Transactions) Rules, 2000, as amended from time to time, were subsumed under this limit.

V.27 To mitigate the hardships faced by people travelling to Nepal and Bhutan, individuals were permitted to carry higher value denomination notes up to a value of ₹25,000. Earlier, individuals travelling to these two countries were allowed to carry Indian currency without any limit in denominations of only up to ₹100.

Export Data Processing and Monitoring System (EDMPS)

V.28 An EDPMS was put in place in March 2014 to bring about efficiency and ease in data reporting as also enabling more effective monitoring of export transactions. EDPMS has a single master database for all export transactions and is shared by all the stake-holders involved (Reserve Bank of India, customs and banks). EDPMS effectively addressed the long standing issue of unmatched export transactions reported by customs but not detected in the banking channel.

International Financial Services Centre (IFSC)

V.29 Regulations were framed in March 2015 to enable functioning of IFSCs under which a financial institution or a branch of a financial institution will be treated as a person resident outside India and its transactions with a person resident in India will be treated as those between a non-resident and a resident and subject to the provisions of FEMA, 1999.

Rupee Denominated Overseas Bonds

V.30 A few international institutions were permitted since 2013 to issue rupee bonds in overseas markets, which elicited a positive response. In the monetary policy statement of April 2015, the Reserve Bank, in consultation with the GoI, decided to permit Indian corporates eligible to raise ECBs to issue rupee denominated bonds overseas. The draft framework on overseas issuance of rupee linked bonds by multilateral financial institutions and eligible borrowers was placed in the public domain and the policy in this regard is likely to be finalised soon.

Agenda for 2015-16

V.31 Considering the progress that the country has made in foreign exchange management and to facilitate the ease of doing business, there is a need for aligning the regulations issued under FEMA, 1999 with evolving business models and practices. Accordingly, the Reserve Bank proposes to (i) complete the task of rationalising and simplifying the notifications issued under FEMA, which commenced last year; (ii) issue master regulations covering all instructions on a subject in a more user friendly format; and (iii) rationalise the returns submitted to it in order to reduce the

regulatory load on users of foreign exchange. The task of simplifying the ECB guidelines is an ongoing process and the Reserve Bank will also take into account the recommendations of the Committee to Review the Framework of Access to Domestic and Overseas Capital Markets (Phase II, Part II: Foreign Currency Borrowing, Report III; Chairman: Shri M.S. Sahoo). Encouraged by the stabilisation of EDPMS, the Reserve Bank will initiate work on installing an import data processing and monitoring system (IDPMS) in coordination with the government agencies.

VI REGULATION, SUPERVISION AND FINANCIAL STABILITY

Following the economic slowdown and sector-specific factors, the banking sector has been beset with the problem of deteriorating asset quality. In response, the Reserve Bank focused on strengthening the regulatory and supervisory framework to identify stress at the incipient stage and initiate corrective action. Alongside, the Reserve Bank sought to infuse competition in the banking sector by allowing new private sector banks and differentiated banks. Asset reconstruction companies were also encouraged for recovery management. Simultaneously, focus was placed on aligning the regulatory framework for NBFCs and UCBs with the rest of the banking sector. In pursuance of customer protection, the Reserve Bank released the Charter of Customer Rights, enunciating five basic rights for bank customers.

VI.1 The year under review was marked by rising financial stability risks worldwide - uncertainty surrounding the normalisation of monetary policy in the US and market reactions to incoming data that prompted risk-on risk-off switches in sentiment, asset prices and capital flows around its timing; highly accommodative monetary policies in the euro area and Japan with large swings in financial asset prices; and financial rebalancing and managing domestic vulnerabilities in emerging market economies, higher corporate indebtedness and growing exposure to market and liquidity risks. Against this backdrop, safeguarding financial stability through well- designed macro-prudential measures addressing both banking and non-banking constituents of the financial system assumed critical importance.

VI.2 With asset quality and profitability of banks coming under stress due to a combination of global and domestic developments, the Reserve Bank's focus during 2014-15 was on strengthening the regulatory and supervisory frameworks by aligning them with Basel III norms and also with those established by other international standard setting bodies.

VI.3 The regulatory and supervisory regime for non-banking financial companies (NBFCs) and urban cooperative banks (UCBs) was also fortified by aligning it with that of the banking system while promoting technological upgradation and sharing credit histories of borrowers. The banking structure itself was sought to be strengthened by infusion of new entrants, including in niche domains, such as small finance and payments banks and by extending the reach of the payment system infrastructure by bringing into its fold non-bank authorised entities. The Reserve Bank also signed memoranda of understandings (MoUs)/ exchange of letters/ statements of cooperation with a host of supervisors of other countries to promote greater cooperation and sharing of supervisory information relating to Indian banks with overseas operations and foreign banks operating in India.

VI.4 A critical area in the banking space that warranted prioritised attention was the mounting overhang of stressed assets. Besides mechanisms for early corrective actions, a multi-pronged strategy was adopted comprising higher provisioning against restructured assets, recovery management through asset reconstruction companies and strategic debt restructuring.

VI.5 Towards this end, various departments of the Reserve Bank dealing with the regulation and supervision of financial intermediaries as also

customer interest set out for themselves an agenda of work plans in 2014-15. The following paragraphs outline the activities undertaken by them, the challenges faced and the way forward for 2015-16.

FINANCIAL STABILITY UNIT (FSU)

VI.6 In the aftermath of the global financial crisis, maintaining financial stability has emerged as a prime responsibility of central banks. FSU of the Reserve Bank was set up in July 2009 to monitor stability related matters with the objective of strengthening the financial system. This is envisaged to be achieved by conducting macro-prudential surveillance on an on-going basis, systemic stress tests and dissemination of the status of financial stability in addition to supporting the institutional mechanism for financial stability in the country, *viz.,* Financial Stability and Development Council (FSDC).

Agenda for 2014-15: Implementation Status

VI.7 As planned for 2014-15, two Financial Stability Reports (FSRs) were published - one in December 2014 and the other in June 2015. It is the endeavour of the Reserve Bank to bring about improvements to its stress testing framework. Accordingly, refinements were made to the macro stress testing methodology with respect to the variables used (*e.g.,* using the consumer price index (CPI) instead of the wholesale price index (WPI), and weighted average lending rate in place of call rate). In addition, FSU collaborated with the International Monetary Fund (IMF) in the areas of modelling risk weighted asset (RWA) dynamics and modelling corporate sector distress and its impact on the banking sector in order to make further refinements in the stress testing framework as also to develop new predictive models. Analyses of power and iron and steel industries, with emphasis on stressed assets were undertaken. Further, their impact on the banking sector was assessed to gauge the resilience of the banking system.

VI.8 As the secretariat to the sub-committee of FSDC, FSU conducted three meetings of the sub-committee during 2014-15. The sub-committee's recommendation for putting in place an enabling framework for creating an 'account aggregation' facility for customers to view all their financial assets through a single window, is being worked out. Based on the discussions in the sub-committee, the Central Registry of Securitisation, Asset Reconstruction and Security Interest of India (CERSAI) will be acting as the central know your customer (KYC) registry to ensure both uniformity in the approach to KYC and its inter- usability across the financial sector.

VI.9 Drawing on the sub-committee's recommendations, various steps have been taken to strengthen State Level Coordination Committees (SLCCs) to make them more effective in the dissemination of market intelligence on unauthorised deposit taking schemes. Enactment of the Protection of Interests of Depositors' (PID) Act has been undertaken across a number of states/ union territories.

VI.10 Based on the sub-committee's direction to capture information on lending by insurance companies to corporates, insurance companies were advised to subscribe to the Central Repository of Information on Large Credits (CRILC), a repository of information on large credits set up by the Reserve Bank.

VI.11 Further, FSU also serves as the secretariat for the inter-regulatory technical group (IRTG), a sub-group of the FSDC sub-committee and in this capacity it conducted four meetings during 2014-15, in which issues such as legal entity identifier (LEI), reporting of lending against shares by NBFCs, account aggregation and common KYC,

among others, were discussed. The IRTG has advised all regulators to draw a road map to mandate use of LEI by entities identified in their jurisdiction.

Agenda for 2015-16

VI.12 Going ahead, conducting macro-prudential surveillance and publishing FSR in December 2015 and June 2016 are envisaged along with conducting meetings of the FSDC sub-committee. FSU will continue to undertake analyses of some of the critical industrial sectors. In addition, it is also proposed to collaborate with international agencies/ other central banks to review the tools and techniques used for conducting stress tests.

REGULATION OF FINANCIAL INTERMEDIARIES

Commercial Banks: Department of Banking Regulation (DBR)

VI.13 On the banking regulation front, the Reserve Bank strives to ensure a robust and resilient banking system in line with the best international practices capable of catering to the financial and associated needs of all sections of society efficiently and effectively. Accordingly, the department initiated a number of measures in 2014-15 for strengthening the banking structure.

Agenda for 2014-15: Implementation Status

Basel III Liquidity Standards

VI.14 During 2014-15, significant progress was made towards implementation of the two Basel III Liquidity Ratios - liquidity coverage ratio (LCR) which is set to impart resilience in the short term liquidity risk profile of banks, and the net stable funding ratio (NSFR) that seeks to limit over-reliance on short-term wholesale funding. While LCR was phased in for Indian banks with a minimum requirement of 60 per cent from January 1, 2015, NSFR is set to be implemented at the minimum requirement of 100 per cent from January 1, 2018.

Basel III Leverage Ratio (LR)

VI.15 In line with the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), the Reserve Bank issued a revised framework for LR in January 2015 as a credible supplement to risk-based capital requirements. While the final minimum LR for Indian banks will be stipulated in line with the final rules to be prescribed by BCBS by end-2017, the Reserve Bank will meanwhile monitor individual banks against an indicative LR of 4.5 per cent as part of a parallel run and also for the purpose of public disclosure of Tier 1 LR by banks.

Countercyclical Capital Buffer (CCCB) Framework

VI.16 Guidelines on implementation of CCCB in India have been issued covering aspects, such as constituents of CCCB, main and supplementary indicators to decide CCCB activation and calibration of CCCB based on indicators. Implementation of this buffer requirement will be pre-announced with a lead time of four quarters so as to provide sufficient time to meet CCCB requirements.

Framework for Dealing with Domestic Systemically Important Banks (D-SIBs)

VI.17 In line with the global practice of identifying global systemically important banks (G-SIBs), the Reserve Bank has released the framework for dealing with D-SIBs, which discusses the methodology for identifying D-SIBs and additional regulatory/ supervisory policies for them. The names of banks classified as D-SIBs will be disclosed in August every year starting from 2015.

Large Exposures Framework

VI.18 The danger of concentration of a bank's assets with a single counterparty or a group of

connected counterparties poses a systemic risk. Accordingly, the Reserve Bank has proposed a regulatory framework in line with international best practices to address the concerns arising from large exposures of banks and to prevent building up of concentrated exposures (Box VI.1).

Partial Credit Enhancement on Corporate Bonds

VI.19 During 2014-15, ways to incentivise corporates to reduce dependence on bank finance for their long-term resource requirements were explored. Pursuant to this, draft guidelines were issued to banks to provide partial credit enhancement to corporate bonds. The final guidelines in this regard are underway.

Revitalising Stressed Assets

VI.20 Towards greater alignment of prudential norms on project finance with international best practices, banks were allowed to extend structured

Box VI.1
Discussion Paper on Large Exposures (LE) Framework and Enhancing Credit Supply through the Market Mechanism

Internationally, concentration risk has been addressed by prescribing regulatory and statutory limits on exposures towards counterparties and various sectors of the economy. Since 1989, the Reserve Bank has been prescribing regulatory limits on a bank's exposures to its single and group borrowers. At present, the exposure limits stand at 15 per cent and 40 per cent of capital funds (CFs), respectively. On account of exposures towards infrastructure sector and further on the special discretion of the board of a bank, these exposure limits can be taken up to 25 per cent and 55 per cent of its CFs, respectively. Besides, there are certain other specific counterparty, sectoral and activity-based exposure limits (Table 1).

In order to ensure regulatory convergence in the area of large exposures internationally, the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) issued the 'Supervisory Framework for Measuring and Controlling Large Exposures' in April 2014 that will be fully applicable from January 1, 2019. Accordingly, the sum of all the exposure values of a bank to a single counterparty or to a group of connected counterparties must, at all times, not be higher than 25 per cent of the bank's available eligible capital base, *i.e*, the effective amount of Tier 1 capital fulfilling the criteria defined in the Basel III capital framework.

The Reserve Bank has sought to align exposure limits (both single and group) in India with the BCBS LE framework. In this context, a discussion paper on the proposed LE framework was issued on March 27, 2015. The discussion paper also contained proposals on enhancing credit supply to large corporates through the market mechanism (corporate bonds, commercial papers and other instruments).

Table 1: Major Exposure Limits

Specific Counterparty/ Sector/ Activity	Regulatory Exposure Limits
NBFCs predominantly engaged in loan against gold jewellery	7.5 per cent of CFs; can exceed by 5 per cent of CF for infrastructure
Other NBFCs (excluding AFCs/ IFCs)	10 per cent of CFs; can exceed by 5 per cent of CF for infrastructure
Direct Capital Market Exposures	20 per cent of net worth
Total Capital Market Exposures	40 per cent of net worth
Borrowing from the Call Money Market	100 per cent of CFs on a fortnightly average basis; can increase up to 125 per cent of CF on any day
Lending to the Call Money Market	25 per cent of CFs on a fortnightly average basis; can increase up to 50 per cent of CF on any day
Inter-Bank Liabilities	200 per cent of net worth as on 31 March of the previous year; can increase up to 300 per cent of the net worth for banks having minimum CRAR of 11.25 per cent
Investment in instruments issued by other banks/ FIs and eligible for capital status for the issuing bank/ FI	10 per cent of CF*
Investments in equity shares of other banks	5 per cent of the investee bank's equity capital*
Leasing, Hire Purchase and Factoring Services	10 per cent of total advances of a bank for each of such activities

*: A bank/ FI's equity holdings in another bank held under provisions of a statute will be outside the purview of the ceiling prescribed.
AFCs: Asset Finance Companies; IFCs: Infrastructure Finance Companies; CRAR: Capital to Risk-Weighted Assets Ratio; FIs: Financial Institutions.

(Contd....)

Under the proposed LE framework, a large exposure is one where the sum of all exposure values of a bank to a counterparty or a group of connected counterparties, is equal to or above 10 per cent of the bank's eligible capital base. Further, exposures to the central government, the Reserve Bank, intra-day inter-bank exposures, intra-group exposures and clearing exposures of qualified central counterparties are exempt from the LE limit. The LE Framework also prescribes differential exposure limits for certain counterparties, such as non-banking financial companies (NBFCs) and systemically important banks (SIBs), both global and domestic (G-SIBs and D-SIBs). Connected counterparties are proposed to be identified on the basis of 'control' as well as 'economic interdependence' criteria as against only the 'control' criteria under the extant exposure norms.

Computation of exposures under the LE framework will be permitted after taking into account credit risk mitigation adjustment based on risk-based capital framework techniques. Under the framework, banks may also be required to use 'look through approach' for assigning exposures to the underlying counterparties in structured products.

An internal study of the 20 largest group borrower exposures of the 10 largest banks has revealed that average exposure to groups of connected counterparties is 10.6 per cent of their CF as against the current permissible limit of 40 per cent of CF. In terms of Tier 1 capital, the present average exposure is 14.75 per cent as against the proposed LE limit of 25 per cent. Therefore, it is assumed that banks will not face any material difficulty with regard to their group exposures while adhering to the proposed LE limit.

long-term project loans with tenors up to 80 per cent of the initial economic life of a project, with a periodic refinancing option to avoid asset liability mismatch, fund cost over-runs up to a limit and extend the date of commencement of commercial operations (DCCO) subsequent to the change in ownership of the borrowing entity. These measures are expected to further strengthen banks' abilities to deal with complexities in project finance.

Strategic Debt Restructuring (SDR)

VI.21 With a view to enhancing banks' capabilities to initiate change in ownership for accounts which fail to achieve the projected viability milestones under a restructuring package, the Reserve Bank introduced a SDR scheme in June 2015. Under SDR, secured creditors of a Joint Lenders' Forum (JLF) can convert their loan dues into equity shares at a 'fair price' as per the pricing formula prescribed by the Reserve Bank, which has been exempted from the SEBI's ICDR (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 subject to certain conditions. Lenders under JLF should collectively become majority shareholders post conversion. SDR will not be treated as restructuring for the purpose of asset classification and provisioning. JLF can appoint a suitable professional management to run the affairs of the company and should divest its holdings at the earliest. In this regard, the proposal of a comprehensive Bankruptcy Code in the Union Budget, 2015-16 is expected to bring about speed, clarity, predictability and fairness to the restructuring and recovery process (Box VI.2).

Treatment of Wilful Defaulters and Non-Cooperative Borrowers (NCBs)

VI.22 Regulations governing treatment of wilful defaulters and NCBs having aggregate fund- based and non-fund based facilities of ₹50 million from a bank/ financial institution (FI) were strengthened during 2014-15 and banks/ FIs were mandated to put in place transparent mechanisms for identifying NCBs as also for reporting.

Two New Entrants in the Banking Domain

VI.23 In its endeavour to foster healthy competition, the Reserve Bank laid out a framework for licensing new banks in the private sector in February 2013. Accordingly, in-principle approval was granted in April 2014 to IDFC Limited, an NBFC, and Bandhan Financial Services Private Limited, an NBFC-MFI (micro-finance institution) to set up banks. In June-July

Box VI.2
Bankruptcy Procedures in India

Stronger bankruptcy laws enable a sound debtor-creditor relationship by protecting the rights of both debtors and creditors; promoting predictability; clarifying the risks associated with lending; and ensuring efficient collection of debt through bankruptcy proceedings. The Union Budget 2015-16 identified bankruptcy law reforms as a key priority and proposed a comprehensive Bankruptcy Code in line with global standards to provide for necessary judicial capacity. It is envisaged to bring about legal certainty, speed and also improve the ease of doing business.

At present, there is no comprehensive policy/ law on corporate bankruptcy in India. The Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act (SICA), 1985 remains to date the most important corporate restructuring law in force for revival and rehabilitation of sick companies, despite its well-recognised drawbacks. Other legislative attempts to overhaul the corporate rescue regime in India have not yet been made operational. For instance, Chapter XIX of the Companies Act, 2013 that provides for a broader, more balanced corporate rescue procedure applicable to all companies has not been notified for commencement. Similarly, Chapter VIA of the Companies Act, 1956, inserted by the Companies (Second Amendment) Act, 2002, which provides for the National Company Law Tribunal (NCLT) to exercise powers in relation to sick industrial companies remains to be notified.

With a view to overcoming the existing inadequacies, the Bankruptcy Law Reform Committee (BLRC) (Chairman: Shri TK Vishwanathan) was established in August 2014 and entrusted with the task of examining the present legal framework for corporate insolvency and suggesting immediate reforms; and developing an 'Insolvency Code' for India covering all aspects of personal and business insolvency. Salient recommendations of the BLRC made in line with international best practices are:

- A secured creditor can initiate rescue proceedings if the debtor company fails to pay a single undisputed debt above a prescribed value within 30 days of a notice of demand; or pre-emptively on the grounds of likelihood of inability to pay debt.
- Unsecured creditors representing 25 per cent of the debt can initiate rescue proceedings against the debtor company.
- Once a company has been declared sick, 75 per cent of the secured creditors in value should be able to appoint a company administrator directly.
- Amendment to the Companies Act, 2013 so that at the time of sanctioning a scheme of revival creditors within the same class are treated equally; and dissenting creditors receive as much as they would in liquidation.
- An administrative mechanism for resolving financial distress of viable MSMEs through 'Committees for Distressed Micro, Small and Medium Enterprises' to be established by banks by amending the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.
- Bankruptcy codes in the US and the UK provide for an automatic/ interim moratorium on the enforcement of claims upon filing for bankruptcy. However, in view of problems with an automatic moratorium under SICA, it is proposed to retain the present provisions in the Companies Act, 2013, while stipulating clear principles regarding exercise of discretion by NCLT on grant of moratorium or not.

BLRC has provided a comprehensive and improvised framework for strengthening the bankruptcy procedures in India. This will result in considerable improvement in the credit climate in the country.

Reference:

Government of India (2015), 'Interim Report of The Bankruptcy Law Reform Committee', Ministry of Finance.

2015, Bandhan Bank Limited and IDFC Bank Limited were granted license to carry out the banking business in India.

Licensing of Differentiated Banks

VI.24 Guidelines on 'Payments Banks' and 'Small Finance Banks' were issued on November 27, 2014. These banks are 'niche' or 'differentiated' banks with the common objective of furthering financial inclusion. The Reserve Bank received 72 and 41 applications for small finance banks and payments banks respectively; these are under review. So far, 11 applicants have been granted in-principle approval to set up payments banks.

New Banking Structure to Facilitate International Financial Services Centres (IFSCs)

VI.25 Pursuant to the announcement of Government of India on setting up of an IFSC in Gujarat International Finance Tech-City (GIFT), the Reserve Bank has formulated a scheme for setting up of IFSC banking units (IBUs). This scheme will provide the financial services entities in GIFT as well as other future IFSCs with a sound supporting regulatory framework. The IBUs are expected to offer financial services to non- residents as also to residents subject to the provisions of Foreign Exchange Management Act (FEMA), 1999.

Corporate Governance

VI.26 In pursuance of the recommendations of the Committee to Review Governance of Boards of Banks in India (Chairman: Dr P. J. Nayak), set up by the Reserve Bank, guidelines were issued to banks on: fixing of upper age limit for whole time directors of private sector banks; replacing the calendar of reviews with seven key themes; and compensation for non-executive directors of private sector banks. Further, the post of chairman and managing director (CMD) has been split into an executive managing director (MD) and a non-executive chairman. The revamped process for appointment of non-executive chairmen on the boards of public sector banks (PSBs) has been initiated by the government.

KYC Norms Simplified

VI.27 KYC guidelines were revised in April 2014 to ease difficulties in opening and operating bank accounts. Accordingly, the physical presence of a customer categorised as 'low risk' is not mandatory at the time of KYC updation. Fresh proof of identity and address is not required for 'low risk' customers for updation in case of unaltered status. Self-certification of proof is allowed and banks can accept a certified copy by mail/ post; and no fresh documents are required if an existing KYC compliant customer desires to open another account in the same bank. Banks can now rely on third party due diligence at the time of account opening, provided the third party is regulated and supervised and has adequate measures in place for compliance with client due diligence.

Partial Freezing of Accounts in Case of KYC Non-Compliance

VI.28 In case of non-compliance of KYC requirements despite repeated reminders, banks should impose 'partial freezing' of such accounts in a phased manner to mitigate the threat of money laundering and financing of terrorism. If the account is still KYC non-compliant after six months of 'partial freezing', banks may render it inoperative. The account can be revived on submission of KYC documents.

Deposit Callability, Sole Criteria for Differential Rates

VI.29 Effective April 16, 2015, banks are allowed to offer differential rates of interest on term deposits on the basis of tenor and premature-withdrawal facility for deposits of less than ₹10 million and on the basis of quantum, tenor and premature-withdrawal facility for deposits of ₹10 million and above, subject to certain conditions. However, all term deposits of individuals (held singly or jointly) of ₹1.5 million and below should, necessarily have premature withdrawal facility.

Rationalisation of Penal Charges

VI.30 From April 1, 2015, banks are required to notify a customer by SMS/ email/ letter before applying penal charges for non-maintenance of minimum balance in the inoperative savings account. Furthermore, penal charges have to be

directly proportional to the extent of shortfall observed and levied after one month from the date of notice to a customer.

Distribution of Insurance Products

VI.31 Detailed customer protection guidelines were issued to banks conducting insurance distribution activities, *e.g.,* ensuring customer suitability while selling an insurance product only when the customer volunteers to purchase it, prohibiting payment of commission/ incentive directly to the staff, transparency in disclosure of brokerage/ fee earned from the insurer, adherence to KYC guidelines and requirement of having a robust grievance redressal mechanism.

Agenda for 2015-16

VI.32 In continuation of the stance that guided regulatory actions in 2014-15, it is proposed to implement the final framework for the LE regime and for NSFR in the ensuing year. Besides, the Reserve Bank will be issuing draft guidelines for consultation on counterparty credit risk exposures, Pillar 3 disclosures and the securitisation framework. These regulations will reflect the revised BCBS norms in the respective areas.

VI.33 The Reserve Bank will also be initiating suitable measures towards convergence of accounting standards with the International Financial Reporting Standards (IFRS). In-principle approvals will be issued to suitable applicants for setting up of Small Finance Banks/ Payments Banks while the regulatory framework for them will be formulated. On the future of local area banks (LABs), a consultation process will be initiated while draft guidelines for on tap licensing of universal banks will be framed.

VI.34 Implementation of certain major recommendations of the Nayak Committee regarding governance reforms in PSBs, including remuneration and professionalisation of the boards will be taken forward. For more effective monetary transmission, banks will be encouraged to move in a time-bound manner to a marginal cost of funds-based determination of their base rates. It is further proposed to examine the current framework on presence of foreign banks in India in line with emerging international developments as well as the experience gained so far. To add additional clarity, frequently asked questions (FAQs) will be issued on various aspects of the wholly owned subsidiary framework issued in November 2013. Guidelines will also be framed on ownership in private sector banks which will include raising the ceiling on voting rights from 10 to 15 per cent.

Cooperative Banks: Department of Cooperative Bank Regulation (DCBR)

VI.35 As UCBs play an important role in the Indian financial system, the Reserve Bank has always endeavoured to strengthen the regulatory and supervisory framework so that they emerge financially strong and have sound governance. DCBR plays the lead role in framing regulations for UCBs apart from State Cooperative Banks (StCBs) and District Central Cooperative Banks (DCCBs).

Agenda for 2014-15: Implementation Status

VI.36 The agenda of DCBR for 2014-15 focused on putting in place a revised supervisory action framework, pursuing legal/ regulatory amendments to facilitate conversion of UCBs into commercial banks and also to facilitate takeover of assets and liabilities of UCBs by commercial banks. Accordingly, a revised supervisory action framework was put in place in 2014-15. As regards legal amendments to facilitate conversion of UCBs into commercial banks, while the Companies Act, 2013 has enabling provisions there is need for

corresponding provisions in the Multi State Cooperative Societies Act, which have been taken up with the government. With regard to commercial banks taking over assets and liabilities of UCBs, necessary tweaking of the regulations was accomplished during the year. This enables commercial banks to complete the effort on a fair price basis. The other important achievements during the year were:

Reserve Requirements

VI.37 Cash reserve ratio (CRR) requirements for non-scheduled UCBs and statutory liquidity ratio (SLR) requirements for all UCBs have been aligned with those of commercial banks following the Banking Laws (Amendment) Act, 2012 coming into force. Accordingly, UCBs were required to comply with the stipulated SLR by March 31, 2015. Balances with StCBs/ DCCBs and term deposits with PSBs are not eligible to be reckoned for SLR with effect from April 1, 2015. StCBs and DCCBs were also required to maintain SLR only in the form of approved securities from April 1, 2015. On a review, they have been allowed to shift their SLR term deposits to approved securities in phases by March 31, 2017.

Liquidity Adjustment Facility (LAF) Extended to Scheduled UCBs

VI.38 With a view to providing an additional avenue for liquidity management, LAF has been extended from November 28, 2014 to scheduled UCBs that are core banking solution (CBS)-enabled, have capital to risk-weighted assets ratio (CRAR) of at least 9 per cent and are fully compliant with the eligibility criteria prescribed for LAF.

Technology Adoption

VI.39 In order to integrate with the financial system and to improve regulatory reporting, UCBs were advised to implement CBS by December 31, 2014. At end-June 2015, 1,040 of the 1,577 UCBs had implemented CBS. Implementation of CBS has been prescribed as an additional criterion for being considered as financially sound and well managed (FSWM) bank, a criterion applied for extending various regulatory approvals to UCBs, including opening new branches. In order to bring in transparency and objectivity, 'regulatory comfort', an important aspect considered for classifying a bank as FSWM, has been redefined to include compliance with standard regulatory provisions during the last two financial years.

VI.40 FSWM UCBs are allowed to offer internet banking (view only) facilities to their customers provided they have migrated to the Internet Protocol Version 6 (IPv6). They can also open on-site/ off-site/ mobile automated teller machines (ATMs) without prior approval of the Reserve Bank provided they have a minimum net worth of ₹0.5 billion.

VI.41 Similarly, with a view to providing greater freedom to StCBs to expand their business and to provide technology-enabled services to their customers, StCBs can also open off-site/ mobile ATMs without prior approval of the Reserve Bank subject to certain prescribed criteria. These initiatives are aimed at bringing cooperative banks on par with commercial banks.

Supervisory Action Framework for UCBs

VI.42 As indicated in the last Annual Report, trigger points necessitating supervisory/ regulatory action have been revised for UCBs for early identification of stress and its rectification. UCBs are required to go for corrective action if the gross non-performing assets (NPAs) to advances ratio exceeds 10 per cent or they experience an incremental gross NPA ratio of 3 percentage points each during the last two consecutive years, whichever is earlier. Other triggers for corrective actions include regulatory capital falling below 9 per cent, incurring losses for two consecutive years and the credit deposit ratio exceeding 70 per cent.

VI.43 UCBs have been advised to constitute special committee of the board for monitoring and following up cases of frauds involving amounts of ₹10 million and above exclusively. The Audit Committee of Board (ACB) will continue to monitor all the cases of frauds, in general. UCBs have also been advised to become members of all the four credit information companies (CICs), and furnish historical data to them with a view to enhancing accuracy of the credit information.

Agenda for 2015-16

VI.44 A High Powered Committee for UCBs (Chairman: Shri R Gandhi) constituted, *inter alia,* to examine and recommend an appropriate set of businesses, size, conversion and licensing terms for UCBs has since submitted its report. The recommendations of the committee will be considered for implementation during the year. The Reserve Bank will also initiate measures to improve the quality of statutory audits in UCBs during the year. The process of harmonisation of regulation of UCBs and Rural Cooperative Banks will be continued.

NBFCs: Department of Non-Banking Regulation (DNBR)

VI.45 The regulation of the NBFC sector is guided by the need to foster additional credit delivery channels while preserving financial stability. DNBR which was carved out of the erstwhile Department of Non-Banking Supervision (DNBS) is the nodal department for regulation of NBFCs, including stand-alone primary dealers (PDs). Keeping in view the role of shadow banking activities in intensifying the global financial crisis as also the rising role of NBFCs domestically, the Reserve Bank's focus during 2014-15 was on addressing gaps in regulation of NBFCs and harmonising regulations to enable delivery of innovation and last mile connectivity in credit. Further, in the light of significant progress made by NBFC-MFIs following the crisis in then Andhra Pradesh in 2008-09, a comprehensive review of their regulation was also completed during the year.

Agenda for 2014-15: Implementation Status

Review of the Regulatory Framework for NBFCs

VI.46 The NBFC sector has evolved considerably in terms of its size, operations, technological sophistication and entry into newer areas of financial services and products. Accordingly, the entire regulatory framework for the sector was reviewed with a view to transitioning, over time, to an activity-based regulation of NBFCs while ensuring that NBFCs having lower risk profiles will be lightly regulated (Box VI.3).

Aligning NBFC Regulation

VI.47 Aligning regulation of the non-banking financial sector with that of the banking sector not only fosters competition but also helps lower regulatory arbitrage and contain a possible build-up of systemic risks outside the banking system. Accordingly, a number of regulatory initiatives were undertaken covering lending by NBFCs against shares, restructuring of advances, structuring of long term project loans to infrastructure and core industries, levy of foreclosure charges and private placement of non- convertible debentures.

*Shadow Banking Implementation Group (*SBIG*)*

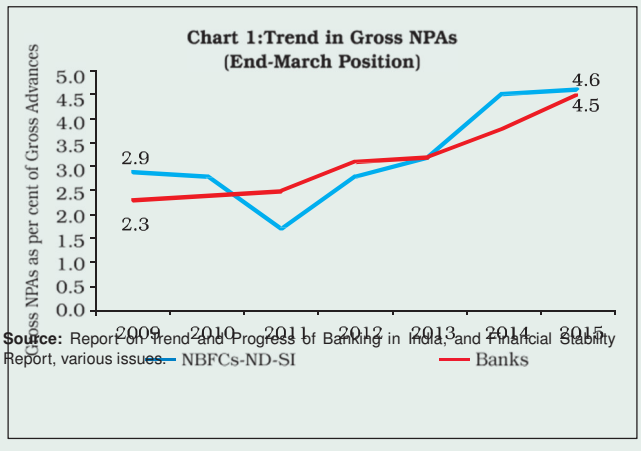
VI.48 In line with the Financial Stability Board's (FSB) approach to shadow banking activities, a preliminary inter-regulatory study was conducted to identify the nature of non-bank credit intermediation in India. Accordingly, a SBIG has been formed to assess the level of regulatory compliance *vis-a-vis* FSB guidelines and recommend possible approaches for implementation of reforms. SBIG is expected to submit its report shortly.

Box VI.3
Asset Quality of NBFCs and Revised Guidelines

In recent years, asset quality of the systemically important non-deposit taking NBFCs (NBFCs-ND-SI) has gone through the vicissitudes of overall deterioration spreading across the financial system as the economy slowed. Their gross NPAs as per cent of credit deployed rose to 4.6 per cent by end-March 2015 (Chart 1).

With a view to strengthening the early warning system for recognising incipient financial stress, NBFCs were directed in March 2014 to create a sub-asset category 'Special Mention Accounts' (SMAs). They were also directed to report relevant credit information to the Central Repository of Information on Large Credits (CRILC).The scheme for encouraging banks to extend long-term loans (known as the
5/ 25 structure) to infrastructure with a flexible structuring/ tenure to absorb potential adverse contingencies has also been extended to NBFCs from January 2015.

The revised regulatory framework for NBFCs issued in November 2014 aligns NPA norms for NBFCs with that of banks in a phased manner. Accordingly, the time limit for classifying a loan account as NPA will be progressively reduced to 90 days by March 2018. Furthermore, to bring parity in the regulation of NBFCs with other financial institutions (FIs) in matters relating to recovery of bad loans, NBFCs registered with the Reserve Bank and having asset size of ₹5 billion and above will be considered for notification as FIs in terms of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act, 2002.



Source: Report on Trend and Progress of Banking in India, and Financial Stability Report, various issues.

Other key changes to the regulatory framework include:

- All existing NBFCs (those registered prior to April 1999) need to attain net owned funds (NOFs) of minimum ₹20 million in a phased manner by end-March 2017, with failure resulting in cancellation of their Certificates of Registration.
- Only NBFCs with the minimum investment grade credit rating can accept deposits. Existing unrated Asset Finance Companies (AFCs) need to be rated by end-March 2016. Further, the limit for acceptance of deposits has been harmonised to 1.5 times the NOF across all deposit-taking NBFCs (NBFCs-D).
- The threshold for defining systemic significance for non-deposit taking NBFCs (NBFCs-ND-SI) has been revised to ₹5 billion.
- NBFCs-NDs have been exempted from the requirement of CRAR and credit concentration norms.
- Tighter prudential norms have been prescribed for NBFCs-ND-SI and all NBFCs-D in a phased manner - minimum Tier 1 capital requirement to be increased from 7.5 to 10 per cent (by end-March 2017), provision for standard assets to be increased to 0.4 per cent (by end-March 2018) and dispensation of 5 per cent given to AFCs from the prescribed credit concentration norms have been done away with.

Additional corporate governance standards and disclosure norms for NBFCs have been issued to all NBFCs-D and those NBFCs-ND-SI with an asset size over ₹5 billion. Accordingly, these NBFCs need to create various committees for audit, risk management and for nomination of directors based on fit and proper criteria. They also need to frame internal board-approved corporate governance guidelines and make them public on their websites.

References:

Reserve Bank of India (2014), 'Early Recognition of Financial Distress, Prompt Steps for Resolution and Fair Recovery for Lenders: Framework for Revitalising Distressed Assets in the Economy', March.

(2014), 'Revised Regulatory Framework for NBFCs', November.

(2015), 'Flexible Structuring of Long Term Project Loans to Infrastructure and Core Industries', January.

MUDRA Limited

VI.49 In line with the announcement in Union Budget, 2015-16, a Micro Units Development Refinance Agency (MUDRA) Ltd. was established on March 18, 2015 for regulating and refinancing MFIs (Box VI.4).

Box VI.4
Micro Units Development Refinance Agency (MUDRA) Ltd.

Union Budget, 2015-16 announced the establishment of MUDRA Ltd. that will be responsible for both regulating and refinancing all micro-finance institutions (MFIs) which are in the business of lending to micro/ small business entities engaged in manufacturing, trading and service activities and also partner with state level/ regional level coordinators to provide finance to last mile financers of small/ micro business enterprises. The government will allocate a sum of ₹200 billion to MUDRA from the shortfall in priority sector lending for creating a refinance fund to provide refinance to last mile financers. Another ₹300 billion will be provided to MUDRA from the Budget to create a credit guarantee corpus for guaranteeing loans provided to micro-enterprises.

Appropriate legislation is being drafted by the central government for setting up MUDRA. Pending legislative approval, MUDRA Ltd. was incorporated on March 18, 2015, under the Companies Act, 2013, as a wholly owned subsidiary of the Small Industries Development Bank of India (SIDBI) to carry out activities relating to development and financing of small micro-enterprises, and was registered with the Reserve Bank as a non-deposit taking NBFC on April 6, 2015. SIDBI has been exempted for its proposed investment of ₹7.5 billion in MUDRA from the cross-holding of capital among banks/ FIs.

Agenda for 2015-16

VI.50 The process of regulatory convergence between banks and non-banks will be taken forward in 2015-16. Further, activity based regulation is envisaged for the sector, thereby doing away with multiple categories of NBFCs. As a first step, NBFCs are being progressively classified into two broad heads - core investment companies and non - core investment companies. In addition, government owned NBFCs are being brought in within the regulatory ambit of the Reserve Bank.

SUPERVISION OF FINANCIAL INTERMEDIARIES

Commercial Banks: Department of Banking Supervision (DBS)

VI.51 DBS is entrusted with the supervisory responsibility of commercial banks, and aims at designing and implementing policies and strategies for supervision to develop a safe and efficient banking system. In this endeavour, managerial practices in banks and All India Financial Institutions (AIFIs) that strengthen their corporate governance and internal controls are also encouraged. DBS also functions as the secretariat to the Inter Regulatory Forum set up under the aegis of the sub-committee of FSDC for oversight of identified financial conglomerates (FCs) in coordination with other domestic regulators.

Agenda for 2014-15: Implementation Status

Risk Based Supervision (RBS) and Capacity Building

VI.52 The Reserve Bank is moving progressively from a performance based CAMELS (capital adequacy, asset quality, management, earning, liquidity and system and control) framework to a forward looking RBS framework for early detection of risks, timely and appropriate supervisory interventions and more generally for improving the quality of supervisory processes in line with global best practices. Two more banks were brought under RBS in 2014-15, taking the total to 30 major banks. Six more banks have been migrated to RBS framework from 2015-16 assessment cycle. The RBS model was also optimised, fine-tuning data collection from commercial banks. The need for preparedness at the banks' level, including a robust management information system for RBS was highlighted.

Oversight of Financial Conglomerates (FCs)

VI.53 The Reserve Bank,in coordination with other domestic regulators, concluded discussion

meetings with two bank-led FCs and participated in a discussion meeting of one insurance company- led FC organised by Insurance Regulatory Development Authority (IRDA), to review group level and inter-regulatory issues in the operations of these FCs.

Early Warning System (EWS) *and Prompt Corrective Action (PCA)*

VI.54 A framework on EWS to track deviation of critical financial indicators triggering granular investigations has since been finalised and its details are being worked out. Alongside, the existing PCA framework for banks, first introduced in 2002 is being revamped. This will subsequently be extended to FCs in coordination with other domestic regulators.

Global Supervisory Cooperation

VI.55 As part of cross-border supervisory cooperation and exchange of information, the Reserve Bank signed MoUs with six overseas banking supervisory authorities in 2014-15 - Hong Kong Monetary Authority; Central Bank of Kenya; Banco Central do Brasil; Bank of Uganda; Central Bank of Seychelles and Maldives Monetary Authority. A statement of cooperation with three US financial regulators, viz., Board of Governors of the Federal Reserve System, Office of the Comptroller of Currency and Federal Deposits Insurance Corporation has also been established. Till date, the Reserve Bank has executed 26 MoUs, one letter for supervisory cooperation and one statement of cooperation with overseas supervisors/ regulators.

VI.56 In line with the BCBS principles on cross-border consolidated supervision, the Reserve Bank is instituting supervisory colleges for Indian banks with considerable overseas presence. Supervisory colleges have been set up for State Bank of India, ICICI Bank Ltd., Bank of Baroda, Bank of India, Punjab National Bank and Axis Bank Ltd.

Agenda for 2015-16

VI.57 Going forward, all small foreign banks operating in India are set to be brought into RBS. While a new format is being devised for inspection of the AIFIs - National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD), SIDBI, Export-Import (EXIM) Bank of India and the National Housing Bank (NHB), the revised format for CRILC reporting, including improved analytics is expected to be rolled out soon. In coordination with the IRDA, it is proposed to collect CRILC data from insurance companies as well.

VI.58 All Off-site Monitoring and Surveillance System (OSMOS) returns are planned to migrate to an eXtensible Business Reporting Language (XBRL)/ data warehouse environment towards developing a single information system for supervisory purposes. A new framework for fraud detection, reporting and monitoring has been rolled out on May 7, 2015. Further, a central fraud registry for use by banks is also under preparation. Though disparate systems used by the regulated entities hinder the process of automated data flow, the Reserve Bank will continue to encourage banks to switch over to entirely automated modes of data submission.

VI.59 Capacity building, with particular focus on RBS processes, system audit and information technology vulnerability/ penetration testing, is planned to be rolled out in 2015-16. The EWS as well as the revamped PCA framework for banks are likely to be finalised in 2015-16. Work relating to developing a PCA framework for FCs is expected to be initiated in coordination with other domestic regulators. The Reserve Bank is also exploring ways, including appropriate penal measures towards improving the compliance culture amongst regulated entities.

Cooperative Banks: Department of Cooperative Bank Supervision (DCBS)

VI.60 DCBS was carved out of the erstwhile Urban Banks Department (UBD) and it is primarily focused on ensuring the financial soundness of individual UCBs as well as the sector as a whole.

Agenda for 2014-15: Implementation Status

VI.61 During the year, 968 UCBs, comprising all scheduled UCBs, C and D rated non-scheduled UCBs, and A and B rated non-scheduled UCBs due for inspection, were subjected to on-site inspections and appropriate supervisory action. While the licences of nine UCBs were cancelled, two UCBs were merged with other UCBs and 'All Inclusive Directions' were imposed on seven UCBs. All the 1,589 UCBs were supervised through off-site surveillance system. Towards developing a single point platform for data collection, processing and dissemination, 13 returns for UCBs have been migrated to the XBRL-based reporting system from the existing off-site surveillance reporting system. Training programmes to improve professionalism and governance in UCBs were also organised by the Reserve Bank.

Agenda for 2015-16

VI.62 While ensuring effective supervision of UCBs, further reduction in the number of UCBs with negative net worth has been envisaged for 2015-16. The migration of all the returns to the XBRL-based reporting platform will be completed in the coming year. The initiatives for capacity building in the UCB sector will be carried forward in the coming year too.

NBFCs: Department of Non-Banking Supervision (DNBS)

VI.63 This department is the supervisory wing of NBFCs and it aims at establishing an enabling environment for a healthy and sound NBFC sector while protecting the interests of depositors, customers and other stakeholders as also safeguarding the country's financial system from contagion risks out of this sector. The department also endeavours to increase public awareness on the legal/ regulatory framework for entities engaged in various types of financial activities.

Agenda for 2014-15: Implementation Status

VI.64 Deposit taking and systemically important' non-deposit taking NBFCs continued to be the focus of on-site inspections. During 2014-15, 72 deposit taking companies and 182 non-deposit taking companies were inspected. To deal with delinquent and unauthorised entities, SLCCs were reconstituted in May 2014 with the Chief Secretary to the State Government as the Chairman and the Reserve Bank as the secretariat to facilitate regular sharing of market intelligence (MI) and taking coordinated timely action. The Reserve Bank also hosted two conferences of Chief Secretaries/ Administrators of the states/ union territories (UTs) during the year to deliberate on issues concerning fund mobilisations by unauthorised entities. MI cells were also created across 16 regional offices of the Reserve Bank.

Securitisation/ Asset Reconstruction

VI.65 Asset Reconstruction Companies (ARCs) have been steadily increasing their presence in the debt recovery process (Table VI.1). At the end of March 2015, there were 15 securitisation companies (SCs)/ reconstruction companies (RCs) registered with the Reserve Bank. At end- March 2015, the book value of assets acquired by the ARCs stood at around ₹508 billion. While the ARCs are already under off-site surveillance, they will be supervised through on-site inspections in the coming year in view of their increasing importance.

Agenda for 2015-16

VI.66 Small NBFCs which have so far been exempted from regulatory returns will be covered

Table VI.1: Key Financial Parameters for the ARC Sector

(₹ billion)

Item	Mar-14	Mar-15
1	2	3
Owned Fund	30.2	34.0
Acquisition cost of the assets acquired by the SC/ RC	205.8	226.6
Total SRs issued	204.1	224.4
SRs held by SC/ RC in its own account	13.8	29.9
SRs held by seller banks/ FIs	187.6	191.6
Amount of SRs issued to other QIBs	2.4	2.9
SRs held by FIIs	0.2	0.0
SRs redeemed (during the year)	11.9	16.5

SR: Security Receipts; QIBs: Qualified Institutional Buyers; FIIs: Foreign Institutional Investors
Source: COSMOS returns (quarterly).

under off-site monitoring in 2015-16. For dissemination of information amongst SLCC members/ general public, a dedicated website will be launched in the coming year. CRILC information on large borrowers from NBFCs will be taken up for analysis once the platform is fully operationalised. The consultative approach followed by the department is proposed to be formalised to having periodical interactions with the industry in 2015-16.

Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC)

VI.67 Deposit insurance extended by DICGC, a wholly-owned subsidiary of the Reserve Bank, covers all banks including LABs, regional rural banks (RRBs) and cooperative banks in the country. As per the International Association of Deposit Insurers' (IADI) Core Principles for Effective Deposit Insurance System 2014, deposit insurance coverage should be limited, credible and cover a large majority of depositors but leave a substantial amount of deposits exposed to market discipline. The current limit of deposit insurance is ₹0.1 million per depositor in the same right and same capacity. As on March 31, 2015, 92.3 per cent of the accounts were fully protected. Amount-wise, insured deposits at ₹26.1 trillion constituted nearly 31 per cent of the assessable deposits. An effective deposit insurance design should be capable of managing its risk by seeking compensation for the risks being transferred to it. Hence, risk-based collection of premium could be an important step in this direction (Box VI.5).

VI.68 During 2014-15, aggregate claims for ₹3.2 billion with respect to 30 cooperative banks taken

Box VI.5
Risk-based Premium for Banks

Deposit insurance can create an incentive for banks to choose high leverage and for customers of banks to be lenient on monitoring. In order to deal with this kind of moral hazard, the premium of deposit insurance should properly reflect the effective underlying risk associated with a bank's activities. It could be partially mitigated by introducing risk-adjusted premium for a deposit insurance scheme. Although a flat-rate premium system has the advantage of being relatively easy to understand and administer, it does not take into account the level of risk that a bank poses to the deposit insurance system and can be perceived as unfair in terms of premium rate and risk profile across banks (IADI 2011).

Literature on deposit insurance identifies two different approaches for determining risk-based premium. The expected loss pricing approach is centred on the expected default probability of a bank, which can be estimated using either fundamentals, rating or market analysis. The Merton type approach uses option pricing theory in order to estimate the probability of default by a company.

In practice, risk-based contributions are defined in terms of a contribution base, adjusted for a factor that is proportional to the risk attitude of the members and a factor reflecting the overall conditions in the banking system in the respective country (Walter and Schaller, 2012). The premium assessment can be summarised in a simple risk function:

$$P_{it} = r_{s,t} * r_{it} * D_{it}$$

where, the bank-specific risk-based contribution (P_{it}) consists of size and risk variables and is defined in terms of a contribution base ($D_{i,t}$), usually the total amount of eligible deposits, plus or minus a percentage ($r_{i,t}$) proportional to the risk attitude of a member (specific risk) and a percentage (r_{st}) reflecting the overall conditions in the banking system in the country (systemic risk).

(Contd....)

The practice in the European Union (EU) suggests that key financial ratios currently applied in assessment of a member institution's risk across member states are quite heterogeneous and the variables taken into account to define them are not identical. The 2014 EU Directive on Deposit Insurance Schemes gives only broad guidance for a risk measure but leaves the fine details to the wisdom of member states. In the US, new rules for risk- based assessment were issued in November 2006 and significant refinements were made to risk-related premium pursuant to financial reform legislation enacted in 2010. For small banks, supervisory CAMELS ratings are combined with financial ratios to determine risk- based assessment rates against deposits. For large banks, in 2011, the US Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) adopted a risk differentiation scheme that combines CAMELS rating and forward looking financial measures of risk.

In India, there have been periodic recommendations for the application of risk-based premium for banks. The Narasimham Committee Report on Banking Sector Reforms (1998), while focusing on structural issues recommended introduction of a risk-based premium system in lieu of the flat-rate premium system. This view was echoed by the Reserve Bank's Capoor Committee on Reforms in Deposit Insurance in India (1999). The Committee on Credit Risk Model (2006) constituted by DICGC also recommended the introduction of risk-based premium, to begin with for SCBs and UCBs.

Notwithstanding the recommendations of various committees in the past, the implementation of risk-based premium could not be operationalised, *inter alia*, due to cooperative banks and RRBs (forming over 90 per cent of insured banks) being under restructuring until recently and lack of a robust supervisory rating for all insured banks, especially cooperative banks which serves as an important input for the rating model. However, there has been a persistent demand from stakeholders and public representatives for a hike in the deposit insurance cover from the current level of ₹0.1 million. A hike in cover without calibrating premium rates to the risk profiles of insured banks covered only exacerbates the risks of an inherent moral hazard. Keeping this in view, a Committee on Differential Premium for Banks (Chairman: Shri Jasbir Singh) was constituted in March 2015 to make recommendations for the introduction of risk-based premium in India.

References:

International Association of Deposit Insurers (IADI) (2011), 'General Guidance for Developing Differential Premium Systems'.

Walter and Schaller (2012), 'An Alternative Way of Calculating Risk Based Premium' in New Paradigms in Banking, Financial Markets and Regulation? ed Balling et al., SUERF.

European Commission (2008), 'Risk-based Contributions in EU Deposit Guarantee Schemes: Current Practices', Joint Research Centre.

into liquidation/ reconstruction/ amalgamation were settled as compared to ₹1.0 billion in the previous year. The size of the deposit insurance fund (DIF) stood at ₹ 504.5 billion as at end-March 2015, yielding a reserve ratio (DIF/ insured deposits) of 1.9 per cent.

National Housing Bank (NHB)

VI.69 NHB, a wholly owned subsidiary of the Reserve Bank, was set up on July 9, 1988, under the National Housing Bank Act, 1987, to operate as a principal agency to promote housing finance institutions both at local and regional levels and to provide financial and other support incidental to such institutions.

VI.70 As the apex institution for housing finance, NHB registers, regulates and supervises housing finance companies (HFCs). As on June 30, 2015, there were 65 HFCs registered with NHB. NHB is focused on promoting innovative market based solutions for affordable housing finance to low income housing segments. NHB extends refinance to HFC, scheduled commercial banks (SCBs) and cooperative sector institutions, against their housing loans. It also provides project lending to a range of borrowers in public and public-private partnerships, MFIs, state level housing boards and area development authorities for large scale integrated housing projects and slum redevelopment projects. The cumulative disbursements in 2014-15 stood around ₹218.5 billion of which 25.4 per cent (₹55.4 billion) was made for rural housing loans under the Rural Housing Fund (RHF) and the Golden Jubilee Rural Housing Refinance Scheme (GJRHRS).

VI.71 The government has identified NHB as one of the central nodal agencies to channelise subsidy to lending institutions and monitoring the progress of the component under the Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS). CLSS will be implemented across the country in all 4,041 statutory towns (as per Census 2011) and is part of the Pradhan Mantri Awas Yojana - Housing for All (HFA) mission, which seeks to address the housing requirements of urban poor, including of slum dwellers. NHB has also been a nodal agency for government schemes, such as the Interest Subsidy Scheme for Housing the Urban Poor (ISHUP), 1 per cent Interest Subvention scheme and the Solar Capital Subsidy scheme.

VI.72 NHB also manages the Credit Risk Guarantee Fund Trust for low income housing set up by the Government of India to ensure better flow of institutional credit for housing in urban areas. NHB launched RESIDEX in July 2007 for tracking residential property prices across 26 cities in India on a quarterly basis. The central government enhanced allocations for NHB from ₹40 billion to ₹80 billion in 2014-15 to expand and support rural housing in the country.

CONSUMER EDUCATION AND PROTECTION

Consumer Education and Protection Department (CEPD)

VI.73 CEPD focuses on pursuing public interest, providing a level playing field between suppliers and consumers of financial services by reducing the imbalances emanating from information asymmetries, limited product choices, inadequate disclosures, *etc.* Consumer protection is a key to promoting financial inclusion.

Agenda for 2014-15: Implementation Status

Charter of Customer Rights

VI.74 As a structured measure towards protection of bank customers and setting standards of customer service, a Charter of Customer Rights as broad, over-arching principles for protecting bank customers was formulated by the Reserve Bank in 2014-15 (Box VI.6). The Indian Banks' Association (IBA) and Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) have since jointly formulated a model customer rights policy/

Box VI.6
Charter of Customer Rights

The Charter of Customer Rights released on December 3, 2014, enshrines broad, over-arching principles for protection of bank customers and enunciates five basic rights for bank customers as:

(i) *Right to Fair Treatment:* Both the customer and the financial services provider have a right to be treated with courtesy. The customer should not be unfairly discriminated against on grounds such as gender, age, religion, caste and physical ability when offering and delivering financial products.

(ii) *Right to Transparency, Fair and Honest Dealing:* The financial services provider should make every effort to ensure that the contracts or agreements it frames are transparent, easily understood and well communicated to the common person. The product's price, associated risks, customer's responsibilities and the terms and conditions that govern its use over the product's life-cycle, should be clearly disclosed. The customer should not be subject to unfair business or marketing practices, coercive contractual terms or misleading representations. Over the course of their relationship, the financial services provider cannot threaten the customer with physical harm, exert undue influence or engage in blatant harassment.

(iii) *Right to Suitability:* The products offered should be appropriate to the needs of the customer and based on an assessment of the customer's financial circumstances and understanding.

(iv) *Right to Privacy:* Customers' personal information should be kept confidential unless they have offered specific consent to the financial services provider or such information is required to be provided under the law or it is provided for a mandated business purpose

(Contd....)

(for example, to credit information companies). The customer should be informed upfront about likely mandated business purposes. Customers have the right to protection from all kinds of communications, electronic or otherwise, which infringe upon their privacy.

(v) *Right to Grievance Redress and Compensation:* The customer has a right to hold the financial services provider accountable for the products offered and to have a clear and easy way to have any valid grievances redressed. The provider should also facilitate the redress of grievances stemming from the sale of third party products. The financial services provider must communicate its compensation policy for mistakes, lapses in conduct, as well as non-performance or delays in performance, whether caused by the provider or otherwise. The policy must lay out the rights and duties of the customer when such events occur.

These rights aim to protect the customer against unfair discrimination, unfair business or marketing practices, coercive contractual terms or misleading representations and aim to promote appropriate need warranted financial products with a better understanding of the various risks and charges involved therein.

code based on the Charter of Customer Rights. Banks were advised to formulate board approved customer rights policies by July 31, 2015 incorporating the Charter of Customer Rights, and periodically review its implementation internally.

Internal Ombudsman in Banks

VI.75 For strengthening the grievance redressal mechanism available to bank customers, all PSBs, select private sector and foreign banks were advised to appoint Chief Customer Service Officers as Internal Ombudsman in banks who should examine complaints, which remained unresolved/ partially resolved by the internal grievance redressal mechanism of the bank.

Ascertaining Field Level Feedback and Enhancing Awareness

VI.76 For initiating appropriate corrective action, incognito visits of select bank branches were undertaken to ascertain field level feedback on complaints regarding mis-selling of third party products by banks like insurance and mutual funds. The feedback received was forwarded to all stakeholders. Further, in view of the large number of complaints on fictitious offers of money, public awareness campaigns about such fictitious offers, including the availability of the Banking Ombudsman (BO) scheme were conducted, particularly in rural and semi-urban areas.

Agenda for 2015-16

VI.77 The Reserve Bank will focus on full-fledged operationalisation of the Charter of Customer Rights in banks. The BO scheme is also being taken up for a complete review in 2015-16. Focused field visits/ study on mis-selling by banks in semi-urban areas and non-functioning/ mal-functioning ATMs across various parts of the country have also been planned.

VII PUBLIC DEBT MANAGEMENT

The Reserve Bank successfully completed the borrowing programme of the Government of India and the state governments during 2014-15 despite several challenges, such as scaling up of the size of borrowing and elevated yields in the first half of the year. It continued the strategy of elongating the maturity, consolidating the debt portfolio and imparting more liquidity to the secondary market. In pursuance of the objective of minimising the rollover risk, the maturity profile of the debt portfolio was elongated during the year with a resultant marginal increase in weighted cost. Leveraging on increased appetite for longer maturity debt, the Reserve Bank announced issuance of 40-year security during 2015-16 to extend the yield curve beyond 30 years. A medium term debt management strategy in line with sound international practices, regular quarterly calendar for state borrowings, review of the WMA scheme for the states, an efficient market infrastructure to aid a deeper and wider government debt market and expanding the investors' base, are some of the important agenda items slated for 2015-16.

VII.1 In terms of Sections 20 and 21 of the Reserve Bank of India Act, 1934, the Reserve Bank has the obligation and right to transact Central Government business in India and manage its public debt. Similarly, the Reserve Bank is the debt manager for all the 29 state governments and the union territory of Puducherry as also a banker to them except the Government of Sikkim in terms of their agreement with the Reserve Bank under Section 21A of the RBI Act, 1934. Further, the Reserve Bank makes advances to the Central and state governments to tide over temporary mismatch in the cash flows. Such advances are termed as 'ways and means advances' (WMA), which are repayable in each case not later than three months from the date of making the advances in terms of Section 17 (5) of the RBI Act.

VII.2 The Reserve Bank has set for itself a medium-term agenda of transforming the financial sector into a stronger, deeper, more efficient and inclusive system. Within this broader agenda, the approach for debt management as entrusted to the Internal Debt Management Department (IDMD) encompasses: a comprehensive debt management strategy in alignment with sound international practices, minimising the borrowing cost, extending maturities to cater to the requirements of diverse investors, consolidation of public debt and reduction in the rollover risk through active switch/buyback operations.

Agenda and Implementation Status in 2014-15

VII.3 In 2014-15, the debt management strategy aimed to:

i. conduct debt management operations in an orderly manner and successfully meet the market borrowing programmes in a smooth and non-disruptive manner while minimising the cost of borrowing;

ii. ensure reasonable distribution in issuances over the first half and the second half with issuance of new bonds coupled with bonds of non-standard maturity to avoid concentration of redemptions in the first half of the year;

iii. smoothen the maturity profile of GoI securities to reduce redemption pressures in 2014-15 through buybacks/switches;

iv. ensure quicker and wider dissemination of auction related information to market participants and other stakeholders;

v. promote liquidity in government securities (G-secs) through a scheme for market making by PDs in semi-liquid and illiquid G-secs; and

vi. improve efficiency of cash management and ensure reasonable returns on the CSF/GRF (consolidated sinking fund/guarantee redemption fund) of the states.

DEBT MANAGEMENT OF THE CENTRAL GOVERNMENT

VII.4 The gross market borrowings of ₹5,920 billion (BE ₹6,000 billion) and net market borrowings of ₹4,532 billion, which funded 90.3 per cent of the gross fiscal deficit (GFD), were successfully raised in 2014-15 (Table VII.1). With relatively comfortable liquidity and stable market conditions during 2014-15, there was lower devolvement of ₹53 billion on primary dealers (PDs) on three occasions as compared with 26 instances amounting to ₹175 billion in 2013-14.

VII.5 Debt management operations faced several challenges during 2014-15. First, the combined market borrowings of the Centre and the states increased over the level in the preceding year in both gross and net terms (that is, net of repayments) resulting in a sizeable scaling up of debt issuances in the primary market, particularly for the states. The Reserve Bank held auctions of government securities (including T-bills and SDLs or state development loans) on 118 days, leading to a total of 548 issuances and 41 underwriting auctions. Second, elevated level of yields in the first half of the year when the borrowing programme was front-loaded posed challenges for the cost of borrowing. Under these testing conditions, the efficacy of debt management can be gauged from the modest 12 bps increase in the weighted average yield of dated securities issued by the Centre during the year to 8.51 per cent (Table VII.2) despite a lengthening of maturity. Third, the Reserve Bank continued debt consolidation through reissuances and eased redemption pressures through buybacks/switches during the year and also elongated the maturity profile of government debt, thereby mitigating rollover risks.

VII.6 Although yields on government dated securities gradually declined during the course of the year from relatively higher levels in the early months (Chart VII.1), the weighted average yield of dated securities issued during 2014-15 was somewhat higher than in the previous year. Higher issuances of long dated securities lengthened the average maturity of outstanding debt (Table VII.3).

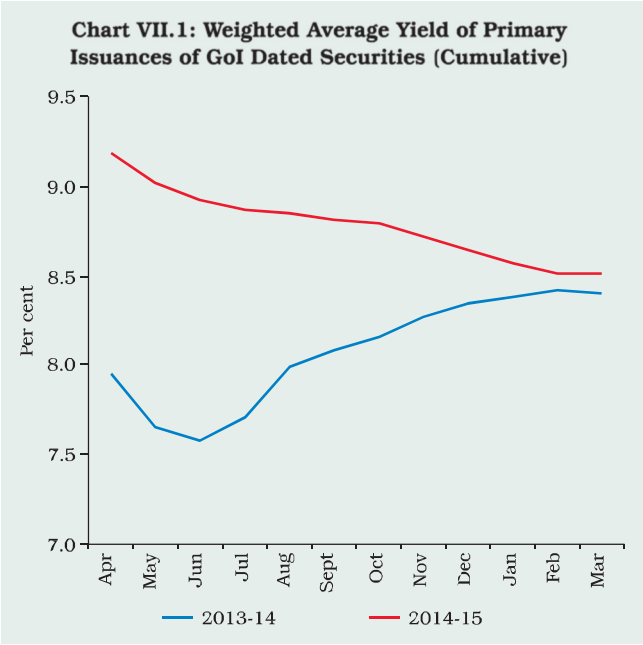
VII.7 As part of the consolidation of Government debt, 95 per cent of the securities were reissued. Buybacks/switches were conducted to smoothen the maturity profile of GoI securities and reduce redemption pressures. Buyback of short-term securities amounting to ₹188 billion from the market was completed through reverse auctions in

Table VII.1: Gross and Net Market Borrowings of the Central Government#

(₹ billion)

Item	2004-05	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16*
1	2	3	4	5	6
Net Borrowings	460	4,674	4,686	4,532	1,757 (4,564)
Gross Borrowings	803	5,580	5,636	5,920	2,670 (6,000)

Note: 1. Figures in brackets are budget estimates. 2. Figures excluding buyback/ switches.
#: Issuance through dated securities; * : upto August 14, 2015.



September 2014 and switches of ₹88 billion were conducted in February 2015. A conversion operation of securities from the Reserve Bank's portfolio amounting to ₹302 billion was conducted in March 2015. By these measures, the Reserve Bank ensured the elongation of maturity of the outstanding debt while containing the rollover risk for GoI.

VII.8 Commercial banks remained predominant investors in dated government securities, holding around 43 per cent at end-March 2015, followed by insurance companies and provident funds at around 21 and 8 per cent, respectively. The share of the Reserve Bank's holding declined to 14 per cent from a high of 16 per cent in the previous two years. The share of foreign portfolio investors (FPIs), which have emerged as active market players in the recent period, more than doubled to 3.7 per cent from a year ago.

VII.9 Net market borrowings of the Centre through treasury bills and dated securities stood at ₹4,779 billion in 2014-15, 6 per cent lower than those in 2013-14. Yields on treasury bills also softened at the shorter end in 2014-15 reflecting comfortable liquidity conditions. Continuing its pursuit of the market development strategy, the Reserve Bank ensured quicker and wider dissemination of auction related information among market participants and other stakeholders. The system of displaying primary auction results of treasury bills, SDLs and GoI dated securities in e-Kuber and NDS-OM along with publication of the

Table VII.2: Central Government's Market Loans-A Profile#

(yield in per cent / maturity in years)

Year	Range of YTMs at Primary Issues			Issued during the year			Outstanding Stock (As at end-March)	
	under 5 years	5-10 years	Over 10 years	Weighted average yield	Tenor of securities (range)	Weighted average maturity	Weighted average maturity	Weighted average coupon
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2008-09	7.71-8.42	7.69-8.77	7.77-8.81	7.69	6-30	13.80	10.45	8.23
2009-10	6.09-7.25	6.07-7.77	6.85-8.43	7.23	5-15	11.16	9.82	7.89
2010-11	5.98-8.67	7.17-8.19	7.64-8.63	7.92	5-30	11.62	9.78	7.81
2011-12	8.21-8.49	7.80-10.01	8.25-9.28	8.52	5-30	12.66	9.60	7.88
2012-13	8.82-8.21	7.86-8.76	7.91-8.06	8.36	5-30	13.50	9.67	7.97
2013-14*	7.22-9.00	7.16-9.40	7.36-9.40	8.39	6-30	14.22	10.00	7.99
2014-15*	-	7.66-9.28	7.65-9.42	8.51	6-30	14.67	10.23	8.08

#: Excludes issuances under market stabilisation scheme; YTM: Yield to maturity; *: Excluding inflation linked bonds and buyback/switch in GoI securities.

Table VII.3: Issuance of the Central Government Dated Securities - Maturity Pattern

(Amount in ₹ billion)

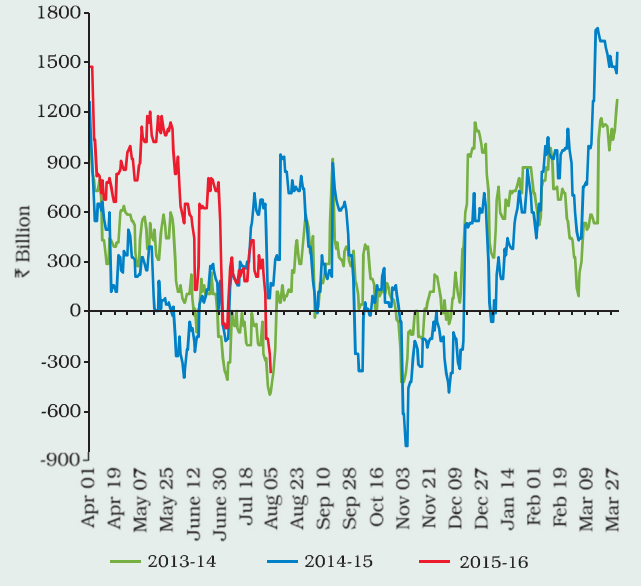
Residual Maturity	2012-13		2013-14		2014-15	
	Amount raised	Percentage to total	Amount raised	Percentage to total	Amount raised	Percentage to total
1	2	3	4	5	6	7
Less than 5 years	470	8.42	110	1.95	-	-
5 -9.99 years	1,910	34.23	2,305	40.91	2,350	39.69
10-14.99 years	1,730	31.00	1,340	23.78	1,510	25.51
15 -19.99 years	270	4.84	930	16.50	960	16.22
20 years & above	1,200	21.51	950	16.86	1,100	18.58
Total	**5,580**	**100.00**	**5,635**	**100.00**	**5,920**	**100.00**

results on the Reserve Bank's website has been implemented.

Cash Management

VII.10 The Government started the fiscal year with a cash build-up of ₹1,284 billion and the cash position remained comfortable until the third week of May 2014 (Chart VII.2). Following spending by the Government, cash balance declined and the Government intermittently availed WMA for 61 days altogether *vis-à-vis* 42 days during the previous year. It also issued cash management bills (CMBs) for ₹100 billion in November 2014.

Chart VII.2: Cash Balance of the Government of India



VII.11 From December 16, 2014 onwards, the Government's cash balance held with the Reserve Bank is being reckoned for auction through variable rate repo as part of the Reserve Bank's revised liquidity management framework. The Government ended the fiscal year with a cash balance of ₹1,573 billion.

VII.12 WMA limits for the first half (April-September) and the second half (October-March) of 2014-15 were fixed at ₹350 billion and ₹200 billion, respectively, for the Central Government. The WMA limit for the first half of 2015-16 was raised to ₹450 billion.

DEBT MANAGEMENT OF STATE GOVERNMENTS

Market Borrowings

VII.13 The Reserve Bank entered into an agreement with the Government of Telangana for carrying out its cash and debt management operations effective June 2, 2014, under Section 21A of the Reserve Bank of India Act, 1934.With this, the Reserve Bank is now the debt manager for all the 29 states and for the union territory (UT) of Puducherry. All of them participated in market borrowing programme in 2014-15, with the net borrowing rising by 26 per cent (Table VII.4).

VII.14 Despite higher market borrowings, the weighted average yeild of state government securities issued during the year stood lower at

8.58 per cent as compared to 9.18 per cent last year. Alongside, the weighted average spread came down significantly to 38 bps over GoI securities of comparable maturities from 75 bps in the previous year (Table VII.4).

Cash Management of State Governments

VII.15 The Reserve Bank has been extending WMA to state governments since 1937 under the provisions of Section 17(5) of the RBI Act with the objective of covering temporary mismatches in their cash flows. There are two types of WMA: (i) normal WMA or clean advances, and (ii) special WMA (SWMA) or secured advances (the nomenclature of SWMA was changed in June 2014 as 'special drawing facility' (SDF) by amending the agreement with state governments). An overdraft (OD) occurs whenever the Reserve Bank's credit to a state government exceeds the SDF and WMA limits.

VII.16 The aggregate WMA limit for the states, including the Government of the Union Territory of Puducherry was raised by 50 per cent to ₹154 billion in November 2013 and the same limit was continued in 2014-15. The monthly average utilisation of WMA and OD by the states was higher in 2014-15 even as the number of states resorting to WMA remained unchanged at 12. Fourteen states resorted to SDF, up from 12 in 2013-14. Ten states availed of OD in 2014-15 as against eight states in 2013-14.

VII.17 The Reserve Bank's recent initiatives in the government banking business are expected to enhance efficiency in the cash management of state governments (Box VII.1).

Investments in the Consolidated Sinking Fund (CSF)/Guarantee Redemption Fund (GRF)

VII.18 As the fund manager of state governments, the Reserve Bank has been managing their consolidated sinking funds (CSF) and guarantee redemption funds (GRF). In addition to dated government securities, the Reserve Bank has started investing in SDLs and other high yielding securities (for example, treasury bills) as per the mandate given by the respective state governments. The outstanding investment in CSF and GRF stood at ₹703 billion at end-March 2015, a rise of 14.8 per cent over the previous year. In its endeavour to create awareness among Finance Department officials of state governments, capacity building programmes were organised by the Reserve Bank in a number of states including Tripura, Mizoram, Jharkhand, Odisha and Uttarakhand.

Table VII.4: States' Market Borrowings

(₹ billion)

Item	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16@
1	2	3	4	5
Net Allocation	1,881	2,185	2,365	NA
Gross Allocation	2,187	2,506	2,564	NA
Gross Amount Raised during the Year	1,772	1,967	2,408	824
Net Amount Raised during the Year	1,467	1,646	2,075	720
Weighted Average Yield (%)	8.84	9.18	8.58	8.22
Weighted Average Spread (bps)	71	75	38	34
SDLs outstanding (at the end period)	9,291	10,619	12,755	13,474

@: as on August 12, 2015.

Agenda for 2015-16

VII.19 Union Budget, 2015-16 has projected a marginal increase in the Centre's net market borrowings in 2015-16. With signs of improvement in macroeconomic conditions and moderation in inflationary pressures, the governments' market borrowing programmes are likely to be completed in an orderly manner, while minimising the cost of borrowing.

VII.20 A medium term debt management strategy, in consultation with GoI, in line with best international

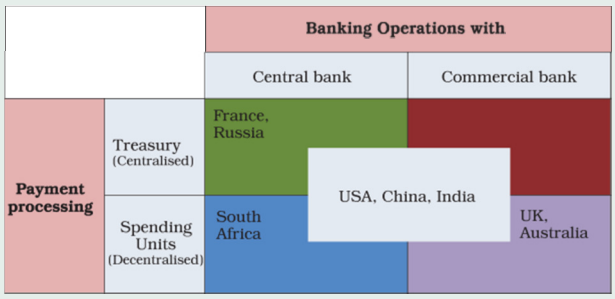
Box VII.1
New Initiatives in Government Banking

Internationally, arrangements for the government banking business vary across countries. For instance, it is performed by the central banks in France and Russia while in the UK and Australia it is performed by commercial banks. The payment processing is centralised in France and Russia but decentralised in South Africa. Larger countries, such as the US, China and India have adopted a mixed approach, depending on the nature and type of transactions (Chart 1).

As part of its initiatives to improve efficiency in government banking services, the Reserve Bank constituted a Working Group to Bring in Uniformity and Standardisation in Procedures/Data Structure of e-Receipt/e-Transactions of State Governments. The group submitted its report in April 2014. Its recommendations focus on migrating to a broadly uniform model for receipts and payments for all the states and integration with e-Kuber, the core banking solution of the Reserve Bank. As discussed in the State Finance Secretaries Conference organised by the Reserve Bank in May 2015, it was decided to implement the recommendations of the report on a pan-India basis. Accordingly, a task force has been constituted for monitoring the implementation process. Till date, 15 states have started this process and are at various stages of implementation. Efforts are on to bring the remaining states on board.

E-receipt and e-payment functions have been developed in e-Kuber to provide enhanced operational efficiency and facilitate better fund management of governments.The e-receipts system envisages revenue collection through agency banks, flow of information to the Reserve Bank and final transfer of funds to the respective state government's accounts. The system is designed for faster processing without giving rise to any reconciliation issues. The agency banks participating in the revenue collection of a state are required to prepare details of daily receipts in a standardised ISO 20022 format file and upload it on the e-Kuber portal which is used by banks for their interface with the Reserve Bank. After processing the files, e-scrolls with all relevant information are transmitted electronically to the state governments in a straight-through-processing (STP) manner. The interface of e-Kuber with the public finance management system (PFMS) of the Central Government has been scaled up to serve all central ministries for effecting inter-government transactions on a STP basis.

Chart 1: International practices in government banking business



Based on Pessoa and Williams (2012).

For e-payments, wherever a state has a centralised treasury system, integration of its IT system with e-Kuber will be done and the details of payments to be effected by the government will be directly received, processed and transmitted to the National Electronic Funds Transfer (NEFT) system for effecting payments, with no manual intervention. Transaction-wise e-scrolls will be sent on the same day, duly indicating status of payments (whether successful, or returned). This will ensure that all payments are processed efficiently and beneficiaries receive the payments without delay.

With a view to maximising benefits from technological developments, a Working Group on Business Process Re-engineering with participation from government agencies, banks and the Reserve Bank has been set up. The group will examine the workflows, systems and processes for handling government business, related institutional infrastructure and reporting structures. The group is expected to submit its report by October 2015. With these initiatives, banking arrangements of the governments including their cash management are set to witness significant efficiencies in the years to come.

References:

Pessoa, M. and M. Williams (2012), 'Government Cash Management: Relationship between the Treasury and the Central Government', International Monetary Fund.

Pattanayak, S. and I. Fainboim (2011), 'Treasury Single Account: An Essential Tool for Government Cash Management', International Monetary Fund.

practices will be placed in the public domain during 2015-16. In order to manage GoI's maturity profile and also to reduce the rollover risk, it is planned that buybacks and switches will be part of the regular calendar of issuance from the second half of 2015-16. To cater to the demand from long term investors like insurance companies and pension funds, a 40-year security is proposed to be issued

during 2015-16, taking in view a relatively flat yield curve.

VII.21 Market borrowings of state governments have been budgeted higher for 2015-16 than the previous year. To improve predictability of market borrowings, all the states will be encouraged to move over to a quarterly calendar of issuances with effect from 2015-16 and the first of this calendar has been announced for the second quarter of 2015-16. The states have also been advised to actively engage with investors within their states to diversify the investor base.

VII.22 The report of the Advisory Committee on Ways and Means Advance to State Governments (Chairman: Sumit Bose) is expected to be finalised and will be taken up for implementation.

VII.23 The Reserve Bank will continue with the agenda of enabling easier and increased access to retail investors. As part of this, a web-based solution on the e-Kuber platform for participation of all mid-segment/retail investors having gilt accounts is being implemented. To develop a more liquid government securities market, a scheme of market making in select semi-liquid securities by PDs will be implemented. The non-competitive bidding facility available to retail investors is currently applicable only to auctions of dated securities. It is proposed to allow the non-competitive bidding facility in treasury bills to individuals as well. The Reserve Bank in consultation with all stakeholders will enable seamless movement of securities from the subsidiary general ledger (SGL) form to demat form and *vice versa* to promote trading of G-secs on stock exchanges. The Reserve Bank will work to put in place a more predictable framework on the size and scope of investments in G-secs by foreign portfolio investors taking into account the risks and benefits associated with such flows into the debt market.

VII.24 The Reserve Bank will closely work with the Government of India in the preparatory arrangements for the establishment of the Public Debt Management Agency (PDMA).

CURRENCY MANAGEMENT

VIII CURRENCY MANAGEMENT

Banknotes and coins continued to be in high demand in 2014-15. The Reserve Bank intensified its efforts to strengthen further the security features to improve integrity of banknotes. The Reserve Bank entered into agreements with banks to expand the currency management base. In consultation with the Government of India, the Reserve Bank made efforts towards the indigenisation of banknotes.

VIII.1 In line with the core statutory functions envisaged for it as per the Preamble and Section 22 of the Reserve Bank of India Act, 1934, the approach adopted by the Reserve Bank for currency management operations during 2014-15 focused on ensuring an adequate supply of clean banknotes and coins of various denominations to meet legitimate business requirements of members of the public, and creating, stocking and distributing banknotes and coins and destruction of soiled, mutilated notes and uncurrent coins.

TRENDS IN CURRENCY

VIII.2 Demand for banknotes and coins increased in 2014-15, notwithstanding the use of technology driven non-cash modes of payment.

Banknotes in Circulation

VIII.3 The value of banknotes in circulation increased by 11.4 per cent to ₹14,289 billion as at end-March 2015 over the previous year. Further, the volume of banknotes in circulation increased by 8.1 per cent to 83.6 billion pieces over the same period. Notes of denominations of ₹500 and ₹1,000 together accounted for approximately 85 per cent of the total value of banknotes in circulation at end-March 2015. Notes of ₹10 and ₹100 together accounted for 54 per cent of the volume at end-March 2015 (Table VIII.1).

Table VIII.1: Banknotes in Circulation

Denomination (₹)	Volume (million pieces)			Value (₹ billion)		
	Mar 2013	Mar 2014	Mar 2015	Mar 2013	Mar 2014	Mar 2015
1	2	3	4	5	6	7
2 and 5	11,624	11,698	11,672	46	46	46
	(15.8)	(15.1)	(13.9)	(0.4)	(0.4)	(0.3)
10	25,168	26,648	30,304	252	266	303
	(34.2)	(34.5)	(36.3)	(2.2)	(2.1)	(2.1)
20	3,825	4,285	4,350	77	86	87
	(5.2)	(5.5)	(5.2)	(0.6)	(0.7)	(0.6)
50	3,461	3,448	3,487	173	172	174
	(4.7)	(4.5)	(4.2)	(1.5)	(1.3)	(1.2)
100	14,421	14,765	15,026	1,442	1,476	1,503
	(19.6)	(19.1)	(18.0)	(12.4)	(11.5)	(10.5)
500	10,719	11,405	13,128	5,359	5,702	6,564
	(14.6)	(14.7)	(15.7)	(46.0)	(44.4)	(46.0)
1,000	4,299	5,081	5,612	4,299	5,081	5,612
	(5.9)	(6.6)	(6.7)	(36.9)	(39.6)	(39.3)
Total	**73,517**	**77,330**	**83,579**	**11,648**	**12,829**	**14,289**

Note: Figures in parentheses represent share in total volume/value.

Coins in Circulation

VIII.4 Coins in circulation witnessed sustained increase in demand in 2014-15. While the total value of coins in circulation increased by 12.1 per cent, in volume terms the increase was 8.0 per cent (Table VIII.2).

Increased Demand for Coins and Supply-enhancing Measures

VIII.5 In recent years, demand for coins has increased at a faster pace *vis-à-vis* supply mainly due to several toll plazas operating in the country,

Table VIII.2: Coins in Circulation

Denomination	Volume (million pieces)			Value (₹ billion)		
	Mar 2013	Mar 2014	Mar 2015	Mar 2013	Mar 2014	Mar 2015
1	2	3	4	5	6	7
Small Coin	14,788	14,788	14,788	7	7	7
	(17.4)	(16.1)	(14.9)	(4.6)	(4.1)	(3.6)
₹1	35,884	38,424	41,627	36	38	42
	(42.4)	(41.9)	(42.1)	(23.5)	(21.9)	(21.7)
₹2	22,113	24,823	27,038	44	50	54
	(26.1)	(27.1)	(27.3)	(28.8)	(28.9)	(27.8)
₹5	10,675	11,577	12,761	53	58	64
	(12.6)	(12.7)	(12.9)	(34.6)	(33.5)	(33.0)
₹10	1,267	2,017	2,750	13	20	27
	(1.5)	(2.2)	(2.8)	(8.5)	(11.6)	(13.9)
Total	**84,727**	**91,629**	**98,964**	**153**	**173**	**194**

Note: Figures in parentheses represent the percentage share in total.

structure of bus/auto/train/taxi fares, rising affluence of rural and urban poor, especially in view of Government sponsored schemes like Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme and increased use of fast-moving consumer goods (FMCG) in small sachets. Mismatch in indent and supply of coins during the past few years is given in Table VIII.3.

VIII.6 To meet the enhanced demand, the Reserve Bank has increased the indent with the Government of India mints and taken the following additional steps to further streamline distribution:

(i) Shopkeepers and other business establishments, tollgate agencies, *etc.,* have been linked to the nearest currency chest for their requirements of coins;

Table VIII.3: Indent and Supply of coins

(pieces in million)

Year	Indent	Supply
1	2	3
2012-13	9,554	6,878
2013-14	12,033	7,677
2014-15	13,840	7,907

(ii) Banks were advised to organise coin melas for issue of coins directly to members of the public;

(iii) Bulk users of coins, such as large retailers and toll plazas have been advised to increase the usage of point of sale (POS) terminals/cards/ e-tokens in order to reduce their dependence on coins; and

(iv) Banks were being incentivised for establishing coin vending machines (CVMs) and machines which extend cash related services to the public.

VIII.7 The Reserve Bank has suggested to the Central Government to permit import of coins as a short term measure till the production capacity of the mints is augmented; consider allowing minting of coins by private parties as enabled under the Coinage Act, 2011; and increase the present production capacity of mints/ set up new mints as a medium term measure. The Reserve Bank is also working on ways to encourage recirculation of coins by members of the public.

CURRENCY MANAGEMENT INFRASTRUCTURE

VIII.8 Currency management infrastructure consists of a network of 19 issue offices, 4,132 currency chests (including sub-treasury offices and a currency chest of the Reserve Bank at Kochi) and 3,813 small coin depots of commercial, cooperative and regional rural banks spread across the country (Table VIII.4). The procedure for opening currency chests was simplified during the year by introducing a single layer approval system instead of the multiple layers of approvals.

Lead Bank Scheme

VIII.9 The Lead Bank Scheme for currency management was introduced on a pilot basis in 2013 by identifying one district of each state and

Table VIII.4: Currency Chests and Small Coin Depots as at end-March 2015

Category	No. of Currency Chest	No. of Small Coin Depot
1	2	3
State Bank of India	2,033	1,930
SBI Associate Banks	763	733
Nationalised Banks	1,162	987
Private Sector Banks	153	149
Co-operative Banks	4	4
Foreign Banks	4	4
Regional Rural Banks	5	5
State Treasury Offices (STOs)	7	0
RBI	1	1
Total	**4,132**	**3,813**

assigning the same to a lead bank, which, in turn, is responsible for ensuring that genuine needs of members of the public for clean notes and coins are met through coordination with currency chests and small coin depots situated in that area. The lead bank as a nodal bank for currency management (BCM) attends to issues, such as linkage of non-currency chest branches to currency chests, facilitation of supply and issue of banknotes and coins to and from bank branches in the area, prompt routing of diversion requests and redressal of public grievances. The nodal BCM undertakes functions relating to spreading awareness/literacy campaigns on security features of genuine notes and exchange of mutilated notes. After a year of operation, the scheme was reviewed and it was decided to continue it in 2014-15; it is under review for 2015-16.

CLEAN NOTE POLICY

Demand Estimation and Supply of Banknotes and Coins

VIII.10 Demand for currency is estimated using econometric models *inter alia*, factoring in real GDP growth prospects, rate of inflation and disposal rate of soiled notes denomination-wise. Accordingly, the

Table VIII.5: Indent and Supply of Banknotes by BRBNMPL and SPMCIL to the Reserve Bank

Denomination (₹)	Volume (million pieces)				
	2013-14		2014-15		2015-16
	Indent	Supply	Indent	Supply	Indent
1	2	3	4	5	6
5	0	0	0	0	0
10	12,164	9,467	6,000	9,417	4,000
20	1,203	935	4,000	1,086	5,000
50	994	1,174	2,100	1,615	2,050
100	5,187	5,131	5,200	5,464	5,350
500	4,839	3,393	5,400	5,018	5,600
1,000	975	818	1,500	1,052	1,900
Total	**25,362**	**20,918**	**24,200***	**23,652**	**23,900**

*: The figures published in the Annual Report 2013-14 were subsequently revised.
BRBNMPL: Bharatiya Reserve Bank Note Mudran Private Limited.
SPMCIL: Security Printing and Minting Corporation of India Limited.

total supply of banknotes was raised to 23.7 billion in 2014-15 from 20.9 billion pieces (an increase of 13.1 per cent) in 2013-14 (Table VIII.5). The supply of coins was also increased by 3.0 per cent in 2014-15 as compared to 11.6 per cent in 2013-14 (Table VIII.6).

Disposal of Soiled Notes

VIII.11 During 2014-15, around 15.1 billion pieces of soiled banknotes were disposed of as against a target of around 17.1 billion pieces and 14.2 billion pieces disposed during 2013-14.

Table VIII.6: Indent and Supply of Coins by SPMCIL to the Reserve Bank

Denomination	Volume (million pieces)				
	2013-14		2014-15		2015-16
	Indent	Supply	Indent	Supply	Indent
1	2	3	4	5	6
50 Paise	50	40	40	20	40
₹1	5,418	3,092	6,000	3,247**	6,100
₹2	3,546	2,424	4,000	2,367	4,000
₹5	1,819	1,393	2,000	1,091	2,100
₹10	1,200	728	1,800	1,187	2,000
Total	**12,033**	**7,677**	**13,840***	**7,912****	**14,240**

*The figures published in the Annual Report 2013-14 were subsequently revised.
**Includes 5 million pieces of ₹1 currency notes.

Table VIII.7: Number of Counterfeit Notes Detected (April to March)

(No. of pieces)

Year	Detection at Reserve Bank	Other Banks	Total
1	2	3	4
2013-14	19,827	468,446	488,273
	(4.1)	(95.9)	(100.0)
2014-15	26,128	568,318	594,446
	(4.4)	(95.6)	(100.0)

Note: 1. Figures in parentheses represent the percentage share in total.
2. Does not include counterfeit notes seized by the police and other enforcement agencies.

COUNTERFEIT NOTES

VIII.12 During 2014-15, 594,446 pieces of counterfeit notes were detected in the banking system, of which 95.6 per cent were detected by commercial banks, while 4.4 per cent were detected at the Reserve Bank offices (Table VIII.7). During 2014-15, the number of counterfeit notes detected increased for all denominations except ₹2 and ₹5 (Table VIII.8).

VIII.13 In accordance with the international practice of not having multiple series of banknotes simultaneously in circulation, the process of withdrawal of pre-2005 series of banknotes, in phases, was initiated in 2014. Though a majority of these pre-2005 notes have been withdrawn from circulation through bank branches, it was decided to extend the date up to December 31, 2015 to ensure withdrawal of the remaining pre-2005 old design banknotes with least inconvenience to members of the public.

EXPENDITURE ON SECURITY PRINTING AND DISTRIBUTION

VIII.14 Towards faster distribution of notes across the country, the Reserve Bank has been implementing a scheme of direct remittance of banknotes from the note printing presses to currency chests, obviating the need for repeated logistical and security arrangements. Total expenditure incurred on security printing stood at ₹37.6 billion during 2014-15 (July–June) as compared to ₹32.1 billion during 2013-14. The increase was mainly on account of increased supply of banknotes by 13.1 per cent over the previous year. During 2014-15, the Reserve Bank, in

Table VIII.8:Denomination-wise Counterfeit Notes Detected in the Banking System as a Proportion of the Notes in Circulation (in pieces) (April to March)

Denomination (₹)	2013-14			2014-15		
	Number of Counterfeit Notes	Notes in Circulation	FICN as a proportion of NIC	Number of Counterfeit Notes	Notes in Circulation	FICN as a proportion of NIC
1	2	3	4	5	6	7
2 and 5	1	11,698,000,000	0.00000000	0	11,672,000,000	0.00000000
10	157	26,648,000,000	0.00000001	268	30,304,000,000	0.00000001
20	87	4,285,000,000	0.00000002	106	4,350,000,000	0.00000002
50	6,851	3,448,000,000	0.00000199	7,160	3,487,000,000	0.00000205
100	118,873	14,765,000,000	0.00000805	181,799	15,026,000,000	0.0000121
500	252,269	11,405,000,000	0.00002212	273,923	13,128,000,000	0.00002087
1000	110,035	5,081,000,000	0.00002166	131,190	5,612,000,000	0.00002338
Total	**488,273**	**77,330,000,000**	**0.00000631**	**594,446**	**83,579,000,000**	**0.00000711**

FICN: Fake Indian Currency Notes. NIC: Notes in Circulation.
Note: Does not include counterfeit notes seized by the police and other enforcement agencies.

Box VIII.1
Efforts for Indigenisation of Currency Printing

India is the largest producer and consumer of currency notes, next only to China. Currency continues to be the dominant means of payment with the banknotes in circulation (in value terms) placed at ₹14.3 trillion as of end March 2015.

Sustained increase in demand for currency notes, exceeded the capacity of government note presses (at Nashik and Dewas) by the late 1980s. The Reserve Bank established two currency presses in 1996 at Mysore and Salboni through a wholly owned subsidiary of the Reserve Bank, the Bharatiya Reserve Bank Note Mudran Pvt. Ltd. (BRBNMPL), making the country self-reliant in currency note printing by 1999. Currently, more than 40 per cent of the currency notes circulated in India are printed by government presses while the remaining 60 per cent emanate from Reserve Bank currency presses. However, the Reserve Bank depends largely on imports for the main ingredients required for printing currency. In case of inks, India produces Offset and Intaglio ink while Optically Variable Ink is imported. Some of the security features, such as security thread and water mark used in the current series of banknotes are also imported. With regard to the paper used for banknotes, India produces only 5 per cent of the paper required annually for currency note printing, necessitating import of the rest. Dependence on imports makes the printing process of currency vulnerable in terms of price, quantity and timeliness.

The Reserve Bank has embarked on a multi-pronged strategy for the indigenisation of currency note printing, keeping in view the associated benefits of backward integration in the form of assured, smooth and timely supply, cost saving (by way of reduction in the import bill), employment generation and effective deterrent to counterfeiting. To enhance the pace of indigenisation, a paper mill is being set up in Mysore, with an annual capacity of 12,000 MT which will substantially meet the paper requirement for currency printing. The Reserve Bank is also making efforts to develop domestic capabilities in the area of security features of banknotes. In order to have a time-bound programme for indigenisation of security features, the Reserve Bank, in consultation with the Government of India has set up a high level steering committee (Chairman: Shri R. Gandhi) which will identify agencies/institutions that could be encouraged to develop indigenous security features over the next few years.

consultation with the Government of India, made concerted efforts towards indigenisation of currency printing (Box VIII.1), elongation of the life of banknotes and resolution of issues associated with the shape and size of coins.

DEPARTMENT OF CURRENCY MANAGEMENT

VIII.15 On issues in currency management, the Department of Currency Management (DCM) plays a pivotal role in ensuring continuous supply and circulation of adequate quantities of clean banknotes and good coins of various denominations across the country. During 2014-15, the goals set for the Reserve Bank included field trial of plastic banknotes, exploring alternatives for extending the life of banknotes, harnessing technological advancements in the area of storage, transport, distribution; setting up a fully automated cash processing centre (CPC) on a pilot basis, introduction of new series of banknotes to leverage the latest innovations of currency note printing technology to stay ahead of counterfeiters, redesigning coins to make them user friendly and long lasting, and improving banknote packaging to facilitate handling and making operational processes more labour friendly.

Agenda for 2014-15: Implementation Status

Field Trial of Plastic Banknotes

VIII.16 The request for proposal for supply of plastic Indian banknotes in the denomination of ₹10 was issued and its technical evaluation undertaken. However, certain technical infirmities emerged and the process could not be taken further.

Exploring Alternatives for Extending the Life of Banknotes

VIII.17 A committee comprising stakeholders and research institutions was constituted to evaluate means to elongate the life of banknotes. A study on the subject has been taken up and is expected to be completed in 2015-16.

Fully Automated Cash Processing Centres

VIII.18 It was felt that a hub and spoke model would lead to greater efficiency. Accordingly, commercial banks were encouraged to set up such processing centres and two banks have commenced establishment of CPCs.

Staying Ahead of Counterfeiters

VIII.19 Banknotes in the denomination of ₹100 with a new numbering pattern were introduced during the year. The new numbering pattern will be introduced in a phased manner in all other denominations. In June 2015, the process of introduction of new security features was taken forward through issuance of a global pre-qualification bid for supply of security features.

Redesigning Coins and Improving Banknote Packaging

VIII.20 The Government of India has decided to constitute a committee to look into the shape and size of coins. The Reserve Bank will be associated with the same. It was decided, in consultation with stakeholders, to introduce corrugated fibre boxes for packing of banknotes in accordance with the International Labour Organisation (ILO) Convention 127 and recommendation 128 (wherein, maximum weight to be carried by an adult workman should not exceed 55 kg). Such boxes will be more environment friendly than wooden boxes which are presently in use. Two of the printing presses have commenced supplies of banknotes in the new corrugated fibre boxes.

Agenda for 2015-16

VIII.21 Taking forward the activities initiated in 2014-15 in the areas of introduction of new series of banknotes, new numbering pattern, braille like signs for the differently abled, and clean note policy, the Reserve Bank plans the following initiatives during 2015-16: towards elongating the life of banknotes, a development tender on plastic banknotes will be considered. Further, the project of exploring other alternatives for increasing the life of banknotes will be taken forward.

Customer Service

VIII.22 The scheme of incentives and penalties for banks for provision of banknotes and coin related services will be rationalised. The distribution network of banknotes and coins will be strengthened by encouraging alternate means, including leveraging technology. Further, note refund rules which were last reviewed in 2009, will be taken up for further refinement. The Reserve Bank will continue with its medium/long term objective of indigenisation of security features for Indian banknotes.

BHARATIYA RESERVE BANK NOTE MUDRAN PRIVATE LIMITED (BRBNMPL)

VIII.23 To augment the production of banknotes and to bridge the gap between their demand and supply in the country, BRBNMPL was established by the Reserve Bank as its wholly owned subsidiary on February 3, 1995. The company manages two presses, one in Mysore in Karnataka and the other in Salboni in West Bengal.

VIII.24 BRBNMPL produces 60 per cent of the annual requirement of banknotes and had supplied 15,515.88 million banknotes to the Reserve Bank as at end-March, 2015. It recorded a net profit after tax of ₹1.38 billion during 2014-15 as against a net profit after tax of ₹1.33 billion in the previous year.

VIII.25 The company has been continually enhancing productivity and operational efficiency through research and development activities and process innovations. It has established testing and research facilities at its laboratories in Mysore and Salboni for ensuring strict quality controls. These laboratories are currently focused on enhancing the life of banknotes, selection and

evaluation of substrates for banknotes, comparison of various materials and their properties, and evaluation of security features.

VIII.26 The Bank Note Paper Mill India Private Limited (BNPMIPL) in Mysore, with a capacity of 12,000 tonnes per annum was established in October 2010 as an equal joint venture between the Government of India owned SPMCIL and the Reserve Bank subsidiary BRBNMPL. However, glitches arising out of the processes and modalities of securing statutory approvals from the concerned agencies impeded operationalisation of the facility. It is expected to commence production in 2015-16. This facility is expected to lead to self-sufficiency in manufacturing of paper for banknotes, substantially reducing imports.

IX PAYMENT AND SETTLEMENT SYSTEMS AND INFORMATION TECHNOLOGY

In pursuance of the vision of encouraging electronic payments and achieving a less cash society, the Reserve Bank continued its endeavour to have safe, inclusive and efficient payment systems in the country. Initiatives in this direction included rationalisation of policies relating to ATM transactions, prepaid payment instruments, white label ATMs and relaxation of additional factor of authentication for small value contact-less card present payments. In addition, the Reserve Bank also initiated the process of infrastructure enhancement in bill payments and MSME bill discounting segments by putting in place policy framework for setting up of Bharat Bill Payment System (BBPS) and Trade Receivables Discounting System (TReDS). The Reserve Bank also undertook a slew of in-house IT initiatives to brace up with the emerging challenges.

DEPARTMENT OF PAYMENT AND SETTLEMENT SYSTEMS

IX.1 Efficient and secure payment and settlement systems are essential components of a well-developed financial system. The department being the nodal wing of the Reserve Bank in matters of payment and settlement systems, focused towards migrating to a less cash society and on enhancing the efficiency and security of electronic transactions, while at the same time improving convenience of operations. Another key area of focus was enhancing access to finance through strengthening the inter-operable payment system infrastructure and putting in place a firm legal basis for payment system activities in conformity with international standards. With a view to ensuring seamless financial transactions, the Reserve Bank has been leveraging technology to upgrade the payment and settlement systems on a continuous basis over the years, resulting in a gradual shift from cash and paper based transactions to electronic modes of payments. The Reserve Bank while taking all these steps, recognised developments in technology and provided a facilitating environment for innovations in the payments sphere.

TREND AND PROGRESS IN PAYMENT SYSTEMS

IX.2 The electronic payment systems registered high volumes in 2014-15, following the determined efforts made by the Reserve Bank for migration to electronic payments (Table IX.1). Correspondingly, transactions processed by the paper-based clearing systems have shown a continuous decline both in volume and value terms. Overall, the payment and settlement systems posted a higher growth of 27.1 per cent in volume and a lower growth of 5.4 per cent in value in 2014-15 in relation to the previous year.

Paper clearing

IX.3 The share of paper-based transactions in total transactions continued to show a declining trend over the years. In volume terms, paper-based transactions accounted for 25.4 per cent of the total transactions during 2014-15, down from 33.9 per cent in the previous year. Their share in value terms also declined to 5.4 per cent from 6.2 per cent.

Retail electronic payments

IX.4 The growth in retail electronic payments has been encouraging both in terms of coverage and usage. As on March 31, 2015, the national

Table IX.1: Payment System Indicators - Annual Turnover

Item	Volume (million)			Value (₹ billion)		
	2012-13	2013-14	2014-15	2012-13	2013-14	2014-15
1	2	3	4	5	6	7
Systemically Important Financial Market infrastructures (SIFMIs)						
1. RTGS	68.5	81.1	92.8	676,841.0	734,252.4	754,032.4
Total Financial Markets Clearing (2+3+4)	**2.3**	**2.6**	**3.0**	**501,598.5**	**621,569.6**	**672,455.6**
2. CBLO	0.2	0.2	0.2	120,480.4	175,261.9	167,646.0
3. Government Securities Clearing	0.7	0.9	1.0	119,948.0	161,848.2	179,372.0
4. Forex Clearing	1.4	1.5	1.8	261,170.1	284,459.5	325,437.6
Total SIFMIs (1 to 4)	**70.8**	**83.7**	**95.7**	**1,178,439.5**	**1,355,822.0**	**1,426,488.0**
Retail Payments						
Total Paper Clearing (5+6+7)	**1,313.7**	**1,257.3**	**1,195.8**	**100,181.8**	**93,316.0**	**85,439.3**
5. CTS	275.0	591.4	964.9	21,779.5	44,691.4	66,769.9
6. MICR Clearing	823.3	440.1	22.4	57,504.0	30,942.8	1,850.4
7. Non-MICR Clearing	215.3	225.9	208.5	20,898.3	17,681.8	16,819.0
Total Retail Electronic Clearing (8+9+10+11+12)	**694.1**	**1,108.3**	**1,687.4**	**31,881.1**	**47,856.3**	**65,365.5**
8. ECS DR	176.5	192.9	226.0	1,083.1	1,268.0	1,739.8
9. ECS CR	122.2	152.5	115.3	1,771.3	2,492.2	2,019.1
10. NEFT	394.1	661.0	927.6	29,022.4	43,785.5	59,803.8
11. Immediate Payment Service (IMPS)	1.2	15.4	78.4	4.3	95.8	581.9
12. National Automated Clearing House (NACH)	-	86.5	340.2	-	214.8	1,220.9
Total Card Payments (13+14+15)	**932.6**	**1,261.8**	**1,737.7**	**2,052.1**	**2,575.4**	**3,324.5**
13. Credit Cards	396.6	509.1	615.1	1,229.5	1,539.9	1,899.2
14. Debit Cards	469.1	619.1	808.1	743.4	954.5	1,213.4
15. Prepaid Payment Instruments (PPIs)	66.9	133.6	314.5	79.2	81.0	211.9
Total Retail Payments (5 to 15)	**2,940.3**	**3,627.4**	**4,620.9**	**134,115.0**	**143,747.7**	**154,129.3**
Grand Total (1 to 15)	**3,011.1**	**3,711.1**	**4,716.6**	**1,312,554.5**	**1,499,569.7**	**1,580,617.3**

- : Not applicable

Note: 1. Real Time Gross Settlement (RTGS) system includes customer and inter-bank transactions only.
2. Settlement of Collateralised Borrowing and Lending Obligation (CBLO), government securities clearing and forex transactions is through the Clearing Corporation of India Ltd. (CCIL).
3. Consequent upon migration of total cheque volume to the cheque truncation system (CTS), there is no Magnetic Ink Character Recognition (MICR) Cheque Processing Centre (CPC) location in the country as of now.
4. The figures of cards are for transactions at point of sale (POS) terminals only.
5. The National Automated Clearing House (NACH) system was started by the National Payments Corporation of India (NPCI) (on December 29, 2012), to facilitate inter-bank, high volume, electronic transactions which are repetitive and periodic in nature.
6. Figures in the columns might not add up to the total due to rounding off of numbers.

electronic funds transfer (NEFT) facility was available through 121,845 branches of 161 banks, in addition to the business correspondent (BC) outlets. NEFT handled 928 million transactions valued at around ₹60 trillion in 2014-15 as against 661 million transactions for ₹44 trillion in the previous year. During the month of March 2015, NEFT processed the largest ever monthly volume of 106 million transactions.

IX.5 The increasing trend is also reflected in case of bulk electronic payments systems [total of electronic clearing service (ECS) and National Automated Clearing House (NACH)]. Banks continued to use both NACH operated by National Payments Corporation of India (NPCI) as well as ECS operated by the Reserve Bank.

IX.6 As regards card transactions, during 2014-15, 615 million transactions valued at around ₹1.9

trillion were carried out through credit cards, while 808 million transactions valued at ₹1.2 trillion were carried out through debit cards. Transactions through prepaid payment instruments (PPIs) also grew substantially, recording 314 million transactions valued at ₹212 billion. Mobile banking service, which is a relatively newer entrant among the payment options, has shown encouraging growth and handled 171 million transactions valued at ₹1 trillion during the year.

Agenda for 2014-15: Implementation Status

Mobile banking

IX.7 As part of the agenda for 2014-15, it was planned that efforts would be made to provide a fillip to mobile banking and undertake necessary groundwork to put in place standards for customer on-boarding, security of transactions and redressal of customer grievances, besides engaging with stakeholders to explore the feasibility of having a standardised application for mobile banking across banks. The Reserve Bank issued necessary guidelines to banks in December 2014 to enhance the usage of mobile banking in the country. Banks were advised to provide their customers options for easy registration for mobile banking services, through multiple channels, including ATMs, thereby minimising the need for branch visit to avail such services. NPCI is in the process of facilitating mobile banking registration at ATMs on the National Financial Switch (NFS) network. Similarly, NPCI was advised with regard to setting standards for industry agreements between banks and mobile network operators (MNOs) for handling customer grievances, particularly in the context of the National Unified USSD (Unstructured Supplementary Service Data) Platform (NUUP).

Trade Receivables Discounting System (TReDS)

IX.8 In order to provide quick and efficient financing options for the micro, small and medium enterprises (MSME) segment, it was proposed to set up an electronic TReDS to bring together the MSME, their corporate buyers as well as financiers and reduce the constraints faced by the MSME segment in liquidity management. The participants in the TReDS will be corporate buyers, including government departments and public sector undertakings (PSUs). The system will also facilitate factoring of both receivables as well as payables. Accordingly, policy measures were taken towards setting up of TReDS. Seven applications received to set up TReDS are being scrutinised for consideration of their authorisation during 2015-16 under the Payment and Settlement Systems (PSS) Act, 2007.

Bharat Bill Payment Systems (BBPS)

IX.9 The guidelines for BBPS were issued in November 2014 as per the agenda for 2014-15. BBPS is being set up by NPCI as a pan-India integrated bill payment system under the PSS Act, 2007 offering inter-operable and accessible bill payment services to customers through a network of agents. It is expected to address the problems faced by consumers who are required to use multiple options (as put in place by respective billers) to meet their bills payment requirements. The process of authorisation of NPCI to act as a Bharat Bill Payment Central Unit (BBPCU) and authorisation of Bharat Bill Payment Operating Unit (BBPOU) will be completed during 2015-16.

Consolidation of Payment Systems

IX.10 The ECS suite and NACH provide similar services. As envisaged in the agenda for 2014-15, consolidation of these payment systems has commenced from December 2014 with migration of volume from the ECS suite to NACH and thus, almost all participants are on board in the NACH system.

Other developments during 2014-15

IX.11 In line with the objective of the department to enhance greater acceptance of electronic payments, the following policy changes were introduced during the year.

Expansion of infrastructure / service providers

IX.12 For ensuring availability of additional payment options, authorisation was issued to nine entities, increasing the number of authorised payment system operators to 63 in 2014-15. The number of entities authorised for operating PPIs increased to 34 with five entities authorised during 2014-15.The remaining four entities were authorised for the money transfer service scheme (MTSS) (cross-border inward remittances), white label ATMs (WLAs) and instant money transfer. As on March 31, 2015, there were 7,881 WLAs installed across the country, out of which 4,932 were in Tier III to VI centres.

IX.13 With expanding infrastructure and service providers, it is equally important that they operate as per the norms set out by the Reserve Bank. The Reserve Bank has accordingly devised an assessment template for retail payment systems. Non-bank entities were asked to submit a self-assessment as per the template.

Security and efficiency

IX.14 Security and efficiency of payment system infrastructure being critical in development of payment systems, the NEFT platform was migrated to UNIX platform under the data centre architecture, which not only enhanced the processing capacity but also addressed the concerns of business continuity. Similarly, in case of large value payment systems, activation of hybrid features in the revamped real time gross settlement (RTGS) system has facilitated the settlement of transactions on a gross basis as well as through multilateral off-setting. Further, to enhance the efficiency and customer service aspects, acceptance of future value-dated transactions for settlement (up to three business days) has been activated, and the business hours of RTGS have been extended.

IX.15 With a view to mitigating certain risks in large value payment systems, the Clearing Corporation of India Limited (CCIL) took several initiatives. CCIL migrated its USD-INR settlement of inter-bank forex transactions to a payment *versus* payment (PvP) mode in April 2015 addressing the Herstatt risk[1]. It has carried out the first cycle of portfolio compression in the forex forward segment, achieving a compression of about 62 per cent and thereby, reducing counterparty exposure. CCIL is also carrying out exposure checks in the forex forward rupee derivatives segment on an online basis for interest rate swap (IRS)/forward rate agreement (FRA) trades which facilitate checking the adequacy of margins in advance and thereby, mitigating the risk of rejection of trades by CCIL.

Customer convenience and innovations

IX.16 With the objective of ensuring convenience in the use of the payment system and also to facilitate the migration to electronic payments, the policy guidelines related to PPIs, mobile banking, usage of ATMs and additional factor of authentication (AFA[2]) were amended.

IX.17 The guidelines for issuance of PPIs were rationalised in December 2014 to ensure its

[1] The risk that one party in a foreign exchange trade pays out the currency it sold but does not receive the currency it bought, is called foreign exchange settlement risk or "Herstatt" risk.

[2] AFA is a security process in which the user provides additional means of identification, one of which is typically a physical token, such as a card, and the other of which is typically something memorised, such as a security code.

increased usage. The limit for full-KYC semi-closed PPIs was enhanced from ₹50,000 to ₹100,000; the validity of gift cards was increased from one year to three years; banks were allowed to issue multiple PPIs for dependent family members from full-KYC compliant bank accounts. In order to provide convenience to visiting foreign nationals and NRIs and also to reduce cash transactions emanating from this segment, banks were allowed to issue rupee denominated open system non-reloadable PPIs to visiting foreign nationals and NRIs during their stay in India, with the permissible ceiling on such PPIs being ₹200,000 with cash withdrawal restricted to ₹50,000 per month.

IX.18 The guidelines on WLAs were reviewed to allow for acceptance of international credit/debit/ prepaid cards, besides the facility of dynamic currency conversion (DCC). WLA operators are now permitted to tie up with other commercial banks, besides the sponsor bank for supply of cash to the WLAs.

IX.19 Recognising the need for balancing aspects of security and convenience of card transactions, the requirement of AFA, which was earlier introduced for security of operations, was relaxed for small value card present transactions using contact-less EMV (*i.e.,* Europay, Mastercard and Visa) chip cards. Banks have also been advised to put in place suitable velocity checks while at the same time clearly indicate the maximum liability, if any, devolving on the customer.

Moving towards less cash

IX.20 Keeping in view the interoperable ATM infrastructure and the geographical dispersion of ATMs, the number of mandated free transactions at ATMs was rationalised in big cities. The minimum number of free transactions for savings bank account holders at other bank's ATMs was reduced to three per month from five in six metro centres. Further, banks were advised to provide their savings bank account holders with at least five free transactions per month at their own ATMs. Beyond the mandatory free ATM transactions, banks were permitted to charge their customers up to a maximum of ₹20 (plus service tax) per transaction. However, banks can put in place their own policies offering more number of free transactions at ATMs.

Sound legal framework and compliance with international standards

IX.21 A firm legal framework for payment systems is equally critical and hence, in conformity with the international standards, certain amendments to the PSS Act 2007 were introduced during the year.

IX.22 Following the global financial crisis, trade repositories (TR) and legal entity identifier (LEI) system have gained importance for strengthening the over the counter (OTC) derivatives markets. Further, the functioning of a central counter party (CCP) and legal certainty in the event of its insolvency is critical. In order to provide specific legal backing to close out netting in the event a CCP goes insolvent, as also for regulation and supervision of TR and local operating unit (LOU - an entity issuing LEI) by the Reserve Bank, after extensive deliberations by the Select Committee of the Rajya Sabha in which the Reserve Bank participated actively, amendments to the PSS Act, 2007 were carried out. This provides legal backing/ clarity to various issues like close-out netting in the event of insolvency of a CCP; regulating and supervising TR; LOU under the LEI system; and protection of customer funds for systems operated by authorised non-bank entities.

IX.23 In terms of focus areas in large value payment systems, efforts were directed at compliance with the Principles for Financial Market Infrastructures (PFMIs) by Financial Market Infrastructures (FMIs). Towards this end, the Committee on Payments and Market Infrastructures-

International Organisation of Securities Commissions (CPMI-IOSCO) which has been carrying out the Level 1 assessment[3] against PFMIs, has rated the Indian jurisdiction as "4"[4], *i.e.,* final implementation measures are fully in force.

Other initiatives

IX.24 The Reserve Bank organised an international seminar in November 2014 at Kovalam, Kerala, with a focus on the evolving role of central banks in retail payments, cash to cashless, role of non-banks in retail payments, innovations in retail payments, government payments and remittances, risk management and security and financial inclusion. A 'Payment Systems Innovations Day' was organised in December 2014 to provide a platform for presenting the various innovations taking place in payment systems. The Reserve Bank hosted the 14th SEACEN Advanced Course on Payment and Settlement Systems for Emerging Economies during May 2015 with a special focus on 'Resilience of Payment Systems to Cyber Crime'.

Agenda for 2015-16

IX.25 The Reserve Bank would continue to encourage innovation in payment systems and play the role of a facilitator keeping the focus on safety and efficiency of payment systems. Given the fast changing payment landscape, the Reserve Bank will prepare a vision document for a 2/3 years horizon. The work with respect to authorisation of entities for operating TReDS and BBPS will be completed in 2015-16.

IX.26 In line with the endeavour to disincentivise cash transactions and incentivise card transactions, measures for enhancing card acceptance infrastructure by acquiring banks will be examined and policy framework on ATMs and cash at POS will be reviewed along with the interchange/ merchant discount rate (MDR) structure in consultation with all the stakeholders.

IX.27 With the growing e-commerce segment in the country, the role of payment aggregators and intermediaries is also increasing significantly. The Reserve Bank will engage with stakeholders to explore the need/feasibility of having a direct/ indirect regulatory framework for these entities. An assessment of RTGS against PFMIs would be undertaken in 2015-16 by the Reserve Bank.

IX.28 CCIL has been identified as LOU for issuing LEI and endorsed as pre-LOU by the Regulatory Oversight Committee (ROC). It has since commenced issuance of LEI in India. A roadmap for use of LEI will be drawn in consultation with the Securities and Exchange Board of India (SEBI).

DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY

IX.29 The department continued to focus on the Reserve Bank's IT vision of enabling the use of information technology (IT) as a strategic resource for bringing about overall efficiency in the Reserve Bank's operations, improving standards of services being provided to its customers, strengthening governance and facilitating analytical and information based decision making in a safe and secure IT based environment. Information Technology Sub Committee (ITSC) of the Central Board continued to provide guidance in furthering this vision. ITSC met three times during 2014-15

[3] Whether jurisdictions have completed the process of adopting the legislation and other policies implementing the 24 Principles for FMIs and four of the five Responsibilities for authorities within the regulatory framework that applies to FMIs.

[4] Rating Level 1: Draft implementation measures not published; Rating Level 2: Draft implementation measures published; Rating Level 3: Final implementation measures published; Rating Level 4: Final implementation measures fully in force; Rating Level NA: No implementation measures needed (i.e., not applicable).

and discussed major issues relating to IT projects and information security in the Reserve Bank; data warehouse; audits pertaining to information security; operations of the data centres (DCs); efficacy of disaster recovery drills; and working of the office of the chief information security officer (CISO).

Agenda in 2014-15: Implementation Status

Enterprise knowledge portal (EKP)

IX.30 The revamped EKP, launched in November 2013 provides a knowledge sharing platform within the Reserve Bank. During 2014-15, the portal was further enhanced with features like e-learning modules and improved search options. They were well received by users resulting in increased usage of the portal.

Video conferencing (VC) system

IX.31 The VC within the Reserve Bank which was upgraded in 2013-14 witnessed large scale usage; 532 VC sessions involving multiple locations were held during 2014-15, in addition to point-to-point user-based sessions. This has reduced the need for physical meetings.

Mail messaging system (MMS)

IX.32 The Reserve Bank's corporate mail messaging system was reinforced with advanced archival solutions which ushered in ease of usage and enhanced security. The up-gradation work on hardware commenced during the year and after its installation, the migration process to the new system is expected to be completed by the end of September 2015**.**

Committee on data standardisation

IX.33 A Committee on Data Standardisation (Convener: Shri P. Parthasarathi) which was constituted to bring about synergy and uniformity in the efforts being undertaken in the areas of data reporting and data standardisation, placed its draft report in the public domain for feedback. Based on the inputs received, the committee has finalised its report. Work on implementation of the recommendations has since commenced.

Enhancements in core banking system (CBS) and stabilisation of e-treasury

IX.34 E-Kuber, the CBS of the Reserve Bank was introduced in 2012 for banks to participate in government borrowing programmes, liquidity adjustment operations and current account operations. During 2014-15, changes were made to e-Kuber to provide for the deployment of cash balances of the government (also see chapter VII). The Depositor's Education and Awareness (DEA) Fund scheme was implemented in e-Kuber at the very outset, enabling a flow of around ₹45 billion into the fund within two days. Treasury operations of the Department of External Investments and Operations of the Reserve Bank were successfully migrated from a legacy system to e-Kuber. This implementation, the first of its kind amongst central banks worldwide has brought in operational efficiency and unification of accounting processes.

Agenda for 2015-16

IX.35 The major initiatives planned for 2015-16 are discussed below.

Establishment of an IT subsidiary of the reserve bank

IX.36 Central banking operations have undergone a sea change thanks to the large scale integration of IT processes in banking. To handle the ever increasing complexities in a changing environment and to address cyber security and other related challenges, it is essential that a fully dedicated team of technical experts be continuously associated with this work. To this end, the Central Board of the Reserve Bank has approved the setting up of its IT Subsidiary. This initiative is being taken forward with guidance from experts in the industry.

Implementation of the electronic document management system (EDMS) within the Reserve Bank

IX.37 As a means towards large scale electronification of work processes within the Reserve Bank and to move towards a 'less paper' office environment, initiatives were undertaken to set up an electronic work flow and document management system along with data storage. The EDMS project, which commenced last year, is under progress. Given the enormous potential of the EDMS system on the overall efficiency of the Reserve Bank and its role in empowering its staff with knowledge, a comprehensive business process re-engineering (BPR) is being undertaken apart from evaluating the various software products available in the market. It is expected that a pilot implementation would commence during the first half of 2016.

Revamping of IT Infrastructure at DCs

IX.38 With the increased application systems operating from DCs and higher requirement of electric power, it is essential to improve the existing infrastructure at the DCs. Keeping in view the need to be environment friendly, work on virtualisation of hardware servers has commenced. As a first step, the migration of the RTGS system to a new IBM mainframe system was completed during the year.

Implementation of information security operating centre (ISOC)

IX.39 To handle enterprise wide IT security, ISOC is being set up. The project commenced with the issue of expression of interest (EOI) followed by the shortlisting of potential bidders. The tendering process has commenced and the project is expected to be completed by April 2016.

Extension of e-receipts and e-payments across all States using e-Kuber CBS

IX.40 The standardised e-receipt and e-payment functionalities using e-Kuber was demonstrated to most of the States, as well as in the recently held Conference of the State Finance Secretaries. In sequel, State Governments of West Bengal, Uttarakhand, Tamil Nadu and Kerala started using the system in 2014-15. The other states are at different stages of implementation. Efforts will be focussed on scaling up use of the system across all the major states in 2015-16.

Integrating currency management functions with CBS

IX.41 Accounting of currency movement and reporting is a potential area for integration with e-Kuber. A study of the system requirements, reverse presentation, discussions, design, development, testing and rollout of the modules will be undertaken during 2015-16 to facilitate its integration.

X GOVERNANCE, HUMAN RESOURCES AND ORGANISATIONAL MANAGEMENT

At the onset of its 81st year, the Reserve Bank rearticulated its core purpose, values and vision in 2014-15. The organisational structure was fine-tuned to create synergies and improve the effectiveness of the delivery mechanism. It continued to place focus on upgrading its human resources through training and providing diverse exposures. It also organised conferences, seminars and outreach programmes during the year to disseminate research and promote knowledge sharing. The Reserve Bank adopted an enterprise-wide risk management framework to ensure business continuity and for effectively managing various risks that it faces in its operations and functioning. It also took steps to focus on international financial diplomacy and participation in global regulatory standards.

X.1 This chapter discusses three critical ingredients of the Reserve Bank - governance, human resources and organisational management apart from covering the activities of a number of departments dealing with communication, international relations, banking services to the government and banks, forex reserves management, economic research, statistics, legal matters, corporate strategy and budgeting, corporate support services, Rajbhasha and premises. During 2014-15, the Reserve Bank sought to further improve its governance, management and operational framework through re-articulation of its core purpose, values and vision. The organisational structure was streamlined further to create functional synergies and optimise the delivery of output both in terms of quantity and quality keeping in view the evolving operating environment. Developing human resources through an appropriate incentive structure, including training, exposure and rotation to harness the potential of its staff members for effective delivery was a major area of focus. Through its communication policy, the Reserve Bank sought to reach out to the wider public in pursuance of transparency, knowledge sharing and creating awareness about financial risks faced by the public in day-to-day life. Risk management and audit operations of the Reserve Bank placed a greater focus on a holistic approach to ensure business continuity.

GOVERNANCE STRUCTURE

X.2 The Reserve Bank seeks to uphold the highest standards in corporate governance, independence and quality of decision making while discharging its core functions and staying committed to its values in terms of a corporate code of ethics. The governance structure of the Reserve Bank ensures that its general policy, strategy, administration and business are aligned with its core purpose and that the processes followed are compliant with its shared values. The Secretary's Department which acts as the secretariat to the Central Board provides support services to the top management.

X.3 The Central Board of Directors is the apex body in the governance structure. With the Governor in the chair, it comprises of four Deputy Governors of the Reserve Bank, Government nominees and independent directors, who are eminent achievers in different fields commensurate with the Reserve Bank's objectives. There are four Local Boards for the Northern, Southern, Eastern and Western areas of the country to take care of local interests. The Government of India appoints/nominates directors to the Central Board and members to Local Boards in accordance with the Reserve Bank of India (RBI) Act, 1934. The Central Board is assisted by three committees - Committee of the Central Board

(CCB), Board for Financial Supervision (BFS) and Board for Regulation and Supervision of Payment and Settlement Systems (BPSS). In addition, the Central Board also has four sub-committees – the Audit and Risk Monitoring Sub-Committee, the Human Resource Management Sub-Committee, Building Sub-Committee and Information Technology Sub-Committee.

Meetings of the Central Board and the CCB

X.4 The Central Board held six meetings in 2014-15 in Chennai, New Delhi (two meetings), Kolkata, Hyderabad and Goa. The Hon'ble Finance Minister of India addressed the two post-budget meetings held in New Delhi on August 10, 2014 and March 22, 2015. The Governor interacted with the chief ministers of the concerned state governments and senior officials of commercial banks and financial institutions on the sidelines of some of these meetings.

X.5 The CCB held 46 meetings during the year out of which 22 were held through electronic mode, obviating the need for physical assembly at a common location. The committee attended to the current business of the Reserve Bank, including approval of its Weekly Statement of Affairs pertaining to the Issue and the Banking departments. A Standing Committee of the Central Board held two meetings to discuss region-specific issues and concerns.

Central Board/ Local Boards – Changes

X.6 Shri Rajiv Mehrishi, Finance Secretary, Government of India and Dr. Hasmukh Adhia, Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India were nominated as Directors on the Central Board under Section 8(1)(d) of the RBI Act, 1934 with effect from November 25, 2014 and November 11, 2014 *vice* Dr. Arvind Mayaram and Dr. Gurdial Singh Sandhu, respectively. Shri Ajay Tyagi, Additional Secretary (Investment), Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Government of India was nominated by the Central Government as Director on the Central Board under Section 8(1)(d) of the RBI Act, 1934 in terms of notification dated June 22, 2015 *vice* Shri Rajiv Mehrishi.

X.7 Shri Kamal Kishore Gupta and Shri Mihir Kumar Moitra ceased to be members of the Northern Area Local Board with effect from August 25, 2014 and September 23, 2014, respectively, in terms of the provisions of Section 9(3) of the RBI Act, 1934.

Attendance of Directors

X.8 The details of participation of the directors in the meetings of the Central Board are given in Table X.1.

Table X.1: Attendance of Directors - 2014-15

Name	Appointed/ Nominated under RBI Act, 1934	No. of Meetings held	No. of Meetings Attended
1	2	3	4
Raghuram G. Rajan	8 (1) (a)	6	6
Harun R. Khan	8 (1) (a)	6	6
Urjit R. Patel	8 (1) (a)	6	5
R. Gandhi	8 (1) (a)	6	6
S.S. Mundra	8 (1) (a)	6	5
Anil Kakodkar	8 (1) (b)	6	5
Kiran S. Karnik	8 (1) (b)	6	6
Nachiket Mor	8 (1) (b)	6	6
Y.H. Malegam	8 (1) (c)	6	6
Dipankar Gupta	8 (1) (c)	6	3
G.M. Rao	8 (1) (c)	6	5
Ela Bhatt	8 (1) (c)	6	5
Indira Rajaraman	8 (1) (c)	6	6
Y.C. Deveshwar	8 (1) (c)	6	2
Damodar Acharya	8 (1) (c)	6	6
Arvind Mayaram*	8 (1) (d)	3	1
Gurdial Singh Sandhu**	8 (1) (d)	3	1
Hasmukh Adhia #	8 (1) (d)	3	1
Rajiv Mehrishi ##	8 (1) (d)	3	1

* : Ceased to be director w.e.f. November 25, 2014;
** : Ceased to be director w.e.f. November 11, 2014;
: Nominated as director w.e.f. November 11, 2014;
##: Nominated as director w.e.f. November 25, 2014.

Executive Directors - Changes

X.9 Shri B. Mahapatra and Shri G. Padmanabhan, Executive Directors retired on August 31, 2014 and May 31, 2015, respectively. Dr. Michael D. Patra, Shri K.K. Vohra and Shri G. Mahalingam were promoted as Executive Directors effective October 7, 2014. Smt. Meena Hemachandra was promoted as Executive Director effective June 1, 2015.

Obituary

X.10 Shri Suresh Neotia, Director of the Central Board from June 27, 2006 to September 23, 2011, passed away in Kolkata on May 7, 2015. Dr. A.P.J. Abdul Kalam, Director of the Central Board from November 27, 2000 to June 14, 2002 passed away in Shillong on July 27, 2015.

Visits of Foreign Dignitaries/Delegations

X.11 Twenty delegations from 12 countries visited the Reserve Bank during the year. They interacted with the top management on a wide range of bilateral and global issues and on the Reserve Bank's policy initiatives in different areas of its functioning. Foreign dignitaries who visited the Reserve Bank during 2014-15 included H.M. Queen Maxima of the Netherlands, United Nations' Secretary-General's Special Advocate for Inclusive Finance for Development; Rt. Hon. George Osborne, Chancellor of Exchequer, UK; Ms. Penny Pritzker, US Secretary of Commerce; Mr. Bill Gates and his team; Dr. Valiollah Seif, Governor, Central Bank of Iran; Rt. Hon. Alan Yarrow, Lord Mayor of the City of London; Hon. Andrew Robb, MP, Australian Minister for Trade and Investment; Mr. Jacob J. Lew, US Treasury Secretary; Mr. Stanley Fischer, Vice-Chairman, Central Board of Governors, Federal Reserve System and Ms. Christine Lagarde, Managing Director, IMF.

Measures to Improve Governance

X.12 Measures were taken during the year to enhance the quality of corporate governance while simultaneously reducing its cost. The Reserve Bank, as it entered the 81st year of its establishment, rearticulated, in contemporary terms, its core purpose as given in the preamble to the RBI Act, 1934 (Box X.1).

Box X.1
Reserve Bank of India: Core Purpose, Values and Vision Statement

As the Reserve Bank entered the 80th year of its existence, a need was felt to rearticulate in contemporary terms its core purpose as given in the preamble to the RBI Act, 1934, the founding statute of the Reserve Bank. The purpose was to delineate the Reserve Bank's strategic objectives and provide a framework and backdrop within and against which the Reserve Bank's policies will be formulated and the direction that it will chart. Accordingly, the Reserve Bank issued its 'Core Purpose, Values and Vision' statement in April 2015, which is available at the Bank's website.

Core Purpose

To foster monetary and financial stability conducive to sustainable economic growth and to ensure the development of an efficient and inclusive financial system.

The Core Purpose reflects the Reserve Bank's commitment to the nation:

To foster confidence in the internal and external value of the rupee, and contribute to macro-economic stability;

To regulate markets and institutions under its ambit to ensure financial system stability and consumer protection;

To promote the integrity, efficiency, inclusiveness and competitiveness of the financial and payments system;

To ensure efficient management of currency as well as banking services to the government and banks; and

To support the balanced, equitable and sustainable economic development of the country.

Values

The Reserve Bank of India commits itself to the following shared values that guide organisational decisions and employee actions in pursuit of the Reserve Bank's core purpose:

(Contd....)

Public Interest

The Reserve Bank of India, in its actions and policies, seeks to promote public interest and the common good.

Integrity and Independence of Views

The Reserve Bank of India seeks to maintain the highest standards of integrity and independence of views through openness, trust and accountability.

Responsiveness and Innovation

The Reserve Bank of India seeks to be a dynamic organisation responsive to public needs and encourages innovation and a spirit of enquiry.

Diversity and Inclusiveness

The Reserve Bank of India cherishes and supports diversity and inclusiveness.

Introspection and Pursuit of Excellence

The Reserve Bank of India is committed to self-appraisal, introspection and professional excellence.

Vision

The Reserve Bank of India is committed to pursue public interest and common good as a leading central bank that is recognised for its credible, transparent and proactive policies.

X.13 Important items to be placed before the Board are now brainstormed in an informal pre-Board meeting so as to improve the quality of decision making by the Board. The Reserve Bank of India General Regulations were amended during the year to enable fortnightly meetings of CCBs, if felt necessary in the future, in place of weekly meetings. In the forthcoming year, the Reserve Bank will continue to look for ways to further streamline the decision making process.

COMMUNICATION PROCESSES

X.14 The Reserve Bank has been pursuing a dynamic communication policy enabling swift response to domestic and international developments. The Department of Communication (DoC) as the nodal wing has endeavoured to build and nurture a fruitful partnership between the Reserve Bank and the public through a two-way communication: transparent, timely and credible dissemination and feedback.

Agenda for 2014-15: Implementation Status

Refurbishing the Website

X.15 In April 2015, a refurbished website of the Reserve Bank was launched providing a more user friendly access to function-wise information, search facility and an accessibility toolbar for users with disabilities. The website is now integrated with two social media sites, Twitter and YouTube. Accordingly, the Governor's post monetary policy conferences were disseminated *via* YouTube this year in addition to usual live streaming media.

Awareness Campaigns and Outreach Programmes

X.16 In view of increasing public victimisation to fictitious offers, the Reserve Bank undertook a campaign jointly with the Ministry of Consumer Affairs under its '*Jago Grahak Jago*' initiative to caution the public about the menace of fictitious mails. The public awareness drive was conducted in the print media. Besides, an awareness campaign was also carried out on security features of currency notes.

Workshops for Top Management, Officers and Media

X.17 During the year, two workshops on effective media management, one each for the top executives, and the newly appointed regional directors and chief general managers were conducted. A workshop on writing skills for managers and assistant general managers was also conducted. Besides, several informal briefings/workshops were arranged for the media on the Reserve Bank's reports and releases.

Review of Communication Policy

X.18 With the adoption of flexible inflation targeting, the role of communication has assumed further importance, particularly for anchoring

inflation expectations. In this backdrop as also in view of several external and internal developments, the communication policy of the Reserve Bank is currently being reviewed by a Committee (Chairman: Dr. Michael D. Patra) which is expected to submit its report during 2015-16. Towards improving internal communication in the Reserve Bank, two Banking Hall events for Reserve Bank employees were arranged with the Governor, one in Bangalore and the other in Chandigarh in 2015.

Agenda for 2015-16

X.19 During 2015-16, multi-pronged engagement/outreach/campaigns with stakeholders along those held last year will be continued. It is planned to add social media like Facebook and LinkedIn to the Reserve Bank website, making it accessible to youth. A workshop for media in Nepal is scheduled to be conducted during 2015-16. Follow up steps will also be taken in the light of the forthcoming report of the Committee to Review the Communication Policy of the Reserve Bank.

HUMAN RESOURCE INITIATIVES

X.20 The Reserve Bank has a wide canvas of operations, requiring a robust set of internal capabilities to fulfill its mandate. The human resource strategies and initiatives led by the Human Resource Management Department (HRMD) are, therefore, designed and developed as a two-way interface between the environment, the internal capacities, the setting of goals at the corporate level as well as at the department and functional levels.

Agenda for 2014-15: Implementation Status

X.21 In 2014-15, organisational restructuring was carried out by the Reserve Bank following a cluster approach, that is, by clubbing closely related work areas to better serve the evolving financial sector (Box X.2).

Training

X.22 The skill and knowledge development initiatives focused on strengthening technical and

Box X.2
Organisational Restructuring of the Reserve Bank

The Reserve Bank has, in the recent past, been deliberating on a range of strategic considerations for adopting a more flexible and responsive organisational structure for enhanced performance in an increasingly dynamic business environment. As part of this process, a Committee on Organisational Restructuring of the Reserve Bank (Chairman: Shri Deepak Mohanty; Co-Chairman: Shri B. Mahapatra) was set up. Broadly based on the recommendations of the committee and the outcomes of an elaborate internal consultative process, the organisational restructuring of the Reserve Bank was effected from November 3, 2014.

As part of the restructuring exercise, two new departments have been constituted in the Reserve Bank: (i) Department of Corporate Services, and (ii) International Department. Alongside, some of the existing departments have been rechristened and new units set up/being set up within some departments as detailed in Tables 1-3.

Table 1: Renaming of the departments

Old Nomenclature	New nomenclature
Department of Banking Operations and Development (DBOD)	Department of Banking Regulation (DBR)
Rural Planning and Credit Department (RPCD)	Financial Inclusion and Development Department (FIDD)
Customer Services Department (CSD)	Consumer Education and Protection Department (CEPD)
Department of Expenditure and Budgetary Control (DEBC)	Corporate Strategy and Budget Department (CSBD)

(Contd....)

Table 2: Creation/carving out of new departments

Existing department	Name of the new department	Remarks
Urban Banks Department (UBD)	Department of Cooperative Bank Regulation (DCBR) Department of Cooperative Bank Supervision (DCBS)	UBD will cease to exist
Financial Markets Department (FMD)	Financial Markets Regulation Department (FMRD) Financial Markets Operations Department (FMOD)	FMD will cease to exist
Department of Non-Banking Supervision (DNBS)	Department of Non-Banking Regulation (DNBR) Department of Non-Banking Supervision (DNBS)	Regulation hived off from DNBS

Table 3: Creation of new units

Existing department	Name of the new unit
Department of Statistics and Information Management (DSIM)	Data and Information Management Unit (DIMU) within DSIM.
Monetary Policy Department (MPD)	Forecasting and Modelling Unit within MPD.
Human Resource Management Department (HRMD)	HR Operations Unit within HRMD.
Financial Markets Regulation Department (FMRD)	Market Intelligence Unit within FMRD.

Similarly the regional offices (ROs) of the Reserve Bank have been categorised into three tiers. Tier-I or Metro ROs will now comprise of four offices of the Reserve Bank in Mumbai, New Delhi, Kolkata and Chennai. Tier-II or Non-Metro ROs will comprise 14 ROs; (i) Ahmedabad; (ii) Bengaluru; (iii) Bhopal; (iv) Bhubaneswar; (v) Chandigarh; (vi) Guwahati; (vii) Hyderabad; (viii) Jaipur; (ix) Jammu; (x) Kanpur; (xi) Lucknow; (xii) Nagpur; (xiii) Patna; and (xiv) Thiruvananthapuram. Tier-III ROs will comprise of 10 small offices: (i) Agartala; (ii) Belapur; (iii) Dehradun; (iv) Gangtok; (v) Kochi; (vi) Panaji; (vii) Raipur; (viii) Ranchi; (ix) Shillong; and (x) Shimla.

The restructured ROs depending on size and volume of work will have the following clusters:

Tier I and II will have four clusters: (i) Supervision, Market Intelligence and Research; (ii) Currency and Banking Services; (iii) Financial Inclusion and Customer Service; and (iv) Human Resources Management (HRM) and Infrastructure.

Tier III will have three clusters: (i) Supervision and Market Intelligence; (ii) Financial Inclusion/Financial Literacy, Public Awareness, Customer Service, and Research; and (iii) HRM and Infrastructure.

It is expected that this organisational restructuring will bring greater managerial synergies and also allow the Reserve Bank staff members to better develop their expertise in various key work areas.

behavioural skills so as to facilitate personal growth and improve effectiveness at work. Six training establishments of the Reserve Bank catered to its training requirements (Table X.2).

Training at External Institutions

X.23 During 2014-15, a number of officers were deputed to participate in training programmes, seminars and conferences organised by external

Table X.2: Reserve Bank Training Establishments: Number of Programmes Conducted (July-June)

Training Establishment	2012-13		2013-14		2014-15	
	Programmes	Participants	Programmes	Participants	Programmes	Participants
1	2	3	4	5	6	7
RBSC, Chennai	126	2,676	105	2,560	141	2,626*
CAB, Pune	164	5,105	127	3,909	215	7,183@
4 ZTCs (Class I)	116	2,526	99	2,222	104	2,215
4 ZTCs (Class III)	64	1,492	70	1,510	98	2,036
4 ZTCs (Class IV)	58	1,184	37	725	53	1,041

*: Includes 30 foreign participants; @: Includes 63 foreign participants; RBSC: Reserve Bank Staff College, Chennai; ZTC: Zonal Training Centre.

management/banking institutions in India and abroad (Table X.3). Further, a number of Class III and Class IV employees were trained in external institutions in India.

Golden Jubilee Scholarship and Study Leave

X.24 Under the Golden Jubilee Scholarship Scheme, six officers were selected to pursue higher studies in reputed universities abroad. Ten officers availed study leave under different schemes for pursuing higher studies during the year. Further, 599 employees pursued select part-time/distance education courses under the Reserve Bank's incentive scheme.

Grants and Endowments

X.25 Towards promoting research, training and consultancy in the banking and financial sector, the Reserve Bank provided financial support of ₹300 million to the Indira Gandhi Institute of Development Research (IGIDR), Mumbai; ₹140 million to the Centre for Advanced Financial Research and Learning (CAFRAL), Mumbai; ₹18.4 million to the National Institute of Bank Management (NIBM), Pune; ₹6.9 million to the Indian Institute of Bank Management (IIBM), Guwahati; and ₹10 million to the London School of Economics (LSE) India observatory and the IG Patel Chair.

RBIQ

X.26 Almost 5,000 schools and 10,000 students participated in RBIQ 2014, an all-India inter-school quiz launched by the Reserve Bank in 2012. It was held at 62 different locations all over India. The zonal and national finals were conducted in Mumbai and telecast on Doordarshan's National Channel.

Table X.3: Number of Officers Trained in External Training Institutions in India and Abroad

Year	Trained in India	Trained abroad
1	2	3
2012-13	874	510
2013-14	798	530
2014-15	913	562

Industrial Relations

X.27 Industrial relations remained by and large peaceful during 2014-15. Periodic meetings were held with recognised associations of officers and employees/workmen on various issues relating to service conditions and welfare of employees.

Superannuation Benefits

X.28 In 2003, the Reserve Bank, with the approval of the Central Board, had made some improvements in the monthly pension paid to employees who retired prior to November 1, 1997. However, the government had observed that the improvements in the pension scheme could not be effected without suitably amending Regulation 2(2) of the RBI Pension Regulations, 1990 and requested the Reserve Bank for their withdrawal. In October 2008, these improvements in monthly pension were withdrawn by the Central Board. This was, however, challenged in the High Court of Judicature in Bombay, where the Hon'ble High Court set aside the Reserve Bank's circular regarding withdrawal of improvements. Since then, there has been persistent demand from all the pensioners/retirees for improvements in pensions. However, the matter remains unresolved till date, though the Reserve Bank and the Government are fully engaged with the issue.

Recruitment and Staff Strength

X.29 With the recruitment of 784 employees in 2014, the total staff strength as on December 31, 2014, stood at 16,794 as compared with 17,360 a

Table X.4: Recruitment by the Reserve Bank in 2014 (January-December)

Category of recruitment	Category-wise strength				
	Total	*of which*		Per cent of total	
		SC	ST	SC	ST
1	2	3	4	5	6
Class I	182	27	13	14.8	7.1
Class III	120	15	7	12.5	5.8
Class IV					
(a) Maintenance Attendant	365	81	5	22.2	1.4
(b) Others	117	12	4	10.3	3.4
Total	**784**	**135**	**29**	**17.2**	**3.7**

SC: Scheduled Castes; ST: Scheduled Tribes.

year ago, the category-wise details of which are presented in Tables X.4 and X.5.

X.30 The Reserve Bank's management and representatives of the All India Reserve Bank Scheduled Castes/Scheduled Tribes and the Buddhist Federation met on four occasions in 2014 to discuss issues relating to the implementation of reservation policy in the Reserve Bank. The total number of Other Backward Classes (OBCs) (recruited after September 1993) in the Reserve Bank as on December 31, 2014, stood at 1,870, of which 533 were in Class I, 604 in Class III and 733 in Class IV.

X.31 The total strength of ex-servicemen in the Reserve Bank as on December 31, 2014, was 1,005. Out of these, 200 were in Class I, 147 in Class III and 658 in Class IV. The total number of physically handicapped employees in Class I, Class III and Class IV cadres stood at 234, 89 and 105 respectively, as on December 31, 2014. The cadre-wise composition of the staff strength as on June 30, 2015, is presented in Table X.6.

X.32 The Reserve Bank's offices in Mumbai (including the Central Office departments) continued to have the maximum share of total staff strength at 29.2 per cent (Table X.7).

Prevention of Sexual Harassment of Women at the Workplace

X.33 A new comprehensive set of guidelines was issued in 2014-15 in accordance with the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prohibition, Prevention and Redressal) Act and Rules, 2013. The guidelines prescribe, among others, strict timelines for handling complaints and bestow significant powers, including levy of penalty to internal complaints committees. While no sexual harassment complaints were received in the Reserve Bank in 2014, awareness/orientation programmes at periodic intervals were conducted to sensitise staff/members of complaint committees on the legal provisions and the Reserve Bank's new guidelines in the matter.

Table X.5: Staff Strength of the Reserve Bank

Category	Category-wise strength						Per cent to total strength	
	Total Strength		SC		ST		SC	ST
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Class I	7,864	7,565	1,133	1,128	499	479	14.9	6.3
Class III	3,916	3,573	586	499	252	193	14.0	5.4
Class IV	5,580	5,656	1,764	1,740	463	446	30.8	7.9
Total	**17,360**	**16,794**	**3,483**	**3,367**	**1,214**	**1,118**	**20.0**	**6.7**

Note: Position as on December 31.

Table X.6: Reserve Bank's Staff Strength
(as on June 30, 2015)

Grade	Staff Strength
1	2
Grade A	4,077
Grade B	1,552
Grade C	1,025
Grade D	271
Grade E	353
Grade F	101
Total in class I	**7,379**
Special Assistant	815
Senior Assistant	247
Assistant	2,381
Word Processor Assistant	173
Secretarial Assistant	32
Others	272
Total in class III	**3,920**
Maintenance Staff	1,395
Technical Staff	135
Service Staff	3,127
Others	715
Total in class IV	**5,372**
Total Staff Strength	**16,671**

Table X.7 : Reserve Bank's Office-wise Staff Strength
(As on June 30, 2015)

Office (including sub-offices)	Class I	Class III	Class IV	**Total**
1	2	3	4	**5**
Agartala	10	5	0	**15**
Ahmedabad	275	168	231	**674**
Belapur	132	53	178	**363**
Bengaluru	460	185	220	**865**
Bhopal	153	126	123	**402**
Bhubaneswar	148	115	170	**433**
Chandigarh	195	105	117	**417**
Chennai	433	340	354	**1,127**
Dehradun	19	6	2	**27**
Gangtok	8	0	0	**8**
Guwahati	195	136	187	**518**
Hyderabad	311	158	243	**712**
Jaipur	216	148	181	**545**
Jammu @	97	56	59	**212**
Kanpur	215	164	267	**646**
Kochi	33	34	29	**96**
Kolkata	482	427	442	**1,351**
Lucknow	150	106	146	**402**
Mumbai	609	325	959	**1,893**
Nagpur	240	205	234	**679**
New Delhi	501	236	294	**1,031**
Panaji, Goa	16	3	3	**22**
Patna	181	144	218	**543**
Pune-CAB-CRDC-ITP	66	37	69	**172**
Raipur	20	6	0	**26**
Ranchi	16	7	0	**23**
Shillong	9	5	0	**14**
Shimla	14	6	0	**20**
Thiruvananthapuram	209	115	131	**455**
Total	**5,413**	**3,421**	**4,857**	**13,691**
CODs #	**1,966**	**499**	**515**	**2,980**
Grand Total	**7,379**	**3,920**	**5,372**	**16,671**

CAB : College of Agricultural Banking;
CRDC: Central Records and Documentation Centre;
ITP : IMF Training Programme, Pune.
@ : Includes Srinagar Sub-Office.
: Central office departments including DICGC.

Right to Information (RTI)

X.34 The Reserve Bank received 8,044 requests for information and 1,021 first appeals under the RTI Act during 2014-15, all of which were attended to. Effective February 27, 2015, the Reserve Bank has aligned with the RTI online portal of the Government enabling the public to file online RTI applications and first appeals with the Reserve Bank. Four training programmes on the RTI Act for employees were conducted at the Reserve Bank's training centres.

Samadhan and Other Initiatives

X.35 The Reserve Bank has undertaken a HR transformation project, named *Samadhan*, to deliver uniform, automated and rule-based HR services to its employees, including payroll and employee benefits. The *Samadhan* application, based on SAP will be available to employees on desktop, mobile and tablet platforms on a 24x7x365 basis irrespective of location. The workflows of *Samadhan* will have minimum human intervention for expeditious delivery of services. With the launch of *Samadhan,* an HR Operations Unit has been set up at Bengaluru to centrally process establishment

transactions of all employees. It has also been decided to set up a business continuity site in New Delhi. With a view to rationalising administrative costs, a Centralised Administrative Unit in Mumbai has been established to cater to the needs of all Central Office departments in Mumbai.

Performance Management System (PMS) and Job Profiles

X.36 Key Result Area (KRA)-based PMS is in vogue from 2013-14 coupled with a ranking model from the first cycle of review. Further, job profiles across work areas are being compiled for identifying required competencies, developing these competencies and standardising for similar positions across regional offices. The job profiles for senior officers will be finalised by September 2015 and for officers in Grade 'B' and 'C' by March 2016.

Senior Management Retreat and Other Developments

X.37 The Reserve Bank's Senior Management Retreat for 2014 was held in Mussoorie with the broad theme, '*RBI @80: Looking Back, Looking Ahead'*. As part of inter-institutional arrangement for knowledge sharing, a joint international seminar, 'Financial Stability: Issues and Concerns' was held in collaboration with the European Central Bank (ECB) at the College of Agricultural Banking, Pune in May 2015.

Agenda for 2015-16

X.38 Taking forward the efforts to evaluate capabilities available within the organisation, HRMD plans to work in 2015-16 on all associated HR areas like recruitment, placement mechanisms, fine-tuning the internal processes post organisational restructuring, talent spotting, talent management and continuous capacity building. These initiatives are likely to contribute towards more open and transparent HR and administration processes and procedures.

RBI Academy

X.39 The Reserve Bank plans to set up an Academy as a residential facility with state-of-the-art infrastructure in Navi Mumbai, primarily for integrated learning and development of its staff including e-learning. Going forward, the Academy will also conduct training for foreign central banks including those from South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) and other regions to promote external cooperation and cross learning.

A Competency based HR Framework

X.40 Going forward, the HR framework is envisaged to be competency based for career planning, placement, targeted learning and succession planning, leading to integrated HR processes. Therefore, a functional and behavioural competency set for each job role needs to be assessed coupled with the evaluation of competencies of the available human resources. Assessment centres will be set up for assessing the behavioural competency mapping of the staff.

Structured e-learning

X.41 The Reserve Bank is introducing structured e-learning for its staff. In the first phase, e-learning modules will primarily be umbrella courses targeted at larger groups of staff members and specific courses positioned as complementary to classroom courses. In addition, webinars will be used for wider dissemination of knowledge.

Common Cadre Recruitment

X.42 There will be a common recruitment process for officers in Grade B from 2015 onwards. For this purpose, a new scheme of selection is being framed in consultation with the Reserve Bank of India Services Board and the Institute of Banking Personnel Selection. The recruitment cycle is

expected to shorten with the forthcoming new scheme of selection. Phase I examination for common recruitment is likely to be held in November 2015.

ENTERPRISE-WIDE RISK MANAGEMENT IN THE BANK

X.43 The adoption of the Enterprise-wide Risk Management (ERM) framework in February 2012 by the Reserve Bank marked a move from a 'silo-based' approach to a 'whole-of-business' perspective to risk management. Accordingly, the Risk Monitoring Department (RMD) envisaged a three-phased ERM rollout plan for the Reserve Bank.

X.44 As per the *three-lines-of-defence* approach to ERM adopted by the Reserve Bank, the Business Areas (BAs) represent the first line of defence as the BAs identify and manage their respective risks, while the Risk Monitoring Department (RMD) as the second line supports all BAs in the identification of significant risks, formulates risk policies, provides a risk assessment methodology, reports the risks to the Risk Governance Structure (RGS) and works to foster a risk culture in the Reserve Bank (Box X.3). Finally, the Internal Audit function which constitutes the third line of defence provides risk assurance to RGS through the risk-based audit process.

Agenda for 2014-15: Implementation Status

X.45 The risk-reporting structure was put in place in 2013-14 with the development of guidelines and

Box X.3
Operational Risk Monitoring Framework in Central Banks

The Basel Committee on Banking Supervision defines operational risk (OR) as 'the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events'. Central banks too are exposed to operational risks and, being risk-sensitive institutions, closely monitor their actual and potential operational risk exposures. However, there are no international benchmarks for monitoring operational risks in central banks. The International Operational Risk Working Group (IORWG) of over 61 central banks, including the Reserve Bank of India and the Bank for International Settlements acts as a centre of competence on Operational Risk Management (ORM). The ORM framework adopted by most of the central banks typically includes a risk assessment methodology, risk repositories and heat map(s), apart from incident reporting systems and periodic risk surveys.

Risk assessment methodology generally uses a combination of the likelihood of occurrence and severity of impact of a risk event to rate its riskiness on a graduated scale (say, high, significant or acceptable). The likelihood of occurrence of a risk event could be derived from both quantitative and qualitative factors. The impact of occurrence of an operational risk event on an organisation could be classified as financial impact, disruption in business operations / customer service, (negative) impact on reputation of the entity, or a combination of any of the three.

Risk Repository, also called Risk Register, contains the enumeration of each process/activity of an entity, the description of its associated risks at the inherent level, the controls in place to mitigate the inherent risks and the remaining, that is, Residual Risk after taking the controls into account.

Heat Map is a visual representation of the risk profile of a business area as it provides a colour-coded presentation of various risks. The heat map also depicts the migration of processes across risk zones on account of application of controls. The Incident Reporting System creates institutional memory on OR incidents with a view to promoting organisational learning and quantification of OR for building capital buffers. Risk surveys, on the other hand, enable on-going updating of the risk profile of the organisation by capturing existing as well as emerging risks in the operating environment.

As the risk culture of an organisation impacts the very identification and, thus, the articulation of its risks, a campaign has been launched by the Reserve Bank to enhance risk awareness among its staff so as to deepen and widen the risk culture in the institution. This will be reinforced by providing a computerised environment for risk monitoring to enable access to a risk database by Business Areas. Also, work is underway for implementing a consistent approach to rating of risks in the Reserve Bank. Risk surveys will continue to be used as a tool for identification and monitoring of emerging risks in Business Areas as well as for the Reserve Bank as a whole.

templates for preparation of risk registers for generating risk profiles of the BAs along with the establishment of an Incident Reporting System for building an institutional memory of actual and near-miss incidents. Five of the identified BAs have completed the Risk Registers and work is in progress in 27 other BAs. A vigorous risk management awareness campaign for strengthening the risk culture in the Reserve Bank was initiated during the year.

X.46 A draft Economic Capital Framework (ECF) for the Reserve Bank was formulated during the year to assess the Reserve Bank's capital and internal reserves position in a structured and systematic manner (Box X.4). Besides, designing and implementing a Risk Appetite Framework

Box X.4
Risk Management and Economic Capital in Central Banks

The public policy mandate of central banks makes the context of their risk management materially different from that of commercial entities, and necessitates the focus of their risk management to be on preserving and facilitating their policy efficacy, rather than profit maximisation. This principle of 'policy predominance' in pursuit of public interest often requires central banks to assume considerable financial risks on their balance sheets. For instance, the Reserve Bank of India maintains national forex reserves, constituting almost three-fourth of its balance sheet, in fulfilling its core purpose of fostering confidence in the external value of the rupee. While the reserves do buffer the country against external shocks, they also expose the Reserve Bank to considerable exchange rate risks. Such risks, which cannot be hedged, have to be carried by the Reserve Bank.

A central bank's role in fostering monetary and financial stability also exposes it to a wider range of risks, including losses arising from market interventions, lender of last resort (LOLR) role, market maker of last resort (MMLR) role and quasi-fiscal operations. Importantly, these mandates can at times require central banks to adopt a counter-intuitive approach to risk and assume increased risk on to their balance sheet, during times of systemic financial stress in order to de-risk the financial system.

A central bank's risks can be substantial and, consequently, its losses are neither as rare nor insignificant as is usually assumed. In the recent period, while a number of central banks in developed economies have suffered losses, central banks in emerging/developing economies suffered losses through the 1980s and 1990s also. Interestingly, this happened despite the seigniorage income accruing all along to these central banks, which is an important source of their financial strength.

Given these unique challenges, the general approach towards financial risk management in central banks is that while they do not actively manage risks arising from policy actions, they seek to ensure that their balance sheets have sufficient financial resilience to absorb these risks. Thus, they maintain sufficient economic capital, supplemented by risk-transfer/dividend-smoothening mechanisms.

Central banks as providers of domestic liquidity require capital not to remain going concerns but to ensure policy efficacy and credibility with regard to the ability to achieve their objectives. Weak finances can move central banks to either rely on generating excessive seigniorage income, which may come in conflict with their price-stability objective, or seek recapitalisation from the government, which could impact their autonomy.

The capital requirements of a central bank can vary considerably depending on a number of factors, *inter alia*:

- *The size of shocks and scope of a central bank's mandate*: The wider the area of responsibilities of a central bank, greater the risks and, hence, higher the requirement of capital.
- *The accounting policy framework adopted by central banks*: Central banks which periodically recognise changes in valuation of assets will see greater variability in their financial positions, which increases capital requirements.
- *Institutional arrangements*: Statutory provisions for a central bank's recapitalisation as well as risk transfer mechanisms can reduce its capital requirements, though not eliminate them.
- *The fiscal space available with the sovereign*: A central bank may require recapitalisation, precisely at a time when the fiscal position is under strain, say, due to a financial crisis. This strengthens the case for *ex ante* capitalisation of a central bank, rather than *ex post* recapitalisation.

The European Central Bank and the central banks of Australia, Austria, Belgium, France, Finland, Germany,

(Contd....)

Italy, Netherlands, Norway, New Zealand, Singapore and Sweden use methodologies, such as value-at-risk, expected shortfall, stress tests and other risk models to determine their adequacy of reserves/risk provisions. The central bank of New Zealand has in place a well-developed economic capital framework to model its capital requirements. The Reserve Bank of India is also seeking to put in place an economic capital framework. The exercise is a challenging one as the Reserve Bank plans to cover not only the risks in its balance sheet but also its 'contingent risks' which arise from its public policy role in fostering monetary and financial stability.

References:

Bascand, Geoff (2015), 'Central bank performance, financial management and institutional design', Speech at the National Asset-Liability Management Europe Conference, London, March 12.

Cukierman A. (2011), 'Central Bank Finances and Independence – How Much Capital Should a Central Bank Have?' in S. Milton and P. Sinclair (eds), *The Capital Needs of Central Banks*.

Schobert, F. (2008), 'Why do central banks make losses?' *Central Banking Journal,* February.

(RAF) for the Reserve Bank was also envisaged during the year.

Agenda for 2015-16

X.47 In the coming year, ECF is expected to be refined and implemented in the Reserve Bank. RAF, which is under development, is also planned for induction. The finalisation of risk registers of all BAs will bring out the risk profile/heat map of each BA, regional office and the organisation as a whole. The Incident Reporting System will help identify patterns across incidents with a view to effectively preventing/managing such events in the future. Risk surveys will be conducted to support the monitoring of the emerging risks as also to review top risks. Efforts for creating risk awareness at all levels and across all locations will continue to be pursued for deepening the risk culture in the organisation.

INTERNAL AUDIT/INSPECTION IN THE RESERVE BANK

X.48 Internal audit/inspection undertaken by the Inspection Department of the Reserve Bank examines and reports on the adequacy and reliability of its risk management, internal controls and governance processes under a robust risk based internal audit (RBIA) framework and provides regular feedback to the Audit and Risk Management Sub-Committee (ARMS) of the Central Board.

Agenda for 2014-15: Implementation Status

X.49 The audit plan for January-December 2014 was fully implemented. A panel of information system (IS) auditors was prepared, training imparted and IS audits are being carried out by these empanelled auditors as part of RBIAs. A seminar on 'Internal Audit and Enterprise-wide Risk Management for Central Bankers in the SAARC Region' was held in February 2015. The plan for a comprehensive Audit Management System (AMS) could not materialise as the risk registers were being prepared in various central office departments (CODs). As regards vulnerability assessment and penetration testing (VAPT), a Technical Advisory Group (TAG) has been constituted to empanel external auditors for carrying out VAPT.

Agenda for 2015-16

X.50 For 2015-16, the department will focus on: i) ensuring a smooth and seamless transition from a largely compliance based audit to RBIA on the basis of risk registers in CODs/regional offices (ROs); ii) identifying an appropriate AMS application suitable for the Reserve Bank which will provide an integrated solution for audit process; iii) undertaking VAPT of corporate e-mail and real time gross settlement (RTGS) applications; iv) appointing concurrent auditors as per the revised procedure / parameters; and v) developing appropriate guidelines for project audits with respect to all new

estate, IT related and other projects and also assisting the respective user departments in their implementation.

INTERNATIONAL RELATIONS

X.51 In the aftermath of the global financial crisis and growing engagement with multilateral institutions, the Reserve Bank constituted a dedicated International Department as in many other central banks. The department acts as the nodal point for international financial diplomacy to further India's national interests and seeks to play a pivotal role in international macroeconomic coordination and global regulatory standard-setting.

Agenda for 2014-15: Implementation Status

Central Bank Swap Arrangements

X.52 The department carried forward the background work on the BRICS (Brazil, Russia, India, China and South Africa) Contingent Reserve Arrangement (CRA). This contributed to the signing of the CRA Treaty on July 15, 2014 in Fortaleza, and the Inter-Central Bank Agreement (ICBA) on July 7, 2015 in Moscow. The Reserve Bank provided US$ 400 million support to the Central Bank of Sri Lanka under the SAARC swap arrangement and a further US$ 1.1 billion facility under a special/ad hoc swap agreement.

Engagement with Multilateral Institutions

X.53 As the nodal agency, the department coordinated the work relating to the Basel Committee of Banking Supervision (BCBS), Committee of Global Financial System (CGFS) and Committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI). The department also coordinated with various standing committees/groups of the Financial Stability Board (FSB). In the G20 forum, work relating to the Framework Working Group (FWG) and the Investment and Infrastructure Working Group (IIWG) were attended to. The department coordinated the Article IV consultation with International Monetary Fund (IMF) and has also been engaged in issues of the General Review of Quotas.

SAARCFINANCE (SF)

X.54 Amongst the SF initiatives, the Reserve Bank and the State Bank of Pakistan have initiated, along with other SAARC countries, a collaborative study on capital flows. The SF scholarship scheme, implemented through the department, awarded four scholarships for the academic year 2015-16. In the second half of 2014-15, after the constitution of the department, it handled visits by 23 foreign groups/ delegations to the Reserve Bank.

Agenda for 2015-16

X.55 In 2015-16, the department will work towards operationalisation of CRA, creation of a SF database, preparing position papers on key issues of negotiations in the global fora, coordination of the FSB Peer Review, Financial Sector Assessment Programme (FSAP) by the Fund-Bank and Article IV consultations with IMF. India will be assuming the BRICS chairmanship in 2016. Working out meetings, agendas and plans for this in coordination with the Government, will also occupy the attention of the department.

GOVERNMENT AND BANK ACCOUNTS

X.56 The Department of Government and Bank Accounts (DGBA) looks after the accounts of the governments as well as the Reserve Bank. In the area of accounting and its presentation, the Reserve Bank has been moving towards greater transparency through its annual accounts/financial statements. For transparent conduct of government banking business and its own internal accounting processes, the Reserve Bank has been leveraging on IT resources to provide better and more efficient services.

Agenda for 2014-15: Implementation Status

X.57 Some of the accounting policy changes as suggested by statutory auditors and Technical

Committees (I and II) were implemented. Accordingly, repo and reverse repo transactions are now being treated as lending and deposit transactions respectively as against sale and purchase transactions earlier. Further, changes in policies on capitalisation/depreciation of building and machinery, impaired assets and recognition of accrued dividend were effected.

Agenda for 2015-16

X.58 In line with the recommendations of Technical Committee-I, the formats of weekly accounts, balance sheet and profit and loss account were revised with effect from July 17, 2015, in consultation with the Government, by amending the RBI Act, 1934 and the RBI General Regulations, 1949. Technical Committee-I had recommended that rupee securities be carried at fair value and any unrealised gain or loss be transferred to the Investment Revaluation Account. This will be made applicable from 2015-16.

X.59 A Working Group constituted in February 2015 to review the system of inspection of government business in agency banks is expected to submit its report by end-August 2015. Accordingly, inspection of government business in agency banks is set to be revamped. A Working Group on Business Process Reengineering (BPR) of government business comprising members from concerned government agencies, the Reserve Bank and agency banks is expected to submit its report by October 2015. BPR for government business will be undertaken subsequently.

MANAGING FOREIGN EXCHANGE RESERVES

X.60 The Department of External Investments and Operations (DEIO) manages the country's foreign exchange reserves. With its increasing size, it has become imperative to strengthen the accounting, valuation methods, risk management practices and IT infrastructure including disaster management for the purpose of managing the foreign exchange reserves.

Agenda for 2014-15: Implementation Status

X.61 During the year, market and asset class diversification was pursued within the over-arching framework of safety, liquidity and returns, under the overall guidance of the high level and internal strategy committees. In line with Technical Committee-II's recommendations, the accounting refinements were carried out by June 30, 2014, for forward contracts, entered into by the Reserve Bank for intervention operations, and swaps at off-market rates that are in the nature of repos. The existing treasury system was replaced by a new state-of-the-art system in October 2014 and integrated into the Reserve Bank's Core Banking Solution. Certain international best practices for managing credit, market and operational risks were implemented during the year and documented. A more robust disaster recovery mechanism with a focus on regular drills has been put in place.

Agenda for 2015-16

X.62 The remaining recommendations of Technical Committee-II, particularly relating to valuation changes in foreign currency assets (FCA) and gold, are on the agenda for 2015-16. The Reserve Bank aims to stabilise live operations from alternate locations towards mitigating the impact of disaster induced disruptions. The Reserve Bank will continue its efforts at refining the strategy and tactics of portfolio management to enhance returns in a low earning environment without sacrificing the objectives of liquidity and safety.

ECONOMIC AND POLICY RESEARCH

X.63 Research is a critical activity in central banks. In the Reserve Bank, the Department of Economic and Policy Research (DEPR) is entrusted with the task of providing research inputs and MIS (management information system) services in economic and policy related issues. The department

is envisaged to evolve and establish itself as a knowledge centre in policy-oriented research in macroeconomics and monetary policy issues. The department pursues an issue-based medium-term research agenda.

Agenda for 2014-15: Implementation Status

X.64 The department brought out its flagship publications - Annual Report, Study on State Finances and RBI Bulletin. Four outreach seminars were held at various centres, mostly universities, during the year to disseminate the main messages of the Annual Report 2013-14 of the Reserve Bank. The print-version of the Weekly Statistical Supplement (WSS) was discontinued from January 2015 while ensuring its online availability. There was regular compilation and dissemination of primary statistics on monetary aggregates, balance of payments, external debt, household financial savings and flow of funds. During the year, work relating to the Reserve Bank's history Volume V covering the period 1997-2007 was initiated.

X.65 During 2014-15, 40 research papers were completed, of which nine were published in external domestic and foreign journals. Besides, the Reserve Bank Occasional Papers (the research journal of the Reserve Bank) carried seven research papers. The research papers covered multiple areas of interest: inflation dynamics, exchange rate, asset quality in the banking sector, monetary policy transmission, financial stability and impact of taper talk. Towards promoting research, several initiatives were undertaken in 2014-15, such as instituting best research paper award, allowing co-authorship by the Reserve Bank staff with outside researchers/ experts for the Reserve Bank Working Papers and Occasional Papers and outlining a code of conduct for the researchers.

X.66 Notable events organised by the department included a seminar on 'Economic Outlook and Monetary Policy in the United States' by Mr Stanley Fischer, Vice Chairman, US Federal Reserve on February 11, 2015. Another significant event, 'Conversation with Ms Christine Lagarde, MD, International Monetary Fund (IMF)' was organised on March 17, 2015. The 3rd RBI Chair Professors' and DEPR Researchers' Joint Conference was held during the year, which involved presentations of papers on a range of issues under the broad theme 'Managing Risks and Macro-imbalances'. Besides, several seminars on diverse themes were organised as part of the DEPR study circle with the participation of external experts.

Agenda for 2015-16

X.67 Going forward, the research areas envisaged to be covered during 2015-16 include growth and investment, exchange rate, monetary policy transmission lags, issues in financial markets, potential output, optimal monetary policy rule, pass-through of international prices to domestic prices and pass-through of food and fuel inflation to core inflation. The department proposes to organise a number of seminars/ lectures during 2015-16. MIS is proposed to be modified and the publications will be rationalised. The drafting of history Volume V will be taken up with the constitution of a full fledged History Cell.

STATISTICS AND INFORMATION MANAGEMENT

X.68 The Department of Statistics and Information Management (DSIM) makes available macro-financial statistics to the public and provides statistical support and analytical inputs to the policy and operational needs of the Reserve Bank by managing comprehensive statistical systems relating to banking, corporate and the external sectors, undertaking structured surveys, maintaining the Reserve Bank's data warehouse, engaging in statistical analyses and forecasting.

Agenda for 2014-15: Implementation Status

Data Management, Dissemination and Publications

X.69 The department released statistics relating to banking, corporate and external sectors as per

the time schedule and with reduction in time-lag wherever possible. Data from corporate regulatory filing with the Ministry of Corporate Affairs was used for estimating saving and capital formation and private corporate performance analyses. The periodicity of the Co-ordinated Portfolio Investment Survey (CPIS) was increased from annual to bi-annual. Banks were involved in implementation of Stage-2 enhancements in international banking statistics (IBS) through workshops and a pilot survey.

X.70 Quarterly BSR-1 data covering individual bank accounts was released for the first time. The scope of eXtensible Business Reporting Language (XBRL)-based return submission was broadened with 23 new returns and developmental work for another 23 returns is at an advanced stage. Harmonisation of banking statistics, guiding banks in proper implementation of the automated data flow (ADF) system and linking the XBRL system to it was taken up during the year. A Credit Repository has been developed on the basis of the Report on Large Credit, wherein as part of system-wide standardisation efforts, Income Tax-Permanent Account Number (IT-PAN) has been introduced for borrower identification.

Surveys and Research

X.71 The periodicity of a few surveys designed for providing inputs to monetary policy formulation was synchronised with the policy announcement cycle. Efforts were made to impart methodological improvements in surveys under the guidance of the Technical Advisory Committee on Surveys (TACS). An article based on the salient results of the Residential Asset Price Monitoring Survey was also released. The framework for forecasting has been updated and a quarterly macro-econometric model has been operationalised. Several research studies were contributed to the Reserve Bank Working Paper Series/other publications/ academic conferences.

Agenda for 2015-16

X.72 DSIM will move towards the implementation of Bank for International Settlements-Committee on the Global Financial System recommended Stage-2 enhancements to IBS. A comprehensive guide for the current statistics section of the Reserve Bank of India Bulletin will be released. Phase III of the XBRL project will be launched to ensure standardised reporting for more returns where banks will be persuaded to orient their ADF systems to XBRL reporting. Work relating to harmonisation of banking statistics will be pursued. The database on Indian economy (DBIE) infrastructure will be used for developing a SAARCFINANCE regional statistical database and compilation of 'Handbook of SAARCFINANCE'. Research studies will be undertaken in the area of corporate sector performance, expectation channel and forecasting of macro variables.

LEGAL MATTERS

X.73 The Legal Department of the Reserve Bank provides counsel and support to other departments ensuring that the policy decisions, actions and position taken by the Reserve Bank in various fora are legally sound and defensible. The department also guides the Reserve Bank in matters relating to the RTI Act.

Agenda for 2014-15: Implementation Status

X.74 During the year, a large number of appeals and writ petitions were filed before the Supreme Court against the judgments rendered by the Gujarat and Madras High Courts, challenging the constitutional validity of Section 2(1) (o) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 relating to classification of non-performing assets. The Supreme Court has since declared the provision as constitutionally valid.

X.75 The High Court of Gujarat in the case of Ionic Metalliks *vs.* Union of India had to deal with a case which, *inter alia*, challenged the Reserve

Bank's Master Circular on Wilful Defaulters and the action taken by certain banks on the basis of that circular. While upholding the authority of the Reserve Bank to issue the circular, the Court, however, held that making the circular applicable to all directors, irrespective of their involvement and responsibility, would neither be appropriate nor reasonable.

Agenda for 2015-16

X.76 Going forward, issues pertaining to the recommendations of Financial Sector Legislative Reforms Commission (FSLRC) and the enactment of the Indian Financial Code (IFC) are likely to be focused. Besides, certain amendments to the various Acts administered by the Reserve Bank need to be pursued in order to meet certain international commitments and standards and to clarify and clean up some provisions.

CORPORATE STRATEGY AND BUDGETING

X.77 The Corporate Strategy and Budget Department (CSBD) was carved out of the erstwhile Department of Expenditure and Budgetary Control as part of organisational restructuring in 2014. A key function of CSBD is formulating the budget of the Reserve Bank by adopting activity based and zero based budgeting, as also the need for allocating resources optimally. Expenditure is monitored through a quarterly review to the CCB. During 2014-15, CSBD held several rounds of interaction with Regional Directors (RDs), budget officers of ROs and CODs to sensitise them to use the budget process as a tool for expenditure monitoring and to focus on activities planned.

Agenda for 2015-16

X.78 The remit of the department going forward, is to identify the Reserve Bank's strategic priorities and allocate resources accordingly. With respect to funded external institutes, CSBD's focus will be to minimise funding of their revenue expenditure over a period of three years while supporting their research and capital expenditure. CSBD is formulating a business continuity management (BCM) policy by June 2016. Payment of salaries and staff-related payments, a core function of the department, is in the process of being taken over by HRMD.

CORPORATE SERVICES

X.79 With a view to enabling the specialised departments to focus on their core functions, the Department of Corporate Services (DCS) has been set up as part of the reorganisation. It has a mandate to provide corporate support services by way of management of events/meetings/hospitality; framing guidelines for award of rate contracts; centralised procurement of office stationery, electronic document management; and protocol services to the top management.

RAJBHASHA

X.80 The Reserve Bank continued to ensure compliance of statutory provisions of the Official Language Act to promote the use of Hindi in its working during 2014-15.The Rajbhasha Department of the Reserve Bank acts as the nodal department for this purpose.

Agenda for 2014-15: Implementation Status

X.81 All the Regional Offices obtained membership of the Town Official Language Implementation Committee (TOLIC) during the year. Six offices of the Reserve Bank were notified in terms of Rule 10(4) of The Official Languages Rules, 1976. A number of Hindi competitions as well as functions in Hindi were organised during the year, including a two-day conference of *Rajbhasha* Officers in May 2015.Towards enhancing the use of Hindi in a computerised environment, intensive Hindi typing training programmes were conducted for officers and staff and 156 trainees passed the examination conducted by the Government.

X.82 Besides statutory publications, other publications were also brought out in a bilingual form. *Banking Chintan-Anuchintan,* the quarterly

Hindi magazine dedicated to banking and finance, is being published. The first issue of a half yearly e-newsletter *Rajbhasha Samachar* was released in January 2015.

X.83 The Parliamentary Committee on Official Language visited the Reserve Bank's Kochi office in 2015 and released the e-Banking Glossary. The glossary has since been uploaded on the Reserve Bank's website with various advanced features, such as search options in both Hindi and English. The Parliamentary Committee also visited the Delhi and Kolkata offices of the Reserve Bank. The committee suggested a few corrective actions for furthering the use of Hindi in the Reserve Bank like increasing the number of workshops and increasing the expense on Hindi advertisements.

Agenda for 2015-16

X.84 The work plan for 2015-16 has taken on board the concerns expressed by the Parliamentary Committee on Official Language. It has been decided to celebrate 2015-16 as the *Rajbhasha* Golden Jubilee Year in the Reserve Bank for which an action plan has been prepared covering various activities to be held during the year. A Hindi workshop for Regional Directors and heads of Central Office departments, region-wise seminars, various Hindi functions marking important linguistic events like Translation Day and International Mother Language Day have been planned to raise the level of implementation of the *Rajbhasha* policy.

PREMISES

X.85 The Premises Department is engaged in creating and maintaining the Reserve Bank's building infrastructure. In 2014-15, the department brought some of the stalled projects on track. Projects under the design and build (DB) mode were taken up for residential colonies at Anna Nagar, Chennai; Dadar-Parel, Mumbai and Ameerpet, Hyderabad; additional hostels at the Indira Gandhi Institute of Development Research (IGIDR), Mumbai and the Reserve Bank Staff College (RBSC), Chennai. The process of acquisition of land for a sub-office and residences in Imphal was initiated. The existing physical infrastructure for dealing room for financial market operations in Mumbai and for comprehensive human resource system (CHRS) in Bengaluru was upgraded.

Green Initiative

X.86 As part of its Green Policy, grid interactive solar power plants are under installation at all Reserve Bank's offices. To utilise the waste generated, organic waste convertors have been installed in Kanpur, Thiruvananthapuram, New Delhi, Bengaluru and CAB, Pune.

Swachh Bharat - Sanitation Audit

X.87 A third party sanitation audit was carried out on a pilot basis for the Central Office Building (COB), Fort and Bandra Kurla Complex offices, Mumbai and Mumbai Central Colony. The findings have been taken up for rectification and redressal.

Agenda for 2015-16

X.88 The focus during 2015-16 will be on consolidating the existing physical resources of land and buildings, so as to ensure optimum utilisation and reduction in maintenance costs over the next two to three years. It is proposed to take up construction of the Reserve Bank's offices in Dehradun and Raipur. The redevelopment of Hauz Khas Colony, New Delhi; Chembur Colony, Mumbai under the DB mode, and construction of the CAFRAL building in Mumbai were impeded due to delays in securing requisite statutory approvals. With closer follow-up, the projects are expected to commence in 2015-16.

X.89 The Internet Protocol CCTV project is being implemented replacing the existing analog CCTV systems in 20 offices and is likely to be completed by October 2015. The provision of an integrated security system in the COB is expected to be completed by December 2015. The access control card based turnstile system installed at COB, is being replicated in the Regional Offices.

XI THE RESERVE BANK'S ACCOUNTS FOR 2014-15

The balance sheet size of the Reserve Bank increased by 10.09 per cent for the year ended June 30, 2015 primarily due to increase in foreign currency assets on the asset side which rose by 21.50 per cent and increase in notes in circulation and deposits which rose by 9.57 per cent and 37.60 per cent respectively on the liability side. While gross income for the year 2014-15 increased sharply by 22.66 per cent, the total expenditure increased by 11.92 per cent. The year ended with an overall surplus of ₹658.96 billion as against ₹526.79 billion in the previous year, representing an increase of 25.09 per cent.

XI.1 The balance sheet of the Reserve Bank is largely a reflection of the activities carried out in pursuance of its currency issue function as well as monetary policy and reserve management objectives. The key financial results of the Reserve Bank's operations during the year 2014-15 along with comments are set out in the following paragraphs.

XI.2 The year 2014-15 witnessed an overall increase in the size of the balance sheet by ₹2,647.92 billion, *i.e.*, 10.09 per cent from ₹26,243.67 billion as on June 30, 2014 to ₹28,891.59 billion as on June 30, 2015. The increase on the asset side was mainly due to increase in Foreign Currency Assets (FCA). The increase on the liability side was mainly due to a rise in notes in circulation and deposits. As on June 30, 2015 domestic assets (including gold) constituted 26.07 per cent while the FCA constituted 73.93 per cent of total assets as against 33.0 per cent and 67.0 per cent, respectively as on June 30, 2014.

XI.3 As in the previous year, no amount has been transferred to the Contingency Fund. An amount of ₹10.00 billion has been provided for and transferred to the Asset Development Fund specifically towards capital contribution to the National Housing Bank (NHB) and the surplus of ₹658.96 billion has been transferred to the Central Government. The balances in the Contingency Fund and the Asset Development Fund and the surplus transferred to the Central Government during the last five years have been given in Tables XI.1 & XI.2 respectively.

XI.4 For better comparability and transparency, the Reserve Bank has been progressively moving towards greater disclosures in its financial statements. A Technical Committee constituted in 2012-13 to review the Form of Presentation of the Balance Sheet and Profit & Loss Account [Chairman: Shri Y.H. Malegam (Technical Committee I)] had made several recommendations relating to the format and contents of the Balance Sheet and Profit & Loss Account of the Reserve Bank and also to change the nomenclature of the Profit and Loss Account to Income Statement. Further, the

Table XI.1: Balances in Contingency Fund (CF) and Asset Development Fund (ADF)

(₹ billion)

As on June 30	Balance in CF	Balance in ADF	Total	CF and ADF as percentage to total assets
1	2	3	4=(2+3)	5
2011	1707.28	158.66	1865.94	10.3
2012	1954.05	182.14	2136.19	9.7
2013	2216.52	207.61	2424.13	10.1
2014	2216.52	207.61	2424.13	9.2
2015	2216.14*	217.61	2433.75	8.4

* The decline in the CF is due to adjustment of the debit balance in the FCVA on account of MTM loss on forward contracts on June 30, 2015.

Table XI.2:Trends in Gross Income, Expenditure and Net Disposable Income

(₹ billion)

Item	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1	2	3	4	5	6
a) Gross Income	370.70	531.76	743.58	646.17	792.56
b) Transfers to Internal Reserves (i+ii)	134.02	270.25	287.94	0.00	0.00
(i) Contingency Fund	121.67	246.77	262.47	0.00	0.00
(ii) Asset Development Fund@	12.35	23.48	25.47	0.00	0.00
c) Net Income (a-b)	236.68	261.51	455.63	646.17	792.56
d) Total Expenditure	86.55	101.37	125.49	119.34	133.56
e) Net Disposable Income (c-d)	150.13	160.14	330.14	526.83	659.00
f) Transfer to funds*	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
g) Surplus transferred to the Government (e-f)	150.09	160.10	330.10	526.79	658.96
Transfer of Surplus to Government as per cent of Gross Income less Total Expenditure	52.8	37.2	53.4	99.99	99.99

*: An amount of ₹10 million each has been transferred to the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund, the National Rural Credit (Long Term Operation) Fund, the National Rural Credit (Stabilisation) Fund and the National Housing Credit (Long Term Operations) Fund during each of the five years.

@For 2014-15 not shown as it is included in total expenditure.

Committee had also recommended a few changes in the accounting policy. The Board of the Reserve Bank has accepted these recommendations for implementation. In order to effect the change relating to the format and contents of the Balance Sheet and Profit and Loss Account, Government of India has notified the format of weekly accounts of the Bank on July 15, 2015 in the Gazette of India and amendments in relevant sections of RBI General Regulations, 1949 have been notified by the Bank on July 6 and July 15, 2015 in the Gazette of India for changes in the format of the Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Bank. Accordingly, the accounts of the Bank for the year 2014-15 have been drawn up in the new format.

XI.5 The major changes in the format and contents of the Balance Sheet and the Profit and Loss account are as under:

- Balance Sheets of Issue and Banking Departments have been merged and each item of asset and liability is shown as line items supported by schedules.
- 'Gold Coin and Bullion' which earlier formed part of 'Other Assets', and 'Investment in Subsidiaries and Associates', which formed part of 'Investments' in the Banking Department balance sheet, are now shown as distinct balance sheet heads.
- The Profit and Loss Account has been renamed as 'Income Statement' and the income head has been bifurcated into two major sub heads viz. 'Interest' and 'Others' supported by schedules.
- A new head 'Provisions' has been added under expenditure for accounting of transfers to the Contingency Fund (CF) and the Asset Development Fund (ADF).
- The unit of reporting has been changed from 'Rupee Thousands' to 'Rupee billions'.

XI.6 For better readability and presentation, investments have been bifurcated into four major categories.'Balances Held Abroad' and 'Investments' held as part of Banking Department balance sheet are shown as 'Investments–Foreign-BD' and 'Investments- Domestic-BD', respectively. 'Foreign Securities' and 'GoI Rupee Securities' forming part of 'Issue Department Assets' have been shown as 'Investments- Foreign-ID' and 'Investments-

Domestic-ID' respectively. Contingency Reserve and Asset Development Reserve have been renamed as 'Contingency Fund' and 'Asset Development Fund'.

XI.7 Based on the recommendations made by the Technical Committee I certain changes in accounting policies were also effected in 2014-15. Repo and Reverse Repo transactions, were earlier treated as purchase and sale of securities. As the substance of the transaction is lending and deposit of funds and securities only represent the collateral for the transaction, Repo under Liquidity Adjustment Facility (LAF) and Marginal Standing Facility (MSF) is now being treated as lending and Reverse Repo being treated as deposit of funds with RBI. The Technical Committee I had also recommended that rupee securities be carried at fair value and any unrealised gain or loss may be transferred to the Investment Revaluation Account (IRA). This will be implemented in 2015-16.

XI.8 Another Technical Committee [Chairman: Shri Y.H.Malegam (Technical Committee II)] was constituted during 2013-14 to review the Level and Adequacy of Internal Reserves and Surplus Distribution Policy of the Reserve Bank of India. Based on the recommendations of the Technical Committee II, the forward contracts entered into by the Bank as part of its intervention operations are being marked to market on yearly basis as on the balance sheet date from the year 2013-14. Further, as against the earlier policy of ignoring gain and accounting for loss only, now both gain or loss are accounted for.

XI.9 The other major recommendations of the Technical Committee II, which will be implemented in 2015-16 are: (i) change in the method of revaluation of the rupee securities from Lower of Book or Market Value (LOBOM) to fair valuation, and (ii) bifurcation of Currency and Gold Revaluation Account (CGRA) into Gold Revaluation Account (GRA) and Foreign Currency Revaluation Account (FCRA).

XI.10 The Balance Sheet and the Income Statement prepared for the year 2014-15 in the new formats along with the schedules, statement of significant accounting policies and supporting notes to the accounts are furnished below:

RESERVE BANK OF INDIA
BALANCE SHEET AS ON JUNE 30, 2015

(Amount in ₹ billion)

Liabilities	Schedules	2013-14	2014-15	Assets	Schedules	2013-14	2014-15
Capital		0.05	0.05	**Assets of Banking Department (BD)**			
Reserve Fund		65.00	65.00	Notes, rupee coin, small coin	5	0.11	0.11
Other Reserves	1	2.20	2.22	Gold Coin and Bullion	6	590.24	578.84
Deposits	2	3769.45	5186.86	Investments-Foreign-BD	7	4,796.21	7,276.29
Other Liabilities and Provisions	3	8961.70	8905.03	Investments-Domestic-BD	8	6,684.68	5,174.97
				Bills Purchased and Discounted		0.00	0.00
				Loans and Advances	9	370.83	802.32
				Investment in Subsidiaries	10	13.20	13.20
				Other Assets	11	343.13	313.43
Liabilities of Issue Department				**Assets of Issue Department (ID)**			
Notes issued	4	13,445.27	14,732.43	Gold Coin and Bullion (as backing for Note issue)	6	649.78	637.23
				Rupee coin		1.72	1.99
				Investment-Foreign-ID	7	12,783.31	14,082.75
				Investment-Domestic-ID	8	10.46	10.46
				Domestic Bills of Exchange and other Commercial Papers		0.00	0.00
Total Liabilities		**26,243.67**	**28,891.59**	**Total Assets**		**26,243.67**	**28,891.59**

RESERVE BANK OF INDIA
INCOME STATEMENT FOR THE YEAR ENDED JUNE 2015

(Amount in ₹ billion)

INCOME	Schedules	2013-14	2014-15
Interest	12	636.88	744.82
Others	13	9.29	47.74
Total		**646.17**	**792.56**
EXPENDITURE			
Printing of Notes		32.14	37.62
Expense on Remittance of Currency		0.71	0.98
Agency Charges	14	33.25	30.45
Interest		0.04	0.01
Employee Cost		43.24	40.58
Postage and Telecommunication Charges		0.84	0.91
Printing and Stationery		0.21	0.34
Rent, Taxes, Insurance, Lighting, etc.		1.22	1.14
Repairs and Maintenance		1.04	1.04
Directors' and Local Board Members' Fees and Expenses		0.03	0.03
Auditors' Fees and Expenses		0.02	0.03
Law Charges		0.05	0.04
Miscellaneous Expenses		4.93	7.97
Depreciation		1.62	2.42
Provisions		0.00	10.00
Total		**119.34**	**133.56**
Available Balance		**526.83**	**659.00**
Less:			
a) Contribution to:			
i) National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund		0.01	0.01
ii) National Housing Credit (Long Term Operations) Fund		0.01	0.01
b) Transferable to NABARD:			
i) National Rural Credit (Long Term Operations) Fund [1]		0.01	0.01
ii) National Rural Credit (Stabilisation) Fund[1]		0.01	0.01
Surplus payable to the Central Government		**526.79**	**658.96**

1 *These funds are maintained by the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD).*

Madhumita S.Deb	S. S. Mundra	R. Gandhi	Urjit R. Patel	Harun R. Khan	Raghuram G. Rajan
Chief General Manager	Deputy Governor	Deputy Governor	Deputy Governor	Deputy Governor	Governor

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AND INCOME STATEMENT

(Amount in ₹ billion)

		2013-14	2014-15
Schedule 1:	**Other Reserves**		
	(i) National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	0.23	0.24
	(ii) National Housing Credit (Long Term Operations) Fund	1.97	1.98
	Total	**2.20**	**2.22**
Schedule 2:	**Deposits**		
	(a) Government		
	(i) Central Government	1.00	1.01
	(ii) State Governments	0.42	0.43
	Sub total	**1.42**	**1.44**
	(b) Banks		
	(i) Scheduled Commercial Banks	3,469.16	3,711.94
	(ii) Scheduled State Co-operative Banks	37.29	32.22
	(iii) Other Scheduled Co-operative Banks	63.31	69.97
	(iv) Non-Scheduled Co-operative Banks	4.81	10.71
	(v) Other Banks (RRB, LDB, etc)	102.67	122.01
	Sub total	***3,677.24***	***3,946.85***
	(c) Others		
	(i) Administrators of RBI Employee PF A/c	38.62	40.75
	(ii) Depositors' Education and Awareness Fund	27.95	78.75
	(iii) Balances of Foreign Central Banks	10.13	14.71
	(iv) Balances of Indian Financial Institutions	2.53	4.33
	(v) Balances of International Financial Institutions	1.43	1.45
	(vi) Mutual Fund	0.01	0.01
	(vii) Others	10.12	1098.57
	Sub total	***90.79***	***1,238.57***
	Total	**3,769.45**	**5,186.86**
Schedule 3:	**Other Liabilities and Provisions**		
	(i) Gratuity and Superannuation Fund	123.10	140.05
	(ii) Contingency Fund (CF)	2,216.52	2,216.14
	(iii) Asset Development Fund (ADF)	207.61	217.61
	(iv) Currency and Gold Revaluation Account (CGRA)	5,721.63	5,591.93
	(v) Investment Revaluation Account (IRA)	37.91	32.14
	(vi) Foreign Exchange Forward Contracts Valuation Account (FCVA)	42.98	0.00
	(vii) Provision for Forward Contracts Valuation Account (PFCVA)	0.00	0.39
	(viii) Provision for Payables	16.55	16.81
	(ix) Surplus Transferable to the Government of India	526.79	658.96
	(x) Bills Payable	0.37	0.17
	(xi) Miscellaneous	68.24	30.83
	Total	**8,961.70**	**8,905.03**
Schedule 4:	**Notes Issued**		
	(i) Notes held in the Banking Department	0.11	0.11
	(ii) Notes in Circulation	13,445.16	14,732.32
	Total	**13,445.27**	**14,732.43**

		2013-14	2014-15
Schedule 5:	**Notes, Rupee Coin, Small Coin (with RBI)**		
	(i) Notes	0.11	0.11
	(ii) Rupee coin	0.00	0.00
	(iii) Small coin	0.00	0.00
	Total	**0.11**	**0.11**
Schedule 6:	**Gold Coin and Bullion**		
	(i) Banking Department	590.24	578.84
	(ii) Issue Department (as backing for Note issue)	649.78	637.23
	Total	**1,240.02**	**1,216.07**
Schedule 7	**Foreign Currency Assets**		
	(i) Investments - Foreign - BD	4,796.21	7,276.29
	(ii) Investments - Foreign - ID	12,783.31	14,082.75
	Total	**17,579.52**	**21,359.04**
Schedule 8:	**Investments-Domestic**		
	(i) Investments - Domestic -BD	6,684.68	5,174.97
	(ii) Investments - Domestic - ID	10.46	10.46
	Total	**6,695.14**	**5,185.43**
Schedule 9:	**Loans and Advances**		
	(A) Loans and Advances to :		
	(i) Central Government	0.00	0.00
	(ii) State Governments	6.66	25.77
	Sub total	***6.66***	***25.77***
	(B) Loans and Advances to:		
	(i) Scheduled Commercial Banks	294.17	732.03
	(ii) Scheduled State Co-operative Banks	0.00	0.00
	(iii) Other Scheduled Co-operative Banks	1.34	0.45
	(iv) Non-Scheduled State Co-operative Banks	0.00	0.00
	(v) NABARD	0.00	0.00
	(vi) Others	68.66	44.07
	Sub total	***364.17***	***776.55***
	(C) Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund:		
	(a) Loans and Advances to:		
	(i) Industrial Development Bank of India	0.00	0.00
	(ii) Export Import Bank of India	0.00	0.00
	(iii) Industrial Investment Bank of India Ltd.	0.00	0.00
	(iv) Others	0.00	0.00
	(b) Investments in bonds/ debentures issued by:		
	(i) Industrial Development Bank of India	0.00	0.00
	(ii) Export Import Bank of India	0.00	0.00
	(iii) Industrial Investment Bank of India Ltd.	0.00	0.00
	(iv) Others	0.00	0.00
	Sub total	***0.00***	***0.00***
	(D) Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund:		
	(a) Loans and Advances to National Housing Bank	0.00	0.00
	(b) Investments in bonds/debentures issued by National Housing Bank	0.00	0.00
	Sub total	***0.00***	***0.00***
	Total	**370.83**	**802.32**

		2013-14	2014-15
Schedule 10:	**Investment in subsidiaries**		
	(i) Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation	0.50	0.50
	(ii) National Housing Bank	4.50	4.50
	(iii) National Bank for Agriculture and Rural Development	0.20	0.20
	(iv) Bhartiya Reserve Bank Note Mudran (P) Ltd	8.00	8.00
	Total	**13.20**	**13.20**
Schedule 11:	**Other Assets**		
	(i) Fixed Assets (net of accumulated depreciation)	5.22	3.92
	(ii) Accrued income (a + b)	**225.90**	**206.26**
	a. on loans to employees	3.09	3.16
	b. on other items	222.81	203.10
	(iii) Swap Amortisation Account	59.30	94.33
	(iv) Revaluation of Forward Contracts Account (RFCA)	42.85	0.00
	(v) Miscellaneous	9.86	8.92
	Total	**343.13**	**313.43**
Schedule 12:	**Interest**		
	(i) Domestic Sources		
	a. Interest on holding of Domestic Securities	470.53	436.30
	b. Net Interest on LAF Operations	59.02	28.29
	c. Interest on MSF Operations	17.45	1.88
	d. Profit on Sale of Domestic Securities	331.37	139.15
	e. Depreciation	(-)480.45	(-)98.28
	f. Interest on Loans and Advances	37.46	14.06
	(ii) Foreign Sources		
	a. Interest on holding of Foreign Securities	201.50	223.42
	Total	**636.88**	**744.82**
Schedule 13:	**Income-Others**		
	(i) Discount from foreign assets	6.81	4.40
	(ii) Exchange from Foreign Exchange Transactions	(-)10.61	29.62
	(iii) Commission	12.57	13.38
	(iv) Rent Realised	0.05	0.05
	(v) Profit/loss on sale of Bank's property	0.01	0.02
	(vi) Provision no longer required	0.46	0.27
	Total	**9.29**	**47.74**
Schedule 14:	**Agency Charges**		
	(i) Agency Commission on Government Transactions	27.81	29.63
	(ii) Underwriting Commission paid to the Primary Dealers	4.81	0.33
	(iii) Sundries (Handling charges paid to banks for Relief/Savings Bonds subscriptions)	0.00	0.00
	(iv) Fees paid to the External Asset Managers, Custodians, etc.	0.63	0.49
	Total	**33.25**	**30.45**

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

TO THE PRESIDENT OF INDIA

Report on the Financial Statements

We, the undersigned Auditors of the Reserve Bank of India (hereinafter referred to as the "Bank"), do hereby report to the Central Government upon the Balance Sheet of the Bank as at June 30, 2015 and the Income Statement for the year ended on that date (hereinafter referred to as "financial statements"), which have been audited by us.

Management's Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation of these financial statements that give a true and correct view of the state of affairs and results of operations of the Bank in accordance with the requirements of the provisions of the Reserve Bank of India Act, 1934 and Regulations framed thereunder and the accounting policies and practices followed by the Bank. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and correct view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the Bank's preparation and correct presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to explanations given to us and as shown by the books of account of the Bank, the Balance Sheet read with Significant Accounting Policies is a full and fair Balance Sheet containing all necessary particulars and is properly drawn up in accordance with the requirements of the provisions of the Reserve Bank of India Act, 1934 and Regulations framed there under so as to exhibit true and correct view of the state of affairs of the Bank.

Other Matters

We report that we have called for information and explanation from the Bank which was necessary for the purpose of our audit and such information and explanation have been given to our satisfaction.

We also report that the financial statements include the accounts of nineteen accounting units of the Bank which have been audited by Statutory Branch Auditors and we have relied on their report in this regard.

For Haribhakti & Co. LLP
Chartered Accountants
(ICAI Firm Registration No. 103523W)

Rakesh Rathi
Partner
Membership No. 045228

For CNK & Associates LLP
Chartered Accountants
(ICAI Firm Registration No. 101961W)

Manish Sampat
Partner
Membership No. 101684

Place: Mumbai
Date: August 13, 2015

STATEMENT OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 2015

1. General

1.1 The Reserve Bank of India was established under the Reserve Bank of India Act, 1934 (the Act) "to regulate the issues of Bank notes and the keeping of reserves with a view to securing monetary stability in India and generally to operate the currency and credit system of the country to its advantage".

1.2 The main functions of the Bank are:-

a) Issue of Bank notes.

b) Management of the monetary system.

c) Regulation and supervision of banks and Non –Banking Finance Companies (NBFCs).

d) Acting as the lender of last resort.

e) Regulation and supervision of the Payment and Settlement Systems.

f) Maintaining and managing the country's foreign exchange reserves.

g) Acting as the banker to banks and the Governments

h) Acting as the debt manager of the Governments.

i) Regulation and development of foreign exchange market.

j) Developmental functions including in the areas of rural credit and financial inclusion.

1.3 The Act requires that the issue of Bank notes should be conducted by the Bank in the Issue Department which shall be separate and kept wholly distinct from the Banking Department and the assets of the Issue Department shall not be subject to any liability other than the liabilities of the Issue Department. The Act requires that the assets of the Issue Department shall consist of gold coins, gold bullion, foreign securities, rupee coins and rupee securities to such aggregate amount as is not less than the total of the liabilities of the Issue Department. The Act requires that the liabilities of the Issue Department shall be an amount equal to the total of the amount of the currency notes of the Government of India and Bank notes for the time being in circulation.

2. Significant Accounting Policies

2.1 Convention

The financial statements are prepared in accordance with the Reserve Bank of India Act, 1934 and the notifications issued thereunder and in the form prescribed by the Reserve Bank of India General Regulations, 1949. These are based on historical cost except where it is modified to reflect revaluation. The accounting policies followed in preparing the financial statements are consistent with those followed in the previous year unless otherwise stated.

2.2 Revenue Recognition

(a) Income and expenditure are recognised on accrual basis except penal interest which is accounted for only when there is certainty of realisation. Policy on dividend income on shares has been revised during the year and is now recognised on accrual basis when the right to receive the same is established as against the earlier policy of recognising it on cash basis.

(b) Balances unclaimed and outstanding for more than three clear consecutive years in certain transit accounts including Drafts Payable Account, Payment Orders Account, Sundry Deposits Account, Remittance Clearance Account and Earnest Money Deposit Account are reviewed and written back to income.

Claims, if any, are considered and charged against income in the year of payment.

(c) Income and expenditure in foreign currency are recorded at the exchange rates prevailing on the last business day of the week/month/ year as applicable.

2.3 Gold & Foreign Currency Assets and Liabilities

Transactions in gold and foreign currency assets are accounted for on settlement date basis.

(a) Gold

Gold is revalued on the last business day of the month at 90 per cent of the daily average price quoted by the London Bullion Market Association (LBMA) for the month. The rupee equivalent is determined on the basis of the exchange rate prevailing on the last business day of the month. Unrealised gains/ losses are credited/debited to the Currency and Gold Revaluation Account (CGRA).

(b) Foreign Currency Assets and Liabilities

All foreign currency assets and liabilities (excluding foreign currency received under the swaps that are in the nature of repos and contracts where the rates are fixed contractually) are translated at the exchange rates prevailing on the last business day of the week/month/ year as applicable. Gains and losses arising from such translation of foreign currency assets and liabilities are accounted for in CGRA and remain adjusted therein. Foreign securities other than Treasury Bills, Commercial Papers, and certain "held to maturity" securities (such as investments in notes issued by the International Monetary Fund and bonds issued by India Infrastructure Finance Company (IIFC), UK) which are valued at cost, are marked to market as on the last business day of each month. Appreciation or depreciation is recorded in the Investment Revaluation Account (IRA). Credit balance is carried forward to the subsequent year. Debit balance, if any, at the end of the year in IRA is required to be charged to the Contingency Fund and the same is to be reversed to the credit of the Contingency Fund on the first working day of the succeeding financial year. Till 2013 -14, the policy was to charge such debit balance in the IRA to the Profit and Loss Account. Foreign Treasury Bills and Commercial Papers are carried at cost as adjusted by amortisation of discount. Premium or discount on foreign securities is amortised daily. Profit/loss on sale of foreign currency assets is recognised with respect to the book value. On sale/redemption of foreign dated securities valuation gain/loss in respect of the securities sold, lying in IRA, is transferred to the Income account.

(c) Forward/Swap Contracts

Forward contracts entered into by the Reserve Bank as part of its intervention operations are revalued on a yearly basis on June 30. While the marked to market gain is credited to the 'Foreign Exchange Forward Contracts Valuation Account' (FCVA) with contra debit to Revaluation of Forward Contracts Account (RFCA), marked to market loss is debited to the FCVA with contra credit to the Provision for Forward Contracts Valuation Account (PFCVA). Debit balance in FCVA, if any, on June 30, is required to be charged to the Contingency Fund and reversed on the first working day of the following year. On maturity of the contract, the actual gain or loss is required to be recognised in the Income Account and the unrealised gains/losses previously recorded in the FCVA, RFCA and PFCVA are required to be reversed. The balance in the RFCA and PFCVA represent the net unrealised gains and losses on valuation of such forward contracts respectively.

In the case of swaps entered at off-market rates that are in the nature of repo, the difference between the future contract rate and the rate at which the contract is entered into is amortised over the period of the contract and recorded in the Income Account with contra entry in the Swap Amortisation Account (SAA). The amounts recorded in the SAA are reversed on maturity of the underlying contracts. Further, the amounts received under these swaps are not subject to periodic revaluation.

While FCVA and PFCVA form part of 'Other Liabilities', RFCA and SAA form part of 'Other Assets'.

2.4 Domestic Investments

(a) Rupee Securities

Rupee securities, held as part of Bank's domestic investments, are valued at lower of book value or market value (LOBOM). Where the market price for such securities is not available, the rates are derived based on the yield curve prevailing on the last business day of the month as notified by the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA). Depreciation, if any, is adjusted against current year's interest income. Non- interest bearing rupee securities held as backing for note issue and securities which are earmarked against funds, such as, Gratuity and Superannuation, Provident Fund, Leave Encashment, Medical Assistance Fund, and Depositors' Education and Awareness (DEA) Fund are, however, categorised as held to maturity (HTM) and therefore not marked to market.

(b) Treasury Bills

Treasury bills are valued at cost.

(c) Shares

Investments in shares are valued at cost.

2.5 Liquidity Adjustment Facility (LAF) Repo/ Reverse Repo and Marginal Standing Facility (MSF)

From the year 2014-15 onwards Repo under LAF and Marginal Standing Facility (MSF) is being treated as lending and is being shown under 'Loans and Advances' whereas 'Reverse Repo' is being treated as deposits and is being shown under 'Deposit-Others'. Till last year, Repo under LAF and MSF were being accounted for as purchase of rupee securities and Reverse Repo as sale of rupee securities.

2.6 Fixed Assets

a. Fixed Assets are stated at cost less depreciation.

b. Depreciation on computers, microprocessors, software (costing ₹0.1 million and above), motor vehicles, furniture, *etc.* is provided on straight-line basis at the following rates.

Asset Category	Rate of Depreciation
Motor vehicles, Furniture, *etc.*	20 per cent
Computers, Microprocessors, Software, *etc.*	33.33 per cent

c. Amortisation of premium on leasehold land and depreciation on building is provided on written-down value basis at the following rates.

Asset Category	Rate of Depreciation/ Amortisation
Leasehold Land and Building(s) constructed thereon	Proportionate to lease period but not less than 5 per cent
Building(s) constructed on Freehold Land	10 per cent

d. Fixed Assets, costing less than ₹0.1 million (except easily portable electronic assets) are charged to income in the year of acquisition. Easily portable electronic assets, such as laptops, etc. costing more than ₹10,000 are capitalised and depreciation is calculated at applicable rates.

e. Individual items of computer software costing ₹0.1million and above are capitalised and depreciation is calculated at the applicable rates.

f. Depreciation is provided on year-end balances of the Fixed Assets.

g. For assessment of impairment/ re-statement of carrying value, buildings are classified into two categories as under:

(i) Buildings which are in use but have been identified for demolition in future/will be discarded in future: The value in use of such buildings is the aggregate of depreciation for the future period up to the date it is expected to be discarded/ demolished. The difference between the book value and aggregate of depreciation so arrived at is required to be charged as depreciation.

(ii) Buildings which have been discarded/ vacated: These buildings are to be shown at realisable value (net selling price, if the asset is likely to be sold in future) / scrap value less demolition cost (if it is to be demolished). If the amount is negative, then the carrying value of such buildings has to be shown at ₹1. The difference between the book value and realisable value (i.e., the net selling price) / scrap value less demolition cost is required to be charged as depreciation. The asset is required to be shown under the head "Other assets" - "Miscellaneous".

2.7 Employee Benefits

The liability on account of long term employee benefits is provided based on an actuarial valuation under the 'Projected Unit Credit' method.

NOTES TO THE ACCOUNTS

XI.11 Liabilities and Assets of the Bank

XI.11.1 LIABILITIES

i) Capital

The Reserve Bank was constituted as a private shareholders' bank in 1935 with an initial paid-up capital of ₹0.05 billion. The Bank was nationalised with effect from January 1, 1949 and its entire ownership remains vested in the Government of India. The paid-up capital continues to be ₹0.05 billion as per section 4 of the Reserve Bank of India Act,1934.

ii) Reserve Fund

The original Reserve Fund of ₹0.05 billion was created in terms of section 46 of the Reserve Bank of India Act,1934 as contribution from the Central Government for the currency liability of the then sovereign government taken over by the Reserve Bank. Thereafter, an amount of ₹64.95 billion was credited to this Fund from out of gains on periodic revaluation of gold up to October 1990, taking it to ₹65 billion. The fund has been static since then and gain/loss on account of valuation of gold and foreign currency is booked in the Currency and Gold Revaluation Account (CGRA) which is part of the balance sheet head 'Other Liabilities' and provisions.

iii) Other Reserves

This includes National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund and National Housing Credit (Long Term Operations) Fund.

a. National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund

This fund was created in July 1964, under section 46C of the Reserve Bank of India Act, 1934 with an initial corpus of ₹100

million. The fund witnessed annual contributions from the Reserve Bank for financial assistance to eligible financial institutions. Since 1992-93, a token amount of ₹10 million is being contributed each year to the Fund from the Bank's income. The balance in the fund stood at ₹0.24 billion as on June 30, 2015.

b. National Housing Credit (Long Term Operations) Fund

This fund was set up in January 1989 under section 46D of the Reserve Bank of India Act,1934 for extending financial accommodation to the National Housing Bank. The initial corpus of ₹500 million has been enhanced by annual contributions from the Reserve Bank thereafter. From the year 1992-93, only a token amount of ₹10 million is contributed each year from the Bank's income. The balance in the fund stood at ₹1.98 billion as on June 30, 2015.

c. Contribution to other Funds

There are two other Funds constituted under section 46A of the Reserve Bank of India Act,1934 *viz*., National Rural Credit (Long Term Operations) Fund and National Rural Credit (Stabilisation) Fund which are maintained by the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) for which a token amount of ₹10 million each is transferred to NABARD every year.

iv) Deposits

These represent the balances maintained with the Reserve Bank by banks, the Central and State Governments, All India Financial Institutions, such as, Export Import Bank of India (EXIM Bank) and NABARD, Foreign Central Banks, International Financial Institutions, balance in different accounts relating to the Employees' Provident Fund, and balance in the Depositors' Education and Awareness Fund (DEA Fund). DEA Fund was created in the year 2013-14 for promotion of depositors' interest and for such other related purposes. Total deposits stood at ₹5,186.86 billion as on June 30, 2015 as compared with ₹3,769.45 billion as on June 30, 2014, registering an increase of 37.60 per cent.

a. Deposits – Government

The Reserve Bank acts as banker to the central government in terms of sections 20 and 21 and as banker to the state governments by mutual agreement in terms of section 21(A) of the Reserve Bank of India Act, 1934. Accordingly, the central and the state governments maintain deposits with the Reserve Bank. The balances held by the central and state governments were ₹1.01 billion and ₹0.43 billion respectively as on June 30, 2015, totalling ₹1.44 billion.

b. Deposits – Banks

Banks maintain balances in their current accounts with the Reserve Bank to provide for the Cash Reserve Ratio (CRR) requirements and for working funds to meet payment and settlement obligations. The amount of deposits in the current account of banks as on June 30, 2015 stood at ₹3,946.85 billion as compared with ₹ 3,677.24 billion as on June 30, 2014, registering an increase of 7.33 per cent during the year.

c. Deposits - Others

'Deposits- Others' consists of balances of Administrator of the RBI Employees'

Provident Fund, balance in the Depositors' Education and Awareness Fund (DEA Fund), balances in accounts of Foreign Central Banks, Indian and International Financial Institutions and outstanding Reverse Repo. From 2014-15, Reverse Repo transactions are being treated as deposit of funds with the Bank and therefore the outstanding Reverse Repo now forms part of 'Deposit-Others'. The amount under Deposits-Others increased by 1264.21 per cent from ₹90.79 billion as on June 30, 2014 to ₹1,238.57 billion as on June 30, 2015 primarily due to amounts held by the Bank under reverse repo transactions.

v) Other Liabilities and Provisions

The major components of 'Other Liabilities and Provisions' are provisions under different heads and Gratuity and Superannuation Fund. Till 2013-14 balances held in Gratuity and Superannuation Funds were shown under 'Deposits'-Others'. These are now shown under 'Other Liabilities and Provisions'. While Contingency Fund and Asset Development Fund represent provisions made for unforeseen contingencies and internal capital expenditure respectively, the remaining components of 'Other Liabilities and Provisions', such as, Currency and Gold revaluation account (CGRA), Investment Revaluation Account (IRA) and Foreign Exchange Forward Contracts Valuation Account (FCVA), represent unrealised marked to market gains/losses. Other Liabilities and Provisions declined by 0.63 per cent from ₹ 8,961.70 billion as on June 30, 2014 to ₹ 8,905.03 billion as on June 30, 2015, primarily due to decline in the balance held in CGRA.

a. Contingency Fund

The Contingency Fund (formerly Contingency Reserve) represents the amount set aside on a year-to-year basis for meeting unexpected and unforeseen contingencies, including depreciation in the value of securities, risks arising out of monetary/exchange rate policy operations, systemic risks and any risk arising on account of the special responsibilities enjoined upon the Bank.

b. Asset Development Fund

The Asset Development Fund (formerly Asset Development Reserve) created in 1997-98, represents the amounts provided out of income each year to meet internal capital expenditure and make investments in subsidiaries and associated institutions. During the year, there has been an addition of ₹10 billion to provide for further investment as capital in the National Housing Bank.

c. Currency and Gold Revaluation Account (CGRA)

Following the best international practices, unrealised gains/losses on valuation of Foreign Currency Assets (FCA) and Gold are not taken to the Income Account but instead recorded under a balance sheet head named as the Currency and Gold Revaluation Account (CGRA). CGRA represents accumulated net balance of unrealised gains arising out of valuation of FCA and Gold and, therefore, its balance varies with the size of the asset base, movement in the exchange rate and price of gold. During 2014-15, the balances in CGRA decreased by 2.27 per cent from ₹5,721.63 billion as on

June 30, 2014 to ₹5,591.93 billon as on June 30, 2015 mainly due to appreciation of US Dollar against other major currencies and fall in the price of Gold.

d. Investment Revaluation Account (IRA)

The foreign dated securities are marked to market on the last business day of each month and the unrealised gains/ losses arising therefrom are transferred to the IRA. The balance in the IRA as on June 30, 2015 was ₹32.14 billion as compared with ₹37.91 billion as on June 30, 2014.

e. Foreign Exchange Forward Contracts Valuation Account (FCVA) & Provision for Forward Contracts Valuation Account (PFCVA)

MTM of outstanding forward contracts as on June 30, 2015 resulted in a net loss of ₹0.39 billion, which was debited to the FCVA with contra credit to the PFCVA. As per the extant policy, the debit balance of ₹0.39 billion in FCVA was adjusted against the Contingency Fund on June 30, 2015 and reversed on July 1, 2015. Accordingly, the balance in FCVA and PFCVA as on June 30,2015 was nil and ₹0.39 billionrespectively, as against a balance of ₹.42.98 billion and nil respectively as on June 30, 2014.

The position of balances in CGRA, IRA, FCVA and PFCVA for the last five years is given in Table XI.3.

f. Surplus transferable to the Government of India

Under Section 47 of the Reserve Bank of India Act, 1934 after making provisions for bad and doubtful debts, depreciation in assets, contribution to staff and superannuation fund and for all matters for which provisions are to be made by or under the Act or that are usually provided by bankers, the balance of the profits of the Bank is required to be paid to the Central Government. Under Section 48 of the Reserve Bank Act, 1934 the Bank is not liable to pay income tax or super tax or any other tax on any of its income, profits or gains and is also exempt from payment of wealth tax. Accordingly, after adjusting expenditure, the contribution of an amount of ₹0.04 billion to the statutory funds, and necessary provisions, the surplus transferable to the Government of India for the year 2014-15 amounted to ₹658.96 billion, (including ₹11.46 billion as against ₹12.69 billion in the previous year payable towards the difference in interest expenditure borne by the Government consequent on conversion of special securities into marketable securities).

Table XI.3: Balances in Currency and Gold Revaluation Account (CGRA), Foreign Exchange Forward Contracts Valuation Account (FCVA), Provision for Forward Contracts Valuation Account (PFCVA) and Investment Revaluation Account (IRA)

(₹ billion)

As on June 30	CGRA	FCVA#	PFCVA@	IRA
1	2	3	4	5
2011	1,822.86	0.01	--	42.69
2012	4,731.72	24.05	--	122.22
2013	5,201.13	16.99	--	24.85
2014	5,721.63	42.98	0.00	37.91
2015	5,591.93	0.00	0.39	32.14

The equivalent account was Exchange Equalisation Account (EEA) till 2012-13.
@ Opened during 2013-14.

g. Bills Payable

The Reserve Bank provides remittance facilities for its constituents and also meets its own payments requirements through issue of Demand Drafts (DDs) and Payment Orders (POs) (besides electronic payments mechanisms). The balance under this head represents the unclaimed DDs/ POs . The total amount outstanding under this head decreased from ₹0.37 billion as on June 30, 2014 to ₹0.17 billion as on June 30, 2015 mainly due to lesser use of DDs/POs.

h. Miscellaneous

This is a residual category representing items such as interest earned on earmarked securities, amounts payable on leave encashment, etc. Till 2013-14 this category included margin maintained on Repo transactions, which has since been discontinued following the change in accounting treatment of Repo under LAF and MSF. The decrease in balance under this category from ₹68.24 billion as on June 30, 2014 to ₹30.83 billion as on June 30, 2015 was mainly on account of discontinuation of accounting of margins in respect of Repo under LAF and MSF.

vi Liabilities of Issue Department- Notes Issued

The liabilities of the Issue Department reflect the quantum of currency notes in circulation. Section 34 (l) of the Reserve Bank of India Act requires that all bank notes issued by the Reserve Bank since April 1, 1935 and the currency notes issued by the Government of India before the commencement of operations of the Reserve Bank be part of the liabilities of the Issue Department. The currency notes in circulation increased by 9.57 per cent from ₹13,445.16 billion as on June 30, 2014 to ₹14,732.43 billion as on June 30, 2015.

XI.11.2 ASSETS

11.2.1 Assets of Banking Department (BD)

The assets comprise Notes, Rupee Coin and Small Coin, Gold Coin and Bullion, Foreign Currency Assets, investments in Rupee Securities, Bills Purchased and Discounted, Loans and Advances, Investment in Subsidiaries, Other Assets. The details are as under:

i) Notes, Rupee Coin and Small Coin

This is the balance of bank notes, one rupee notes, rupee coins of ₹1, 2, 5 and 10 and small coins kept in the vaults of the Banking Department to meet the day to day requirements of the banking functions conducted by the Reserve Bank. The balance as on June 30, 2015 was ₹0.11 billion, which was the same as on June 30, 2014.

ii) Gold Coin and Bullion

Bank holds 557.75 metric tonnes of gold, of which 292.26 metric tonnes are held as backing for notes issued and shown separately as an asset of Issue Department. The balance 265.49 metric tonnes is treated as an asset of Banking Department. The value of gold held as asset of Banking Department declined by 1.93 per cent from ₹590.24 billion as on June 30, 2014 to ₹578.84 billion as on June 30, 2015 on account of decline in international gold prices.

iii) Bills Purchased and Discounted

Though the Reserve Bank can undertake purchase and discounting of commercial bills under the Reserve Bank of India Act,1934, no such activity has been undertaken in 2014-15;

consequently, there was no such asset in the books of the Reserve Bank as on June 30, 2015.

iv) Investments Foreign –BD

The Foreign Currency Assets (FCA) of the Reserve Bank are shown under two heads in the Balance Sheet: (a) 'Investments-Foreign-BD', shown as a distinct item under the assets of the Banking Department and (b) 'Investments-Foreign-ID' as Issue Department assets.

Investments-Foreign-BD include (i) deposits with other central banks, (ii) deposits with the Bank for International Settlements (BIS), (iii) balances with foreign branches of commercial banks, (iv) investments in foreign treasury bills and securities and (v) Special Drawing Rights (SDR) acquired from the Government of India. Investments-Foreign-ID comprises Deposits, T-bills and dated securities. The position of FCA of the Bank for the last two years is given in Table XI.4.

v) Investments- Domestic-BD

Investments comprise dated Government Rupee Securities, Treasury Bills and Special

Table XI.4: Details of Foreign Currency Assets (FCA)

(₹ billion)

	Particulars	As on June 30	
		2014	2015
	1	2	3
I	Assets of Issue Department		
	Investments-Foreign-ID (Foreign securities under Issue Department balance sheet till 2013-14)	12,783.31	14,082.75
II	Assets of Banking Department		
	(a) Included in 'Investments' (*Till 2013-14*)	1,069.45	0.00*
	(b) Investment-Foreign-BD	3,726.76	7,276.29@
	Total	17,579.52	21,359.04

* : Foreign Securities and Shares in BIS and SWIFT held under this head have been moved under Investments-Foreign-BD during the year.

@ : including SDRs valued at ₹99.08 billion.

Notes:

1. Uncalled amount on partly paid shares of the Bank for International Settlements (BIS) as on June 30, 2015 was ₹1.08 billion (SDR 12,041,250). The amount was ₹1.12 billion (SDR 12,041,250) in the previous year.
2. The Reserve Bank has agreed to make resources available under the IMF's New Arrangements to Borrow (NAB) [which subsumes the earlier commitment of US$ 10 billion (₹637.55 billion) under the Note Purchase Agreement] up to a maximum amount of SDR 8.74 billion (₹783.74 billion /US$12.29 billion). As on June 30, 2015, investments amounting to SDR 0.84 billion (₹75.22 billion/US$ 1.18 billion) have been made under the NAB.
3. The Reserve Bank has agreed to invest up to an amount, the aggregate of which shall not exceed US$ 5 billion (₹318.77 billion), in the bonds issued by the India Infrastructure Finance Company (IIFC), UK. As on June 30, 2015, the Reserve Bank has invested US$ 2.10 billion (₹133.89 billion) in such bonds.
4. In terms of the Note Purchase Agreement (NPA) 2012 entered into by the Reserve Bank with IMF, Reserve Bank would purchase SDR denominated Notes of the IMF for an amount up to the equivalent of US$ 10 billion (₹637.55 billion).
5. During the year 2013-14, the Reserve Bank and the Government of India (GoI) entered into a MoU for transfer of SDR holdings from GoI to the Reserve Bank in a phased manner. During the year ending June 30, 2015, SDR 0.57 billion (₹51.16 billion; US$ 0.82 billion) was transferred to the Reserve Bank. The SDR balance held by the Reserve Bank as on June 30, 2015, was SDRs 1.1 billion (₹99.08 billion; US$ 1.55 billion).
6. With a view to strengthening regional financial and economic cooperation, the Reserve Bank has agreed to offer an amount of US $ 2 billion both in foreign currency and Indian rupee under the SAARC Swap Arrangement to SAARC member countries. During the year ending June 30, 2015, Sri Lanka (Central Bank of Sri Lanka) has availed of US$ 0.4 billion (₹25.50 billion) under this arrangement.

Oil bonds. However, as on June 30, 2015 the Bank did not hold any treasury bills. The Reserve Bank's holdings of domestic securities held as part of Bank's investments came down by 22.58 per cent, from ₹6,684.68 billion as on June 30, 2014 to ₹5174.97 billion as on June 30, 2015.The decrease was on account of (a) change in accounting treatment of Repo/ Reverse Repo under LAF and MSF (b) liquidity management operations conducted by the Bank, and (c) GoI securities maturing during the year 2014-15.

vi) Loans and Advances

a) Central and State Governments

These loans are extended in the form of Ways and Means Advances (WMA) in terms of Section 17(5) of the Reserve Bank of India Act and the limit in case of central government is fixed from time to time in consultation with them and in case of state governments, the limits are fixed based on the recommendations of Advisory Committee/Group constituted for this purpose. No loans and advances to the central government were outstanding as on June 30, 2015 and June 30, 2014. Loans and advances to the state governments as on June 30, 2015 stood at ₹25.77 billion as compared with ₹6.66 billion as on June 30, 2014.

b) Loans and advances to Commercial and Co-operative banks

These mainly include refinance availed from the Reserve Bank under the export credit refinance (ECR) facility against eligible outstanding export credit and amounts outstanding under Repo under Liquidity Adjustment facility (LAF)and Marginal Standing Facility (MSF). From the year 2014-15, Repo under LAF and MSF are being treated as lending and reflected under this head, as a result of which, the balance under this head, increased by 147.87 per cent from ₹295.51 billion as on June 30, 2014 to ₹732.48 billion as on June 30, 2015.

c) Loans and advances to NABARD

The Reserve Bank can extend loans to NABARD under section 17 (4E) of the Reserve Bank of India Act,1934. As on June 30, 2015 no loan is outstanding.

d) Loans and advances to others

The balance under this head represents loans and advances to National Housing Bank (NHB), Small Industries Development Bank of India (SIDBI), liquidity support provided to Primary Dealers (PDs) and outstanding Repo/ Term Repo conducted with the PDs amounting to ₹44.07 billion. The balance under this head decreased by 35.81 per cent from ₹68.66 billion as on June 30, 2014 to ₹44.07 billion as on June 30, 2015 primarily on account of repayment of loans by SIDBI.

vii) Investment in Subsidiaries

The details of holdings in subsidiaries institutions as on June 30, 2015 are given in Table XI.5.

Table XI 5: Holdings in subsidiaries

(Amount in ₹ billion)

	Cost	% holding
1	2	3
a) Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC)	0.50	100
b) National Bank for Agriculture and Rural Development(NABARD)	0.20	1
c) National Housing Bank (NHB)	4.50	100
d) Bharatiya Reserve Bank Note MudranPvt. Ltd. (BRBNMPL)	8.00	100
Total	**13.20**	

viii) Other Assets

a. 'Other Assets' comprise fixed assets (net of depreciation), accrued income on domestic and foreign investments, balances held in Swap Amortisation Account (SAA), Revaluation of Forward Contracts Account (RFCA) and Miscellaneous Assets. Miscellaneous Assets comprise mainly loans and advances to staff, amount spent on projects pending completion, security deposit paid *etc*. The amount outstanding under 'Other Assets' decreased by 8.66 per cent from ₹343.13 billion as on June 30, 2014 to ₹ 313.43 billion as on June 30, 2015 primarily on account of marked to market loss on forward contracts as on June 30, 2015 as against marked to market gain as on June 30, 2014.

b. Swap Amortisation Account (SAA)

In the case of swaps that are in the nature of repo at off-market rates, the difference between the future contract rate and the rate at which the contract is entered is amortised over the period of the contract and held in the SAA. The balance in this account increased by 59 per cent from ₹59.30 billion as on June 30, 2014 to ₹94.33 billion as on June 30, 2015. The amounts held in this account will be reversed on maturity of the underlying contracts.

c. Revaluation of Forward Contracts Account (RFCA)

Forward contracts which are entered into as part of intervention operations are marked to market on June 30. The net gain is required to be recorded in the RFCA, and reversed on the maturity of the underlying contracts. The balance in this account as on June 30, 2015 was nil on account of marked to market loss on forward contracts.

11.2.2 Assets of Issue Department

The eligible assets of the Issue Department held as backing for notes issued consist of Gold Coin and Bullion, Rupee Coin, Foreign Currency Assets, Government of India non-interest bearing Rupee Securities and Domestic Bills of Exchange and other Commercial Papers. The Reserve Bank holds 557.75 metric tonnes of gold, of which 292.26 metric tonnes are held in India as backing for notes issued (Table XI.6). The value of gold held as backing for notes issued decreased by 1.93 per cent from ₹649.78 billion as on June 30, 2014 to ₹637.23 billion as on June 30, 2015, reflecting declining international bullion prices. Consequent upon an increase in notes issued, foreign currency assets held as backing for notes issued increased by 10.17 per cent from ₹12,783.31 billion as on June 30, 2014 to ₹14,082.75 billion as on June 30, 2015. The balance of Rupee coins held by Issue Department increased by 15.70 per cent from ₹1.72 billion as on June 30, 2014 to ₹1.99 billion as on June 30, 2015. The amount of non-interest bearing rupee securities remained unchanged at ₹10.46 billion.

XI.12 Foreign Currency Assets and Foreign Exchange Reserves

The Foreign Exchange Reserves (FER) predominantly comprises FCA, besides gold,

Table XI.6: Physical holding of Gold

	As on June 30, 2014	As on June 30, 2015
	Volume in metric tonnes	Volume in metric tonnes
1	2	3
Gold held for backing note issue (held in India)	292.26	292.26
Gold held as asset of Banking Department (held abroad)	265.49	265.49
Total	**557.75**	**557.75**

Table XI.7(a): Foreign Exchange Reserves

(Amount in ₹ billion)

	As on June 30		Variation	
	2014	2015	Absolute	Per Cent
1	2	3	4	5
Foreign Currency Assets (FCA)	17,530.21^	21,100.56#	3,570.35	20.37
Gold	1,240.02	1,216.07@	(-) 23.94	(-) 1.93
Special Drawing Rights (SDR)	268.31	259.03	(-) 9.28	(-) 3.46
Reserve Position in the IMF	103.23	83.96	(-) 19.27	(-) 18.67
Foreign Exchange Reserves (FER)	19,141.77	22,659.62	3,517.86	18.38

^ : Excludes SDR Holdings of the Reserve Bank amounting to ₹49.31 billion which is included under the SDR holdings.

: Excludes (a) SDR Holdings of the Reserve Bank acquired from GOI, amounting to ₹99.08 billion, which is included under the SDR holdings, (b) Investment of ₹133.89 billion in bonds issued by IIFC (UK) and (c) ₹25.50 billion lent to Sri Lanka under a Currency Swap arrangement made available for SAARC countries.

@ : Of this, Gold valued at ₹637.23 billion is held as an asset of Issue Department and Gold valued at ₹578.84 billion is held under asset of Banking Department.

Table XI.7(b): Foreign Exchange Reserves

(Amount in US $ billion)

	As on June 30		Variation	
	2014	2015	Absolute	Per Cent
1	2	3	4	5
Foreign Currency Assets (FCA)	289.32*	331.55**	42.23	14.59
Gold	20.63	19.07	(-) 1.56	(-) 7.56
Special Drawing Rights (SDR)	4.47	4.06	(-) 0.41	(-) 9.17
Reserve Position in the IMF	1.72	1.32	(-) 0.40	(-) 23.26
Foreign Exchange Reserves (FER)	316.14	356.00	39.86	12.61

* : Excluding USD 1,181 million invested in bonds of IIFC (UK) and SDRs equivalent to USD 820.56 million acquired by the Reserve Bank.

** : Excludes (a) SDRs equivalent to US$ 1,554 million acquired by the Reserve Bank from GOI, which is included under the SDR holdings, (b) Investment of US$ 2,100 million in bonds issued by IIFC (UK) and (c) LKR equivalent to US$ 400 million received from Sri Lanka under a Currency Swap arrangement made available for SAARC countries.

Special Drawing Rights (SDRs) and Reserve Tranche Position (RTP). Reserve Tranche Position represents India's quota contribution to IMF in foreign currency and is not part of the Bank's balance sheet. The position of Foreign Exchange Reserves as at June 30, 2014 and June 30, 2015 in Indian Rupees and the US dollar, which is the numeraire currency for our foreign exchange reserves, have been furnished in Tables XI.7 (a) and (b).

ANALYSIS OF INCOME AND EXPENDITURE

Income

XI.13 The main components of Reserve Bank's income are Interest Receipts and Others including (i) Discount, (ii) Exchange, (iii) Commission and (iv) Rent Realised, Profit or loss on sale of Bank's property and provisions no longer required. Of these, Interest receipts forms the major portion, supplemented by relatively small amounts of income from other sources, *viz.*, discount, exchange, commission and others.

Earnings from Foreign Sources

XI.14 The income from foreign sources, increased by 30.2 per cent from ₹197.68 billion in 2013-14 to ₹257.44 billion in 2014-15 mainly on account of increase in the size of foreign currency assets which increased from ₹17,579.52 billion rupees as on June 30, 2014 to ₹21, 359.03 billion rupees as on June 30, 2015. The rate of earnings on foreign currency assets was higher at 1.36 per cent in 2014-15 as compared with 1.21 per cent in 2013-14 (Table XI.8).

Earnings from Domestic Sources

XI.15 The net income from domestic sources increased by 19.29 per cent from ₹448.49 billion in 2013-14 to ₹535.00 billion in 2014-15, mainly on account of lower depreciation on rupee securities as the prices of Government securities stayed in a narrow range throughout the year. The substantial decline in depreciation by ₹382.17 billion was offset to a large extent by lower profits realised on sales of securities as the central government is now being compensated based on the weighted average rate of the term auctions conducted by the Reserve Bank during the year as against the earlier system of investing in government securities from out of the Bank's holdings. The details of earnings from domestic sources are given in Table XI.9.

XI.16 The coupon receipts was slightly lower at ₹436.30 billion in 2014-15 as compared to ₹470.53 billion as the Reserve Bank's holding of rupee securities came down on account of Open Market Operations (OMO) sales (including the sales on NDS-OM) and redemption of securities on maturity. No OMO purchases were conducted during the year.

XI.17 The net interest income from LAF and MSF (Interest on Repo and MSF less interest paid by the Bank on Reverse Repo) decreased by 60.53 per cent from ₹76.47 billion in 2013-14 to ₹30.17 billion in 2014-15 largely on account of lower Average Daily Net Liquidity Injection through RBI windows (Repo, Reverse Repo, MSF, Term Repo & Term Reverse Repo).

XI.18 Interest income on Ways and Means Advances (WMA)/Overdraft (OD) from the Centre and States increased by 21.91 per cent from ₹3.88 billion as on June 30, 2014 to ₹4.73 billion as on June 30, 2015. The interest received on account of WMA/OD from the central government during 2014-15 was ₹3.57 billion as compared to ₹3.22 billion during 2013-14 due to higher average utilisation of OD for 19 days by the central government as compared to lower utilisation of OD for 9 days in the previous year. The interest received on WMA/OD/Special Drawing Fund (SDF) from states during the year 2014-15 was ₹1.16 billion as compared to

Table XI.8: Earnings from Foreign Sources

(₹ billion)

Item	As on June 30		Variation	
	2014	2015	Absolute	Per Cent
1	2	3	4	5
Foreign Currency Assets (FCA)	17,579.52	21,359.04	3,779.51	21.50
Average FCA	16,368.93	18,909.29	2,540.36	15.52
Earnings from FCA (interest, discount, exchange gain/loss, capital gain/loss on securities)	197.68	257.44	59.76	30.23
Earnings from FCA as per cent of average FCA	1.21	1.36	0.15	12.40

Table XI.9: Earnings from Domestic Sources

(₹ billion)

Item	Year ended		Variation	
	June 30, 2014	June 30, 2015	Absolute	Per cent
1	2	3	4	5
Domestic Assets	**8664.04**	**7656.01**	**(-)1008.03**	**(-)11.63**
Weekly Average of Domestic Assets	**8694.77**	**7828.99**	**(-)865.78**	**(-)9.96**
Earnings (I + II+III)	**448.49**	**535.00**	**86.51**	**19.29**
I. Interest and other Securities Related Income				
i) Profit on Sale of Securities	331.37	139.15	(-)192.22	(-)58.01 ii)
Net Interest on LAF Operations	59.02	28.30	(-)30.72	(-)52.05 iii)
Interest on MSF operations	17.45	1.88	(-)15.57	(-)89.23 iv)
Interest on holding of Domestic Securities	470.53	436.30	(-)34.23	(-)7.27 v)
Depreciation	(-)480.45	(-)98.28	382.17	79.54
Sub total (i+ii+iii+iv+v)	***397.92***	***507.35***	***109.43***	***27.50***
II. Interest on Loans and Advances				
i) To Government (Central & States)	3.88	4.73	0.85	21.91
ii) To Banks & Financial Institutions	33.10	8.87	(-)24.23	(-)73.20
iii) To Employees	0.48	0.46	(-)0.02	(-)4.17
Sub total (i+ii+iii)	***37.46***	***14.06***	***(-)23.40***	***(-)62.47***
III. Other Earnings				
i) Discount	0.01	0.00	(-)0.01	(-)100
ii) Exchange	0.00	0.00	0.00	0.00
iii) Commission	12.57	13.38	0.81	6.44
iv) Rent realised, Profit or Loss on sale of Bank's property and Provisions no longer required.	0.53	0.21	(-)0.32	(-)60.38
Sub total (i+ii+iii+iv)	***13.11***	***13.59***	***0.48***	***3.66***

₹0.66 billion for the year 2013 –14. This is attributable to significantly higher daily average utilisation of WMA/OD/SDF by the States at ₹14.46 billion in 2014-15 as against ₹8.51 billion during 2013-14.

Expenditure

XI.19 The Reserve Bank incurs expenditure in the course of performing its statutory functions by way of agency charges/commission, printing of notes, expenses on remittance of treasure besides staff related and other expenses. The total expenditure of the Reserve Bank increased by 11.92 per cent from ₹119.34 billion in 2013-14 to ₹133.56 billion in 2014-15.

i) Interest Payment

During 2014-15 interest of ₹0.01 billion was credited to Dr B.R.Ambedkar Fund that was set up for giving scholarship to wards of staff.

ii) Employee cost

The employee cost decreased by 6.15 per cent from ₹43.24 billion in 2013-14 to ₹40.58 billion in 2014-15. The major component of employee cost is gratuity and superannuation. The decrease is mainly due to the decrease in the contribution towards accrued liabilities of the Gratuity and Superannuation Fund and other funds based on the actuarial valuation. The

contribution for the year 2014-15 was ₹14.83 billion as against ₹18.09 billion in the previous year. GoI dated rupee securities, equivalent to the balances in Provident Fund, Gratuity & Superannuation Fund, Leave Encashment Fund and Medical Assistance Fund, held by the Bank have been specifically ear-marked for these Funds.

iii) Agency Charges

a. *Agency Commission on Government Transactions*

The Reserve Bank discharges the function of banker to the government through a large network of agency bank branches that serve as retail outlets for government transactions. The Reserve Bank pays commission to these agency banks at prescribed rates which were last revised with effect from July 01, 2012. The agency commission paid to these banks on account of government business for the year 2014-15 was ₹29.63 billion as compared with ₹27.81 billion for the year 2013-14, registering an increase of 6.54 per cent. The increase in agency commission could be attributed to the growth in number of transactions and amount involved in government receipts and payments.

b. *Underwriting Commission paid to the Primary Dealers (PDs)*

Reserve Bank paid total underwriting commission of ₹0.33 billion to PDs during 2014-15 as compared to ₹4.81 billion during 2013-14. Underwriting commission was on the lower side as compared to last year due to softening of yields during the year (10 year benchmark yield decreased by around 86 bps) on account of various reasons like RBI rate cut by 75 bps, softening of crude prices; fall in CPI and WPI etc. As the market conditions were benign and risk of devolvement reduced, PDs demanded lesser underwriting commission as compared to last year when market conditions turned volatile after taper tantrum by US Fed in May 2013.

c. *Fees paid to the External Asset Managers, custodians, etc.*

Fees amounting to ₹0.49 billion were paid during the year July-June 2015 as compared to ₹0.63 billion in 2013-14 to the external asset managers who are entrusted with the management of a small portion of the Reserve Bank's foreign exchange reserves and to custodians who hold the foreign assets of the Reserve Bank.

iv) Printing of notes

The expenditure incurred on printing of notes increased by 17.05 per cent from ₹32.14 billion in 2013-14 to ₹37.62 billion in 2014-15 mainly on account of increase in the supply of banknotes.

v) Other expenses

Other expenses consisting of expenditure on remittance of treasure, printing and stationery, audit fees and related expenses, miscellaneous expenses, etc. increased by 39.74 per cent from ₹10.67 billion as on June 30, 2014 to ₹14.91 billion as on June 30, 2015. This is primarily on account of increase in expenditure on Banking Development Scheme from ₹0.53 billion in 2013-14 to ₹3.03 billion in 2014-15.

vi) Provisions

This represents an amount of ₹10 billion transferred to the ADF for the investment to be made in the share capital of NHB.

Previous Year's Figures

XI.20 Figures for the previous year have been rearranged to make them comparable with the current year.

Auditors

XI.21 The statutory auditors of the Bank are appointed by the Central Government in terms of Section 50 of the RBI Act, 1934. The accounts of the Reserve Bank for the year 2014-15 were audited by M/s Haribhakti & Co. LLP, Mumbai and M/s CNK & Associates LLP, Mumbai as the Statutory Central Auditors and M/s M Choudhury and Co., M/s Sundaram & Srinivasan and M/s V K Verma & Co. as Statutory Branch Auditors.

ANNEX

CHRONOLOGY OF MAJOR POLICY ANNOUNCEMENTS: JULY 2014 TO JUNE 2015*

Date of Announcement	Policy Initiative
	Monetary Policy Department
August 5, 2014	SLR was reduced by 50 bps to 22.0 per cent of NDTL effective August 9, 2014.
September 30	ECR liquidity was reduced from 32 per cent of eligible export credit outstanding to 15 per cent effective October 10, 2014.
January 15, 2015	Policy repo rate was reduced by 25 bps to 7.75 per cent.
February 3	SLR was reduced by 50 bps to 21.5 per cent of NDTL effective February 7, 2015. ECR facility was replaced by the system level liquidity effective February 7, 2015.
February 20	The Government and the Reserve Bank entered into an agreement on the Monetary Policy framework introducing flexible inflation targeting.
March 4	Policy repo rate was reduced by 25 bps to 7.5 per cent.
June 2	Policy repo rate was reduced by 25 bps to 7.25 per cent.
	Financial Inclusion and Development Department
August 14, 2014	The operational guidelines of the Self Employment Programme (SEP) component of National Urban Livelihoods Mission (NULM) were issued in line with restructuring of the existing Swarna Jayanti Shahari Rozgar Yojana (SJSRY) as NULM.
November 13	Guidelines were issued on financing of 0.5 million Joint Liability Groups of '*Bhoomi Heen Kisan*' through NABARD.
December 3	Instructions on credit facilities to minority communities were made applicable to the Jain community in view of its notification as minority community under Section 2(c) of the National Commission for Minorities (NCM) Act, 1992.
December 9	Revised guidelines were issued for 2014-15 on Interest Subvention Scheme under the National Rural Livelihoods Mission (NRLM).
December 10	Classification of priority sector lending shortfall and interest payable to banks falling in such categories on deposits placed by them in the Rural Infrastructure Development Fund (RIDF) and other funds, were restructured. The revised deposit rates were linked to shortfall in overall priority sector lending targets.
January 2, 2015	SLBC convenor banks and lead banks were advised to complete the process of providing banking services to unbanked villages with population below 2,000 by August 14, 2015 in line with PMJDY instead of March 2016 as prescribed earlier.
January 28	Banks were advised to dispense with obtaining 'No Due Certificate' from individual borrowers (including SHGs and JLGs) for all types of loans, including loans under Government sponsored schemes, irrespective of the amount involved unless the Government sponsored scheme itself provides for obtention of 'No Due Certificate'.
February 25	Overdrafts extended by banks up to ₹ 5,000 in PMJDY accounts were made eligible for classification under priority sector advances ('others' category) as also weaker sections, provided the borrower's household annual income did not exceed ₹ 60,000 for rural areas and ₹ 1,20,000 for non-rural areas.
March 13	Priority sector loans to persons with disabilities were made eligible for classification under the weaker sections category.

*: Indicative in nature and details available on the Reserve Bank's website.

Date of Announcement	Policy Initiative
March 25	Revised guidelines were issued for relief measures by banks in areas affected by natural calamities.
April 23	Based on the recommendations of the internal working group, priority sector lending guidelines were revised.
May 21	Reporting format for progress under the SHG-Bank Linkage programme was revised with a view to capturing data pertaining to financing of SHGs under NRLM and NULM separately.
	Financial Markets Regulation Department
July 23, 2014	FPI investment in G-secs was restricted to securities with a minimum residual maturity of three years.
September 8	FPIs were permitted to hedge currency risks on coupon receipts from debt securities in India falling due in the next 12 months.
September 30	Short sale limit for liquid G-secs was increased to 0.75 per cent of the outstanding stock or ₹ 600 crore, whichever is lower.
	Initiation of short sale was permitted in the OTC market besides NDS-OM as hitherto.
September 30	Limit for importers to book forward contracts under the past performance route was increased from 50 per cent of the eligible limit to 100 per cent (same as exporters).
December 19	Requirement of exchange of physical confirmation by counterparties of trades matched on F-TRAC was removed.
January 14, 2015	Requirement of statutory auditor's quarterly certificate for hedging under the past performance route was replaced with a declaration signed by the CFO and CS of the customer.
February 3	Bonds issued by multilateral financial institutions in India were permitted as eligible underlying for repo in corporate debt.
February 3	FPI investment in corporate debt was restricted to instruments with a minimum residual maturity of three years. FPI investment in liquid and money market mutual fund schemes was disallowed.
February 5	Scheduled commercial banks, PDs, mutual funds and insurance companies were permitted to undertake re-repo of G-secs acquired through reverse repo.
February 13	Resident entities were permitted to rebook FCY-INR swap contracts after cancellation only after the expiry of the tenor of the cancelled swap.
March 20	T+2 settlement was permitted for outright secondary market transactions in G-secs by FPIs and reported on NDS-OM.
March 31	Position limits for participation by domestic investors and FPIs in the ETCD market, without the requirement of establishing underlying exposure, were increased to US$ 15 million per exchange for USD-INR and US$ 5 million for EUR-INR, GBP-INR and JPY-INR pairs, all put together. In the ETCD market, the requirement of the statutory auditor's certificate was replaced with a signed undertaking from CFO or the senior most functionary for a company's finance and accounts and the Company Secretary.
May 14	NBFCs registered with RBI, including government companies as defined in Sub-section (45) of Section 2 of the Companies Act, 2013 which adhere to the prudential norms prescribed for NBFCs were permitted to undertake ready forward contracts in corporate debt securities.
May 21	For hedging of rupee exchange risk, overseas lenders of INR denominated external commercial borrowings (ECB) were permitted to swap with their overseas bank which shall enter into a back-to-back swap with any AD category-I bank in India.

Date of Announcement	Policy Initiative
June 12	Cash settled interest rate futures (IRF) were permitted on G-secs with a residual maturity of 4-8 years and 11-15 years. Residual maturity of underlying security for 10-year cash settled IRF was relaxed to 8-11 years.
June 25	AD category-I banks were permitted to borrow from specified international/multilateral financial institutions, within the permissible limits, without a case by case approval from the Reserve Bank.
Financial Markets Operations Department	
August 7, 2014	The methodology for computation and dissemination of the rupee reference rate was revised effective September 1, 2014.
August 22	The framework for liquidity management was revised effective September 5, 2014. The revised system of conducting 14-day variable rate term repos four times during a reporting fortnight, i.e., on every Tuesday and Friday, between 11.00-11.30 a.m. for an amount equivalent to one-fourth of 0.75 per cent of system-wide NDTL in each auction, was introduced.
February 20, 2015	The reverse repo and marginal standing facility (MSF) operations were introduced on all Saturdays effective February 21, 2015.
Foreign Exchange Department	
July 3, 2014	Limit on financial commitments by an Indian party for overseas direct investments (ODIs) was restored to 400 per cent of its net worth, subject to a maximum of US$ 1 billion in a financial year under the automatic route.
July 7	Clean credit was permitted for a period not exceeding 180 days from the date of shipment.
July 14	Partly paid equity shares and warrants issued by an Indian company were made eligible instruments for FDI and FPI by FIIs/RFPIs.
July 15	Issue and transfer of shares including compulsorily convertible preference shares and debentures were allowed at a price worked out as per SEBI guidelines in case of listed companies and any internationally accepted pricing methodology in case of unlisted companies on an arm's length basis.
July 17	Resident individuals were permitted to make remittance under LRS for purchasing immovable property abroad.
July 21	e-KYC service launched by the Unique Identification Authority of India (UIDAI) was accepted as a valid process for KYC verification under the Prevention of Money Laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005.
July 22	The system of considering project/deferred service export proposals exceeding US$ 100 million by a Working Group was dispensed with and AD banks/ Exim Bank were permitted to give post-award approval without any monetary limit and also permit subsequent changes in the terms of approval within the relevant FEMA guidelines/regulations
July 23	Investment limits in G-secs for FIIs/QFIs/FPIs was enhanced by US$ 5 billion by correspondingly reducing the amount available to long term investors from US$ 10 billion to US$ 5 billion, within the overall limit of US$ 30 billion.
August 27	ADs were allowed to refinance existing ECB by raising fresh ECB at lower all-in-cost even where the average maturity period of the fresh ECB was more than the residual maturity of the existing ECB.
August 28	Eligible investors were permitted to acquire G-secs in any manner as per the prevalent/ approved market practice.

Date of Announcement	Policy Initiative
September 3	Eligible borrowers were allowed to raise rupee denominated ECBs from all other recognised ECB lenders over and above foreign equity holders allowed earlier.
September 8	FPIs were permitted to hedge coupon receipts out of debt securities in India falling due in the next 12 months provided hedge contracts should not be eligible for rebooking on cancellation.
September 17	Indian companies were permitted to issue equity shares against any funds payable by them, remittances of which did not require prior permission of the government or the Reserve Bank.
September 30	Importers were allowed to book forward contracts, under the past performance route, up to 100 per cent of the eligible limit.
November 20	Time of realisation and repatriation of export proceeds for all categories of exporters was fixed at nine months.
November 21	ADs were permitted to allow eligible ECB borrowers to park ECB proceeds in term deposits with AD category-I banks in India for a maximum period of six months pending utilisation for permitted end uses.
November 21	ADs and full-fledged money changers were allowed to release full basic travel quota (BTQ) entitlement in cash or up to the cash limit specified by the Haj Committee of India to Haj/ Umrah pilgrims.
November 28	The '20:80 scheme' which stipulated that 20 per cent of the gold imported had to be exported was withdrawn.
December 2	The stipulation of an auditor's certificate for making remittances of assets abroad was dispensed with and ADs were permitted to make remittances on payment of applicable taxes.
December 8	FDI up to 49 per cent under the government route was permitted in the defence sector.
December 8	FDI in railway infrastructure was permitted up to 100 per cent under the automatic route.
December 9	An Alternative Investment Fund registered with SEBI was allowed to invest overseas on the lines of domestic venture capital funds.
December 17	Multilateral organisations like the SAARC Development Fund (SDF), of which India is a member were allowed to open accounts with AD banks in India, without the prior approval of the Reserve Bank.
December 29	Designated AD banks were permitted to create charge/ pledge on the shares of the JV/ WOS/ SDS of an Indian party in favour of a domestic or overseas lender for securing the funded and/ or non-funded facility to be availed of by the Indian party or by its group companies/ sister concerns/ associate concerns or by any of its JV/ WOS/ SDS.
January 1, 2015	The set of eligible securities for raising ECBs was made more broad-based to include movable assets and financial securities in addition to immovable assets.
January 6	Residents who are subsidiaries of multinational companies were permitted to hedge their foreign currency exposure through permissible derivatives with an AD category-I bank in India on the strength of guarantee of non-resident group entity.
January 22	A new scheme, 'Depository Receipts Scheme, 2014' for investment under ADR/GDR was notified, providing for repeal of extant guidelines for Foreign Currency Convertible Bonds and Ordinary Shares (Through Depositary Receipt Mechanism) Scheme, 1993 except to the extent relating to foreign currency convertible bonds.
January 22	Facility for remittance of salaries outside India was made available to employees on deputation to a group company in India and for employees of limited liability partnerships.
January 22	Individuals were permitted to carry to Nepal or Bhutan, currency notes of the Reserve Bank, denominations above ₹100 subject to a limit of ₹25,000.

Date of Announcement	Policy Initiative
January 23	AD banks were authorised to make changes in the amount of ECB, its draw-down, repayment schedules, average maturity period and all-in-cost.
February 12	Requirement of submission in Form A-1 to ADs for making payments towards imports was dispensed with.
February 12	Filing of the following returns was enabled on the e-Biz platform: Advance Remittance Form (ARF) used by companies to report FDI inflow; and FCGPR Form for reporting the issue of instruments to the overseas investor against the above FDI inflow.
March 11	Citizens of Macau and Hong Kong were prohibited from acquiring/ transferring immovable property in India akin to the prohibition for citizens of China.
March 31	A financial institution or a branch of a financial institution set up in IFSC will be treated as a person resident outside India.
April 8	FDI in the insurance sector was allowed up to 49 per cent.
April 30	Goods consigned to the importers of Nepal and Bhutan from third countries under merchant trade from India will qualify as traffic-in-transit if the goods are otherwise compliant with the provisions of the India-Nepal Treaty of Transit and the Indo-Bhutan Treaty of Transit respectively.
May 14	Requirement of declaring export of goods/software in the statutory declaration form (SDF) in case of exports through the Electronic Data Interchange (EDI) ports was dispensed with as the mandatory statutory requirements contained in the SDF were subsumed in the shipping bill format.
May 21	ADs were advised not to insist on form A2 and physical presence of the account holder at the time of closure of FCNR (B) deposits.
May 21	Under the rupee drawing arrangements, the limit of trade transactions was increased to ₹15,00,000 per transaction from ₹5,00,000.
June 1	Limit of remittances under the liberalised remittance scheme (LRS) was increased to an umbrella limit of US$ 2,50,000/- subsuming various limits under Schedule III of the Foreign Exchange Management (Current Account Transaction) Rules, 2000.
June 11	NRIs were permitted to subscribe to chit funds, without limit, on a non-repatriation basis, provided the Registrar of Chits permitted any chit fund accordingly and the subscription was brought in through the normal banking channel, including through an account maintained with a bank in India.
June 18	From the half year ending June 2015, BEF submission will be online and bank-wise.
Department of Banking Regulation	
July 15, 2014	Banks were allowed to extend structured long term project loans with periodic refinancing option to new projects in infrastructure and core industries sectors.
July 15	Banks were allowed to issue long term bonds (minimum 7 years) for financing their infrastructure and affordable housing loans, with exemptions from CRR/SLR and computing of ANBC for priority sector obligations.
July 17	Banks were advised on the list of officially valid documents (OVD) for KYC. Procedure for opening of accounts by low risk customers was also simplified.
July 22	Banks were allowed to decide on the quantum of loans against the pledge of gold jewellery and ornaments for non-agricultural end uses with bullet repayment of principal and interest.
August 7	Banks were allowed to refinance existing project loans, even without a pre-determined agreement with other banks/ FIs, and fix a longer repayment period, and this will not be considered as restructuring in the books of the existing as well as taking over lenders.

Date of Announcement	Policy Initiative
August 14	Where the initial financial closure does not provide for a standby credit facility, banks were allowed to fund cost over-runs without treating the loan as a 'restructured asset'.
September 1	Banks were advised to clearly delineate the procedure for disposal of loan proposals, with appropriate timelines, and institute a suitable monitoring mechanism for reviewing applications pending beyond the specified period. Banks were also advised to make suitable disclosures on the timelines for conveying credit decisions.
September 1	To facilitate raising of non-equity regulatory capital instruments, certain eligibility criteria for banks' capital instruments under the Basel III framework were relaxed.
September 4	For streamlining KYC norms, client due diligence measures were further simplified, dispensing with the requirement of 'positive confirmation' and physical presence of clients at the time of periodic updation.
September 9	The upper age limit for the MD and CEO and other whole time directors of banks in the private sector was fixed at 70 years with flexibility to individual banks' boards to prescribe a lower than 70 years retirement age for WTDs, including the MD & CEO, as an internal policy.
September 9	On the guidelines on wilful defaulters, definitions of guarantor, lender and unit were spelt out.
October 16	Guidelines on advanced approaches of operational risk – standardised approach and advanced measurement approach were revised.
October 21	KYC norms were further simplified: 'low risk' customers need not furnish fresh KYC documents at the time of periodic updation; self-certification will suffice in case of no change. For non-compliant KYC accounts, after repeated reminders, banks may impose 'partial freezing' in a phased manner.
October 21	Timelines were extended for reporting an account having principal or interest overdue for more than 60 days as a special mention account (SMA 2); formation of a joint lenders forum (JLF); and for deciding a corrective action plan and evaluation of the restructuring packages by an Independent Evaluation Committee.
November 3	Final guidelines were issued on monitoring tools for intra-day liquidity management, consistent with the quantitative tools in this regard finalised by the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS).
November 20	While levying charges for non-maintenance of minimum balance in savings bank accounts, default in maintenance of minimum balance should be notified to the customer clearly and the penal charges should be directly proportionate to the extent of shortfall observed.
November 27	For financing of infrastructure and affordable housing, the formula to decide the lower of outstanding amount of bonds issued and eligible credit was revised to take into account the outstanding credit on every reporting Friday as against the earlier requirement of outstanding credit on the date of issuance of bonds.
November 28	For computing the liquidity coverage ratio (LCR), G-secs up to another 5 per cent of NDTL within the mandatory SLR were permitted as Level 1 HQLAs. Banks were allowed to avail liquidity facility against such securities under a special facility, 'Facility to Avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio'.
December 15	The framework of flexible structuring and periodic refinancing of long term project loans was extended to existing loans to infrastructure and core industries projects, in which the aggregate exposure of all institutional lenders exceeded ₹5 billion.
December 22	Non-cooperative borrower was re-defined as one who does not engage constructively with the lender by defaulting in timely repayment of dues while having ability to pay, thwarting lender's efforts for recovery of dues by not providing necessary information sought, denying access to assets financed/ collateral securities, obstructing sale of securities, *etc*.

Date of Announcement	Policy Initiative
January 8, 2015	The revised framework for leverage ratio (LR) was issued for a parallel run and also for public disclosure of Tier 1 LR. Individual banks will be monitored against an indicative LR of 4.5 per cent, pending finalisation of rules by BCBS by end-2017.
January 15	Comprehensive guidelines were issued on insurance businesses undertaken by banks - insurance business with risk participation/ or distribution as agents/ brokers.
January 15	Banks/ FIs were advised to become members of all four credit information companies (CICs), and the membership and annual fee were also prescribed.
January 19	Banks were allowed to review the base rate methodology after three years instead of five years. Guidelines on spread charged to the customer were also issued to protect the interests of existing borrowers.
February 5	Final guidelines for implementation of Countercyclical Capital Buffer (CCCB) were issued. However, the activation of CCCB will take place when circumstances warrant.
March 5	Banks were permitted to add stamp duty, registration and other documentation charges to the cost of house/dwelling unit for computing the Loan to Value (LTV) ratio where the cost of the house/dwelling unit does not exceed ₹1 million.
March 11	Banks were allowed to reverse the excess provision on sale of NPAs prior to February 26, 2014 to SCs/ RCs to their profit and loss account.
March 13	For opening accounts of proprietorship concerns, banks were allowed the discretion to accept one document as activity proof, subject to carrying out contact point verification to their satisfaction that furnishing two such documents was not possible.
March 20	Banks were advised to disclose details of their holdings of security receipts in a prescribed format in Notes to Accounts of Annual Financial Statements.
March 30	Banks were allowed to utilise up to 50 per cent of the countercyclical provisioning buffer/floating provisions as at end-December 2014, for making specific provisions for NPAs, as per the policy approved by their boards.
March 31	Following the BCBS's Regulatory Consistency Assessment Programme (RCAP), guidelines on Basel III capital adequacy and liquidity regulations were revised.
April 1	A scheme for setting up of IBUs in Gujarat International Finance Tec-City (GIFT) and other IFSCs that may be set up in India was formulated. Under the scheme, IBUs will be established with a minimum capital requirement of US$ 20 million or equivalent in foreign currency.
April 1	In case of fraud, the entire amount due to the bank, or for which the bank is liable is to be provided for over a period not exceeding four quarters.
April 6	When a project is stalled primarily due to inadequacies of the existing promoters followed by a change in the ownership, banks may permit extension of date of commencement of commercial operations (DCCO) up to a further period of two years, in addition to the extension of DCCO permitted under the existing regulations, without adversely affecting the asset classification of loans to such projects.
April 6	Refinance of rupee loans with foreign currency loans (including loans obtained with support from the Indian banking system) or *vice versa* shall be treated as 'restructuring', if such refinancing is extended to a borrower who is under financial difficulty and involves concessions that the bank would otherwise not consider.
April 16	Banks were permitted to offer differential rates of interest on term deposits based on the feature of early withdrawal facility. All terms deposits of individuals of ₹1.5 million and below should necessarily have a premature withdrawal facility.
May 14	Public sector banks were advised to determine the board agenda items and the periodicity thereof, with the approval of their boards, such that there was adequate focus on matters of strategic and financial importance.

Date of Announcement	Policy Initiative
May 21	The dispensation to amortise the loss on sale of NPAs to Securitisation Companies/Reconstruction Companies (SCs/RCs) over a period of two years was extended to assets sold up to March 31, 2016.
May 28	Private sector banks were advised to adhere to the Reserve Bank's instructions of May 14, 2015 on calendar of reviews by PSB boards to the extent applicable.
May 28	Banks were advised to encourage and educate large agricultural borrowers, such as agricultural commodity processors, traders, millers and aggregators to hedge their risks related to agricultural commodity prices.
June 1	Private sector banks were advised to put in place board approved comprehensive compensation policies for the non-executive directors (other than part time chairman), covering compensation in the form of profit related commission, not exceeding ₹1 million per annum for each of the non-executive directors.
June 1	Cross holding of long-term bonds issued for financing infrastructure and affordable housing was allowed amongst banks.
June 8	A Strategic Debt Restructuring (SDR) scheme was issued, allowing conversion of bank loan dues into equity shares at a 'fair price' as per a prescribed pricing formula, which is exempted from the SEBI's related regulations.
June 11	All-India Term Lending and Refinancing Institutions were permitted to reverse the excess provision on sale of NPAs (sold prior to February 26, 2014 to SCs/RCs) to their profit and loss accounts.
June 11	For KYC purposes, banks were advised to accept from low-risk customers additional documents as OVDs for proof of address, such as utility bills, municipal tax receipt, bank account statement and pension payment orders.
Department of Cooperative Bank Regulation	
August 20, 2014	CBS-enabled UCBs having minimum assessed net worth of ₹500 million, satisfying Financially Sound and Well Managed (FSWM) criteria and having track record of regulatory compliance were permitted to open on-site/off-site/mobile ATMs without prior permission of the Reserve Bank.
September 3	The acquiring commercial banks should not incur any loss out of merger/transfer of assets and liabilities of UCBs and big depositors holding in excess of ₹0.1 million each will be required to sacrifice in proportion to the deposit erosion of the target bank.
October 13	Internet banking (view only) facility was permitted to all UCBs which have implemented CBS and migrated to IPv6.
October 13	FSWM criteria for UCBs was revised to include CBS as an additional condition for opening of on-site/off-site/mobile ATMs, approval of annual business plans (ABP), extension of area of operation and shifting of premises.
October 29	Scheduled UCBs which were CBS-enabled with 9 per cent CRAR and fully compliant with the Reserve Bank's eligibility criteria, have been extended Liquidity Adjustment Facility (LAF) with effect from November 28, 2014.
October 29	UCBs were permitted to act as PAN Service Agents (PSAs) by entering into a tie-up with any agency authorised by the Income Tax Department, Government of India.
October 30	The ceiling on quantum of gold loans granted under the Bullet Repayment Scheme by UCBs was raised from ₹0.1 million to ₹0.2 million.
October 30	UCBs were advised to prominently display the full name of the bank as authorised by the Reserve Bank wherever abbreviated/abridged version of the name of UCB is used for logo/ brand building.
November 5	For compliance with the obligations under the PML Amendment Act, 2012, UCBs could also designate a person who holds the position of senior management or equivalent as a 'Designated Director'. However, in no case, the Principal Officer should be nominated as 'Designated Director'.

Date of Announcement	Policy Initiative
November 13	UCBs were advised to review and strengthen controls in cheque presenting/passing and account monitoring.
November 27	The Supervisory Action Framework was revised to facilitate early rectification of the irregularities/ deficiencies of UCBs. The revised criteria envisages restrictions/ corrective action, if any of the trigger points is breached such as the gross NPA ratio exceeding 10 per cent, regulatory capital falling below 9 per cent, credit deposit ratio exceeding 70 per cent or when a UCB is incurring losses for two consecutive years or having accumulated losses.
January 7, 2015	UCBs were advised to constitute a special committee of the board for monitoring and follow up of frauds involving amounts of ₹10 million and above, while the Audit Committee of Board (ACB) may continue to monitor all the cases of frauds in general.
January 8	The quantum of loans granted under the Bullet Repayment Scheme by StCBs/CCBs was raised from ₹0.1 million to ₹0.2 million.
January 29	Cooperative banks were advised to become members of all four Credit Information Companies (CICs) and furnish historical data to them.
April 16	State Cooperative Banks (StCBs) meeting the stipulated norms were permitted to open on-site/off-site/ mobile ATMs as per their need and potential in their area of operation without prior permission of the Reserve Bank.
April 30	CBS-enabled FSWM scheduled UCBs having minimum net-worth of ₹1 billion were allowed to issue credit cards in affiliation with authorised entities.
May 5	CBS-enabled UCBs having capacity to build necessary modules in CBS/ hand-held devices and not operating under directions u/s 35 A of the Banking Regulation Act, 1949 (AACS) were advised to roll out the Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) and Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) by May 31, 2015 and participate in these schemes.
May 7	StCBs meeting the revised eligibility criteria were permitted to submit their applications in the prescribed format for prior approval for opening of branches/specialised branches/extension counters/ shifting of branches/upgradation of extension counters into full-fledged branches.
May 14	Uniform provisioning norms in respect of all cases of frauds were prescribed. The entire amount due to the bank or for which the bank is liable, is to be provided for over a period not exceeding four quarters. If there is a delay in reporting the fraud to the Reserve Bank beyond the prescribed time limit, the entire provision is required to be made at once.
May 25	CBS-enabled UCBs having capacity to build necessary modules in CBS/ hand-held devices and not operating under directions u/s 35 A of BR Act,1949 (AACS) were permitted to participate in Atal Pension Yojana (APY).
Department of Non-Banking Regulation	
July 10, 2014	Customers required to submit only one documentary proof of address (either current or permanent) while opening a deposit account or while undergoing periodic updation.
July 14	NBFCs were advised not to charge pre-payment penalties on floating rate term loans to individual borrowers.
July 14	It was decided to accept e-KYC service process as a valid process for KYC verification. Also, demographic details and photographs as provided for by the Unique Identification Authority of India (UIDAI) will be treated as an 'OVD' for KYC requirements under Prevention of Money Laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005.
July 25	NBFCs were advised to obtain a Global Intermediary Identification Number (GIIN) wherever applicable.
August 1	NBFCs were advised to make available information/documents required by the special investigation team (SIT) as and when required.

Date of Announcement	Policy Initiative
August 5	SCs/RCs were required to invest minimum 15 per cent of Security Receipts (SRs) of each class and each scheme issued by them on an on-going basis till redemption of SRs. Management fees should be calculated and charged as percentage of the minimum net asset value (NAV) specified by a credit rating agency (rather than percentage of outstanding SRs at present) provided the same is not more than the acquisition value of the underlying asset. Asset Reconstruction Companies (ARCs) should also be members of a JLF. ARCs should put up on their websites at quarterly intervals the list of suit filed accounts of wilful defaulters.
August 7	Every SC/RC was required to become a member of at least one CIC and provide to the CIC periodically accurate data / history of the borrowers.
August 8	Amendments were made to the regulatory framework pertaining to Mortgage Guarantee Companies.
August 12	All non-deposit taking NBFCs with asset size of ₹10 billion and above were allowed to participate in the interest rate futures market as trading members.
September 25	NBFCs were allowed to use the ratings of SMERA for the purpose of rating their fixed deposits.
November 10	Threshold for defining systemic significance for NBFCs-ND was revised to ₹5 billion from ₹1 billion. Tighter prudential norms were prescribed for NBFCs-ND-SI and all NBFCs-D.
November 10	Principal business criteria for NBFC-Factors revised to 50:50 from 75:75, in line with the Factoring Regulation Act, 2011.
December 1	Following the Prevention of Money-Laundering (Maintenance of Records) Amendment Rules, 2013, changes were carried out in KYC/AML guidelines.
January 2, 2015	Due diligence process/updation for KYC compliance was revised for various categories of customers, allowing third party verification.
January 16	Revisions of the DCCO and consequential shift in repayment schedules will not be treated as restructuring if the revised DCCO falls within a period of two years and one year from the original DCCO for infrastructure and non-infrastructure projects respectively.
January 19	Flexible structuring and refinancing of fresh term loans were allowed to long term project loans to infrastructure and core industries.
January 28	NBFCs registered as core investment companies, primary dealers and those purely into investment activities without any customer interface were exempt from the requirement of becoming members of CIC.
February 6	Minimum investment grade for long term fixed deposit products provided by Brickwork Ratings India Pvt. Ltd. was advised to be equivalent to FBBB.
February 6	Credit institutions were mandated to become members of all CICs.
February 20	Guidelines on private placements were revised with the issue of non-convertible debentures (NCDs) categorised into two groups: (a) a subscription of ₹20,000 to ₹10 million per investor with a maximum of 200 subscribers in a financial year and the issue being fully secured; and (b) a minimum subscription of ₹10 million and above with no limit on the number of subscribers and the need for the creation of security should be as approved by their boards.
February 24	The following changes in the shareholding pattern of a SC/RC will require the Reserve Bank's prior approval: transfer of shares by which the transferee becomes a sponsor; transfer of shares by which the transfer or ceases to be a sponsor; and an aggregate transfer of 10 per cent or more of the total paid up share capital by a sponsor in five years from the date of certificate of registration.
March 16	NBFCs could also designate a person who holds the position of senior management or equivalent, as a Designated Director.

Date of Announcement	Policy Initiative
April 8	For NBFC-MFIs, limit on the total indebtedness of a borrower, excluding educational/medical expenses was raised to ₹100,000 from ₹50,000. Loans disbursed to a borrower with a rural household annual income not exceeding ₹100,000 or urban and semi-urban household income not exceeding ₹160,000 were included as qualifying assets.
April 10	NBFCs lending against collateral of listed shares were advised to maintain an LTV ratio of 50 per cent, accept only Group 1 securities (as specified by SEBI) as collateral for loans of value more than ₹0.5 million where the lending is done for investment in the capital market.
April 10	Enhanced corporate governance guidelines were made applicable to NBFCs-ND-SIs and deposit taking NBFCs.
April 30	It was decided to dispense with the requirement of prior approval from the Reserve Bank for NBFCs to distribute mutual fund products.
April 30	While opening accounts of sole proprietary firms, NBFCs were given the discretion to accept only one of the prescribed documents as activity proof.
May 7	For restructuring proposals approved / to be approved by BIFR/CDR/JLF, SC/RCs were permitted to accept a resolution period co-terminus with other secured lenders.
May 14	Directions issued to infrastructure debt funds (IDFs) were amended to allow entry of IDF-NBFCs into sectors where there is no presence of a project authority. Risk weight as applicable to bonds held by IDF-NBFCs and assets of infrastructure finance companies were made applicable to all NBFCs.
May 21	Besides the Bombay Bullion Association Ltd. (BBA), rates of a commodity exchange regulated by the Forward Markets Commission were allowed to be used for valuation of gold jewellery for computing the LTV ratio.
June 25	NBFCs-ND were permitted to act as sub-agents under MTSS without requirement of prior approval from the Reserve Bank.
Department of Banking Supervision	
July 1, 2014	Classification and reporting system for frauds was prescribed, consolidating and updating earlier instructions.
September 5	Liquidity returns were prescribed for banks to monitor their resilience to potential liquidity disruptions under stress scenarios.
November 5	Preventive measures laid down for cheque related frauds.
December 15	Banks were advised to employ 'decoy customers' and conduct surprise checks for compliance with KYC/AML/CFT norms.
March 4, 2015	Banks were advised to implement a comprehensive compliance plan with compliance testing and review structures in view of focus on compliance review in the Reserve Bank supervisory processes.
May 7	Banks were advised to follow a framework for fraud risk management, based on the recommendations of the Internal Working Group that looked into issues relating to prevention, early detection and reporting of fraud, penal measures for fraudulent borrowers, introducing, *inter alia*, the concepts of early warning signals and red flagged accounts.
June 4	Banks were advised that henceforth concurrent auditors, who are chartered accountants, of branches below the cut-off point will submit Long Form Audit Reports (LFARs) only to the Chairman of the bank and the bank in turn will consolidate all such LFARs and submit to the Statutory Central Auditor as an internal document of the bank.

Date of Announcement	Policy Initiative
Consumer Education and Protection Department	
December 3, 2014	A Charter of Customer Rights was issued covering five basic rights of bank customers.
February 11, 2015	The status on implementation of the charter will be monitored by the Reserve Bank in addition to a review by the bank's board.
May 11	Public sector banks, select private and foreign banks were advised to appoint chief customer service officers, *i.e.,* internal ombudsman.
Internal Debt Management Department	
December 15, 2014	The quantum of securities classified under HTM was restored to 100 per cent of audited NOF for the standalone PDs as at the end of the preceding financial year, effective December 31, 2014. It was raised to 200 per cent in September 2013 due to excessive market volatility.
Department of Currency Management	
December 31, 2014	The deadline for exchange of banknotes printed before 2005 was extended from December 31, 2014 to June 30, 2015.
February 3, 2015	The Regional Offices of the Reserve Bank were advised to continue with the Lead Bank Scheme for currency management in the identified districts on a pilot basis for one more year and guide the nodal banks suitably.
April 17	The process of approval by the Reserve Bank for opening of currency chests by banks has been rationalised / simplified from a multi-layered approval process to only one final approval subject to certain conditions.
June 26	The deadline for exchange of banknotes printed before 2005 was extended from June 30, 2015 to December 31, 2015.
Department of Payment and Settlement Systems	
August 14, 2014	The minimum number of free transactions at other banks ATMs was rationalised from five to three at six metros and for own bank ATMs to five.
August 22	Where cards issued by banks in India are used for making card not present payments within the country, such transactions have to be through a bank in India and settled only in Indian currency.
November 28	Guidelines on the Bharat Bill Payment System were issued, enabling the creation of pan-India touch points for bill payments by customers, irrespective of location.
December 3	PPI guidelines were revised, enhancing value of PPI with full KYC, increasing the validity period of gift cards, allowing issue of multiple PPIs for dependent/family members and rupee denominated PPIs for visiting foreign nationals/NRIs.
December 3	Guidelines for setting up of TReDS were issued to provide quick and efficient financing options for MSMEs.
December 4	Guidelines on mobile banking transactions were issued for adoption of best practices, such as greater degree of standardisation in procedures; registration options and timing, adoption of various channels/ methods for quickening the process of MPIN generation, and customer education and awareness programme.
December 5	WLAs were permitted to accept international credit/debit/prepaid cards, facility of dynamic currency conversion for international cards at WLAs and also to enable tie-ups with other commercial banks for cash supply.
December 15	RTGS business hours were extended: 8:00 to 20:00 hours on weekdays and 8:00 to 15:30 hours on Saturdays.

Date of Announcement	Policy Initiative
January 2, 2015	Authorised entities were advised to prominently carry the name of the entity authorised by the Reserve Bank in all the information available to the public regarding the product.
January 16	Instruction on computation of '*Net-worth'* was issued for an entity to be authorised under the PSS Act.
May 7	Effective September 1, 2015, all new cards issued – debit and credit, domestic and international should be EMV chip and pin based cards.
May 14	Requirement for additional factor of authentication was relaxed for small value card present transactions only using Near Field Communication contactless technology.

APPENDIX TABLE 1: MACROECONOMIC AND FINANCIAL INDICATORS

Item	Average 2003-04 to 2007-08 (5 years)	Average 2009-10 to 2013-14 (5 years)	2012-13	2013-14	2014-15
1	2	3	4	5	6
I. Real Economy					
I.1 Real GDP at market prices (% change)	8.8	7.0	5.1	6.9	7.3
I.2 Real GVA at basic prices (% change)	8.7	6.7	4.9	6.6	7.2
I.3 Foodgrains Production (Million tonnes)	213.6	248.8	257.1	265.0	252.7
I.4 a) Food Stocks (Million tonnes at end-March)	18.6	50.1	59.8	49.5	41.3
b) Procurement#	39.3	61.3	72.2	56.9	58.0
c) Off-take	41.5	57.0	65.9	59.8	56.0
I.5 Index of Industrial Production (% change)	11.2	3.5	1.1	-0.1	2.8
I.6 Index of Eight Core Industries (% change)	5.9	5.8	6.5	4.2	3.8
I.7 Gross Domestic Saving Rate (% of GNDI at current prices)	32.4	31.4$	31.1	30.0	...
I.8 Gross Domestic Investment Rate (% of GDP at current prices)	33.6	35.8$	36.6	32.3	...
II. Prices					
II.1 Consumer Price Index (CPI) Combined (Average % Change)	...	...	10.2	9.5	5.9
II.2 CPI- Industrial Workers (average % change)	5.0	10.3	10.4	9.7	6.3
II.3 Wholesale Price Index (average % change)	5.5	7.1	7.4	6.0	2.0
III. Money and Credit					
III.1 Reserve Money (% change)	20.4	12.1	6.2	14.4	11.3
III.2 Broad Money (M3) (% change)	18.6	14.7	13.6	13.4	10.8
III.3 a) Aggregate Deposits of Scheduled Commercial Banks (% change)	20.2	15.0	14.2	14.1	10.7
b) Bank Credit of Scheduled Commercial Banks (% change)	26.7	16.7	14.1	13.9	9.0
IV. Financial Markets					
IV.1 Interest rates (%)					
a) Call / Notice Money rate	5.6	7.2	8.1	8.3	8.0
b) 10 year G-Sec yield	7.0	8.0	8.2	8.4	8.3
c) 91-Days T-bill yield			8.2	8.9	8.5
d) Weighted Average cost of Central Government Borrowings			8.4	8.4	8.5
e) Commercial Paper	7.7	8.4	9.2	9.3	8.8
f) Certificate of Deposits##	8.9	8.2	9.0	9.2	8.7
IV.2 Liquidity (₹ billion)					
a) LAF Outstanding~	...	...	-1,236.4	-2,179.9	-1,938.8
b) MSS Outstanding~~	...	...	0.0	0.0	0.0
c) Average Daily Call Money Market Turnover	184.9	255.3	323.6	302.3	255.7
d) Average Daily G-Sec Market Turnover$$	77.1	241.4	325.1	429.0	501.2
e) Variable Rate Repo*				1,200.2	1,628.7
f) MSF*			70.0	737.4	416.4
V. Government Finances					
V.1 Central Government Finances (% of GDP)@					
a) Total Revenue Receipts	9.8	9.0	8.8	8.9	8.8
b) Capital Outlay	1.6	1.5	1.5	1.5	1.3
c) Total Expenditure	14.7	14.7	14.1	13.7	13.1
d) Gross Fiscal Deficit	3.6	5.3	4.9	4.4	4.0
V.2 State Finances@@					
a) Revenue Deficit (% of GDP)**	0.4	0.0	-0.2	0.1	0.1
b) Gross Fiscal Deficit (% of GDP)**	2.7	2.2	2.0	2.2	2.9
c) Primary Deficit (% of GDP)**	0.3	0.6	0.5	0.7	1.3

APPENDIX TABLE 1: MACROECONOMIC AND FINANCIAL INDICATORS *(Concld.)*

Item	Average 2003-04 to 2007-08 (5 years)	Average 2009-10 to 2013-14 (5 years)	2012-13	2013-14	2014-15
1	2	3	4	5	6
VI. External Sector					
VI.1 Balance of Payments					
a) Merchandise Exports (% change)	25.3	12.2	-1.0	3.9	-0.6
b) Merchandise Imports (% change)	32.3	9.7	0.5	-7.2	-1.1
c) Trade Balance/GDP (%)	-5.4	-8.9	-10.7	-7.9	-7.0
d) Invisible Balance/GDP (%)	5.1	5.7	5.9	6.1	5.7
e) Current Account Balance/GDP (%)	-0.3	-3.2	-4.8	-1.7	-1.3
f) Net Capital Flows /GDP (%)	4.6	3.7	4.9	2.6	4.4
g) Reserve Changes (BoP basis) (US $ billion) [(Increase (-)/Decrease (+)]	-40.3	-6.6	-3.8	-15.5	-61.4
VI.2 External Debt Indicators					
a) External Debt Stock (US$ billion)	156.5	359.0	409.4	446.3	475.8
b) Debt-GDP Ratio (%)	17.7	20.9	22.3	23.6	23.8
c) Import cover of Reserves (in Months)	14.0	8.5	7.0	7.8	8.9
d) Short-term Debt to Total Debt (%)	14.8	21.4	23.6	20.5	17.8
e) Short-term Debt to Total Debt (%) (residual maturity)	37.6^^	41.9	44.2	39.6	38.9
f) Debt Service Ratio (%)	8.3	5.6	5.9	5.9	7.5
g) Reserves to Debt (%)	116.9	82.1	71.3	68.2	71.8
VI.3 Openness Indicators (%)					
a) Export plus Imports of Goods/GDP	30.4	40.2	44.1	41.9	37.9
b) Export plus Imports of Goods & Services/GDP	40.8	52.2	56.4	54.1	49.4
c) Current Receipts plus Current Payments/GDP	46.6	58.3	62.6	60.6	55.4
d) Gross Capital Inflows plus Outflows/GDP	36.8	49.5	46.5	52.0	49.1
e) Current Receipts & Payments plus Capital Receipts & Payments /GDP	83.5	107.7	109.1	112.6	104.4
VI.4 Exchange Rate Indicators					
a) Exchange Rate (Rupee/US Dollar)					
End of Period	43.1	51.1	54.4	60.1	62.6
Average	44.1	51.2	54.4	60.5	61.1
b) 36 - Currency REER (% change)	3.1^	0.8	-4.3	-2.2	5.5
c) 36 - Currency NEER (% change)	1.7^	-4.9	-10.4	-7.7	2.4
d) 6 - Currency REER (% change)	4.4^	1.8	-3.3	-3.7	6.4
e) 6 - Currency NEER (% change)	1.6^	-5.4	-10.5	-10.4	1.3

... : Not Available. $: Average of four years.
$$: Outright trading turnover in Central government dated securities (based on calender days).
: Procurement of rice and wheat is based on respective marketing years.
: Data for "Column 2" pertains to April 13, 2007 to March 28, 2008
~ : LAF outstanding as on March 31 (negative means injection).
~~ : Outstanding as on last Friday of the financial year.
* : Outstanding as on March 31.
** : Data from 2013-14 onwards are provisional and pertain to budgets of 25 states.
@ : Central Government figures for 2014-15 pertain to provisional accounts.
@@ : State Government figures for 2014-15 pertain to revised estimates.
^ : Average of period 2005-06 to 2007-08.
^^ : Pertains to end-March 2008.

Note : 1. In columns 2 and 3, GDP is based on the old series *i.e.*, base: 2004-05; in other columns, the new series of GDP *i.e.*, base: 2011-12 is used.
2. Real Effective Exchange Rate (REER) are based on CPI.

APPENDIX TABLE 2 : GROWTH RATES AND COMPOSITION OF REAL GROSS DOMESTIC PRODUCT

(At 2011-12 Prices)

(Per cent)

Sector	Growth Rate				Share		
	Average 2012-13 to 2014-15	2012-13	2013-14	2014-15	2012-13	2013-14	2014-15
1	2	3	4	5	6	7	8
Expenditure Side GDP							
1. Private Final Consumption Expenditure	6.0	5.5	6.2	6.3	57.9	57.5	57.0
2. Government Final Consumption Expenditure	5.5	1.7	8.2	6.6	10.8	10.9	10.9
3. Gross Fixed Capital Formation	2.4	-0.3	3.0	4.6	31.9	30.7	30.0
4. Change in Stocks	-8.0	-6.2	-21.4	3.7	2.2	1.6	1.5
5. Valuables	-6.7	3.3	-48.7	25.3	2.8	1.4	1.6
6. Net Exports	28.8	-3.3	69.0	20.7	-6.4	-1.8	-1.4
a) Exports	4.4	6.7	7.3	-0.8	24.6	24.7	22.9
b) Less Imports	-1.5	6.0	-8.4	-2.1	31.0	26.6	24.2
7. Discrepancies	-185.5	-162.9	-139.7	-253.9	0.8	-0.3	0.4
8. GDP	**6.4**	**5.1**	**6.9**	**7.3**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
GVA at Basic Prices (Supply Side)							
1. Agriculture, forestry and fishing	**1.7**	**1.2**	**3.7**	**0.2**	**17.7**	**17.2**	**16.1**
of which :							
Agriculture	2.6*	1.2	3.9	...	15.4	15.0	...
2. Industry	**5.7**	**5.1**	**5.3**	**6.6**	**23.7**	**23.4**	**23.3**
of which :							
a) Mining and quarrying	2.5	-0.2	5.4	2.4	3.0	3.0	2.9
b) Manufacturing	6.2	6.2	5.3	7.1	18.3	18.1	18.1
c) Electricity, gas, water supply & other utility services	5.6	4.0	4.8	7.9	2.4	2.3	2.3
3. Services	**7.8**	**6.0**	**8.1**	**9.4**	**58.6**	**59.4**	**60.6**
of which :							
a) Construction	1.0	-4.3	2.5	4.8	8.6	8.3	8.1
b) Trade,hotels,transport,communication and services related to broadcasting	10.5	9.6	11.1	10.7	18.0	18.8	19.4
c) Financial, real estate & professional services	9.4	8.8	7.9	11.5	19.5	19.7	20.5
d) Public Administration, defence and other services	6.6	4.7	7.9	7.2	12.5	12.6	12.6
4. GVA at basic prices	**6.2**	**4.9**	**6.6**	**7.2**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

... : Not available .

* : The absolute figure for the sub-sector 'Agriculture' is yet to be released by CSO for the year 2014-15; hence the average pertains to 2012-13 and 2013-14.

Source: Central Statistics Office (CSO).

APPENDIX TABLE 3: INFLATION, MONEY AND CREDIT

(Per cent)

Inflation									
Consumer Price Index (All India)**	**Rural**			**Urban**			**Combined**		
	2012-13	**2013-14**	**2014-15**	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
General Index (All Groups)	**10.1**	**9.6**	**6.2**	**10.4**	**9.4**	**5.7**	**10.2**	**9.5**	**5.9**
Food and beverages	11.8	11.2	6.6	12.1	11.0	6.4	11.9	11.1	6.5
Housing	...	...	...	11.3	10.4	6.9	11.3	10.4	6.9
Fuel and light	7.9	7.4	5.1	9.7	7.3	2.7	8.5	7.4	4.2
Miscellaneous	7.2	6.7	4.9	7.5	7.0	4.2	7.3	6.8	4.6
Excluding Food and Fuel	8.0	7.3	5.8	9.4	8.6	5.5	8.7	8.1	5.6
Other Price Indices	**2006-07**	**2007-08**	**2008-09**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**
1. Wholesale Price Index (2004-05=100)									
All Commodities	**6.6**	**4.7**	**8.1**	**3.8**	**9.6**	**8.9**	**7.4**	**6.0**	**2.0**
Primary Articles	9.6	8.3	11.0	12.7	17.7	9.8	9.8	9.8	3.0
of which : Food Articles	9.6	7.0	9.1	15.3	15.6	7.3	9.9	12.8	6.1
Fuel and Power	6.5	0.0	11.6	-2.1	12.3	14.0	10.3	10.2	-0.9
Manufactured Products	5.7	4.8	6.2	2.2	5.7	7.3	5.4	3.0	2.4
Non-Food Manufactured Products	5.7	5.0	5.7	0.2	6.1	7.3	4.9	2.9	2.4
2. CPI- Industrial Workers (IW) (2001=100)	**6.7**	**6.2**	**9.1**	**12.4**	**10.4**	**8.4**	**10.4**	**9.7**	**6.3**
of which : CPI- IW Food	9.2	8.4	12.3	15.2	9.9	6.3	11.9	12.3	6.5
3. CPI- Agricultural Labourers (1986-87=100)	**7.8**	**7.5**	**10.2**	**13.9**	**10.0**	**8.2**	**10.0**	**11.6**	**6.6**
4. CPI- Rural Labourers (1986-87=100)	**7.5**	**7.2**	**10.2**	**13.8**	**10.0**	**8.3**	**10.2**	**11.5**	**6.9**
Money and Credit									
	2006-07	**2007-08**	**2008-09**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**
Reserve Money	23.9	31.0	6.4	17.0	19.1	3.6	6.2	14.4	11.3
Currency in Circulation	17.3	17.2	17.0	15.7	18.8	12.4	11.6	9.2	11.3
Bankers' Deposits with RBI	45.6	66.5	-11.3	21.0	20.2	-15.9	-10.0	34.0	8.3
Narrow Money (M1)	17.1	19.4	9.0	18.2	10.0	6.0	9.2	8.5	11.3
Broad Money (M3)	21.7	21.4	19.3	16.9	16.1	13.5	13.6	13.4	10.8
Currency-Deposit Ratio	17.1	16.5	16.1	15.9	16.3	16.1	15.7	15.1	15.2
Money Multiplier*	4.7	4.3	4.9	4.8	4.7	5.2	5.5	5.5	5.5
GDP/M3*$	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Scheduled Commercial Banks									
Aggregate Deposits	23.8	22.4	19.9	17.2	15.9	13.5	14.2	14.1	10.7
Bank Credit	28.1	22.3	17.5	16.9	21.5	17.0	14.1	13.9	9.0
Non-food Credit	28.6	23.0	17.8	17.1	21.3	16.8	14.0	14.2	9.3
Credit-Deposit Ratio	73.9	73.9	72.4	72.2	75.7	78.0	77.9	77.8	76.6
Credit-GDP Ratio$	45.0	47.4	49.3	50.1	50.6	52.2	52.7	52.8	52.1

...: Not Available. *: Ratio. $:GDP data for 2011-12 onwards are based on new series *i.e.,* base: 2011-12.
**: Base 2010=100 for 2012-13 and 2013-14, and 2012=100 for 2014-15.
Note: Data refer to y-o-y change in per cent unless specified otherwise.

APPENDIX TABLE 4: CAPITAL MARKET - PRIMARY AND SECONDARY

(Amount in ₹ billion)

Items	2013-14		2014-15	
	No of Issues	Amount	No of Issues	Amount
1	2	3	4	5
I. PRIMARY MARKET				
A. Prospectus and Rights Issues*				
1. Private Sector (a+b)	**70**	**116.8**	**86**	**170.6**
a) Financial	26	60.6	29	83.6
b) Non-Financial	44	56.2	57	87.0
2. Public Sector (a+b+c)	**20**	**439.7**	**3**	**24.5**
a) Public Sector Undertakings	5	105.7	...	...
b) Government Companies	1	37.0	...	...
c) Banks/Financial Institutions	14	297.0	3	24.5
3. Total (1+2, i+ii, a+b)	**90**	**556.5**	**89**	**195.1**
Instrument Type				
(i) Equity	55	132.7	64	97.9
(ii) Debt	35	423.8	25	97.1
Issuer Type				
(a) IPOs	38	12.4	46	30.4
(b) Listed	52	544.1	43	164.6
B. Euro Issues (ADRs and GDRs)	**1**	**1.2**	**2**	**95.9**
C. Private Placement&				
1. Private Sector (a+b)		**1,213.3**		**2,770.2**
a) Financial		875.3		1,838.4
b) Non-Financial		338.0		931.8
2. Public Sector (a+b)		**2,778.5**		**1,694.7**
a) Financial		1,802.7		1,349.8
b) Non-Financial		975.9		344.8
3. Total (1+2, i+ii)		**3,991.8**		**4,464.8**
(i) Equity		272.1		286.0
(ii) Debt		3,719.7		3,761.4
D. Qualified Institutional Placement$	**17**	**136.6**	**51**	**291.0**
E. Mutual Funds Mobilisation (Net)#		**537.8**		**1,032.9**
1. Private Sector		488.4		1,037.0
2. Public Sector		49.4		-4.1
II. SECONDARY MARKET				
BSE				
BSE Sensex: End-Period		22,386.3		27,957.5
Period Average		20,120.1		26,556.5
Price Earning Ratio@		18.3		19.1
Market Capitalisation to GDP ratio (%) @@		65.4		80.9
Turnover Cash Segment		5,216.6		8,548.4
Turnover Derivatives Segment		92,194.3		203,627.4
NSE				
S&P CNX Nifty: End-Period		6,704.2		8,491.0
Period Average		6,009.5		7,967.3
Price Earning Ratio@		18.9		22.7
Market Capitalisation to GDP ratio (%) @@		64.1		79.2
Turnover Cash Segment		28,084.9		43,296.6
Turnover Derivatives Segment		382,114.1		556,064.5

...: Nil &: Provisional. $: Includes resource mobilisation from Institutional Placement Programme also.
#: Net of redemptions. @: As at end of the period. @@: GDP figures with new base: 2011-12.
Source: SEBI, NSE, BSE, CSO and various merchant bankers.

APPENDIX TABLE 5: KEY FISCAL INDICATORS

(As per cent to GDP)

Year	Primary Deficit	Revenue Deficit	Primary Revenue Deficit	Gross Fiscal Deficit	Outstanding Liabilities@	Outstanding Liabilities$
1	2	3	4	5	6	7
Centre						
1990-91	3.9	3.2	-0.5	7.6	53.7	59.6
1995-96	0.8	2.4	-1.7	4.9	49.4	57.3
2000-01	0.9	3.9	-0.6	5.5	53.9	59.4
2007-08	-0.9	1.1	-2.4	2.5	56.9	58.9
2008-09	2.6	4.5	1.1	6.0	56.1	58.6
2009-10	3.2	5.2	1.9	6.5	54.5	56.3
2010-11	1.8	3.2	0.2	4.8	50.5	52.1
2011-12	2.8	4.5	1.4	5.8	51.1	52.9
2012-13	1.8	3.7	0.5	4.9	50.8	52.3
2013-14	1.1	3.1	-0.2	4.4	50.0	51.7
2014-15 RE	0.8	2.9	-0.4	4.1	50.1	51.7
2014-15 PA	0.8	2.9	-0.4	4.0	...	...
2015-16 BE	0.7	2.8	-0.4	3.9	48.9	50.3
States*						
1990-91	1.7	0.9	-0.6	3.2	21.9	21.9
1995-96	0.7	0.7	-1.1	2.5	20.3	20.3
2000-01	1.7	2.5	0.2	4.0	27.3	27.3
2007-08	-0.5	-0.9	-2.9	1.5	26.6	26.6
2008-09	0.6	-0.2	-2.1	2.4	26.1	26.1
2009-10	1.2	0.5	-1.3	2.9	25.5	25.5
2010-11	0.5	0.0	-1.6	2.1	23.5	23.5
2011-12	0.4	-0.3	-1.8	1.9	22.6	22.6
2012-13	0.5	-0.2	-1.7	2.0	22.1	22.1
2013-14	0.7	0.1	-1.4	2.2	21.4	21.4
2014-15 RE	1.3	0.1	-1.4	2.9	21.8	21.8
2015-16 BE	0.8	-0.4	-1.9	2.3	21.6	21.6
Combined*						
1990-91	4.9	4.1	-0.2	9.1	62.9	68.9
1995-96	1.5	3.1	-1.7	6.3	59.4	67.3
2000-01	3.5	6.4	0.6	9.2	68.2	73.7
2007-08	-1.2	0.2	-5.0	4.0	69.5	71.4
2008-09	3.3	4.3	-0.8	8.3	69.7	72.2
2009-10	4.5	5.7	2.4	9.3	68.8	70.6
2010-11	2.4	3.2	-1.3	6.9	64.0	65.5
2011-12	3.2	4.1	-0.3	7.8	64.9	66.6
2012-13	2.3	3.4	-1.1	6.9	64.8	66.3
2013-14	1.9	3.3	-1.4	6.6	64.3	66.0
2014-15 RE	2.2	3.0	-1.7	6.9	65.3	67.0
2015-16 BE	1.5	2.4	-2.3	6.3	64.6	66.1

...: Not Available. PA: Provisional Accounts. RE: Revised Estimates. BE: Budget Estimates.

* : Data from 2013-14 onwards are provisional and pertains to budgets of 25 states.

@: Includes external liabilities of the centre calculated at historical exchange rates.

$: Includes external liabilities of the centre calculated at current exchange rates.

Note: 1. Data on combined deficit/liabilities indicators are net of inter-governmental transactions between the Centre and the State governments *viz.*, (a) NSSF investment in State governments special securities (b) Loans and advance by the Centre to States and (c) State governments' investment in Centre's treasury bills.

2. Negative sign (-) indicates surplus in deficit indicators.

3. GDP data from 2011-12 onwards are based on new base 2011-12.

Source: Budget documents of the Central and State governments.

APPENDIX TABLE 6: COMBINED RECEIPTS AND DISBURSEMENTS OF THE CENTRAL AND STATE GOVERNMENTS

(Amount ₹ billion)

Item	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (RE)	2015-16 (BE)
1	2	3	4	5	6	7
1 Total Disbursements	**21,451.5**	**24,217.7**	**26,949.3**	**29,759.8**	**35,215.1**	**38,150.9**
1.1 Developmental	12,677.0	14,209.4	15,741.6	16,982.1	20,697.0	21,897.5
1.1.1 Revenue	10,260.2	11,394.6	12,807.1	13,822.7	16,423.5	16,997.2
1.1.2 Capital	1,935.8	2,163.4	2,446.1	2,747.1	3,822.1	4,461.5
1.1.3 Loans	480.9	651.3	488.4	412.3	451.4	438.8
1.2 Non-Developmental	8,520.5	9,695.9	10,850.5	12,345.2	13,978.5	15,715.2
1.2.1 Revenue	7,765.9	8,923.6	9,991.4	11,337.0	12,939.7	14,460.2
1.2.1.1 Interest Payments	3,485.6	4,000.0	4,543.1	5,329.3	5,948.6	6,656.9
1.2.2 Capital	747.5	754.8	837.1	984.4	1,008.9	1,212.4
1.2.3 Loans	7.0	17.5	21.9	23.8	29.9	42.6
1.3 Others	254.0	312.4	357.2	432.6	539.6	538.2
2 Total Receipts	**21,535.6**	**24,540.6**	**27,690.3**	**29,767.1**	**34,835.6**	**37,976.2**
2.1 Revenue Receipts	15,788.2	16,926.8	19,716.2	21,900.7	26,098.5	28,547.3
2.1.1 Tax Receipts	12,500.7	14,427.5	16,879.6	18,413.6	20,859.2	23,206.2
2.1.1.1 Taxes on commodities and services	7,393.7	8,745.6	10,385.9	11,227.3	12,658.9	14,372.9
2.1.1.2 Taxes on Income and Property	5,087.2	5,654.1	6,462.7	7,155.0	8,165.9	8,797.6
2.1.1.3 Taxes of Union Territories (Without Legislature)	19.8	27.9	30.9	31.3	34.4	35.8
2.1.2 Non-Tax Receipts	3,287.5	2,499.3	2,836.6	3,487.1	5,239.3	5,341.1
2.1.2.1 Interest Receipts	250.8	288.7	355.4	400.4	385.4	347.9
2.2 Non-debt Capital Receipts	322.9	441.2	389.2	390.7	438.0	773.4
2.2.1 Recovery of Loans & Advances	82.1	253.7	129.3	93.5	92.8	77.1
2.2.2 Disinvestment proceeds	240.9	187.5	259.9	297.3	345.2	696.3
3 Gross Fiscal Deficit [1 - (2.1 + 2.2)]	**5,340.3**	**6,849.7**	**6,844.0**	**7,468.4**	**8,678.6**	**8,830.2**
3A Sources of Financing: Institution-wise						
3A.1 Domestic Financing	5,104.8	6,725.2	6,771.9	7,395.5	8,581.6	8,718.4
3A.1.1 Net Bank Credit to Government	3,147.1	3,898.3	3,352.8	3,358.6	-297.5	..
3A.1.1.1 Net RBI Credit to Government	1,849.7	1,391.8	548.4	1,081.3	-3,253.0	..
3A.1.2 Non-Bank Credit to Government	1,957.7	2,826.9	3,419.1	4,036.9	8,879.1	8,718.4
3A.2 External Financing	235.6	124.5	72.0	72.9	97.1	111.7
3B Sources of Financing: Instrument-wise						
3B.1 Domestic Financing	5,104.8	6,725.2	6,771.9	7,395.5	8,581.6	8,718.4
3B.1.1 Market Borrowings (net)	4,151.7	6,195.1	6,536.9	6,381.3	6,941.4	7,266.6
3B.1.2 Small Savings (net)	-545.3	190.9	-85.7	-142.8	-577.7	-327.4
3B.1.3 State Provident Funds (net)	362.4	334.3	329.9	306.7	351.3	344.0
3B.1.4 Reserve Funds	35.6	178.5	-4.1	34.6	-127.5	56.5
3B.1.5 Deposits and Advances	342.9	122.1	27.2	255.4	203.9	131.9
3B.1.6 Cash Balances	-84.2	-322.9	-741.0	-7.3	379.4	174.8
3B.1.7 Others	841.6	27.2	708.6	567.5	1,410.7	1,072.1
3B.2 External Financing	235.6	124.5	72.0	72.9	97.1	111.7
4 Total Disbursements as per cent of GDP	*27.6*	*27.4*	*27.0*	*26.2*	*28.1*	*27.0*
5 Total Receipts as per cent of GDP	*27.7*	*27.8*	*27.7*	*26.2*	*27.8*	*26.9*
6 Revenue Receipts as per cent of GDP	*20.3*	*19.2*	*19.7*	*19.3*	*20.8*	*20.2*
7 Tax Receipts as per cent of GDP	*16.1*	*16.3*	*16.9*	*16.2*	*16.6*	*16.4*
8 Gross Fiscal Deficit as per cent of GDP	*6.9*	*7.8*	*6.9*	*6.6*	*6.9*	*6.3*

..: Not Available.

Note: 1. Data for States from 2013-14 onwards are provisional and pertain to budgets of 25 State governments.
2. GDP data for 2014-15 and 2015-16 are Provisional Estimates and Budget estimates, respectively.

Source: Budget documents of Central and State governments.

APPENDIX TABLE 7: INDIA'S OVERALL BALANCE OF PAYMENTS

(US $ million)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15P
1	2	3	4	5	6
A. CURRENT ACCOUNT					
1 Exports, f.o.b.	256,159	309,774	306,581	318,607	316,741
2 Imports, c.i.f.	383,481	499,533	502,237	466,216	460,920
3 Trade Balance	-127,322	-189,759	-195,656	-147,609	-144,179
4 Invisibles, Net	79,269	111,604	107,493	115,212	116,242
a) 'Non-Factor' Services of which :	44,081	64,098	64,915	72,965	75,683
Software Services	50,905	60,957	63,504	66,958	70,400
b) Income	-17,952	-15,988	-21,455	-23,028	-24,983
c) Private Transfers	53,125	63,469	64,342	65,481	66,275
5 Current Account Balance	-48,053	-78,155	-88,163	-32,397	-27,937
B. CAPITAL ACCOUNT					
1 Foreign Investment, Net (a+b)	42,127	39,231	46,711	26,386	73,561
a) Direct Investment	11,834	22,061	19,819	21,564	32,627
b) Portfolio Investment	30,293	17,170	26,891	4,822	40,934
2 External Assistance, Net	4,941	2,296	982	1,032	1,630
3 Commercial Borrowings, Net	12,160	10,344	8,485	11,777	2,729
4 Short Term Credit, Net	12,034	6,668	21,657	-5,044	-924
5 Banking Capital of which :	4,962	16,226	16,570	25,449	11,618
NRI Deposits, Net	3,238	11,918	14,842	38,892	14,057
6 Rupee Debt Service	-68	-79	-58	-52	-81
7 Other Capital, Net @	-12,416	-6,929	-5,047	-10,761	1,426
8 Total Capital Account	63,740	67,755	89,300	48,787	89,959
C. Errors & Omissions	**-2,636**	**-2,432**	**2,689**	**-882**	**-616**
D. Overall Balance [A(5)+B(8)+C]	**13,050**	**-12,831**	**3,826**	**15,508**	**61,406**
E. Monetary Movements (F+G)	**-13,050**	**12,831**	**-3,826**	**-15,508**	**-61,406**
F. IMF, Net					
G. Reserves and Monetary Gold (Increase -, Decrease +) of which : SDR allocation	**-13,050**	**12,831**	**-3,826**	**-15,508**	**-61,406**
Memo: As a ratio to GDP					
1 Trade Balance	-7.5	-10.3	-10.7	-7.9	-7.0
2 Net Services	2.6	3.5	3.5	3.9	3.7
3 Net Income	-1.1	-0.9	-1.2	-1.2	-1.2
4 Current Account Balance	-2.8	-4.2	-4.8	-1.7	-1.3
5 Capital Net (Excld. changes in reserves)	4.5	3.0	5.1	3.4	7.4
6 Foreign Investment, Net	2.5	2.1	2.5	1.4	3.6

P: Provisional.

@: Includes delayed export receipts, advance payments against imports, net funds held abroad and advances received pending issue of shares under FDI.

Note: 1. Gold and silver brought by returning Indians have been included under imports, with a contra entry in private transfer receipts.

2. Data on exports and imports differ from those given by DGCI&S on account of differences in coverage, valuation and timing.

APPENDIX TABLE 8: FOREIGN DIRECT INVESTMENT FLOWS TO INDIA: COUNTRY-WISE AND INDUSTRY-WISE

(US $ million)

Source/Industry	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 P
1	2	3	4	5	6
Total FDI	**14,939**	**23,473**	**18,286**	**16,054**	**24,748**
Country-wise Inflows					
Mauritius	5,616	8,142	8,059	3,695	5,878
Singapore	1,540	3,306	1,605	4,415	5,137
U.S.A	1,071	994	478	617	1,981
Cyprus	571	1,568	415	546	737
Japan	1,256	2,089	1,340	1,795	2,019
Netherlands	1,417	1,289	1,700	1,157	2,154
United Kingdom	538	2,760	1,022	111	1,891
Germany	163	368	467	650	942
UAE	188	346	173	239	327
France	486	589	547	229	347
Switzerland	133	211	268	356	292
Hongkong	209	262	66	85	325
Spain	183	251	348	181	401
China	2	73	148	121	505
Malaysia	40	18	238	113	219
South Korea	136	226	224	189	138
Luxembourg	248	89	34	539	204
Others	1,142	892	1,154	1,015	1,250
Sector-wise Inflows					
Manufacturing	4,793	9,337	6,528	6,381	9,613
Construction	1,599	2,634	1,319	1,276	1,640
Financial Services	1,353	2,603	2,760	1,026	3,075
Real Estate Activities	444	340	197	201	202
Electricity and other Energy Generation, Distribution & Transmission	1,338	1,395	1,653	1,284	1,284
Communication Services	1,228	1,458	92	1,256	1,075
Business Services	569	1,590	643	521	680
Miscellaneous Services	509	801	552	941	586
Computer Services	843	736	247	934	2,154
Restaurants and Hotels	218	870	3,129	361	686
Retail & Wholesale Trade	391	567	551	1,139	2,551
Mining	592	204	69	24	129
Transportation	344	410	213	311	482
Trading	156	6	140	0	228
Education, Research & Development	56	103	150	107	131
Others	506	419	43	293	232

P: Provisional.
Note : Includes FDI through SIA/FIPB and RBI routes only.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.